राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बत्तीसवां दिवस   [संख्या : 17

गुरुवार;

25 मार्च, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल झंवर।

नोखा विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के गांवों एवं बस्तियों का विद्युतीकरण

281. श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोखा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वे कराया हुआ है? क्या इस सर्वे के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जावेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बस्तियां एवं कई गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं? क्या सरकार उक्त का विद्युतीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नोखा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वे करवाया हुआ है। अनुमोदित सर्वे के अनुसार 10 गांवों तथा 32 ढाणियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था। इन सभी 10 गांवों तथा 32 गांवों की ढाणियों के प्रस्तावित सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। सर्वे रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

(2) जी नहीं। उक्त योजना में सर्वे अनुसार सभी 10 गांव तथा 32 गांवों की ढाणियों के सभी कार्य पूर्ण कर विद्युतीकरण कर दिया गया है। नोखा विधान सभा क्षेत्र में जनगणना 2001 के अनुसार नोखा शहर के अतिरिक्त कुल 134 गांव हैं एवं वर्तमान में सभी गांव विद्युतीकृत हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 2003 में सर्वे जो जलदाय विभाग द्वारा करवाया हुआ है एवं जो ढाणियां चिह्नित हुई हैं वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में 649 ढाणियां हैं जिनमें से मात्र 32 ढाणियों को दो साल पहले विद्युतीकृत किया गया था। मेरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने जैसे 250 की आबादी तक की सड़कें इस साल बनाने की जो घोषणा की है, उसी के अनुरूप 250 की आबादी तक की बाकी बची हुई ढाणियों को अगले साल में विद्युतीकृत करने का विचार रखते हैं क्या?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में जो प्लान बनाया गया था वह तीन सौ की आबादी का प्लान बनाया गया था 2001 के सेंसेस के अनुसार तथा वर्ष 2002 में पी एच ई डी द्वारा पापुलेशन नार्म्स बनाये गये थे, तीन सौ से अधिक की ढाणियां थीं उस रेंज में, वे विद्युतीकृत कर दी गयी हैं। नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उन्होंने कहा है कि उनकी जो ढाणियां थीं उनमें से बहुत सारी बच गयी हैं। हमने टेंथ और इलेवंथ प्लान के बाद अलग से केन्द्र सरकार को आर ई सी से 505 करोड़ रुपये की योजना भेजी है जिसके अन्दर जो 300 से 100 की आबादी के बीच के हमारे बचे हुए गांव हैं उनमें, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, वे गांव उसी में इंक्लुडेड हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं नोखा से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो 300 से 100 की आबादी के जितने भी उनके गांव हैं जिसमें 250 की आबादी भी इन्क्लुड है, ज्यों ही राशि उपलब्ध हो जायेगी, आलरेडी योजना प्रस्तावित है, हम भेज चुके हैं, आते ही सारे कनेक्शन करवा दिये जायेंगे।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि तीन सौ की आबादी

(श्री कन्हैयालाल झंवर)

तक का आपने करने का कहा है जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सौ की आबादी की कोई ढाणी नहीं हुई है। यह सूचना आपको गलत दी गयी है विभाग द्वारा। पांच सौ की आबादी की 23 ढाणियां पेंडिंग पड़ी हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो बाकी हैं, कम से कम उनको करने के लिए तो घोषणा करें कि वर्ष 2010-11 में विद्युतीकृत कर देंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह 2005 से प्रारम्भ थी। 2002 की पी एच ई डी की अपनी आइडेंटिफाइड ढाणियां थीं और आप जो फरमा रहे हैं कि बची हुई हैं, वे इंक्लूड कर ली गयी हैं। जो ढाणियां आपकी छूट गयी थीं, जैसा कि आपने फरमाया कि 500 की आबादी की ढाणियां छूट गयी थीं तो, अध्यक्ष महोदय, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहूंगा कि जो 500 की ढाणियां आपकी छूट गयी हैं या 300 की आबादी की ढाणियां रह गयीं हैं, उन सब का, ज्यों ही राशि उपलब्ध होगी 505 करोड़ की, आते ही कनेक्शन करवा देंगे।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा कि पहले जो ढाणियां की गयी हैं, उनमें विभाग द्वारा कोई क्रम और नीति नहीं बनायी गयी थीं। 2005 में जो की गयी हैं, तीन सौ की ढाणियां कर दीं और पांच सौ की छोड़ दीं। इसमें मेरा प्रश्न है कि क्या यह तय करेंगे कि क्रमवाइज ढाणियां आबादी वाली सूची बनाकर प्रायोरिटी के अनुसार करें ताकि मनमानी नहीं हो सके।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में चक सिस्टम है। वहां पर विद्युत विभाग यह कह कर कनेक्शन के लिए मना कर देता है कि चक ढाणियों का नेशनल सर्वे के अनुसार इसमें नाम नहीं है। माननीय विद्युत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसी कई चक ढाणियां हैं जिनकी फाइल लेने से विद्युत विभाग मना कर देता है। तो उन चक ढाणियों का विद्युतीकरण माननीय मंत्री महोदय कब तक करवा देंगे? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने गत दो वर्ष में जो बजटीय प्रावधान किया था बीकानेर जिले के अन्दर, वह कितना था? क्या उसके अनुरूप वे कार्य पूर्ण हो गये हैं?

(श्री देवी सिंह भाटी)

दूसरा, मैं एक इंफार्मेशन देकर आपकी मदद करना चाहूंगा कि यह आप कांट्रेक्ट के ऊपर जो काम देते हैं, उसमें गांव वालों से सिर्फ दस्तखत करवा लिये यह कहकर कि हम आपका बाकी बचा काम शीघ्र पूर्ण करवा देंगे। वह आज तक नहीं हुआ। कृपया आप इसकी जांच करवायें। वह काम जो अधूरे हैं तो पुन:, आप चाहें तो पंचायत का सर्टिफिकेट लें, चाहे ग्राम सेवक का लें, चाहे अध्यापक का लें, जब तक वह किसी सरकारी कर्मचारी से हस्ताक्षरित नहीं होगा, आपको निगम द्वारा गलत सूचना दी जाती है। कृपया इसके ऊपर कार्यवाही करें।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यह बहुत अच्छी योजना है। जैसा कि अभी देवी सिंहजी ने कहा, मैं इससे सहमत हूं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): प्रश्न मेरा यह है कि जैसे बाड़मेर जिले के अन्दर सर्वे हुआ था, 638 करोड़ की योजना है परन्तु अभी 209 करोड़ की आयी है और उसमें बायतू क्षेत्र में बहुत शिकायत आयी हैं और बाहर वाले कर रहे हैं, दिल्ली से जो आये हैं। ये तो कह रहे हैं कि दस्तखत करवा रहे हैं, मेरे यहां तो दस्तखत भी नहीं करवाते हैं और जिला परिषद में कोई एस ई मिस्टर धोवी हैं और एक्स ईएन मिस्टर मांगी लाल हैं, उन्होंने कहा कि साहब, हमको कोई पूछता ही नहीं है। मंत्रीजी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने मंत्रीजी से बात की है। मानिटरिंग नहीं हो रही है। वे लोग वहां से करके चले जाएंगे। बाद में वहां के लोगों को बिलकुल छोड़ देंगे। मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आप उसको पूरा कंट्रोल करेंगे क्या और आपको अकाउंटेबिलिटी होगी क्या? वहां के जन प्रतिनधि हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, चाहे विधायक हैं वह उनको बिलकुल नहीं पूछते हैं। उनको विश्वास में लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपको जो सूचना दी गयी है कि तीन सौ तक की आबादी की ढाणियां कर दी गयी हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 77 ढाणियां तीन सौ की आबादी की पेंडिंग पड़ी हैं और आपको सूचना गलत दी गयी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? तीन सौ की आबादी की जो ढाणियां बची हुई हैं उनके लिए कम से कम घोषणा करें। जो आपको गलत सूचना दी गयी है, वह पूरी करने के लिए घोषणा करें और वह पैसा कब तक आ जाएगा?

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केशोरायपाटन जो विधान सभा क्षेत्र है, वहां बी पी एल परिवारों में क्या करते हैं, एक पंचायत को लेना चाहिए, जितने भी उसके बी पी एल कनेक्शन हैं उनको देना चाहिए। उस वजह से क्या करते हैं कि डिफरेंट-डिफरेंट पंचायतों में कर देते हैं और कई जगह तो ऐसा सुनने में आया है कि वह जो जीनस कम्पनी को हमने ठेका दिया है, जो कांट्रेक्टर को पैसा देता है उसका कनेक्शन तो कर देते हैं बाकी दूसरों का कनेक्शन नहीं करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस तरह की समस्याएं मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, भले पूरे राजस्थान में नहीं हों।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो 2005 में शुरू हुई, राजस्थान में सबसे पहले इस योजना का लाभ दो जिले, भीलवाड़ा और राजसमंद इन दो जिलों को मिला था। राजसमंद में 30 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए थे इस योजना के अन्तर्गत लेकिन आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इस योजना का जो लाभ मिलना चाहिए वह योजना का लाभ बिलकुल नहीं मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार, जिनको काम दिया गया है उन्होंने आधे-अधूरे काम किये; मीटर लगा दिये हैं और मीटर लगाने के बाद में आगे कोई कनेक्शन नहीं किया। बारबार शिकायत करने के बाद में भी कोई इसके ऊपर प्रगति नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हम दो फेज के अन्दर इस काम को कर रहे हैं; फर्स्ट फेज के अन्दर हमने कुछ गांव लिये थे, वे कम्प्लीट हो गये, दूसरे फेज के अभी लेंगे। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब स्थिति यह है, मंत्रीजी यह ध्यान दें कि पहले फेज के अन्दर भी जो काम होना था वह काम भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि जहां मीटर लग चुके हैं, एस.सी. की बस्तियां हैं, जो आप बार-बार कह रहे हैं कि इतनी आबादी की ढाणियां हमने जोड़ दीं, इतनी आबादी जोड़ दी, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी आबादी की ढाणियों को जोड़ना है। इसका क्राइटेरिया यह है कि जहां पर बी.पी.एल. के लोग होंगे वहां विद्युतीकरण होगा, जहां एस.सी., एस.टी. के लोग होंगे वहां विद्युतीकरण होगा या छोटी-मोटी ढाणियां हैं। मतलब यह भी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसका एक क्राइटेरिया है लेकिन आप उसको नहीं लेकर सिर्फ यह आबादी के ऊपर ही क्राइटेरिया को लेकर चल रहे हैं, जबकि जहां मीटर लग चुके हैं वहां क्यों नहीं वायर खींचे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न केवल मात्र नोखा क्षेत्र का है। सारे जवाब कहां से दे पायेंगे?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन यह जो योजना है पूरे राजस्थान में है। ये तो बता सकते हैं, पालिसी मैटर है, सर। यह तो पालिसी मैटर है कि जहां मीटर लग गये वहां कनेक्शंस कब तक देंगे माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नोखा और बाड़मेर की भौगोलिक परिस्थिति एक जैसी है। हमारा निवेदन है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में 209 करोड़ रुपये आये और टोटल काम होने में 135 करोड़ रुपये खर्च हो गये। तो इनके पास सेविंग है बजट, बजट की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। उसमें नोर्म्स दिया है 100 की आइडेंटिफाइड ढाणी को जोड़ रहे हैं। हमने वह भी स्वीकार कर लिया लेकिन 100 की आइडेंटिफाइड ढाणियां 100 परसेंट नहीं जुड़ रही हैं। वे कह रहे हैं कि 500 मीटर के दायरे वाली ढाणियां जोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या पूछ रहे हो आप? विराजो आप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): हमारा निवेदन है कि जो 100 की आइडेंटिफाइड ढाणियां राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बाड़मेर जिले में हैं, टोटल जुडें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। श्री रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि यह जीनस कम्पनी को आपने इसका कांट्रेक्ट दिया और जीनस कम्पनी ने क्या इसको सब-कांट्रेक्ट किया दूसरे जो छोटे-मोटे ठेकेदार होते हैं उनको और उनके हवाले में इस व्यवस्था को कर दिया है आपने? इस पर आप अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदयजी,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मिनट, मेरे को अनुमति दी है आपने।

श्री अध्यक्ष: एक पूरक प्रश्न, आखिरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसी के समानान्तर एक और योजना 'मुख्य मंत्री सबको बिजली योजना' पिछली सरकार ने चलायी थी। क्या यह सही है कि आपने उस जन-कल्याणकारी योजना जिसके कारण से ढाणी में रहते गरीब को कनेक्शन मिले, उसको बंद कर दी है?

श्री अध्यक्ष: इधर देख कर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यह सही है कि आपने उस योजना को बंद कर दिया है?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, केवल नोखा से आने वाले माननीय सदस्य हैं ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्षजी, डूंगरपुर जिले में बी.पी.एल. परिवारों को अभी तक विद्युत कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य का मूल प्रश्न था। उन्होंने स्पष्ट इतना ही चाहा है कि जो 300 से ऊपर बची हुई हैं उनको आप कर देंगे, उनको यह आश्वासन दे दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्य, बहुत वरिष्ठतम श्री देवी सिंह साहब ने जो पूछा है ...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जीनस वाला भी आप स्पष्ट कर दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं अर्ज कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवी सिंहजी साहब ने पूछा कि बीकानेर के लिए 23 करोड़ रुपये की योजना थी जो टैंथ प्लान में थी और दोबारा, सर, इलेवंथ प्लान में जिसमें माननीय नोखा से आने वाले सदस्य ने कहा है और बीकानेर जिले के हमारे हाउस के वरिष्ठतम माननीय सदस्य देवी सिंहजी साहब ने कहा है, उसके लिए हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से जो

(डा. जितेन्द्र सिंह)

टोटल 505 करोड़ रुपये की हमने पूरक मांगें केन्द्र को भेजी हैं, उसमें बीकानेर के लिए 58 करोड़ रुपये की योजना भेजी है। उसमें जो भी 300 से 100 के बीच की सब ढाणियों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झंवर।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा निवेदन यह है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में बड़े-बड़े ठेकेदारों को ठेके दे दिये पर ...

श्री अध्यक्ष: श्री झंवर।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि यह कब तक करवा देंगे?

नम्बर दो, इन्होंने यह खण्ड दो में उत्तर दिया है, मेरा प्रश्न था कि जो अनुसूचित जाति के मोहल्ले हैं वे कागजों में विद्युतीकरण हो गये हैं, मौके पर नहीं हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि सभी कर दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपको गलत सूचना दी गयी है। कम से कम दस गांव ऐसे पड़े हैं, अनुसूचित जाति के मोहल्ले आज भी बिना विद्युतीकरण के पड़े हैं जैसे सूरपुरा, सोमलसर, ढींगसरी।

श्री अध्यक्ष: इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और आपकी ढाणियों का ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठेकेदार काम नहीं करते हैं और बी.पी.एल. परिवार के लोगों से कम्प्लीट कार्य करवाया जाता है ...(व्यवधान) खड्डे खोदना, खम्भे खड़े करना और उन गरीबों के जो खुद से काम नहीं करते उनके कनेक्शन पीछे छोड़ दिये जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना पूरे राजस्थान में लागू है और जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, सब की समस्या एक यह है कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह बी.पी.एल. परिवार के लोगों के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, इसमें ...(व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): सरकार के लेवल पर हो रहा है या ठेकेदार के लेवल पर बंद हो रहा है? इसका स्पष्टीकरण देवें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री कन्हैयालाल झंवर (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2010-2011 में यह 300 की ढाणियां कम्प्लीट कर देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: आपका सारा स्पष्ट हो चुका है।

एक माननीय सदस्य: यह पैसा कहां से आयेगा और कब तक आयेगा?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ठेकेदार काम तो खुद करते नहीं और बी.पी.एल. परिवार के लोग ही काम करते हैं और उन गरीबों से खड्डे खुदवाये जाते हैं और जो नहीं करते हैं उनके बेचारों के कनेक्शन नहीं करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण तो माननीय मंत्रीजी से दिलवा दो कि क्या जीनस कम्पनी ने सब-कांट्रेक्ट किया है? या जीनस को आपने दिया है? यह स्थिति तो सबके सामने स्पष्ट कर दें आप।

श्री जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया है, यह केन्द्र सरकार की योजना है। जो भी उसके अन्दर उन्होंने यह अलग-अलग कम्पनियों को अपने कांट्रेक्ट दिये हैं वह माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एल-वन थे तो उसमें जिनकी अपनी सबसे लोएस्ट टेण्डर रेट कोट की गयी थी, उसमें जो लोग आये, उनको लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी उनको फ्रीडम नहीं है, आर.ई.सी. के द्वारा इसकी आब्जर्वेशन होती है। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फरमाया है, मैं उनको अर्ज करना चाहूंगा कि आर.ई.सी. के द्वारा मैं जांच करवा दूंगा, अगर ऐसी कोई बात हुई तो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सब-कांट्रेक्ट किया हुआ है पूरी जगह। यह अधिकार कोई नहीं दे सकता सब-कांट्रेक्ट करने का। अगर नये टेंडर में भी किसी को दिया गया...

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा, जांच करवा दूंगा शिकायत हो तो ... (व्यवधान) आप शिकायत हो तो दे दें, जांच करवाने का आश्वासन दे दिया। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): पूरे राजस्थान में यह की यह स्थिति बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

आयातित चीनी पर 'वैट' हटाने से भावों में कमी

282. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) एवं **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अप्रेल 2009 से दिसम्बर 2009 तक बी.पी.एल. परिवारों को आबंटित चीनी का कितना कोटा राज्य सरकार द्वारा उठा कर राशन डीलरों के माध्यम से वितरित किया गया और बाजार भाव व बी.पी.एल. परिवारों को देय चीनी के भाव में कितना-कितना अन्तर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में आयातित चीनी से 'वैट' हटाने के पश्चात चीनी के थोक व खुदरा भावों में कितना अन्तर आया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को फर्जी राशन कार्ड जारी होने की शिकायतें प्राप्त होने पर राशन कार्ड जांच हेतु अभियान चलाया गया? यदि हां, तो कितने राशन कार्ड फर्जी पाये गये?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर) : (1) प्रदेश में माह अप्रेल 2009 से दिसम्बर 2009 तक बी.पी.एल. परिवारों को आबंटित लेवी चीनी कोटा के आबंटन, चीनी मिलों से उपलब्ध मात्रा के अनुसार उठाव एवं वितरण की सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तहत वितरित किये जाने वाली चीनी की दर 13.50/- रुपये प्रति किग्रा है। बी.पी.एल. परिवारों के लिए निर्धारित दर की तुलना में दिनांक 15.03.2010 के बाजार में बिकने वाली चीनी के थोक भाव 34 रुपये प्रति किग्रा रहे हैं एवं खुदरा भाव 35.50 रुपये प्रति किग्रा रहे हैं।

(2) वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.01.2010 के द्वारा आयातित चीनी से वैट हटाया गया है। चीनी से वैट हटाने से पूर्व एवं बाद में चीनी के थोक एवं खुदरा भावों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: आप परिशिष्ट पर संलग्न से संतुष्ट हैं या पूरा पढ़वाऊं?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप हुक्म करेंगे।

एक माननीय सदस्य: पढ़ा दें, मंत्रीजी खुश हो जायेंगे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इस प्रकार वैट हटाने के बाद दिनांक 15.03.2010 तक के थोक मूल्य में 5.50 रुपये प्रति किग्रा एवं खुदरा मूल्य में 6 रुपये प्रति किग्रा तक की कमी आयी है।

(3) जी नहीं। सरकार द्वारा भारत सरकार के आदेश दिनांक 26.08.2009 के निर्देशानुसार राज्य में बोगस राशन कार्ड निरस्त करने के लिए प्रत्येक जिले में दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 की अवधि में एक 'सघन अभियान' चलाया गया। इस अभियान में वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों की जांच की गई है। राज्य में 4,486 बोगस राशन कार्ड पाये गये, जिन्हें निरस्त किया गया। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(सूचना एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल 16 लाख 52 हजार उन बी.पी.एल. परिवारों से सम्बन्धित है जिनको सरकार 500 ग्राम प्रति परिवार के अनुसार साढ़े तेरह रुपये किलो में चीनी देती है। मंत्री महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो परिशिष्ट-'अ' पर मुझे सूची दी है, आपका आबंटन, उठाव और वितरण, पूरे राजस्थान में अप्रैल के अन्दर आबंटन रहा 7,456 वितरण रहा 3,904, मई में आबंटन 7,456 वितरण 3,773, जून में आबंटन 7,456 वितरण 3,920, जुलाई में आबंटन 7,819 और वितरण 2,525 रहा। यानि मैं सारे पढ़ूंगा समय लगेगा। बी पी एल परिवारों को देय चीनी का उठाव, अध्यक्ष महोदय, जहां भाव के अन्दर तीन गुना अन्तर हो वहां सरकार ने बी पी एल की चीनी के उठाव को किया मात्र 31 परसेंट। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 31 परसेंट में भी क्या बुरा किया था दौसा, धौलपुर, चूरू, प्रतापगढ़, आपने जीरो, जीरो, जीरो। मतलब आपने इन आदिवासी जिलों के अन्दर जो सूची दी है, दौसा के अन्दर अप्रेल में उठाव 000, मई में 000, धौलपुर में 000, यह 000 से पूरी तालिका भरी पड़ी है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अगर आपको मिल ने चीनी कम दी तो क्या बुरा किया था इन जिलों ने जिनमें उठाव का प्रतिशत जीरो से लेकर सात प्रतिशत रहा?

श्री अध्यक्ष: लाखों में है, इसलिए 000 तो लगाना ही पड़ेगा ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मतलब एक किलो भी नहीं, एक किलो भी लेवी की साढ़े तेरह रुपये किलो की चीनी वहां के बी पी एल परिवारों को नहीं मिली। यह तो आपकी असलियत है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 4 नवम्बर, 2009 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ के एम डी ने आपको पत्र लिखा और यह कहा कि जिन चीनी मिलों से चीनी आनी चाहिए उनसे चीनी नहीं आ रही? आपने उसके सम्बन्ध में क्या-क्या प्रयास किया? यह बताएं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा ऊंचा है, यह सीधा कानफेड डी एस ओ के माध्यम से चीनी मिल से चीनी उठाता है। जिन डी एस ओ ने चीनी बिल्कुल नहीं उठाई उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? नम्बर-1 ।

नम्बर-2, आपने कहा कि वैट आपने आयातित चीनी पर हटाया, खण्ड-2 में आप यह फरमा रहे हैं कि उससे भाव में कमी आ गयी साढ़े पांच रुपये किलो और छह रुपये किलो। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक तालिका दी है इन्होंने, उसमें 27.1.2010 को जब आप वैट हटा रहे हैं, थोक मूल्य था 3900 और खुदरा मूल्य था चार हजार रुपये क्विंटल, फिर 15.2.2010 यानि डेढ़ महीने तक मात्र पचास रुपये खुदरा मूल्य में फर्क पड़ा। और आप कहां से आंकड़े ले आए कि साढ़े पांच रुपये चीनी सस्ती हो गयी?

मैं पूछना चाहता हूं कि राशन की चीनी, इसको आपने कितना सस्ता किया? क्या आपने राशन की चीनी में एक पैसा भी कम किया? और आपने वैट हटाया तो आयातित चीनी पर वैट हटाया। आपने देशी चीनी पर वैट हटाया कि नहीं हटाया? और नहीं हटाया तो क्यों नहीं हटाया? उसके बारे में भी आप कहें।

मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कितने पूछे हैं कुल?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बस एक सवाल और।

श्री अध्यक्ष: कुल कितने पूछे हैं? पूछिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यह सही है कि जून 2009 में राज्य में चीनी का भाव 22-23 रुपये किलो था जो जून 2010 में बढ़कर 42-44 रुपये हो गया?

अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे खण्ड-3 के बारे में बाद में पूछ लूंगा, इनका उत्तर दिलवाएं और मैं प्रार्थना करूंगा.......

श्री अध्यक्ष: आपने कितने पूछे हैं, ध्यान है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह भी है इसमें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी ....

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पहले मूल प्रश्नकर्ता का दे देता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रश्नकर्ता हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ओवर डोज हो गया, ओवर डोज।

श्री अध्यक्ष: मालूम है जिनका नाम है, आपको समय दूंगा। इनका उत्तर तो आ जाए ना। इतने प्रश्न एक साथ कर लेंगे तो जवाब नहीं दे पायेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जवाब तो एक को ही कोन दे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से जो हमने इनको सूचना दी है, उसके आधार पर इन्होंने उठाव की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि यह जो भारत सरकार से 31 मार्च, 2001 तक सभी प्रकार के ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, फिर झगड़ा चालू होगा, 2001 से चालू हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, जवाब सुनना पड़ेगा आपको। (व्यवधान)... जवाब सुनना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सवाल मैं 2010 में कर रहा हूं, 2001 से चालू हो गये।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य, जवाब तो सुनना पड़ेगा।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सदस्य, पाइंट वाइज जवाब दूंगा, पाइंट वाइज। यह सही है कि चीनी का उठाव जो माननीय सदस्य ने बताया है, निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा चीनी की मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में एक मिल है, ये भारत सरकार द्वारा आबंटित की हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह लेवी चीनी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है यह हिन्दुस्तान में शुरू हुई 2001 से, पहले तो सभी तरह के लोगों को इसका लाभ मिलता था ...(व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते, अजीब आदमी हो, सुनिये, एक-एक बात का जवाब दूंगा। सुन तो लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि प्रश्नकाल में न तो नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाते हैं न नीति सम्बन्धी जवाब दिये जाते, न स्पष्टीकरण किये जाते। प्रश्नकाल में माननीय सदस्य की शंकाओं का समाधान किया जाता है। सीधा-सीधा पूछा है कि पन्द्रह जिलों में उठाव 000 हुआ है इसका कारण क्या है? मंत्रीजी, 2001 में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नीति सम्बन्धी जवाब यहां नहीं दे सकते। आपको उनके प्रश्नों का स्पष्टीकरण करना है, कृपया वह करिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता को सन्तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और उसके लिए मंत्री भी अगर चाहे तो आधे घण्टे की चर्चा की जा सकती है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, एक-एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बोलिए, 2001 पर मत जाओ।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार द्वारा चीनी मिलें आबंटित की गयी हैं उन चीनी मिलों द्वारा जितना हमें आबंटन किया गया, उन चीनी मिलों द्वारा वह चीनी हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हमने हमारी तरफ से जो जो प्रयास कर सकते थे, राजस्थान में कानफेड के माध्यम से, थोक विक्रेता हमारा कानफेड है और उपभोक्ता संघ है, इनके माध्यम से हम

(श्री बाबूलाल नागर)

चीनी का उठाव करते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह 2001 में जो माननीय सदस्य ने पूछा है यह चीनी बी पी एल के लिए शुरू हुई है हिन्दुस्तान में, वह चीनी आज कल भारत सरकार नहीं दे रही है। 2001 से जब से शुरू हुई, अध्यक्ष महोदय, जब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह सही है कि इस वर्ष जो माननीय सदस्य ने पूछा है, अप्रेल 2009 से दिसम्बर 2010 तक हमें भारत सरकार द्वारा जो चीनी मिलों द्वारा आबंटन हुई, आबंटन होने के बाद ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपकी है भारत सरकार, हमारी थोड़े ही है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जो हमें चीनी और जितना हमने उनको ड्राफ्ट दिया, उस ड्राफ्ट के अनुसार जितना उन्होंने हमें उपलब्ध करवाया, वह चीनी हमें उन्होंने जो उपलब्ध कराई उतनी उठा नहीं पाये हम। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह लेवी चीनी शुरू हुई थी 2001 से जब एन डी ए की सरकार थी, तब हमारा 2001-02 में उठाव था पचपन परसेंट, 2002-03 में उठाव था तीस परसेंट, 2003-04 में था 6.15 परसेंट ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जीरो प्रतिशत था, हमने तो बिलकुल नहीं किया। आप मेरा जवाब दीजिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ? 2001 की ...(व्यवधान) मैं 2010 में कर रहा हूं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): फिर तो 1947 से चालू होओ आप, फिर तो 1947 से डाटा दिलाइये इनसे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सवाल यह नहीं है, सवाल इतना ही है कि जिस समय चीनी का भाव दस रुपये किलो था और बाजार में तेरह रुपये किलो मिल रही थी तो बी पी एल को जबरदस्ती उठाकर तेरह रुपये किलो में देते क्या? आज चीनी का भाव चालीस रुपये किलो है और 12.50 पैसे में उस समय चीनी मिल मालिकों से मिलकर राजस्थान की सरकार ने चीनी नहीं उठाई। इसका जवाब दीजिए। (व्यवधान) यह जवाब दीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, माननीय उप नेता महोदय ने जैसा बताया ...(व्यवधान) उप नेता महोदय, चीनी मिलों द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराई गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्यों नहीं कराई गई, यह जवाब दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसका कसूर है? सरकार में आप बैठे हो; दिल्ली में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार। किसका कसूर है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्यों नहीं उठाई चीनी?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, हमने, राजस्थान सरकार ने जब चीनी हमें उपलब्ध नहीं हो रही, कानफेड ने हमें लिखकर दिया कि हम ड्राफ्ट बनाते, ड्राफ्ट बनाने के बाद मिलों के पास में जाते हैं और मिलें हमें वह चीनी उपलब्ध नहीं करवा रही है। राजस्थान सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, 9 मई, 2009 को हमने भारत सरकार को लिखा और भारत सरकार को यह लिखा कि जो आपने मिलें हमें आबंटित की हैं, हमारी एजेन्सी जाती है और यह मिलें हमें चीनी उपलब्ध नहीं करवा रही हैं। हमने 9 मई को लिखा, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार आपकी है। यहां आपकी सरकार है। किसको लिख रहे हैं आप?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): भारत सरकार को लिख रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): केन्द्र की सरकार वह शक्कर को बाजार में बेच रही है इसलिए इनको नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मेरे समझ में नहीं आ रहा, माननीय सदस्य ने पूछा ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह सरकार, केन्द्र में जो आपकी सरकार है वह मार्केट में सेल कर रही है। (व्यवधान) इसलिए आपको नहीं मिल रही है। सस्ते भाव में वहां बेच रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता, श्री दिगम्बर सिंह ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बारह रुपये में तो वे विदेशों को निर्यात कर रही है और कह रहे हैं कि हमको चीनी उपलब्ध नहीं हो रही है ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो माह अप्रेल में ही अटका दिया मंत्री महोदय को।

(डा. दिगम्बर सिंह)
अगर माह अगस्त में आप जायेंगे तो इसमें जीरो, जीरो की संख्या इतनी ज्यादा है कि तैंतीस में से आधे से ज्यादा जिलों में उठाव हुआ ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपकी कौनसी तो हैंडलिंग एजेन्सी है जो उठाव करती है और इसकी फाइनेंशल पोजीशन क्या है? यह मंत्री महोदय बताने का प्रयास करेंगे?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं बतायेंगे यह..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक प्रोटक्शन चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे प्रोटक्शन चाहिये। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, एक-एक सदस्य का मैं जवाब दूंगा। तब तो उसे मेरा..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या जवाब दोगे ?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पाइंटेड जिस तरह से पूछ रहे हैं उसी में जवाब दूंगा। राजेन्द्र राठौड़ जी ने पूछा चीनी का उठाव कम क्यों हो रहा है। चीनी के उठाव के लिये हमारी एजेंसी ने ड्राफ्ट बनाया। एजेंसी ड्राफ्ट लेकर उन मिलों के पास गयी। मिलों ने कहा बताते हैं कि हमारे पास चीनी उपलब्ध नहीं है। जितनी उन्होंने हमे चीनी दी हमने उतनी पूरी चीनी का उठाव किया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह एजेंसी कौनसी है ?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप जवाब नहीं आने दे रहे हो...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एजेंसी का फाइनेंशल स्ट्ेटस क्या है, इसको आप सदन में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। केवल दिगम्बर सिंह जी को। केवल दिगम्बर सिंह जी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं एक-एक सदस्य का जवाब देना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। केवल दिगम्बर सिंह जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): xxx

श्री अध्यक्ष: केवल दिगम्बर सिंह जी। केवल दिगम्बर सिंह जी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री अध्यक्ष: केवल दिगम्बर सिंह जी। केवल दिगम्बर सिंह जी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैंने बिलकुल पिन पाइंटेड पूछा है मंत्री महोदय से कि...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: केवल दिगम्बर सिंह जी। मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं आपको। अलाऊ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): xxx

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): xxx

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। केवल दिगम्बर सिंह जी। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। केवल दिगम्बर सिंह जी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा। केवल दिगम्बर सिंह जी। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हो, आप समझते हैं। व्यवस्था बनाये रखें। केवल दिगम्बर सिंह जी को अलाऊ किया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिन-पाइंटेड पूछ रहा था मंत्रीजी से कि कौनसी आपकी हैंडलिंग एजेंसी है, उसका

(डा. दिगम्बर सिंह)

नाम क्या है और उसका फाइनेंशल स्ट्टेस क्या है? क्योंकि अप्रेल का आपने बताया...

श्री अध्यक्ष: तो ठीक बताया। आपने सवाल कर लिया...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अगस्त का मैंने बताया, आधे से ज्यादा जिलों में एक किलो चीनी का उठाव नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी हैंडलिंग एजेंसी बिलकुल फकीर पड़ी हो। उनके पास धेले ही नहीं हो और वह खरीदने की स्थिति में नहीं हो। यह मिलकर उस चीनी को बाजार में जो भाव ज्यादा बढ़े उस पर ब्लैक में बेचने के लिये उन्होंने उसको मजबूर किया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, हमारी हैंडलिंग एजेंसी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड है, कानफेड...

श्री अध्यक्ष: वह फकीर नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): और उसकी जितनी भी शाखाएं हैं चाहे क्रय विक्रय सहकारी समिति हो, सहकारी उपभोक्ता भण्डार हो, कापरेटिव मार्केटिंग हो...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): xxx

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सहकारी उपभोक्ता...(व्यवधान) आप जवाब नहीं आने देते। प्रश्न पूछना चाहते हैं सदस्य, समझ में नहीं आ रहे मुझे यह क्या तरीका है? जवाब तो आने दो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उसकी वित्तीय स्थिति बता दो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह बात सही है, हमारा जो कानफेड है उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा सुदृढ़ नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): xxx

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, इसके लिये अभी हमारे खाद्य विभाग ने कानफेड को, सहकारिता विभाग को 5 करोड़ रुपये बिना ब्याज के 6 महीने के लिये दिये हैं और इसलिये 5 करोड़ रुपये दिये हैं कि वह अपनी स्थिति मजबूत करे।

(श्री बाबूलाल नागर)

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, आपने कहा कि राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उन्होंने चीनी नहीं दी, चीनी नहीं दी तो राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से क्या प्रयास किया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब चीनी कानफेड को नहीं मिल रही थी तो हमने भारत सरकार को जानकारी दी। उपभोक्ता भण्डारों ने आकर कहा, हम ड्राफ्ट बनाकर ले जा रहे हैं, मैं ड्राफ्टस की सूची भी लाया हूं, इसके बाद भी हमें चीनी नहीं मिली। तो हमने सबसे पहले 14.6.2009 को उप निदेशक, शुगर मिल, कृषि भवन, नयी दिल्ली को पत्र लिखा। हमने कहा कि राजस्थान को जो आपने मिलें दे रखी हैं वे हमें चीनी नहीं दे रही हैं इसलिये लेवी चीनी का हमें उठाव नहीं हो रहा है। लेवी चीनी मिल नहीं रही है तो बी पी एल को चीनी नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने 4.8.2009 को पुन: भारत सरकार को लिखा और उसके बाद लगातार हम फालो करते रहे। 5.11.2009 को भी हमने वापस भारत सरकार को पत्र लिखा। हमने कहा कि यह मिलें बदल दो; जो मिलें आपने दी हैं, बहुत सी मिलें तो बंद हैं। उन्होंने कहा, मिलें तो ये पुरानी 2001 से चल रही हैं। बहुत सी मिलें बंद हैं। मिलें 2001 में आबंटित की हैं। इसके अलावा मैं निवेदन कर रहा हूं, 17.3.2010 को हमने पत्र लिखा और उसमें लिखा...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 6-7 बार...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य...(व्यवधान) माननीय सदस्य...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बात साफ हो गयीं। माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जो हमको चीनी, लेवी चीनी, दो प्रकार के मूल्य हैं, लेवी चीनी देनी पड़ती है। जो चीनी राजस्थान को आबंटित हुई वह चीनी राजस्थान की सरकार को चीनी मिलों ने नहीं दी और आप चीनी नहीं उठा सके, एक।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पूरी नहीं दी, जितनी दी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां-हां, उठा नहीं सके।

दूसरा, आपने कहा कि भारत सरकार ने ऐसी मिलें आबंटित कर दीं जो मिलें बंद हैं।

तीसरा, यह बी पी एल की चीनी थी। आपने न ही कागज उनको लिखे, आप न वहां गये, जाकर मंत्री से मिले नहीं। आरोप है..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि आरोप है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आरोप लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ लो आपको पूछना है तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सारा का सारा काम गरीब को लूटने के लिये राजस्थान सरकार की लापरवाही, भारत सरकार की मिलीभगत और राजस्थान में बी पी एल परिवारों के साथ धोखाधड़ी आप लोगों ने की है। अध्यक्ष महोदय, यह सारा लूट हुआ है और इसलिये राजस्थान सरकार द्वारा गरीब विरोधी नीति, बी पी एल परिवारों के विरोध वाली नीति के विरुद्ध एक बार सारी भारतीय जनता पार्टी बहिर्गमन करती है। हम संतुष्ट नहीं हैं मंत्री से।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उप नेता महोदय ने जैसी सदन को जानकारी दी ऐसी बात नहीं है। मैं स्वयं भारत सरकार से जाकर मिला हूं, केन्द्रीय मंत्री से मिला हूं और यहां तक ही नहीं, जब प्रधान मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रियों की मीटिंग ली तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने प्रधानमंत्री को भी यह आग्रह किया कि हमें आबंटित जो मिलें हैं ये चीनी नहीं दे रही हैं। हमने पूरा प्रयास किया।

2001 में एन डी ए की गवर्नमेंट थी, उसने पूरे हिन्दुस्तान में सबको जो चीनी मिलती थी उसको बंद किया, खाली लेवी चीनी 2001 में शुरू की । 2001 से आज तक पिछली सरकारों में चीनी इनको नहीं मिल पायी। हमने प्रयास किया और पहले से उठाव हमने ज्यादा किया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा...

श्री पेमाराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री पेमाराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री भगवान सहाय सैनी।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन में अनियमितताओं की जांच

283. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 तथा 2006-07 में अनियमितता/घोटाले हुए थे? यदि हां, तो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत उक्त वर्षों में हुए घोटाले/अनियमितताओं में किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गयी ? दोषी अधिकारियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि के दौरान सहकारिता विभाग के माध्यम से अनुदान पर किसानों को कीटनाशक विक्रय किये जाते थे ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में कुल कितना कीटनाशक रसायन मय कीमत के विक्रय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क) : (1) राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर एवं झालावाड़ में अनियमितता/घोटाला होने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप शांति रखेंगे तब सुनाई आयेगा। आप शांति रखेंगे तब सुन पायेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शांति तो उधर है, हम कहां रखें, साहब?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): शांति से तो सुनोगे जब सुन रहे हो तो।

शिकायतों की जांच करवायी गयी। जांच रिपोर्ट एवं की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रों एवं आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं। कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर से सम्बन्धित....

श्री अध्यक्ष: कहीं असुविधा हो तो इसका उपयोग कर लीजिये आप।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): प्रकरण की प्राथमिकी पुलिस में भी दर्ज करवायी गयी थी जिसमें न्यायालय द्वारा अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जा चुका है। इसी प्रकार रमेश नर्सरी, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा मापदण्डों के विपरीत पौधों की कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, टोंक एवं चित्तौड़गढ़ को आपूर्ति करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस क्रम में करवायी गयी जांच एवं की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

सहकारी समिति, बीलवा की सहकारी निरीक्षकों द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा की गयी सहकारी समितियों की जांच रिपोर्ट इस विभाग को प्राप्त हुई थीं, जो पंजीयक सहकारी समितियां जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई गयी हैं। लिखा गया पत्र एवं जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न हैं।

(2) प्रथम दृष्टया निम्न कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की गयी:-

1. श्री ईश्वर लाल यादव, तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर।
2. श्री ओमप्रकाश यादव, तत्कालीन कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर।
3. श्री मोहनलाल वर्मा, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर।
4. श्री गोपाल कुमावत, कृषि पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर।
5. श्री सुनील कुमार जैन, तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान, झालावाड़।

इन कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कृषि विभाग को परिपूर्ण प्रस्ताव भिजवाये गये थे। इसके अतिरिक्त कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर के प्रकरण में पुलिस थाना शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवायी गयी थी। इनमें से श्री मोहन लाल वर्मा, सहायक कृषि अधिकारी एवं श्री गोपाल लाल कुमावत, कृषि पर्यवेक्षक के विरुद्ध आयुक्त कृषि द्वारा सी सी ए-16 में आरोप पत्र जारी किये हैं। प्रकरण में शिप्रा पथ पुलिस थाना, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस अनुसंधान के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में स्वीकार किये जाने के मध्य नजर श्री ईश्वर लाल यादव, तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान, जयपुर के विरुद्ध प्रस्तावित जांच प्रकरण आयुक्त कृषि के आदेश क्रमांक 3100-104 दिनांक

(श्री हरजीराम बुरड़क)

5.10.2009 के द्वारा समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री ओमप्रकाश यादव, कृषि अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण राज्य सरकार/कृषि आयुक्तालय स्तर पर विचाराधीन है।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, वाकई में सुनाई नहीं दे रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): इसके अलावा तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान, झालावाड़, श्री सुनील कुमार जैन के विरुद्ध आरोप नहीं बनने के कारण उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-1) विभाग द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किस-किस को समझाओगे आप।

श्री अध्यक्ष: उठ गये, उठ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उठ गये।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आपकी नजर मेरे पर ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरी नजर और कहां पड़ेगी? लंदन से आप ही आयी हो, लक्स साबुन से जो स्नान करते हैं उन पर ही हमारी नजर जाती है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): रखना नजर।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): (3) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2005-06 व 2006-07 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन उपलब्ध कराये जाते रहे हैं।

उक्त अवधि में निम्न प्रकार पौध संरक्षण रसायन क्रय विक्रय सहकारी समितियां/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं:-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

क्र. सं.	वर्ष	पौध संरक्षण रसायन की मात्रा लीटर/किग्रा.	कुल कीमत (राशि रु. लाख)	उपलब्ध करवाया गया अनुदान (राशि रु. लाख में)
1.	2005-06	146163.26	382.69	293.36
2.	2006-07	230269.54	382.87	254.41

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 2005-06 और 2006-07 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र चौमूं में किन-किन फसलों पर कीटाणु नाशक रसायनों पर कितने किसानों को अनुदान दिया? दूसरा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत कीटाणु नाशक रसायन पर अनुदान उपलब्ध कराने के क्या प्रावधान हैं? मंत्री महोदय ने भी जवाब में दिया है कि सहकारी विभाग द्वारा अनुदान जारी किये गये। अनुदान कृषकों को सहकारी विभाग या कृषि विभाग, किसके द्वारा दिये जाते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग अनुदान देता है जिसको कापरेटिव के द्वारा बंटवारा किया जाता है। किसान पहले तो कृषि अधिकारियों के पीछे-पीछे जाकर के आवेदन दे, अपना आवेदन सैंक्शन कराये और फिर वह कापरेटिव के माध्यम से बंटे। दो-दो एजेंसियों के चक्कर लगाकर इतना अनुदान नहीं मिलेगा जितना तो उसके चक्कर काटने में समय खराब हो जाता है और इतना नुकसान होता है। क्यों नहीं इसकी एक ही एजेंसी हो? कृषि मंत्रालय से, कृषि विभाग से ही इनको अनुदान राशि क्यों नहीं वितरण हो? अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर दिलवायें।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, किसानों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गयी थी कि वहां पर जो कृषि सुपरवाइजर हैं वह कापरेटिव सोसायटी को लिखकर के दें कि इनको इतना रसायन दे दिया जाये और उस रसीद पर, उसके लिखने के बाद जो डीलर दवाइयां उनको देगा उन पर सीधा कृषि विभाग उसको अनुदान देता है। वह अनुदान काटकर के वह डीलर सप्लाई करता है जिससे किसानों को सुविधा होती है।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, 2005-06 और 2006-07 में मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं में किन-किन फसलों पर कीटनाशक रसायनों पर कितना किसानों को अनुदान दिया गया?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह चौमूं के लिए अलग से नहीं पूछा था। सवाल में नहीं है, सवाल में राजस्थान का है। सवाल चौमूं का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इनका सवाल चौमूं का ही है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): क्या?

श्री अध्यक्ष: चौमूं के लिए ही पूछ रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): नहीं, यह तो पूछ रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्य भगवान सहाय जी चौमूं हैं, वहीं से आते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): कोई चौमूं का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चौमूं का ही सवाल है और चौमूं की जानकारी चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): उप नेता महोदय, आप भी चौमूं से रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं भी रहा हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय उप नेता महोदय, सदस्य चौमूं नहीं हैं, चौमूं से आने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): ऐसा है, उप नेता महोदय, स्पेसिफिक सवाल अगर चौमूं का होता तो मैं आपको अलग से सूचना देता।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): चौमूं का है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): इसमें जो कार्यवाही की गयी है, जहां-जहां से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच हुई हैं, वह सारी रिपोर्ट मैंने मेम्बर को सप्लाई कर दी है।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े तो बाद में ले लूंगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मामला 2005-06 और 2006-07 का है और अभी भी आप कह रहे हैं कि कार्यवाही प्रस्तावित है। क्यों इन अधिकारियों को बचाया जा रहा है? इसमें आपने जवाब में दिया है, "समिति गोदाम पर बिना उतारे ही समिति के तो स्टाक रजिस्टर में दर्ज करके पुन: कृषि विभाग उद्यान को भेजना दर्शाया गया है जो कि गम्भीर किस्म की अनियमितता है।" बाकी इसी में लिखा है, 59 नम्बर के पेज पर जो उत्तर दिया है कि "समिति राजफेड से बिना एन ओ सी लिये प्राइवेट डीलर से कृषि खाद्यान्न खरीद जो सहकारी विभाग के सर्कुलर 1397 के विरुद्ध है...,'' इसी तरीके की गम्भीर अनियमितता होते हुए भी चार साल से इसको प्रक्रियाओं में उलझा रखा है। क्यों नहीं इन अधिकारियों को इसमें पनिशमेंट दिया जाये?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने सहकारी विभाग की रिपोर्ट का मामला उठाया है, जोइंट रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने जो जांच की है, वह जांच रिपोर्ट मैंने माननीय सदस्य को उपलब्ध करवायी है। उस जांच रिपोर्ट के हिसाब से इस मामले में कार्यवाही नहीं हुई, यह मैं स्वीकार करता हूं और माननीय सदस्य एवं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस सम्बन्ध में अधिकारी चाहे वानिकी विभाग के हों, चाहे हार्टिकल्चर के हों, इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी साबित हुई तो उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा, चाहे कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, कब तक ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, अरबों रुपयों का घोटाला है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आ जाये ...(व्यवधान)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित करें, कब तक कितने दिन में।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, जवाब सुनिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह काफी लंबा-चौड़ा मामला है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। यह पुराने टाइम का घोटाला है और इसमें जितने भी ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पुराने टाइम का है इसलिए रगड़ दो, मौका हाथ से मत जाने दो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह हमारी मंशा नहीं है। (व्यवधान) ऐसी मंशा राज्य सरकार की नहीं है। अगर गलती होगी तो ही उन पर कार्यवाही होगी, यह नहीं कि पुरानी सरकार का है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): समय सीमा तो बताओ। प्रश्नकर्ता यह भी पूछ रहे हैं कि समय सीमा, कितने समय में यह जो घोटाला हुआ है इसकी जांच होकर दोषी अधिकारियों को कितने समय में आप दण्डित कर देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): जल्दी से जल्दी। मैं कल से यह कार्यवाही शुरू करूंगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जवाब ठीक नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जल्दी से जल्दी, 2005-06-07 का मामला है और यह आ गया 2010 । ऐसे आप लम्बा खींचते जाएंगे तो यह अधिकारी बचते रहेंगे। समय सीमा हर चीज की निर्धारित हो। माननीय मंत्रीजी, आपने स्वीकार किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपको इसके लिए लेकिन इसकी समय सीमा आप जरूर बताएं मेहरबानी करके।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य, यह छोटा मामला नहीं है, यह एक अधिकारी का मामला नहीं है, आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कोई तो समय सीमा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बा बता दो समय कि कितने समय में कर पाएंगे लेकिन बता दो समय सीमा। महीना, दो महीना, तीन महीना, कुछ तो बताएं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): यह पूरे राजस्थान का मामला है। एक जगह का मामला नहीं है, एक अधिकारी का मामला नहीं है, एक डीलर का मामला नहीं है। इसलिए इसमें कम से कम समय में जितना जल्दी हो सकेगा उस हिसाब से जो भी उचित होगा, करेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह मामला तो बहुत गम्भीर मामला है। ऐसे मामले में खुद मंत्रीजी कह रहे हैं कि इतना गम्भीर है जिसकी जड़ें प्रदेश के अन्दर है। यह जांच तो निर्धारित समय अवधि में होनी चाहिए। खुद माना है मंत्रीजी ने।

श्री अध्यक्ष: यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके रिटायरमेंट से पहले-पहले तो निश्चित रूप से सज़ा मिल जाएगी, इसकी तो आप व्यवस्था करना।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): हां, रिटायरमेंट होने के पहले कर देंगे। किसी को यह राहत नहीं मिलेगी कि वह रिटायर हो जाए और कार्यवाही नहीं हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अधिकारियों का या किसका रिटायरमेंट?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपके रिटायरमेंट के पहले या अधिकारियों के रिटायरमेंट के पहले?

श्री अध्यक्ष: नहीं, अधिकारियों, कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पहले। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय सदस्य, एक मिनट आप सुनो तो सही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह मामला डी ओ पी में है या कृषि विभाग में है? विचाराधीन किस स्तर पर है?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): विचाराधीन कृषि विभाग में ही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कृषि विभाग में है ही नहीं विचाराधीन।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अब है या कि नहीं है, यह मुझे जानकारी है। (व्यवधान) मैं सिर्फ आपको यही विश्वास दिलाता हूं ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला डी ओ पी में विचाराधीन है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सवाल इतना है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, कृपया विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो फैसला करो कि यह प्रकरण कृषि विभाग में है। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि डी ओ पी में है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कह रहे हैं वही सही माना जाएगा। मंत्रीजी कह रहे हैं तो अधिकृत रूप से कह रहे हैं तथा उनकी बात तो सही मानी जाएगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि डी ओ पी में है और इनके पास है तो फिर पांच साल क्यों लगेंगे? ये क्यों नहीं इसको महीने के अंदर, पांच-छह साल पुराना मामला है, जिसमें जांच हो चुकी है तो क्यों नहीं एक महीने में उनका निपटारा करके जिसने अपराध किया है उसको सज़ा दें? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिए तो सही। आप जवाब सुनिए तो सही।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कह रहा हूं कि कृषि विभाग की डिमाण्ड पर माननीय सदस्य ने बताया कि यह मंत्री निर्दलीय मंत्री हैं, इसलिए मंत्रीजी नाराज हो रहे हैं, इसलिए देर हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। मंत्री मंत्री होते हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, कृपया सुनिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना पुराना मामला है, उस समय यह सारे हाउस में थे। आपके यह मैम्बर भी थे। उस समय यह नहीं बोले और मैंने इस मामले को उजागर किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जवाब तो सुनो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो समय सीमा बता दें। एक महीने, दो महीने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब ही सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): या तो सरकार के आखिरी समय तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसने पूछा कि सदस्य थे कि नहीं थे, आप थे क्या? आपने नहीं पूछा। हमने तो पूछा है। मैंने कट मोशन कृषि विभाग का लगाया था और इन्होंने उत्तर दिया था कि कार्यवाही चल रही है। जब तक सरकार तब तक चलती रहेगी क्योंकि उन अपराधियों से सारे के सारे मंत्री मिले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या यह कहा जाए कि कार्यवाही नहीं चल रही है? कार्यवाही चल रही है तो यही कहेंगे कि कार्यवाही चल रही है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कार्यवाही इसलिए नहीं हो रही है कि उन अपराधियों से जिन्होंने किसान के बागवानी मिशन का पैसा खाया उनसे

(श्री अमराराम)
वह सरकार भी मिली हुई थी और यह सरकार और +++ मिला हुआ है। इसलिए कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के अर्नगल आरोप यह लगा रहे हैं, वह सदन की कार्यवाही से आप निकलवाइए।

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज कर दिया जाए, एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और इससे ज्यादा क्या होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप आरोप नहीं लगा सकते। आरोप लगाते हैं तो नोटिस देकर नियमों में लगाइए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है 2005 का है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, उसकी जांच करवा रहे हैं। (व्यवधान) इसमें मंत्रीजी कहां इंवाल्व हैं? इसमें मंत्रीजी इंवाल्व कहां से हो गए? जांच करवा रहे हैं, घोटाला अगर हुआ है तो कार्यवाही करेंगे। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान) नहीं, यह गलत है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): विभाग के मंत्री ...(व्यवधान) विभाग में जांच है और सीमा नहीं बता रहे हैं, जब इनके ही विभाग में है, डी ओ पी में नहीं है और इन्होंने घोटाला स्वीकार कर लिया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, कुछ अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। उनका जवाब तो आने दीजिए पहले।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न का क्या सम्बन्ध है इससे? अलग से उठाइए, इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है इसका।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह हाउस में आश्वस्त किया कि मैं जल्दी से जल्दी ही जांच करूंगा इसकी और यदि माननीय सदस्य समय सीमा से राज़ी होते हों तो मैं 3 महीने में जांच कम्पलीट कर दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह जांच कर लेंगे, सूचना गलत दी है। आप सूचना गलत दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, आपने जवाब में कहा है। कि ''इसके अलावा तत्कालीन सहायक निदेशक उद्यान, झालावाड़ श्री सुनील कुमार जैन के विरुद्ध आरोप नहीं बनने के कारण... प्रकरण समाप्त कर दिये गये'' एक। दूसरा, यह आपने कहा है कि ''ओम प्रकाश यादव, कृषि अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रकरण राज्य सरकार...के स्तर पर विचाराधीन है।'' दोनों बात ही गलत है। जिनको नोटिस दिया था उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करने की बात स्वीकार कर ली और बहुत बड़ा मामला है उसको आपने विचारा तक नहीं है। आप कह रहे हैं, बड़ा मामला है...

श्री अध्यक्ष: तीन महीने में मामला निपटा देंगे, इन्होंने समय सीमा बता दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): निपटा दिया प्रश्न के जवाब में ही। ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इससे सम्बन्धित बात का जवाब ही गलत दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): पूरी जांच रिपोर्ट आएगी तो आपको भी पता चल जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत। (अनुपस्थित)।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो उत्तर दिलवा दें, आपकी व्यवस्था है, उत्तर दिलवा दें मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी उत्तर दें।

भीम विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों में निर्मित स्थायी एवं अस्थाई परिसम्पत्तियां

284. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में गत दो वर्षों में कितने-कितने कार्य किन-किन गांवों में कराए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कराए गए उक्त कार्यों की समीक्षा कर प्रत्येक गांव में स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पत्तियां अर्जित कर ग्रामवासियों को लाभांवित किया गया है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) विधान सभा क्षेत्र भीम में गत 2 वर्षों में करवाए गए कार्यों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/पंचायत समिति/जिला परिषद/जिला कलक्टर/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। विकास कार्यों की समीक्षा के आधार पर ही कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इसी आधार पर उक्त ग्रामों में 2644 स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पत्तियां अर्जित कर ग्रामवासियों को लाभांवित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछना चाहता है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अगला प्रश्न लेवें।

श्री अध्यक्ष: आपके उससे थोड़े चलता है आसन।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप हमारा संरक्षण करो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहते हों? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सब संतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष: चलिए, कम से कम यह तो हुआ कि आपको कभी तो संतुष्टि होती है वरना आप कभी संतुष्ट होते ही नहीं हो। (व्यवधान) पहली बार ही मैंने देखा है कि आपने कहा है कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

महाराव भीमराव चिकित्सालय, कोटा के मुर्दाघर की क्षमता

285. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महाराव भीमराव चिकित्सालय, कोटा स्थित मुर्दाघर में कितने शव रखने का स्थान उपलब्ध है तथा कितने डीप फ्रीजर हैं? उनमें से कितने कब से बंद हैं?

(2) क्या कोटा में शवों को चूहों द्वारा कुतरने की घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच समिति गठित की गई थी? यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या शवों को सुरक्षित रखने तथा स्थान बढ़ाने के लिए सरकार कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(समय : 12.00 बजे)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान) (दुरू मियां) : (1) महाराव भीमराव चिकित्सालय, कोटा स्थित मुर्दाघर में 4 शवों को रखने के लिए दो-दो शव के 02 डीप फ्रीजर हैं जिसमें से एक दिनांक 09.03.95 एवं दूसरा 30.03.99 से स्थापित है। इन दोनों डीप फ्रीजर में से एक डीप फ्रीजर वर्तमान में चालू है जबकि दूसरा जो दिनांक 30.03.99 को स्थापित हुआ था, दिनांक 24.02.2010 से खराब है जिसे तुरन्त ठीक करवाने हेतु कई फर्मों से सम्पर्क किया गया परन्तु अत्यधिक पुराना होने के कारण रिपेयर नहीं हो पा रहा है।

(2) कोटा में शवों को चूहों द्वारा कुतरने की घटनाएं प्रथम बार दिनांक 02.04.2009 को और दूसरी बार दिनांक 11.12.2009 को घटित हुई हैं।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के आदेश क्रमांक न्याय/2009/1658-59 दिनांक 02.04.09 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतु उप जिला कलक्टर, कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। दूसरी घटना घटित होने पर भी जिला कलक्टर, कोटा द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई। जांच प्रतिवेदन परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' पर संलग्न है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान) (दुरू मियां)

(4) शवों को सुरक्षित रखने हेतु नगर विकास न्यास, कोटा के माध्यम से स्वीकृत 5.00 लाख रुपये राशि से मुर्दाघर में आवश्यक जीर्णोद्धार/मरम्मत का कार्य करवाया गया है।

दूसरी घटना फ्रीजर के दरवाजे ठीक से बन्द नहीं होने के कारण हुई थी। इसके बाद संबंधित फर्म से दरवाजा ठीक करवाया गया जो अभी तक ठीक कार्य कर रहा है। एक नये फ्रीजर जिसमें 4 शव सुरक्षित रखे जा सकते हैं, के क्रय हेतु स्वीकृति दिनांक 23.12.2009 को जिला परिषद् से प्राप्त हुई है। फ्रीजर खरीद की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। आसन पांवों पर। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर। अंकित नहीं होगा।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया

पृष्ठ संख्या-376 पर आगे देखें)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा महानरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सामग्री मद के बिलों पर 28 प्रतिशत तक वैट वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री वासुदेव देवनानी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे शिक्षकों का छठे वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण के एरियर का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री रामहेत सिंह यादव एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में सभी मार्गों पर राजस्थान रोडवेज की बसें नहीं के बराबर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर की औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी को उपचारित करने हेतु करीब साढ़े चार कि.मी. लम्बी त्रुटिपूर्ण पाइप लाइन बिछा देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं प्रारम्भ होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य के महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन/अतिथि शिक्षकों को यू जी सी द्वारा गठित चढ़्ढा कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप मानदेय नहीं देने से शिक्षकों के आन्दोलनरत रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से बीकानेर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी श्री गोवर्धन सिंह के विरुद्ध सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना से कुपित होकर पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा 15 दिन में 15 झूठे मुकदमे दर्ज कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में नरेगा योजना में जगह-जगह भ्रष्टाचार तथा विभिन्न जिला कलक्टरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु मंत्री स्तर से दिये गये आदेशों की भी पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) डा. दिगम्बर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बहने वाली ऐतिहासिक एवं जीवनदायिनी नहर सुजान गंगा की हो रही दुर्दशा पर चर्चा के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य श्री बाबूसिंह राठौड़, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री दिगम्बर सिंह को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री बाबूसिंह।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, आज अजमेर में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: काहे पर बोल रहे हैं आप? काहे पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं आपको पाइंट आफ इंफार्मेशन पर ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इंफार्मेशन बोला क्या आपने? (व्यवधान) पाइंट आफ इंफार्मेशन बोला क्या आपने? यूं ही चालू हो गये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन दे रहा हूं। आज अजमेर में ...

श्री अध्यक्ष: आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, जरा नियमों का ध्यान रखें। पाइंट आफ इंफार्मेशन देना है तो पाइंट आफ इंफार्मेशन बोलना पड़ता है।

सूचना

अजमेर सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों के बकाया भुगतान हेतु जारी आंदोलन

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पाइंट आफ इंफार्मेशन में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज अजमेर में ......(व्यवधान) एक मिनट केवल ......(व्यवधान) अजमेर में अपने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 14,68 अध्यापकों को एरियर नहीं मिलने के कारण साल भर से वे आंदोलन कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर 11 दिन से धरने पर बैठे हैं और आज से आमरण अनशन किया है। बाकी सब जिलों में उनके पेमेंट हो गये हैं। अजमेर जिले के शिक्षक जिनके लाखों रुपये बकाया हैं, आर्थिक

(श्री वासुदेव देवनानी)

नुकसान हो रहा है, ब्लाक स्तर से लेकर के प्रांत स्तर तक आंदोलन कर चुके हैं, मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन दे चुके हैं...

श्री अध्यक्षः श्री बाबू सिंह राठौड़।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं...

श्री अध्यक्षः श्री बाबूसिंह राठौड़। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने सूचना दे दी है, सरकार के ध्यान में आ गया है। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): xxx

श्री अध्यक्षः श्री बाबूसिंह राठौड़ के अलावा किसी का अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): xxx

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री अध्यक्षः केवल श्री बाबूसिंह राठौड़।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): xxx

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): xxx

श्री अध्यक्षः क्या सूचना है आपकी? क्या है?

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): अभी चारों ओर गुर्जरों का यह जो 26 तारीख को पुष्कर में महापड़ाव डालने का, जयपुर में महापड़ाव डालने का, यह गाजीपुर में अभी जो गुर्जरों द्वारा 5 परसेंट आरक्षण देने के लिए चारों ओर जो मंशा जो कोर्ट ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब आप विराजिए। श्री बाबूसिंह राठौड़।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): xxx

श्री अध्यक्षः श्री बाबूसिंह राठौड़। (व्यवधान) सरकार से जवाब मांग रहे हो। (व्यवधान) श्री बाबूसिंह राठौड़।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): xxx

श्री अध्यक्ष: कोई इंफार्मेशन नहीं, बिराज जाइए। (व्यवधान) कोई बात, मौका नहीं मिलता तो पाइंट आफ इंफार्मेशन। नहीं, कोई नहीं। (व्यवधान) श्री बाबूसिंह राठौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

विश्वविद्यालय के अतिथि/अंशकालीन शिक्षकों को चढ्ढा कमेटी के अनुरूप मानदेय

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, सिक्स्थ पे कमीशन 1.1.2006 से लागू हुआ। राजस्थान में जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, उनके शिक्षकों को जब यह सिक्स्थ पे कमीशन लागू हुआ तो उनकी सैलरी बढ़कर लगभग दुगुनी हो गई। राजस्थान के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से पद रिक्त चल रहे हैं और शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहा है। उस कार्य को करने के लिए अंशकालीन और अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। उन अंशकालीन और अतिथि शिक्षकों के लिए भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा चढ्ढा कमेटी की सिफारिशों से इसके अन्दर भी अंशकालीन और अतिथि शिक्षकों को एक हजार रुपये मानदेय देने व 25 हजार रुपये प्रति माह, अधिकतम 25 हजार रुपये देने की सिफारिश की गई। उस सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके राजस्थान सरकार को, अन्य राज्यों की सरकारों को निर्देश दिये लेकिन जो आदेश हुआ है उसमें– The Pay Review Recommendation Committee, Chapter 54, at page 79. Guest teachers and part time teachers. The Committee recommends guest and part time teachers .. minimum qualification for the post of Assistant Professors .. should be paid Rs. 1,xxx per lecture to a maximum of Rs. 25,000 per month. The Committee recommends that the retired teachers could also be involved in teaching as guest teachers. यह सिफारिश की गई है और उसी सिफारिश के अन्दर हिन्दुस्तान के सभी राज्यों ने उसको माना। डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, एम पी में भी फैसला हुआ जिसके अन्दर यह 29 हजार अंशकालीन, अतिथि शिक्षकों को दिया जा रहा है। Appointment for the post of Assistant Professor (temporary), उनको 29 हजार रुपये दिया जा रहा है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं और पद रिक्त होने के कारण अंशकालीन और अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

लेकिन आज दिन तक उनको केवल डेढ़ सौ रुपये दिये जा रहे हैं। डेढ़ सौ रुपये में वे शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में भी जब हम पढ़ते थे उस समय अतिथि और अंशकालीन शिक्षकों को सौ रुपये दिये जाते थे। उसके बाद डेढ़ सौ रुपये हुए। यू जी सी के अनुसार, यू जी सी ने फैसला किया कि उनको ढाई सौ रुपये दिये जाएं, पांच सौ रुपये दिये जाएं लेकिन आज दिन तक उनको यह ये बढ़ोतरी नहीं की गई। वे अतिथि और अंशकालीन शिक्षक वर्षों तक इंतजार करते रहे कि जब सिक्स्थ पे कमीशन लागू होगा तो हमको भी यह सहूलियत मिलेगी, हमारा मानदेय बढ़ेगा लेकिन दुर्भाग्य है सिक्स्थ पे कमीशन लागू हो गया और सिक्स्थ पे कमीशन लागू होने के बाद भी इनको किसी प्रकार का मानदेय बढ़ाया नहीं गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के अन्दर जहां पर 250 रुपये दिये जा रहे हैं, यह आदेश है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 7.8.2008 का जिसमें 250 रुपये दिये जा रहे हैं लेकिन जोधपुर के अन्दर 150 रुपये दिये जा रहे हैं। अभी राजस्थान सरकार ने 24 फरवरी, 2010 को 250 रुपये का आदेश किया है, वह भी अभी तक नहीं मिल रहा है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यू जी सी के नियमों से सभी विश्वविद्यालय बाध्य हैं और यू जी सी ने फैसला भी किया है कि जितने रिक्त पद हैं उन पदों पर अंशकालीन अतिथि शिक्षक लगाये जाएं और उनके माध्यम से शिक्षण कार्य हो। लेकिन विश्वविद्यालय ने तो पहले जो अतिरिक्त कालांश हैं उन कालांश के लिए जो नियमित शिक्षक हैं उनको लगा रखा है, रिटायर्ड को लगा रखा है और फिर अंशकालीन को दे रहे हैं। जबकि नियम यह है कि जो कालांश खाली हैं उनमें अंशकालीन अतिथि शिक्षक लिये जाएं और उसके बाद रिटायर्ड और नियमित शिक्षकों से शिक्षण कार्य होना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन महीने से राजस्थान के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अंशकालीन अतिथि शिक्षक आंदोलित हैं, जोधपुर के अन्दर भी आंदोलित हैं। हमारे यहां स्पोर्ट्स बोर्ड के अन्दर जो अंशकालीन अतिथि कोच हैं उनको तो दो वर्षों से मानदेय ही नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर का वह विश्वविद्यालय....

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दो मिनट।

श्री अध्यक्षः दो मिनट ही तो होते हैं, दो मिनट के ऊपर थोड़े ही।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक मिनट। राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान का, मारवाड़ का हमारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है उसने ऐसे कई अधिकारी और राजनेता दिये हैं जिनमें बरकतुल्ला खां, माननीय जयनारायण जी व्यास जिनके नाम से आज विश्वविद्यालय चल रहा है और शिक्षा की राजनीति से हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब स्वयं भी आज इस विश्वविद्यालय की राजनीति से यहां पहुंचे हैं। उनको भी ज्ञापन दिये और जो हमारे अंशकालीन अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने जन-प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिये.....

श्री अध्यक्षः समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): और भीख मांगकर के जो आंदोलन किया, उसके अन्दर पाली से आने वाले माननीय सदस्य जो सांसद हैं वे भीम में 500 रुपये डाल रहे हैं....

श्री अध्यक्षः समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...और जिलाध्यक्ष भी रुपये डाल रहे हैं कि हम केन्द्र सरकार के अंश हैं लेकिन केन्द्र सरकार के निर्णय को लागू नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें। श्री राजेन्द्र राठौड़। कृपया समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां परीक्षाएं चल रही हैं....

श्री अध्यक्षः आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...और परीक्षाओं का अंशकालीन अतिथि शिक्षकों ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार की वजह से शैक्षणिक कार्य और परीक्षाएं बाधित हो रही हैं।

श्री अध्यक्षः अब आप विराजें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा है। श्री राजेन्द्र राठौड़। आपको नहीं बोलना है? बोलिये आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, बच्चों की जिन्दगी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री राजेन्द्र राठौड़। केवल राजेन्द्र राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। मैं कोई दर्ज कराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। बच्चों का जीवन बचाने के लिए है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, 200-250 बच्चों की जिन्दगी का सवाल है वह कह रहा हूं। जब वह नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष: अंकित, वह नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा।

सूचना

हनुमानगढ़ के नोहर पोलीटैक्निक कालेज के विद्यार्थियों का आन्दोलन

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह रेलेवेंट है। चौधरी परमाराम गोदारा पोलीटैक्निक कालेज, नोहर हनुमानगढ़ के अन्दर है। हमारे अलवर के 250 बच्चे वहां पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट की सीट अलाट होने से अपने पढ़े-लिखे होने से गये हैं। वहां वर्कशाप नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी, बच्चों ने स्ट्राइक की कि हमको मिले। तो वहां बच्चों को गुंडों से पिटवाया गया और उनको यह कहा कि शहर छोड़कर चले जाओ वरना आपको जान से मार देंगे। वे एस पी के पास गये, तहसीलदार के पास गये, एस डी एम के पास गये, जोधपुर अपने डायरेक्टर के पास गये फिर भी उनको किसी तरह का संरक्षण नहीं मिला। तब हारकर मुख्य मंत्रीजी से गुहार लगाने के लिए स्टेच्यू सर्किल पर बैठे हुए हैं। हकीकत में उनकी जिन्दगी का सवाल है। ऐसे कालेज की मान्यता रद्द हो और उन बच्चों को दूसरे कालेजों में शिफ्ट किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री राजेन्द्र राठौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीकानेर के एक व्यापारी के विरुद्ध दर्ज गलत मुकदमे

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक लोमहर्षक घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और मैं यह भी चाहूंगा कि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का लबादा ओढ़े हुई सरकार के गतिशील और चैतन्य गृह मंत्री मेरी बात पर निश्चित तौर पर गौर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 12 अक्टूबर, 2005 को राजस्थान के अन्दर सूचना का अधिकार आमजन को प्राप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्री का लोहा मान गये। आपका लोहा मान गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इसके तहत प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई और वह प्रक्रिया निर्धारित की गई कि कितने दिनों में किस स्तर पर यह सूचना जो व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगेगा उसको मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, सारी चीज जब पारदर्शी हो गई, आमजन को जब यह लगने लगा कि अब कोई छिपा हुआ नहीं है, मैं सरकार की गतिविधि, विभागों की गतिविधियों के बारे में सूचना के अधिकार के आधार पर सूचना ले सकता हूं तो कई नौजवानों ने यह राइट टू इंफार्मेशन एक्ट के तहत एक्टिविस्ट के रूप में काम करना चालू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी में बीकानेर का एक नौजवान गोरधन सिंह है। एक करोड़ से ज्यादा प्रति वर्ष इन्कम टैक्स देने वाला गोरधन सिंह, उसने कुछ विभागों से जानकारियां मांगीं, जानकारियां आती गईं, अनियमितताएं सामने आती गईं और अनियमितताओं के आधार पर कई विभागों को अपने निर्णयों को बदलना पड़ा।

अब इस गोरधन सिंह से एक गुनाह हो गया, अध्यक्ष महोदय। 18.2.2009 को बीकानेर के एडिशनल एस.पी. और वहां के एस एच ओ के बारे में इन्होंने सूचना मांगी कि एडिशनल एस पी सतीशचन्द तथा एस एच ओ अमीर हसन अपनी नियुक्ति के समय में घोषित सम्पत्ति का विवरण दें और दैनिक कार्य डायरी का भी विवरण दें। यह सूचना के अधिकार के सेक्शन 6(3) के तहत इन्होंने सूचना मांगी। 13.2.2009 को जब इनको सूचना नहीं मिली तो इन्होंने पहले जो सूचना के अधिकार के आधार पर अपील अधिकारी थे एस पी बीकानेर, उसको अपील की, एस पी बीकानेर ने सूचना नहीं दी तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस गोरधन सिंह ने उसके पश्चात् 19.7.2009 को राइट टू इंफार्मेशन एक्ट की धारा 20(1) के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख सूचना अधिकारी के सामने अपील की कि मेरा अधिकार है सूचना लेना का और मुझे सूचना नहीं मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, जब राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एम डी कोरानी ने धारा 20(1) के अधिकारों का उपयोग करते हुए जब एस पी को नोटिस जारी किया तो एस पी ने एक कूट दस्तावेज, एक फर्जी डाक्युमेंट बैक डैट में तैयार किया, उसको 15.9.2009 को बैक डैट में तैयार करके यह कहा कि हमने अपील का निस्तारण विधिवत सुनवाई के आधार पर किया। जब यह कूट दस्तावेज गोरधन सिंह को मिला तो उस दस्तावेज के आधार पर गोरधन सिंह ने बीकानेर के एडिशनल सी जे एम नम्बर-दो के पास सी आर पी सी के सेक्शन 156(3) में इस्तगासा दायर किया। उस इस्तगासे के आधार पर एस पी बीकानेर, एडिशनल एस पी बीकानेर और एस एच ओ के विरुद्ध धारा 474, 218, 420, 468, 323 में एक एफ आई आर नम्बर 46/2010 सदर, बीकानेर में दर्ज हुई।

अध्यक्ष महोदय, बस यहीं से वह अत्याचार का सिलसिला जारी हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी एस पी साहब की कारगुजारी के लिए एक बार कोर्ट के अन्दर इनके खिलाफ जो स्ट्रिक्चर पास हुआ, मैं चार लाइन उसकी पढ़कर के सुनाना चाहता हूं। 302 के मुकदमे में एक निर्दोष को फंसाया। ए डी जे कोर्ट ने इनके खिलाफ लिखा कि ''अधिकारी ने बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से इन्हें धारा 302 में दोषी माना है। हत्या का अपराध जो कि पुलिस नियमों और पुलिस विभाग के स्थायी परिपत्रों के अनुसार ए एस आर केस की श्रेणी में आता है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये जाकर इस तरह की कार्यवाही निश्चित तौर पर अत्यन्त खेदजनक है तथा किसी भी प्रकार के मस्तिष्क का प्रयोग इसमें किया हुआ प्रतीत नहीं होता।'' एक गम्भीर स्ट्रिक्चर पूर्व में भी कोर्ट ने इन एस पी साहब के खिलाफ जारी किया।

अध्यक्ष महोदय, वह नौजवान जो एक करोड़ रुपये साल का इन्कम टैक्स देता है, उसको गुंडा सिद्ध करना है, उसकी चार्जशीट खोलनी है क्योंकि एस पी बीकानेर के खिलाफ 156(3) के अन्दर उसने इस्तगासा करके एफ आई आर दर्ज करा दी। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा, मैं हमारे उप नेता महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरा संभ्रांत परिवार दर-दर की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ठोकरें खाकर रात्रि के अंधेरे में भी हमारे उप नेता महोदय से जाकर मिलकर कहता है कि इस अत्याचार को रोको। अध्यक्ष महोदय, 16 एफ आई आर दर्ज हो रही हैं। एफ आई आर नं. 24/10 नया शहर बीकानेर, एफ आई आर नं. 26/10 बीछवाल थाना बीकानेर, एफ आई आर नं. 39/10 कोटगेट बीकानेर, एफ आई आर नं. 44/10 नया शहर बीकानेर, एफ आई आर नं. 26/10 व्यास कालोनी बीकानेर, एफ आई आर नं. 47/10 नया शहर बीकानेर और एफ आई आर नं. 50/2010 नया शहर बीकानेर। अध्यक्ष महोदय, एक सिलसिल और पढूंगा, आप मुझे रोक देंगे पर मैंने आपसे निवेदन.....

श्री अध्यक्ष: नहीं रोकेंगे लेकिन समय का ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह लोमहर्षक बात है, अध्यक्ष महोदय। जब रक्षक भक्षक हो जायेंगे और जब एस.पी. के स्तर पर बैठा व्यक्ति, एक व्यक्ति को हिस्ट्रीशीटर बनाने के लिए...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वह जो गोरधन सिंह है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, वह गोरधन सिंह।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मेरे विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला ऐसा फ्राड है वह, जिसने लाखों रुपये लोगों के फर्जीवाड़ा करके यह आर.टी.आई. के तहत उसने इंफोर्मेशन ले-लेकर के उसने इतने बीकानेरवासियों को लूटा है, बरबाद कर दिया है उसने लोगों को। आप उसका मसला उठा रहे हो। आप कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला है, कल का छोकरा है और उसके खिलाफ भी मैंने खुद ने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिराजो, बिराजो। आप बिराजो, बिराजो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत):...यहां विधान सभा का प्रश्न उठाया है। 15 मुकदमे उसके पहले से दर्ज हैं और उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही थी। एक मामले के अन्दर कार्यवाही हुई तब सारे लोग निकल-निकल कर आये कि हां, उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। तब उठाते यह मसला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वह तो फ्राड है, उसकी पैरवी कर रहे हो! आप कम से कम मेरे से बात करते।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप मेरे से पूछते।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप बीकानेरवासियों को पूछते कि कल का छोकरा, आप जिसकी कह रहे हो, मुझे पता नहीं है कि एक करोड़ रुपये इन्कम टैक्स का दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): देखिये साहब, गलत इंफोर्मेशन अगर हाउस में हो और उसको इस प्रकार से गुमराह करें, यह ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, फ्लोर मेरे कब्जे में है। अध्यक्ष महोदय, फ्लोर मेरे कब्जे में है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप किसकी पैरवी कर रहे हो? आप किसकी पैरवी कर रहे हो? (व्यवधान) आप ठगों की पैरवी कर रहे हो, भाई साहब? (व्यवधान) माई गोड, ओ हो ओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माई गोड, ओ हो ओ हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: अब कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। आप विराजिये, आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, किसका क्या अतीत रहा होगा...

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। समाप्त करें, समाप्त करें, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह एक महीने में उसने क्या किया, क्या नहीं किया... (व्यवधान) कानून अपना काम करे...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अगर जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये अगर जिम्मेदारी से कह रहे हैं तो मैं यहां घोषणा करता हूं कि आम आदमी से पूछ लीजिये, आप किसी भी भले आदमी से पूछ लीजिये, अगर यह फ्राड नहीं है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। क्या चैलेंज करते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...कि उस व्यक्ति पर किस तरह का अत्याचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आप विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से तो उसके ऊपर कार्यवाही होने लगी है...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आज तक 15 मुकदमे दर्ज थे पिछले सालों में, एक में भी डरता हुआ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था। आर.टी.आई. के तहत सूचना ले-लेकर उसने ऐसे लोगों को बरबाद किया है जो चूं नहीं कर सकते थे क्योंकि अब तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। एक केस में कार्यवाही हुई, वह अख़बार में आया तब लोग उलटकर पड़े। वरना मुकदमे कहां से दर्ज हुए, आप यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप कोई भी बता दीजिये, यह मुकदमे किसकी तरफ से दर्ज हुए हैं अलग-अलग मोहल्लों में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप बोल लेना ना। यह मेरा अधिकार है बोलने का।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): (व्यवधान) भुक्तभोगी हैं। मुझे तकलीफ इसकी है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप विराजो, मुझे बोलने दो ना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप किसकी पैरवी कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई जन प्रतिनिधि अभी इस प्रकार से यहां पर अगर पक्ष रखे जिसको खबर नहीं है कि कोई आ गया। जो पहले आ गया, उसकी बात मान ली। आप किसी से पूछते। आप किसी भी बीकानेर वाले से पूछते। मैं आपका साथी हूं, मेरे से पूछते या बीकानेर जिले के किसी और विधायक से पूछ लेते...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ओ माई गोड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप अपने चैम्बर में बुला लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपके जिले का विषय नहीं है। आप विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं, मैं उनके अतीत में नहीं जाना चाहता, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि एफ.आई.आर. नं. 26/2002 बीछवाल, यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई है संजय सिंह, रजिस्ट्रार, इंजीनियरिंग कालेज ने और एफ.आई.आर. में क्या कराया है, सभापति महोदय कि इन्होंने आठ रुपये का गबन किया! सूचना के अधिकार के आधार पर इन्होंने जो एप्लीकेशन दी, उसमें आठ रुपये इन्होंने जमा नहीं कराये।

श्री अध्यक्ष: चलिये, समाप्त करिये। समाप्त करें आप। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, 26.2.2008 को इन्होंने इंफोर्मेशन मांगी और 26.2.2008 की सूचना पर, आठ रुपये के आधार पर इसके विरुद्ध मुकदमा होता है। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई वे उन्हीं लोगों ने कराईं जिनके विरुद्ध आर.टी.आई. के तहत इन्होंने सूचनाएं लीं, जिनके विरुद्ध सूचना ली। अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे थे, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि उन्होंने जो सूचनाएं लीं, उन सूचना के आधार पर उन पर कार्यवाही भी हुई। अभी इनके खिलाफ एक एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एफ.आई.आर. नम्बर 24/2010 शांता प्रसाद ने कराई और यह लिखा कि यह गुंडा है और यह ब्लैकमेलिंग करता है। अब इन्हीं शांता प्रसाद के भाई मदन शर्मा जो सी.डी.पी.ओ. बीकानेर में थे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहे थे। कलक्टर ने जांच की 26.2.2008 को, पुन:, सभापति महोदय,...

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...जांच के आधार पर उन्हें निलम्बित किया गया। इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: सभापति नहीं, सभापति नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह एक के बाद एक इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते गये...

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एफ.आई.आर. दर्ज हुई है 44/2010...

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य। सारी बातें आ गईं साफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वे सारी एफ.आई.आर. हैं। यह घटना जो पहले कभी 2006 में हुई, एक ए.सी.टी.ओ. साहब दर्ज करा रहे हैं एफ.आई.आर. उनके विरुद्ध, जिनके विरुद्ध ए.सी.डी. कोर्ट में कहा कि इन्होंने गड़बड़ की कुंदन मल बोहरा ने, उनके खिलाफ वह कह रहे हैं कि 26.2.2008 से 7.10.2008 तक मैं इंटरव्यू के लिए काम कर रहा था, वह गोरधन सिंह ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गृह मंत्रीजी, यह कुंदन मल बोहरा ए.सी.टी.ओ. था, उसने माल पकड़ा एक ट्रक का और उसने उसके कहने से माल नहीं छोड़ा तब उसके पीछे लगा। बोहरा का केस मुझे ध्यान है, जो मेरे ससुराल के पास सादुल कालोनी में रहता है। एक-एक केस के बारे में मैं बता दूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बता दीजिये कि इस लड़के की उम्र क्या है? यह आप बता रहे हैं कि एक करोड़ रुपये रिटर्न भर रहा है इन्कम टैक्स में, कल के छोकरे के पास, इसका धंधा क्या है, इसका आप धंधा बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं खुद स्पष्ट कर देता हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक करोड़ रुपये कहां से भर रहा है? क्या धंधा है? वह कल का छोकरा, उसके पास कोई सामान नहीं है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। इसके साथ में एक छोकरा वकील और मिला हुआ है। वह वकील और ये, दोनों मिलकर आर.टी.आई. के तहत जिसको भी चाहा... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास है गोरधन सिंह की, (व्यवधान) मैं टेबल करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जिसको भी चाहा... (व्यवधान) गृह मंत्रीजी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, चाहे उसका कोई भी अतीत रहा हो, यह एफ.आई.आर., अध्यक्ष महोदय, 2006 की घटना, 2008 की घटना और उस आधार पर एक व्यक्ति पर, निर्दोष व्यक्ति पर इस तरह से एफ.आई.आर. दर्ज हो जाय, मैं समझता हूं कि इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गृह मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सारी फाइल मंगा लें, आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर मैंने जो बात कही, अगर मैं गलत हूं तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि गलती हुई है पर आप सारी एफ.आई.आर. मंगाइये। अध्यक्ष महोदय, आप खुद देखेंगे और इसको आप मुलाहिजा कर लें, एक महीने के अन्दर 16-16 एफ.आई.आर. एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो जाय, मैं समझता हूं, यह पुलिस का एक ऐसा अत्याचार है और...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...रक्षक भक्षक हो जायेंगे तो क्या होगा, अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, आप सारी पत्रावली मंगवायें और यहां से एक निष्पक्ष अधिकारी को लगा दें और जांच करायें...

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गृह मंत्रीजी, मुझे यह बता दीजिये, इतने वर्षों में इसके खिलाफ इतने मुकदमे, 15 मुकदमे दर्ज थे, आपने अभी तक इसकी हिस्ट्रीशीट क्यों नहीं खोली?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये। गृह मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसकी उम्र क्या है? यह धंधा क्या करता है? इसका प्रोफेशन क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। कृपया विराजिये। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यही यह आर.टी.आई. की ओट में वह वकील और वह व्यक्ति...

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गृह मंत्रीजी सबका क्या जवाब देंगे? (व्यवधान) जो जानकारी मुझे है, वह गृह मंत्रीजी को भी नहीं है क्योंकि वह पड़ोस में रहता है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उसके ससुराल वाले मेरे पास आते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): xxx

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कल का छोकरा वह हिस्ट्रीशीटर, नोटोरियस, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। एक तो वकील है जो वहां से निकाला हुआ है बार रूम से, बार रूम से निकाला हुआ वह उसका ए.डी. है, वे दोनों मिलकर आर.टी.आई. के माध्यम से इंफोर्मेशन लेकर किसी से भी कि ला, इतना ले आ, नहीं लाया तो तेरे को रगड़ूंगा। उसके पीछे लगते हैं बुरी तरह से। अब, साहब, इज्जतदार आदमी क्या करे? अब पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, तब जाकर के लोग खड़े हुए...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। जवाब दे रहे हैं गृह मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...कि मुकदमा होकर इसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, तब लोगों ने यह मुकदमे दर्ज कराये। वरना एक अकेला चाहे कोई भी पुलिस वाला हो, दो मुकदमे दर्ज करा लेगा, पांच करा लेगा। इतने-इतने मुकदमे कैसे दर्ज हो गये? अलग-अलग मोहल्लों से, प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी लोग, सबने इसके खिलाफ कराये हैं।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, माननीय सदस्य, विराजिये। गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप मेरे से भी पूछ लेना। मेरे पास भी इसका है।

श्री अध्यक्ष: आपके पास पूछने के लिए क्या अब शेष रहा है? सब कुछ बता दिया आपने।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अभी बहुत है उसके खिलाफ मामले। कल का छोकरा, अगर सिर्फ वह राजपूत है इसलिए पैरवी नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...पैरवी नहीं की जा सकती। राजपूत चोर हो सकता है, राजपूत लुटेरा हो सकता है, डाकू हो सकता है। क्या हम उसके लिए पैरवी करें? नो। यहां यह सच्चाई की बात होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दम पर जीतकर आया हूं, किसी के दम पर नहीं। विधान सभा में मुझे कौन से मुद्दे उठाने हैं, यह मेरा अधिकार है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं कहता हूं, अगर हम इस पवित्र सदन में पूरी जानकारी किये बगैर और अगर यहां सदन को गुमराह करना और जनता को गलत संदेश, आपको पता है, कल जब अख़बार में छपेगा, (व्यवधान) ऐसे लोग की पैरवी किसने की...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी बनाइये। अध्यक्ष महोदय, आप सदन की कमेटी बना दीजिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप सदन की कमेटी बना दें, माननीय सदस्य को भी रखें इसमें। (व्यवधान) बना दें कमेटी, बना दें कमेटी। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मेरा इस्तीफा पहले ले लो, मेरा इस्तीफा आप ले लो। (व्यवधान) मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। (व्यवधान) मेरे से पहले इस्तीफा लिखा लो। (व्यवधान) मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा अगर यह फ्राड नहीं निकले, अगर यह फ्राड नहीं निकले तो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन प्रस्ताव माननीय तारानगर से आने वाले राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने उठाया, मैं समझता हूं कि मुझे कोई ज्यादा कुछ कहना तो है नहीं, सारी जानकारी आपने सदन को दे दी लेकिन फिर भी...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप अधिकृत रूप से क्या कहना चाहते हैं?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मेरी और राज्य सरकार की जानकारी समान है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं-नहीं, अभी है। नहीं, जो कुछ, आपने जो भी सवाल...

श्री अध्यक्ष: अभी रहा-सहा यह पूरा कर देंगे, आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो सवाल आपने भी मुझसे पूछे हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा।

यह बात सही है कि गोरधन सिंह नाम के व्यक्ति ने एक अमीन हसन जो पुलिस अधिकारी था उसके बाबत सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी। एडिशनल एस पी जो हैं वह डेजिग्नेटेड आफिसर, इंफोर्मेशन आफिसर होते हैं डेजिग्नेटेड, उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि इस बाबत जानकारी नहीं दी जा सकती, उसकी अपील होती है, अपीलेट अथोरिटी आपका सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस होता है, उसने भी सारा केस देख लिया, देखने के बाद में उन्होंने भी असमर्थता व्यक्त कर दी। अपील कर दी उन्होंने स्टेट में। स्टेट में जो अपील की तो उसमें यह आदेश हुआ स्टेट की तरफ से, सूचना आयुक्त की तरफ से, मुख्य सूचना आयुक्त की तरफ से कि व्यक्तिगत सूचना तो नहीं दी जावे लेकिन कुछ सूचनाएं दे दी जावें।

अब वह कुछ सूचनाएं क्या थीं, मैं यह मान करके चलता हूं कि जो उनका मुख्य मकसद था, जिस बात के लिए उन्होंने सूचनाएं चाही थीं वह नहीं थीं, उनके अलावा दीगर थीं। तो उससे उनका परपज सर्व नहीं होता था।

हनुमान सिंह जो इसका एक भाई था, उन्होंने एक इस्तगासा जो है, गोरधन सिंह का जो भाई था, एक इस्तगासा उन्होंने अदालत में पेश किया। अदालत में पेश किया, उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद में उस पर एफ आर लगा दी गई।

अब यह गोरधन सिंह क्या है, एक सवाल यह है जिसको कि आपने बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी बताया, बड़ा इज्जतदार, बड़ा जो है, प्रमुख जो है, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको और आपको, पूरे सदन को बताना चाहता हूं। यह श्रीमान जिनको आप प्रतिष्ठित व्यापारी बताते हैं, कुल मिलाकर के इन्होंने इन्कम टैक्स में अपनी आमदनी चार लाख रुपये की बताई है, सिर्फ चार लाख की। इसके अलावा ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): टेबल कर देता हूं अध्यक्ष महोदय, उनके स्टेटमेंट को मैं टेबल कर देता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बोलने दीजिये आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप विराजे रहिये न, आप बात आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह गलत तरीका है। आप जब बोले, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। आप या तो यह सुनने की क्षमता रखियेगा..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शांति से बोलो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): गलत तो नहीं किया न कुछ। वक्त-वक्त पर मैं आपसे सर्टिफिकेट लेता रहूंगा।

आपने मुख्य बात यह उठाई कि इस व्यक्ति को वहां के एस पी ने सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया कि उसने एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आर टी आई में सूचना मांगी और पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर पन्द्रह उसके खिलाफ केसेज लगा दिये गये। अब मैं उसके सारे केसेज पढ़कर बताना चाहता हूं जो आपने भी पूछा है। पहला केस उसके खिलाफ 1999 का है। 1999 में एक पप्पू नाम के आदमी ने जो मनोहर सिंह का लड़का था, राजपूत था, रेलवे कालोनी का रहने वाला था, उसने एक केस रजिस्टर करवाया उसके खिलाफ 341, 323, 324 का जिसमें पुलिस का कोई लेना-देना नहीं था। पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं करवाया, कम्प्लेनेंट कौन था, पप्पू और जिसमें चालान हुआ, चार्ज शीट हुई। नम्बर दूसरा केस 2001 का था। 2001 का जो केस था वह राजू पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुरोहित, पूंगल रोड, बीकानेर के द्वारा था जिसमें धाराएं लगाई गई थीं 323, 324, 341, 147, 148, 139 आई पी सी और उसमें भी चालान हुआ, वह भी चार्ज शीट हुई। तो यह दो केस तो हुए, एक तो 1999 का और एक 2001 का। फिर तीसरा केस आता है 2002 का। 2002 का जो केस हुआ वह रघुनाथ सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर का था, उसमें भी चालान हुआ। इसकी भी दफाएं सुन लीजिये आप, 451, 323, 326, 327, 147, 148 और 139 आई पी सी। नम्बर चौथा जो केस था वह भी 2002 का था। 2002 का जो केस था उसमें कम्प्लेनेंट था रघुनाथ सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत निवासी सर्वोदय कालोनी, उसकी धाराएं थी 323, 341, 334, उसमें भी चालान हुआ और चार्ज शीट हुई। नम्बर पांचवां जो केस था वह 2003 का था। 2003 का जो कम्प्लेनेंट था वह था मोहम्मद रफीक पुत्र कमरूदीन निवासी लोहाहाट जिला जोधपुर; यह केस था 392 का और इसमें भी चालान हुआ और चार्ज शीट हुई। नम्बर छठा जो केस था वह था 2004 का। 2004 का जो केस था वह राजू हुसैन पुत्र मूल हुसैन निवासी तालेड़ा जिला बूंदी जिसमें यह है कि एफ आर जरूर लग गई।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कहा-कहां पहुंचा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जी। नम्बर सातवां जो केस था वह 2004 का था। वह था राजू हुसैन पुत्र मूल हुसैन जाति मुसलमान, वही तालेड़ा वाला जिसने दोबारा इसके खिलाफ केस किया जिसका केस नम्बर था 91/15.8.2004, वह 406 का केस था। आठवां जो केस था वह 332, 353 का जो कि राजपाल सिंह पुत्र विजय सिंह जाट, हनुमानगढ़ टाउन हाल वाणिज्य कर अधिकारी, बीकानेर उसके द्वारा किया गया जिसमें भी चालान हुआ। मतलब आठ केस जो मैंने आपको बताये उनमें एक में भी पुलिस कम्प्लेनेंट नहीं थी, अलग-अलग तरह के कम्प्लेनेंट थे और अलग-अलग तरह की धाराओं में उनके खिलाफ चालान पेश हुए और चालान पेश होकर के चार्जशीट हुई।

नौवां केस जो मैं बता रहा हूं आपको, वह भी शांतिप्रसाद पुत्र रामनारायण शर्मा निवासी माधोपुरा, बीकानेर, यह स्वतंत्रता सेनानी का लड़का है जिसने कि उसके खिलाफ केस रजिस्टर करवाया और धारा थी 384 की जिसमें जुर्म प्रमाणित हुआ और सैशन कोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत भी खारिज हुई। दसवां केस मैं आपको बता रहा हूं 2010 का, अब यह कुल मिलाकर के 2010 जब चालू होता है तो 2010 के कुल मिलाकर के छह केसेज हैं। यह छह केसेज जो हैं उसमें भी आपने जैसा कहा कि साहब, पुलिस ने इसके खिलाफ पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर पन्द्रह केसेज रजिस्टर कर लिये गये, एक मैं आपको सबके कम्प्लेनेंट सुनाता हूं कि किस-किस कम्प्लेनेंट ने किस-किस धारा में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिसको आप प्रतिष्ठित नागरिक, महत्वपूर्ण व्यक्ति, बड़ा जबरदस्त..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा, अतीत क्या हो, पर यह सही है कि इन्होंने जब से इंफोर्मेशन एक्ट के अन्तर्गत सूचना मांगी...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह सही है तो आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तब से पुलिस ने लगातार मुकदमे दर्ज किये। आप चाहें, अध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी बना दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं होता। मेहरबानी करके यह तरीका नहीं होता है..

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। चर्चा समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट के लिए, एक सैकंड

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

के लिए इंटरप्ट नहीं किया; इतना-सा भी मैंने आपको एक सेकंड के लिए भी इंटरप्ट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लेकिन आप में यह क्षमता होनी चाहिए सुनने की और हकीकत को सुनने की होनी चाहिए, यह कलेजा रखो आप मन में, हैं न।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 2010 का जो पहला केस था, वह संजय सिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत के द्वारा जो इंजीनियरिंग कालेज के रजिस्ट्रार हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आठ रुपये का, आठ रुपये आर टी आई एक्ट की फीस नहीं दी। बात कर रहे हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आठ रुपये का, नौ रुपये का छोड़ियेगा, जुर्म प्रमाणित है, लिखा हुआ है इसमें और गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। आठ रुपये हो चाहे एक रूपया हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एप्लिकेशन की तारीख और पढ़ दो। आप तारीखें पढ़ दो, किन-किन तारीखों को इस शांता प्रसाद से...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं तारीख भी बता रहा हूं आपको, धारा भी बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सारे ही फरवरी, धाराएं क्यों, तारीख पढ़िये न, सारे फरवरी और मार्च के हैं। सारे फरवरी और मार्च के हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक-एक की मैंने धाराएं बताई हैं, मैंने एक-एक की धाराएं बताई हैं और एक-एक के वह बताये हैं, उनके पूरे कारनामे भी बताये हैं और मैंने ही नहीं बताये, मुझसे तो दस गुना ज्यादा आपने बता दिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह शांति प्रसाद मेरे घर के सामने ही रहता है, स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण शर्मा के पोते हैं, उनके गैस की एजेंसी है। सब जगह ब्लैकमेलिंग के लिए इन्होंने अपना काम, ऐसा नेटवर्क तैयार किया हुआ है, इस पर क्या बोलूं...

श्री अध्यक्ष: विराजें। चर्चा समाप्त। श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान) बाकी है क्या, बोलिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 26.2.2010 को संजय सिंह पुत्र विजय सिंह जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया 327, 384, 353 और 504 का, जिसमें जुर्म प्रमाणित पाया गया और उनके गिरफ्तारी के प्रयास आज भी पुलिस के द्वारा जारी हैं। ग्यारहवां केस जो है वह 16.2.2010 को हुआ जिसमें भी एक वाणिज्यिक अधिकारी कुंदनमल पुत्र तौलाराम बोहरा निवासी रानी बाजार जो कि एक आफिसर है, कामर्शियल टैक्सेशन का आफिसर है, उसने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और वह भी जुर्म प्रमाणित हुआ और उसमें भी गिरफ्तारी के प्रयास आज तक जारी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फरवरी में कराया है यह भी। सारे फरवरी में कराये हैं ये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नम्बर बारहवां, नम्बर बारहवां सुनिये आप। कारनामे सुन लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सुनाओ न तो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नम्बर बारहवां, 21.2.2010 को मोहनलाल शर्मा पुत्र रामनारायण निवासी वेध माधोराम कालोनी, बीकानेर, ये एक पत्रकार हैं और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, मामूली पत्रकार नहीं है, जिसने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया 211, 379, 384, 417, 468, 476, 469, 484, 500, 501 एण्ड 506 आई.पी.सी. में, जिसमें भी जुर्म प्रमाणित हुआ है और आज भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। 13वां केस, अध्यक्ष महोदय, 13वां केस पढ़कर बता रहा हूं मैं आपको जिसमें कि आर एस बी स्कूल के द्वारा जो है यह 25.10 को जो है केस रजिस्टर हुआ 452, 384 और 392 का यह भी जुर्म प्रमाणित है और प्रमाणित होने के बाद भी गिरफ्तारी के प्रयास इसमें भी जारी हैं। नम्बर-14वां, थानाधिकारी यह एक केस है जो कि थानाधिकारी के द्वारा सिर्फ 15 में से सिर्फ एक केस है जिसमें थानाधिकारी कम्प्लेनेंट है, आम आदमी कम्प्लेनेंट नहीं है और वह केस है 379, 420, 436 और 465 का गोवर्धनसिंह के खिलाफ, वह भी जुर्म प्रमाणित है और उसमें भी गिरफ्तारी के प्रयास आज तक जारी हैं। 15वां केस जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है 2 मार्च, 2010 का जो मनोज शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा निवासी सैटेलाइट अस्पताल के द्वारा जो दर्ज करवाया गया है उसमें भी जुर्म प्रमाणित है और

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

प्रयास जारी हैं उसकी गिरफ्तारी के। आखिरी केस जो 16वां केस है वह 22.3.2010 को दर्ज हुआ है, धारा 186, 383, 386, 415, 416, 419, 420, 463, 465, 500, 503, 504, 507 और 120-बी, यह दिलीप कुमार पुत्र इन्द्रचंद गौड़, सहायक वाणिज्यिक अधिकारी, सूरतगढ़, यह भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कामर्शियल सेल्स टैक्स आफिसर हैं उसके द्वारा यह दर्ज करवाया गया है।

यह गोवर्धन सिंहजी की जन्म पत्री है, हुजूर। अब आप इसका क्या चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजें, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जिस जन्मपत्री का जिक्र यह कर रहे हैं मैं इन्हीं की पुलिस की कुंदनलाल बोहरा के खिलाफ ए.सी.डी. का जो गवाह, पढ़कर सुनाना चाहता हूं ...(व्यवधान) प्रमाणित किये हैं। यह खुद नहीं चाहते कि प्रशासन क्या है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। श्री कटारियाजी।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ...(व्यवधान) उस पर एक मुकदमा दर्ज हो जाए तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री कटारिया जी।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इसे तुरन्त गिरफ्तार किया जावे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक सेकंड, दो बातें और रह गई।

श्री अध्यक्ष: हो गई, जो भी काफी हो गई।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दो मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से 2010 के जो 8 मुकदमें हैं उसमें सुशीला कंवर पत्नी गोवर्धन सिंह के द्वारा डी.जी. पुलिस को एक परिवाद पेश किया गया और उस परिवाद पर, चूंकि एक महिला लेकर के आई तो डी.जी. ने सोचा कि कुछ न कुछ इसमें तंत होगा तो उसका मामला दे दिया गया सी.आई.डी., सी.बी. को

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जो आपकी मुख्य मांग थी कि यह वहां से हट जाए, क्योंकि वहां का एस.पी. जो है जानकर के उसने इसके खिलाफ केसेज रजिस्टर करवाये हैं, 15 दिन में 15 करवाये हैं, आर.टी.आई. की क्यूं मांगी गई, यह मांगी गई, वह मांगी गई, इस वजह से किये गये हैं तो डी.जी. ने फिर भी सी.आई.डी. के लिए...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सरकार भी डर गई। सरकार भी डर गई। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। आप भी चूड़ियां पहन लो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी बात सुनिये, इन मुक़दमों के अलावा ...(व्यवधान)

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चूड़ियों की बात कर रहे हो, चूड़ियां इतनी कमजोर नहीं हैं। आप महिलाओं को चूड़ियों का नाम लेकर के अपमानित नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजो आप।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर): ...(व्यवधान) गिरफ्तारी पेंडिंग क्यों है? एक के बाद एक, एक के बाद एक गिरफ्तारी पेंडिंग बता रहे हो और मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं। तो वह इतना कौनसा डॉन हो गया कि उसको गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, कर रहे हैं, कर रहे हैं। इन मुकदमों के अलावा गोवर्धनसिंह व उसके अन्य साथियों के खिलाफ 55 परिवाद, 50 और 5 परिवाद पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर के कार्यालय में विभिन्न थानों में आज तक प्राप्त हो चुके हैं और पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर के द्वारा 6.3.10 को गोवर्धन सिंह के खिलाफ हिस्ट्रीशीटर की कार्यवाही खोल दी गई है। यह इंफोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: श्री कटारिया जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह मांग कर रहा हूं कि सदन की कमेटी बना दो। यह पुलिस की प्रताड़नाओं का अतीत क्या रहा होगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) सदन की कमेटी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)
बना दो ...(व्यवधान) यह कमेटी बनाने के लिए हाउस के फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कटारिया जी।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, पहले इसको ...(व्यवधान) बदमाश के लिए कमेटी बना दो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कटारिया जी। आप विराजो, खत्म हुई बात।

नरेगा में कलक्टरों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के आदेशों की पालना नहीं

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को निवेदन कर रहा हूं और आग्रह भी कर रहा हूं। यह जो नरेगा है जिसके नाम से चारों तरफ एक हौआ बना है इसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है और अब तक विधान सभा में जितने केसेज लेकर के आये, यह फर्जी नाम लिख दिया, यह बाम्बे में रहता है, यह हो गया, हम छोटे-छोटे लोगों के ऊपर तो नरेगा में हुए भ्रष्टाचार के बारे में इतने ज्यादा चिंतित हैं और उस विषय पर कि फर्जी जॉब कार्ड बन रहे हैं, फर्जी यह हो रहा है, यह बीमारी नीचे नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आप पर पूरा यकीन करता हूं और आपने मन से कार्यवाही की, इसके बारे में मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपके मन में यह जज़्बात हैं कि यह बुराई जिस हाइएस्ट रैंक पर अगर कलक्टर स्वयं इस नरेगा को अगर भ्रष्टाचार का माध्यम बना दे और उसके बाद भी सरकार अगर बिलकुल असहाय हो जाए तो मैं सोचता हूं कि हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि प्रशासनिक तंत्र चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, या प्रशासनिक तंत्र ये अधिकारी चलाएंगे या लोकतंत्र के जन-प्रतिनिधि, जिनको जनता इस विश्वास के साथ भेजती है कि वे निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही करेंगे। लेकिन इस घटना ने तो इस बात को साबित कर दिया कि हमसे भी ऊपर अधिकारी हैं, उनकी जब तक मर्जी नहीं होगी तब तक उनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। आपको स्वयं को कल कितना अफसोस हुआ कि आपने उसको तुरन्त अपनी, अध्यक्ष महोदय, इस घटना को गम्भीरतम घटना के रूप में माननीय सदन ले और इसका कोई-न-कोई स्थायी हल निकालने का प्रयास करे।

आज वास्तव में हमको जो बार-बार दिखता है कि नीचे के लोग हैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो छोटे-मोटे भ्रष्टाचार करते हैं, उनको आप सूली पर लटका के अपने मन को संतोष दे देते हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, कीर्तिमान स्थापित कर दिया लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। अगर मारना चाहे तो चोर की मां को मारो तब तो जाकर के चोर पैदा होना बंद होगा। अगर उसको बचाकर के अगर हम लोग चलें या आपकी यह जो सारी फौज यहां बैठती है यह उनको बचाने का काम करे और हम सब लोग यहां तमाशबीन की तरह से देखें तो हमको इससे ज्यादा दुःख और अफसोस नहीं होगा।

मंत्री महोदय, अपने मन की भावनाओं को समझकर के जो पत्र आपने लिखा, मैं उसको पढ़ रहा हूं। आपके मन में कितनी वेदना थी और आपने किस वेदना से इस पत्र को मुख्य मंत्रीजी को लिखा। मैं केवल इसलिए नहीं कि मैं कोई इस बात को कह कर के कोई आप पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहा हूं; मैं आपको, सबको सम्मिलित करते हुए कहना चाहूंगा कि हमको निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा कि यह जो प्रशासनिक तंत्र निरंकुश बनकर जिस प्रकार से इस लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगा है, इसको अगर समय रहते काबू नहीं किया तो आपके और मेरे सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकलेगा, जिनको जनता यहां चुनकर के भेजती है। आपने लिखा ''उक्त प्रकरण नरेगा से संबंधित गम्भीर शिकायत का है जो करौली जिला कलक्टर से संबंधित है। नरेगा में अनेक शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं परंतु यह शिकायत जिला कलेक्टर की है जो ज़िले के नरेगा का सर्वोच्च अधिकारी है। प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार होना प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच, स्पेशल आडिट, आदि, प्रभावी कार्यवाही करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 51 लाख रुपए की राशि के पेड़ वास्तव में कहां लगाये गये यह भी फिजिकल वेरिफिकेशन कराना आवश्यक है।'' यह 11.9. का आपका पत्र है मुख्य मंत्री के नाम से और मुख्य मंत्रीजी की भावना को देखिए, उन्होंने 11.9 को ही आपके इस पत्र को महत्ता देते हुए अपनी तरफ से पहले अपने स्तर पर विभागीय आयुक्त से जानकारी प्राप्त कर लें, उनके मन में भी कहीं यह नहीं था कि इसमें कोई प्रोटेक्शन किया जाए। सितम्बर की घटना है और सितम्बर की घटना के बाद यह फाइल चली होगी।

मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसको आप एक टैस्ट केस बनाये और इस फाइल को एक बार आप स्वयं मंगवाकर के देखें, इस फाइल पर किस-किस तरह का नोटिंग हुआ है और हाइएस्ट लेवल तक यह फाइल घूमी है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस पर इनके सस्पेंशन आर्डर हुए हैं। लेकिन वह सारे के सारे रफा-दफा होकर पड़े रह गये और इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। यही नहीं। एक-एक करोड़ के कम्प्यूटर खरीदे गये, एक-एक करोड़ रुपए के। आप एक उस मजदूर को पकड़ने जा रहे हो जिसको 100 रुपया, 500 रुपया पेमेंट हुआ है। आप और हम सब बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने बड़ा नरेगा का भ्रष्टाचार, पकड़ा, भ्रष्टाचार की जननी कहां है, इसको खंगोलने की कोशिश करो। करौली कलेक्टर के खिलाफ यह चार्ज है, टौंक कलक्टर के खिलाफ यह चार्ज, दौसा कलक्टर के खिलाफ यह चार्ज है, डूंगरपुर कलक्टर के खिलाफ यह चार्ज लगा है, झालावाड़ कलेक्टर, और भी होंगे, यह तो जो कुछ भी अब तक बाहर आया है, इतने कलक्टर्स पर, किसी ने 85 लाख के कम्प्यूटर खरीदे, किसी ने एक करोड़ के कम्प्यूटर खरीदे।

ये तो कम्प्यूटर हैं, इसी तरह से यह जो आपने 'हरित राजस्थान' कहा है न, इस 'हरित राजस्थान' में डूंगरपुर में कीर्तिमान स्थापित हुआ। गिनीज बुक में इसका नाम आया है। इसको भी एक बार देख लेने की जरूरत है और देखने से इसको आपको लगेगा कि किस तरह से...।

तो आपके द्वारा चली हुई फाइल, संभागीय आयुक्त को मुख्य मंत्री के द्वारा लिखा हुआ 11.9 का मार्क और उसके बाद क्या तो चीफ सेकेट्री ने किया, क्या आपके प्रमुख शासन सचिव ने किया जो पंचायत राज के हैं और जिन-जिन अधिकारियों से यह फाइल होकर गुजरी उन सब ने क्या किया? कहां है यह फाइल आज की तारीख में? आपने कल फिर अपनी मंशा से पूछा कि फाइल तो ढूंढो, है कहां फाइल। यानी अब तक इस पर जो कार्यवाही हो जानी चाहिए वह कार्यवाही नहीं हुई है और वह फाइल केवल कहीं घूम रही है, किसी दफ्तर में पड़ी है। आपकी तरफ से जो फाइल चली है, उस पर इनको सस्पेंड करने के आर्डर पड़े हैं, उस आर्डर के ऊपर पालना नहीं होने के कारण से फाइल घूम रही है।

मैं फिर माननीय सदस्यों, चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, मैं कह रहा हूं कि इस नरेगा के भ्रष्टाचार का अगर थोड़ा बहुत भी कहीं नीचे संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अब तक इसमें से कार्यवाही निकलेगी न आपके जितने केसेज आप उठायेंगे क्योंकि मैं पी.ए.सी. का मैंबर हूं, उसमें आप किसी छोटे-मोटे एक एल.डी.सी. को सस्पेंड कर देंगे, किसी एक छोटे-मोटे आदमी को सस्पेंड कर देंगे लेकिन जो वास्तव में उसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इंवाल्व्ड हैं उनके खिलाफ आज दिन तक जिसमें मैं भी शरीक हूं, मैं सरकार का भी नुमाइंदा रहा हूं, और आप सब शरीक हैं, सारी रिकमंडेशन करने के बाद भी आपने आज दिन तक एक कलक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार में कार्यवाही नहीं करके आपने एक ऐसा गलत संदेश दे दिया कि इनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। तो फिर हम यह लोकतंत्र के पहरेदार रह करके अपने आपको यहां क्या सम्मानित महसूस करते हैं?

मैं, मंत्रीजी, आपकी तारीफ करता हूं कि आपने यह विषय जैसे ही ध्यान में आया आपने विषय को उठाया लेकिन परिणाम नहीं आया। परिणाम नहीं आया इसका जिम्मेदार कौन? आप और आपका मुख्य मंत्री। और कौन जिम्मेदार होगा? अगर आपके आदेश की पालना न हो और यह कर्मचारी आपकी पालना न करें इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र का क्या हो सकता है?

इसको साधारण न मान कर इसकी सारी की सारी पत्रावली उठाइये और उठा करके यह कहां-कहां घूमी, कहां-कहां रही, किस-किस ने इसको डिले किया और कहां संभागीय आयुक्त तक पहुंचनी चाहिए, वहां संभागीय आयुक्त तक जांच के लिए आज दिन तक यह फाइल क्यों नहीं पहुंची, इन सवालों का जवाब आप, मैं और सबको मिल कर देना होगा और इस पर कंट्रोल करना होगा, तब नरेगा का भ्रष्टाचार रुकेगा। बड़ा हाथी निकल जाए और छोटे को पीट कर बहादुरी लेने की जरूरत नहीं है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) आप मुझे दो मिनट दें।

श्री अध्यक्ष: इनका एडजार्नमेंट था यह।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): हां, दो मिनट दीजिये। साहब। बहुत गम्भीर मामला है जो कटारिया साहब ने मामला उठाया है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान के पूरे जिलों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बाड़मेर जिले की बात करूंगा। बाड़मेर जिले के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाइये पहले। यही है सीट आपकी?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मुझे दो मिनट दीजिये, साहब, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: अपनी सीट पर।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): धन्यवाद। मेरी गलती है वहां पीछे बैठे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा मुद्दा तो...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बोलें दो मिनट लेकिन एक बात सुन लें पहले। एक मिनट बात सुनिये। प्लीज, प्लीज।

अध्यक्ष महोदय, आप बाड़मेर के बारे में बोलना चाहते हैं, मैं आपका विनम्रता से और मंत्रीजी का और सारे सदन का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस सदन में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आया कि माननीय मंत्री महोदय ने जिला कलक्टर के खिलाफ लिख दिया और माननीय मंत्री महोदय केबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके लिखने के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास गया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिख दिया। इसके बाद में भी जिला कलक्टर अपनी जगह पर बना रहता है यह हमारे लिए बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। यह हमारी गवर्नेंस खतम हो गयी और हमारा कम्प्रोमाइज शुरू हो गया है। इसलिए इस गवर्नेंस के लिए आवश्यक है, आज इस बात पर माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, माननीय मंत्रीजी जवाब दें। जिला कलक्टर के खिलाफ मंत्री के लिखने के बाद में, सदन में आने के बाद में दो ही रास्ते बचते हैं, अध्यक्ष महोदय, या तो सरकार उसको तुरन्त सस्पेंड करे इसी समय वरना इस फाइल को आप मंगाइये यहां पर और फाइल को मंगा कर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के सामने रखें। जिन अधिकारियों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के और मंत्रीजी के आदेश की अवहेलना की है या विलम्ब किया है, उनको किसी भी प्रकार से पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इस सदन को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। सरकार के जो भी आदेश हों उनको पालन करने का ब्यूरोक्रेसी का काम है और माननीय मंत्री के लिखने के बाद अगर यह नहीं होता है तो हम सब लोगों का यहां बैठना व्यर्थ और निरर्थक साबित होगा।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह टैस्ट केस है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपके सामने जब यह मामला आ गया है, सरकार के सामने जब मामला आ गया है, अध्यक्ष महोदय, अधिकांश काम मंत्री करते हैं, मंत्री गवर्नमेंट होते हैं और उनकी हम आलोचना भी करते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं लेकिन उनके आदेश का पालन न करे कोई और फिर सदन में आ जाए उसके बाद में बच कर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बच कर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। इसलिए दो रास्ते हैं, जो रास्ता उचित लगे हम इसमें सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि कार्यवाही हो। मंत्रीजी की बात रखी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाए, मुख्य मंत्रीजी की बात रखी जाए और उस फाइल को सदन में मंगाया जाए और उस फाइल पर सारे आफिसर्स की टिप्पणी देखी जाए कि किस प्रकार अपने ब्यूरोक्रेसी के साथी को बचाने की बात करते हैं।

इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाहूंगा, बहुत गम्भीर मामला है और इस गम्भीर मामले को हमने अगर उठा कर छोड़ दिया तो फिर सदन का जो भय है और सदन के नियम और कानून-कायदे हैं जिनके कारण से हम सारे प्रशासन पर कंट्रोल करके चलते हैं उनके लिए संकट पैदा होगा। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय, आप बाड़मेर की भी उनकी बात आप सुनें, उनकी बात वह अलग मामला है, उनका भी भ्रष्टाचार का होगा लेकिन यह टेस्ट केस है। अगर हमने इस टेस्ट केस में इस सदन ने अगर यह कार्यवाही कर ली तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने का सबसे बड़ा काम हमारा शुरू होगा। जरूरी नहीं है कि हम छोटे छोटे अफसरों को ही करें, हम इन बड़ों को भी कर सकते हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि इस गम्भीर मामले में आप काग्नीजेंस लें और मैं सरकार से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुसार वह फाइल यहां पर लायी जाए, अध्यक्ष महोदय को दी जाए और उस फाइल को, अध्यक्ष महोदय, जिनको भी आप बुलाना चाहें, उनको बुलाएं और देखें और जो भी उचित कार्यवाही करनी हो आप निश्चित रूप से करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कटारिया साहब ने बात उठायी ...(व्यवधान) नहीं, साहब बहुत गम्भीर है मामला।

श्री अध्यक्ष: हां, आपको सुन रहा हूं।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे मंत्रीजी के बारे में कहा कि बहुत ईमानदार हैं, मैं भी इनकी तारीफ करता हूं कि इन्होंने यह मुद्दा उठाया। मैं तीन बार सांसद रहा हूं कांग्रेस का और आज मैं विधायक हूं, बड़ा गर्व है और हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में माना जाता है, बहुत स्वच्छ हैं, बहुत अच्छी इनकी छवि है जहां तक ईमानदारी का मामला आता है। वे कितने भी ईमानदार हों, अगर उनके अधिकारी आई.ए.एस. अधिकारी के इस लेवल की जो बातें हुई हैं अगर उनकी छवि ठीक नहीं है तो हमारी सरकार को ठेस पहुंचती है।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

इस मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूं कि बाड़मेर में, किसी का व्यक्तिगत नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि वे व्यक्ति यहां हैं नहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं दिलीप चौधरी जी, यहां हैं नहीं, मैंने उनको कहा कुछ अधिकारियों के बारे में। तीन साल वहां रहा वह अधिकारी और वह अधिकारी वापस वहां आ गया। हमारे जनप्रतिनिधि दस्तख्त करके गये और अगर मुख्य मंत्रीजी यह कहें कि अगर दो एम एल ए, तीन एम एल ए और एम पी साइन करके दें तो हां, साहब तीन दे दिये हैं, यह चिट सिस्टम है या उसकी सिफारिश है यह बहुत गलत है। वह वहां का वहां बैठा है। उसके सिवाय बड़े अधिकारी इनके सी ओ हैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं है, खुले आम मेरे पास आते हैं ग्राम सेवक, मेरे पास आते हैं बी डी ओ साहब कि हम क्या करें, हमको इतना हिस्सा देना पड़ता है उसको। इसके बारे में मैंने कई लोगों को कहा; खुले आम हो रहा है, मैंने मंत्रियों को भी कहा, वे नीचे देखते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): नहीं, साहब, मैं बहुत गम्भीर मामला बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप इस मामले को तरीके से उठायें, अभी तो लिख दें। माननीय सदस्य, जानता हूं आपको, आपने बात कही।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यह हमारे कांग्रेस और बी जे पी का मामला नहीं है, यहां यह हमारी सरकार के सर्वाइवल का मामला है, हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की जो छवि बनी हुई है उस छवि का मामला है। इसलिए गम्भीरता से लेकर जो हमारे साथी यहां पर बैठे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): बिना किसी भेदभाव के जो उन्होंने कहा है, उसके अन्दर कटारिया साहब ने और तिवाड़ी साहब ने, इन्होंने जो चर्चा शुरू की है इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिसके खिलाफ कर रहे हैं, अगर कोई यहां विधायक उसकी सिफारिश भेजता है और उसके अन्दर देखा जाता है कि वह अधिकारी भ्रष्ट पाया गया है...

श्री अध्यक्ष: विराज जाएं, प्लीज।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): तो मुख्य मंत्री को चाहिए कि वह एम एल ए कोई हो, चाहे मंत्री हो, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आप विराजिये। विराजें।

जो चर्चा सामने आयी है माननीय कटारिया जी ने भी, माननीय तिवाड़ी जी ने भी जो चर्चा की और इनकी चर्चा में यह सामने आया कि मंत्रीजी ने जांच के आदेश कर दिये और उसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने सेम डे उसी तत्परता से मन से जांच कराने की बात करके आदेश किये और कहा यह गया है कि वह कहीं अटकी पड़ी है और उसको प्रोपर तरीके से एक्शन नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं फाइल मंगवाऊंगा निश्चित रूप से।

श्री दिगम्बर सिंह।

(समय : 13.00 बजे)

सुजान गंगा नहर (भरतपुर) की दुर्दशा

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, भरतपुर स्थित ऐतिहासिक किला लोहागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक किले के चारों तरफ एक बहुत सुंदर केनाल सुजान गंगा के नाम से स्थित है। यह सुजान गंगा सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थी। किले में घुसने के केवल दो गेट हैं। चारों तरफ एक पक्की केनाल सुजान गंगा के नाम से थी और इसमें बहुत ही स्वच्छ पानी रहा करता था परन्तु, अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि अजान बाँध से जो इन-लेट था जहां से साफ पानी उस सुजान गंगा में आता था वहां से पानी आना बंद हो गया। इस पानी का जो आउट-लेट था गिर्राज केनाल के थ्रु, चिकसाना बाँध की तरफ जो निकलता था वहां से उसका आउट-लेट बंद हो गया। फ्रेश पानी आता नहीं है और पानी निकलता नहीं है। और बिलकुल दुर्गंध भरा हुआ कीचड़ और सड़ा हुआ पानी आज इस सुजान गंगा में जो भरतपुर शहर के बीचों बीच है, भरा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यू डी एच मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भरतपुर के लिये बहुत ही संवेदनशील विषय है। एक बार आप इसकी व्यवस्था स्वयं जाकर देखेंगे तो आप कहेंगे कि भरतपुर के लोग कैसे रह रहे हैं। पूरी नगरपालिका के गटर सुजान गंगा में डाल दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसमें अजान बांध से फ्रेश पानी भरने का फिर से कोई

(डा. दिगम्बर सिंह)

प्रावधान किया जाये और आउट-लेट का रास्ता भी किया जाये और एक बार इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाये तो भरतपुर में बहुत अच्छा यह ट्युरिस्ट पाइंट हो सकता है।

हमारी ट्युरिज्म मिनिस्टर सामने बैठी हैं, आपने तो सुजान गंगा और किले को बहुत अच्छी तरह से देखा है, हमने भी आपको अन्दर घूमते हुए उस समय देखा था परन्तु उस समय और आज की सुजान गंगा में जमीन आसमान का अंतर है। अध्यक्ष महोदय, जितनी बीमारी फैलने का खतरा सुजान गंगा से हो रहा है, जितने मच्छर पैदा आज सुजान गंगा के अन्दर हो रहे हैं, सुजान गंगा आज सुजान गंगा नहीं बल्कि भरतपुर में एक सुसाइड पाइंट के नाम से मशहूर हो गई है। रोजाना कोई न कोई जिसको सुसाइड करना होता है, एक बार अगर कोई गलती से भी उसमें गिर गया तो वापस जिंदा निकल नहीं सकता। इतनी भयंकर गंदगी उसमें हो रखी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सुजान गंगा के लिये जो भरतपुर के लिये किसी समय जीवनदायनी थी, आप निश्चित रूप से एक बार स्वयं उसका अवलोकन करें और उसमें यथा सम्भव जो व्यवस्था हो सकती है, उसमें फ्रेश पानी अजान बांध से लाने का और गिर्राज केनाल से उसका आउट लेट वापस बनाने का जिससे कि भरतपुर की जनता को बीमारियों से बचाया जा सके और वहां एक बहुत अच्छा ट्युरिस्ट और पिकनिक पाइंट डवलप किया जा सकता है। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री कालीचरण सराफ, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री शंकर सिंह रावत, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री अभिषेक मटोरिया, श्री कानसिंह कोटडी, डा. फूलचन्द भिण्डा, डा. गोपाल जोशी, श्री पाना चन्द, श्रीमती कमसा मेघवाल, श्री सन्तोष कुमार सहारण, श्री जगसीराम कोली।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कालीचरण सराफ।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग में वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की पिछले 30-35 वर्षों से पदोन्नति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जल संसाधन विभाग में वर्तमान में कुल 1,600 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं। इनमें से 1,xxx से अधिक कनिष्ठ अभियन्ताओं की पिछले 30-35 साल से पदोन्नति नहीं हुई है। ये कनिष्ठ अभियन्ता इतने सालों से एक ही पद पर कार्यरत हैं। इन्हें एक भी प्रमोशन प्राप्त नहीं हुआ है और कई कनिष्ठ अभियन्ता तो ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर हुई थी और सेवानिवृत्ति भी उनकी इसी पद पर हो गई ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में पिछले दो वर्ष पूर्व 621 कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति दी गई थी। आर एस ई बी विभाग में लगभग सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 12 वर्ष की अवधि के पश्चात ही लगभग सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। नगर निगम, जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में डिप्लोमा होल्डर कनिष्ठ अभियन्ता भी लगभग 20 वर्षों में ही अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में 15 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात ही लगभग सभी कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं।

जल संसाधन (सिंचाई) विभाग में पिछले 30-35 वर्षों से एक ही पद पर होने के कारण और प्रमोशन न मिलने के कारण कनिष्ठ अभियन्ता कुंठा के शिकार हैं एवं कई लोग इसी पद पर रिटायर भी हो गये हैं। पिछले 35 वर्षों से इस विभाग में पदोन्नति न होना कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ अन्याय है।

अत: मैं विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि शीघ्रताशीघ्र

(श्री कालीचरण सराफ)

जल संसाधन विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कर इस विसंगति को दूर करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

गाड़ोलिया लुहारों को रियायती दर पर मकान दिया जाना

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार की जानकारी में निम्न बिन्दु लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पाली शहर एवं रोहट तहसील में सैंकडों गाड़ोलिया लुहार परिवार है। चूंकि पहले यह घुमन्तू जाति थी, इस कारण राज्य सरकार ने इनके स्थायी आवास हेतु नि:शुल्क भू-खण्ड एवं मकान निर्माण हेतु 35 हजार की राशि अनुदान के रूप में देने का प्रावधान कर रखा है लेकिन सरकार की इस योजना से बहुत कम परिवार ही लाभान्वित हुए हैं। पाली शहर एवं रोहट तहसील में अभी भी सैकडों गाडोलिया लुहार परिवार है जिन्होंने सरकारी भूमि पर तंबू या कच्चा पडवा बना कर अपने एवं अपने परिवार हेतु सिर ढकने लायक व्यवस्था कर रखी है। इनके पास राशन कार्ड हैं, क्षेत्र की वोटर लिस्ट में उनका नाम है फिर भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इन्हें नि:शुल्क भू-खण्ड नहीं दिया गया है। भू-खण्ड नहीं होने पर समाज कल्याण विभाग द्वारा इन्हें भवन निर्माण हेतु अनुदान भी नहीं दिया जा सकता।

इसी प्रकार रोजगार की तलाश में वर्षों पूर्व पाली आये अनेकों अत्यन्त गरीब परिवार सिर छुपाने हेतु जहां भी खाली जमीन दिखी, तंबू या बांस पर मोटे प्लास्टिक की छत डाल किसी प्रकार जीवन बसर कर रहे हैं। इनमें से अनेक परिवार बांडी नदी के अन्दर, रामलीला मैदान एवं अन्य सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये भू खण्ड खरीद कर कच्चा-पक्का मकान बना सकें। इनमें से अधिकांश बावरी, जोगी, ओड, साटिया, घुमंतू बंजारा, आदि जाति के परिवार हैं। इनके राशन कार्ड भी बने हुए हैं एवं मतदाता सूची में इनका नाम भी है। परिवार का पेट पालने हेतु अधिकांश समय मजदूरी के लिये घर से बाहर रहने के कारण अत्यन्त गरीब होने के बावजूद भी इनका नाम बी पी एल सूची में नहीं आ सका।

राज्य सरकार ने 1.75 लाख गरीब परिवारों को घर मुहैया कराने की घोषणा कर रखी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पाली शहर एवं रोहट

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

तहसील के गांवों में निवास कर रहे वे गाड़ोलिया लुहार जिन्हें पूर्व में नि:शुल्क भू-खण्ड एवं भवन निर्माण अनुदान नहीं मिला, उन सभी परिवारों को नि:शुल्क भू-खण्ड एवं भवन निर्माण अनुदान दिलाने का श्रम करें। साथ ही बांडी नदी के अन्दर रामलीला मैदान एवं अन्य सरकारी भूमि पर निवास करने वाले परिवारों को भी बी पी एल परिवारों को रियायती दर पर दिये जाने वाले मकानों की भांति मकान दिये जाय।

साथ ही वे बी पी एल परिवार जो केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि से शहीद भगत सिंह आवासीय योजना में रियायती दर से मकान पाने से वंचित रह गये, उन सभी परिवारों को मकान देने का राज्य सरकार से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के भैरवा भाकर नाले में सीवरेज के पानी के कारण जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के भैरवा भाकर नाले की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

सूरसागर क्षेत्र में भैरवा भाकर से जुड़ी एक नहर थी जो कि बरसाती पानी को जवाई नहर तक पहुंचाती थी, फिर नगर निगम ने इसमें सीवरेज जोड़ दिये। अब यह दोनों कार्य करती है। अब इसमें जोधपुर के भू-जल रिसाव की समस्या के निदान के रूप में परम्परागत जल स्त्रोतों से निकला पानी भी बहाया जा रहा है जो कि हजारों गैलन प्रति दिन है। मतलब पूरे नाले में हजारों गैलन पानी प्रति दिन बह रहा है।

इस नाले के सीवरेज के पानी को नगर निगम, जोधपुर द्वारा ठेके पर बेचा जा रहा है और इस पानी को खरीद कर सब्जियां उगाई जा रही हैं। ऐसे में सीवरेज के पानी से उगी सब्जियों से जोधपुर के लाखों लोग संक्रमित बीमारियों और कई तो नियमित सेवन के कारण गम्भीर बीमारियों से बीमार हो रहे हैं। नगर निगम जोधपुर ने ठेका कर सीवरेज पानी ही नहीं बेचा बल्कि

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुरवासियों को बीमारियां बेची हैं। इसकी जांच करावें, कि इस ठेके को देने की क्या शर्तें थी एवं इसके लिए कौन-कौन दोषी थे तथा तुरन्त गंदी सब्जियां उगाना बंद कराया जाये।

नगर निगम जोधपुर के पास सीवरेज जल शुद्धिकरण के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। सीवरेज के गंदे पानी को साफ करने के लिए पर्याप्त ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और जो छोटा प्लांट है वह काम नहीं करता है। कम से कम तीन बड़े आधुनिकतम ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाय। जोधपुर के पूरे सीवरेज जल को पूर्णतया शोधित कर नगरीय वनीकरण के लिए काम में लिया जावे और यह सुनिश्चित किया जावें कि इसे सब्जियां अथवा खाद्य पदार्थ उगाने के काम में नहीं लिया जायेगा। इस गंदे नाले का पानी पिछले 15 महीनों से लीकेज होकर उम्मेद सागर में मिल कर पेयजल को दूषित कर रहा है। इस लीकेज को रोकने के लिए ठोस एवं त्वरित कार्यवाही की जावे।

इतना बड़ा नाला और इसका कोई आउट-लेट प्लान नहीं है। नगर निगम जोधपुर द्वारा 13 करोड़ का एक प्लान स्वीकृति हेतु भेजा गया है। मेरी मांग है कि इस प्लान को तुरन्त स्वीकृत कर कार्य आरम्भ करवाया जाए। इसके अभाव में बहुमूल्य कृषि भूमि क्षारित होने से बंजर हो रही है।

इस नाले का आरम्भिक बिन्दु कबीर नगर से होता है। यह जे डी ए के योजना क्षेत्र की कालोनी है परन्तु इस कालोनी में नाला क्षेत्र के बीच अतिक्रमण कर एक अवैध कालोनी बसा दी गई है। इस कारण नाले का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। बरसात के दिनों में अतिक्रमण के कारण पूरा पानी बहुत तेज बहाव से योजना क्षेत्र की कबीर नगर बस्ती में घुस जाता है और लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रवासियों ने अनेकानेक बार प्रशासन को लिखा है परन्तु अतिक्रमियों की मिलीभगत के चलते ऐसे जन-धन हानि के कारण बन रहे अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। इस अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जाये। पूरे भैरवा भाकर नाले को पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त किया जावे।

रियासत काल में बने इस नहर नाले की दीवारें बहुत जर्जर हाल होकर कई जगहों से तो पूरी तरह टूट गई हैं। ऐसे में आए दिन इसमें आम जनों और पशुओं के गिरने, दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं घटित होती हैं। इन दीवारों को पूरी तरह मरम्मत करने के लिए अविलम्ब स्वीकृति प्रदान कर कार्य आरम्भ करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर, मेरा 295...

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये, मैंने अभिषेक मटोरिया का नाम लिया है।

आर.पी.एस.सी. शिक्षक भर्ती से वंचित छात्रों को शामिल किया जाना

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन नौजवान छात्रों के भविष्य की ओर दिलाना चाहूंगा जिनके हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सत्र 2008-09 में बी एड परीक्षा देने वाले करीब 50 हजार विद्यार्थियों को सरकार और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ये वे छात्र हैं जिन्हें देर तक चली प्रवेश प्रकिया के कारण अब परिणाम के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ रहा है। कई विद्यार्थी तो चयनित होने के बावजूद एम एड में दाखिले से भी वंचित हो गए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में करीब 85 हजार विद्यार्थियों ने पिछले सत्र की बी एड परीक्षा दी है लेकिन अभी उनका परिणाम घोषित नहीं हो सका, जिसका मुख्य कारण परीक्षाएं देरी से होना है। पी टी ई टी प्रवेश प्रक्रिया इस वर्ष फरवरी माह तक चलने के कारण कोर्स का समय भी पूरा नहीं हो पाया, साथ ही 180 वर्किंग डे होने की बाध्यता के चलते पूरा सत्र लेट हो गया।

अध्यक्ष महोदय, इसी दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2008 चयनित शिक्षकों को एक कड़े नियम की वजह से अपात्र करार दिया जा रहा है। आर पी एस सी ने 9 भर्ती विज्ञापन जारी किये जिनमें पात्रता की शर्त लिखित परीक्षा से पूर्व रखी थी। उसी समय राज्य में जो 85,000 छात्र बी एड कर रहे थे उन्हें भी शिक्षा भर्ती फार्म भरने का मौका दिया गया क्योंकि तब उन्हें बी एड डिग्री आर पी एस सी की लिखित परीक्षा से पूर्व मिलने के आसार थे। इसी सम्बन्ध में बीकानेर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर परीक्षाएं समय पर कराने का आग्रह किया था ताकि शिक्षक बनने का सपना संजोए ये छात्र अपनी नौकरी खो न दें। मगर राज्य सरकार के अनुमति नहीं देने की वजह से बी एड का सत्र एक साल तक चला

(श्री अभिषेक मटोरिया)

और इसी दौरान आर पी एस सी का परिणाम घोषित हो गया। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उन 150 होनहार छात्रों को बैक डेट में डिग्री लाने को कह रहा है जबकि अभी तक पात्रता जांच का काम चल रहा है। जहां एक ओर सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है वहीं इन प्रशिक्षित शिक्षकों को आर पी एस सी नियमों का हवाला देकर बाहर कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य राज्यों में जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा में बी एड की अंकतालिका काउंसलिंग के समय मांगी जाती है तो राज्य सरकार ऐसा उदाहरण हमारे यहां भी पेश करें तथा आर पी एस सी को निर्देशित करते हुए भर्ती में पात्रता जांच की समय सीमा बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला इन बेरोजगार छात्रों के भविष्य को संवारने में ले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कानसिंह कोटड़ी।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का डामरीकरण

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मैं राजस्थान सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कई दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल हैं। वहां पर दूरदराज के लोग धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए आते हैं एवं दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है परन्तु धार्मिक स्थलों पर जाने हेतु डामर सड़कों की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने से दर्शनार्थियों को काफी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के लोगों की एवं दर्शनार्थियों की मांग को देखते हुए धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों को डामर सड़क से जोड़ा जाना नितान्त आवश्यक है ताकि दर्शनार्थियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए:-

1. मियों का वाड़ा से मठ खरंटिया	3 किमी
2. मांगी से खण्डेरी माता मंदिर	1 किमी
3. देवन्दी से भीड़ भंजन महादेव मंदिर	1 किमी

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

4. फूलण से झरिया महादेव मंदिर	2 किमी
5. इन्द्राणा से पीपलिया महादेव मंदिर	5 किमी
6. जुना मोतीसरा से पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर	4 किमी
7. मांगी से सुकलेश्वर महादेव मंदिर	3.5 किमी
8. गुडानाल से थान माता हिंगलाज मंदिर	5 किमी
9. तेलवाड़ा से गोगा जी का मंदिर	3 किमी

सड़कों को डामरीकृत करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दर्शनार्थियों एवं जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

राज्य की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा अनुदान जारी रखा जाना

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम संख्या 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर 730, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर 289, संस्कृत शिक्षा में 50, महाविद्यालय स्तर पर 72 तथा बी एड एवं कृषि महाविद्यालय स्तर पर 3-3 संस्थान संचालित हैं। राजस्थान में अनुदानित शिक्षण संस्थाएं ज्यादातर सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही हैं तथा अच्छी शिक्षा दे रही हैं। सरकारी संस्थाओं की तुलना में इन संस्थाओं की कार्यकुशलता सकारात्मक एवं गुणात्मक रूप से श्रेष्ठतर है। फिर भी कुछ शिक्षा माफिया तथा शिक्षा के क्षेत्र में बढ रही व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संस्थाओं के दबाव एवं उच्च वर्ग से आये नौकरशाहों की अपने पीढ़ी का वर्चस्व बनाने के चाल के कारण सरकार अनुदानित संस्थाओं की व्यवस्था को समाप्त करने पर आमादा है। सीकर, झुंझुनूं जिले का उदाहरण हमारे सामने है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के आधार पर शिक्षण संस्थाओं का औसत तथा शिक्षा की मात्रा प्रदेश में सर्वोच्च है।

सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के करोड़ों रुपये तथा एक रुपये की राशि पर अरबों रुपये की भूमि भी इन अनुदानित संस्थाओं के पास है फिर सरकार ऐसा निर्णय क्यों लेने जा रही है? सरकार को पुनर्विचार करना

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

चाहिए तथा प्रत्येक शिक्षक, छात्र को आधार मान तुलना कर नुकसान के आधार पर निर्णय करना चाहिए। सरकार इन संस्थाओं की जमीन की कीमत के ब्याज से भी कम अनुदान से इन संस्थाओं को श्रेष्ठ तरीके से संचालित कर सकती है।

समाज हित एवं राज्य हित की अनदेखी के बावजूद भी यदि सरकार प्रतिगामी निर्णय पर आमादा हो तो कार्यरत कर्मियों के अधिकारों की रक्षा हेतु पेंशन, सेवा शर्तों, पी एफ, ग्रेच्युटी, वरिष्ठता आदि की सर्वमान्य नीति सम्बन्धित पक्षकारों से मिलकर बनानी चाहिए तथा शहरों के मुख्य स्थानों पर स्थित भूमि भवनों का अधिग्रहण करने का भी निर्णय करना चाहिए।

अच्छा तो यह होगा कि निर्णय पर पुनर्विचार कर कार्यरत शिक्षण कर्मियों को उनकी समाज हित की सेवाएं, प्रति छात्र शिक्षक अनुपात एवं व्यय को ध्यान में रखकर अनुदान जारी करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. गोपाल जोशी। डा. गोपाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री पानाचन्द। श्री पानाचन्द।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमसा मेघवाल।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का सुदृढ़ीकरण

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बहुत दयनीय स्थिति में है। भोपालगढ़ ग्राम से गोटन रोड वाया रजलानी, नाड़सर होते हुए गोटन रेलवे स्टेशन तक यात्री सफर करते हैं। यह सड़क बहुत ही खराब व टूट-फूट चुकी है। यह रास्ता मात्र 25 किलोमीटर का है। इस सफर में एक घण्टे से ज्यादा का समय लग जाता है। इस सड़क की मरम्मत काफी वर्षों से नहीं हुई है तथा यह पूर्ण रूप से टूट चुकी है। इसे नई सड़क बनाई जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकतर सड़कें टूटी-फूटी हैं जिनकी मरम्मत करवाई जाय। अभी बनाड़ से कुचेरा वाया आसोप तक डामर सड़क

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

को चौड़ा किया जा रहा है जिसमें निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री उपयोग में ली जा रही है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। पुरानी डामर सड़क को तोड़कर नई डामर सड़क बनाई जा रही है, पूरी सड़क को तोड़ा नहीं जा रहा है। जे सी बी से मात्र थोड़ा सी तोड़-फोड़ कर डामर बिछाया जा रहा है, जो गलत है। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की नीयत से कार्य की देखरेख सही नहीं हो रही है और ना ही सही माल लगाया जा रहा है।

आपसे निवेदन है कि इस कार्य की जांच करवाकर सही सामग्री का उपयोग कर मापदण्ड के अनुसार कार्य करवाया जावे जिससे सरकार का पैसा सही कार्यों पर लग सके और कार्य भी सही किया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संतोष कुमार सहारण। श्री संतोष कुमार सहारण।

(अनुपस्थित)

श्री जगसीराम कोली।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मजरों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर में ग्राम पंचायत जीरावल के अधीन मजरा देवका आया हुआ है। पिछले 25 वर्षों से इसे राजस्व ग्राम घोषित करवाने हेतु प्रयास हो रहे हैं तथा वर्तमान में आबादी भी करीब 350 के करीब है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 250 की आबादी वाले मजरों को राजस्व ग्राम घोषित हो जाना चाहिए था मगर राज्य सरकार ने इस ढाणी की जानकारी आज तक नहीं ली। राजस्व विभाग द्वारा आज दिन तक किसी प्रकार का सर्वे नहीं करवाया गया तथा न ही आज दिन तक इस ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु प्रस्ताव बनाया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस ढाणी के निवासियों के मतदाता परिचय पत्र भी दूसरे गांव में सम्मिलित हैं तथा जोब कॉर्ड भी दूसरे गांव में लिखे गये हैं। ऐसा क्यों?

यही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में ग्राम पंचायत धवली के अधीन मजरा क्यारिया में भी वर्तमान मापदण्डों के अनुसार आबादी करीब 300 से ऊपर है मगर आज तक राजस्व विभाग सो रहा है। उसे प्रस्ताव बनाने की फुर्सत नहीं मिल रही है।

(श्री जगसीराम)

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सम्बन्धित विभाग ने आज दिन तक इन मजरों के प्रस्ताव क्यों नहीं बनाये, इसकी जांच करा कर दोषी अधिकारियों को सज़ा दें तथा मैं मांग करता हूं कि इसी सत्र में इन ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करवाने के आदेश करावें ताकि इन गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति के भाइयों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। धन्यवाद।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): 2011 तक नहीं होगा।

श्री जगसीराम (रेवदर): नहीं होगा, फिर उसके बाद?

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): हम देखेंगे। (व्यवधान)

श्री जगसीराम (रेवदर): तो ढाणियों के लिये क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, केवल पढ़ा जाता है।

श्री जगसीराम (रेवदर): साहब, ये जवाब दे रहे हैं ना, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है, कृपया विराजें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना था। आसन पैरों पर है, कैसे बोलूं?

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 157 में प्रिविलेज मोशन मूव किया था, नोटिस दिया था। अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। टेबल वास्तव में किया नहीं है, यह आपका खुद का रिकार्ड बता रहा हूं। इसलिये उस पर कोई व्यवस्था दी जाए।

श्री अध्यक्ष: आपने जो प्रकरण दिया है, वह विचाराधीन है। उस पर व्यवस्था दी जाएगी।

आज दिनांक 25 मार्च, 2010 को शून्य काल में बोलने हेतु 16 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई हैं, जो निम्नलिखित हैं :

1. श्रीमती संजना आगरी, बस दुर्घटना में रायपुर माली समाज के मृतकों के आश्रितों व घायलों को मुआवजा बढ़ाने के सम्बन्ध में।
2. श्री ओम बिड़ला, कोटा सम्भाग में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री शाले मोहम्मद, जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र नाचना में ओपन नीलामी भूमि को डिनोटिफाई गजट करके सामान्य आबंटन करने एवं क़दीमी कब्जेदार भूमिहीन किसानों को सामान्य आबंटन करने के सम्बन्ध में।
4. श्री रामनारायण मीणा, ग्राम सेवा सहकारी समिति के उचित गठन तथा व्याप्त अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

श्रीमती संजना आगरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रायपुर (पाली) बस दुर्घटना के मृतकों के आश्रितों व घायलों को देय मुआवजा राशि में वृद्धि

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के माली समाज के यात्रियों की बस दिनांक 09.02.2010 को सोजत से हरिद्वार कुम्भ मेले के लिये रवाना हुई थी। उसके रवाना होने के एक घण्टे पश्चात रायपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यात्रियों से भरी हुई बस पलट गई। दुर्घटना में 48 यात्री घायल हुए। घायल मरीजों में 38 महिलाएं, 3 लड़कियां, 5 पुरुष व 2 लड़के थे। माननीय अध्यक्षजी, उसके अन्दर घीसी देवी पत्नी पोखारामजी, सुकनी देवी पत्नी दीपारामजी की मृत्यु आन स्पाट हो गई थी। घायलों को 2-2 हजार रुपये मुआवजा मिला और मृतकों के आश्रितों को 20-20 हजार रुपये की सहायता मिली।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो घायल व्यक्ति हैं, उनको 2-2 हजार रुपये मुआवजा मिला है। इस मुआवजे को आप बढ़ायें क्योंकि एक व्यक्ति जब घायल होता है और उसकी रीड़ की हड्डी टूट जाती है तो कम से कम 6 महीने उसके काम करने की हालत नहीं रहती है। अगर एक व्यक्ति जो कमाने वाला हो, इस पोजीशन में हो जाता है तो उसके परिवार का पालन-पोषण कौन करेगा? इसलिये मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से निवेदन है कि आप घायलों को और मृतकों को जो 20-20 हजार रुपये का अनुदान दे रहे हैं, इसको आप बढ़ाकर उनको अधिक राशि प्रदान करावें।

मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय ने

(श्रीमती संजना आगरी)

दिनांक 15 मार्च, 2010 को प्रात: जिला सवाई माधोपुर इलाके में बस के नदी में गिर जाने से 26 व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देते समय दुर्घटना में मृतकों को 50-50 हजार रुपये दिये जाने की घोषणा सदन में की थी। ऐसी ही घटना में दिनांक 08/09/2007 को रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं को ले जा रहे ट्रक के सौ फीट की खाई में गिरने से मारे गये 113 लोगों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई।

माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाल ही में रायपुर में बस दुर्घटना में घायलों को 2-2 हजार व मृतकों को 20-20 हजार रुपया मुआवजा दिया गया। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप पूरे राजस्थान के मंत्री हैं, पूरा राजस्थान आपका है। तो दुर्घटना के अन्दर आप जो भी सहायता राशि देते हैं, पूरे राजस्थान के अन्दर, जैसे बस दुर्घटना हुई है, वह चाहे घायल हुए हैं चाहे वह मरे हैं, एक समान, बिना भेद-भाव के, सभी घायलों को आपको मुआवजा देना है तो एक दें और मृतकों को अगर आपको सहायता राशि देनी है तो आप बिना भेदभाव के एक ही नियम और प्रक्रिया के तहत उन्हें मुआवजा दें। मेरे क्षेत्र के अन्दर हाल ही में यह जो दुर्घटना हुई है 9.2.2010 को, इसके अन्दर आपने घायलों को 20-20 हजार रुपये मुआवजा दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप भाषण दे रही हैं। आप विराजिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आपने यह कौनसी भेदभाव की नीति को अपनाया है? आपसे मेरा यह निवेदन है कि यह जो मृतक हैं उनको तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करके ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): 20 हजार से उनका मुआवजा बढ़ा कर इनको पचास-पचास हजार रुपये दिया जाए और पचास हजार की जगह अगर आप दो-दो लाख रुपये देंगे तो आप जो सत्ता में बैठे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी क्योंकि एक गरीब आदमी जब मर जाता है तो उसके परिवार का भरण-पोषण करने वाला कोई नहीं होता है। यह माली समाज का मैटर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक मिनट बोलने दो न।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 फरवरी को चौमूं विधान सभा क्षेत्र में भी 9 लोगों की मृत्यु हो गयी। वहां पर भी 20-20 हजार रुपये दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका विषय ही नहीं है।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): मैं इसमें निवेदन कर रहा हूं, दोनों जगह कम से कम पांच लाख रुपये की सहायता राशि दिलवाने की मांग करता हूं। कृपया इस पर ध्यान दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। श्री ओम बिरला।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा मैटर है प्लीज। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा मैटर इसमें नहीं आता है। माननीय सदस्या, दूसरा मैटर नहीं आता है इसमें। दूसरा नहीं आता है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इसी में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ है। एक ही है वह। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15.9.2008 को करीब 8.15 पर ग्राम छितरिया में बिजली गिरने से कृषक की पत्नी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, यह अलग प्रश्न है। इसमें नहीं आयेगा यह।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): यही चीज है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मैटर है।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री ओम बिरला। बिजली का सम्बन्ध नहीं है इसका, आपका बस दुर्घटना के सम्बन्ध में रखा है यह।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। यह अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री ओम बिरला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): xxx

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आप विराजें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री ओम बिरला।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री ओम बिरला।

कोटा सम्भाग में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किया जाना

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में लिखा है कि न्याय प्राप्त करने वाले को सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद देश के अन्दर विकेन्द्रीकरण हुआ है लेकिन कोटा जो हाड़ौती का प्रमुख केन्द्र है, उस कोटा के अन्दर कोटा सियासत के तत्कालीन महात्मा कास ने 7.12.1938 को हाई कोर्ट की स्थापना की थी। उसके बाद जब रियासतों का विलय हुआ, वहां हाई कोर्ट समाप्त कर दी गयी और प्रदेश के अन्दर, जोधपुर के अन्दर 1949 के अन्दर उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ खोली गयी और उसकी अतिरिक्त पीठ जयपुर के अन्दर खोली गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 19 साल बाद जयपुर को खण्ड पीठ का दर्जा दिया गया और उसके बाद 1977 से लेकर अभी तक राजस्थान के अन्दर उच्च न्यायालय की कोई खण्डपीठ नहीं खुली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती पूरे राजस्थान का एक प्रमुख केन्द्र है। इस राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अन्दर एक लाख 50 हजार मुकदमे लम्बित हैं उसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के 57 हजार, यानी 38 प्रतिशत मुकदमे इस सारे क्षेत्र के लम्बित हैं। अगर इसमें सवाई माधोपुर को शामिल कर लिया जाए तो 48 परसेंट मुकदमे इस कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर के लम्बित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा का, बारां का, शाहबाद का इलाका जहां सहरिया रहते हैं, मध्य प्रदेश से नजदीक का इलाका पड़ता है। इधर मोहन और थान का आदिवासी इलाका, वहां से लेकर जयपुर की दूरी चार सौ किलोमीटर है। उस गरीब सहरिया को न्याय प्राप्त करने के लिए, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र को न्याय प्राप्त करने के लिए 400 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर यह उच्च न्यायालय की खण्डपीठ खोलने का काम कौन

(श्री ओम बिरला)

करेगा? क्योंकि हमारे कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अभिभाषकों ने 130 दिन तक हड़ताल रखकर, हाड़ौती की तमाम जनता ने सरकार से मांग की। राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जो अभी यहां पर नहीं हैं, वे भी कोटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे भी आकर वकील मिले और उन्हें निवेदन किया, आग्रह किया, अपना पक्ष रखा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह स्थिति स्पष्ट करे कि उच्च न्यायालय की पीठ खोलने का काम कौन करेगा? क्योंकि हमारे अभिभाषक जब राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति से मिले तो उन्होंने कहा कि यह उच्च न्यायालय की खण्डपीठ खोलने का काम सरकार करेगी। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। राजस्थान सरकार ने अभी भी इस खण्डपीठ को खोलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। मध्य प्रदेश के अन्दर जो भौगोलिक दृष्टि से छोटा है, तीन-तीन उच्च न्यायालय की खण्डपीठ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सस्ता न्याय दिलाना चाहती है, सुलभ न्याय दिलाना चाहती है, एक तरफ ग्राम न्यायालय खोल रही है, दूसरी तरफ उनको न्याय प्राप्त करने के लिए जहां पर डेढ़-डेढ़ लाख मुकदमे हो, सरकार बताये, उन मुकदमों का कैसे जल्दी निस्तारण किया जाएगा?

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि यह उच्च न्यायालय की खण्डपीठ खोलने का काम सरकार करेगी या उच्च न्यायालय करेगा? यह स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, सरकार को सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्थान में इस हाड़ौती सम्भाग के अन्दर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ खोलने का प्रस्ताव भेजना चाहिए ताकि सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। यही मेरी आपसे मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका नाम बदलकर एस. मोहम्मद कर दिया जाए। एस. मोहम्मद।

श्री अध्यक्ष: आपको क्या पता?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वे विधि मंत्रीजी कई बार बोल लेते हैं, बार-बार ऐसे गड़बड़ हो जाती है। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): वह मैं अलग से बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। इनका नाम बदलने का अधिकार आपको नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सूचना निकाल दें, यह मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे।

नाचना उपनिवेशन क्षेत्र में स्थानीय भूमिहीन किसानों को भूमि आबंटन

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे नहरी क्षेत्र, उपनिवेशन क्षेत्र नाचना में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने खुली नीलामी भूमि की कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति आये, नो-आब्जेक्शन लेकर के, उसमें सद्भावी काश्तकार का भी कोई सर्टिफ़िकेट नहीं, कोई अन्य प्रावधान भी नहीं रखे गये। जो व्यक्ति आयें, वे खुली नीलामी से वह जमीन ले सकें।

मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि हमारे जैसलमेर जिले में 65 हजार आवेदन जो भूमिहीन लोग हैं, उन लोगों के आवेदन लिये गये थे। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में पिछले दिनों मुझे यह भी जवाब मिला था, मैं नाचना की बात करूं तो नाचना के अन्दर 14 हजार आवेदन अभी तक लम्बित पड़े हैं वहां पर। जो भूमिहीन लोग हैं, जिन्होंने आवेदन कर रखा है जिनको भूमि आबंटन होना बाकी है। सरकार ने मुझे यह उत्तर दिया है कि हमारे पास उन लोगों के लिये भूमि नहीं है। दूसरी तरफ जो 13 हजार हैक्टेयर कमांड और अन-कमांड भूमि है, उस भूमि को खुली नीलामी में रखा गया है, जबकि जो वहां के निवासी हैं, उन लोगों का पहला हक बनता है। जब वहां पर कुछ भी नहीं था, नहरें बाद में गयीं, सिंचित क्षेत्र बाद में हुआ; जब पीने का पानी नहीं था, उस समय वहां के लोगों ने वहां की परिस्थितियों को झेला था। आज जो भूमिहीन लोग हैं, उनके यदि आवेदन लम्बित पड़े रहें और राज्य सरकार उस भूमि को खुली नीलामी में जो बाहर का कोई व्यक्ति आये, उसे दे।

बिना किसी की मदद के जैसलमेर ने राज्य सरकार को अरबों रुपये दिये हैं। आज 10 जिलों के लोग वहां नहरी क्षेत्र में बसे हुए हैं, आज उनका पहला हक बनता है। जो भूमिहीन हैं, उनको पहले आबंटन होना चाहिये। उसके बावजूद भी जब आप मुझे ही यह उत्तर दे रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है और दूसरी तरफ खुली नीलामी रखते हैं तो वहां के लोगों के साथ यह बहुत

(श्री शाले मोहम्मद)

बड़ा अन्याय है। इस तरफ पहले भी इस प्रकार का नाचना में उपनिवेशन मामला आया था, उस समय भी उसने एक उग्र रूप धारण कर लिया था। वहां के लोगों ने पुरजोर शब्दों से इसका विरोध किया था। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि वापस वह स्थिति नहीं बन जाये कि वहां के लोगों को आन्दोलन करना पड़े और फिर स्थिति एकदम खराब हो जाये।

मेरा सबसे पहले निवेदन यह है कि जो खुली नीलामी की भूमि रखी है, उसको डि-नोटिफाइ करके वहां के जो भूमिहीन लोग हैं, उनको पहले सामान्य आबंटन किया जाये और सामान्य आबंटन करने के बाद में यदि कोई भूमि बचती है तो फिर उसको नीलामी भूमि के लिये आरक्षित किया जाये। अन्यथा वहां के लोगों का पहला हक बनता है इसलिये सबसे पहले वहां के लोगों को मौका देना चाहिये।

इसी अनुसार, वे लोग जिनकी 1976 में कदीमी जमीन है, वे लोग आज तक वहां बसे हुए हैं। उनके परिवार को एक बीघा भी जमीन आबंटन नहीं हुई है और बाहर के लोगों को जमीन आबंटन हुई है। तत्कालीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा कब्जा काश्त के आधार पर जो उस समय पट्टा जारी किया था, पर्चा लगान के रूप में वह पर्चा लगान भी उन लोगों के पास पड़े हैं। उन लोगों के बच्चों को, परिवारों को अभी तक कोई भूमि अलाट नहीं की है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो कदीमी कब्जेधारी लोग हैं, जो आज तक वहां बसे हुए हैं रेतीले धोरों में, जिन्होंने परिस्थितियां झेली हैं, उन लोगों का पहला हक बनता है। उसके अनुसार भूमि आबंटन सलाहकार समिति की राय से जो डी एल सी दर है, उस डी एल सी दर के हिसाब से चार या पांच या दस किश्तें करके उन लोगों को भी भूमि आबंटित की जाये, क्योंकि बार बार कभी 90 बी बनती है, कभी उन लोगों को हटाने की कार्यवाही की जाती है। तो यह उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि आज वर्षों से उनकी वहां पीढ़ियां गुजर गयीं, यदि उन कदीमी कब्जाधारियों को जमीन नहीं मिलती है तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो लोग कदीमी काश्तकार हैं, उन लोगों को भी आबंटन करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हमारे जैसलमेर में कुछ जगह पर अभी सरकार ने पोंग बांध विस्थापितों के लिये भूमि आरक्षित की

(श्री शाले मोहम्मद)

है। वहां भी बारानी भूमि के लिये राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है कि कोई बारानी भूमि अलाटमेंट नहीं होगी। जो हमारी नाचना की ग्राम पंचायत है, उसमें पोंग बांध विस्थापितों के लिये भूमि आरक्षित की जा रही है। उसके लिये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर जमीन ज्यादा हो, उस जगह आप बांध के विस्थापितों को अलाटमेंट करें, आरक्षित करें। जैसलमेर का बहुत बड़ा इलाका पड़ा है, जो बारानी भूमि है, कम से कम उनके लिये पोंग दर से नहीं किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उसके ऊपर आप देखिये, जिनको भूमि नीलामी से दी गयी थी, वह सारे बेच-बेचकर जा रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, जिनके आवेदन हैं, उनको कम से कम अगर सरकार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य। श्री रामनारायण मीणा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आबंटन से दे, उन्हीं को आप नीलामी के माध्यम से किश्तें बढ़ाकर आबंटन कर दें तो इन सबका समाधान हो जायेगा और स्थानीयवासियों को जमीन आवंटित हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजिये। श्री रामनारायण मीणा।

ग्राम सेवा सहकारी समिति का उचित गठन एवं व्याप्त अनियमितता व भ्रष्टाचार

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि सहकारिता के मामले में काफी बातें होती हैं, वैद्यनाथन कमेटी का कहते कहते बहुत मंत्री निकल गये, मैं, मंत्रीजी, आपके माध्यम से मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 96/89 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्रिमण्डल ने स्पष्ट लिखा है कि सहकारी क्षेत्र में ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाये। आपको ध्यान होगा शायद और प्रत्येक पंचायत में एक ही आदेश है 96/89 का, राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है, मैं आप कहें तो पूरा पढ़कर सुना दूं मंत्रिमण्डल का निर्णय, मुख्य मंत्री महोदय की अनुमति से औपचारिक रूप से डिस्कशन किया गया कि ब्लाक किये गये ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाय और यह भी निर्णय लिया गया कि एक पंचायत में एक सहकारी समिति स्थापित की जाये।

(श्री रामनारायण मीणा)

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, 20 साल निकल चुके हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता कि अधिकारी आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, मेरा निवेदन साफ है, कांग्रेस पार्टी का मेनिफेस्टो साफ है, नेहरू जी की भावना साफ है। सहकारिता को हमने बढ़ावा दिया। वैद्यनाथन कमेटी की हम बार-बार बात करते हैं, जनता को बताते हैं ताकि सहकारी समितियों की माली हालत बहुत अच्छी हो। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, आदेश निकला राजस्थान सरकार का कि यदि किसी पंचायत में, दो पंचायतों में एक सहकारी समिति...मंत्रीजी, हालांकि आप क्षेत्रों में जाते हैं, पता नहीं चलता, बिना प्रोग्राम के ही जा आते हो। आपकी लाल किताब क्या कहती है, मुझे पता नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो इधर देखें। आपको तो जो पता हो, वह कहिये। छोड़िये, आप विषय पर आइये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इनको कांग्रेस याद आती है, मैं क्या करूं? साफ लिखा है पंचायत के सदस्यों को राशन सामग्री, ऋण वितरण, वसूली, सहकारिता से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध सप्ताह में दिन निश्चित करके करें। यह बात अलग है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि किस अधिकारी ने कब क्या मुख्य मंत्रीजी जैसे सीधे, सच्चे, ईमानदार आदमी को कोई तो स्टेज पर बताता है, कोई कहता है कि हम सात दिन में राशन सामग्री बांटेंगे, कोई कहता है कि हम तो दस दिन ही इसेंशल कमोडिटीज बांटेंगे। वैसे आप किस आदेश को मानोगे, सहकारिता मंत्रीजी? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है को-आपरेटिव सोसायटीज को, राशन सामग्री डीलर्स को और उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने आर्डर निकाला है- ''In view of the above-mentioned clear cut directions from the Supreme Court of India in Civil Writ Petition No. 916 People's Union of Civil Liberties vs Union of India & others, Supreme Court has directed ….''

इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है, यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि सहकारी समिति की ऋण वितरण व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है। उसी एम डी को उसी बैंक में दुबारा भेजा जाता है जो अच्छा बैंक होता है ताकि करप्शन के चार्जेज में वह कुछ कर नहीं पावे। डेढ़ हजार शिकायतें आपके यहां करप्शन की पड़ी हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिये जो कुछ हो रहा है उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता, अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान सरकार भी, 20 साल तक किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, 20 साल तक अपने आदेश की

(श्री रामनारायण मीणा)

पालना नहीं करवा पाई। प्रत्येक पंचायत समिति में सहकारी समिति हो, करप्शन चार्जेज को ठीक नहीं कर पाये, करप्ट आफिसर्स को अच्छी पोस्टिंग दी जाये तो सहकारी समितियां कैसे बच पायेंगी? को-आपरेटिव शुगर मिल खतम हो गयी, बहुत से खतम हो गये। मंत्रीजी, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां भी आपके बीच में हैं, कोटा का जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ प्रोफिट में चल रहा है, जो एम.डी. उसको प्रोफिट में लेकर आया, उसका आपने ट्रांसफर बीकानेर कर दिया। घाटे में जाता जा रहा है, किसान को नुकसान होता जा रहा है। इसलिये थोड़ी मजबूती दिखाकर आप कुछ करेंगे तो मेरा ख्याल है सबको फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन साफ है, किसान ट्रैक्टर जब को-आपरेटिव से लेता है तो डीलर के पास उसको जाना पड़ता है। कामर्शियल बैंक में यदि जयपुर का लेना देता है तो आप गंगानगर से ट्रैक्टर का कोटेशन ला सकते हैं। लेकिन को-आपरेटिव इंस्टिट्युशंस में यह स्थिति है, को-आपरेटिव बैंक में लोकल स्तर पर ट्रैक्टर खरीदो। आपने डायरेक्शन दिया, मंत्रीजी, मैं धन्यवाद देता हूं, भूमि विकास बैंक में आप किसानों के खाते में पैसा जमा करने लगे लेकिन जो को-आपरेटिव बैंक्स हैं उनमें यह स्थिति नहीं है, सोसायटी के थ्रू जो लोन होता है उसमें यह स्थिति नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड की आपके पास कोई फाइल नहीं है। आपके लोन लेने की उस किसान की फाइल रजिस्टर नहीं होती है। उसको कहा जाता है 15 दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ। उसकी चप्पलें घिस जाती हैं। करप्शन को जन्म मिलता है, चाय-पानी को जन्म मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही बात अर्ज करना चाहूंगा कि हर पंचायत में को-आपरेटिव इंस्टिट्युशन मंत्रिमण्डल के आदेश के मुताबिक आप कब तक गठित कर दोगे ताकि सहकारिता को बढ़ावा मिले? वैद्यनाथन कमेटी की आप बात करते हो, को-आपरेटिव इंस्टिट्युशंस मजबूत कैसे हों, इसके बारे में आप कब तक क्या करेंगे? जिस प्रकार से यह दुग्ध उत्पादक संघों से ईमानदार लोगों को अलग किया जा रहा है, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों से अलग किया जा रहा है, करप्शन चार्जेज की आप जांच नहीं करवा पा रहे हैं। या तो जो ईमानदार आदमियों की जो फौज है उनसे हम काम नहीं लेना चाहते।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मैं लम्बा नहीं कहता हुआ इन दोनों बातों के अलावा, ट्रैक्टर लोन जो लिया जा रहा है किसान के द्वारा, इसमें

(श्री रामनारायण मीणा)

पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता लाकर इन सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कब तक कैसे करेंगे? यह सरकार कैसे कर पायेगी?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री अमराराम।

आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड, रींगस मिल में श्रमिकों का शोषण

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड, रींगस मिल के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों का गैर कानूनी तरीके से किये जा रहे शोषण की ओर लेबर मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करता हूं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा माननीय विधायक श्री अमराराम, राजस्थान विधान सभा के सम्बन्ध में विचाराधीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:-

(1) आर एस डब्ल्यु एम लि. रींगस जिसका पूर्व नाम जयपुर पालिस्पिन लि. रींगस था, वर्ष 1982 से चालू है जहां सभी श्रेणियों के लगभग 1,500 कामगार कार्यरत हैं। माननीय सदस्य द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि संस्थान में 90 प्रतिशत स्थाई व 10 प्रतिशत बदली के मजदूर होने चाहिए जबकि संस्थान में वस्तुत 25 प्रतिशत मजदूर स्थाई एवं 75 प्रतिशत बदली मजदूर बताये गये हैं। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में मिल प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं स्थानीय सहायक श्रम आयुक्त द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त ज्ञात हुआ कि वर्तमान में 55 प्रतिशत स्थाई श्रमिक संस्थान में कार्यरत हैं और 11 प्रतिशत ट्रेनी के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार शेष श्रमिक ही मात्र बदली श्रमिक हैं जिसका मुख्य कारण टेक्सटाइल मिलों में कार्य को छोड़ने की प्रवृत्ति है तथा श्रमिक लगातार कार्य नहीं करते हैं। हर वर्ष विभिन्न विभागों (खातों) में नियमानुसार एवं वरिष्ठता के आधार पर श्रमिक स्थाई किये जाते हैं और जो श्रमिक साल में 240 दिन लगातार कार्य दिवस पूरे करते हैं, उन्हें स्थाई आदेशों के तहत सेवा में स्थाई किया जाता है।

(2) 240 दिन काम करने के बाद मजदूरों को मनमर्जी से बाहर

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में कहना है कि सहायक श्रम आयुक्त, सीकर कार्यालय में वर्तमान में छंटनी/सेवामुक्ति का एक भी विवाद लम्बित नहीं है। यह मांग कि जिन मजदूरों ने 240 दिवस काम कर लिया है उनमें से वरीयतानुसार 90 प्रतिशत मजदूरों को स्थाई किया जावे, के सम्बन्ध में प्रबन्धन पक्ष ने अवगत कराया कि 240 दिन की लगातार सेवा पूर्ण करने पर खातों में आवश्यकतानुसार स्थाई आदेशों के प्रावधानों के अनुसार स्थाई किया जाता है।

(3) प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों की बीमारी या अन्य कारण से अनुपस्थित होने की स्थिति में दो दिन अनुपस्थिति पर शेष माह के दिनों का 10/- रुपये रोज एवं चार दिन अनुपस्थित रहने पर माह में 1,200/- रुपये की कटौती श्रम कानून के विरुद्ध है, के सम्बन्ध में कहना है कि वर्ष 2003 में हुए समझौते के आधार पर आदतन अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन में से कटौती का प्रावधान किया गया था जिसका उद्देश्य श्रमिकों की अनुपस्थिति में सुधार करना था किन्तु समझौता दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 के द्वारा 01 अक्टूबर, 2009 से श्रम विभाग ने अनुपस्थिति के कारण की जा रही कटौती को बन्द करवा दिया गया और वर्तमान में इस प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही है परन्तु यह अनुभव किया गया है कि श्रमिकों की अनुपस्थिति की दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है।

(4) यह सही है कि श्रम कानूनों में ओवर टाइम की मजदूरी की दर सामान्य मजदूरी दर से दुगनी है लेकिन प्रबन्धकों द्वारा सिंगल दर से भुगतान किया जा रहा है, के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है कि जिन श्रमिकों द्वारा आवश्यकतानुसार ओवर टाइम का कार्य किया जाता है, उन्हें कारखाना अधिनियम के अनुरूप ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। ओवर टाइम डबल रेट से भुगतान करने के सम्बन्ध में श्रम विभाग, सीकर में कोई शिकायत एवं दावा किसी यूनियन/श्रमिक द्वारा नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य की पुष्टि होती है।

(5) संस्थान में कार्यभार 17 टन से 23 टन मनमर्जी से किये जाने के सम्बन्ध में प्रबन्धन पक्ष ने इस तथ्य को गलत बताते हुए यह सूचित किया है कि संस्थान में जो कार्यभार की बढ़ोतरी हुई है उसके मुख्य कारण मशीनों का आधुनिकीकरण, नई सिम्पलेक्स व आटो कार्नर मशीनों का लगाया जाना एवं बिना किसी अवरोध के स्वयं द्वारा लगाये गये थर्मल पावर प्लांट से

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

बिजली का मिलना तथा फाइन काउन्ट (पतला धागा) से कोअर्स काउन्ट (मोटा धागा) आदि हैं। काफी वर्षों से मिल का प्रोडक्शन 22 से 23 टन प्रति दिन चल रहा है। इस प्रकार पिछले कई वर्षों से कार्यभार में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है।

(6) कैंटीन की दरें बढ़ाकर एवं भोजन के वक्त लॉन में बैठकर मजदूरों की भोजन व्यवस्था को बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है कि श्रमिकों द्वारा लॉन में बैठकर भोजन करने पर कोई रोक नहीं लगायी है। कैंटीन में दरें महंगाई के अनुसार समय-समय पर बढ़ाई जाती हैं तथा आज भी बाजार से कम दरों पर सामग्री उपलब्ध है। नो-लोस-नो प्रोफिट के आधार पर कैंटीन चलायी जाती है। कैंटीन को पूर्ण रूप से सुसज्जित किया है जिसमें वहीं बैठकर आराम से मजदूर भोजन कर सकता है। ठण्डे पानी की व्यवस्था, बड़े कूलर्स एवं पंखों की व्यवस्था तथा अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था कैंटीन में की गयी है जबकि पूर्व में खुले में धूल एवं धूप में बैठकर भोजन करना पड़ता था।

(7) महंगाई व कार्यभार बदलने के बावजूद मजदूर बढ़ाने का एग्रीमेंट नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि हर 6 माह में महंगाई के जो आंकड़े हैं उस आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाकर श्रमिकों को भुगतान किया जाता है। आर एस डब्ल्यु एम में कार्यभार अन्य टेक्सटाइल मिलों से आज भी कम है एवं वेतन व अन्य सुविधाएं अन्य टेक्सटाइल मिलों से अधिक हैं। प्रोडक्शन बढ़ता है तो कार्यभार के अनुसार मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी होती है।

(8) वर्क्स कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है कि वर्क्स कमेटी के चुनाव मई, 2009 में करवाये जा चुके हैं तथा सभी समझौते जब से मिल चल रही है, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (इन्टक) ही प्रबन्धन पक्ष द्वारा बहुमत एवं मान्यता प्राप्त श्रम संघ है।

(9) जिन श्रमिकों द्वारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (इन्टक) यूनियन की सदस्यता व मासिक चन्दे के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रबन्धन को दी है कि वे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (इन्टक) के सदस्य हैं तथा मासिक चन्दा काटकर इन्टक यूनियन को दे दिया जावे, केवल ऐसी सहमति प्राप्त होने के उपरान्त श्रमिकों के वेतन से मासिक चन्दे की कटौती की जाती है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री अमराराम)

मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने कहा कि 2003 से अनुपस्थिति पर गैर कानूनी तरीके से जो कटौती की जा रही थी, 2009 तक की जा रही थी और अब अक्टूबर 2009 में उस कटौती को गैर कानूनी मानते हुए समाप्त कर दिया। इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो छह वर्ष तक जिन मजदूरों की गैर कानूनी तरीके से मजदूरी की कटौती की गयी है, उसको कितने दिनों में आप वापस करवाने का काम करेंगे? दूसरा, मैं जानना चाहूंगा कि आपके श्रम विभाग के नीचे के अधिकारी पूर्ण रूप से मिले हुए हैं और आपने जो 55 प्रतिशत दिया है तो आप यह बता दें कि फैक्टरी इंस्पेक्टर और श्रम आयुक्त ने पिछले दो सालों में कब-कब इसका निरीक्षण किया है?

आप यह कह रहे हैं, मिल प्रबन्धन का इतना खौफ है, इस बेरोजगारी में मजदूरों का रोजगार सही सलामत रहे, उसके लिए क्या मिल मालिकों से वह लेबर कोर्ट में लड़ लेंगे? वे आपको शिकायत दर्ज करवा देंगे आपके कानूनों के अन्तर्गत? उनको एक महीने का दो हजार रुपये मिलता है। उसमें से 1,200 रुपये काट लेते हैं श्रमिक से। श्रम विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है, काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए पूरा आपका विभाग ऊपर से लेकर नीचे तक बना हुआ है जिसमें इंस्पैक्टर है, श्रम आयुक्त

(समय : 14.00 बजे)

है, जोइंट लेबर कमिश्नर हैं। कब-कब उन्होंने किया? मैं समझता हूं, यह कोई नहीं है। उन्होंने दावे नहीं किये। इसलिए यह 28 साल से मिल चलने के बाद आज भी 90 परसेंट स्थायी श्रमिक नहीं होने का एक ही कारण है कि जब भी जिसको 240 दिन होते हैं वे वहां से भगा देते हैं, जितना उसका पैसा होता है वह भी खा जाते हैं और इस भय के साथ कि अगर वापस आकर के श्रम विभाग में आपने कोई मुकदमा दर्ज किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे हालात हैं।

मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी बातें कही हैं, वर्क्स कमेटी के चुनाव हैं, वर्क्स कमेटी के चुनाव का कानून-कायदा है कि लिस्ट पूरे जितने भी स्थायी श्रमिक हैं उनकी लिस्ट होती है; श्रम विभाग की उपस्थिति में होती है, तमाम जो यूनियन हैं उनके पास जाती है। बिलकुल फ्राड, अपनी मन-मर्जी से, कागजी। कहीं भी यह नियम नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कोई भी यूनियन रजिस्टर्ड हो, मान्यता प्राप्त हो, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, श्रम मंत्रीजी, उस जेबी यूनियन का, जिसका

(श्री अमराराम)

मासिक चंदा मजदूर यूनियन को काटना है उसके बावजूद मालिक काट रहा है कि, साहब, सहमति ली है। तो फिर यूनियन किस बात के लिए है? यूनियन भी मालिक चला रहा है, कारखाना भी मालिक चला रहा है।

इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अवैध कटौती की है वह वापस दी जाए। वर्क्स कमेटी के चुनाव आप कितने दिनों में करा देंगे? तमाम चाहे यह वर्क लोड का हो या दूसरे हैं, उनकी एक उच्च स्तरीय कमेटी बना कर इसकी पूर्ण जांच करा कर के गैर-कानूनी तरीके से उन मजदूरों का जो शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ पूर्ण जांच कराने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना कर कब तक उसका निस्तारण कर देंगे, यह बताने का कष्ट करें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 2000 से लेकर 2009 तक मिल प्रबंधक द्वारा जो कटौती श्रमिकों की की गयी है वह गलत की गयी है। इस बात से मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत गम्भीर प्रश्न है यह।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (श्रम एवं नियोजन मंत्री): लेकिन मेरे ध्यान में जब अक्टूबर में यह बात आयी, हाथों-हाथ मैंने इस बात के निर्देश दिये कि जो कटौती की जा रही है वह तत्काल बंद कर दी जाए और उसके बाद में बंद कर दी गयी है। लेकिन मैं यह भी चाहूंगा कि मिल प्रबंधक द्वारा या मिल मालिक द्वारा जो भी अनियमितताएं अगर की गयी हैं, किसी भी प्रकार की, यह जो जितनी भी 2003 से 2009 तक पैसे की कटौती है, यह तो मैं वास्तव में एक उच्च स्तरीय कमेटी, आई.ए.एस. आफिसर, जो कमिश्नर हैं उनकी अध्यक्षता में तीन अधिकारियों की कमेटी बना करके और दो महीने के अन्दर-अन्दर इसकी पूरी जांच करवा करके कार्यवाही की जायेगी। एक बात। जब तक कमेटी इसकी जांच नहीं करेगी, क्योंकि खातों की जांच करनी पड़ेगी, यह जो चुनाव हुआ है, वह चुनाव उनका वैध है या अवैध है। इस बात की जांच में भी तीनों बड़े स्तर के अधिकारी होंगे, एक आई.ए.एस. अधिकारी जो कमिश्नर है, दो में एक जोइंट कमिश्नर, एक और दूसरे अधिकारी इन तीनों की कमेटी बना कर दो महीने में जांच करके कार्यवाही की जायेगी और जहां तक सम्भव है 2003 से 2009 तक जो कटौती है वह वापस दिलाने की कार्यवाही की जायेगी। यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को।

जहां तक अन्य सवाल जो आपने यहां पर उठाये हैं, सबसे सहमत

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

होते ही तो मैंने यह बात कही है लेकिन जहां तक मजदूरों के 240 दिन की जो बात कही है, वास्तव में मिल का प्रबंधन और मिल मालिक इन श्रमिकों को 240 दिन पूरा नहीं होने देते हैं। यह बात मेरे ध्यान में आयी है और मैं यह कार्यवाही करने वाला ही था, इतने में आपका एडजोर्नमेंट मोशन, आपका यह आ गया। अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह कमेटी पूरी जांच करेगी और जांच करने के बाद पुराने समय में किन-किन के 240 दिन पूरे हो गये और किन-किन को निकाला गया, यह सारे तथ्य आपके सामने आ जायेंगे। यही बात मैं कहना चाहूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं इस बात के लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उच्च स्तरीय कमेटी बनायी लेकिन एक तो मेरा निवेदन है कि अभी इसी मिल प्रबन्धन ने 13 लोगों को काम पर नहीं लिया और 29 दिन तक पूरे मजदूरों को काम नहीं दिया। 29 दिन तक। इसके लिए दोषी प्रबंधक है इसलिए एक तो उस पर कार्यवाही की जाए।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि यह मजदूरों की यूनियन का चंदा जो मैनेजमेंट काट रहा है, कम से कम इसको तो बंद करवाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि धन्यवाद इसके लिए तो लेकिन यह जो 29 दिन तक काम नहीं दिया इसके लिए दोषी मैनेजमेंट है। कोई मजदूरों ने हड़ताल नहीं की इसलिए उसको ब्रेक नहीं माना जाए। नो-वर्क-नो-वेज पर कम से कम उन मजदूरों के हक को सुरक्षित रखा जाए, यह मैं आपसे चाहूंगा। इसका स्पष्टीकरण कर दें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 13 श्रमिकों को, पहले एक श्रमिक को निकाला गया उसके बाद 13 को और निकाल दिया गया। हमारे अधिकारी लेवल पर एक, दो, तीन, चार, उनके साथ समझौते की बात हुई और मेरे को यह बताया गया है कि सारे के सारे, एक को छोड़ कर के सारे श्रमिक मिल में वापस लिये गये हैं। अगर नहीं लिये हैं, एक को छोड़ कर अगर नहीं लिया है तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास स्वयं मैनेजमेंट के लोग आये थे, मैंने बुलाया तब जाकर के चौथी दफा उन्होंने समझौता हमारे लेबर कमिश्नर और हमारे प्रमुख शासन सचिव, लेबर इनके मार्फत वह समझौता हुआ। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पायी जायेगी तो मैंने

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

आपको आश्वस्त किया है, यह कमेटी जांच करेगी, उसके बाद में निश्चित तौर से आपके साथ बैठकर के जो भी कार्यवाही होगी, की जायेगी। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, एक निवेदन मैं कर रहा था। चूंकि श्रमिकों के शोषण का मामला है और नियमों के विपरीत यह हुआ है, आपने इसको स्वीकार किया है। एक तो मेहरबानी कर के जांच किसी उच्च अधिकारी से कराएं। नीचे के लेवल पर करायेंगे तो यह लोग सक्षम होते हैं मिल वाले, कहीं इधर-उधर न हो पाये।

दूसरा, इसमें यह भी देख लें कि इस प्रकार से पैसा वसूल करना गलत तरीके से आपराधिक संज्ञा में तो नहीं आता है? अगर इस तरह की भी कोई बात आती है तो आप उस पर भी कार्यवाही करें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे श्रम आयुक्त आई.ए.एस. अफसर हैं और मैं समझता हूं एक आई.ए.एस. अफसर, क्योंकि अभी दो महीने पहले ही, तीन महीने पहले ही आये हैं, तो एक आई.ए.एस. अफसर जो श्रम आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता के अन्दर तीन आदमियों की कमेटी बनायी है और किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी जाती है तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बख्शीशनामा बिलकुल नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बख्शीशनामा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, श्री विट्ठल खंडेलवाल।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सर, विट्ठल अवस्थी है।

श्री अध्यक्ष: विट्ठल शंकर अवस्थी। खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन व उससे हो रहा राजकोष को नुकसान

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत खनिज विभाग में भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिबंधित खनन क्षेत्र में अवैध खनन

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन पट्टा जारी करने के प्रयासों से राज्य में कई जगह अवैध खनन से हो रहे राजकोष के नुकसान के लिए मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ... (व्यवधान) आप सुनो, आपके काम हैं जो भी इसमें हैं, आप कह रहे हैं जो ...

श्री अध्यक्ष: हां, सुन रहे हैं। ये सुन रहे हैं, आप तो सुनाओ।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उप नेताजी को ...

श्री अध्यक्ष: हां, वे सुन रहे हैं, आप सुनाओ।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ग्राम दरीबा पांसल, समोड़ी एवं पांसल की डांग क्षेत्र में वर्तमान में कुल 12 खनन पट्टे प्रभावी हैं, 11 खनन पट्टों में खनन कार्य चालू है, एक खनन पट्टे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आपत्ति के कारण काम बंद है। इसमें 11 खनन पट्टों की मूल समयावधि पूरी हो चुकी है परन्तु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 13/3 के प्रावधानों के आधार पर इनमें खनन कार्य जारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 17/3 की प्रति संलग्न जवाब के साथ मैंने भिजवा दी है। इन सभी खनन पट्टों में अधिकारियों के समक्ष नियमित समयावधि में नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे।

खनन पट्टा वर्ष 2002 में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा की अनापत्ति प्राप्त हो जाने पर स्वीकृत किया गया जहां वर्तमान में मूल अवधि में होने के कारण खनन कार्य चालू है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा बैठक दिनांक 27.09.1997 में लिये निर्णय के अन्तर्गत नगर परिषद के परिधीय क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृति व नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया था। खनन पट्टों की समयावधि समाप्त होने से पूर्व खनिज अभियंता भीलवाड़ा, भीलवाड़ा खनन व्यवसायी संघ द्वारा इस सेक्टर में रोक हटाने के लिए जिला कलक्टर से सम्पर्क किया गया। जिस पर जिला कलक्टर द्वारा समय समय पर कमेटियों का गठन किया गया अन्तिम दफा दिनांक 6.1.2006 को जिला कलक्टर द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कमेटी द्वारा दिनांक 19.1.2006 को मौका देखा गया। कमेटी द्वारा परिधि क्षेत्र

(श्री रामलाल)

में खनन पट्टा स्वीकृति एवं नवीनीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं बताई किन्तु जिला कलक्टर द्वारा उक्त क्षेत्र से रोक नहीं हटाई गई। इस कारण सभी नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका तथा वे लम्बित हैं तथा उनमें वर्तमान में दस खनन पट्टों में खनन कार्य एम सी आर 1986 के नियम 17/3 के प्रावधान के तहत प्रदूषण विभाग की अनापत्ति के कारण चालू है। एक खनन पट्टा मूल अवधि में चालू है तथा एक नवीनीकरण आवेदित खनन पट्टे में प्रदूषण विभाग की आपत्ति के कारण खनन कार्य बंद है।

दूसरा, इन सभी बारह अप्रधान खनन पट्टा क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए सर्व श्री जिंदल शाह लिमिटेड द्वारा प्रधान खनिज के अन्तर्गत खनिज सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, कापर, आइरन, कोबाल्ट, निकल एवं एसोसिएट मिनरल हेतु एक आवेदन पत्र एम एल 631/2005 को जो कि 15.70 हैक्टेअर का था, के लिए आवेदन पत्र दिनांक 19.8.2005 को पेश किया गया। सर्व श्री जिन्दल शाह लिमिटेड द्वारा आवेदित क्षेत्र भीलवाड़ा नगर परिषद शहरी एवं परिधि क्षेत्र में लगाया गया जिसमें जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पट्टा स्वीकृति, नवीनीकरण की कार्यवाही करने पर रोक लगा रखी थी। प्रकरण परीक्षण हेतु स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित किया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अपनी टिप्पणी दिनांक 26.06.2006 से अवगत कराया गया कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा का पत्र प्रशासनिक आदेश है जो कि म्युनिसिपेलिटी ला एक्ट या किसी भी अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत जारी नहीं हुआ है। खनन पर रोक के कोई भी आदेश सरकार से सहमति प्राप्त कर ही जारी किये जा सकते हैं। अत: खान विभाग के आवेदन पत्र पर विद्यमान खनिज एक्ट के तहत अनुमोदन की कार्यवाही कर सकता है।

केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.10.2007 से सर्व श्री जिन्दल शाह लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा देने का मंशा पत्र एल ओ आई जारी किया गया। बाद में राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये जिसके अनुसार आवेदक कम्पनी खनन पट्टा क्षेत्र में जब भी खनन कार्य करेगी तब क्षेत्र के अप्रधान खनिज के तहत स्वीकृत खनन पट्टाधारियों को खनिज मैसनरी स्टोन पट्टाधारियों से कोई भी कीमत वसूल नहीं कर उन्हें खनिज मैसनरी स्टोन सुपुर्द करेगी। इस अवधि में राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा सर्व श्री जिन्दल शाह लिमिटेड को खनन पट्टा खनन

(श्री रामलाल)

हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। स्वीकृति की मंशा के क्रम में भारतीय खान ब्यूरो अजमेर से अनुमोदित माइनिंग प्लान की प्रति 11.08.2009 को प्राप्त हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एंवायरनमेंट क्लीयरेंस हेतु टर्म्स आफ रेफरेंस जारी हो चुके हैं लेकिन एंवायरनमेंट क्लीयरेंस प्राप्त होने में अभी समय है। मैसर्स जिन्दल शाह लिमिटेड के लिए पर्यावरण सहमति हेतु जन सुनवाई प्रदूषण नियंत्रण मण्डल व जिला प्रशासन दिनांक 16.10.2009 को की गयी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भीलवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि जन सुनवाई के दौरान मैसर्स जिन्दल शाह लिमिटेड की प्रस्तावित परियोजना के पक्ष में एवं विपक्ष में दोनों ही बाबत् विचार प्राप्त होंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जन सुनवाई के पश्चात् उपस्थित जन समूह से आग्रह किया कि परियोजना के समर्थन में अपने हाथ ऊपर करें। इस पर उपस्थित अधिकांश जन समूह ने अपने हाथ ऊपर कर परियोजना का समर्थन किया एवं प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने की मंशा व्यक्त की।

भीलवाड़ा शहर के गंदे पानी को कोठारी नदी में आने से रोकने, जल प्रदूषण पर रोक लगाने एवं भूमिगत जल को भी प्रदूषित होने से बचाने के लिए सर्व श्री जिन्दल शाह लिमिटेड उनके स्वयं के खर्चे पर एक जल शोधन संयन्त्र लगाने जा रही है। जल शोधन संयन्त्र से प्राप्त जल का प्रयोग कम्पनी द्वारा अपनी खनन परियोजना में किया जाएगा जिसके लिए नगर परिषद् भीलवाड़ा एवं सर्व श्री जिन्दल शाह लिमिटेड के मध्य एम ओ यू अनुबंध हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

सभी खनन पट्टेधारियों द्वारा नियमित समयावधि द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा इनमें नवीनीकरण आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं होने से नवीनीकरण आवेदन पत्रों के निर्णय तक बढ़ी हुई समयावधि में खनन कार्य एम सी आर 1986 के नियम 17/3 की अनुपालना में चालू है। अत: जिस खनन पट्टे की समयावधि समाप्त हो गयी वह खनन कार्य वैध खनन कार्य है। ग्राम दरीबा, पांसल व पांसल की डांग में खनिज चुनाई पत्थर का एक नया आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें पूर्व में अवैध खनन की शिकायत होने पर जांच की गयी जिसमें अवैध खनन होना पाया गया, जिसके विरुद्ध पंचनामा बनाकर छह हजार रुपये शास्ती वसूल की गयी एवं अवैध खनन कार्य बंद करवा दिया गया।

(श्री रामलाल)

नवीन आवेदन पत्रों के तहत मैसर्स जिन्दल शाह लिमिटेड द्वारा वर्ष 2005 में खनिज आइरन और एसोसिएट मिनरल का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। आवेदित क्षेत्र में विभाग द्वारा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मात्र जांच के तौर पर सैम्पलिंग हेतु नमूने ले जाना प्रतीत होता है जिसके लिए ट्रेंच खोदी गयी। खनिज आइरन, इत्यादि गइराई में मिलने की सम्भावना प्रतीत होती है एवं मौका स्थिति अनुसार खनन कार्य व खनिज निर्गमन नहीं किया गया। उक्त क्षेत्र में कोई अवैध खनन नहीं किया गया एवं न ही अवैध निर्गमन किया गया जिससे राज्य सरकार की रायल्टी का कोई नुकसान हुआ हो।

जहां तक अकर राजस्व आय, (नान-टैक्स रेवेन्यू), रघुजी आपका भी इसी में शामिल है, उसी क्रम में निवेदन है कि अकर राजस्व, (नान-टैक्स रेवेन्यू) खनन के अतिरिक्त कई अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। नान-टैक्स रेवेन्यू का कम होने का यह तात्पर्य नहीं है कि खनन से आय कम हो गयी।

जहां तक खनन का सवाल है, खान से पिछले वित्तीय वर्ष में 1,275 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया एवं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1,457 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर लिया गया जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलनात्मक अवधि में प्राप्त आय से लगभग चालीस परसेंट अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चालू वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व लक्ष्य 1,560 करोड़ निर्धारित है जिसके प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 1,760 करोड़ रुपये आय का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अत: यह कहना गलत है कि खनन के कारण राजस्व, नान-टैक्स रेवेन्यू में कोई कमी हुई है।

विभाग द्वारा खनन में एमनेस्टी योजना, जिस योजना का, माननीय उप नेता महोदय, आपने जिक्र भी किया था, यह एमनेस्टी योजना दिनांक 15.1.2010 से जारी की गयी। अवैध खनन की पूर्व मांग इस एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत नहीं आती। इस प्रकार एमनेस्टी योजना से अवैध खनन को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं मिल रहा। विभाग द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2007-08 में इस प्रकार की एमनेस्टी योजना जारी की गई थी जिसमें 194 प्रकरणों में 32.38 लाख रुपये की मूल राशि वसूली की गयी थी एवं 104.90 लाख रुपये ब्याज को माफ किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में एमनेस्टी योजना लागू की गयी जिसमें 1,949 प्रकरणों में एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये की मूल राशि वसूली हुई और 410 लाख रुपये ब्याज को माफ किया गया तथा

(श्री रामलाल)

वर्ष 2009-2010 में जारी की गई एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत अब तक 302 प्रकरणों का निस्तारण कर 71.55 लाख रुपये की मूल राशि वसूली की गयी तथा 3.60 लाख रुपये माफ किये गये हैं, अड़तालीस लाख रुपये ब्याज की राशि माफ की गयी।

अवैध खनन की रोकथाम हेतु दिनांक 1.8.2009 से 15.9.2009 राज्य के प्रत्येक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में खान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा राज्य में एक अभियान चलाया गया जिसके तहत अनाधिकृत खनन एवं निर्गमन के 1,984 प्रकरण बनाये गये, चौसठ प्रकरणों में सम्बन्धित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, तीन प्रकरणों में न्यायालय में इस्तगासे दायर कराये गये तथा 218.22 लाख रुपये खनिज की कीमत शास्ती के रूप में वसूल की गयी। विभाग के इतिहास में इतना बड़ा अभियान राज्य स्तर पर पहली बार चलाया गया।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समय-समय पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कर वर्ष 2009-10 में फरवरी, 2010 तक अवैध खनन निर्गमन के कुल 4,556 प्रकरण अब तक बनाये गये हैं। रुपये 386.22 लाख की शास्ती वसूल की गयी, 226 प्रकरणों में एफ आई आर दर्ज कराई गई, नौ मामलों में न्यायालय में इस्तगासे दायर किये गये एवं अवैध खनन में प्रयुक्त होने वाले 3,733 औजारों को जब्त किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में अवैध खनन निर्गमन के प्रभावी रोकथाम हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जिसमें गृह विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, खान विभाग के प्रमुख शासन सचिवगण, पुलिस विभाग, निदेशालय खान एवं भू-ज्ञान विभाग, फेडरेशन आफ माइनिंग एसोसिएशन आफ राजस्थान के प्रतिनिधि एवं प्रमुख पर्यावरणविद सदस्य हैं । उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में खान विभाग द्वारा होम गार्ड की दो कम्पनी (200 सदस्य) अनाधिकृत खनन को रोकने हेतु नियुक्त की गयीं। जिन्हें वर्तमान में भरतपुर, अलवर एवं बीकानेर जिलों में अवैध खनन कार्य रुकवाने हेतु नियुक्त किया गया। उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा अनाधिकृत खनन रोकने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया।

अवैध खनन निर्गमन को रोकने के लिए प्रमुख अवैध खनन सम्बन्धित क्षेत्रों का इलेक्ट्रोनिक सर्विलिंस उपकरण लगाने का निर्णय भी लिया

(श्री रामलाल)

गया जिसकी पालना में प्रायोगिक तौर पर भरतपुर के कामां एवं डीग क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण लगाने की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण अरावली क्षेत्र में जब-जब भी अवैध माइनिंग की बात आयी तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने दिशा-निर्देश दिये। उससे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अवैध माइनिंग के लिए सख्त कार्यवाही करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। सम्पूर्ण अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु सैटेलाइट इमेजिंग द्वारा सर्वे कार्य केन्द्रीय संस्थाओं के सहयोग से करवाया जाएगा।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अवैध खनन के प्रभावी रोकथाम हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस विषय से सम्बन्धित मेरा भी विषय है, धौलपुर के अन्दर, मैं परमिशन चाह रहा हूं। मेरा नाम भी है इसमें।

श्री अध्यक्ष: पहले, हां, आप बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वह तीन मुद्दे पूर्ण रूप से हमने उठाये थे। नम्बर-1 मुद्दा उठाया था कि राज्य में अवैध खनन चल रहा है और इस अवैध खनन के बारे में सारे सदन में, पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की अवैध खनन की बात उठायी। एक। दूसरी बात हमने उठायी नान टैक्स रेवेन्यू की और तीसरी उठायी एमनेस्टी योजना की। इन तीनों पर, आपने पूरा का पूरा ध्यान अपना जो केन्द्रित किया वह किया भीलवाड़ा पर। स्वाभाविक रूप से आप करते भीलवाड़ा पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका यह कहना नितान्त गलत है, मंत्रीजी, कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण की कोई आप कार्यवाही कर रहे हैं।

राजस्थान राज्य का यह दुर्भाग्य है, पहला ऐसा बजट मैंने देखा है जिसमें आगे आने वाले साल में नान-टैक्स रेवेन्यू के 151 करोड़ कम दिखाये गये। आज तक मुझे ऐसा कोई बजट नहीं मिला जिसमें नान-टैक्स रेवेन्यू और नान-टैक्स रेवेन्यू मुख्य रूप से, मंत्रीजी, माइन्स डिपार्टमेंट से आता है, और दूसरे से नहीं आता है।

मुझे यह कहते हुए दुःख है, अध्यक्ष महोदय, अभी आपने सारा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भीलवाड़ा के प्रकरण का जिक्र किया। जिन्दल शाह किस जमाने में, किस साल में, कब हुआ, आज मैं कहना चाहता हूं कि वहां भीलवाड़ा नगर परिषद् के क्षेत्र में भीलवाड़ा नगर परिषद् के द्वारा पेरिफेरी इलाके में आज रोक लगी है कि नहीं रोक लगी हुई? लगी है ना रोक ?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बोलो, फिर बताऊंगा मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रोक लगी हुई है। रोक के बावजूद, कलेक्टर्स के यह मेरे पास पत्र हैं, कलक्टर ने लिखकर दिया कि रोक लगी है और ऊपर की ऊपर राज्य सरकार कभी स्वायत्त शासन विभाग के पत्र हैं, किसी से पत्र लेकर वहां आप सुनवाई करते हैं। वहां पर एक दूसरा केसरिया माइन्स वाला है उनको तो आप नोटिस दे रहे हैं कि आपका यह क्या है और जिन्दल वाले को, जिन्दल शाह को अलाऊ कर दिया। अखबारों में इतनी खबरें छपी हैं कि 5 पहाड़ों को चीर कर उसने यह सारा निकालकर हजारों टन माल इकट्ठा कर लिया। इसका कैसे कर लिया ?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप सुनो तो बताऊं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बोलूंगा, फिर आपकी सुनूंगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): एक-एक बताओ तो मैं पूरा जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बैठिये। आप सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हम सब बोलेंगे उसके बाद एक साथ दे देना।

श्री अध्यक्ष: हां, एक साथ दे देना आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप आराम से जवाब दे देना।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): एक-एक पाइंट लिखकर..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप क्यों एक्साइट होते हैं? आप उत्तेजित क्यों हो रहे हो?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपके हर सवाल का जवाब है। हर सवाल का जवाब सवाल है..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): विराजो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नान-टैक्स वाली भी बता दी। इसमें नक्शे से पूरा किया है, 1,265 था, 1,275 किया है। अभी 1,500, 1,450 तो हम पहुंच चुके, अभी महीना बाकी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपका जवाब, मैंने आपका सुन लिया ना। आपने जवाब दे दिया कि लक्ष्य कितना किया था...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। आप जवाब पूरा दे चुके या अधूरा है ?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैंने पूरी जानकारी दे दी, आप उसमें से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराज जाइये। आप पूरा जवाब दे चुके, अब आप विराज जाइये। अब आप माननीय सदस्य की बात सुनिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका जवाब...

श्री अध्यक्ष: लास्ट में फिर आपको अवसर दे दिया जायेगा। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): जिन्दल शाह किस सरकार में पैदा हुआ था ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह बी जे पी की सरकार में पैदा हुआ।

श्री अध्यक्ष: तो विराजो आप तो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): पावरफुल है फिर तो...

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। विराजिये आप। अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पहले अधिकार उनका है जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष: आपको कुछ कहना है तो मैं अवसर दूंगा। पहले इनको तो बोलने दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको।

श्री अध्यक्ष: तो आपको अवसर दे दिया जायेगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको अवसर दे दिया जायेगा। बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किसी सेठ की चर्चा नहीं, जिन्दल शाह की चर्चा कर रहा हूं। आपको सेठ कहां से दिख गया? बैठो...(व्यवधान) मुझे ज्ञान है, इसीलिये बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा पर मैं बाद में आऊंगा। भीलवाड़ा के विधायक ने भी दिया, वह कहेंगे। दो मैटर मैं आपके ध्यान में लाता हूं। बूंदी जिले में बूंदी जिले की लगती वन सीमा में 5 किलोमीटर तक वन क्षेत्र में अवैध खनन हो चुका है सेंड स्टोन का और आज तक खनन जारी है। बहुत बड़ी खबरें छपीं, किसी प्रकार का रोकने का काम नहीं और वहां पर जब सारा माल पकड़ा गया तो उस माल को वापस छोड़ दिया गया। मेरा प्रश्न है, मंत्रीजी, ऊपर किसके निर्देश से माल छोड़ा गया और क्यों किया ?

इससे बड़ी एक बात बताता हूं मैं। उदयपुर में चावड़ की नटाटा की पालग्राम की हजारों टन आयरन, कीमती धातुएं, सोना, चांदी, प्लेटिनम और अवैध खनन पर जे सी बी और डम्परों से रोड बनाकर पहाड़ से माल को उतार रहे थे। हजारों टन आयरन बेरोकटोक जा रहा है, हजारों टन माल नटाटा की पालग्राम से 25 किलोमीटर दूर एवं कालवाड़ा फैक्टरी की चारदीवारी में स्टाक करके रखा हुआ है जिसमें करोड़ों की राजस्व हानि हुई है। यह सारी बात है।

इसके अलावा बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको। कुशलगढ़ सरवा, खवासा, बायल, परवाड़ा, तलवाड़ा, खेरातलई, गांव कोड़ा, कालाखूंट, पीपलखूंट, प्रोपर बांसवाड़ा के कई किलोमीटर क्षेत्र से मैग्नीज, जो लोहा मिलाकर स्टेनलैस स्टील बनाने के उपयोग में आता है, प्रति माह एक से दो लाख टन मैग्नीज अवैध रूप से निकालकर मध्य प्रदेश की सीमा में जाता है। वहां पर स्टाक बना हुआ है, वहां पर फैक्टरिज लगी हुई हैं, वहां फैक्टरिज चल रही हैं। मंत्रीजी, यह 15 महीने में हुआ है और वहां पर पकड़े गये हैं। 13 ट्रक यहां से राजस्थान की सरकार ने वहां पर पकड़े हैं मौके पर। वहां फैक्टरिज चल रही हैं हमारे माल से।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने कह दिया कि आर एस डब्ल्यू एम वहां काम करेगा लेकिन सारा का सारा जो मैग्नीज निकलकर जा रहा है, इसको रोकने के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ? इसलिये हमने कहा कि अवैध खनन से नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा, कलक्टर, कलक्टर के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई है। राजस्थान में जिस ढंग से 15 महीने में अवैध खनन बढ़ा है उस पर आपका नियंत्रण नहीं है और इस अवैध खनन के दो बड़े उदाहरण मैंने आपको दिये।

जहां तक भीलवाड़ा का मामला है, भीलवाड़ा नगर परिषद् इलाके में परिधि क्षेत्र में किस सन् में हुआ, किस गवर्नमेंट में हुआ, मैं नहीं जानता, पहला तो इसमें स्पष्ट करें कि बिना परमिशन केवल एल ओ आई के आधार पर जिन्दल शाह को खोदने की अनुमति दे रखी है कि नहीं दे रखी है? एक। जिन्दल ने जो अवैध खनन किये हैं राजस्थान में, किसका हाथ है, मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं आपके विधान सभा क्षेत्र की बता रहा हूं आपके विधान सभा क्षेत्र में भी अवैध खनन हो रहा है। माननीय मंत्रीजी, अवैध खनन में मांडल, केरिंगा, बेमाली, लुहारिया बैल्ट में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग हो रही है। ये आपके ही विधान सभा क्षेत्र हैं। आसीन्द में 3-4 श्रमिकों की मौत भी हो चुकी है अवैध खनन के मामले में। ये केस रजिस्टर हुए हैं। भोजपुरा, बर्सनी, संग्रामगढ़, अंटाली, पावड़ी बैल्ट में अवैध खनन हो रहा है।

मैं कुल मिलाकर आपको यह कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के इलाके में अवैध खनन होकर वहां पर जा रहा है सारा का सारा माल। इसमें तो करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। इसी प्रकार बूंदी में हमारे यहां पर खनन हो रहा है इसमें हमको हानि हो रही है। भीलवाड़ा में जो अवैध खनन हो रहा है, उसमें हमको हानि हो रही है। धौलपुर में सारा माल जो उन्होंने बताया वहां पर हो रही है। पूरे राजस्थान में खान माफिया सक्रिय है और अवैध खनन है, इसलिये हमको बहुत करोड़ों रुपयों का नान-टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, एमनेस्टी योजना किसके लिये है ? मैंने बजट पर बोलते हुए भी कहा था कि एक कापी यहां पर पेश करिये कि किन-किन राजनेताओं के लोगों को इससे लाभ मिलता है। आप पेश कर दीजिये। क्या दिक्कत है ? मेरे बेटा अगर माइन्स कर रहा होगा तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप आखिर में देना ना। आपको समय दूंगा। यह जो मांग रहे हैं, वह सब कुछ प्रस्तुत करना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा बेटा अगर माइन्स कर रहा है और उसको छूट कानून से मिली है तो मिली है। उसमें शर्माने की क्या ? उसमें हम रख देते इन-इनको छूट मिली है।

तो, अध्यक्ष महोदय, तीन बात आपसे चाहूंगा कि इसमें सरकार ने किसी भी प्रकार से न बूंदी, न बांसवाड़ा, न उदयपुर, न भीलवाड़ा में अवैध माइनिंग को रोकने के लिये काम किया है। मंत्रीजी का जवाब देखिये, 2,984 केस पकड़े गये और 3 में एफ आई आर दर्ज करायी। 4,556 पकड़े गये और 9 में एफ आई आर दर्ज करायी। यह किसके संरक्षण से ? यह एफ आई आर क्यों दर्ज नहीं करायी गयी ? 9 पर ही क्यों करायी गयी और बाकी में क्यों नहीं करायी गयी ?

इसलिये मैं कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य हमारा रहा कि माइन्स पर चर्चा नहीं हुई। मंत्रीजी, आपमें कैपेसिटी नहीं, आप इसको रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इसके दो ही कारण होते हैं। सरकार की या तो इच्छाशक्ति नहीं है, या मिलीभगत है। या तो अपनी इच्छाशक्ति दिखाइये, या मिलीभगत को स्वीकार करिये।

अब यह बांसवाड़ा का जो प्रकरण है, यह इतना बड़ा प्रकरण है जो हमारी पोल खोल कर रख देता है। मैं मांग करता हूं कि एक टीम आप बनाएं। जो खबरें छपी हैं, जो आपने पकड़े 13 ट्रक, उन 13 ट्रकों की मेरे पास फोटो है...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एम पी गवर्नमेंट ने पकड़े हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एम पी गवर्नमेंट ने पकड़े हैं लेकिन ये फोटो मेरे पास हैं, वहां की हैं। तो आपने एफ आई आर दर्ज करायी क्या? आपने पता किया क्या कि मैग्नीज कैसे निकलकर वहां से चला गया? और वहां पर फैक्टरिज कैसे चालू हो गयीं? यह चोरी तो हमारे चारों तरफ हो रही है। इस चोरी के कारण से आपको नान-टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है। यह अवैध खनन है। जिंदल वाला जो प्रकरण है इस पर माननीय सदस्य भीलवाड़ा के बोलेंगे मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं लेकिन यह बहुत खतरनाक है।

अध्यक्ष महोदय, पहले जिसकी लगी हुई है उसको कल नोटिस मिला है। जब तक पहले वाले की कैंसिल नहीं हो जाती है तब तक दूसरे को नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मिल सकती है। उसकी कैंसिल नहीं हुई। उसका तो विभाग आज स्पष्टीकरण मांग रहा है और मंत्रीजी यहां पर कह रहे हैं कि उसको यह दे दिया, वह दे दिया।

स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा आपने यह काम नहीं चलाया। राजस्थान में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार प्रयास करने में असमर्थ रही है। राजस्थान में अवैध खनन के कारण से करोड़ों रुपये का राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। विभाग इस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। नीचे कह रहे हैं, आधा तुम्हारा आधा हमारा। यह क्या होता है? नीचे पकड़ने वाले अफसर, आधा तू ले जा, आयरन ओर की दो मुटठी तेरी, दो मुटठी मेरी। यह किसी से शुरू हुआ होगा, मैं इस पर नहीं जाता। यह हमारे राज में भी शुरू हुआ होगा तो मुझे दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह समाजवाद की परिभाषा में भी आता है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): समाजवाद का मतलब होता है, समाज बाद में और मैं पहले। समाजवाद की असली परिभाषा है, समाज बाद में और मैं पहले।

यह जो सारे का सारा काम है, मैं चाहूंगा कि तीन विषयों पर आप जवाब दें। बूंदी में, बांसवाड़ा में और भीलवाड़ा में अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है क्या कार्यवाही कर रही है? नम्बर एक।

दूसरा, बांसवाड़ा से निकलकर जो मैग्नीज-ओर वहां मध्य प्रदेश में गया और वहां जो 13 ट्रक पकड़े गये, उसमें जे सी बी लगायी गयी, डंपर लगाये गये और खोद-खोदकर हजारों टन की संख्या में ले गये, उस पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? नम्बर दो। बूंदी में खनन के सारे जो मामले रजिस्टर हुए हैं, उनमें क्या कार्य कर रहे हैं? भीलवाड़ा में, आसीन्द में और सारी जगहों पर जो अवैध खनन चल रहा है उनको नियमित करने का सरकार का विचार है? या उनको रोकने का विचार है? यह स्पष्ट करें। भीलवाड़ा की परिधि का जो क्षेत्र है, उसमें आपका क्या विचार है? उसको स्पष्ट करें।

राज्य भर में जिस प्रकार से खान माफिया सक्रिय हो गया है, उस खान माफिया पर और नान-टैक्स रेवेन्यू अगले साल 151 करोड़ रुपये आपके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो कम हो रहे हैं उसके क्या कारण हैं? एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत जिनको छूट दी गयी है उनकी सूची सदन के पटल पर रखें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, छोटा सा एक लाइन का ही है।

श्री अध्यक्ष: आपको समय दूंगा मैं। अवस्थीजी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा की आबादी पिछले 12 वर्षों में तीन गुनी बढ़ी है और भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण से वहां जमीनों की आवश्यकता रहती है। भीलवाड़ा कलक्टर ने केवल इसी कारण से भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेरिफेरी एरिया में खनन पर रोक लगायी थी जो 14 सालों से प्रभावी रोक चल रही है। आज तक कलक्टर ने वह रोक नहीं हटायी। किस कानून के तहत बिना कलक्टर और प्रशासन की सहमति के जिंदल शाह लि. को पट्टा देने की प्रक्रिया जारी है, कृपया मंत्री महोदय एक तो यह स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, पिछले 17.11.2009 को भीलवाड़ा के जागरूक नागरिकों ने एस एम ई भीलवाड़ा, एम ई भीलवाड़ा और कलक्टर भीलवाड़ा को हजारों टन आयरन ओर, लैड, कापर, प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई, कृपया करके आप यह भी बतायें। अखबारों में "चुपके से चीर दी पहाड़ियां।" मंत्री महोदय ने यह बताया है कि केवल टैस्टिंग के लिए, तो टैस्टिंग के लिए कौन ले गया? इसका मतलब जो भी अवैध खनन हुआ है वह टैस्टिंग के लिए ले जाने वालों ने किया है। मेरे पास 25 फोटो पड़े हैं, पहाड़ के अलग-अलग और उसमें हजारों टन माल खोदा हुआ दिखाया गया है जबकि मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि वहां अवैध खनन नहीं हुआ है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप कृपया यहां से संयुक्त जांच दल बनावें तीनों पार्टियों को मिलाकर के और मैं साबित करूंगा कि भीलवाड़ा जिले में कम से कम 15 से 25 ऐसे स्थान हैं जहां अवैध खनन, वास्तव में जो घनश्यामजी भाई साहब ने कहा कि आधा तेरा, आधा मेरा, ऐसा भू-माफिया डवलप हो चुका है, दलाल डवलप हो चुके हैं जो यह कहते हैं कि राज हमारा है, पांच साल तक डरने की जरूरत नहीं है, आधा तेरा आधा मेरा। मैं चलकर के आपको साबित करने को तैयार हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है राज में?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, बैठिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ओमजी भाई साहब, यह आरोप नहीं है, यह चिंता का विषय है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): यह चिंता का विषय है। बूंदी जिले से लगती हुई भीलवाड़ा जिले की सीमा में वन क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर तक पिछले डेढ़ साल से अवैध खनन हुआ है। 9 महीने पहले अखबारों ने, जन-प्रतिनिधियों ने, जनता ने शिकायतें लिखीं और उसके बाद उप वन संरक्षक ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और परसों के अख़बार में वह यह स्टेटमेंट देते हैं कि एक-दो दिन में कलेक्टर का लिखूंगा, जबकि 9 महीने पहले यह तय हुआ था कि एक जोइंट कमेटी बनायेंगे माइनिंग की, फोरेस्ट और रेवेन्यु की मिलाकर के और जांच करेंगे। कलक्टर के द्वारा इनकी कमेटी बनायी जायेगी। 9 महीने पूर्व अवैध खनन की जानकारी आने के बाद शुरू किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बिजौलिया तहसील के आरौली गांव में, रसदपुरा ग्राम में अराजी नम्बर 9 मीन, 43 बीघा 16 बिस्वा जो कि सम्पूर्ण खनन किस्म की जमीन है, में लगातार अवैध खनन चल रहा है। लोगों द्वारा आर टी आई के तहत सूचना मांगी जाने के बावजूद खनन विभाग द्वारा आज तक सूचना नहीं दी जा रही और धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जिंदल शाह लि. को दें, चाहे आपको किसी और को देना हो तो दें, हमारा यह लेना-देना नहीं है कि आप किसको देना चाहते हैं, मेरा यह निवेदन है कि भीलवाड़ा में 12 सालों में 3 गुणा आबादी हो चुकी है और कलक्टर ने बहुत सोच-समझकर के रोक लगायी थी कि भीलवाड़ा के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए जगह की आवश्यकता होगी। आज 1,575 या 1,570 हैक्टेयर जो मंत्री महोदय ने बताया है कि भीलवाड़ा की पेरिफेरी में जमीन पर खनन जारी करने के लिए मंजूरी देनी है तो आने वाले 20 सालों में भीलवाड़ा कहां जायेगा, इस पर विचार करना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया स्वायत्त शासन विभाग, आप और यू आई टी भीलवाड़ा सब मिलकर कलक्टर से आप दिशा तय करें कि हमको किधर जाना है, खनन की तरफ जाना है या भीलवाड़ा को विकसित करने की तरफ जाना है।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आप यह स्पष्ट करें कि क्या यहां केवल जिंदल शाह लि. ने खनन के लिए एप्लाई किया था या उससे पहले और किसी ने किया था। क्या उसके बाद भारतीय इस्पात लि. और शैल जैसी नामी गिरामी कम्पनियों ने वहां आवेदन किया है? अगर किया है तो किस आधार पर केवल जिंदल शाह लि. को यह काम मिला? इसको आप कृपया स्पष्ट करें। "रिसर्जेंट राजस्थान" के तहत जिंदल शाह लि. ने एक हजार करोड़ के एम ओ यू पर साइन किये थे, लेकिन जो उन्होंने खनन विभाग को लिखकर के दिया है वह उन्होंने एक हजार करोड़ की जगह केवल 100 करोड़ रुपये इंवेस्ट करने का प्रस्ताव लिखकर के दिया था एम ई भीलवाड़ा को। मेरे पास उसकी चिट्ठी लिखी हुई है, एम ई भीलवाड़ा और उसके लिखे हुए सारे कागजात मेरे पास हैं। आप चाहे तो मैं टेबल कर सकता हूं। लेकिन यह क्यों किया जा रहा है? अगर करना है तो भारतीय इस्पात लि. को भी किया जाये। वहां 5 ऐसी कम्पनियां हो सकती हैं, 35 किलोमीटर लम्बा एरिया है वह वहां 5 कम्पनियों को दिया जाये। वे 500-500, 1000-1000 करोड़ के इंवेस्टमेंट करने को तैयार बैठे हैं। तो राजस्थान की प्रगति होगी, हजारों श्रमिकों का अतिरिक्त नियोजन होगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सब बातों पर अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक मिनट, छोटा सा बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, काफी गम्भीर मामला है और नया भी नहीं है। मंत्री जी, आप कर भी नहीं पायेंगे, आपके प्रभाव पर हमें पूरा भरोसा भी है, क्योंकि माइन्स डिपार्टमेंट अकेले इसमें कुछ नहीं कर पायेगा। मकराना जैसी जगह वहां पर जगह हटाकर के चेंज हो रहा है और माइन्स डिपार्टमेंट के मना करने के बाद में अभी तक काम चल रहा है, आर्डर करने के बाद में। यह कुछ नहीं कर पायेंगे, आप तो एक चीज का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: आपको मंत्रीजी पर भी शक कैसे पैदा हो गया कि कुछ नहीं कर पायेंगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उत्तर प्रदेश में जितने भी पत्थर गये हैं, उत्तर प्रदेश में अभी जितने भी हाथी बन रहे हैं या पार्क बन रहे हैं उनमें जो पत्थर गये हैं, एक टन की भी रायल्टी अगर आपको दी हो तो आप निकालकर के बता दें। सारा इल्लीगल हो रहा है और वहां पर जा रहा है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कम से कम 200 ट्रक रोज के जा रहे हैं और यह आरोप है आप पर कि डिपार्टमेंट के अधिकारी और प्रशासन जब तक मिलकर के नहीं करेगा, एक ट्रक भी रोक नहीं पाये और ना भविष्य में रोक पायेंगे! धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में एक बात साफ कह दी कि जिन्दल शाह को राज्य सरकार ने एन ओ सी दे दी, अब मात्र एंवायरनमेंटल क्लीयरेंस बाकी है। यह बात इसलिए भी सही है कि आज की तारीख में इस सदन में जब यह बात उठ रही है कि भीलवाड़ा के पेरिफेरी एरिया में खनन प्रतिबंधित है और उसके बावजूद भी मंत्री महोदय 21 मार्च, 2010 को स्वयं बयान देते हैं कि जिंदल समूह जल्दी प्लांट लगाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 27 अक्टूबर, 2007 को यह सवाल उठा था, सरकार ने उत्तर दिया था, प्रतिबंधित था, प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी खनन नीति में 'पहले आओ पहले पाओ' का सिद्धांत नहीं है? अगर यह सिद्धांत है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केसरिया माइन्स ने 27.05.2005 को 3 पी एल और 4 एम एल के लिए एप्लाई किया और जिंदल समूह आता है 19.08.2005 को, जिसका जिक्र खुद मंत्रीजी ने किया। किस आधार पर जिंदल समूह को आप प्राथमिकता दे रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में इन्होंने एक और जन सुनवाई का जिक्र कर दिया। वह जन सुनवाई जो पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए हुई, उस जन सुनवाई में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा लिखते हैं 25 नवम्बर, 2009 को, "आपत्तियों के अनुरूप संतोषप्रद तथ्यात्मक निवारण रहित था, आपत्ति लोगों की भावनाओं को भड़काने की संज्ञा देकर समूह के अन्दर सम्बन्धित कम्पनी द्वारा लाया गया था और एक ही प्रकार के आवेदन की दस-दस प्रतियों से अधिक प्रेषित कराया गया था, एक ही समर्थन पत्र पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से समर्थन कराया था..." और अंत में लिखते हैं, "ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आप स्पष्ट करिये कि क्या जन सुनवाई निष्पक्ष और स्वतंत्र रही?" यह जिला कलक्टर का पत्र है 25 नवम्बर का, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा को। यानि सवालिया निशान खड़ा हो गया उस सुनवाई पर, जिस सुनवाई के आधार पर यह देश के ख्यातनाम धनाढ्य व्यक्ति की कम्पनी को भीलवाड़ा के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उस क्षेत्र में लीज देना चाहते हैं जो आज की तारीख में प्रतिबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में भी आप कहें।

'पहले आओ पहले पाओ' का सिद्धांत नया नहीं है। यह पत्र है भारत सरकार के खान मंत्रालय के क्षेत्रीय खान नियंत्रक का, उसमें साफ लिखा है कि "आप जिन क्षेत्रों में खनन पट्टे के लिए आवेदन कर रहे हैं अगर आपके आवेदन करने से पूर्व किसी अन्य ने वहां खनन पट्टा पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र इत्यादि के लिए आवेदन कर रखा है ऐसी स्थिति में उस 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत के अनुसार खनन पट्टा आबंटन से सम्बन्धित कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।" मतलब अभी तो इनको एन ओ सी देनी है, भारत सरकार से एंवायरनमेंटल क्लीयरेंस होनी है और 'पहले आओ पहले पाओ' सिद्धांत, उसको ये नजरअंदाज कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं और जिसका मैंने जिक्र किया, इन्होंने जिस तरह एंवायरनमेंटल क्लीयरेंस के लिए भीलवाड़ा में जन सुनवाई की और जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने आपत्ति की, उसके बाद बच क्या जाता है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सही है कि अभी जैसा भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, 12.11.2009 को शिकायत करने के लिए जनसमूह जाता है, खनिज अभियंता, भीलवाड़ा को शिकायत करते हैं, कलक्टर, एस पी को ज्ञापन देते हैं और 25-30 पहाड़ियों का सीना चीर कर, बुलडोजर से पत्थर काटकर इकट्ठा कर रहे हैं। केरिया बेमाली और लुहारिया की तो बात ही मैं क्या करूं, जिसका जिक्र अभी हमारे उप नेताजी ने किया, आसींद, भीलवाड़ा जिले का? अवैध खनन आजकल कहां हो रहा है? दण्ड का खेड़ा में हो रहा है। यह बात इससे प्रमाणित हो गई कि वहां एक दुर्घटना हो गई, माया देवी नाम की एक महिला की मृत्यु हो जाती है, घायल होकर अवैध खनन में और अखबारों में पूरा शावा होता है। माननीय मंत्रीजी, भोजपुरा में क्या हो रहा है? संग्रामगढ़ में क्या हो रहा है? अंटाली में क्या हो रहा है? सहाड़ा में, सूरजपुरा में क्या हो रहा है? कागड़ी में क्या हो रहा है? पोरला में क्या हो रहा है? और उदयपुर का जिक्र अभी इन्होंने कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 11-11 ट्रक पकड़े जाएं और एम पी की सरकार द्वारा पकड़ने पर पुलिस द्वारा जब उनके बयान कराये तो सामने आया कि यह ट्रक हम राजस्थान से लेकर आए हैं। जब उनसे पूछा कि राजस्थान का कोई रवन्ना आपके पास है, राजस्थान को आपने वहां जो ड्युटी दी है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसकी रसीद है, तो कह दिया कि राजस्थान में ऐसी परम्परा नहीं है। 15 महीने से राजस्थान से बेखौफ हम आते हैं। 11-11 और 13-13 ट्रक पकड़े जाएं, यह अवैध खनन की जीती-जागती मिसाल है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, कि आप इन पूरी चीजों को देखें। आपने बड़े जोर-शोर से कह दिया कि 1,560 करोड़ का राजस्व, इस बार 1,760 करोड़ करेंगे। मैं समझता हूं, अगर इस पर ढंग से विचार किया जाए, आप यह कहकर नहीं बच सकते कि जिंदल शाह कम्पनी को जिसको लैटर आफ इंटेंट जारी किया, आज जिन्दल शाह कम्पनी को किस आधार पर आपने सार्वजनिक बयान देकर यह कह दिया कि आप अपनी सारी व्यवस्था करें? आपने कह दिया, आपने प्लांट लगाने का निर्देश कैसे दे दिया, 31 मार्च को? कोई नीति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति की जुबान, एक व्यक्ति की मर्जी पर सारी खनन नीति से लेकर सारे कानून-कायदे ताक पर रखकर अवैध खनन माफिया राजस्थान में खड़ा हो गया है और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: डा. रघु शर्मा। (व्यवधान) मैंने नाम पुकार लिया है, मैं आपको अवसर दे दूंगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की चिंता का विषय है कि राजस्थान का जो रेवेन्यू है उसका अवैध खनन से नुकसान हो रहा है। अब सवाल 15 महीने की सरकार का या पिछले पांच साल की सरकार की तुलना करने का नहीं है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य अभी बहुत जोर-शोर से कह रहे थे, पिछले पांच साल में जो अवैध खनन हुआ उसको भी दृष्टिगत रखना चाहिए। जो पिछले पांच साल में हुए उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते और 15 महीनों में कोई गलती हुई है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी का जवाब नहीं पढ़ा है, मैंने आपसे अनुरोध किया तब आपने भिजवाया है। मैं इसको नहीं पढ़ पाया लेकिन यह बात सही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,275 करोड़ रुपए की रेवेन्यू राजस्थान को मिली और इन 15 महीनों के दौरान उस रेवेन्यू में कुछ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह कहकर बचा नहीं जा सकता। यह जो 1,457 करोड़ रुपये इस साल इनको अनुमानित राजस्व प्राप्त होने का आया है, अगर ईमानदारी से राजस्थान में अवैध खनन को रोका जाता है तो फीगर जो 1,560 और

(डा. रघु शर्मा)

1,760 करोड़ का लक्ष्य बताया है, यह तीन हजार करोड़ से भी अधिक हो सकता है।

यह राजस्थान की जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, न कोई आरोप प्रत्यारोप है, ईमानदारी से यह सदन की चिंता है। किसी न किसी रूप में राजस्थान की इकोनोमी का मूल आधार माइनिंग है। इस बात को किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। यह आरोप भी नहीं है, यह आरोप भी नहीं है लेकिन यह बात सच है कि अवैध खनन क्यों हो रहा है, एक लेमैन भी बता देगा आपको, यहां सदन में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, सड़क पर चलता हुआ एक आदमी भी बता देगा कि अवैध माइनिंग कहां हो रही है और कौन-कौन मिलीभगत के आधार पर अवैध माइनिंग करवा रहे हैं।

मुझे अफसोस है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट को मिस करके जवाब दिया गया है खान मंत्री के द्वारा, उसमें उनके विभाग में इसके लिए जो जिम्मेदार हैं अवैध खनन के लिए, आप बताइए आपके माइनिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर, इलाके के थाने का एस एच ओ, वहां के जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आफिसर्स हैं, चाहे पटवारी हैं, तहसीलदार हैं या गिरदावर हैं, किसकी मिलीभगत से हुआ यह अवैध खनन का मामला? अब यह तो बिल्ली को दूध की रखवाली देने वाला सा काम हो गया।

अभी जवाब में इन्होंने कहा है कि हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिसमें यह कमेटी के अलावा इन्होंने और कहा है, इलेक्ट्रोनिक सर्विलेंस उपकरण लगाने की बात कही है, अब यह कब लगाए जाएंगे इलेक्ट्रोनिक सर्विलेंस उपकरण और इसके अलावा सम्पूर्ण अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु सेटेलाइट इमेजिंग, यह सब चीजें जवाब में दी गई हैं लेकिन यह बताया जाना चाहिए, पहले तो सरकार चिह्नित करे, इन्होंने माना है इस बात को कि कहां-कहां अवैध खनन हो रहा है और जैसी जानकारी माननीय उप नेता महोदय, विपक्ष ने दी है, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दी है, उसको भी अन्यथा न लेकर पोजीटिव वे में सोचें राजस्थान के हित को दृष्टिगत रखते हुए। मैं आज यह बात सदन के सामने साफ तौर पर कहता हूं कि अजमेर जिले से मैं आता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सोराड़ा एक जगह है, वहां क्वार्टज फेल्सपार का खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। (व्यवधान) शेम की बात नहीं है। ब्यावर में बोलेस्टेराइन की अवैध माइनिंग हो

(डा. रघु शर्मा)

रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे कौन इंकार कर सकता है? अगर कोई चाहे तो अभी चलो मेरे साथ, अभी पकड़वाता हूं। मैं अभी आपको पकड़वा देता हूं अवैध माइनिंग करने वाले लोगों को। यह क्या सरकार की नजर में नहीं है जगह? आप यह देखिए, भरतपुर में, माननीय अध्यक्ष महोदय, बंशीपुर में और पहाड़गंज में खुलेआम अवैध माइनिंग हो रही है और सरकार कह रही है कि हम रोक रहे हैं।

एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, जवाब में कहा गया कि हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक अभियान चलाया। बहुत अच्छी बात है, अभियान चलाया गया। अभियान में कितने मामले पकड़े गये, वह तो हैं 5 हजार के लगभग और मुकदमे दर्ज कराये 6 और जो औजार पकड़े गये हैं, औजार कौन-कौन से होते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माइनिंग के लिए? फावड़ा, गेंती से आज माइनिंग नहीं हो रही है, माइनिंग होती है आज 50-50 लाख की मशीनों से, 80-80 लाख की मशीनों से। सरकार ने एक भी मशीन 80 लाख की पकड़ी हो, 40 लाख की पकड़ी हो, कोई जे सी बी पकड़ी हो तो बताएं, उसका उल्लेख करके कि हमने कितने करोड़ की मशीनरी को जब्त किया है। सीधा जवाब दे दें कि 1,377 या 3 हजार, कितने औजार हमने पकड़ लिये।

इससे काम चलने वाला नहीं है, एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, कार्य योजना बनानी पड़ेगी, प्रभावी कार्य योजना और उसमें इच्छा शक्ति को दर्शाना पड़ेगा। यह राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ाने का मूल स्रोत बन जाएगा। सिर्फ यह कहना कि 1200 से 1500 करोड़ हमने कर दिये, यह कहेंगे मंत्रीजी जिस दिन इस सदन के अन्दर कि हम 3 हजार करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं और 5 हजार की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी इसमें गुंजाइश है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

इसके अलावा, बीकानेर में जिप्सम की खुलेआम, देवीसिंहजी भाटी, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने...और मैंने तो सुना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भारी रकम हर महीने जा रही है। कहां जा रही है, यह विभाग वाले जानें। आम आदमी की जुबान पर यह आ रहा है और ऐसी चर्चाएं भी आज से नहीं आ रही हैं, यह आप जब सरकार में थे, तब भी आ रही थीं। यह बात 15 महीने तो भूल जाइए, माननीय, यह बातें पिछले 5 साल में भी हुई हैं। राजस्थान में आपकी सरकार थी तब भी खुलेआम अवैध माइनिंग हुई है। आपकी सरकार में भी कभी इस बात के प्रयास नहीं किये कि राजस्थान

(डा. रघु शर्मा)

की रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, अवैध खनन को रोका जाए। आपके सत्ता में बैठे हुए लोगों के अगर आप किस्से सुनना चाहें तो वह भी आ जाएंगे। इसलिए यह नहीं है कि कोई दूध का धुला है यहां पर लेकिन यह बात जरूर है कि बात चाहे उधर से हो, चाहे बात इधर से हो, यह अवैध खनन रुकना चाहिए।

आज, माननीय मंत्री महोदय, बहुत शोर मच रहा है, पूरे राजस्थान के अन्दर कि एमनेस्टी योजना के तहत पैसे माफ कर दिये गये। तो, माननीय मंत्री महोदय, साफ तौर पर सदन में बताएं कि कुल कितनी राशि आपने एमनेस्टी योजना के तहत माफ की है और किन-किन लोगों की राशि माफ की गई है, उनकी सूची पटल पर रखी जाए; किन-किन नियमों के तहत उनको छूट दी गई है, वह नियम यहां रखे जाएं।

इसके अलावा बिजोलिया, जो उपरमाल का क्षेत्र है, वह जानते हैं, मंत्री महोदय हमारे जिले के हैं, वहां पर जहाजपुर में सेंडस्टोन की, बूंदी में सेंडस्टोन की, जैसलमेर हो, जालोर हो, सिरोही हो, कोई जिला ऐसा नहीं है और सबसे बड़ी बात एक ही पाइंट पर क्रेशर लगे हुए हैं हजारों की संख्या में राजस्थान में। अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां क्रेशर लगेंगे, लीज तो लेगा एक आदमी और खोदेगा आसपास के पूरे इलाके को। यह बात सरकार के ध्यान में क्या नहीं आती? मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, कि जहां-जहां क्रेशर लगे हैं वहां पर अवैध माइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सरकार बताए यह बात।

अब जो यह राशि आपने माफ की है, मान लीजिए, गलत माफ हो गई है तो क्या सरकार विचार रखती है इस बात का, यह राशि वापस वसूल करने का आपका इरादा है कि नहीं? और वह कितनी राशि है जिसको वापस वसूल करने का सरकार मानस रखती है।

मेरे ये सवाल हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ...(व्यवधान) श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, यह बहुत ही सीरियस मुद्दा है। जब बात हो रही थी तो बात यहां पर आई कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे उनका वक्त रहा हो, चाहे हमारा वक्त रहा हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो खनन के मामले

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)
में सरकारों पर भारी पड़ते हैं। बात आ रही है यहां कि लगभग 1600 करोड़ रुपये की आय हमको वर्ष भर हो रही है परन्तु इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं, अकेला आर के मार्बल 1600 करोड़ से डबल वर्ष भर में कमा रहा है। मैं एक व्यक्ति का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, एक समूह की बात कर रहा हूं। कमा रहा है, वह उसकी योग्यता होगी लेकिन यह उदाहरण के लिए है कि राजस्थान में खान के क्षेत्र में आगे बढ़कर सरकार बड़ा पैसा कमा सकती है। तो हमारी सरकार, निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री और सरकार काम करना चाहती है, मंत्रीजी भी करना चाहते हैं, इनकी भावनाएं भी अच्छी हैं, अपोजिशन को अधिकार है कि वह बार-बार ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनकी नाक के नीचे ही हो रहा है और भावनाएं अच्छी हैं। भीलवाड़ा तो इनकी नाक के नीचे ही है, भाई। ...(व्यवधान) बोलो, बोलो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जहां तक भीलवाड़ा का सवाल है वह तो मंत्रीजी आपको बताएंगे क्योंकि भीलवाड़ा का मुझे ज्यादा नालेज नहीं है, मैं तो जो मुझे नालेज है, वह बता सकता हूं लेकिन इसमें ज्यादा जरूरत इस बात की है, अध्यक्षजी, कि इस खान डिपार्टमेंट में इस तरह के अधिकारी बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं जो राज बदलने के साथ अपना चेहरा बदल देते हैं और अपना चेहरा सामने नहीं आने देते। वे यह बात स्पष्ट नहीं होने देते, वे हर राज के खास बन जाते हैं चाहे वह राज बी जे पी का आ जाए, चाहे कांग्रेस का आ जाए। उनका अपना सिस्टम सेट है और उसी सिस्टम के अनुसार न तो वे रेवेन्यू बढ़ने देते हैं, न रेवेन्यू में सिस्टम चेंज करने देते हैं। रेवेन्यू का सिस्टम इतना जरूर चेंज करते हैं, नेताओं को, मंत्रियों को यह बता दिया जाता है, सरकार को कि देखिए, इस बार 65 करोड़ की हम वृद्धि कर रहे हैं और और यह 65 करोड़ की हम वृद्धि कर रहे हैं, वह पिछली सरकार से ज्यादा कर रहे हैं। तो हम सदन में यह कह कर राज़ी हो सकते हैं कि पिछली सरकार में, आपकी सरकार में इतना रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि इस रेवेन्यू से गरीब का क्या होगा। जब इसी सदन में चर्चा होती है, विधवा को, उसको, राइडर हटाने की, वृद्धावस्था को, विकलांग को तो बात आती है पैसे की; 400-साढ़े 400 करोड़ बढ़ जाएगा पर पैसा कहां से लाएंगे? यह पैसा इन खनन माफियाओं से, मैं आज फिर कह रहा हूं, यह बहुत बड़ा माफिया है और कुछ ग्रुप ही हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि राजस्थान के 30-40 ग्रुप्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो मैं आपको गारंटी से कह सकता

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)
हूं कि राजस्थान की जनता धन्यवाद भी देगी और डेमोक्रेटिक सिस्टम के राजस्थान की जनता को अधिकार भी मिलेंगे, सरकार को भी मिलेंगे।

बार-बार यह बात हो रही है कि आपने अवैध खनन कराया, वह कह रहे थे कि हमने अवैध खनन कराया। न तो आपने अवैध खनन कराया, न इन्होंने अवैध खनन कराया, मैं आपको स्टाम्प पर लिख कर दे दूं। आपके ही हाथों से, आपको पता भी नहीं चलता, न बी जे पी के राज में, न कांग्रेस के राज को। अधिकारी चाहे जैसे करते हैं, चाहे जैसे घुमाते हैं, चाहे जैसे कागज पर घुमाते हैं और नियम और कायदे-कानून में वह आता है या नहीं आता है लेकिन हमको घुमाकर वह काम करवाते रहते हैं। पिछले राज में क्या हुआ, वह भी पूरा राजस्थान जानता है और अभी तक हमारे राज में क्या हुआ उसको पूरा राजस्थान भी नहीं जानता और पूरा सदन भी नहीं जानता क्योंकि हमारे राज में अभी तक कोई फैसले ही नहीं हुए, ज्यादा फैसले ही नहीं हुए। तो हमारी तरफ से तो कोशिश यही है कि यदि कहीं गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ को रोक दो।

लेकिन अभी राठौड़ साहब ने, अध्यक्षजी, एक बात बहुत अच्छी कही कि हमने किया होगा और हमने तो किया है, यानी हमने तो किया है, मान लिया खुद ने कि हमने किया होगा लेकिन आप यह कहकर नहीं बच सकते कि आपने किया इसलिए हम भी कर रहे हैं। यह बात आपने बहुत अच्छी कही कि आपने यदि किया है तो हमको भी नहीं करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए और सुधार करने के लिए हमारी सरकार, जब उस दिन बात हो रही थी, एमनेस्टी योजना में जब यहां पर चर्चा हुई तो उसमें कहा गया कि हमारे करोड़ रुपये माफ कर दिये गये; उस दिन शराब के लिए भी कहा गया, हमारे करोड़ों रुपये माफ कर दिये गये। शराब के पैसे माफ हो सकते हैं, खान के बड़े सेठों के पैसे माफ हो सकते हैं लेकिन आज तक मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ऐसा कोई कानून नहीं आया जिसमें अभी भी मैं आपको उदाहरण से कह सकता हूं, ऐसे-ऐसे गरीब आदमी बैठे हैं, का-आपरेटिव बैंकों में जिनका पैसा माफ नहीं हो रहा है। आदमी मर गया और आदमी मरने के बाद जिसने ट्रक लिया, उस ट्रक के ऊपर लोन लिया, वह ट्रक खड़ा है, मरने के बाद उसकी विधवा को वे लोग परेशान कर रहे हैं, उसकी मां को परेशान कर रहे हैं, उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। जो बेचारा गारंटर है गांव का...

श्री अध्यक्ष: आप विषयांतर हो रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह तो एग्जाम्ल है किसी बात का। वे तंग कर रहे हैं। जब एमनेस्टी योजना में इतने बड़े-बड़े लोगों के पैसे माफ हो सकते हैं तो हमको यह विचार करने की जरूरत है कि गरीब आदमी को अधिकार मिलें। कहीं पर अगर माफ कर भी दिये गये हैं और यदि इस पर राजस्थान की सरकार को फायदा हो रहा है तब तो ठीक है पर यदि नहीं हो रहा है तो मेरा यह निवेदन है कि इस तरह का पैसा, इन बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय, इस सदन में आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है, हम ऐसी पालिसी भी ला सकते हैं जिससे आम व्यक्ति को फायदा मिले और राजस्थान को फायदा मिले।

श्री अध्यक्ष: बिराजिए, बिराजिए। मि. खान, धौलपुर से।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धौलपुर स्टोन इस नाम से पूरे हिन्दुस्तान में मशहूर है। मैं वेरी स्पेसिफिक टू द पाइंट मंत्रीजी से तवज्जह चाहूंगा कि यह स्थान है जहां पर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, सरमथुरा के पास, चिवाचोन, ताजपुरा, बड़रिया और रमदा। अध्यक्ष महोदय, रमदा वह स्थान है जहां सीताजी भी कुछ समय रहीं, जहां पर बाल्मीकिजी भी कुछ

(समय : 15.00 बजे)

समय तक रहे, वहां पर सफेद पत्थर, प्रीशियस स्टोन निकलता है, वह बसेड़ी के पास है। करोड़ों का वहां अवैध खनन हो रहा है, पुलिस मूकदर्शक है। खनन के जितने अधिकारी वहां पर हैं उनकी मिलीभगत से हो रहा है। वहां पर टेम्परेरी रवन्ना बनता है। 70 हजार रुपये पर हैक्टेयर अगर, मंत्रीजी, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो मैं उसको दिलाता हूं, यह चुनौती दे रहा हूं असेम्बली में। इस तरह से अवैध खनन चाहे वह छावनी हो, चाहे वह हिरनोदा हो, चाहे वह संहेड़ी हो, हो रहा है। धौलपुर के अन्दर डकैत खुलेआम यह अवैध खनन करा रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनकर देख रही है। माननीय मंत्रीजी, आपने अपने जवाब में धौलपुर का नाम तक नहीं लिया, यह शर्म की बात है। धौलपुर के अन्दर सबसे ज्यादा राजस्थान के अन्दर, जो डकैतों के नाम से मशहूर है माधोसिंह और मोहर सिंह के नाम से और अभी भी डकैतों के साथ जो वहां पर एंकाउंटर हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर इस तरह का अवैध खनन हो रहा है कि करोड़ों रुपये की रायल्टी, राजस्थान के राजस्व को

(श्री अब्दुल सगीर खां)

नुकसान हो रहा है। अगर आप इसे सुधार देंगे तो राजस्थान में राजस्व की जो कमी आ रही है, जो सोशल वेलफेयर कार्यक्रम हैं उनमें मजबूती आयेगी।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने वहां पर जो अधिकारी बैठा रखे हैं वे वहां पर 15-15, 20-20 साल से जमे हुए हैं। वे दलाली का काम कर रहे हैं, वे मिलीभगत कर रहे हैं। क्यों न आप पांच साल के बाद, तीन साल के बाद उनका ट्रांसफर कर दें? 20-20 साल से, 15-15 साल से, मैं नाम देता हूं, रिकार्ड देता हूं कि ये-ये अधिकारी वहां 15-15, 20-20 साल से बैठे हैं। कोई भी 15-20 साल से नीचे नहीं लगा हुआ है। वहां के क्लर्क, वहां के ड्राफ्टमैन, वहां के माइनिंग इंजीनियर, वहां के सारे लोग मिलकर धौलपुर की इस सम्पत्ति को लूट रहे हैं और मंत्रीजी मूकदर्शक होकर देख रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता आंदोलित है, पुलिस मिली हुई है, पुलिस भी दमनकारी नीति अपना रही है। नहीं तो जनता आपके सड़कों पर उन ट्रकों को रोकेगी तो धौलपुर में जंगलराज हो जाएगा, जनता और पुलिस की भिड़ंत हो जाएगी। वह स्थिति नहीं आने दें, उससे पहले आप धौलपुर की स्थिति पर काबू पायें अन्यथा यह स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाएगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मंत्री महोदय इसमें शायद कुछ व्यवस्था को नई दिशा देंगे।

यह तो सर्वविदित है कि हमारे पाक सीमा से लगे हुए हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक जिप्सम का इतना भारी अवैध खनन हो रहा है, मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि एक सरकार की पालिसी है कि हम आर एस एम एम को इसमें प्राथमिकता देंगे। आपने बीकानेर जिले में 80 हजार हैक्टेयर उसको आबंटित कर रखी है और वर्षों से सिर्फ 500 हैक्टेयर में खनन हो रहा है बाकी सारे में अवैध खनन हो रहा है। उसमें सरकार की मजबूरी है कि उसका जो हैड है, मुखिया है वह चीफ सैक्रेटरी होता है और चीफ सैक्रेटरी को कोई भी नीचे वाला अधिकारी यह हिम्मत नहीं कर सकता कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ऐसा रिकमंड करे जिससे उसकी चेयरमैनशिप खतम हो जाए। इसलिए वह सारा मामला दबा रहता है। यह आज से 5 वर्ष पूर्व भी मैंने कई बार मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाया था, पिछली

(श्री देवीसिंह भाटी)

सरकार में भी लाया था और इस दफे भी मैंने उनसे चर्चा की है और उन्होंने इसके लिए कहा भी है अधिकारियों को कि आप इसके लिए कुछ करिये।

देखिये, उस क्षेत्र के अन्दर आप पूरे सीमा क्षेत्र में चले जाइये तो इतने माफिया गैंग हो गये कि आप वहां किसी से भी पूछ लीजिये। वहां जो आप डेपुटेशन के ऊपर माइनिंग डिपार्टमेंट सीआई इंस्पेक्टर लेते हैं वह तो बचाने की जगह पर उसका भागीदार बन जाता है। उसमें जितने भी थाना क्षेत्र हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 हजार से लेकर के 15 हजार जितने भी उस क्षेत्र में ज्यादा ट्रक आते हैं वह एक-एक ट्रक, ट्रोला के 10 से 15 हजार रुपये उसके और 10 हजार रुपये जो सीओ सर्किल होता है उसके तथा माइनिंग विभाग अलग है। यह मैंने प्रश्न पूछा था जिसका परसों ही उत्तर आया है कि गत वर्ष 180 मामलों में चालान किया गया और 2008 में 192 का। यह तो वह है जो उनको एक फार्मेलिटी करनी पड़ती है। यह हम मान गये कि अवैध खनन तो हो रहा है, उसको रोका जाए। मैंने मंत्री महोदय को इसमें सुझाव भी दिया था।

श्री अध्यक्ष: आप कह रहे हैं कि मान गये, यह बात रिकार्ड पर ला रहे हैं पर मंत्रीजी ने नहीं माना है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): नहीं, नहीं, इन्होंने उत्तर दिया है। यह उत्तर दिया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने है कि हमने इतना किया है। खनन विभाग का मेरा अलग प्रश्न है। यह अवैध खनन तो हो रहा है क्योंकि हम जहां से भी निकलते हैं वहां पर अवैध खनन के ढेर लगे पड़े हैं। आप कहीं भी देख लीजिये, किसी भी रोड पर चाहे उदयपुर सम्भाग में जाइये, कोटा सम्भाग में जाइये, जहां-जहां जिन्होंने अपनी दुकानें या जो भी बाड़ा खोल रखा है वहां इतने भारी स्लैब पड़े हैं। मैंने उसमें कहा कि आर एस एम एम का क्षेत्र है, देखिये, आर एस एम एम कुल मिलाकर के हमने कई बार कमेटी में चर्चा की कि 10 करोड़ से ऊपर तो कभी फायदे में गया ही नहीं और इतना बड़ा लवाजमा है। आप इसको सब-लेट कर दीजिये। आपको खनन ही तो कराना है भले ही आप चीफ सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप नहीं हटा सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, हमारे वहां कोलायत क्षेत्र में एक इंटरकनेक्टिंग रोड है गांव की, उसके ऊपर हर महीने 4 फैक्टरिज एवरेज नई खुलती हैं और उसमें सारे वे स्लैब बनाकर के बाहर भेजे जाते हैं। यह कहां से आ रहा है? सारा अवैध खनन से आ रहा है। अगर आप वह जो आर एस एम एम का क्षेत्र है, यदि आप 4-4 हैक्टेयर फैक्टरी वालों को अलाट कर दें तो कम से कम

(श्री देवीसिंह भाटी)

आपकी नजरों में आ जाएगा। एक आप जहां भी खनन हो रहा है उसके ऊपर लगा दें ताकि आपके ध्यान में तो आये कि कितना माल यहां से बाहर जा रहा है, कितना खनन हो रहा है तो कहीं से तो शुरुआत होगी।

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस जिप्सम को रोकिये जो अवैध खनन हो रहा है। इतने भारी वहां पर माफिया गैंग हो गये कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। कोई भी बोल जाए तो गांव वालों की मौत आ जाती है क्योंकि उनके पास सारी मसल पावर है, पुलिस कुछ कार्यवाही करती नहीं। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके, खाली जो आपकी राजकीय भूमि पड़ी है वह आप किसी को आबंटित कर दीजिये। वह आबंटित हो जाएगी तो अवैध खनन नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रोकना किसको है तो?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अवैध खनन को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कौन रोकेगा?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): किसी को भी आप आबंटित कर दीजिये चाहे फैक्टरी वालों को कीजिये या किसी को भी कीजिये तो वह अवैध खनन नहीं होगा। वह आपकी नजरों में नहीं है, खुले आम लाखों टन जा रहा है।

आप बात करते हैं 1300 करोड़, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीकानेर और जैसलमेर में मेरे माध्यम से खुली बोली करवा दीजिये और आबंटित कीजिये, सिर्फ यह इतना क्षेत्र पूरे साल भर की रेवेन्यू दे देगा। बाकी तो बहुत बड़े-बड़े सम्भाग पड़े हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप सब-लेट कर दीजिये। इसमें रायल्टी का भी मुद्दा तय कीजिये। इसमें सारे उस आर एस एम एम का रोल एक अलग है और कुछ वहां पर निजी माइनिंग वालों ने भी जैसे-तैसे करवा लिया। सबने जैसे यहां भावना प्रकट की है, जमीन तो 50 बीघा अलाट करवाई है और खनन सारी जगह अवैध हो रहा है। तो उसको रोकने का आपके पास माध्यम नहीं है। अभी आपने कह दिया कि होम गार्ड और नियुक्त कर दिये तो उनकी और पांती हो जाएगी, वह टास्क फोर्स उसके ऊपर और खुदा हो जाएगी। यह सारा हमारे उस क्षेत्र के अन्दर इतने भारी जगह-जगह पहाड़ कर दिये, इतना भारी अवैध खनन हो रहा है।

तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि वहां पर जिप्सम के अलावा क्ले

(श्री देवीसिंह भाटी)

बहुत भारी मात्रा में निकल रहा है। सबसे बड़ा हिन्दुस्तान के अन्दर क्ले का क्षेत्र है कोलायत और उसके आस-पास के क्षेत्र के अन्दर, वहां भी जमीन अलाट करा रखी है उसमें नाम मात्र का खोल रखा है, बाकी वह राजकीय भूमि पड़ी है उसके अन्दर भी अवैध खनन हो रहा है। आप इस व्हाइट क्ले को, चाइना क्ले को भी रोकिये। इसी प्रकार से बजरी के अन्दर भी बड़े-बड़े नेता इन्वाल्व हैं। उसके अन्दर कौन कार्यवाही कर ले? बीकानेर शहर के क्षेत्र के अन्दर, जैसे अभी यहां भीलवाड़ा की चर्चा चल रही है वहां भी उसके ऊपर रोक लगी हुई है लेकिन शहर के अन्दर, जवाब तो आ जाता है, हमने भी पूछा था कि नहीं, यहां अवैध खनन नहीं हो रहा है पर हकीकत यह है कि आज भी यदि मौके पर जाओ, पर, देखिये, एक बात मैं कह दूं, किसी को तकलीफ हो और किसकी क्या मिलीभगत है, मैं यहां प्रमाणित नहीं कर सकता, अधिकारी तो निश्चित तौर पर हैं ही, यहां अब यह रगड़ा और हो गया कि अधिकारियों का मोबाइल और चल पड़ा। जब हमारा, कहीं से दबाव पड़ता है जन प्रतिनिधियों का और चाहे मीडिया के माध्यम से तो वहां से मोबाइल हो जाता है कि हम आ रहे हैं आप आज सब जे सी बी वगैरह मौके से हटा दो। अब यह मोबाइल से वहीं का चाहे माइनिंग विभाग का, चाहे पुलिस का है वह पहले सूचना कर देता है अपनी चेन को कि हम आ रहे हैं तुम अपना-अपना ले जाओ। उसके बावजूद भी मैंने बताया कि इतने मुकदमे हो गये। तो यह सारा तब तक बंद नहीं होगा।

यह पिछले वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी सरकार में रहे....

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला। विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): पिछले 15-20 वर्षों से यह सिलसिला हो गया कि जो मंत्री हैं वे सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र के मंत्री होकर के रह गये हैं। यह प्रदेश की जनता इंतजार करती रहती है कि हमारा प्रतिनिधि चुना गया है, कोई तो आये, हमारे ऊपर हाथ फेरे, हमारे से दु:ख-सुख की बात तो करे पर कोई राजस्थान का दौरा नहीं करता, मात्र अपने क्षेत्र, जिले तक सीमित रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह आरोप अपने पर मत लगवाओ, मंत्री महोदय। सीधे तो कोई नहीं कह रहा कि मंत्री गड़बड़ कर रहा है लेकिन अंगुली तो उधर ही जा रही है। तो इसलिए उससे

(श्री देवी सिंह भाटी)

बचने के लिए स्पष्ट है कि आप अपने कपड़े तो बिलकुल टीनापोल से धोकर तैयार रखो जिससे आप पर अंगुली नहीं उठे, नहीं तो यह सारी अंगुली आपकी तरफ जा रही है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद श्रम नहीं कर सकते हैं, आप कितने ही होम गार्ड लगा दो, टास्क फोर्स बना दो, जब तक आप इसको ठेके पर नहीं देंगे, सब-लेट नहीं करेंगे...

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ...रायल्टी नहीं लगायेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): बचाओ हमें, हमारा सारा क्षेत्र... (व्यवधान) उसको सम्भालिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बैकलाग पूरा कर रहे हैं, सर। बाहर गये हुए थे इतने दिन, लंदन गये हुए थे, थोड़ा तो बोलने दो।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान के अन्दर...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं पहले इनकी बातों का जवाब दे दूं। ये प्रश्न पूछेंगे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप आदेश दे दीजिये, वैसा कर लेते हैं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नहीं, मैं क्यों आदेश दूं? प्रक्रिया के नियम 131 में लिखा हुआ है कि... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी ने जैसा कहा है, अध्यक्षजी, आप तो एक ही करा दीजिये कि विधायकों की कमेटी बना दीजिये, उसकी जांच कर लेगी। सदन के विधायकों की एक कमेटी बना दीजिये।

श्री अध्यक्ष: 26 माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं, 26 हैं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं पहले जवाब दे दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम जवाब सुनेंगे, हम आपका जवाब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूरा सुनेंगे लेकिन आप तो यह सारे मामले में विधायकों की एक कमेटी बनाकर जांच करा लें, चाहे बांसवाड़ा में खनन हो, चाहे बीकानेर में खनन हो, चाहे धौलपुर में खनन हो। सब काम कर दीजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पहले जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये हैं, उनके एक-एक का जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष: उनका आप जवाब दे देना।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उसके बाद उचित समझें, वैसा फैसला करना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम आपका जवाब सुनेंगे ना। फैसला आपको ही करना है, ये क्या करेंगे? यह फैसला तो आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं वही करवा रहा हूं। फैसला आप पर ही छोड़ देंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खनिज और वन मंत्री एक बनाया, आप चाहें तो राजस्व मंत्री और बना देते तो शायद राजस्थान में अवैध माइन्स नहीं होतीं।

आज पूरे राजस्थान के अन्दर, हाड़ौती सम्भाग के किसी भी इलाके में चले जाओ, शहर के नजदीक लगाकर और गांव-ढाणी तक जो माननीय मंत्री महोदय का विभाग है, वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से माइन्स का नंगा नाच देखा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं कि सीमेंट फैक्टरियां जो माल खरीदती हैं, उन सीमेंट फैक्टरियों में जितना माल आया है, जितने रवन्ने कटे हैं, उसका आडिट हो जाये केवल कि यह माल आया तो कहां से आया, सरकार के आंकड़े के आधार पर परिणाम आ जायेगा कि सारा का सारा माल अवैध माइन्स का आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर बिना सरकार की मर्जी के एक पत्थर कोई काट नहीं सकता। राजस्थान के अन्दर रेवेन्यू की जमीन का एक टुकड़ा नहीं बचा जहां अवैध माइन्स नहीं होती। इतना ही नहीं, अवैध माइन्स जितनी हो रही है, वह वन विभाग के इलाकों में होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने इलाके के अन्दर वन विभाग के इलाकों के लिए जो माननीय सदस्य ने बताया है, वहां रेवेन्यू, फोरेस्ट और पुलिस, इन तीनों को मिलाकर एक समिति बना

(श्री ओम बिरला)

लें तथा एक सर्वे करा लें पूरे राजस्थान का और उस अवैध माइन्स का एक टुकड़ा राजस्थान से नहीं निकले, इसके लिए सदन को आश्वस्त करें, हम आपको धन्यवाद देंगे। हम आपको एक नहीं, छह महीने देते हैं। उन तीनों लोगों की एक एजेंसी बना दें और उन तीनों की एजेंसी बनने के बाद सरकार के एक इंच के टुकड़े पर अवैध माइन्स नहीं हो सकतीं।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठे माननीय मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मैंने स्पेसिफिक बात कही है कि जितनी भी रायल्टी की वसूली होती है, उस रायल्टी की वसूली और जो माइन्स हैं, उनके दोनों का भौतिक सत्यापन करा लें तथा यह दोनों स्पेसिफिक बात भी करा लें तो आपके सामने वह अवैध रूप से चल रही माइन्स का पूरा का पूरा विवरण आ जायेगा ताकि आप अधिकारियों के ऊपर नकेल लगा सकें और उस अवैध माइन्स के आधार पर कार्यवाही कर सकें। हम सब राजस्थान के ट्रस्टी हैं और आप भी राजस्थान के ट्रस्टी हो। हम किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, अवैध माइन्स रुकेगी, वैध माइन्स चलेगी और वैध माइन्स चलेंगी तो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा तो उस रेवेन्यू का पैसा जन कल्याण कार्यों पर खर्च होगा।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, अगर मुख्य मंत्रीजी चिंतित हैं तो तीन विभागों की, फोरेस्ट, रेवेन्यू और गृह मंत्रालयों की मीटिंग करें क्योंकि उन्होंने बहुत आयोग, नीतियां, कमेटी बना रखी हैं, एक आयोग ऐसा इस बात का बनाया जाये जिसमें राजस्थान में अवैध खनन का आयोग बने और तीनों मंत्रियों की समिति बनाकर इस सदन को आश्वस्त करें कि हम राजस्थान में अवैध माइन्स नहीं होने देंगे। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब जवाब आने दीजिये मंत्रीजी का।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बहुत ज्यादा खनन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि... (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में भी जिप्सम का अवैध खनन हो रहा है। कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बताया है, वह सत्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारे अवैध जिप्सम का खनन हो रहा है। मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में जो ओवरलोडिंग ट्रक, 200-400 लोडेड ट्रक और उसके कारण से वहां पर आये दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें पुलिस प्रशासन... (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं मंत्रीजी से एक प्रश्न करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जब आप किसी भी खान मालिक को खान अलाट करते हैं तो उस खान के साथ-साथ उस खान क्षेत्र के आसपास बनी हुई सड़क को भी अलाट करते हैं क्या? यह मैं प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहती हूं क्योंकि मेरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र जहां पर कोटा स्टोन की खानें हैं, पूरे रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। और तो और, इसके साथ ही साथ जितनी भी हमारी कृषि उपज मण्डी की सड़कें हैं, जो पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें हैं, उनको खान मालिकों ने उखाड़कर फेंक दिया और वहां पर भी वे खनन करने लग गये। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि...

श्री अध्यक्ष: बिराजिये, बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या यह अपने नोर्म्स में आता है? मुझे बतायें क्योंकि आप भी रामगंजमण्डी गये हैं और वहां पर वृक्षारोपण करके आ गये लेकिन आपने शायद रास्ते में जाते समय यह नहीं देखा कि रोड के दोनों तरफ कितने गड्ढे हो चुके हैं और कितना अवैध खनन वहां पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये, बिराजिये। श्री रविन्द्र सिंहजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जो सरकारी सम्पति को खोद-खोदकर... (व्यवधान) वहां पर सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने... (व्यवधान) एक दिन में अवैध माइन्स बंद हो जाये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धौलपुर में, विशेष तौर पर राजाखेड़ा में चम्बल के रेता का अवैध खनन हो रहा है। कई बार मैंने कोशिश की इस विधान सभा में कि सरकार यह देखे कि धौलपुर के अन्दर बिल्डिंग मैटेरियल के नाम पर सिर्फ चम्बल का रेता ही उपलब्ध है। आज सरकारी बिल्डिंग भी अवैध खनन से बन रही है। मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह माना है, स्वीकार किया है कि चम्बल में कई स्थानों पर पानी केवल दो-दो फीट है और वहां पर आवागमन दिन भर होता है। गाड़िया जाती हैं इस पार से उस पार और वहां घड़ियाल नहीं रहते, जिसकी वजह से उसको अवैध बनाया हुआ है। करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो रही

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

है। अनादिकाल से अगले अनादिकाल तक मकान तो उस चम्बल के रेता से ही बनेंगे और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इस प्रजातंत्र में उस रेता को निकालने से क्या शर्मनाक स्थिति मेरे जिले की बनी है, अगर मैं उसको बखान करूं तो आप समझेंगे कि विरोध पक्ष का विधायक होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लांछन लगा रहा है। मेरा कोई मकसद नहीं है लांछन लगाने का लेकिन यह अकाट्य सत्य है। 4-4, 5-5 लाख रुपये रोज की अवैध वसूली हो रही है। उसके बाद भी रेत निकल रही है और निकलती रहेगी। तो केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष: बिराजिये, बिजिये। अब बहुत देर हो गई है। मंत्रीजी को जवाब देने दीजिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ...डिमार्क करा लें तो जिस वजह से रेत मिलती है और पानी नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, वहां पर सरकार इसको डिमार्क करे और कम से कम उसको लीगलाइज करके वहां पर खनन चालू कर दे।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अवैध खनन हमारे होता है, रोजाना लगभग एक हजार ट्रक भर कर पत्थर के हरियाणा जाते हैं। सारा पुलिस विभाग और माइन्स विभाग मिला हुआ है। जितने भी क्रेशर्स हैं, विधान सभा में मेरे जवाब में माननीय मंत्री ने मेरे विधान सभा के तीन क्रेशरों को बंद होना बताया है, मैं खुली चुनौती देता हूं, शाम को छह बजे बाद वापस चलते हैं। न उनका जनरेटर उठाया गया है, न उनकी बेल्ट उतारी गई है। एक गार्ड जो कांट्रेक्ट का है उसको वहां लगा दिया है। खुले रूप से अवैध खनन दांतला, अगवानी, हुसैनपुरा, जटियाना और इस्माइलपुर, इन पहाड़ियों में मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में हो रहा है। इसी तरह से तिजारा में, तिजारा में तो आये दिन तीर्थ यात्री एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ऐसे ही टपूकड़ा, दोनों थानों का आप देख लें, तिजारा और टपूकड़ा, भिवाड़ी का, हर महीने बीस-तीस लोगों की अकाल मौत हो जाती है। वहां पर हजारों, फिक्स है, रात को आठ बजे से सुबह चार बजे तक एक हजार ट्रक निकलते हैं, मैं दावे से कहता हूं और उसमें सभी विभाग की...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इसमें सभी विभागों की मिलीभगत है।

एक बात और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि इन दिनों करोड़ों-करोड़ों रुपये सभी क्रेशर मालिकों के रायल्टी के बाकी हैं। विभाग की मिलीभगत से माननीय हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, विभाग वहां पर पैरवी नहीं कर रहा है। इसमें जो भी अधिकारी सम्मिलित हैं इस मामले में, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है, मैं खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र से आता हूं...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अवैध जो खनन है वह रोका जाय, जितने भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है, मैं खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र से आता हूं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजें। विराजें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको पीड़ा है, मुझे मालूम है कि आपको बहुत बड़ी पीड़ा है इस अवैध खनन से लेकिन मैं यह बताना भी चाहता हूं..

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): वहां भी अवैध खनन हो रहा है। आये दिन दो सौ, चार सौ ट्रक वहां से अवैध खनन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह किसी के दिल में दर्द ही नहीं, पचास साल से तो हम देख रहे हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, ओवरलोडिंग ट्रक दो सौ, चार सौ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जिप्सम का मामला...(व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, हर माह एक-दो केजुअल्टी वहां होती है, मृत्यु होती है वहां पर। अध्यक्ष महोदय, इसमें पुलिस प्रशासन और माइन्स डिपार्टमेंट, सब की मिलीभगत है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिप्सम गंगानगर से आती है, कोलायत से आती है और फैक्टरी में जाती है, सबको मालूम है...

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय भाटी साहब ने अभी जो बताया...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पिछले पाँच सालों में यही बातें होती रही थीं, अब भी यही हो रहा है। (व्यवधान) तो फैसला लेने वाला बंदा है क्या? (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मेरे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में जो अवैध जिप्सम खनन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। श्री रमेश खण्डेलवाल। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोई बंदा फैसला लेने वाला है क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई फैसला लेने वाला भी है क्या? है क्या कोई?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। लेंगे फैसला। हम सब मिलकर लेंगे, विराजो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): डेढ़ वर्ष पहले मैं यहां सुनता था, तब यह कहते थे हम बंद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोई किया क्या?

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो बैठ जाऊंगा, आप कहें तो मैं आपके आदेश की पालना करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बड़ी कृपा है आपकी, विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): खान में तो खनन हो गया और पहले वह खनन हो रहा था, सब बार-बार कहते थे...(व्यवधान)

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बैठें जब। साहब, इनको..

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय हमारे पूर्व मंत्रीजी तो बराबर आते हैं कोलायत से, बंद करने की कोई इच्छा शक्ति तो लेकर आये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और भी कह रहे हैं न, कोई बंदा जन्मे तो सही इस विधान सभा में, कोई बंदा जन्मे तो सही इस विधान सभा में। कोई जन्मता ही नहीं है। बातें करने से देश नहीं चलेगा, इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करना पड़ेगा, उसके बाद बंद हो सकती हैं। अगर आपने होम गार्ड लगा दिया, कोई डीवाई एस पी लगा दिया उसकी पांती और बढ़ जायेगी। अब टपूकड़ा की बात कर रहे हैं, अब टपूकड़ा में थानेदार लगाने का भी सात लाख रुपया लेते हैं...(व्यवधान) दस लाख रुपये लेते हैं। क्या खान बंद करेंगे? कोई भी बंदा नहीं जन्मा है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कोई बंदा जन्मा है तो बताओ न। मैं कहता हूं, नहीं बंद कर सकता। (व्यवधान) अवैध खनन में जाकर लोग घर बना लेते हैं, बाहर के लोग आकर बस जाते हैं और वह कहते हैं यह अवैध खनन करोगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। एक बात थोड़े ही है, हजारों बातें हैं जिसका कोई एक्शन नहीं हो सकता। आपके दिल में पीड़ा है, मुझे मालूम है पर आपका एक शब्द है what can I do? आप यह कह दोगे, what can I do?

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं यह नहीं कहूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्षजी, लोग कहते हैं, what can I do?

श्री अध्यक्ष: मैं यह नहीं कहूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम यह यह कहते हैं कि हमारे दिल में इच्छा होनी चाहिए, बंद करने की जाग्रति होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान में चार गुना रेवेन्यू बढ़ सकती है इस खनन से। राजस्थान में है ही क्या, खनन ही तो है हमारी आय का स्रोत। आबकारी है या खनन है। रेवेन्यू में तो कुछ है ही नहीं। खनन को अगर सुदृढ़ ढंग से काम किया जाय तो चार गुना रेवेन्यू बढ़ सकती है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह टपूकड़ा थाना कौन सा है, टपूकड़ा थाना?

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, खान के ऊपर जो बहस चल रही है...

श्री अध्यक्ष: बहस नहीं चल रही है, ध्यानाकर्षण है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): हां, जी, ध्यानाकर्षण जो है, इसी में मैं भी शामिल हूं। मेरे कहने का मतलब यह पूरा खनन का और खान डिपार्टमेंट का, दो-तीन मुद्दों पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक एम एल और पी एल यह बहुत बारीकी से है कि जितने भी बेरोजगार हैं, ये बहुत मेहनत से छोटी-छोटी खानों के लिए अपनी जगह...(व्यवधान) एक मिनट, मेरा पूरा हो लेने दें। अपनी जगह तलाशते हैं। लेकिन जब बेरोजगार अपनी जगह तलाश कर एम एल की खान लगा देता है तब यह खनन माफिया जिनके बारे में बता रहे हैं, पांच-सात खानों के ऊपर एक पी एल लगा देता है। पी एल के लगते ही वह छोटे खनन पट्टाधारी जिनको खान मिलनी चाहिए वह एकदम एक साइड में हो जाते हैं। एक क्वेरी शब्द इन्होंने निकाल रखा है खान विभाग ने, क्वेरी के नाम से एक लैटर निकाल कर और खान पी एल के नाम करके उनको एक तरफ कर दिया जाता है और थोड़े दिन बाद सूचना दी जाती है कि आपकी खनन का पट्टा इसलिए निरस्त किया जाता है कि सच एण्ड सच कमियां आपके अन्दर हैं। मैं यह चाहूंगा, आरोप मंत्रीजी पर, सदन पूरा चिंतित है लेकिन आरोप मंत्रीजी पर न लगायें, आरोप सिस्टम पर लगायें। सिस्टम यह एम एल और पी एल का एक तो... एक मिनट सर, सुनिये मेरी, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: बात अवैध खनन की हो रही है।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): अवैध खनन पर ही बोलूंगा जी मैं।

श्री अध्यक्ष: कहां बोल रहे हो आप? आप तो एम एल और जी एल में पड़ गये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं उसी पर ही बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं जिस तरीके से, एक मिनट, एक वह बता रहे थे अभी बिरलाजी कि सीमेंट फैक्टरियों से जो अवैध खनन होता है उसका सिस्टम सुधारा जाय। मैं यह कहूंगा कि एक सीमेंट के कट्टे में कितना लाइम स्टोन लगता है,

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

कितनी उसमें बाकी चीजें लगती हैं, आप उसका आकलन निकलवा लें और जितना प्रोडक्शन होता है, यह बोलने को बोलते हैं, हम ढाई लाख कट्टे रोजाना बनाते हैं, तीन लाख कट्टे, तो बगैर लाइम स्टोन के आपने बनाये थोड़े होंगे, बगैर बाकी चीजों के आपने। उसी की रायल्टी उसके आधार पर अगर निर्धारित हो जाय तो यह खान विभाग की चोरी आधी से ज्यादा नियंत्रित हो जायेगी।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जितनी भी रोड बन रही हैं, यह रोड के कांट्रेक्टर जब रोड का टेंडर देने से पहले यह कहते हैं कि इतना इसमें मैटेरियल खान का लगेगा..

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उसने कहां से लिया, उसकी रायल्टी की अगर जांच की जाय तो पता लग जायेगा। खनन, उसमें जो भी क्षेत्र हैं, जो खान विभाग का क्षेत्र ना है और वह दूसरे से यहां लेता है तो मेरा आपसे यह निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। मंत्रीजी। (व्यवधान) अब हो गया, जवाब तो देने दीजिये। जवाब देने दीजिये। (व्यवधान) आप तो बोल चुके।

श्री सुखराम (बसेड़ी): नहीं, अध्यक्ष महोदय, चवंदिया धौलपुर में होता है, धौलपुर में। धौलपुर में, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एक सेकंड। सिर्फ एक सेकंड। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गंगानगर में भी चोरी होती है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतनी सी बात है, आसन व्यवस्था कर दे, इस सदन की कमेटी बना दे, सारी बात सामने आ जायेगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बिलकुल, सबसे बढ़िया बात। (व्यवधान) जो घनश्याम तिवाड़ीजी ने, हमारे उप नेता महोदय ने रखी है, आप सदन की कमेटी बना दो। (व्यवधान) हमारे हनुमानगढ़ जिले में जितना जिप्सम का अवैध खनन हो रहा है, करोड़ों रुपये का और यदि मंत्रीजी मेरे साथ चलें, मैं इनको मौके पर बताता हूं, करोड़ों रुपये का...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अवैध खनन जबरदस्त हो रहा है, कोई आज तक रोकने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): डेली जा रहे हैं। जिससे खाद बनती है, एक बड़ी जरूरत की चीज है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। जवाब सुनें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे साथ चलें, मैं इनको दिखाऊं कि कितने ट्रक रोज के वहां के जिप्सम के जाते हैं। सबसे बढ़िया हल तिवाड़ीजी ने और जो बात कही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एम एल ए की कमेटी बनाओ और कमेटी इसका निर्णय करे। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी सदस्यों ने सदन में...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): धौलपुर में प्रशासनिक अधिकारी वहां पर रवन्ना...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बड़ी गम्भीर बात है, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, वह प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेकर के वहां पर रवन्ना इश्यू करते हैं, अपने इलाके में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। जवाब आने दीजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप हमारा जवाब तो सुन लो। (व्यवधान) क्या पर्फोर्मेंस दिखा रहे हो?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, क्या जवाब दोगे आप? चारों तरफ अवैध खनन हो रहा है।

एक माननीय सदस्य: जयपुर शहर में कोई माइन्स है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। मंत्रीजी का जवाब आने दें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): धौलपुर का, अध्यक्ष महोदय, धौलपुर का।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य। आ गयी बात, आपने कह दिया धौलपुर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जवाब सुनेंगे पूरा, पूरा जवाब सुनेंगे मंत्रीजी का, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहली बात यह है, सदन में पहली बार सब पक्षों के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। (व्यवधान) सुनो। अवैध खनन हो रहा है, पहले प्रिंसिपली मंत्रीजी यह स्वीकार करें कि अवैध खनन हो रहा है, फिर उनका जवाब सुनेंगे और यह मानते हैं कि नहीं हो रहा तो फिर सुनकर क्या करना है? ...(व्यवधान) पहले बताओ आप।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कोई बात होती है क्या? आपने अपनी (व्यवधान) आपने जब...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कालीचरणजी के क्षेत्र में कहां अवैध खनन हो रहा है? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सब लोग कह रहे हैं कि यह इनके क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके क्षेत्र में, माननीय, कहां खनन... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह पहला दृश्य है राजस्थान की विधान सभा में जब पक्ष और विपक्ष दोनों ने कहा है, राजस्थान की जनता...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, घनश्याम तिवाड़ीजी ने प्रस्ताव रखा है, कृपया उसको स्वीकार करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो जवाब तो आने दें सदन के अन्दर। (व्यवधान) सारे के सारे खड़े होने से क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप एम एल ए कमेटी की घोषणा करें...(व्यवधान) या तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं आपको। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सुनो तो सही, ऐसे ही खड़े नहीं हों। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य कह रहे हैं सरकार की मिलीभगत से पूरे राजस्थान में अवैध खनन हो रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बैठे तो सही, जवाब तो सुनें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) सरकार के संरक्षण में ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप शांति से जवाब सुनिये, तीन घंटे से सबके सवाल सुने हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिंदल कंपनी को अवैधानिक रूप से यह राजस्थान की सम्पदा सौंपना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी रिश्वित ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिंदल कम्पनी को राजस्थान की सम्पदा सौंपना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): एक-एक अधिकारी की वहां पर गेंगसा लगी हुई हैं, वहां पर धौलपुर में। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जवाब सुनिये, जवाब सुनो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक बात बिलकुल साफ हो गई कि सारे राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, सारे राजस्थान के बारे में कह रहे हैं और मंत्रीजी मानने को तैयार नहीं हैं कि अवैध खनन हो रहा है। हम चाहते हैं कि विधान सभा के सदस्यों के ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप जवाब सुनिये। उप नेता महोदय जी, जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सुनिये आप। (व्यवधान) मंत्रीजी तसल्ली से जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान)... आपको सदन की कमेटी बनाने में क्या आपत्ति है? ...(व्यवधान)... आपको कमेटी बनाने में क्या आपत्ति है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... क्या सम्बन्ध है जिंदल से? क्यों देना चाहते हैं करोड़ों की जमीन ...(व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपको कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है? आपको इसमें क्या है?...(व्यवधान)... जब सारा सदन यह कह रहा है कि अवैध खनन हो रहा है तो कमेटी बनाने में आपत्ति क्यों है? एक मिनट में घोषणा करो।...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने में असफल रही है। राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार मिलकर के राज्य के करोड़ों रुपए का...(व्यवधान)...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आज जिस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं बिलकुल असत्य हैं। आप मेरा जवाब सुनिये, पहले जवाब सुनिये। ...(व्यवधान)... +++ बोलने का काम कर रहे हैं ...(व्यवधान)... बोलने का काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमने कहा विधान सभा के सदस्यों की कमेटी बनाई जाए। ...(व्यवधान)... सदन का अपमान कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

सदन से बहिगर्मन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन।)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप जवाब सुनिये। आपके नाम हैं, इनमें आपके नाम हैं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब सुनो।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त, चर्चा समाप्त। आसन पाँव पर है। ...(व्यवधान)... चर्चा समाप्त, चर्चा समाप्त। आसन पाँव पर। मंत्रीजी बैठ जाए,

(श्री अध्यक्ष)

बैठ जाएं, आप आसन को चैलेंज नहीं कर सकते, बैठ जाएं। गम्भीरता को समझिए, सारा सदन इस बात के लिए चिंतित हैं कि अवैध खनन हो रहा है। आपको इस पर व्यवस्था यही है कि आप बैठ जाएं और कार्यवाही करिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री महिपाल मदेरणा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जवाब सुनिये ना, माननीय अध्यक्ष महोदय जवाब सुना ना? (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) यह कैसे सदन से चले गये? (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, सुनना पड़ेगा ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आपके हाथ में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त, चर्चा समाप्त।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेंडम आफ आर्टिकल्स के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड़ का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) इन्होंने इल्जाम लगाये; इनके नाम हैं, इनके नाम हैं, अवैध खनन में इनके नाम हैं। अध्यक्ष महोदय, आप आसन की व्यवस्था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इनके नाम हैं, इनके लड़कों के नाम हैं।

श्री अध्यक्ष: आप देंगे, आप नामों की सूची देंगे।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। नामों की सूची दे रहा हूं, यह सूची है, यह लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठिये, एक मिनट..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जवाब देना चाह रहे हैं तो मंत्रीजी के जवाब को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। यह?(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट, आप विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये आप, यहां पर बैठने के लिए नहीं आये हैं, यहां ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। एक मिनट, मैं एक काम निपटा लूं पहले। श्री मुरारीलाल मीणा। मैं आपको समय दे रहा हूं कृपया विराजें।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

I- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 ; एवं

एस. के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

II- एस. के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम की धारा-32(4) के अन्तर्गत एस. के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009.

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान।

नागौर से कुमारी तक सड़क को चौड़ी करने बाबत

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नागौर से कुमारी तक 15 किलोमीटर सड़क को चौड़ी करने बाबत चार व्यक्तियों की हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: खनिज मंत्रीजी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन व उससे हो रहे राजकोष को नुकसान

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी +++ हुआ जिसमें बातें रखी गई हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ एक्सपंज किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कैसी बात कर रहे हैं? (व्यवधान) यह हमारा अपमान है। +++ कह रहे हैं ...(व्यवधान) यह पूरे सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) इनके नाम हैं ...(व्यवधान) पराक्रम सिंह पुत्र डा. राजेन्द्र राठौड़ के नाम ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): +++ कह रहे हैं, पूरे सदन का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ को एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह राजस्थान की विधान सभा का अपमान है ...(व्यवधान) विधान सभा के सदस्यों का अपमान है ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): नाम नहीं जोड़े गए थे ...(व्यवधान) अवैध माइनिंग की बात ...(व्यवधान) सुनने का माद्दा रखिए, सुनने का ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको आपत्ति क्या है? मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न। आप बैठिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अवैध माइनिंग हो रही है राजनगर में बनास नदी पर ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पराक्रमसिंह पुत्र राजेन्द्र राठौड़। नाम हैं इन लोगों के। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। क्या बात करते हो? हम कोई चोर थोड़े ही हैं। (व्यवधान) जवाब देंगे आपकी बातों का, एक-एक चीज का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं यह ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनको होश नहीं है, यह क्या है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप बैठें, अभी सुनाता हूं, अभी जवाब देता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी का जवाब सुना न ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) आप विराजिए। जवाब सुनिये पहले, आपके हर सवाल का जवाब देना ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मंत्रीजी जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, सुनो न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह किसको धमका रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यह किसको धमका रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं। यह जवाब दे रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) हमारा अधिकार है। सबको सदन में ...(व्यवधान) अवैध खनन चल रहा है पूरे राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सूची बताइए। आपने कहा, मैं सूची बताऊंगा, सूची बताइए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यहां जो सबने बोले हैं उनके नाम बताओ, किस-किस के नाम खनन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो सूची बताओ, सूची बताइए सूची।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस विधान सभा में व्यवस्था यह है कि कोई भी माननीय सदस्य अपने हित के सवाल यहां नहीं उठा सकते। तो मंत्री महोदय यह बता दो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): I am on a point of clarification.

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): खनिज के मामले में किस-किस माननीय सदस्य के परिवार के लोगों के नाम खनिज खान हैं? पहले मंत्री महोदय यह नाम बता दें, सदन के पूर्व और वर्तमान सदस्य...

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बिलकुल-बिलकुल बताऊंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...के परिवारजनों के नाम, माइनिंग में कौन-कौन से नाम हैं?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बिलकुल बताऊंगा, पूरी लिस्ट है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): किन परिवार के सदस्य के नाम लीज है वह नाम बता दें पहले। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, I am on a point of clarification.

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह अपना सवाल यहां नहीं उठा सकते हैं। अपना सवाल यहां नहीं उठा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, आप मुझको अलाऊ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अपनी माइनिंग के लिए यहां नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय खनिज मंत्रीजी ने अपना जवाब प्रारम्भ नहीं किया, आरोपों से बौखलाकर इन्होंने मेरी तरफ इंगित करके कहा कि आपके परिवार के लोगों का अवैध खनन में नाम है। अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती दे रहा हूं, आप चाहे किसी की कमेटी बना लो, या तो ये सदस्यता से त्यागपत्र रख दें या मैं त्यागपत्र रखता हूं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इसमें सारी चीजों के नाम हैं ...(व्यवधान) सबके नाम हैं। हर चीज का जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं। यह जवाब है इनका? इसको एक्सपंज कीजिए आप। यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्रीजी बोलिए। सुनिये, सुनिये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या तरीका है? नहीं सुनना जवाब ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आप सुनने की क्षमता रखें (व्यवधान) और ज्वलंत मुद्दे उठाये हैं यह तो आना चाहिए ...(व्यवधान) रिकार्ड पर बात तो आने दीजिए।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। (व्यवधान) सुन्दरलाल जी, माननीय सम्माननीय हैं, आपका सम्मान करता हूं, आप विराजिए, पहले मेरी बात सुनिये। एक घंटे तक सुनी है आपकी बात, एक घंटे तक सुनी है। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का

(श्री रामलाल)

ध्यान आकर्षित किया जिसमें खास चीज पर नान टैक्स, एमनेस्टी योजना और अवैध माइनिंग, तीन चीजों पर माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। तिवाड़ी साहब, उप नेता महोदय ने नान टैक्स के मामले की बात रखी, हमारे माननीय डा. रघु शर्मा, केकड़ी से आने वाले सदस्य ने भी बात रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊंगा, पिछले वित्तीय वर्ष में 1,275 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, इस साल हमने 1,457 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर लिया है। 40 प्रतिशत हर साल के बजाय रेवेन्यू अधिक है। हमारा लक्ष्य था 1,560 करोड़ रुपए का और हमने प्राप्त किया 1,457 करोड़, अभी एक महीना और बाकी है। इसमें हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अगले वित्तीय वर्ष का भी 1,760 का हमने लक्ष्य रखा है उसको भी पूरा करेंगे। (व्यवधान) इसलिए यह कहना, आप सुनिये पहले, प्लीज-प्लीज आप विराजें, आप प्रश्न पूछिए फिर, माननीय सदस्य। उप नेता महोदय ने, नॉन टैक्स का जहां तक मामला उठाया है, पिछले साल साढ़े बारह सौ का था, हमने 1,275 तक प्राप्त किया इसलिए हमने पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा आय अर्जित की, माइनिंग विभाग ने। इसलिए नॉट टैक्स का कम का यहां प्रश्न ही नहीं उठता है।

दूसरा, काफी सदस्यों ने एमनेस्टी योजना की चिंता व्यक्त की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एमनेस्टी योजना विभाग में कोई पहली बार नहीं आई। पहले भी यह आई, 1997-98 में भी एमनेस्टी योजना लागू हुई, 2007-08 में भी लागू हुई, 2008-09 में भी लागू हुई, लेकिन बाकी की योजनाएं जो लाये उससे रेवेन्यू उतनी प्राप्त नहीं हुई। इस बार हम वर्तमान में जो एमनेस्टी योजना लाये इसमें हमने छह महीने तक अभियान चलाने का काम किया है और इसमें लगभग साढ़े पांच हजार व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे। 1950 से लेकर 2007 तक जो लीजी और खनन पट्टाधारी हैं, कई लोग तो मर चुके हैं और कई लोगों के बेटों के नाम गयी, वे भी मर चुके हैं। अभी हमारे 302 लोगों का पिछले महीने में आया जिसमें किसी का हजार रुपये और किसी का 124 रुपये, किसी का 205, किसी का पांच हजार, किसी का ढाई हजार, किसी का तीन हजार, तो हमने 50 से 60, दस साल के लिए उसमें कुछ मूलधन माफ करने की योजना रखी है। 1990 के बाद में हम एक भी व्यक्ति का मूलधन माफ करने की इस स्कीम में नहीं लाये। 1990 के बाद 2007 तक इस योजना में केवल ब्याज माफी ही रहेगी। उप नेता महोदय, इसमें लगभग 5,200 यानी लगभग साढ़े पांच हजार

(श्री रामलाल)

तक व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। इसलिए यह कहना, बजट के समय में माननीय मुख्य मंत्रीजी मौजूद थे, उस समय भी आपने यह मुद्दा उठाया था कि इसमें कुछेक लोगों के सौ करोड़, इस पूरी योजना में लगभग 77 करोड़ रुपये जिसमें मूलधन कुछेक लोगों का माफ होगा, जो 90 से 50 के बीच के हैं जिसमें 50 से 60 का 90 प्रतिशत, 60 से 70 का 80 प्रतिशत, 70 से 80 का 80 प्रतिशत और 80 से 90 का 70 प्रतिशत, बाकी 1990 के बाद किसी का भी मूलधन माफ नहीं है, सभी के ब्याज हैं। जो 302 लोग आये हैं उसमें हजार-डेढ़ हजार, दो हजार, पांच हजार आये हैं। यह लोगों का काफी अटका हुआ पैसा था, यह विभाग को मिल रहा है। यह बहुत अच्छी योजना है, इसमें सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए यह कहना आपका कतई गलत है, निराधार है, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का कि इस योजना में किसी का घपला हुआ है। यह एक अच्छी स्कीम है, अच्छी योजना है।

विभाग के प्रति पारदर्शिता लाने के लिए हमने डी एम जी आनलाइन योजना लागू की है जो पहली बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों पर, इस विभाग पर हमेशा करप्शन के चार्जेज लगते हैं, हमेशा इस विभाग पर उंगली उठी है लेकिन मैं आप सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करूंगा, +++ पूरा राजस्थान इस योजना को देख रहा है, डी एम जी आनलाइन को ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++ को यहां से सम्बोधित नहीं किया जा सकता। एक्सपंज करिये। आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय आप ही ने पूछा है, उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पाइंट आफ आर्डर। व्यवस्था का प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): व्यवस्था का प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यह नियम है और अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं कि सदन से गैलेरीज को सम्बोधित नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री महोदय ने सदन से गैलेरीज को सम्बोधित किया, यह एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज किया जाता है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सम्बोधित मैं नहीं कर रहा हूं ये योजनाएं...

श्री अध्यक्ष: आपने +++ सम्बोधित कर दिया था गैलेरीज को, उसको एक्सपंज कर दिया गया है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपकी कृपा है।

श्री अध्यक्ष: मेरी कृपा नहीं है, नियमों की व्यवस्था है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आसन की कृपा है। इस डी एम जी आनलाइन योजना से आपको अभी पन्द्रह मिनट पहले की राजस्थान में कितनी रेवेन्यू उपलब्ध हो रही है, यह सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो सकती है। इस योजना में कोई भी आवेदन करेगा तो कई बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरलैपिंग हो जाती है, एक आदमी जैसे जिन्दल शाह वाला उठा था मामला। एक आदमी ने पहले एप्लीकेशन लगा रखी है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, पांच आदमी, दस आदमी एप्लीकेशन लगा देते हैं। इस डी एम जी आनलाइन से वह रिक्त मिलेगा उनको, वे घर बैठे इंटनरेट पर उस रिक्त स्थान को देख कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे ओवरलैपिंग की समस्या नहीं रहेगी। उसमें कहां-कहां उनकी एप्लीकेशन रुकी हुई है, कहीं एंवायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं है, सरपंच की एन ओ सी नहीं आयी, कलक्टर की एन ओ सी नहीं आयी, जहां जो कमी उस एप्लीकेशन की रहेगी वह उसको खुद को इंटरनेट पर मालूम पड़ेगी। पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों से यह योजना लागू की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जिन्दल शाह का मामला आया है भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठायी थी। एमनेस्टी योजना में हमने अभी तक जो किया है उसमें बीस लाख रुपये आर एस एम एम के थे और 29 लाख रुपये हमारी योजना में केवल माइनिंग विभाग के आये हैं। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात पूछी। दूसरा था ... (व्यवधान) इतनी पारदर्शिता से डी एम जी आनलाइन चालू की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जिस समय 2005 में जिन्दल शाह की एप्लीकेशन लगी थी, उस समय सेल और इस्पात निगम की एप्लीकेशंस उस जगह लगी हुई नहीं थीं। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो बात बता रहे थे कि 'पहले आओ पहले पाओ', आप लोगों को खुद को मालूम है कि भारत सरकार के माइनिंग एक्ट का जो प्रोविजन है उसमें यह साफ लिखा हुआ है, उस समय सेल कंपनी और इस्पात कंपनी का आवेदन उसमें नहीं था। उसकी प्रोयोरिटी फिक्स की है। एम एम डी आर एक्ट की धारा

(श्री रामलाल)

11(5) के तहत 29.8.2007 को आपका ही राज था माननीय सदस्य, उन्हीं का राज था, आप वहीं से थे, उस समय उठाते यह मामला। (व्यवधान) अब आपके खुद की बात करें तो आप सुनना नहीं चाहते हो। सारी चीजें सुनना चाहते हो कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, यह हमने नहीं किया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो केवल यह चाहते हैं कि पक्ष-विपक्ष के लोगों ने जो आरोप लगाये हैं अवैध खनन के, क्या माननीय मंत्रीजी सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं? यह बताइये। आप कमेटी बनाकर जांच करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यह बताइये आप।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उस पर आ रहा हूं, मुझे मालूम है कब आना है। आप लोगों ने कहा, वह मैंने पूरी शालीनता से सुना, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) आप विराजिये, आपकी बात मैंने सुनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दिनांक 29.8.2007 को...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, जिन्दल शाह लिमिटेड का चक्कर उनके डिपार्टमेंट तक गया है। अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): एम एम डी आर एक्ट की धारा 11(5) के तहत उसको एल ओ आई जारी की है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): इनके डिपार्टमेंट तक गया है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा। एम एम डी आर एक्ट की धारा 11(5) के तहत 19.8.2007 को एल ओ आई जारी की उस समय इन्हीं का राज था और उसके बाद में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लीज किसने दी? (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राज-वाज की चर्चा मत करो। जिन्दल किसका आदमी है, सब जानते हैं। राज पर चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। आप सुनिये तो सही सारी चीजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एन ओ सी कौन दे रहा है, जिन्दल शाह को एन ओ सी कौन दे रहा है? किसके आधार पर दे रहे हो?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बड़े सीनियर हैं, पिछली बार भी फैसला सही लिया गया होगा।

श्री अध्यक्ष: कौनसा फैसला सही लिया गया? मंत्रीजी, कौनसा फैसला सही लिया गया? कौनसा फैसला सही लिया गया? आपने कहा कि फैसला पिछली बार सही लिया गया।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जवाब देने का, अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, जिन्दल कौन है, हम सब जानते हैं और जिन्दल कौन था, यह भी सब जानते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और उसको एन ओ सी किसने दी, यह भी हम जानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम जानते नहीं हैं क्या उसको? जिन्दल को नहीं जानते क्या? बात करते हो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जिन्दल शाह को 2007 में एल ओ आई जारी हो गयी ..

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) चार आदमियों की कमेटी बना दें, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है ... (व्यवधान) उसकी घोषणा कर दो। किसी ने आपको नहीं कहा, किसी ने भी, सारा हाउस, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं। आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं? (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं ... (व्यवधान) सारे तथ्य रख रहा हूं। मैं इनके डिपार्टमेंट के तथ्य रखना चाहता हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जब आपको जवाब मालूम है तो फिर मंत्रीजी से सवाल क्यों किया? सवाल किया ...(व्यवधान) सुन तो लें आप सब।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): वे स्वयं बता रहे हैं जिन्दल शाह की क्या एप्लीकेशन है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, सुरक्षा कीजिये। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) भारतीय खान ब्यूरो का जो अजमेर माइनिंग प्लान है जिन्दल शाह ने 11.8.2009 को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) जिन्दल शाह को एन ओ सी किसने दी? अध्यक्ष महोदय, अभी मेडिकल हैल्थ पर बहस होनी है।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मंत्रीजी, जिन्दल के बैकग्राउंड के बारे में बताइये। यह जिन्दल है या जिन्दाल?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): टेबल कर दें कागज। कागज टेबल कर दो फिर। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): 11.8.2009 को माइनिंग प्लान का नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसमें हम लोगों ने जो 12 खनन पट्टेधारी भीलवाड़ा के अन्दर हैं उन लोगों को एल ओ आई जारी की तब सुरक्षा नहीं दी थी। हमारी सरकार ने उन लोगों को, 12 लोगों को यह सुरक्षा दी कि उनका नवीनीकरण नहीं हुआ पट्टा लेकिन जब भी जिन्दल शाह वहां माइनिंग करेगा तब उनको उसके एरिया के अनुसार फ्री में पट्टे देंगे। यह व्यवस्था की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):...(व्यवधान) जिन्दल शाह क्यों करेगा माइनिंग राजस्थान की धरती पर? क्यों करेगा? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्यों करेगा? (व्यवधान) जिन्दल इसलिए माइनिंग करेगा कि कांग्रेस ने ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिन्दल से माइनिंग करायें ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जिन्दल कैसे माइनिंग करेगा? भीलवाड़ा को खा गया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): भीलवाड़ा को बेचना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अब आपके उसमें आ रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब देने दो पूरा।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दो न।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) सही जवाब दे रहे हैं तो इसमें कहां दिक्कत है? अब सुनने की शक्ति नहीं रखते। जब इतनी बात कही ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अभी आप सबके नाम आयेंगे।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय, हाउस को कंट्रोल करें।

सदन में नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

...(व्यवधान) जहां तक अवैध माइनिंग का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) अवैध माइनिंग पर राजस्थान के इतिहास में पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सभी विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सभी विभागों के तहत इतना बड़ा फैसला लिया, पहली बार जिनमें इनके नाम उजागर हो रहे हैं, इनकी पार्टी के नेताओं का नाम उजागर हो रहा है। इसलिए यह आज डर रहे हैं और वैल में आ रहे हैं। अवैध माइनिंग को रोकने के लिये राज्य सरकार दृढ संकल्पित है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार अवैध माइनिंग को रोकने के लिये इतना लम्बा अभियान, आर ए सी के अलावा होम गार्ड की बटालियन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खान विभाग, रेवेन्यू विभाग, पुलिस विभाग, डी जी, सारे विभागों की एक कमेटी बनी, एक टास्क फोर्स बनी जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी आदेश उसमें हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अवैध माइनिंग को रोकने के लिये इतना बड़ा फैसला और कदम उठाया। आज इन लोगों की माइनिंग बंद होती है इसलिए ये डरते हैं। किसी का क्रेशर बंद हो रहा है, किसी की माइन बंद हो रही है एंवायरनमेंट क्लीयरेंस की वजह से । आज ये वैल में आ रहे हैं, अगर हिम्मत है तो चर्चा करा कर देखिए । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.51 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

(समय : 16.51 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांगों के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का सामय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, I am on a point of clarification. सभापति महोदय, खान राज्य मंत्री ने...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब कब की बात खतम हो गई, वापस ही क्यों शुरू करना चाह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: आय व्ययक अनुमान 2010-11 के अनुदान की मांगों पर विचार। श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, I am on a point of clarification.

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि (व्यवधान) मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले...(व्यवधान) व्यय के निमित्त...(व्यवधान) राज्यपाल महोदय को रुपये 28,11,11,46,000/- (अटठाइस अरब ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख छियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए। (व्यवधान)

(मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, यह क्या बीच में? बात खतम हो गई, इसमें अब क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अभी खान राज्य मंत्री ने ...(व्यवधान) मैं पर्यटन मंत्री को ...(व्यवधान) कि अपनी अध्यक्षता में समिति बना लो, बीना जी। आप मेरे को और मेरे परिवार को जानती हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: मास्टर भंवरलाल मेघवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अवैध खनन अगर मैं और मेरा परिवार कर रहा है...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): लेकिन माननीय सदस्य बात ही खतम होती है, दुबारा वापस शुरू करने का क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर मैं दोषी पाया जाता हूं... (व्यवधान) तो मैं सदन से इस्तीफा दूंगा वरना खान राज्य मंत्री इस्तीफा दें। मजाक बना रखा है। (व्यवधान)

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार की प्रस्तुति

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में...(व्यवधान) किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,73,80,000/- (एक अरब तेइस करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए। (व्यवधान)

(मांग संख्या 23 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: (व्यवधान) श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, तारानगर वाले सदस्य ने पिछली बार भी...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, विराजें। माननीय मंत्रीजी, विराजें। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पिछली बार भी हाउस में ...(व्यवधान) मैंने उठाया दूध डेयरी का मामला। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): खान इनके नाम पर, बच्चे के नाम पर..(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, विराजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अवैध माइनिंग को सरकार रोकने का काम कर रही है। (व्यवधान) और केवल जोर से बोलने से थोड़े ही होता है। जोर से बोलने से नहीं होता, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं?

श्री सभापति: मंत्रीजी। (व्यवधान) विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपका जोर से बोलना भी ... (व्यवधान) आपकी बपौती भी नहीं है सदन। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सदस्य जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जोर से सदन नहीं चलता हैं, (व्यवधान) सदन नियम, कानून व परम्परा से चलता है। आप सीनियर है, सीनियर होने का, नियमों का फायदा उठा रहे हैं। नाजायज है। (व्यवधान) आपके नाम है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपका जोर से भी...(व्यवधान) नहीं चलेगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): परिवार के नाम, बच्चे के नाम...(व्यवधान) पत्नी के नाम, सदस्यों के नाम (व्यवधान) अलाट किया गया। यह रिकार्ड के अन्दर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कुछ भी करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, इस पर चर्चा समाप्त । श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान)

मांग संख्या 26 व 23 पर विचार

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है। हमारे प्रदेश की जो चिकित्सा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

व्यवस्था है उसमें अभी इतने ज्यादा काम करने की आवश्यकता है जिससे इलाज के अभाव में जिस बीमारी का इलाज सम्भव हो वह मरीज मरे नहीं। पडोसी राज्यों से हमारी तुलना करें तो हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं।

जब-जब भी राजस्थान में हमारी सरकार आई तो हमने पूरा प्रयास किया कि चिकित्सा सेवा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाय। सन् 1990 में माननीय भैरोसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे और माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री थे, तो पहली बार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के एक नीति बनाकर राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया। नीति बना दी कि हर 2000 की आबादी पर एक सब-सेंटर होगा, हर 10 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा, हर 30 हजार की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। एक नीति बनाकर, कभी भेदभाव नहीं किया कि इलाका कांग्रेस का है या बी जे पी का है। उस समय जो रिकार्ड अस्पताल खुले, क्रमोन्नत हुए उसकी गवाही आप खुद दे देंगे।

उसके बाद जब माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ को मौका मिला तो उन्होंने भी उस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया। हमारे अस्पताल जो छोटे-छोटे बजट के लिए सरकार की ओर मुंह ताकते थे वह खुद आत्मनिर्भर कैसे बन जाए, यह आर एम आर एस की योजना, यह माननीय राजेन्द्र सिंह राठौड़ की देन है। उससे आज कितनी आमदनी होती है, अस्पताल में यह सबको पता है। बाहर की दुकानों पर दवाई मंहगी मिलती है तो यह भी शुरुआत की कि आर एम आर एस की दुकान अस्पताल के अन्दर हो जाए और गरीब मरीज को वाजिब दर पर दवाई मिल जाए। कहीं आवश्यकता थी सब-सेंटर खोलने की, कहीं पीएचसी खोलने की, कहीं सिटी डिस्पेंसरी खोलने की, कहीं क्रमोन्नत करने की तो किसी प्रकार की कोई कमी उस काल में नहीं रही।

यह क्रम वापस जब दिगम्बर सिंह जी चिकित्सा मंत्री बने, उसके पहले चिकित्सालय भवनों की हालत देख लें, राजस्थान के अधिकांश चिकित्सालय भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके थे, भवन ऐसे कि मरीज को अन्दर लेटते हुए डर लगता है कि कहीं छत न गिर जाए। सारे अस्पतालों के नवीनीकरण का अभियान उनके काल में चला। मैं खुद गवाह हूं, मेरे पाली बागड़ अस्पताल में चार करोड़ की राशि अस्पताल के नवीनीकरण में खर्च हुई।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जो अस्पताल पहले खण्डहर दिखता था आज आलीशान महल की भांति दिखता है। मरीज बाहर से देखते ही खुश होता है । आवश्यक उपकरण भी हर चिकित्सालय को उपलब्ध कराये। सीटी स्केन मशीन, जितने भी जिला अस्पताल हैं सबको उपलब्ध करा दीं। खून पेशाब की जांचों के उपकरण हैं वे भी उपलब्ध कराये । किसी प्रकार की कोई कमी नहीं।

उसके बाद भी, नरपतसिंह जी राजवी चिकित्सा मंत्री बने तो उन्होंने भी अपनी ओर से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। जितने भी ट्रोमा सेंटर नेशनल हाइवे पर स्वीकृत होने चाहिए, यह उनकी देन है कि उस समय उनके काल में उन्होंने स्वीकृत करवाये वे। कुपोषण के शिकार बहुत सारे बच्चे हमारे प्रदेश में मौजूद हैं, जितने भी जिला चिकित्सालय हैं वहां कुपोषित के लिए अलग वार्ड बन जाए, उसकी व्यवस्था भी की।

(समय : 17.00 बजे)

हमारी मुख्य मंत्रीजी इस मामले में बहुत उदार रहीं। जननी सुरक्षा योजना, यह उनके काल की देन है वरना पहले घर में प्रसव होते थे।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): यह केन्द्र सरकार से मिला था पैसा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह उनके काल में आई; हां, उनके काल में आई।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): केन्द्र से पैसा आया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हां, आप भी लाओ ना केन्द्र सरकार से पैसा। कौन मना करता है आपको? आप भी लाकर चालू करो ना। कोई नई योजना चालू करो ना। पूरी बात तो सुन लें आप।

जहां-जहां आवश्यकता महसूस की गई तो वहां भी नये अस्पताल देने में कोई कमी उन्होंने नहीं रखी। माननीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी भी है। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में, सन 2009-10 के बजट में हमने प्लान में 311.22 करोड़ रुपये यहां पारित किये थे और खर्च किये हमने 205.48 करोड़ रुपये। माननीय मंत्री महोदय, बहुत आवश्यकता थी। इस पैसे को बचाने की आवश्यकता नहीं थी। 105.74 करोड़ की राशि हमने कम खर्च की जो राजस्थान की जनता का अधिकार बनता था। इतना ही नहीं,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सी.एस.एस. में भी हमने प्रावधान रखा था 5.39 करोड़ का और खर्च कर पाये हम मात्र 2.13 करोड़ रुपये। इस बार तो हमने प्लान में बजट ही कम कर दिया, जो पिछले साल 311.22 करोड़ था, उसको घटाकर 287.34 करोड़ कर दिया और सी.एस.एस. में मात्र 2.37 करोड़ रुपया। यह बजट कम करने से आप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं, उनसे अगर पूछ लें कि चिकित्सा मंत्री कैसे हैं; सबका उत्तर एक आयेगा, बहुत अच्छे, बहुत भले हैं। सबका उत्तर आयेगा, चाहे पक्ष का होगा, चाहे प्रति पक्ष का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में यह पूछ लें कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसी है; अधिकांश कहेंगे, खराब है, बुरी है। यह अधिकांश का जवाब आयेगा, चाहे सत्ता पक्ष का सदस्य हो, वह भी कहेगा। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें प्रदेश की जनता को हैं। आपके कंधे पर बहुत बड़ा भार इस प्रदेश की जनता को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी है। आज जो आवश्यकता है चिकित्सा की और आज जो हम संसाधन दे रहे हैं चिकित्सालयों को, उन दोनों को देखेंगे तो बहुत बड़ा अन्तर आपको नजर आयेगा। अब आने वाले समय में आप इस अन्तर को कैसे कम कर सकते हो, यह माननीय मंत्रीजी आपको करना होगा। जहां चले जाओ, वहां आपको समस्या नजर आयेगी।

मैं सवाई मान सिंह अस्पताल की बात कर लूं। आपकी जानकारी में है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में है, सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में है, सवाई मानसिंह अस्पताल में अच्छे डाक्टरों की कोई कमी नहीं। एक से बढ़कर एक अच्छे डाक्टर, जिनकी प्रतिष्ठा है, पैठ है, जो कुशल हैं, होशियार हैं, जो बहुत अच्छे आपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं; उनसे जाकर पूछ लो, उनके पास संसाधन क्या हैं, एक भी कुशल चिकित्सक आपको सन्तुष्ट नजर नहीं आयेगा। सारे के सारे दु:खी, सारे ही कहते हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल है, यहां गरीबों की सेवा का अवसर हमें मिलता है, इसलिये हम यहां बैठे हैं, वरना जो हमारी हालत सरकार ने कर रखी है, हमारी इच्छा होती है कई बार कि हम नौकरी छोड़ दें। चाहे न्यूरो-सर्जरी ले लो, चाहे न्यूरोलाजी ले लो, चाहे कार्डिक-सर्जरी ले लो, कार्डियोलाजी ले लो, यूरोलाजी ले लो, जनरल-सर्जरी ले लो, इतने कुशल डाक्टर हैं आपके पास कि बाहर के प्रान्तों के मरीज इतनी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अव्यवस्था होने के बाद भी यहां आपरेशन करवाने आते हैं। मंत्री महोदय, यदि आप संसाधन उपलब्ध करवा देंगे तो बहुत बड़ी राहत आप जनता को दे पायेंगे। चिकित्सक भी अपनी कुशलता का पूरा उपयोग अपनी सेवाओं के रूप में दे पाएंगे। वरना वे जो परिणाम देना चाहते हैं उस परिणाम तक वे पहुंच नहीं पाते।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी सीटी-सर्जरी का आपको खुद को पता है। पहले भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि नहीं, हम प्रयास करेंगे, मानसरोवर में मानस भवन में इसको हम शिफ्ट करवा देंगे, कार्डियोलाजी सेंटर बना देंगे। वह व्यवहारिक नहीं था, इतना सम्भव नहीं कि वहां कर दें वह क्योंकि यहां भी कार्डियोलाजी की आवश्यकता होती है। कार्डिक-सर्जरी में मरीजों के आपरेशन की वेटिंग आपको पता है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, सारे माननीय सदस्यों को पता है कि कितनी वेटिंग है। 6-8-10 महीने पहले मरीज का आपरेशन के लिये नम्बर नहीं आता है। डाक्टर चाहे कितने भी प्रयास कर लें अपनी ओर से, उनकी अपनी मजबूरी हैं, संसाधन हैं नहीं, चाहते हुए भी वे आपरेशन नहीं कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, मैंने आपकी जानकारी में एक बात लाई, आपने डाक्टरों को बुलाकर बात की और आपने बहुत जल्दी, आपरेशन की संख्या बढ़ जाए, उसके लिये एक थियेटर की व्यवस्था कर दी। उसके लिये आपको धन्यवाद दूंगा। पर उससे वेटिंग कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। वेटिंग खतम करने के लिये आपको कुछ संसाधन और देने होंगे। यह जो सीटीसर्जरी का स्ट्रक्चर है, 1971 में यहां सीटी सर्जरी चालू हुई थी। उस समय मामूली होती थीं, साल की 15-20, बस। बढ़ते-बढ़ते 1993-94 तक 150-200 पहुंचीं। 1994 में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने बांगड़ परिसर में नई सीटी-सर्जरी यूनिट खड़ी की और उस समय संसाधन दिये कि 200 की आवश्यकता है, 250 आपरेशन प्रति वर्ष हो जाएं, इतने संसाधनों की व्यवस्था उन्होंने सरकार की ओर से की। 1994 के बाद में हमने उन्हें कोई संसाधन नहीं दिये। वही वार्ड, वही थियेटर, वही आई.सी.यू.। मैं धन्यवाद दूंगा सीटी सर्जरी के डाक्टरों को कि संसाधन दिये सरकार ने ढाई सौ आपरेशन के और पिछले वर्ष किये उन्होंने 712 आपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी के। 250 की तुलना में 712 आपरेशन किये। उनकी ताकत है साल में 2000 आपरेशन करने की, उनको आवश्यकता है संसाधन की। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से उनको संसाधन जुटाएंगे।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

वार्डों की हालत भी देख लो आप। एक भी वार्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मरीज गैलेरी में नहीं लेटे हुए हों। न्यूरो-सर्जरी का मरीज, जिसका पूरा सिर खुला हुआ और बाहर गैलेरी में उसके ग्लूकोज चढ़ रहा है। हमारी आंखों के सामने है। मरीज को भर्ती कराने जाओ तो बैड ही नहीं। कैसे भर्ती करें? बैड ही नहीं, जगह ही नहीं है। कोई सीरियस पेशेंट है, जगह ही नहीं है।

मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि एस.एम.एस. में आज भी इतना बड़ा स्पेस कई वर्षों से खाली पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अगर उस स्पेस का भी हम सही उपयोग कर लें तो मरीजों को बहुत बड़ी राहत हम दे पाएंगे। आप खुद चलकर देख लें, एक बार। धूल जम गई बिल्डिंगों के अन्दर, पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, वर्षों से खाली पड़ी है, 6-6 साल से खाली पड़ी है। एक तरफ आपको जगह नहीं है मरीज को बेड देने की और दूसरी तरफ आपकी बिल्डिंग खाली पड़ी है। इसमें तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। यदि आप कर पाएंगे तो मरीजों का बहुत बड़ा भला हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को टी.बी. के मरीजों की पीड़ा भी बताना चाहूंगा। हम बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम जितने भी टी.बी. के मरीज हैं उनको नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाते हैं, डॉट्स कार्यक्रम के माध्यम से। इस डॉट्स कार्यक्रम के परिणाम अगर आप देख लो क्योंकि मैंने देखे हैं, मुझे पता है, यह अपर्याप्त दवाई है, इससे मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं होता। कैटेगरी-फर्स्ट या थर्ड में होता है वह धीरे-धीरे कैटेगरी -टू में चला जाता है और टू में भी फिर उसको अपर्याप्त दवाई मिलती है, वह आगे जाकर एम.डी.आर. में बदल जाता है और उसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। उसके बाद बहुत महंगा भी होता है और बहुत मुश्किल भी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं पांच मिनट और लूंगा, अच्छा।

माननीय मंत्रीजी एक बार इस डॉट्स कार्यक्रम को वापस आप परीक्षण करवा लें कि वाकई में यह कारगर है या नहीं। वरना हमारे भरोसे मरीज दवाई लेता है लेकिन बीमारी अपनी शरीर से वह खतम नहीं कर पाता, आखिर में उसको कुछ दिनों के बाद अपना जीवन छोड़ना पड़ता है। डॉट्स की सही हालत यह है, माननीय मंत्रीजी।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय मंत्रीजी, राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम की जो दुर्दशा इस साल हुई है, उसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से भी हुई होगी। सन् 2007-08 में हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय अंधता निवारण अभियान के तहत मोतियाबिंद के 3,16,676 आपरेशन हुए थे। 2008-09 में घटकर 2,23,690 आपरेशन ही हम कर पाये। कुछ घटनाएं हो गयीं हमारे अस्पतालों में जिससे कुछ लोगों की आंखें चली गयीं और उसमें हमने इतनी ज्यादा सख्ती कर दी कि जो समाज सेवी संस्थाएं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही थीं, उनके हाथ हमने बांध दिये। इस वर्ष क्या हुआ, 2009-10 में, जनवरी, 2010 तक हम मात्र 1,55,759 मतलब, 2007-08 की तुलना में आधे से भी कम मोतियाबिंद के आपरेशन हमारे प्रदेश में हुए। हो सकता है डाक्टरों की लापरवाही से, दवाई गड़बड़ होने से, थियेटर ठीक नहीं होने से 25-50 लोगों ने अपनी आंखें गवा दी होंगी लेकिन मोतियाबिंद के आपरेशन नहीं करवाने से कितने लोग अपनी आंखें गंवा बैठेंगे, उस ओर भी आपको कुछ सोचना होगा, माननीय मंत्रीजी, वरना हर गांव में आपको बहुत सारे अंधे नजर आने लग जाएंगे क्योंकि कइयों की हैसियत नहीं है कि वे पैसा खर्च करके यह आपरेशन करवा सकें। पहले समाजसेवी संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य करती थीं और उनके माध्यम से वह सारा आपरेशन नि:शुल्क हो जाता था, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता था। आपको वापस मेरा आग्रह रहेगा कि समाज सेवा संगठन जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं उनसे बैठ कर बात करें। सरकार अपनी ओर से कोई एडवाइज देना चाहे, कोई सलाह देना चाहे तो उनको दे कि आप अपना थियेटर ऐसा रखें लेकिन उनको प्रोत्साहन देने की बहुत आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बार उनकी बैठक भी बुलायी थी पिछले वर्ष, कुछ काम भी चालू हुआ उसमें लेकिन आज भी थोड़े वे शंकित हैं, पूरी ताकत से वे काम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट लूंगा। सिर्फ पांच मिनट।

श्री सभापति: पांच मिनट बहुत अधिक हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं मेरी पार्टी से, पहला मौका दिया है और माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट। पांच मिनट।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको पता है कितने बोलने वाले हैं? बहुत बोलने वाले हैं आज।

श्री सभापति: शीघ्र से शीघ्र, जल्दी करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, बोलने की इजाजत मेरी पार्टी के दे रहे हैं मुझे, मुख्य सचेतकजी और यह दोनों ने दी है।

श्री सभापति: स्पीड बढ़ाओ आप, स्पीड से।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपके विभाग के निष्पादन आय-व्यय विवरण में पृष्ठ संख्या-7 में लिखा है कि हमारे प्रदेश में पांच वर्ष से कम उम्र के 45 परसेंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इतनी भुखमरी हमारे प्रदेश में नहीं है कि 45 परसेंट बच्चे कुपोषण के शिकार हों और यदि 45 परसेंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं तो यह पूरे सदन के लिए एक बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, माननीय मंत्री महोदय।

माननीय मंत्री महोदय, मैंने पांच-छह साल पहले एक फिल्म देखी थी क्योंकि आप मुझे शार्ट करने का बोल रहे हो, मेरे बहुत सारे विषय थे, 'मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस', यह फिल्म देखी थी मैंने पांच-छह साल पहले, उसमें एक टपोरी होता है और किसी दूसरे प्रतिभावान छात्र को एम.बी.बी.एस. की परीक्षा में बैठा कर खुद डिग्री हासिल कर लेता है। अपने प्रदेश में भी ऐसे मुन्नाभाई बहुत हो रहे हैं जो आपकी जानकारी में आ गये तो जांच हुई थी, इसमें पाया ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): साफ-साफ बोलो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जो आई.जी., पी.के. सिंह की कमेटी बनी थी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से, उसने जो 74 पृष्ठों की जांच की वह जांच रिपोर्ट आपने पढ़ ली होगी; माननीय मंत्रीजी, उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट है कि 16 फर्जी छात्र दूसरों के लिए डिग्री लेने बैठ गये। सरकार की जानकारी में आ गया। उसके अलावा आपके जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं, उसमें कितनी-कितनी अनियमितताएं हुई, यह भी उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है और उन अनियिमतताओं में कौन-कौन सरकारी अधिकारी जिम्मेदार थे, उसका नाम भी दर्शाया है। माननीय मंत्री महोदय, जब सारी बात सामने आ गयी कि एडमिशन में धांधली हुई महात्मा गांधी मेडिकल कालेज में, फर्जी छात्रों ने एग्जाम दिया, यह भी सामने आ गया, उसके बाद भी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे तो यह सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जो-जो अधिकारी इसमें लिप्त रहे, जिन्होंने फर्जी छात्रों को परीक्षा में बैठने दिया या पता लगने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं रोका या उनकी डिग्री कैंसिल नहीं की या जो पात्र छात्र थे जिनको एडमिशन मिलना था उनका एडमिशन नहीं हुआ और जो छात्र आर.पी.एम.टी. में फेल हो गये थे वे किसी न किसी जुगाड़ से आकर एडमिशन कराने में सफल हो गये, इसमें जो-जो दोषी हैं न, मेरा आग्रह रहेगा कि किसी को बख्शना मत वरना अस्पताल में इलाज कराने कोई नहीं जाएगा। फर्जी डाक्टर आ जाएंगे न तो किसी को अपनी जान नहीं गवानी। इसलिए यह बिलकुल आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय मंत्रीजी, मेरे क्षेत्र की भी मैं बात कर लूं अन्त में, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि आपने बहुत कम समय दिया है। मेरा बांगड़ अस्पताल जिला अस्पताल है और उसमें एस.एस. ई.एन.टी. का पद, जे.एस. ई.एन.टी. का पद लम्बे समय से खाली है। कोई डाक्टर ही नहीं, जबकि जिला अस्पताल है। एस.एस. मेडिसन का पद खाली है, एस.एस. रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली। किसी को एम.एल.सी. करवानी है तो जोधपुर जाओ, मेडिकल कालेज में वहां से एम.एल.सी. करवाकर वापस एक्सरा लाओ। एम.ओ. के 27 में से 14 पद रिक्त। कोई दो-चार पद रिक्त हो जाए तो बात दूसरी, 27 में से 14 पद रिक्त हैं। तो हम तो डाक्टरों को बहुत दे रहे थे पाली वाले, पाली की जनता डाक्टरों की बहुत सेवा करती है। एस.एम.ओ. के सात पद थे, उसमें पांच पद ही समाप्त कर दिये। मेहरबानी करके जो रिक्त पद हैं उनको आप भरवाने की व्यवस्था करें, माननीय मंत्रीजी।

एक माननीय मंत्रीजी से मैं अंतिम निवेदन कर दूं। माननीय सभापति महोदय, अन्तिम निवेदन, मैं इस धन्यवाद के साथ अन्तिम-अन्तिम ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब बस आप विराजो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा एक अन्तिम अनुरोध है। माननीय मंत्री महोदय, आपने जनता को शुद्ध चीजें मिलें, उसके लिए फूड इंस्पेक्टर बना रखे हैं। मैंने होली के दो दिन पहले आपसे टेलीफोन पर पाली के फूड इंस्पेक्टर, जिसने पाली की जनता से एक महीने में दस लाख से ज्यादा राशि डरा-धमका कर वसूल की, उसकी जानकारी दी। आपको उस बात के लिए तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

धन्यवाद दूंगा कि आपने एक घंटे में उसको ए.पी.ओ. कर दिया पर यह सज़ा अपर्याप्त है। आपने कर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं आपको लेकिन यह सज़ा उसके लिए अपर्याप्त है। आपका खुद का सी.एम.एच.ओ. कह रहा है कि उसने मेरे नाम से कि मेरी बेटी की शादी है, सी.एम.एच.ओ. की बेटी की शादी है, इसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। आपका सी.एम.एच.ओ. इस बात की खुद पुष्टि कर रहा है (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा आग्रह रहेगा ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, आप इतने ईमानदार, इतने भले, आपके डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्ट व्यक्ति रह जाये आपके होते हुए, मेहरबानी करके उसको निलम्बित करो ताकि एक अच्छा संदेश जनता के बीच में जा सके कि आप अच्छे हैं तो आप डिपार्टमेंट को भी अच्छा करेंगे।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह बहुत करबद्ध निवेदन है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चिकित्सा और रोजगार के ऊपर चर्चा हो रही है और कल शिक्षा और कला एवं संस्कृति पर चर्चा है। सदन आप सबके सहयोग से चलेगा, इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध अपील करूंगा कि वे अपने क्षेत्र के विषय में बोलेंगे तो मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो हो सकता है कोई न कोई समाधान निकले और जो समस्या है उसकी सरकार को जानकारी मिले। अगर हर माननीय सदस्य पूरे राजस्थान को कवर करने लग गये तो यह चर्चा कल तक भी समाप्त नहीं हो सकती। आसन पूरी तरह से तैयार है, जितना आप बोलें कि हम तो सब बोलेंगे तो हम भी तैयार हैं पूरी तरह से कि आप बोलें, लेकिन मेरा निवेदन है कि कल बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है।

इसलिये मेरी आपसे पुन: अपील है, उप नेता महोदय आपको, सचेतक महोदय, आपको कि आप मेहरबानी करके अपने सभी माननीय सदस्यों को यह थोड़ा इंगित अवश्य करवा दें कि वे सिर्फ अपने क्षेत्र तक बोलें और सीधा-सीधा बोलें बिना कोई भूमिका बनाये। आधा समय तो उसी में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिये आप सीधा-सीधा अपने विषय पर बोलें। मैं घंटी न बजाऊं, उसका आप ख्याल रखें और पाँच-पाँच मिनट के अन्दर अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।

डा. परम नवदीप।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं मांग संख्या-26 पर सदन में अपने विचार रखना चाहती हूं। आज हमारी सरकार की भूमिका एक कल्याणकारी सरकार की भूमिका है और हम सभी समझते हैं कि समाज के अन्दर जो प्राणी हैं, मनुष्य है, जो ह्यूमन-बिइंग है, यदि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो समाज का विकास होगा। इसी बात को लेकर हमारे देश में 1978 में अलमाआता घोषणा के अनुरूप हमारे देश की स्वास्थ्य नीति बनी 1982 में और राजस्थान में हमारी स्वास्थ्य नीति बनी 1983 के अन्दर। विभिन्न सरकारें आईं, सभी सरकारों ने और सरकार के नुमाइंदों ने अपने काम किये। मैं समझती हूं, राजस्थान के अन्दर यदि हम कम्पेरिजन करें, यदि हमें बजट केन्द्र से भी मिलता है तो हमारी जो टोपोग्राफी है, वह बहुत डिफरेंट है। बहुत दूर-दूर तक हमारी ढाणियां हैं और हम चाहकर भी बहुत बार हर व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पाते। स्वास्थ्य विभाग यह करे कि इतनी जनसंख्या पर उन्हें एक या दो ए एन एम देनी है या जी एन एम इतनी देनी है तो कई बार संख्या या कभी एरिया जैसलमेर या बाड़मेर इस तरफ जायें तो इस इलाके के अंदर इतनी दूर-दूर तक ढाणियां हैं, एक ए एन एम या एक डाक्टर के लिये वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मुद्दा यह आता है कि यह स्वास्थ्य सेवाएं हम दे सकें। हकीकत यह है कि जो पैसा हमारे राजस्थान में चिकित्सा सेवा पर लगता है, वह लगभग दुगुना या तिगुना होता है किसी अन्य प्रदेश के कम्पेरिजन में।

मैं धन्यवाद देती हूं हमारे कल्याणकारी मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने आते ही शुरुआत में एक गरीब, बी पी एल परिवार का आदमी, जो कभी अपना इलाज नहीं करा सकता था और बड़ी तकलीफ में रहता था, जैसे हार्ट की बीमारी हो, स्टेंट डलवाना हो, बाई-पास करवाना हो, इसकी तो कभी सोच ही नहीं सकता था तो मुख्य मंत्रीजी ने आते ही सबसे पहले यह घोषणा की कि बी पी एल परिवारों को मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से नि:शुल्क इलाज दिया जायेगा। अभी इस बजट में मैं फिर बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने बी पी एल परिवारों के अतिरिक्त अनाथ बच्चों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों और निशक्तजनों को भी इसमें जोड़ा है। यह बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में मैं समझती हूं मील का पत्थर साबित होगा। एक भागीरथी प्रयास होगा मुख्य मंत्रीजी की तरफ से, उसके लिये हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं।

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

अभी, सभापति महोदय, आपने यह बात कही कि छोटे और कम शब्दों में बात कहनी है तो मैं समझती हूं, बात के साथ-साथ हम हमारे सुझाव हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय को दे देते हैं। माननीय मंत्री महोदय, निशक्तजनों के अन्दर यदि आप किडनी पेशेंट को भी जोड़ लेंगे..

श्री सभापतिः चिकित्सा मंत्रीजी, वे डाक्टर हैं, कुछ सुझाव दे रही हैं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): निशक्तजनों में यदि आप किडनी पेशेंट को भी जोड़ लेंगे तो आमजन का बहुत भला होगा, क्योंकि जो एक किडनी पेशेंट है, क्रोनिक किडनी पेशेंट जो होता है उसकी दवा में भी बहुत खर्चा आता है और उसका जीवन इस तरह हो जाता है कि यदि उसके पास पैसा है तो जीवन है, यदि पैसा नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आपने प्राइमरी हैल्थ वर्कर दिये, एक ए एन एम दे रहे हैं, पांच हजार ए एन एम की आप भर्ती कर रहे हैं, प्रत्येक ग्राम स्तर पर आप सब-सेंटर देने जा रहे हैं, 537 सब-सेंटर्स की आपने घोषणा की, इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। सभी राज्य मार्गों पर, राष्ट्रीय मार्गों पर और जिला मुख्यालयों पर आप ट्रोमा सेंटर देने जा रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि ये बहुत अच्छी घोषणाएं हैं पर जिस इलाके से मैं आती हूं संगरिया, यह बोर्डर का क्षेत्र है, यहां हरियाणा और पंजाब दोनों का बोर्डर लगता है, Sangaria is the gateway of Rajasthan for Haryana and Punjab, तो हरियाणा के लोग वहां से तीव्र गति से आते हैं या पंजाब से आते हैं या हमारे यहां से जाते हैं तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। यदि एक ट्रोमा सेंटर आप मेरे संगरिया में देंगे तो मैं समझती हूं यह जन हित में होगा।

आपने आमजन को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिये जन औषधि केन्द्र बनाया और बी पी एल परिवारों के अलावा गरीबों को गम्भीर रोगों के उपचार के लिये उनकी आय की लाइन थी, वह 24 हजार से बढ़ाकर आपने 40 हजार रुपये करने के आदेश दिये हैं, इसके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

जिला मुख्यालयों पर आपने आई.सी.यू. दिये, ट्रोमा सेंटर भी दिये, आपने हनुमानगढ़ में आई.सी.यू. दिया है, मैं समझती हूं जिला मुख्यालय पर आई.सी.यू. देने से काम नहीं चलेगा। मरीज तो गांव में भी हैं, तहसील में भी हैं, जिला मुख्यालय पर भी हैं, शहर में भी हैं। यदि आप जिला मुख्यालय पर

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

आई.सी.यू. दे रहे हैं तो मंत्री महोदय, हमारे संगरिया के अन्दर आई.सी.यू. का प्रावधान करें, क्योंकि मरीज तो हर जगह हैं।

सबसे बड़ा साधुवाद आपको और मुख्य मंत्रीजी को देना चाहती हूं जो आपने 108 एम्बुलेंस दी हैं। लगभग 164 एम्बुलेंस तो पूरे प्रदेश में आ चुकी हैं, 150 आप और लाने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को बताना चाहती हूं, एक बहुत सुखद अनुभूति हुई मुझे, हमारे संगरिया के अंदर 108 एम्बुलेंस आई। दूसरे ही दिन हमारे दूर गांव के अन्दर एक महिला का प्रसव था और वह डिफिकल्ट प्रसव था। उन्होंने 108 एम्बुलेंस के लिये कहा। एम्बुलेंस पहुंची। डिलीवरी होने के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। वहां पर हमारा कार्यकर्ता था, अस्पताल से उसने मेरी उस जच्चा से बात कराई तो जच्चा यह बोली, डाक्टर साहब, परम बेटा, तेरो भी धन्यवाद और थारै मुख्य मंत्री अशोक गहलोत रो भी धन्यवाद। मैं तो मारी जाती, 45 किलोमीटर दूर मारहो गांव हो, मारहे कौन डाक्टर उपड़तो। अब यह 108 एम्बुलेंस की मैं बात कर रही हूं कि यह देखिये, आशीर्वाद के वह वचन हैं, जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं और मैंने आपको जिक्र भी किया था। हमारी हैट्रिक जो बनी थी ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर)**:** जच्चा ने आपको बेटी कहा?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सदस्य, मैं आपके ऊपर आती हूं, फिर बात करते हैं, आपका भी आकलन करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य को अपने विषय पर बोलने दें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर भी मैं साधुवाद देती हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी को, पूरे छह के छह जिलों में, इसका जवाब दूंगी, हमारे छह के छह मेडिकल कालेज के अन्दर आपने सीटें बढ़ाई हैं।

एक चीज जो मुझे नागवार गुजर रही है, मंत्री महोदय, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। यहां हमारे बजट में कहा गया कि हमारे सरकारी क्षेत्र में हृदय रोग की चिकित्सा हेतु अलग संस्थान नहीं है। मानसरोवर में नवनिर्मित अस्पताल को आप 2 करोड़ 49 लाख रुपये देने जा रहे हैं, मगर इसे पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप में मत लगाइये। आपसे अनुरोध है कि इसे प्राइवेट प्रोपर्टी मत बनने दीजिएगा। यह सरकारी है, सरकारी ही रहेगा तो बेहतर रहेगा।

ये कुछ वे चर्चाएं थीं जिनके लिए मेरी सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

और हमारे मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दे रही हूं मगर मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, मैं डाक्टर हूं, इस चीज से भली-भांति परिचित हूं कि किस तरह से हम चिकित्सा सुविधाओं को कम पैसे में भी अच्छी बना सकते हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं। हमारे लिए यह बात कही जाती है कि हमारे राजस्थान में पैसा कम है। मैं इस पर कमेंट्स नहीं कर रही हूं कि पैसे कम हैं मगर आपने मुख्य मंत्रीजी जीवन रक्षा कोष में ढाई सौ करोड़ रुपये दे रखे हैं, बजट में 29 करोड़ का प्रावधान किया है और एन आर एच एम में 60 से 70 करोड़ रुपये आ रहा है। यदि एक प्रोविजन आप कर दें, मेरा सुझाव है मंत्रीजी, एक यह प्रोविजन हो जाए, आज हमारे राजस्थान के अन्दर जितने भी हमारे अरबन और रूरल पी एच सी और सी एच सी और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हैं वहां रोजमर्रा की दवाईयां हम मुफ्त में दे दें, आज आप छह रुपये प्रति पर्सन पर-ईयर खर्च कर रहे हैं इसके लिए। यदि रोजमर्रा की जेनेरिक दवाइयां आप देंगे तो लागत आयेगी मात्र पचास रुपया प्रति पर्सन प्रति वर्ष जो कि ज्यादा बजट नहीं है और इस रकम के अन्दर जो हमने इस सत्र के लिए दी है 250 करोड़ जीवन रक्षा कोष में, बजट 29 करोड़ और एन आर एच एम के जरिये 60 से 70 करोड़ रुपये, इसके जरिये हम सभी लोगों को कवर कर सकते हैं इस पैसे से।

अब यह बात आती है कि इस पैसे का पूर्ण इस्तेमाल कैसे हो? बिलकुल सही बात है कि हमारी जो राष्ट्रीय हैल्थ पालिसी है वह तो यह कहती है कि आप सकल घरेलू उत्पाद का तीन परसेंट स्वास्थ्य पर खर्च करो जबकि हम खर्च कर रहे हैं 1.08, जब बड़े भाई साहब मंत्री थे तब 1.02 परसेंट था, अभी हम 1.08 कर रहे हैं। परन्तु इसको तीन परसेंट तक लाने की जरूरत है। यदि हम बात करते हैं कि कम पैसे के अन्दर किस तरह से गरीबों को फ्री मेडिकेशन दे सकते हैं, उसमें मैं बताना चाहती हूं कि आज हैल्थ एक्सपेंडीचर यदि 100 परसेंट हो रहा है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर की पाकिट से 79 परसेंट जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है 14 परसेंट। यदि स्टेट गवर्नमेंट इसमें 50 प्रतिशत का खर्चा करे तो सभी का फ्री ट्रीटमेंट यहां जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा मैं प्रकाश भी डालना चाहूंगी इस बात पर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पचास माननीय सदस्यों को आज बोलना है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सर, आप मुझे ही नहीं बोलने देंगे तो फिर कैसे चर्चा होगी?

श्री सभापति: अच्छे सुझाव देकर सीधा-सीधा बताओ आप तो। आंकड़ों के जाल में मत उलझो आप।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मैं तो शुरुआत कर रही हूं, सीधी बात कर रही हूं। सर, देखिए, आपको दवाइयों का आंकड़ा देना चाहती हूं कि जो दवाइयां मार्केट में मिल रही हैं जिसे हम खरीद रहे हैं, एक प्रस्ताव हमारे मंत्रीजी ने पहले भी दिया था कि जेनेरिक दवाइयां लिखी जाएं मगर हकीकत यह है कि जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखी जा रहीं। अन्तर देखें हम पैसे का तो उसमें बहुत जमीन आसमान का अन्तर होता है। यदि कोई दवा एक रुपये की है तो वह दवा मार्केट में बीस रुपये में बिक रही है। एक छोटा-सा एक्जाम्पल देती हूं। पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल दस गोलियां ग्यारह रुपये में आती हैं और उसकी एम आर पी है ढाई सौ रुपया। हमें क्या जरूरत है? हम क्यों नहीं वह कम पैसे की दवा गरीब को उपलब्ध कराते हैं? मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाहती हूं कि यदि मरीज को, गांव के मरीज को प्राइमरी लेवल पर उसकी बीमारी का सस्ता इलाज मिल जाए तो उसकी बीमारी बढ़ेगी नहीं और बढ़ेगी नहीं तो केटास्ट्राफी नहीं होगी। उसको डिस्ट्रिक्ट या बड़े अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा जहां पर उसका इतना पैसा लग जाता है। आज डब्ल्यू एच ओ की रिकार्डिंग है, उनका स्टेटमेंट है कि हमारे देश में और राज्य के अन्दर, देश का 40 परसेंट और हमारे राज्य के अन्दर 35 परसेंट मरीज अपना इलाज जब कराते हैं तो अपने गहने गिरवी रखते हैं।

तो इस सबके लिए यह है कि सुलभ इलाज दिलाने के लिए जेनेरिक दवाइयां दिलाने की व्यवस्था करें। एक छोटा सा नमूना पेश करती हूं। एक कम्पनी है केडिला, वह एमकासिन इंजेक्शन जो आठ रुपये में आता है, उसे सत्तर रुपये में बेचती है। हमारी सरकार से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि हमारा बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां पर कैंसर की एक दवाई के बारे में बताना चाहती हूं। इमाटिनिक के लिए नोवाइटिस कम्पनी इस दवा को देती है एक लाख चौदह हजार चार सौ रुपये में जबकि दूसरी कम्पनी से हमें वह मात्र 6,500 रुपये में मिलती है। हम क्यों नहीं ले रहे? हमारी व्यवस्था क्या कर रही है? हम इतना पैसा हमारा क्यों बरबाद करते हैं? कम्पेरिजन देखिए, कहां 6,500 रुपये और कहां एक लाख चौदह हजार रुपये। डब्ल्यू एच ओ की 2009 की रिपोर्ट है, वह कहती है कि मात्र 350 दवाइयां हैं जिनसे हम 99 प्रतिशत बीमारियों का इलाज कर सकते हैं।

चित्तौड़गढ़ के उस वक्त के कलक्टर को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

बड़ा सुन्दर आंकड़ा राजस्थान सरकार को दिया, राजस्थान की जनता के सामने पेश किया। 2008-09 में डा. सुमित शर्मा कलक्टर थे वहां, उन्होंने दवाइयां मंगवाई और यह जो एल्बेंडाजोल दवाई है जिसका खुदरा मूल्य पच्चीस रुपये था, उन्होंने मात्र एक रुपये दस पैसे में खरीदी टेण्डर देकर और जो एटोर्वा स्टेटिन है, जिसका मूल्य एक सौ सत्तर रुपया अंकित है, वह मात्र अठारह रुपया दस पैसे में खरीदी। क्या हमारी सरकार नहीं कर सकती? कर सकती है। हम में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमें यह करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके आदेशानुसार मेरे जिले के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मेरे जिले हनुमानगढ़ की स्थिति यह है...

श्री सभापति: अपनी कांस्टीटुएंसी के बारे में बोलो आप। जिला बहुत बड़ा हो जाएगा।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सर, मेरे जिले का नहीं बताऊंगी तो कांस्टीटुएंसी का पता नहीं लगेगा।

श्री सभापति: आप क्षेत्र का बोलो। काफी माननीय सदस्य हैं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): हमारे लगभग 34 प्रतिशत बच्चों का जन्म अस्पताल या क्लीनिक में होता है, मात्र 34 प्रतिशत। शेष बच्चों का जन्म अब भी घर में होता है। हमारे माननीय बड़े भाई साहब कह रहे थे, हमने यह किया; भाई साहब, आपने किया होता तो यह आंकड़ा बढ़ गया होता। हमें अभी 15 महीने ही हुए हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मैंने यह नहीं कहा था मैंने केवल यह पूछा था कि जच्चा ने आपको बेटा कहा? मैंने इतना ही कहा है।

श्री सभापति: विराजें। आप दोनों ही डाक्टर हो।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): वह उसकी मां ने कहा था, मैं इलाके की बेटी हूं। मुझे अक्सर ऐसे ही बुलाया जाता है परन्तु आपको इसमें भी एतराज है। बड़ी अजीब बात है।

हमारे पांच वर्ष से कम आयु के एक हजार बच्चों में 136 बच्चे पांचवें दिन मर जाते हैं। केवल 62 प्रतिशत बच्चों का ही टीकाकरण पूरा हुआ है। हार्ट अटैक, आघात, कैंसर से पूरे देश में मृत्यु ज्यादा हो रही हैं। इसके लिए हमने कोई ज्यादा प्रयास नहीं किये, हमें प्रयास करना चाहिए।

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

मैं समझती हूं, मेरे जिले के लिए, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि जो जननी सुरक्षा योजना का पैसा है, वहां पर हिदायत दी जाए कि सभी गर्भवती महिलाओं को मिले। कुछ सुझाव हैं। मातृत्व मौतों को 50 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं। यदि आप सुरक्षित डिलीवरी के लिए ट्वन्टी-फोर-बाई-सेवन सुविधा निश्चित कर दें। यह सुविधा निश्चित कैसे हो? मंत्री महोदय, मेरी कांस्टीटुएंसी, मैं महिला विधायक, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं; एक मात्र सर्जन था, उसको भी कहीं ले गये, सूरतगढ़ भेज दिया। मैंने निवेदन भी किया, नम्र शब्दों में फिर करती हूं कि मेरे को कृपा करके एक फीमेल गायनोकॉलोजिस्ट प्रोवाइड करवायें संगरिया के अन्दर।

मौतों को 20 परसेंट कैसे कम कर सकते हैं, मैं इस बारे में भी कहना चाहूंगी। लैस दैन टू ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको खसरे की, मीजल्स की दूसरी खुराक देने का हमें प्रयास करना चाहिए क्योंकि इससे लगभग हम 20 परसेंट मौतों को कम सकते हैं। मैंने यह सुझाव सेंट्रल हैल्थ मिनिस्ट्री को भेजा है, आपके जरिये मंत्री महोदय को भी बता रही हूं, यदि हम हमारे प्लान में ले लेंगे तो एम एम आर और आई एम आर के बाद बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आ जाएगी।

एक चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी कुछ दिन पहले एक बात भी चली थी कि अवधि पार इंजेक्शन लगा दिये गये, उसी सिलसिले में मैं बताना चाहती हूं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है इंजेक्शंस और वेक्सिनेशंस के लिए, वह है मेंटिनेंस आफ दि कोल्ड चेन। माननीय मंत्री महोदय, आपको यह कहना चाहती हूं बड़े नम्र शब्दों में कि जो जिलों की व्यवस्था होती है, चाहे सी एम एच ओ हो, चाहे कलक्टर हो, उनको यह बात साफ शब्दों में कहनी चाहिए कि वे प्रत्येक महीने कोल्ड चेन व्यवस्था को खुद परीक्षण करें ताकि इस तरह की तकलीफ नहीं हो।

मलेरिया, टीबी और एड्स की मौतों के लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि बुखार के हर मामले में यदि पी.एच.सी. लेवल पर मलेरिया की जांच हो और उसके लिए फण्ड का प्रावधान किया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए तो इससे काफी फायदा हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे संगरिया क्षेत्र के अन्दर जो हमारा अस्पताल है संगरिया का उसमें सर्जरी, नेत्र रोग, स्त्री रोग, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, श्रेणी द्वितीय, फार्मासिस्ट, यू.डी.सी., सफाई

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

कर्मचारी सब एक-एक, एक-एक की मात्रा में नहीं है, मैंने निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी इन रिक्त स्थानों को भरा जाय। मेरे पास एक 108 एम्बुलेंस है, मैं टीब्बी में भी 108 एम्बुलेंस की मांग करती हूं। हमारे वहां यूरोलोजिस्ट और आर्थोपीडिस्ट हों, इसकी भी मैं मांग करती हूं।

एक मेरा छोटा सा सुझाव है एस.एम.एस. के बारे में। माननीय सदस्य जो पाली से आते हैं उन्होंने बड़ी बात कही। ऐसे हमने भी एस.एम.एस. के अन्दर दस वर्ष बिताये जब हमने वहां पर पढ़ाई की, हमारे गुरु आज यहां पर बैठे भी हैं। मैं समझती हूं, आज खांसी जुकाम का मरीज भी एस.एम.एस. में जा रहा है और बड़ी बीमारी का मरीज भी वहां जा रहा है। एस.एम.एस. अस्पताल को स्ट्रिक्टिली, बाई आर्डर, टोटली, ट्रूली रैफरल हास्पिटल बनाया जाना चाहिए। जब तक हम यह नहीं करेंगे, एस.एम.एस. अस्पताल को रैफरल हास्पिटल नहीं बनायेंगे, इसके मापदण्ड तय नहीं करेंगे आप इसमें कितना ही पैसा लगा दें आपको वह चीज नहीं मिलेगी जिस चीज की आप और हम अपेक्षा करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक छोटा सा सुझाव और है। अक्सर यह बात आती है कि डाक्टर नहीं है ...

श्री सभापति: सिर्फ अंतिम सुझाव, आज का अंतिम सुझाव आपका।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, अंतिम शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं।

श्री सभापति: समअप करो, माननीय सदस्या।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): यू.पी., एम.पी. और दिल्ली के अन्दर डाक्टर्स की जो रिटायरमेंट ऐज है, सर, वह 65 तो है मेडिकल कालेजेज में और 62 है रूरल एरिया में। यदि हम भी ऐसा करेंगे तो जो डाक्टर्स की कमी हो रही है उसको हम थोड़ा पूरा कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, नकली दवा और नशीली दवा बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती पर सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के अन्दर, संगरिया के अन्दर कोरेक्स, आयोडेक्स, एल्प्राजोलाम और प्रोक्सीवान, ये दवाइयां इस तरह से बिकती हैं जैसे इनका

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

होलसेल मार्केट होता हो, लोग बक्सा भर-भर कर लेकर जाते हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। यह वह चीज है, नशीली दवा का वह कारोबार है यह जिसको यदि आज हमने नहीं रोका तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी।

मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में यह बात, मंत्री महोदय, आपसे भी कहती हूं और इन सभी लोगों से भी कहती हूं कि यह वे चीजें हैं जिनका मैंने जिक्र किया, यदि इनको हमने आज भी नहीं किया और सिर्फ बात को बात में ही उड़ा दिया तो हम यह नहीं कह सकते कि हम भला कर रहे हैं। मैं यह बात बिलकुल सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी, चूंकि मैं डाक्टर हूं, जिस चीज को मैं समझती हूं उस चीज पर मैं जोर भी डालना चाह रही हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी संजीदा हैं, संवेदनशील हैं, वे चाहते हैं यह काम हो, उस काम को पूरा करने के लिए, मंत्री महोदय, आपको भी, मंत्री महोदय, आपको भी पूरा प्रयास करना पड़ेगा तब जाकर जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं राजस्थान की जनता के लिए कि गरीब को इलाज मिले, मिडल क्लास को इलाज मिले तभी मिलेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री मोहनलाल जी गुप्ता। गुप्ता साहब, अपने क्षेत्र के बारे में मेहरबानी करो आप।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): बैठ जाता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं।

श्री सभापतिः देखिये 55 सदस्य हैं, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपने स्टार्ट करने से पहले ही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हैं सीनियर।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): साहब, आपका आदेश मानते हुए...

श्री सभापतिः नहीं, मेरा आदेश नहीं, सदन की भावना है सभी की।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपका आदेश सर्वोपरि है, साहब, मेरे लिए तो।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार जो घोषणाएं की थीं वे घोषणाएं अधर में हैं। कुछ घोषणाओं के बारे में मैं बताना चाहता हूं, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने 537 नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र,

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

540 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, 1,400 पैरामेडिकल नर्सेज की भर्ती, 5,000 ए.एन.एम. की संविदा पर भर्ती, 18 जिलों में ट्रोमा पुनर्वास केन्द्र, 21 में बर्न यूनिट, राजमार्गों के अस्पताल के लिए 20 विशेषज्ञ डाक्टरों की भर्ती, 150 108 एम्बुलेंस की खरीद, कांवटिया और जयपुरिया अस्पताल को विशेष दर्जा, 24 घंटे इमरजेंसी ट्रोमा यूनिट, तिजारा और भिवाड़ी में बैड क्षमता में वृद्धि, जयपुर के मानस आरोग्य अस्पताल में हार्ट इंस्टिट्युट, एस.एम.एस. अस्पताल में एक जगह ही ट्रोमा आर्थोपेडिक यूनिट, एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में स्टेमसेल प्रयोगशाला, एस.एम.एस. में 12 आपरेशन थियेटर, गणगौरी बाजार अस्पताल में शुरुआत तो हुई है लेकिन अभी पूरा अस्पताल चालू नहीं हुआ, जोधपुर में फिजियोथेरेपी कालेज और ये सब चीजें, इतनी बड़ी घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की थीं, एक भी पूरी नहीं हुई, माननीय सभापति महोदय।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सदन में आप घोषणा करें, वित्तीय स्वीकृति लें और वित्तीय स्वीकृति को पूरा नहीं करें। It is an administrative lapse. मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणाएं आपने बजट में की हैं उन घोषणाओं को तो आप पूरा करें। आपने बजट में पैसा ले लिया और बजट में पैसा लेने के बाद भी अभी तक, अक्टूबर तक 50 परसेंट पैसा खर्च होना था लेकिन बांसवाड़ा में 31 परसेंट पैसा खर्च हुआ, बारां में 33 परसेंट, बाड़मेर में 39 परसेंट, बूंदी में 39 परसेंट, चित्तौड़गढ़ में 37 परसेंट, दौसा में 33 परसेंट, धौलपुर में 34 परसेंट, डूंगरपुर में 25 परसेंट आदिवासी इलाकों में, जयपुर में 28 परसेंट, झालावाड़ में 36 परसेंट, करौली में 31 परसेंट, प्रतापगढ़ में 25 परसेंट और टौंक में 37 परसेंट राशि खर्च हुई है अभी तक आपकी। अब यह सरप्राइजिंग डाटा हैं और यह परम नवदीपजी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और मेरी बहन हैं, बड़ी बढ़ाई कर रही थीं माननीय गहलोत साहब की, जो 108 एम्बुलेंस है वह हमारी माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी की सरकार के समय शुरू हुई थी, अशोकजी गहलोत के समय शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त खरीदी गयी थीं, उस वक्त ही यह योजना चालू हुई थी और आज उन्हीं को लोगबाग धन्यवाद भी देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): और चूंकि आप उस वक्त सदन की मेम्बर नहीं थीं इसलिए आप ...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आपने मुझे बड़ी बहन कहा, आपकी उम्र बताओगे जरा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैंने बड़ी बहन नहीं कहा, मैंने बहन कहा और मैं आपको बड़ा मानता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आखिर बजट की सेंक्टिटी क्या है? घोषणाएं कर दीं, घोषणाएं पूरी नहीं हुईं; बजट पास करवा लिया बजट का पैसा खर्च नहीं हो रहा है और हमारी बहनजी कह रही हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया 108 के माध्यम से, जो वसुन्धराजी ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि prevention is better than the cure. बहुत बड़ा पैसा हमारे यहां खर्च हो रहा है। अभी राजस्थान की जो स्थिति है उसके हिसाब से 193 रुपया खर्च होता है प्रति व्यक्ति अपने पूरे मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट का। यानी आठ आना प्रति रोज। आठ आना, पचास पैसे जिसमें बिल्डिंग का पैसा भी खर्च है, डाक्टरों की तनख्वाह भी है, मेडिकल की दवाइयां भी हैं। आठ आना प्रति व्यक्ति और प्रति रोज। यह सफिशिएंट है? आप खुद देखिये, 193 रुपया और हमारे यहां प्रति शय्या, 1,288 की जनसंख्या पर एक शय्या उपलब्ध है। अभी कहां जाएं लोग? नहीं तो प्राइवेट हास्पिटलों में जायेंगे। 7,798 की जनसंख्या पर एक डाक्टर है। यह तो स्थिति हमारे मेडिकल एण्ड हैल्थ की है और मैं समझता हूं कि यह स्थिति ठीक नहीं है। चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, मेडिकल एण्ड हैल्थ पर हमको पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए और उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान भी देना चाहिए क्योंकि आदमी यदि स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से वह सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान कर सकेगा अन्यथा वह समाज पर भार रहेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारा ज्यादातर पैसा एलोपेथी पर खर्च हो रहा है। आपने यूनानी पर भी खर्च करने के लिए कहा है लेकिन यूनानी के साथ साथ होम्योपेथी, आयुर्वेद इस पर भी तो आप पैसा खर्च करें, इस पर भी आप बजट बढाएं। एलोपेथी के डाक्टर्स यह कहते हैं कि आयुर्वेद और एलोपेथी का कोई रिकार्ड नहीं है जिसके आधार पर यह कह सकें कि इस ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक दवाई है, इससे इतने मरीज ठीक हुए, यह स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आयुर्वेद और होम्योपेथी इन पर भी रिसर्च पर पैसा खर्च करें और इसके माध्यम से जनता में यह विश्वास पैदा करें कि इस दवाई से यह रोग ठीक होता है।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

इसका स्पेसिफिक डाकुमेंटेशन हो जाए तो एलोपेथिक डाक्टर्स की जो यह बात है, उनका मुंह बंद हो जाए कि कम से कम इनसे भी रोग ठीक होते हैं। आखिर इतनी बड़ी यूनानी दवाइयां चल रही हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां चल रही हैं, होम्योपेथिक दवाइयां चल रही हैं, लोग उनसे ठीक होते हैं और पैसा खर्च करने के लिए एलोपेथिक डाक्टर्स रखते हैं, उनकी एक लॉबी है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इस पर भी आप पैसा खर्च कीजिए। जितना पैसा इन पर खर्च कर रहे हैं, प्रिवेंशन पर तो खर्च कीजिए। योग के जो हमारे रामदेव जी महाराज हैं, इतना बड़ा सुबह आप जब भी कभी गार्डन में जाते हैं, सेंट्रल पार्क में जाते हैं, दूसरे पार्क में जाते हैं, लोग नाक को ऊंची-नीची करते रहते हैं, पेट को ऊंचा-नीचा करते रहते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आखिर इस योगा के ट्रीटमेंट पर हमारा पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है? जर्मनी केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च कर रही है, जर्मनी यहां पर केरला के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के लिए स्पेसिफाइड पैसा दे रही है, ट्युरिस्ट भेज रही है और कह रहे हैं कि आप लोग अपनी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू कराकर आइये। तो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू क्यों नहीं करा सकते हैं? होम्योपेथी की काउंसिल स्थापित कीजिए, एलोपेथी पर ही सारा पैसा खर्च कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा जयपुर में तीन-चार हास्पिटल हैं, कांवटिया है, सेठी कालोनी का हास्पिटल है, बनीपार्क सेटेलाइट हास्पिटल है, इन सबमें जिस प्रकार से स्थितियां हैं, एम्बुलैंस नहीं है, पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं है, आई सी यू है लेकिन वेंटिलेटर नहीं है, बर्न यूनिट का पता नहीं है, ई सी जी भ्रमित करती है, सुपर स्पेशलिटी यहां है ही नहीं। घोषणा की थी उसके बाद भी इन सब हास्पिटल्स में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं। बनी पार्क का जो सैटेलाइट हास्पिटल है इसके लिए दूसरी जगह जमीन भी आइडेंटिफाइड है। कई बार वहां आपके मेडिकल हैल्थ डिपार्टमेंट के लोग चले गये। बनी पार्क सैटेलाइट हॉस्पिटल में जगह नहीं है, उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी जगह है बनी पार्क में, दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं, वहां बहुत इलाज हो सकता है। कावंटिया हास्पिटल है उसमें भी बहुत सारी चीजों की कमी है। वहां पर भी मरीज धक्का देते रहते हैं, एम्बुलेंस के लिए नर्सेज के पास जाते नहीं हैं, इमरजेंसी सेवाएं नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, प्रोपर सफाई व्यवस्था नहीं है।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने हास्पिटल्स हैं इनमें प्रोपर व्यवस्थाएं आप करें, एडमिनिस्ट्रेशन को सही करें और मेडिकल रिलीफ सोसायटी की मीटिंग बराबर होती रहे तो निश्चित रूप से यह काम अच्छा हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मैटर है, एक कोई व्यक्ति है नारायण जोशी नाम का, उसने 2.65 करोड़ रुपये का दवाई का बिल ले लिया अपने इलाज का, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जे डी ए से ढाई करोड़ रुपये का बिल। उसके खिलाफ ए सी डी में रिपोर्ट हुई है, अखबारों में खूब छपा है, हमारी सरकार क्या कर रही है? आखिर इतना रुपया उसने निकाल लिया और तुरन्त बैंक से ट्रांसफर भी कर दिया। जब उसके खातों की चैकिंग की गयी तो केवल पचास साठ हजार रुपये पाये गये। इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी सरकार होते हुए भी?

मदर टेरेसा हास्पिटल है, होम है, यह मौत का घर हो गया कोटा में। यहां बीस दिन में छह मौतें हो गयीं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, यह आप जरूर देखिये, ये कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो एन जी ओज के नाम पर विदेशों से पैसा मंगाती हैं और इसका पूरा युटिलाइजेशन नहीं होता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बीस दिन में छह मौतें उस मदर टेरेसा हास्पिटल में हो गयीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा बी पी एल के परिवारों के लिए मुफ्त दवाई देते हैं, मुफ्त चिकित्सा सुविधा है लेकिन आज बी पी एल की क्या स्थिति है? बी पी एल के परिवार चक्कर खाते रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

2005-06 में सोलह लाख सड़सठ हजार बी पी एल के लोगों ने दवाइयां लीं, आज छह लाख सड़सठ हजार लोग ही दवाई ले रहे हैं। चक्कर खा रहे हैं वे, उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मोहनलाल जी ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। आपको नहीं मालूम है पहले भी ऐसे ही बोलते थे लेकिन आज जो बोल रहे हैं ना उससे उल्टा बोलते थे। मैं सोच रहा था कि ये

(श्री श्रवण कुमार)
स्वायत्त शासन के मामले में ज्यादा जानकार हैं लेकिन मेडिकल के मामले में भी अच्छे जानकार हैं। पहले कम बोलते थे, आज जो भाषा बोल रहे हैं यह 2007 में बोलते ना तो बढ़िया लगता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा दायित्व है सरकार की कमियों को सामने रखने का।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उस समय नहीं था क्या आपका?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह मेरा दायित्व है और आप भी कर रहे हो। वह ही काम आप करते हो। आप सरकार के साथ नहीं हो ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वाकई में आदमी इंटेलीजेंट है।

श्री सभापति: एक घण्टे में तीन माननीय सदस्य भी अभी नहीं बोल पाए हैं और कम से कम इक्यावन माननीय सदस्यों को और बोलना है। जो गति है उस हिसाब से सत्रह घण्टे और लगेंगे फिर मंत्रीजी जवाब देंगे। आप तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कुछ स्थानों पर हमने सिगरेट बंद कर दी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मंत्रीजी चाह रहे हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत शार्ट में बोल रहा हूं। दो मिनट में अपनी बात खतम कर रहा हूं।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, बिलकुल बोलते हुए घण्टी बजाकर के आगे दूसरे वाले को बुला दो, उनको बंद करो, उनको बोलो, स्विच नहीं करेंगे। ऐसे करते हैं पार्लियामेंट में, मैंने देखा है। ऐसे कहने से कोई नहीं मान रहा है तो कुछ तो आपको अनुशासन लाना पड़ेगा ना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरी गारंटी है मोहनलाल जी को आप बैठा दो।

श्री सभापति: आप बीच में इंटरवीन मत करें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करता हूं। सभापति महोदय, चौमूं में एक खून लिया, बच्चों का खून लिया और नाबालिगों का खून लिया, सरकार नहीं चेती। धन के लोभ में बूंदी में नाबालिग की नसबन्दी हो गयी। शहरों में गन्दगी हो रही है, डेंगू बढ़ रहा है, "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान फेल हो गया। बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट, यह टोटली फेल हो रहा है। इससे बहुत बड़ी बीमारियां फैल रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, हर अस्पताल में लाल, पीला, काला बैग होना चाहिए लेकिन यह लाल, पीला, काला बैग तो एस एम एस हास्पिटल में ही नहीं है। हर अस्पताल में होना चाहिए और हर पी एच सी में खड्डे खुदवाने का काम होना चाहिए। पन्द्रह हजार डाक्टरों की ट्रेनिंग का पैसा आ गया, वह ट्रेनिंग नहीं हुई। सीरिंजेज को नष्ट करना, सर्जिकल आइटम्स को भी नष्ट करना आवश्यक है, इनको खड्डे में भरना आवश्यक है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेडिकल हैल्थ के लिए आवश्यक हैं।

श्री सभापति: श्री रणवीर जी पहलवान। विराजो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान थोड़ा सा मेरी प्रार्थना की तरफ दिलाना चाहूंगा।

श्री पेमाराम (धोद): मोबाइल जब्त करो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मोबाइल किसके बाप का जब्त करो, मेरा तो है ही नहीं।

सभापति महोदय, प्रत्येक गांव, गली और शहर में हास्पिटल पर हास्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। कोई आंखों का डाक्टर, कोई दिल का डाक्टर, कोई घुटने का, आदमी के पार्ट-पार्ट के डाक्टर बढ़ते जा रहे हैं। होम्योपेथी, एलोपेथी, आयुर्वेद, झौलाछाप, झाड़-फूंक, टोणा टामणी, इलाज के हजारों तरीके निकाल लिये।

ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा है कि रोगी क्यों बढ़ रहे हैं। देखना चाहिए था कि गांवों में कहां फ्लोराइड का पानी है, कहां यूरिया का दूध है,

(श्री रणवीर पहलवान)

कहां मशीन से घी बनाया जा रहा है नकली। वैसे भी जिस राष्ट्र के अन्दर हास्पिटल ज्यादा हों और गौशाला हो और वृद्धआश्रम हों, समझो वह राष्ट्र अस्वस्थ और मानसिक रोगी है। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है दूध निकालें जब तक गाय घर में फिर उसे रोड पर छोड़ दें तो उसके लिए गौशाला खोलनी पड़ती है। माता-पिता के वृद्ध होते ही घर से धक्के मार दें तो वृद्ध आश्रम खोलने पड़ेंगे। जहां रोगी ज्यादा होंगे तो हास्पिटल खोलने पड़ेंगे।

यह हमारी जनता बीमार क्यों हो रही है, ध्यान इस तरफ दिये जाने की आवश्यकता है न कि और हास्पिटल बढ़ाएं और मेडिकल कालेज खोले जाएं। इन पर अरबों रुपया खर्च करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत

(समय : 18.00 बजे)

फ्लोराइड है। 8 परसेंट व्यक्तियों की हड्डियां मुड़ गयीं, दांत गिर रहे हैं, आंखें फूट रही हैं और बाल गिरने शुरू हो गये। 30 वर्ष की उम्र में बच्चा अन्धा होना शुरू हो गया। रोकना वह चाहिये था।

हमारे देश में जितने पशु हैं दूध देने वाले, उन पशुओं के वज़न से ज्यादा एक दिन में घी लग जाता है वह घी कहां से आ रहा है ? वह घी मशीनों से बन रहा है। नकली घी बनाने वालों को पकड़ लो अगले ही दिन कोर्ट से जमानत होकर घर आ जाता है क्योंकि कोर्ट में डेफिनेशन है, देशी और परदेशी फैट एक ही आती है। घी का कानून बनना चाहिये। घी पशु का और घी मशीन का, पशु वाला घी चाहिये। हमारे राष्ट्र में पशु का घी होना चाहिये था। देशी घी का मतलब होना चाहिये था वह तो मशीन देने लगी। एक -एक फैक्टरी दे रही है। रोजाना ट्रक भरकर जा रहे हैं। हमारी भैंस गाय घी नहीं दे रहीं जितना तो मशीनें दे रही हैं।

इनसे यह रोग फैल रहा है, जनता काटी जा रही है और अस्पतालों में लाकर डाल देते हैं। अस्पताल जितने भी खुल रहे हैं इनमें कोई सब्जी नहीं काटी जाती है, आदमी काटे जाते हैं इनके अन्दर। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रत्येक जिले में लगाया जाना चाहिये था। उनका प्रमोशन, डिमोशन उस डिस्ट्रिक्ट के आदमी ज्यादा रोगी हो रहे हैं या कम हो रहे, रोग मात्रा गिर रही है या ऊपर, उनकी डायरी नहीं देखनी, अस्पताल देखो आप। कितने अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं तो रोग भी बढ़ रहे हैं। रोग बढ़ क्यों रहे हैं ? स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं सही मायने में अस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं क्योंकि जब समाज में महामारी फैलती है तो डाक्टर को कहो कि घूमने चलें तो डाक्टर कहता है मेरा तो सीजन है, अब चलूंगा ही नहीं। हम तो

(श्री रणवीर पहलवान)
मरते हैं जब उसका सीजन होता है। आप विचार करके देख लो। पढ़े-लिखे, जो असत्य बनता है जब वकील का और थानेदार का सीजन आता है। यह पढ़े-लिखों की हालत है।

विचार, आज से एक स्थापना ऐसी की जाए जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किसी जिले में सबसे कम रोग फैलने देंगे, सही मायने वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होते हैं और वह स्वास्थ्य मंत्री होता है। कुछ रोग ऐसे हैं एक्सीडेंट वगैरह जो सडनली हो गया उसकी तो यूनिट्स खोलो, बाकी यह रोग नहीं फैलने देने पर जोर देना चाहिये। नहीं तो यह सारे के सारे गांव यहां हास्पिटल्स में ही बसेंगे आकर। पानी की मात्रा फ्लोराइड 70 परसेंट, आप कह रहे हो रोग मिटाने की बात। अस्पताल पूरे गांव भर, ढाणियों को बना दो तो भी पूर्ति नहीं होगी। या तो गांव में स्वस्थ पानी, उनकी सफाई का ध्यान, उनके खाने का ध्यान, किस चीज से उनमें रोग फैल रहा है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस बात पर ध्यान दें ताकि यह अस्पताल खाली रहें और हमारे भाई-बहन रोगी होकर यहां नहीं आएं।

दो ही मिनट मांगे थे, सभापति महोदय। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: आप रणवीर पहलवान साहब का अनुसरण करें, सभी माननीय सदस्य। डा. जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं जब तक अपने क्षेत्र की बात करता रहूं तब तक तो बोलता रहूं ना?

श्री सभापति: आप अपने क्षेत्र को कवर करो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, मतलब तब तक तो बोलता रहूं। (व्यवधान) ज्यादा नहीं है।

सभापति महोदय, यह तो सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश तो गांवों में ज्यादा बसता है और हम सभी लोग, सरकार भी, सरकार के नुमाइंदे भी एक बात ही कहते हैं कि ए पी एल, बी पी एल, स्टेट बी पी एल, नि:शक्तजन और जितने भी वृद्ध हैं उनके लिये मुख्य मंत्रीजी ने मुफ्त चिकित्सा की घोषणा की है। हकीकत में स्वस्थ शरीर से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आदमी स्वस्थ है तो काम भी करेगा, स्टेट भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य ही एक सबसे बड़ा जीवन है पर हम जो यह बात कह रहे हैं, ज्यादातर लोग हमारे गांवों से शहर में चलकर आते हैं। अब एक बी पी एल

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

का आदमी बीमार हो गया और वह, मैं अपने बहरोड़ से ही लेता हूं और बहरोड़ से आकर एस एम एस में दिखाता है तो उसका दुनिया भर का तो वैसे ही खर्च हो जाता है। दस पांच रुपये की दवाई लेकर जाता है। तो क्यों नहीं यह सुविधाएं हम हर रैफरल हास्पिटल में बढ़ाएं जिससे कि हकीकत में वहां के लोगों को यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़े और सही लाभ भी मिल सके?

एक-दो बात अच्छी भी की हैं मुख्य मंत्रीजी ने इस बार। बुजुर्गों के लिये जो जेरिमेट्रिक सेंटर खोलने की बात है यह सबसे अच्छी बात है। आज कल सबसे ज्यादा जरूरत बुजुर्गों को है। बुजुर्गों को ही सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। ये वाकई में खुलनी ही चाहिये, खाली घोषणा नहीं होनी चाहिये क्योंकि जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, माननीय सभापति महोदय, अगर हम बजट को नहीं बढ़ायेंगे तो जो घोषणाएं करते हैं उनको दवाइयां देंगे कहां से ? जब हमारे पास दवाइयों के पैसे ही नहीं होंगे, कोई यह जादू का खेल तो है नहीं, दवाई पैसों का खेल है। खेल कैसे होगा? बजट होगा तो दवाइयां दे पायेंगे।

अब आप कहते हो जो आपसे सम्बन्धित हो उसी पर बोलो। यह गलत चीजें देखने से भी तो अच्छी नहीं लगतीं ना ? हमारे अलवर के अन्दर इसी तरह की सभी घोषणाएं तो मेरे ख्याल से सिर्फ छलावा हैं। अलवर के अन्दर 3 मार्च, 2003 को आई सी यू का उद्घाटन डिप्टी सी एम माननीय कमला जी ने कर दिया। फिर पिछली बार का जो बजट आया तो उसमें भी आई सी यू अलवर में खोल दिया। इस बार के बजट में हमारे हैल्थ मिनिस्टर होते हुए फिर आई सी यू खुल गया। 2003 में यह खुल गया, आई सी यू चालू है और उस आई सी यू को आपने पिछले बजट में भी खोल दिया। ऐसे ही अगर आप सब जगह घोषणाएं कर रहे हैं तब तो अल्लाह ही मालिक है। क्या होगा ?

अब हमने लक्ष्य रखा है कि 2011-12 के अन्दर हम इन लक्ष्यों के आंकड़े को पार कर जायेंगे। हमारी जन्म दर जो इस वक्त 27.5 एस आर एस है उस पर 21 पर आ जायेंगे। इसी तरह शिशु मृत्यु दर 63 एस आर एस है वह हम 32 पर आ जायेंगे। जितने भी आंकड़े दिये हैं कि अब जो हैं उनके फिफ्टी परसेंट पर लेकर आयेंगे। हमारे पास गिनी-चुनी डिस्पेंसरिज हैं। 6.5 करोड़ की जनसंख्या है, करीबन 43,000 समथिंग हमारे पास बैड हैं। जब साधन नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है तो आप यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे कैसे ? जो लक्ष्य प्राप्त करने थे, पंचवर्षीय योजना का 70 परसेंट बजट आप

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

उपयोग में ले चुके हैं और एकदम फिफ्टी परसेंट पर आप आना चाहते हैं। यह सम्भव है क्या ? केवल आंकड़े देने से ही कुछ नहीं है।

अस्पतालों की हालत अगर हम जाकर देखें, मैंने खुद ने माननीय मंत्री महोदय से कहा कि हमें बहरोड़ के हास्पिटल में जाने का मौका मिला, अस्पताल की यह हालत है कि अच्छा खासा स्वस्थ आदमी भी अस्पताल चला जाए तो वह भी बाहर आकर बीमार हो जायेगा। बद से बदतर हालत है। बूचड़खाने जैसी हालत बनी हुई है। कहीं जानवर घूम रहे हैं। बहरोड़ के अस्पताल की, अलवर के अस्पताल की, खुद माननीय मंत्रीजी के क्षेत्र के अस्पतालों को जाकर देखो तो मेरे क्षेत्र से भी ज्यादा बुरी दुर्दशा है। पता लगा, बात की मंत्रीजी से। मंत्रीजी, आप दवाइयां और चीजें तो देंगे, पहले इनकी सफाई का कुछ तो इंतजाम करो जिससे अस्पताल में जाने पर आदमी ठीक हो जाए। कितने ही रोगी तो इस बात से मर जाते हैं कि उनको इंफेक्शन हो जाता है आपरेशन के बाद कि साहब, बजट नहीं।

अब आप बताइये अस्पतालों की जब यह दुर्दशा है कि उसमें आदमी घुस नहीं सकता, अच्छा भला खासा आदमी बीमार हो जाता है। कोई डिसिप्लीन नहीं है तो पहले तो आप अपने प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करिये जिससे कि अस्पतालों की हालत ठीक हो जाए। फिर जो वहां डाक्टर रहते हैं, अब डाक्टर्स पर तो छूट है कि सुबह मार्निंग के अन्दर जो मरीज जाता है वह सीधा डाक्टर के घर जाता है। एक तरफ तो मुफ्त अस्पताल हो गया, दूसरी तरफ डाक्टर के घर जाता है तो डाक्टर साहब फीस लेते हैं। पर वह फीस क्या, वह तो एक तरह से रजिस्ट्रेशन हो गया। एक आदमी घर जाकर फीस दे आया उसके सारे काम पहले हो जायेंगे, प्रायोरिटी पर हो जायेंगे। इसमें कुछ न कुछ अंकुश लगाने की कोशिश करिये जिससे कि हालात सुधर सकें।

अब हम जहां दवाइयों की बात करते हैं, नाम की दवाइयां हैं केवल। हम लोग कहते हैं मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, पर जो काम की दवाइयां हैं, जो जीवन को बचा सकती हैं, जो मरीज के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिये दवाइयां तो सब बाहर से लानी पड़ती हैं और दवाइयां भी डाक्टर तो वही लिखते हैं जिसके अन्दर उनको ज्यादा कमीशन मिलता है। इस पर भी कुछ अंकुश लगाइये। इसी तरह आप मेडिकल स्टोर कभी जाकर चैक करिये। मेरे पास तो खुद के पास ही मेडिकल स्टोर है। मंथली ड्रग इंस्पेक्टर को अपने पैसे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सभापति जी, कोई नाम छपवाने के लिये नहीं बोल रहा हूं, यह हमारे जीवन का खेल है, हमारे बच्चों के भविष्य का खेल है। इसलिये घण्टी आप थोड़ी देर बाद बजाना आराम से। एक बात बताइये मुझे, आप लोग क्या केवल नाम लिखवाने के लिये ही बोल रहे हैं क्या? वाकई में ही मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं क्या ? हालत नहीं है क्या ? यह क्या मतलब हो गया? हम किसलिये बोल रहे हैं ? यह कोई डिबेट चल रही है, भाषण चल रहा है ? राजस्थान में जितनी हालत खराब है आज मेडिकल की..(व्यवधान) आप बीच में किस विषय पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। पीछे से, पीछे से ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ढंग से करायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, अगर हम दवाइयों की दुकानों पर जायें और ड्रग इंस्पेक्टर को महीना दे दो और चाहे जैसी दवाइयां बेचते रहो। कोई चैक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या दवाइयां दे रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किस कंपनी की बेच रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह से गांव के जितने रैफरल हास्पिटल है उनमें ज्यादातर मशीनें खराब पड़ी हैं, चाहे वह एक्स-रे मशीन हो, चाहे ईसीजी मशीन हो, चाहे कोई मशीन हो और इन मशीनों के खराब रहने के दो ही कारण हैं, या तो वहां टेक्नीशियन नहीं है सही तरीके का या यह है कि बाहर से करायेगा तो उसमें काफी कमीशन मिल जायेगा। इस बात पर भी हमको ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, अब 108 एम्बुलेंस की बात करते हैं। जहां जरूरत है आप वहां दीजिये, सबसे ज्यादा जरूरत थी हमारे बहरोड़ को क्योंकि हाइवे पर है, वहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के मरीज आते हैं तो लोगों को बचाया जा सकता था।

सभापति महोदय, इसी तरह केवल हम लोग एलोपेथी की बात करते हैं, सही मायने में इस राष्ट्र की पद्धति आयुर्वेद है। इसी तरह से प्राचीन पद्धति जितनी भी हैं, चाहे वह होम्योपेथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, प्राकृतिक हो, यह सस्ते दामों पर हर गांव में हर गरीब आदमी को हम आराम से कम पैसों में मुहैया करा सकते हैं और कितने रोग तो ऐसे हैं एलोपेथी में जिनके

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

ट्रीटमेंट ही नहीं हैं, चाहे स्टोन हो, आर्थराइटिस हो, चाहे लीवर हो, कितनी चीजें ऐसी हैं। ऐसी-ऐसी चीजें, जैसे स्वाइन फ्लू, मैं +++ नहीं कह रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कहकर देखिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं कह ही नहीं रहा, +++ नहीं, मैं स्वाइन फ्लू कह रहा हूं। स्वाइन फ्लू आयुर्वेद में जरा सी दवाइयां देने से ठीक हो जाता है जिससे हमारी सरकार इतनी घबराती है और लाखों रुपये खर्च करती है।

सभापति महोदय, इसी तरह से माननीय मंत्री महोदय ने यूनानी में डायरेक्टरेट खोला जिसके अन्दर थोड़े से लोग मुश्किल से एक प्रतिशत लोग जाते होंगे दिखाने के लिए। यूनानी से तो कई गुणा ज्यादा लोग होम्योपेथी के अंदर जाते हैं, जो रिपोर्ट है हमारे भारत सरकार की कि 35 प्रतिशत लोग आज के दिन होम्योपेथी के अन्दर दिखाने जाते हैं। यूनानी की जो रिपोर्ट है वह एक प्रतिशत है। यहां यूनानी के डाक्टर निकलते हैं 80-100 और करीब 500-700 होम्योपेथी के डाक्टर निकलते हैं।

श्री सभापतिः अब समअप करें, समअप करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इसका डायरेक्टरेट खोलना चाहिए।

सभापति महोदय, इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी इस देश के अन्दर कि आयुर्वेद में जब से आदमी चिकित्सक लगता है उसका पूरे जीवन में प्रमोशन नहीं हो पाता है। ऐसा उसने क्या गुनाह किया है। पढ़ाई तो उसने भी बराबर की है। जनता की वह भी सेवा कर रहा है। मरीजों का वह भी इलाज कर रहा है। इस सरकार का, चाहे पिछली सरकार रही हो या उससे पिछली सरकार रही हो जब तक हम अपने आप पर स्वाभिमान नहीं करेंगे, अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ना राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं, ना इन रोगों का नाश हो सकता है।

सभापति महोदय, हमारी जो पेथी है, जिस पेथी के पीछे एलोपेथी का जन्म हुआ, आयुर्वेद के पीछे एलोपेथी का जन्म हुआ। आयुर्वेद के ग्रन्थों को अपनाकर इतना आगे एलोपेथी को पहुंचा दिया और हम अपनी उस पेथी को भूल रहे हैं और वह पेथी अपना रहे हैं जिसकी दवाइयों के बहुत ज्यादा साइड-इफेक्टस हैं। तो मेहरबानी करके थोड़े से पैसे से ही अगर आप अपनी जो प्राचीन मेडिसिन हैं, होम्योपेथी, आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक, योग, इनके ऊपर

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

थोड़ा सा बजट दे दें तो ज्यादा से ज्यादा रोगों का निवारण हो सकता है। मेहरबानी करके जिन लोगों का अब तक प्रमोशन नहीं हुआ इन पर आप पहले ध्यान दें।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत। माननीय सदस्य, अब समअप करें। अब आप विराजें। अब आप विराजें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): xxx

श्री सभापति: वह जवाब दे देंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): xxx

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत। (अनुपस्थित)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): xxx

श्री सभापति: श्री गोपाल मीणा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): xxx

श्री सभापति: श्री गोपाल मीणा।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का सम्बन्ध आम आदमी से जुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्रदेश पर नहीं सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में आप बोलें।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): वही बता रहा हूं, गांवों में ही आ रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अपने क्षेत्र के बारे में बतायें। (व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): प्रदेश के क्षेत्रफल से गांव पर ही आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: भूमिका में नहीं, अपने क्षेत्र की समस्या बतायें आप।...(व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): गांव पर आ रहा हूं ना।

श्री सभापति: हां, अपने निर्वाचन क्षेत्र पर आप बोलें।

एक माननीय सदस्य: टाइम भी लगता है ...(व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमारा सबसे बड़ा राज्य है। इस क्षेत्र के लोग गांवों में निवास करते हैं। गरीब किसान, बेसहारा लोगों तक नि:शुल्क, समुचित एवं समय पर चिकित्सा पहुंचाना हर लोक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य होता है। राजस्थान सरकार तथा माननीय अशोक जी गहलोत, मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य के बारे में जो काम किये हैं, जो बजट पेश किया है, मैं मानता हूं कि वह बजट वास्तव में आम आदमी, गरीब और उन मजदूरों के लिए जो अपना इलाज करा नहीं सकते थे उनके लिए दिया गया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, इसी प्राथमिकता को दर्शाते हुए हमारे सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2010-11 के बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की दूरदराज की ढाणियों व छोटे गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस दृष्टि से बजट में राज्य के समस्त राजस्व गांवों में 43,353 ग्राम स्वास्थ्य समितियां स्थापित करने की घोषणा की है तथा आगामी वर्ष में 15 आयुर्वेद, 5 होम्योपेथी तथा 10 यूनानी के नए औषधालय खोलने की घोषणा की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत नर्सों का पारिश्रमिक 4,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 किया है। इससे वे गांवों में जाकर सही चिकित्सा दे पायेंगी, संविदा पर लगी हुए ए एन एम, लैब टेक्नीशियन गांव में जायेंगे क्योंकि उनकी तनख्वाह बढ़ी है। यह मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने संविदा पर लगे हुए उन लोगों को फायदा पहुंचाकर आम जनता को फायदा पहुंचाया है।

सभापति महोदय, बजट में 108 एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ायी गयी है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा अनुरोध है कि मेरे जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भी इस सुविधा को प्रदान किया जाये। मैंने पिछले बजट में भी इसके लिए कहा था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन बातों पर ध्यान देते हुए इस वर्ष 150 एम्बुलेंस बढ़ायी हैं उसके लिए उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, गांवों में कोई डाक्टर या नर्स स्टाफ नहीं रहना चाहता। यहां पहले भी बता रहे हैं कि कोई डाक्टर नहीं रहता, यह बिलकुल सही है। सब शहरों की तरफ आना चाहते हैं चाहे वह डाक्टर हो, नर्स हो,

(श्री गोपाल मीणा)

कम्पाउंडर हो। इस व्यवस्था के लिए, मैं इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जो गांव में रह रहे हैं उन गरीब आदमियों की जो समस्या है जिनको चिकित्सा के लिए दूर जाना पड़ता है, अपने कस्बे से दूर जाना पड़ता है, शहर में आना पड़ता है, अगर वे डाक्टर, नर्स और कम्पाउंडर वहीं गांव में रहकर सेवाएं दें तो उन गरीब आदमियों को जो आने-जाने, परिवहन की जो व्यवस्था है वह भी कम होगी और आम गरीब आदमी को फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, आज नकली दवाइयां जो मिलती हैं वह ग्रामीण क्षेत्र में मिलती हैं। ऊपर तो नाम लिखा हुआ होता है ओरिजनल लेकिन अन्दर नकली दवाइयां होती हैं। उस पर स्वास्थ्य विभाग और माननीय मंत्री महोदय विशेष ध्यान दें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता नहीं होता है कि असली दवाई कौनसी होती है। हकीकत बात यह है कि वे दवाइयां नकली होती हैं। नकली दवाइयों को आप ले लेंगे फायदे के स्थान पर नुकसान होता है। दवाई लेकर वह सोचते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा भाई ठीक हो जाएगा, हमारी बहन ठीक हो जाएगी लेकिन हकीकत बात यह है कि उन दवाइयों से ठीक होना तो दूर वह ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं और वह बीमारी ज्यादा गम्भीर रूप ले लेती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक टीम गठित करके समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में वे दवाइयों की दुकानों पर जायें और वहां दवाओं की जांच करें ताकि वहां नकली दवाइयां नहीं बिक सके।

मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष स्कीम 1999 में माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोक जी गहलोत ने चलाई थी। उनके मन में गरीबों के प्रति कितना दर्द है इसका यह एक उदाहरण है। मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष की स्थापना राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की एक ऐतिहासिक योजना है। यह जनवरी, 2009 से पुन: प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत चयनित समस्त बी पी एल परिवारों, स्टेट बी पी एल परिवारों, आस्था कार्ड धारकों, एच आई वी एवं एड्स से पीड़ित मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की इसमें व्यवस्था की गई है। मुझे आज यह कहते हुए गर्व है कि बी पी एल मरीजों को चाहे वे किसी भी अस्पताल में जाएं उनकी जांच और इलाज नि:शुल्क होता है।

अभी मेरे से पूर्व के माननीय सदस्यों ने कहा कि बी पी एल के लिए

(श्री गोपाल मीणा)

घूमना पड़ता है, मेरे क्षेत्र के लोग जो बी पी एल में हैं उन लोगों का इलाज वाकई में वे खुद नहीं करा सकते और वे जाकर अस्पताल में करवाते हैं इलाज और इलाज के लिए उनको घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके जाते ही सीधा इलाज होता है। बी पी एल को जो फायदा होता है, वह उनको मिलता है। इस प्रकरण को बेवजह तूल देकर कि उनको इलाज के लिए घूमना पड़ता है, यह बिलकुल गलत है।

अंत में मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि आप क्षेत्र के बारे में बताएं।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): अब बताऊंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत सरकार द्वारा चिकित्सा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया।

श्री सभापति: जो चीज पहले बोलनी चाहिए वह अब बोल रहे हैं।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : वही चीजें बोल रहा हूं, लास्ट में बोली जाती हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित चिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत नहीं करने, रिक्त पदों को नहीं भरने एवं पर्याप्त संख्या में पद सृजित नहीं करने से, आम जनता को पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ एक बड़ा कस्बा है, जिसकी खुद की 20 हजार एवं आसपास के गांवों एवं ढाणियों की लगभग 50 हजार की जनसंख्या इलाज के लिए यहां आती है लेकिन इन 50 हजार लोगों की चिकित्सा के लिए जमवारामगढ़ में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ही है और इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए यह अपर्याप्त ही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़, आंधी, भानपुर कलां आदि गांवों की जनसंख्या को देखते हुए यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में चिकित्सा संस्थाओं में वर्तमान में मौजूद रिक्त पदों की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

(श्री गोपाल मीणा)

कराने हेतु विशेष डाक्टरों के नए पद भी सृजित करने का पुरजोर अनुरोध करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की विशेष समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जयपुर शहर का स्लाटर हाउस तथा कचरा डिपो मेरे यहां लांगड़ियावास एवं सायपुरा में होने से इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में कई बीमारियां और महामारी फैलने का अंदेशा है। बूचड़खाना और कचरा डिपो से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए नगर निगम और सरकार द्वारा तीन टैंकर दवाइयां छिड़कने का आदेश दे रखा है लेकिन वहां पर एक भी टैंकर दवाई का नहीं छिड़का जाता है। अगर यही स्थिति रही और सरकार ने वहां पर ध्यान नहीं दिया तो वहां बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है। यह बात वहां के लोगों को अभी से महसूस हो रही है। (व्यवधान) स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा हुआ है। इससे महामारी फैल सकती है इसलिए स्वास्थ्य विभाग इस ओर विशेष ध्यान दे।

माननीय मंत्रीजी, उस क्षेत्र में आने वाले समय में, अब गर्मियां और आ गई हैं, वहां पर स्लाटर हाउस और कचरा डिपो, दोनों पास आ गए हैं तो पूरा क्षेत्र बीमारियों से ग्रसित है और इससे लोगों का स्वास्थ्य धीरे-धीरे बिगड़ता जा रहा है, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दवाइयां छिड़की जानी चाहिए, वे वहां पर सरकार द्वारा पैसा दिए जाने के बावजूद छिड़की नहीं जा रहीं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस ओर आप विशेष ध्यान दें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: डाक्टर दिगम्बर सिंह।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। बी ए सी में अपन यह भी तय करते हैं कि डिमाण्ड्स पर बोला जाएगा तो एक निश्चित समय होना चाहिए, चाहे शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक, रात को 2-2 बजे तक बुलवाया जाता है। बाद के माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट ही बोल पाते हैं, मुश्किल से अपनी पूरी डिमांड ही नहीं रख पाते हैं और जो पहले बोलते हैं वे चलते चले जाते हैं, लास्ट में कोई 10-20 गिने चुने माननीय सदस्य ही रह जाते हैं।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य में इस व्यवस्था को कराएं

(श्री विजय बंसल)

और अगर रात में दो बजे तक चलाते हैं तो माननीय सदस्य कहां जाकर खाना खाएंगे, कहां पानी पीएंगे? अगर चलती है तो चले लेकिन आप खाने पीने की व्यवस्था तो कराएं।

श्री सभापतिः माननीय सचेतक महोदय।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): लोक सभा 6 बजे खतम हो जाती है। यहां कर्मचारी लोग, पुलिस वाले लोग, सब लोग परेशान रहते हैं। इसकी व्यवस्था करें आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): खाने की व्यवस्था तो करा दी जाए। (व्यवधान)

श्री सभापतिः 32 माननीय सदस्यों की प्रतिपक्ष की ओर से सूची है और 22 सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को बोलना है। अब या तो दोनों सचेतक महोदय बैठकर संख्या को सीमित कर लें ताकि बोलने का अच्छा मौका मिल जाए। जरूरी नहीं कि हर माननीय सदस्य हर विषय पर बोले।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि डिमांड दो दिन तक चले। लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए... (व्यवधान)...

श्री सभापतिः डा. दिगम्बर सिंह।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): टाइम फिक्स हो मात्र पांच मिनट में।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): काहे का टाइम हो? 5 मिनट में, 5 मिनट में आप अपनी बात ही नहीं कह सकते। 5 मिनट में कहेंगे अपने क्षेत्र की बात? (व्यवधान) मतलब यह तो डिस्क्रिमिनेशन है। एक माननीय सदस्य तो 40 मिनट बोलता है और दूसरे को तीन मिनट में ही बैठा देते हो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आप जरा बता दें कि सत्ता पक्ष के 25 माननीय सदस्यों को कितना समय दिया और विपक्ष के प्रत्येक वक्ता को कितना समय दिया। (व्यवधान) व्यवस्था बनाइए आप, +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजो।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, सिंचाई

(श्री शंकरलाल अहारी)
विभाग के नियमों के अनुसार काम हो, टेल से पिलाई होती है तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो नए सदस्यों को पहले मौका दे दें। यह जो बड़े-बड़े पुराने माननीय सदस्य बोलते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लेते हैं, हमारा तो नम्बर ही नहीं आता है। हम दो मिनट का टाइम मांगते हैं वह टाइम भी नहीं मिलता है। यह हम नए सदस्यों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ न्याय किया जाए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसी आपने अभी व्यवस्था दी कि आप खाली क्षेत्र की समस्या उठाएं, जो अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे क्योंकि कई नेता पूरे हिन्दुस्तान के बारे में बोलते हैं तो हमें खाली क्षेत्र तक क्यों सीमित करें?

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): हम तो खाली अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या बताएंगे। हमारे माननीय सदस्य मोहनलालजी आल इण्डिया की समस्या बताते हैं, वह हम नहीं बताएंगे। हम तो सिर्फ हमारे विधान सभा क्षेत्र की ही बताएंगे दो मिनट के लिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सफाई पर मैं भी अपने विचार आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। यह बात सही है कि माननीय सदस्यों की जो समस्या है, पीड़ा है, पांच मिनट में तो बोलने का एक तरह से मौसम बनता है और जब तक बात बोलने की ध्यान आती है तब तक तो घण्टी बज जाती है। परन्तु आपकी भी मजबूरी मैं समझ रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न तो पक्ष, न प्रतिपक्ष...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, लम्बा पूरा समय दो बोलने का। कम लोग लो बोलने वाले, समय कम है तो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं तो समझता हूं कि इस विषय के ऊपर हम सब को पक्ष और प्रतिपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करने चाहिए क्योंकि यह एक ऐसे गरीब आदमी से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसा सब्जेक्ट है, जिस आदमी को मेरे ख्याल से एक

(डा. दिगम्बर सिंह)

खाते-पीते परिवार में भी अगर कोई घर का एक सदस्य बीमार हो जाए तो बी पी एल की श्रेणी में आने में ज्यादा समय नहीं लगता।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र की है। यह मैं मानता हूं कि राजस्थान की ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि चिकित्सा सेवाएं प्रोवाइड करना और अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रोवाइड करना बहुत आसान काम नहीं है। कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मरू क्षेत्र है, तीन भागों में एक तरह से बंटा हुआ हमारा राजस्थान है परन्तु इसके बावजूद भी जो भी सरकार आती है, अपने बेस्ट पासिबल एफर्ट करती है कि हमारा राजस्थान जो "बीमारू" प्रदेशों की श्रेणी में माना जाता था, राजस्थान "बीमारू" प्रदेशों की श्रेणी से ऊपर आए। इसका लगातार हर सरकार ने प्रयास किया।

सभापति महोदय, जो स्टेट पापुलेशन पालिसी है, उसके साथ ही कुछ हमने टारगेट्स फिक्स किये थे, हमारी सरकार के कुछ टारगेट्स हैं कि हम सन् 2011-12 तक यह टारगेट्स अचीव कर लेंगे तो हम "बीमारू" प्रदेश की श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे। पिछले सालों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट इस दिशा में हुए और जो मुख्य पैरामीटर्स हैं जिनके कारण से हमारा प्रदेश आज भी "बीमारू" प्रदेश माना जाता है, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, मातृ मृत्यु दर जिसके लिए लगातार प्रयास किया था और मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद इसलिए कि आपके प्रयास भी लगातार ठीक दिशा में चल रहे हैं परन्तु प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है, मंत्री महोदय।

इस बार का जो बजट आया है उस बजट में चिकित्सा के रूरल एरिया में कम से कम हमारे चाहे पक्ष के, चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, अपने क्षेत्र की बातें रखी हैं, किसी ने कहा मेरे यहां पर पी एच सी नहीं है, किसी ने कहा मेरे यहां सी एच सी नहीं है परन्तु बजट में पी एच सी, सी एच सी की बात नदारद है। इसलिए रूरल-एरिया के आदमी की समस्या वहीं की वहीं, जस की तस, सभापति महोदय, बनी हुई है। हमारा टारगेट है 2011-12 तक हमारी जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वह सौ से कम लाने का टारगेट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं 1997 में, 1998 में 508 थी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो उससे घटकर 388 पर आई, पहले 445 और 2005-06 में यह 388 पर, यह

(डा. दिगम्बर सिंह)

मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हुई परन्तु हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारा समय हमारे टारगेट्स से बहुत कम है। आपने रूरल एरिया में स्टाफ भी लगाया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विगत मुख्य मंत्री महोदय को भी और आपको भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय कि एन आर एच एम एक ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम रूरल हैल्थ सर्विसेज को बहुत अच्छा सुदृढ़ कर सकते हैं। इसका 30 परसेंट जो बजट है, वह 30 परसेंट बजट तो हम इसके इंफ्रास्ट्रैक्चर पर खर्च कर सकते हैं।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने केवल चिकित्सा में ही नहीं, आयुर्वेद और यूनानी और होम्योपैथी में भी इस एन आर एच एम के थ्रू बहुत कुछ काम करने का प्रयास किया। हमने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का भी प्रयास किया था परन्तु मुझे तकलीफ है इस बात को कहने में कि पिछले दो वर्षों में इसमें जो कुछ चल रहा था उस पर एक तरह से ब्रेक-सा लगा है। आयुर्वेद विभाग की अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद में कोर्ट के स्टे के कारण से भर्तियां से कितने सालों से वंचित हैं बेरोजगार? आयुर्वेद चिकित्सकों की लाइन लगी हुई थी। हमने विचार-विमर्श करके माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया, एन आर एच एम के थ्रू हम अगर हमारे आयुर्वेद के और हमारे यूनानी और इसके अगर चिकित्सकों की भर्तियां करें तो हमारे रूरल एरिया में एक-एक पी एच सी पर एक एम बी बी एस डाक्टर है, वहां अगर आयुर्वेद, यूनानी या फिर होम्योपेथी का भी एक चिकित्सक बैठ जाए तो कम से कम रूरल एरिया में एक चिकित्सक की अवेलेबिलिटी तो निश्चित रूप से हो जाएगी। परन्तु उसमें हमारे टाइम पर जो प्रयास हुए उसके बाद सारे प्रयास आज तक निश्चित रूप से ढीले पड़े हैं।

मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमने 2007 में 750 आयुष चिकित्सकों की भर्तियां निकाली थीं जिसमें 600 आयुर्वेद के थे, यूनानी के और उसके होम्योपैथी के वह अलग से थे। उसके बाद हमने 22 सितम्बर, 2000 को 500 चिकित्सकों की जगह और निकाली थी, उनकी भी पोस्टिंग हुई। परन्तु मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान खास तौर से इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब इसमें एन आर एच एम में आयुर्वेद में खास तौर से जो भर्ती हो रही है, वह बैकडोर एंट्री चल रही हैं; कोई क्राइटेरिया आपके पास नहीं है और शायद आपकी नालेज में भी नहीं होगा। मैं, मंत्री महोदय, आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि 54 आयुर्वेद के चिकित्सकों का कोई आधार नहीं है, भर्ती का, उनकी विज्ञप्ति भी नहीं

(डा. दिगम्बर सिंह)

निकाली, एक वेबसाइट पर दे दिया। 5-7 दिन के अन्दर वेबसाइट से भी वह विज्ञप्ति गायब हो गई, और उसके बाद कौनसे तरीके से और कौनसे आधार से भर्ती किया, यह आपको जानकारी करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को गम्भीरता से देखें और इसकी एक बार जांच भी कराएं।

मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने इसमें पिछला अभी जो बजट पढ़ा उसमें यूनानी के लिए एक अलग से निदेशालय की घोषणा की, बहुत अच्छी बात है, हमने स्वागत भी किया परन्तु मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, मंत्री महोदय, अगर पेशेंट्स का रेश्यो आप देखो तो सौ मरीजों में से 55 मरीज तो एलोपैथी का इलाज कराते हैं, 14 पेशेंट्स आयुर्वेद में इलाज कराते हैं और 30 पेशेंट्स कराते हैं इसका, होम्योपैथी का। 55 परसेंट, 30 परसेंट होम्योपेथी और 14 आयुर्वेद और यूनानी की तरफ केवल एक परसेंट पेशेंट जाता है जिसके आप निदेशालय की बात कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि निदेशालय आप यूनानी का खोलें, बहुत अच्छी बात है परन्तु साथ-साथ इस चिकित्सा का, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का भी एक अलग इसका डाइरेक्टोरेट अलग से खोलना चाहिए और इन लोगों को भी रोजगार का मौका मिलना चाहिए।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, हम अपने टारगेट्स को लेकर चल रहे हैं, हमारी मेटरनल मोर्टेलिटी, हमारी इंफेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने ऑर्डर्स भी कर रखे हैं पर हर सरकार, हर अधिकारी के थोड़े-थोड़े दिन में 4-4, 6-6 महीने में कि 24x7 हमारे 7 दिन 24 घंटे अस्पताल हमारे पी एच सी और सी एच सी जैसी है हमने चिन्हित कर लीं, यह 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे परन्तु हमारे लाख प्रयास के बाद, सभापति महोदय, हमने कोशिश की और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्टाफ उपलब्ध रहे, डाक्टर्स उपलब्ध रहें, इसके लिए रूरल हैल्थ सर्विसेज का अलग से गठन किया, रूरल आइज सर्विसेज का गठन अलग से किया परन्तु उसके बावजूद भी आज अगर कमी है तो केवल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैक-अप की। अगर हमारे अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव गट्स पूरी तरह से होंगे, हम स्टाफ को वहां पर मजबूर करें, रूरल से शहर में ट्रांसफर की बीमारी खतम हो गई आपकी जान को, रूरल का डाक्टर है, रूरल के नर्स, कम्पाउंडर रूरल में ही रहेंगे तो फिर कम से कम अपनी जगह पर जहां उनकी पोस्टिंग है जहां हम 24x7 की बात करते हैं वहां

(डा. दिगम्बर सिंह)

कम से कम उनकी अवेलेबिलिटी अगर एंश्योर हो जाए तो मैं समझता हूं, बहुत अच्छा काम हो जाए।

आपने उनका मानदेय भी बढ़ाया है जो एन आर एच एम में काम कर रहे हैं, यह आपने बहुत अच्छा एक ठीक सा काम किया है और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, अभी हमें आवश्यकता है, हमारे स्टाफ की और हमें आवश्यकता है डाक्टर्स की, हर जिले में कांट्रेक्ट पर डाक्टर्स को लेने का आपने अधिकार कलक्टर्स को, सी एम एच ओ को कमेटी बनाकर दे रखे हैं परन्तु जब-जब वे डिमांड्स निकालते हैं, अगर 15 डाक्टर्स चाहिए तो आते हैं 6, आते हैं 4 डाक्टर्स कोई भी रूरल एरिया में काम करना नहीं चाह रहा। मैं समझता हूं, इसके लिए आवश्यकता है, हमें मेडिकल कालेजेज की संख्या बढ़ानी चाहिए, मंत्री महोदय। राजस्थान के अन्दर 7 संभाग हैं, 7 में से 6 संभागों के अन्दर मेडिकल कालेज हेतु हमने पूर्व मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया। भरतपुर के अन्दर मेडिकल कालेज की हमको स्वीकृति दी, उसमें एक स्टाफ का पोस्टिंग भी किया और हमने कोशिश करके वहां पर जमीन भी अलाट कर दी। उसके बाद सरकार जब यह आई, मंत्री महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनता वही आपकी, तो वही हमारी है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपकी सरकार ने, आपने, आपके मुख्य मंत्री महोदय ने उस मेडिकल कालेज की फाइल को बंद कर दिया। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अत्याचार मेरे जिले पर, मेरे जिले पर ही नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान के तीन-चार जिलों पर कोई हो नहीं सकता।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक सैटेलाइट हास्पिटल 50 बेड का भरतपुर में अलग से खोला था, आपने स्टाफ भी लगा दिया, स्टाफ तक सैंक्शन भी हो गया, वहां पोस्टिंग भी हो गई परन्तु सैटेलाइट हास्पिटल अलग से जहां बनना चाहिए था वहां पर नहीं बना और उसी हास्पिटल में उस सारे स्टाफ की खपत हो गई और वहीं पर आज तक चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, ये चीजें हैं जिनमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बहुत अच्छी बात मुख्य मंत्रीजी ने कही थी कि जिन हास्पिटल्स को रियायती दर पर जमीन दी गई है उनमें कितने गरीब मरीजों का इलाज होता है इसकी जांच करवाई जाएगी और इस पर अंकुश लगाया जाएगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, अगर आपने ऐसा कर दिया क्योंकि ये जो हास्पिटल्स हैं इनकी जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो ऐसा लगता

(डा. दिगम्बर सिंह)

है कि गरीब का इनसे, इस संस्था से ज्यादा हितैषी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। परन्तु आज आप अपोलो हास्पिटल दिल्ली का देख लीजिये, कोई गरीब आदमी अपोलो हास्पिटल में घुसने की हिम्मत कर सकता है? एक रुपये के ऊपर जमीन दी हुई है। हमारे जयपुर में भी कई हास्पिटल्स हैं जिनको जमीन बहुत ही सस्ती दी हुई है। संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल को आप देख लीजिये, कितनी रियायती दर पर जमीन दी हुई है परन्तु गरीब आदमी संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल में इलाज कराने की हिम्मत कर सकता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने भी प्रयास किया था पर मैं सफल नहीं हो पाया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि इसमें यू डी एच डिपार्टमेंट और बीच में और कई डिपार्टमेंट आयेंगे, चिकित्सा विभाग के पास कोई इंफार्मेशन नहीं होती कि किस-किस को सस्ती दर पर आपने जमीन दी है। इसलिए अगर आपकी विल-पावर स्ट्रांग है, मुख्य मंत्रीजी की विल-पावर स्ट्रांग है तो एक बार यह करके दिखाइये, संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल के अन्दर 10 प्रतिशत गरीबों का मुफ्त इलाज कराके दिखा दीजिये, बहुत तारीफ आपकी सरकार की गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में हम कर देंगे। एक गरीब आदमी के लिए इतना बड़ा एक सपना दिखाने के बाद जो इलाज के केन्द्र बन रखे हैं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात और निवेदन करूंगा कि सरकारी धन का दुरुपयोग बहुत जबरदस्त होता है। हमने टेली-मेडिसिन की योजना शुरू की और कई हास्पिटल्स को इस टेली-मेडिसन योजना से जोड़ा। वह इसलिए जोड़ा कि डूंगरपुर में बैठा हुआ आदमी, बांसवाड़ा में बैठा हुआ आदमी, भरतपुर में बैठा हुआ आदमी भी आज स्पेशलिस्ट डाक्टर्स से इलाज करा ले इस टेली-मेडिसिन के मार्फत, इस टेली-मेडिसिन के मार्फत यहां के स्पेशलिस्ट से, जयपुर के स्पेशलिस्ट से, जयपुर के कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह मशविरा हो जाए। परन्तु मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज कितनी टेली-मेडिसिन का उपयोग हमारे जिलों में हो रहा है? मंत्री महोदय, एक-एक जिला हास्पिटल से, जहां टेली-मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है, आप रिकार्ड मंगवाइये तो आपको खुद को बड़ी तकलीफ होगी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद पांच मरीजों को भी लाभ नहीं हो पाया है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी चर्चा कई बार हो चुकी है कि यह मानस आरोग्य सदन बहुत अच्छा हास्पिटल आपने बनाया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस हास्पिटल की बहुत ज्यद्दा कंट्रोवर्शल स्थिति हो चुकी है; इसको किसी प्राइवेट सेक्टर में आपको देने की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट अपने ही हिसाब से उसको चलाये। एक जनरल हास्पिटल ही चलाये या कोई स्पेशियलिटी अगर उसमें शिफ्ट करना चाहे तो स्पेशियलिटी शिफ्ट करे परन्तु इस हास्पिटल को किसी पी पी पी मोड में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जयपुर का बहुत बड़ा एरिया वह कवर करेगा।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमने काफी ए एन एम की डिमांड निकाली, अभी आपने भी डिमांड निकाली, हर सब-सेंटर पर हमने एक ए एन एम के साथ एक जी एन एम, एन आर एच एम में देने का किया जिससे तीन साल का डिप्लोमाधारी पढ़ा-लिखा लड़का या लड़की वहां पर छोटी-मोटी सर्विसेज दे सके। मंत्री महोदय, उसमें भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस 15 महीने के अन्दर कोई प्रयास नहीं हुए, कोई नई पोस्टिंग आप लोगों ने इसके तहत नहीं की जबकि आपकी सरकार का इसमें एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप क्यों नहीं लगाते? पूरे राजस्थान के हर सब-सेंटर पर दो व्यक्ति करिये न। एक ए एन एम रहे, एक जी एन एम रहे तो कम से कम गांव की गरीब जनता को वहां पर थोड़ा बहुत लाभ तो मिलेगा।

मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना बजट चिकित्सा विभाग के पास आता है, हमने सीटी स्केन लगाई, बहुत अच्छी बात है, बड़े खुश हुए, हम भी बहुत खुश थे कि जयपुर आना पड़ता था तो अब हमारे भरतपुर में ही सीटी स्केन चालू हो गई, जसवंतजी के अलवर में सीटी स्केन चालू करवा दी और अन्य कई अस्पतालों में चालू करवाई परन्तु तकलीफ की बात तब होती है जब मैं भरतपुर में गया और पूछा कि सीटी स्केन बन्द क्यों है और कितने दिन से बंद है तो बोले कि 6 महीने से बंद है। जब पूछा कि क्यों बंद है तो कहा कि इंजीनियर डेढ़ लाख रुपये ठीक करने के मांग रहा है। इसका एनुअल मेंटिनेंस कांट्रेक्ट क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी खरीद, इतनी इम्पोर्टेंट मशीन की खरीद करें और उसके साथ एनुअल मेंटिनेंस कांट्रेक्ट नहीं करें तो फिर अगर बंद ही करने के लिए रखी है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा वेस्टेज और किसी चीज का नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा परन्तु मैं

(डा. दिगम्बर सिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू से हमारा राज्य जबरदस्त ढंग से जूझा है, काफी परेशानी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जो बीमारियां हैं उनका अगर थोड़ा पहले आकलन हो जाता तो ठीक होता। इसमें गलती सरकार की केवल इतनी हुई कि शुरू में शायद आपको, विभाग को अंदेशा नहीं था कि इतनी बुरी तरह से राजस्थान के अन्दर बीमारी फैलेगी इसलिए केवल जयपुर तक आपने जांच को लिमिटेड रखा और 3 हजार रुपये जांच के रखे। गरीब आदमी तो जांच कराने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, घर पर पड़े-पड़े भले ही मर जाए। कम से कम संभाग स्तर तक ऐसी जो जटिल समस्याएं हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वहां के एरिया को, वहां के आस-पास के जिलों को भी उसकी सुविधा मिल सके।

मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, माननीय सदस्यों ने धनवन्तरी योजना के लिए बहुत-बहुत सब को साधुवाद दिया परन्तु गत सरकार का नाम सत्ता पक्ष के किसी ने नहीं लिया। मैं कहता हूं कि अच्छा काम अगर किसी ने किया है तो उसको धन्यवाद देने में शरमाने की क्या बात है। मैं वसुंधराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने धनवन्तरी योजना शुरू की।

108 एम्बुलेंस की आज 200 के 200 माननीय विधायक तारीफ कर रहे हैं। आपने भी घोषणा की है कि 150 एम्बुलेंस और लेकर के आयेंगे, यह आपका बहुत स्वागत का कदम है परन्तु विधायकों को जो आपने पत्र लिखा है कि विधायक अपने क्षेत्र में चाहते हैं तो 15 लाख रुपये जमा करा दें। विधायक के पास मात्र 80 लाख रुपये है और उसमें उनकी ग्राम पंचायतें हैं, उनकी नगरपालिकाएं हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे गोवर्धनजी की चिनोरी बंटती है न इस तरह से चिनोरी बांटते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है और सरकार को अपने बलबूते पर करना चाहिए।

अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप पी सी पी एण्ड डी टी एक्ट है, इसकी अलग से सेल बनी हुई है जिसमें लिंग परीक्षण पर काफी स्ट्रिक्टली सेल काम करता है। मुझे ताज्जुब हुआ, मंत्री महोदय, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा कि वहां पी सी पी एण्ड डी टी एक्ट में एक डीवाई एस पी को पोस्टिंग दे रखी है। वहां थाना खुलवाना है क्या आपके डायरेक्ट्रेट मेडिकल में? उस डीवाई एस पी को किसलिए पोस्ट कर रखा है? केवल किसी अधिकारी के एक मेहरबान डीवाई एस पी को दिल्ली से यहां

(डा. दिगम्बर सिंह)

एडजस्ट करना था इसलिए वहां पी सी पी एण्ड डी टी एक्ट में लगा दिया। बड़ी हास्यास्पद बात है।

मंत्री महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आपके पक्ष के लोग आपकी तारीफ करते हों या नहीं, यह मुझे नहीं पता परन्तु प्रतिपक्ष का एक-एक हमारा सदस्य आपकी बहुत इज्जत करता है, बहुत तारीक करता है कि एज ए इंसान, आप बहुत अच्छे इंसान हो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करके इस विभाग के साथ लगेंगे तो निश्चित रूप से इस विभाग में कुछ न कुछ काम होगा। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कमल बैरवा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, एक इधर से, एक उधर से और एक बीच में से यह भी थोड़ा रखा करो। निवेदन है, मैं तो एक लाइन ही बोलूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको इनके बाद बुला लूंगा। मैं नाम पुकार चुका हूं। माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मैं तो सिर्फ एक लाइन में, इतने में अपन करेंगे इतने में बोल पाऊंगा मैं तो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में पिछली सरकार की तरफ से एक पी एच सी हेमागुढा में सैंक्शन हुई थी जिसका निर्माण कार्य पिछले चार साल से चल रहा है परन्तु अभी साल भर से वह कार्य बंद है। लगभग 50 लाख रुपये सरकार की तरफ से उस पी एच सी में खर्च हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह कार्य क्यों बंद है, उसका पता करवाकर के वह जल्दी सुचारू रूप से चालू होवे, ऐसी व्यवस्था करने का निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कमल बैरवा।

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो मुख्य

(श्री कमल बैरवा)

मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना को पुन: जनवरी, 2009 से चालू करके एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, इससे लाखों बी.पी.एल. परिवार के लोगों को लाभ मिल सकेगा और आपने इसमें स्टेट बी.पी.एल., आस्था कार्डधारी, एच.आई.वी. व एड्स से पीडि़त मरीजों को जो नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है, इससे इन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में प्राइवेट अस्पतालों को नि:शुल्क जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है और उसमें एक शर्त रखी है कि बी.पी.एल. परिवारों को और गरीब लोगों को उसमें नि:शुल्क सुविधा हो सके, जिससे कि निश्चित तौर पर अच्छे अस्पतालों में गरीबों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी। यह भी एक सराहनीय काम है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनजातीय क्षेत्रों में भी 60 पी.एच.सी. खोलने का जो निर्णय लिया है, यह भी एक सराहनीय कदम है जिससे जनजाति क्षेत्र में वहां के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी और उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकेगा और वे अपना इलाज करा सकेंगे। यह एक अच्छी योजना है, अच्छा काम है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान में 750 बेड्स बढ़ाने का निर्णय लिया है और जो बेड्स बढ़ाये हैं जिलों में, वह भी एक अच्छा कदम है, इससे भी लोगों को लाभ मिल सकेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी जिला हैडक्वार्टर पर बर्न यूनिट आई.सी.यू. यूनिट और ट्रोमा अस्पताल खोलने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से इनसे सब लोगों को लाभ मिलेगा और सब जिलों में बर्न यूनिट और आई.सी.यू. यूनिट खोलने से वहां के मरीजों को अच्छा लाभ मिल सकेगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 14,700 कर्मचारियों की पे-स्केल बढ़ाई है और उनकी तनख्वाह बढ़ाई है, निश्चित रूप से वे कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और गांव में रहकर अच्छी सेवा दे सकेंगे। माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति: आपके क्षेत्र की बोलो ना, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है। यह तो बजट में सबने पढ़ लिया है।

श्री कमल बैरवा (निवाई): मैं दो मिनट में अपनी बात बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस में जो उन्होंने 150 एम्बुलेंस और मंगाकर राजस्थान को देने की बात कही है, सब जिलों में उपलब्ध कराने की बात कही है, इनसे निश्चित तौर पर जिलों में सबको लाभ होगा। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके आदेशानुसार निश्चित तौर पर सब लोगों ने बोल लिया, वह ठीक है, अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बातें माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। मेरे निवाई क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस नहीं है। नेशनल हाइवे-12 पर यह कस्बा बसा हुआ है और यहां आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और लोग मर जाते हैं, उनका समय पर इलाज नहीं हो पाता है। अभी हाल ही में 8 मार्च को एक भारी एक्सीडेंट हुआ और एक बारात की बस वहां टकरा गई, 40 आदमी घायल हुए हैं और तीन मौके पर मर गये। अगर वहां 108 एम्बुलेंस होती तो उनको निश्चित तौर पर बचाया जा सकता था। अभी परसों 23 मार्च को ही एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें दोनों बाप-बेटे मौके पर तड़प-तड़प कर मर गये। अगर वहां एम्बुलेंस होती तो निश्चित तौर पर वहां ले जाकर उनका इलाज किया जा सकता था।

माननीय सभापति महोदय, निवाई और पीपलू के अस्पतालों में सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है। सोनोग्राफी की मशीन अगर वहां रखी जाये तो वहां के लोगों को लाभ हो सकेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय मंत्री महोदय, इसकी व्यवस्था करायें और मेरे निवाई में भी ट्रोमा अस्पताल खोला जाये जिससे वहां के लोगों को लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

बेहतर शिक्षा और चिकित्सा ही किसी भी राज्य को प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में लाती है। कल तो शिक्षा पर चर्चा होगी, आज चिकित्सा पर चर्चा हो रही है और चिकित्सा की जब हम चर्चा करते हैं तो खास तौर पर मैं बात करूंगी महिला चिकित्सा के सन्दर्भ में। माननीय मंत्री महोदय यहां पर बिराजमान हैं, मेरा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, उनसे निवेदन है, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अब तो यह हुआ है कि चिकित्सा के अन्दर जेंडर बजटिंग शुरू हो रहा है, यहां पर भी अगर जेंडर बजटिंग चिकित्सा में होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। अगर हम लोग देखें तो महिला चिकित्सा में बहुत

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ही कम सुविधाओं की उपलब्धता रहती है जबकि देखा जाये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था के अन्दर सबसे ज्यादा परिश्रम और कठिन काम महिलाओं के द्वारा ही होते हैं। गांव के अन्दर देखें तो मजदूरी में भी 70 प्रतिशत महिलाएं काम पर जाती हैं चाहे वह नरेगा का हो, चाहे अकाल राहत का हो; कोई भी हो, मजदूरी के अन्दर अगर जाते हैं तो 70 प्रतिशत महिलाएं जाती हैं। घर के कामकाज में भी देखें तो जो कठिन काम हैं, वे सब महिलाओं द्वारा ही किये जाते हैं। अगर पोषाहार की हम लोग बात करें तथा महिलाओं को देखा जाये तो परिवार के अन्दर सबका भोजन होने के बाद में जो कुछ भी बचा-खुचा होगा, वह महिला अपने घर-परिवार के अन्दर सबसे अंतिम व्यक्ति होती है जो भोजन लेती है, सबके बाद में जो कुछ है वह खाती है। तो पोषाहार की दृष्टि से भी उसे बहुत ही कम मिलता है। स्वास्थ्य के अन्दर जो महिलाओं में गिरावट हो रही है, आज मातृ मृत्यु दर इतनी हम लोगों में बढ़ रही है इस देश के अन्दर, उस सबके अन्दर अगर हम लोग देखें तो ज्यादा ध्यान हमें महिलाओं की चिकित्सा के बारे में देना चाहिए।

गांव की जब बात करते हैं और अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर महिलाओं के लिए जो सुविधा होनी चाहिए उनकी चिकित्सा के लिए, उन सुविधाओं का बहुत अभाव है। वहां पर महिला डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं गांव के अन्दर। आज शहर के अन्दर अगर गायनोकोलोजिस्ट कोई पुरुष भी होगा तो वहां पर अपनी चिकित्सा के लिए जाती हैं लेडीज, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गांव के अन्दर यह स्थिति है कि अगर लेडी डाक्टर नहीं होगी तथा वहां पर गायनोकोलोजिस्ट कोई पुरुष होगा तो उसके पास नहीं जायेगी। ऐसी स्थिति के अन्दर महिला डाक्टर की ज्यादा से ज्यादा गांव के अन्दर उनकी पोस्टिंग हो, इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगी, फोर्सफुल्ली तो हम किसी को भेज नहीं सकते लेकिन सवाल इसका है कि आप कितनी सुविधा उन महिला डाक्टर्स को उन गांवों के अन्दर भेजने के लिए देते हैं, इसके बारे में जरा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि न तो उनके पास में वहां पर कोई क्वार्टर होता है, डाक्टर्स के लिए कई गांव के अन्दर कोई क्वार्टर उपलब्ध नहीं है। अगर सी.एच.सी. देखें, गांव के अन्दर पी.एच.सी. देखें तो वे दूर इतनी हैं कि एक-दो किलोमीटर दूर हैं गांव से, मैन गांव से और वहां पर अगर उसका कोई क्वार्टर है तो वह इतनी दूर है कि उसके लिए वहां पर रहना अन्सेफ भी होता है। कुछ उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी अगर बढ़ाई जाये तो मैं सोचती हूं कि ये महिला चिकित्सक अगर वहां पर रहना शुरु करेंगी तो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

गांवों के अन्दर सही मायने में जो गांव की महिलाएं हैं, उनको वह चिकित्सा का लाभ मिल सकेगा। ऐसा मेरा एक सुझाव है। माननीय मंत्रीजी, आप यहां पर बिराजमान हैं, इस ओर जरा ध्यान दीजिये। कैसे महिला चिकित्सक गांव के अन्दर रह सके और उन चिकित्सकों की सुविधाओं को जरा हम लोग बढ़ा सकें और उनको प्रेरित कर सकें कि गांव के अन्दर रहें ताकि गांव की महिलाओं को चिकित्सा का लाभ मिल सके।

आज स्थिति यह है, अगर राजसमंद जिला लें और राजसमंद जिले के पंचायत समिति मुख्यालय अगर लें तो भीम के अन्दर सी.एच.सी. है, 50 प्रतिशत पोस्टिंग है; 50 प्रतिशत से भी कम यानी 14 में से 5 डाक्टर वहां पर पोस्टेड है। देवगढ़, आमेट, कुम्भलगढ़, रेलमगरा, खमनोर पंचायत समिति, इन सब जगह को देखें तो 30 से 40 प्रतिशत डाक्टर ही उपलब्ध हैं वहां पर सी.एच.सी. के अन्दर, यह वहां की स्थिति है। राजसमंद जो मुख्यालय है जिले का और वहां पर राजसमंद के अन्दर जो मुख्य चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय की यह स्थिति है कि जो डाक्टर्स की पोस्टिंग है, वह वहां पर इतनी कम है, मात्र 40 प्रतिशत डाक्टर्स पोस्टेड हैं।

मैं एक-एक को अगर लूंगी तो शायद लम्बा होगा लेकिन निश्चित तौर पर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम जिला मुख्यालय पर जो अस्पताल हैं, उनके अन्दर बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाने की ओर जा रहे हैं, लेकिन न तो वहां पर, राजसमंद के अन्दर जिला मुख्यालय पर अस्पताल है, सीटी स्केन मशीन है और जो एक्स-रे मशीन है, वह खराब पड़ी है। ट्रोमा सेंटर की बात हम काफी दिनों से सुन रहे हैं, नेशनल हाइवे के ऊपर बसा हुआ है और नेशनल हाइवे के ऊपर आप देखते हैं कि आये दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लेकिन वहां ट्रोमा सेंटर नहीं है। भीम के अन्दर ट्रोमा सेंटर खोलने के लिए बात हुई थी पिछली सरकार में, ट्रोमा सेंटर खुला तो सही लेकिन और भी बहुत सारी वहां सुविधाएं देने की जरूरत है। आपने कहा, अब की बार बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि नाथद्वारा में और राजसमंद में हम ट्रोमा सेंटर खोलेंगे लेकिन वह घोषणा घोषणा ही न रह जाये, उसके लिए अर्जेंसी आप देखिये क्योंकि यह नेशनल हाइवे पर है और शहर में और यहां पर बहुत आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और इसके लिए वहां बहुत जरूरी है कि ट्रोमा सेंटर होना चाहिए। आई.सी.यू. वहां पर आलरेडी है। आपने घोषणा तो की है कि हम नया

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आई.सी.यू. खोलेंगे। राजसमंद के अन्दर है लेकिन वहां कोई फैसिलिटी नहीं है उस आई.सी.यू. में। तो वहां जब अस्पताल है तो अस्पताल के अन्दर पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, डाक्टर्स होने चाहिए। अन्यथा कम से कम वहां अस्पताल का कोई मतलब ही नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे घोषणाएं

(समय : 19.00 बजे)

हो जायेंगी, सारा सब कुछ होगा लेकिन फैसिलिटीज का अभाव है। आपकी जितनी पी एच सी हैं, जितनी सी एच सी हैं, राजसमंद के अन्दर आप देख लें कि क्या उनमें सुविधाएं आपके द्वारा यहां पर उपलब्ध हैं? इसका थोड़ा आकलन कर लें तो अपने आप आपको ध्यान में आयेगा कि हम लोगों ने इतने सारे सेंटर्स खोले हैं लेकिन उन सेंटर्स पर डाक्टर्स भी नहीं हैं, वहां पर मशीनें भी नहीं हैं। वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे सारी सुविधाएं पेशेंट्स को नहीं हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं।

उप-स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भी मेरा आपसे यह निवेदन है कि कम से कम पंचायत मुख्यालय और रेवेन्यू विलेजेज के ऊपर तो एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। केवल हमने कह दिया कि हम लोग खोलने के बारे में प्रयास करेंगे लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे यहां पर पंचायत मुख्यालय के ऊपर, रेवेन्यू विलेजेज के अन्दर भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है जिसका नतीजा यह है कि बार-बार हम आपको लिखकर दे रहे हैं, मैंने आपको लिखा है उप- स्वास्थ्य केन्द्र के लिए, पीपली आचार्य में ग्राम लालपुर के अन्दर एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलना है, कोटड़ी जो हमारी एक पंचायत है उसमें ग्राम पीपावास के अन्दर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संदर्भ में, केलवा, रामावास और राजनगर, यहां पर सी एच सी के लिए मैंने आपको प्रस्ताव दिये हैं। राजनगर, जो राजसमंद विधान सभा क्षेत्र मेरा है उसी में राजनगर है, शहर का ही एक पार्ट है, वहां पर एक पुराना हास्पिटल जहां पर पहले यह जिला अस्पताल चलता था उसको अब शिफ्ट किया है आपने, बड़ा एक हास्पिटल बना है जो पांच किलोमीटर दूर है लेकिन जो मेन सिटी, हार्ट आफ द सिटी के अन्दर है, राजनगर में जो पुराना अस्पताल है, बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ है वहां पर, बार-बार पत्र लिखने के बाद में भी, वहां पर मैंने कहा कि तीन डाक्टर्स की पोस्टिंग आप वहां पर करवा दीजिये तो कम से कम वहां का जो घनी आबादी का क्षेत्र है वह राजनगर, वहां पर अगर हास्पिटल की सुविधा हो, बिल्डिंग बनी हुई है, सारे वहां पर साधन नहीं हैं लेकिन अगर डाक्टर्स की

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पोस्टिंग वहां हो जायेगी तो कम से कम वहां पर जो डेंसली पोपुलेटेड एरिया है वह उस सिटी के अन्दर, वहां पर वह सुविधा उनको मिल जायेगी। इसके लिए बार-बार ज्ञापन भी आये हैं आपके पास में, मैंने भी पत्र लिखा है, कलक्टर के पास भी वहां के लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसलिए मैं आपका विशेष तौर से इस कटौती प्रस्ताव में ध्यान आकर्षित करूंगी कि राजनगर क्षेत्र के अन्दर हास्पिटल आप दीजिये, मतलब बना हुआ है हास्पिटल लेकिन डाक्टर्स की पोस्टिंग आप वहां पर करवा दीजिये।

इसी तरीके से उदयपुर के अन्दर हम लोग देखते हैं तो आपका जो बजट, केवल उदयपुर की ही बात नहीं करूंगी, लेकिन इसके साथ-साथ अन्य हास्पिटल के अंदर भी सभी जगह पर जो सफाई के लिए बजट आपका आता है वह बहुत ही कम आता है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। एक तरफ हम हास्पिटल के अन्दर कहते हैं कि यहां पर डिलीवरी करवाइये, यह हाइजेनिक प्लेस होगा, सारा सब कुछ आप प्रचार-प्रसार करते हैं लेकिन वहां पर हाइजेनिक पाइंट आफ व्यू से देखें तो साफ-सफाई इतनी कम है कि बहुत ही ज्यादा व्यवस्था गडबड़ा रही है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सफाई के ऊपर बजट को बढ़ाना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर उदयपुर हास्पिटल की बात करूंगी उदयपुर हास्पिटल में आपके द्वारा मात्र 60 लाख रुपया सफाई व्यवस्था के लिए आता है लेकिन वहां पर जो कांट्रेक्ट दिया हुआ है वह कांट्रेक्ट 1 करोड़ 17 लाख रुपये का कांट्रेक्ट है। अब आप देखें कि 1 करोड़ 17 लाख के कांट्रेक्ट के ऊपर वह तो पैसा उन्हें देना है लेकिन आपके यहां से जो आ रहा है वह 60 लाख। कितना हम लोग इसके अन्दर जो डेफिसिट है उसको हम लोग हमारे यहां के आर एम आर एस के माध्यम से देते जायेंगे? एक समय ऐसा आयेगा कि वह बैंकरप्ट हो जायेगा आर एम आर एस। तो आप गवर्नमेंट की तरफ से सफाई व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से एक बजट, प्रोपर बजट दीजिये जिससे कि वहां पर सफाई व्यवस्था अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से हो सके। यह सभी जगह हास्पिटल के अंदर सफाई व्यवस्था के लिए देना जरूरी है।

डाइट का अभी जो पैसा आपके यहां से आता है उदयपुर हास्पिटल में, वह मात्र 42 लाख रुपये आपके यहां से आता है। अब 42 लाख रुपये आप देते हैं और दूध के ऊपर ही अगर देखें तो दूध का ही 45 लाख रुपये का खर्चा है। सब्जी, रोटी यह भी तो पेशेंट्स को देनी है। तो वह कहां से देंगे? आप,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय मंत्रीजी, जो डाइट वगैरह आप यहां से प्रोवाइड करते हैं हास्पिटल से पेशेंट्स को, वह डाइट का पूरा पैसा दीजिये, कम से कम डाइट ढंग से पेशेंट्स को मिल सके, यह व्यवस्था कराइये। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधान मंत्री थे तो उस समय एक स्वास्थ्य मेला लगता था। हर संसदीय क्षेत्र के अन्दर एक स्वास्थ्य मेले का प्रोविजन हुआ करता था। पिछले कुछ सालों में मेरा, माननीय सभापतिजी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं सम-अप करूंगी लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं..

श्री सभापति: अब सुझाव दो आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मात्र तीन और चार मिनट के अन्दर मैं सम-अप करूंगी लेकिन कृपा करके आप घंटी मत बजाइयेगा। मैं बहुत, तीन-चार मिनट में कहूंगी।

यह स्वास्थ्य मेला फिर से शुरू होना चाहिए। वह स्वास्थ्य मेला आप कृपा करके शुरू करवाइये। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए नसबंदी वगैरह के जो कार्यक्रम आप करते हैं शुरू, उसमें मेरा यह सुझाव है कि शहरी क्षेत्र के अन्दर जो प्राइवेट हास्पिटल्स हैं उन प्राइवेट हास्पिटल्स को भी आप प्रोत्साहन राशि दीजिये ताकि वहां पर भी यह नसबंदी का कार्यक्रम हो सकता है। नर्सिंग होम्स जो हैं, वहां के प्राइवेट नर्सिंग होम्स जो शहर के अन्दर हैं, वहां पर यह होने से ठीक होगा।

अभी मुझसे पूर्व एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सरकारी हास्पिटल, यानि प्राइवेट हास्पिटल के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है कि हम लोग अगर कोई प्राइवेट हास्पियटल खोलता है तो उन्हें रियायती दर के ऊपर भूखण्ड उपलब्ध करायेंगे। यह आज की बात नहीं है, यह पहले से होता आया है। मेरा, माननीय मंत्रीजी, आपसे यह निवेदन है कि जो रियायती दर पर भूखण्ड प्राइवेट हास्पिटल को दिये हैं और उसमें जो आपने कंडिशन डाली है कि हम लोग बी पी एल को फ्री इलाज वहां पर देंगे या गरीब परिवार से आने वालों को कम दर पर हम इलाज करेंगे, वास्तविकता में ऐसा नहीं हो रहा है। कृपा करके इसकी जांच करवाइये कि जिन हास्पिटल्स को, निजी अस्पतालों को जहां पर आपने भूखण्ड बहुत रियायती दर पर दिये हैं, क्या वे लोग वहां

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पर रियायती दर पर दे रहे हैं, उनको बी पी एल को या बी पी एल को नि:शुल्क सुविधाएं दे रहे हैं चिकित्सा की या गरीब परिवारों को नि:शुल्क दे रहे हैं, इसकी कृपा करके जांच करवायें क्योंकि मेरे ध्यान में ऐसे बहुत सारे हास्पिटल्स हैं जहां पर वे लोग पूरा पैसा लेते हैं और जिस तरह से कामर्शियलाइज हुए हैं उसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

चल चिकित्सालय खोलने चाहिए। जब आप उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोल पा रहे हैं पंचायत मुख्यालय पर तो कम से कम चल चिकित्सालय की सुविधा दे दीजिये। बहुत सारी ऐसी हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, भारत विकास परिषद् है, सेवा भारती है, जो लोग चल चिकित्सा के माध्यम से जाकर जनता के बीच में यह चिकित्सा सुविधा देते हैं। मैं सोचती हूं, अगर सरकार भी यह चल चिकित्सालय शुरू करवाये तो बहुत अच्छा होगा। एक रूट तय कर दीजिये और उसके माध्यम से गांव-गांव के अन्दर आपके डाक्टर्स की टीम वहां पर पहुंच पायेगी और आप एक प्रोग्राम शिड्युल दे देंगे कि इस-इस महीने के इस दिन इस गांव के अन्दर चल चिकित्सालय हमारा आयेगा और वहां पर यह सारे डाक्टर्स की टीम वहां पर रहेगी। तो एक तरह एक छोटा सा शिविर के रूप में हो जायेगा और यह चल चिकित्सालय से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है।

यही मेरे कुछ सुझाव आपको थे जो मैं, सभापतिजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को मैंने दिये। आपने जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती बसंती मीणा।

श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है, मैं भी इसमें भाग लेते हुए कुछ निवेदन करना चाह रही हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में काफी लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं कीं जो समय पर और सही रूप से लागू हो जाती हैं तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के माध्यम से प्रदेश में वर्ष 2009-10 में 28 करोड़ रुपये खर्च करके 26 लाख लोगों को लाभान्वित किया है, आगामी वर्ष हेतु यह राशि बढ़ा कर 65 करोड़ की है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। चिकित्सा इकाई, आगामी वर्ष में 150 ब्लाक्स में चल चिकित्सा इकाई प्रारम्भ की जायेंगी जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इससे भी बड़ी राहत मिलेगी। 108 एम्बुलेंस के

(श्रीमती बसन्ती देवी मीणा)

प्रारम्भ करने से शहरों एवं कस्बों में इसका भारी लाभ मिला है। एन आर एच एम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का कार्य प्रारम्भ महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एन आर एच एम के तहत कार्यरत कर्मचारियों का, जो संविदा पर हैं, उनका मानदेय बढ़ा कर उनका उत्साहवर्द्धन किया है जिससे वे रुचि लेकर कार्य करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कुछ सुधार हेतु सुझाव देना चाहती हूं एवं कुछ मांग भी करूंगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में सौ बेड का अस्पताल है जहां पर चिकित्सकों की भारी कमी है एवं इसकी वजह से जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को तथा बच्चों को। उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर होने से वहां यह एक मात्र अस्पताल है। अत: डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की पूरी व्यवस्था करावें। साथ ही रोग विशेषज्ञों की व्यवस्था हो ताकि मरीजों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। जेनेरिक दवाइयों की व्यवस्था हेतु जनजाति क्षेत्र में सभी सी.एस.सी., पी.एस.सी. के बाहर एक जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोली जावे तो गरीब लोगों को सस्ती कीमत में दवाइयां मिल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐड पोस्ट थीं जिन पर एक कम्पाउंडर रहता था जिससे जनजाति क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा सुलभ थी। उसे बंद कर दिया गया है, इसे पुन: चालू कराया जाए। एम.पी.डब्ल्यु. के माध्यम से गांवों में मलेरिया आदि की जांच होती थी तथा आवश्यक उपचार होता था, अत: एम.पी.डब्ल्यु. की भर्ती की जावे। पी.एस.सी. और सी.एस.सी. पर डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की पूर्ति करावें ताकि मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। मेरा क्षेत्र नेशनल हाइवे-8 पर स्थित है, वहां से अहमदाबाद 200 किलोमीटर तथा उदयपुर 50 किलोमीटर दूर है। हाइवे पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, अत: मेरी मांग है कि नेशनल हाइवे-8 पर प्रसाद गांव में ट्रोमा सेंटर खोला जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-23 और मांग संख्या-26 दोनों में अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं बिना भूमिका बनाये केवल अपने इलाके की बात कहूंगा क्योंकि काफी लोगों ने काफी चीजें कही हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां इतने पद खाली पड़े हैं जिसकी लिस्ट कहो तो सारी पढ़ दूं या आपको दे देता हूं। वे पद जब तक नहीं भरे जाएंगे, वह जिला हास्पिटल

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

है, इतना बड़ा हास्पिटल है, सफाई व्यवस्था नहीं, जहां चार डाक्टर चाहिए वहां एक डाक्टर है; जिस पद के लिए आठ डाक्टर चाहिए वहां दो डाक्टर हैं, जहां 90 नर्सेज चाहिए वहां 30 नर्सेज हैं। तो जिला हास्पिटल, वह भी कौनसा हास्पिटल, जो हास्पिटल पब्लिक के द्वारा बनाया गया हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूर्व मुख्य मंत्री, आज हमारे बीच में नहीं हैं भगवान को प्यारे हो गये हैं शिवचरणजी माथुर, उन्होंने यह कहा था कि यह हास्पिटल आपका जो पहले वाला है यह छोटा हो गया, महाराजा गंगासिंहजी के टाइम से बना हुआ, हमारे पास फंड तो है नहीं, आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा कीजिए, हास्पिटल बनायें और मैं आपको हास्पिटल के साथ-साथ मेडिकल कालेज भी दूंगा। हमने 75 बीघा जमीन पब्लिक के पैसे से लेकर पब्लिक के पैसे से इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जो अपने आप में एक एग्जाम्पल है लेकिन उस व्यवस्था के साथ मेडिकल कालेज तो आज तक खुला नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि उसके ऊपर कृपा कीजिए, एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री का सपना था, कृपा करके आप उसको पूरा कीजिए तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। आप प्रोसीडिंस निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं इसकी जब कार्यवाही हुई थी, उसको।

इसके साथ-साथ एक बात और अर्ज करुंगा। 80-80 लाख रुपए लगाकर दो काटेज वार्ड काम्प्लेक्स बनाये गये उसी परिसर के अन्दर, जो विधिवत चल रहे थे। मतलब इतने बड़े गंगानगर ज़िले में इतने मरीज आते हैं पंजाब और हरियाणा से। हमारे वह काम करते थे दो सेठ, बहुत बड़े दो सेठों ने वे हमें बनाकर दिये थे लेकिन वे आज बिलकुल बंद पड़े हैं काटेज वार्ड। जिन काटेज वार्ड की व्यवस्था पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में, गंगानगर ज़िले में और पड़ोस में पंजाब के लोगों को मिलती थीं वे बंद हैं। अन्दर कुत्ते फिर रहे हैं, पशु फिर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको अच्छी तरह से चैक अप करवाये। वह जो बंद पड़े हैं काटेज वार्ड उनको चालू करवायें। स्टाफ की व्यवस्था कीजिए, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है।

वैसे ही यहां सारे राजस्थान के लोग जो भी आपके सामने बोले हैं, सब व्यक्तियों ने अपनी-अपनी बात आपके सामने रखी है और उसको बड़े गौर से आप सुन भी रहे हैं, आपके सचिव महोदय भी सुन रहे हैं, आपके अधिकारी भी सुन रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, यह वास्तव में दिगम्बर सिंहजी ने बहुत ढ़िया बात कही, मैं केवल आपकी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, यह

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

तो गॉड गिफ्ट होता है कि मनुष्य किस तरह का तैयार होता है, आप और आपका सचिवालय, आपके सेक्रेटरी महोदय की जितनी भी तारीफ की जाए, पूरा अपोजिशन जब हम बैठते हैं तो तारीफ करते हैं, मैं केवल मक्खन नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। साथ-साथ हमारे मुख्य मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपा करके आपको वे इतना बजट दें कि जो आपकी क्षमता है, आपके विभाग की क्षमता है, ऐसे सेक्रेटरी, ऐसे हमारे मंत्री और फिर राजस्थान की जनता रोये तो गजब है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी तरफ या आपके सेक्रेटरी की तरफ उंगली करके कह सके कि आपमें कोई कमी है। मुख्य मंत्री साहब यहां विराजे हुए नहीं हैं, नहीं तो मैं उनके हाथ जोड़ता, पांव पकड़ता कि आप कृपा करके इनको पूरा बजट दें ताकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वह नहीं हो।

जेनेरिक दवाइयों की बात है, यह आम लोगों को नहीं मिलतीं। आप डाक्टर्स को हिदायत क्यों नहीं करते कि वे लिखें और लोगों को मिलें। अभी हमारे हास्पिटल परिसर में, मैं आपसे मिला भी था आज छह दिन से लोग वहां धरने पर बैठे हैं। वे कौन लोग बैठे हैं? वह बैठे हैं जिनका हमारे उस परिसर के अंदर जब हमने हास्पिटल बनाया उनको दुकानें अलोट की उसमें एक सेठ ने धर्मशाला बनवाई। वे जब उस परिसर में हैं और वह दुकान आपको जब खोलनी है तो यह कृपा हमारे ऊपर जरूर करें, हम बड़े खुश हैं कि यह कृपा कर रहे हैं पर वह दुकान हास्पिटल के किसी कमरे को खाली कराकर नहीं खोलें। आप उस परिसर में खोलें जो परिसर हमारे हास्पिटल का है, उसके बाहर नहीं।

एक बात की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप पूरी तरह इसको चैक अप करवायें। लोगों को पांच दिन से दवाइयां नहीं मिल रही हैं, पूरे गंगानगर की दुकानें बंद हैं, मेडिकल स्टोर बंद हैं लोग परेशान हो रहे हैं। इस चीज का समाधान करके आप जरूर कृपा करें।

इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ब्लड लोग डोनेट करते हैं, खूब लोगों में इस तरह का प्यार पैदा हो गया, पब्लिक में लोग अपना ब्लड देकर के किसी की जान बचाने का बड़ा प्रयास करते हैं। वह ब्लड कई बार जो हमारे ब्लड बैंक हैं, विधिवत चलते हैं, ब्लड कई बार खराब हो जाता है तो नालियों में डाल देते हैं। आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि जैसे मेडिकल काउंसिल है, या तो उसको अधिकार हो या इस तरह की

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

काउंसिल हो जो समय-समय पर ब्लड को चैक करे, जिसके चढ़ने से किसी को पीलिया न हो जाए, कोई कैंसर न हो जाए और कोई और बीमारी न हो जाए। सही ब्लड मिले। इसकी व्यवस्था भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर करें।

इसके साथ-साथ मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गंगानगर में, मैंने डिमाण्ड की, आपने ट्रोमा सेंटर की बजट में चीफ मिनिस्टर साहब ने घोषणा की है। एक हमारे आई सी यू खुला हुआ है लेकिन वह नाम का ही आई सी यू है। हमें अच्छा लगा, कई लोग तो कह रहे हैं कि यह खुला हुआ है तो दुबारा क्यों? तो दुबारा इसकी व्यवस्था बढ़िया तरीके से करे कि वास्तव में आई सी यू लगे। इस तरह की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा। यह आपने निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूं, मुझे डर भी लग रहा है हमारे सभापति महोदय से, आयुर्वेद, होम्योपेथी और यह हमारी जो पुरानी पद्धतियां हैं, आप कृपा करें इनके लिए पूरा बजट रखें और मैं आपसे प्रार्थना करुंगा, इसकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं है। मेरे को एक बार मौका मिला, मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा था, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैंने मेडिसिन प्लांटेशन बोर्ड का गठन किया। एक आल वर्ल्ड कांफ्रेंस हुई थी कोच्चि में, उस कोच्चि में पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए और आयुर्वेद को उन्होंने एक ऐसी पद्धति बताया, होम्योपैथी को और जो हमारी पद्धतियां हैं पुरानी, इनको उन्होंने ऐसी बताया कि वर्ल्ड में इनसे बढ़िया कोई पद्धति नहीं है। चाइना से 12 सौ करोड़ रुपये की मेडिसिन जाती है अमेरिका में, प्लांटेशन, वह प्लांटेशन जिससे मेडिसिन तैयार होती है; केवल चार सौ करोड़ रुपये की हिन्दुस्तान से जाती है। जबकि हिन्दुस्तान इसका जन्मदाता है, निर्माता है। क्योंकि आयुर्वेद की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। मेरे टाइम में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खोली गयी, मेरे टाइम में, मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे टाइम में 32 जिलों में 25 मेडिकल कालेज आयुर्वेद और होम्योपेथी के खोले गये। उसके बाद एक ऐसी पद्धति थी, हम जिलों में जाकर उसका कैंप लगाते थे और उस कैंप में क्या होता था कि तमाम रोगों का इलाज, ये काले धब्बे बच्चियों को पड़ जाते थे, कोई दाग लग जाता था, तमाम वह कैंप लगा कर पांच-पांच हजार कालेज की लड़कियां और लड़के आकर वहां अपना इलाज करवाते थे। आप मानेंगे नहीं शायद इस बात को, आपको अजीब लगेगा, तीन दिन में वे बच्चे ठीक हो जाते थे।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कोटा के अन्दर, जोधपुर के अन्दर, बीकानेर के अन्दर, गंगानगर के अन्दर कई जिलों में वे कैंप लगाये, उन कैंपों के माध्यम से लोगों को बहुत भारी लाभ मिला।

मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज तो मैं कुछ बोला ही नहीं हूं। मैंने न कोई भूमिका बनाई। मैं अगर पूरे राजस्थान की बात करता तब तो आप मुझे टोकते, बाकी जैसा आप आदेश करेंगे।

श्री सभापतिः बिलकुल, बिलकुल। सम-अप करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक बार यह प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय जिलों का ट्यूर करें। आप चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करें, पूरे के पूरे जितने भी हमारे आप और हम बैठे हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, आपके इतने बढ़िया सेक्रेटरी, इतना बढ़िया आपका स्टाफ...

श्री सभापतिः श्री कर्नल सोनाराम। माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और इतने बढ़िया आप और फिर लोगों को शिकायत रह जाए, यह बात अच्छी नहीं है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बस अब।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसा है, मैं दूसरे सब्जेक्ट पर तो बोलूंगा नहीं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपको तो मंत्रीजी ने सर्टिफिकेट दे दिया, हो गयी डिमांड पूरी अपनी तो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): चलो, जो भी, मंत्रीजी को सर्टिफिकेट तो दिया हुआ है सबने ही। (व्यवधान) यह हमारे हास्पिटल है वह किस्मत वाला हास्पिटल है, इसमें सब तरह की मशीनें हैं। हमारा हास्पिटल ऐसा हास्पिटल है जिले का जिसमें तमाम तरह की मशीनें हमारे पास हैं लेकिन चलाने वाला व्यक्ति एक भी नहीं है। लोग तो रोते हैं कि हमारे मशीन हो एक भी, मैं नाम पढ़ूंगा तो फिर आप कहेंगे, उधर से घंटी आ जाएगी, सारे कुछ

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

साधन हैं लेकिन उन साधनों के लिए व्यक्ति नहीं हैं, आपरेट करने वाले। कृपा करके, मेहरबानी करके आप उसकी व्यवस्था करवायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको टोकना नहीं चाहता।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एक मिनट सिर्फ। एक मिनट से आगे नहीं बोलूंगा।

मांग संख्या-23 पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दस हजार से भी ज्यादा हमारे श्रमिक काम करते हैं और उस जगह पर भट्टे हैं, हमारी फैक्टरियां हैं, रीको का इंडस्ट्रियल एरिया है इतना बड़ा और उसको क्या किया कि उप श्रम आयुक्त की पोस्ट जो बहुत लम्बे अर्से से चली आ रही थी, उस पोस्ट को बड़े गजब की बात है, हजारों फाइलें लोगों की धक्के खा रही हैं और वह पोस्ट वहां से खतम कर दी। लोग तो बढ़ाते हैं, आपने वह चीज ही खत्म कर दी। इसका क्या कारण है? मेहरबानी करके उस पोस्ट को दुबारा उसी जगह पर रखिये। हजारों...

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सम्माननीय सभापति महोदय, ...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आदेश करो।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मेरा नाम पुकारा है इन्होंने।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): दो सेकंड, मेरे प्यारे भाई, मेरे राजा भैया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करें आप। माननीय सदस्य, अब सम-अप करें।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): नाम पुकारा है मेरा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे प्यारे, मेरे को निवेदन करना था।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): उनका भी तो मुझे कहना मानना पड़ता है, साहब।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे को इजाजत दी है।

श्री सभापति: सम-अप करो अब। सम-अप करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं समाप्त कर रहा हूं बिलकुल। मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्रीजी और श्रम मंत्रालय से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि दस हजार फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं और लोग धरने पर बैठे हैं। मजदूर, गरीब लोग जयपुर में कैसे जाए? वे मजदूर जिनको मजदूरी कितनी मिलती है, उसको आप जानते हैं। मेहरबानी करके वह उप श्रम आयुक्त का कार्यालय जो वर्षों से चल रहा है, बीसों सालों से, उसको अचानक बंद कर देना, यह अपने आप में बहुत दुखद घटना है। मेहरबानी करके उसको आप तुरन्त चालू करवाइये।

आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कर्नल सोनारामजी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आज मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू के बारे में कहूंगा परन्तु कुछ शब्द मैं जैसलमेर और बाड़मेर जो पिछड़े हुए जिले हैं, काफी चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में वहां मांगें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उनके बारे में कहूंगा क्योंकि उसी क्षेत्र ने मुझे तीन बार वहां से लोक सभा में भेजा। मैं जब लोक सभा में था, मुझे याद है कि एक बार आदरणीय श्री वाजपेयी साहब ने कहा था कि स्वास्थ्य और चिकित्सा ऐसा विषय है जिसने दुनिया में कई देशों में तख्ता बदल गया। इस विषय को लेकर के लोगों ने उस सत्ता को हटा दिया। परन्तु अफसोस है कि अपने यहां राजस्थान या हिन्दुस्तान में अभी भी चिकित्सा में बहुत कुछ करना है। जो अभी बजट रखा है उसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने काफी कोशिश की है, परन्तु और बहुत कुछ करने को है।

मैं पहले मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर कम्युनिटी हैल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं, रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं, खुले हैं परन्तु वहां पर जितनी देनी चाहिए जो हमारी मांग थीं वह उन्होंने वहां सुविधाएं नहीं दी हैं। वजह यह है कि वहां पर पूरा जैसे मेरा बायतू का इलाका है, शत-प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है। आस-पास में कोई हास्पिटल नहीं है। वहां से जो नजदीक पड़ता है, वह पड़ता है बाड़मेर, उसमें सुविधाएं पूरी दें। सुविधा का मतलब कहने का है, डाक्टर हैं, लेबर रूम हैं या फिर मेटरनिटी वार्ड हैं। एक उदाहरण के तौर पर, सभापतिजी, आपसे कहना चाहता हूं, बायतू जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का नाम है वहां पर कम्युनिटी हैल्थ सेंटर है परन्तु अफसोस है कि वहां पर मेटरनिटी वार्ड नहीं है। हर रोज वहां 15 से 29 महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं, डाक्टर की कमी है। इसी तरह,

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

मेरे कुछ इलाके जैसे लोसर है, झांक है, भोजासर है, गोपड़ी है, रसोली है, कालानाड़ी है, यहां पर प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं परन्तु वहां लेबर रूम नहीं हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पी एच सी के अन्दर लेबर रूम नहीं हो तो वहां क्या स्थिति होती होगी। तो, सभापति महोदय, मंत्रीजी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मेरे साथ वहां लोक सभा में रहे हुए हैं, मैं इनका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि इसमे करें। हालांकि इनसे आज मैंने इनके चैंबर में बात की थी तब आश्वासन दिया कि मैं जितना हो सकेगा कर पाऊंगा।

इसी तरह से मैं आऊंगा ए एन एम की बात पर। बाड़मेर, जैसलमेर में ए एन एम की बहुत कमी है। बाड़मेर की बात लें तो 247 पद रिक्त थे उनमें से, मंत्रीजी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, 125 अभी कांट्रेक्ट पर भर दिये हैं फिर भी 122 की अभी कमी है। इसमें कुछ जो भर्ती किये हैं ए एन एम तो भी हमारे 122 की कमी हैं, 75 ए एन एम ऐसी हैं जो दूसरे जिलों में हैं, प्रतापगढ़ में हैं, वहां धौलपुर में हैं। अभी मंत्रीजी ने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने कहा है कि अनमैरिड हैं या जो विकलांग हैं, उन ए एन एम को वापस जैसलमेर, बाड़मेर में लायें। संभावना तो बहुत कम है उस कैटेगरी में। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ ए एन एम ऐसी हैं जो प्रतापगढ़ में हैं उनका पति गुजरात में मजदूरी करता है। उसके पीछे बुड्ढे मां-बाप हैं, आप देख सकते हैं, उनको कौन पानी पिलायेगा? कई ढाणियां ऐसी हैं जहां 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पानी ही नहीं है। मैंने आज मंत्री महोदय से कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करके इस तरह के जो केसेज हैं उनमें इंसानियत के नाते ह्युमेनिटेरियन ग्राउंड पर इनकी बदली करेंगे। पालिसी आप लोग ही तो बनाने वाले हो। जैसे आपने विकलांग और अनमैरिड के लिये कह दिया, इसी तरह उनके लिये भी कह दीजिए। 122 पोस्टें हमारी खाली पडी हैं, 75 हमारी बाहर हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यही आंकड़े जैसलमेर में हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें आप हमारी मदद करेंगे।

इसी तरह हमारे बायतू में ए एन एम की जो 171 एडिशनल पोस्टें दी हैं उसमें से देखा जाय तो मेरे बायतू में अभी 9 ए एन एम की की हैं। उसमें आप हमारी मदद करेंगे।

इसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां-जहां पर सब-सेंटर्स हैं वहां पर भवनों की कमी है। स्टाफ की भी बहुत कमी है और सामग्री नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके आप वहां सर्वे करके या जो भी आपका तंत्र है उसे भेज कर वहां जो कमी बेशी है वह पूरी करें।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

इसके अलावा मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, एक तो पहले से वहां डाक्टर की कमी है, दूसरे वहां जो डाक्टर आते हैं वह इस तरह के आते हैं जिसको किसी को 16 सीसी में चार्ज शीट दे रखी हो, इस तरह से भेजते हो। मैं मानता हूं, पहले जैसलमेर, बाडमेर को काला पानी कहते थे, आज काला पानी तो नहीं है पर अभी भी वह इलाका है वह इतना नहीं है। मैं तो आपको यहां सुझाव दूंगा, आज भी जैसलमेर और बाड़मेर चाहे आर्मी है, चाहे एयर फोर्स है, चाहे बी एस एफ है वहां पर टेन्योर है। कम्युनिकेशन मंत्रालय जो वहां पर है वहां भी टेन्योर है। कोई अफसर जाता है तो वह दो-ढाई साल रहने के बाद में उसकी इच्छा होती है कि वापस वह कहां जाना चाहता है। इससे क्या होगा कि क्वालिफाइड डाक्टर वहां जाकर वहां के लोगों को सर्विस देकर आ सकेंगे। जिस तरह से आप थर्ड ग्रेड या अनवांटेड आप भेजते हो, इसके मेरे पास आंकडे हैं पर वह बोलने का समय नहीं है, ऐसे केस मंगा कर आप देख लें। आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, कौन है; यहां किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं रहेगा। वह डाक्टर कहेगा कि मेरा वहां पर नाम लिया गया। यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरी बात जो मेडिसिन हैं, वहां मेडिसिन में, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वहां पर कुछ केसेज हुए हैं, ग्रामीण इलाके में सब-स्टेंडर्ड की फेक मेडिसिन आ रही हैं। मैंने एक-दो को पकडवाया, कोशिश कीं, अब हमारी भी मजबूरी होती है क्योंकि हम जन-प्रतिनिधि हैं, पकड़वायेंगे तो कहेंगे कि यह एम एल ए साहब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरा सुझाव है कि आपके पास में इस तरह का तंत्र होना चाहिये जैसे इंटेलीजेंस ब्रांच होती है, वह जाकर सैम्पल लें, अधिकारी जायें। आज स्थिति ऐसी है, साहब, बाडमेर, जैसलमेर, उस पश्चिमी राजस्थान में अगर कोई बीमार पड़ता है, गरीब से गरीब व्यक्ति अपना गहना बेच देता है कर्जा लेकर, वह जाता है बीसा, अहमदाबाद जाता है। छोटी सी बीमारी भी होती है तो। मैं कहता हूं कि यहां इलाज क्यों नहीं करवाते हो तो कहते हैं कि, साहब, यहां दवाई ऐसी ही मिलती है, डाक्टर्स हैं नहीं, सुविधाएं हैं नहीं। उसमें आप पूर्ति करेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

अभी डाक्टर परम नवदीप यहां हैं नहीं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बोला तो शुरू में कहा कि जैसलमेर, बाडमेर ऐसे दूर-दराज के इलाके हैं । वास्तव में यह बात सही है, मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान में और जगह कमियां नहीं हैं पर और जगह हर जगह सुविधाएं हैं, बड़े-बड़े शहर हैं।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस मैं दो मिनट और लूंगा क्योंकि मैंने ही कहा था कि जब घंटी बजे तो उसके पीछे वाले को बुला लिया करो।

मैं 108 एम्बुलेंस की बात करना चाहूंगा, 108 एम्बुलेंस बायतू में आपने नहीं दी। आपने फैसला किया कि हर पंचायत समिति में 108 एम्बुलेंस की सर्विस होनी चाहिये। बायतू ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां एस डी एम आफिस है, वहां पर तहसीलदार है, वहां पर बी डी ओ है, पंचायत मुख्यालय है और सबसे बड़ा एम पी टी, मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल है, वह वहां से 15 किलोमीटर दूर है। सबसे बडी खुशी है कि जो रिफाइनरी जिसके लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी रोज कहते हैं कि लायेंगे, लायेंगे, उम्मीद है आयेगी, केन्द्रीय मंत्रीजी भी कह कर गये थे, वह जो रिफाइनरी आ रही है वह बायतू से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपने 108 एम्बुलेंस में कुछ बढाई हैं उनको आप जरूर करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ बातें बोलने के लिये जरूर थीं परन्तु धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, मैं एक भूल सुधार करना चाहता हूं, मेरे को महिलाएं गंगानगर में घुसने नहीं देंगी। एक बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी आज्ञा से सुधार करना चाहता हूं। निवेदन है कि कल नवरात्रि का हमारे यहां बहुत बड़ा जुलूस निकला था जिसमें कलश यात्रा में 2000 महिलाएं थीं। मेरे घर के पास जब समापन होने लगा तब उन्होंने यह कहा कि कल आपकी डिमांड है, हमारा पुराना महिला हास्पिटल होना चाहिये, नहीं तो आप गंगानगर में घुसना मत। तो यह भी आप नोट कर लें। मेरे से गलती हो गई। कहीं वह घुसने ही ना दें, ऐसा ना हो जाये। कृपा रखिए आप।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि एक इधर से एक उधर से और बीच वालों का भी कभी-कभी नंबर लेंगे। आप ही की व्यवस्था थी, मैं तो याद दिला रहा हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, सभापति महोदय। इससे पहले कि मैं अपनी बात आदरणीय मंत्री महोदय के समक्ष पेश करूं, यह बात आपके माध्यम से मैं जरूर निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। W.H.O. के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मापदंडों के आधार पर और स्वास्थ्य की जो उन्होंने परिभाषा दी है, वह विशेष रूप से हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं और परिलक्षित करते हैं तो जिस भाषा को उन्होंने अंजाम दिया उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा है – Health is the state, it is a complete state of physical, mental and social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ किसी एक रोग विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे। जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उस प्रदेश की जनता की उस मन:स्थिति की बात करते हैं जिस परिप्रेक्ष्य में वह जीवन यापन कर रहा है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उन व्यवस्थाओं की बात करते हैं जिस व्यवस्थाओं के माध्यम से वह अपने स्वास्थ्य का परीक्षण भी करवाता है और एक प्रोडक्टिव ह्युमन रिसोर्स बनने के लिये उसे किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है इन सारों का काम्प्रीहेंसिव अगर हम देखते हैं तो जाकर कहीं हैल्थ की वास्तविक डेफिनेशन हमको मिलती है।

मंत्री महोदय, मैं भी चाहता हूं, जैसे सब सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से यह बात कही, मैं भी चाहता हूं कि मेरे समस्त पंचायत मुख्यालयों पर अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरूर हों। मैं यह भी चाहता हूं कि जहां मेरे ब्लाक पंचायत समितियां हैं और ग्राम पंचायतें हैं जिनकी जनसंख्या 5 हजार से ज्यादा है वहां आप सी एच सी खोलें। लेकिन, आदरणीय, आप खोलेंगे कैसे?

यह बात सही है कि संगरिया से आने वाली माननीय सदस्या फरमा रही थीं, 1982 में अलमाआटा को हमने स्वीकार करके 1983 में हमने नेशनल हैल्थ पालिसी बनाई लेकिन यह बात हम भूल गये कि 2002 में हमने उस हैल्थ पालिसी को चेंज भी किया है। 2002 की जो हैल्थ पालिसी है जिसको राजस्थान सरकार ने भी स्वीकार किया था उस समय, उस समय यह कहा गया था कि जितना प्रदेश का जी एस डी पी है उसका तीन प्रतिशत व्यय कम से कम हैल्थ सिस्टम में होना चाहिये। आदरणीय, आज की तारीख में जी एस डी पी 2 लाख 19 हजार है। क्या 2 लाख 19 हजार का तीन परसेंट आपके बजट प्रावधान में है? मैं तो यह चाहता हूं कि मेरे यहां भी एम्बुलेंस हों, मैं तो यह चाहता हूं कि मेरे यहां भी पी एच सी हों, मैं तो यह चाहता हूं कि उसमें डाक्टर भी हों, मैं चाहता हूं कि अस्पताल में अच्छे-अच्छे उपकरण भी हों लेकिन अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? व्यवस्था बगैर पैसे के और फंडिग के नहीं हो सकती।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

2002 की पालिसी में यह भी कहा गया था कि अगर जी एस डी पी के मापदंडों में कहीं उतार-चढ़ाव आता हो क्योंकि जो प्रदेश एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनोमी से है तो यह कहा गया था कि बजट एलोकेशन का 7 परसेंट होना चाहिये। आदरणीय, आपका 53 हजार का बजट एलोकेशन है, 53 हजार का 7 प्रतिशत सिर्फ मेडिकल हैल्थ पर होना चाहिये। मैं सी एस एस स्पोंसर्ड स्कीम की बात नहीं कर रहा, यह स्टेट स्पोंसर्ड स्कीम की बात कर रहा हूं । अगर सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम की हो तो जो केन्द्र का बजट है उसका तीन परसेंट और तीन परसेंट के बाद में जो हमारी जनसंख्या का हिस्सा है उसका प्रतिशत केन्द्र से आना चाहिये। आप इसका पूरा का पूरा हिसाब लगा दीजिए।

मैं इसलिए कहना आवश्यक समझता हूं, मैं कोई भी चीज कहूंगा, या तो आप उदार दिल हैं, आप यह स्वीकार कर लेंगे या आपके यहां से दो लाइन की एक चिट्ठी आयेगी कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में जब इसकी व्यवस्था होगी तब हम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके 1998-99 का और मैं पूरे 12 साल का आपको यह लेखा-जोखा दे रहा हूं, यह किसी एक राजनीतिक सरकार या एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात नहीं है। हमारे जहां जी एस डी पी का तीन प्रतिशत होना चाहिए था, हमने 0.90 से लगाकर 1 प्रतिशत तक किया है। इस बार कम से कम यह सुखद अहसास जरूर हो रहा है, इस बार पिछले दस वर्ष की तुलना के अन्दर पहली बार जी एस डी पी का 1.21 प्रतिशत आपने प्रोवीजन किया है। लेकिन बी.ई. है, अगर आप 9-10 का बी.ई देखें और बी ई के बाद में आपने जो वास्तविक किया है, आपने बी ई को फिर रिडयुस कर दिया आर ई में। अगर आप इस 2010-11 को भी वापस आर में रिड्यूस कर देंगे तो यह आंकड़ा वापस 1 प्रतिशत पर चला जाएगा।

अगर आप इसको बजटरी प्रोविजन के हिसाब से देखें तो आज आपका आंकड़ा सबसे ज्यादा है दस साल में। 4.72 था 1998-99 में, फिर गिर गया 3.83 पर, फिर गिर गया 2.82 पर, आपने धीरे-धीरे, हमने भी 4.52 प्रतिशत किया था, 4.61 किया था लेकिन 5 प्रतिशत हमने भी नहीं किया, पहली बार बजट प्रोविजन का 5.32 परसेंट का हिस्सा है। लेकिन, आदरणीय, अगर फिर इसको रिवाइज कर देंगे तो फिर यह 4 प्रतिशत पर आ जाएगा। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी की पूरी गैलेरी आपके पास में बैठी हुई है, intellectual people who are managers in the hospi-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

tal industry as well as doctors, आप मुझे यह बतायें, आपके सब-सहारा स्टेट्स के अन्दर भी और आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रिज में भी अपने जी एस डी पी का 6 प्रतिशत हिस्सा लगाते हैं। श्रीलंका जैसा भी अपने बजटरी प्रोवीजन का साढ़े छह प्रतिशत लगाता है। हिन्दुस्तान 1 प्रतिशत लगता है, राजस्थान प्रदेश सिर्फ 1.61 प्रतिशत लगाता है। सब सहारा स्टेट्स के अंदर भी जो बेड का और पोपुलेशन का रेश्यो है 333 है। आपके यहां 1432 पर एक बेड है।

यह व्यवस्था और यह परिस्थिति है, इसको सुधारना आपका और हमारा, सबका दायित्व बनता है। मेरे अकेले के यहां पी एच सी के अगर डाक्टर आ जाएंगे तो उससे राजस्थान की परिस्थिति नहीं सुधर सकती। यह परिस्थिति तब सुधरेगी जब आपका डाक्टर पी एच सी में जाकर रहने को तैयार हो जायेगा। मुझे यह कहते हुए कतई कोई शर्म नहीं आती कि शाहपुरा, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं जो जयपुर के 20 किलोमीटर के बाद में लग जाती है, आज जयपुर की पेरिफरी के अन्दर आती है यह कंस्टिटूएंसी, आज भी मेरे पास पी एच सी ऐसी हैं जहां डाक्टर जाने को तैयार नहीं हैं। वे इसलिए जाने को तैयार नहीं हैं कि आपने अच्छी बिल्डिंग तो बना दी लेकिन उसके रहने की व्यवस्था नहीं है। अगर आप आज भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान जो 50 के दशक में था, 60 के दशक में था जहां डाक्टर इस बात के लिए कहीं न कहीं ओथ लेकर आता था कि मैं कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो मैं जाकर लोक सेवा करूंगा। आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में अगर आप यह कल्पना डाक्टर से कह रहे हैं तो यह काम सम्भव नहीं है। वह जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है, जिस सोशल स्टेटस से आ रहा है उसको वहां जाने के लिए आपको यह व्यवस्थायें देनी पड़ेंगी जिससे वह वहां जाकर उस ग्रामीण इलाके की सेवा कर सके।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, चार दिन पहले आपके कनिष्ठ राज्य मंत्री मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक पी एच सी का शिलान्यास करने पधारे थे। अच्छा तो यह होता कि इसकी जानकारी मुझे होती। मैं आपसे यह निवेदन करता कि आप पी एच सी की बिल्डिंग तो बना रहे हैं पर जिस भूमि को डोनेट जिस व्यक्ति ने किया था जिसकी वजह से अब वह बिल्डिंग बनेगी, कुछ हिस्सा उन्होंने सिर्फ तीन महीने पहले डोनेट किया है, मैं होता तो आपसे यह कहता कि आप बिल्डिंग जरूर बनायें लेकिन उसके साथ-साथ उस डॉक्टर के रहने का कक्ष भी बना दें वरना बिल्डिंग तो बनती रह जाएगी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लेकिन डॉक्टर के अभाव में वहां सिर्फ कम्पाउंडर ही प्रैक्टिस करेगा।

मैं सिर्फ इसलिए यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरी कांस्टिट्यूएंसी में, जिस वक्त विराटनगर कांस्टिट्यूएंसी थी, चार सी एस सी थीं, केन्द्र सरकार की योजनाओं से। प्रदेश सरकार की योजनाओं से, एक-एक सी एस सी पर आज की तारीख में 9-9 रिहायशी फ्लैट बना दिये। एक-एक करोड़ रुपये, ढाई-ढाई करोड़ रुपये लगे हैं। शाहपुरा पी एच सी लाल बहादुर शास्त्रीजी के नाम से है। आदरणीय, उस वक्त के गवर्नर और आपके और हमारे पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय मोहन लालजी सुखाड़िया के हाथों से उसका शिलान्यास हुआ था और उद्‌घाटन हुआ था, 1972-73 के बाद में 2002 में पहली बार उसमें कुछ दो पैसे लगे। 30 साल तक उस भवन में एक पैसा नहीं लगा, उस भवन की हालत जर्जर हो गई। 2002 में कुछ पैसा लगा और उसके बाद 2004-05 के बाद सवा करोड़ रुपये उसमें लग चुका है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जिस बिल्डिंग को रिपेयर करके डाक्टर्स के लिए और आम आदमी के लिए सही रूप से काम करना चाहिए था, दो साल हो गए हैं अभी तक उसकी हालत यह है कि जरा सी बरसात हो जाती है तो पानी कमरों में आ जाता है। यह तो तब है जब पूरी बिल्डिंग को वापस रिपेयर कर दिया गया है। इस तरीके से हम क्वालिटी वर्क्स को चैक नहीं करेंगे तो कभी भी इसका वास्तविक हमको जो प्रतिफल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा।

मैं एक बात और आपको निवेदन करना चाहता हूं। We are entering into an era where medical science industry is undergoing revolutionary changes. आदरणीय, पूर्व हमारे राष्ट्रपति ने साइंस कांग्रेस पर अपना वक्तव्य दिया था, उसकी पांच लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसकी राजस्थान को आवश्यकता है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ समय पहले एक खबर छपी थी अख़बार में, मुझे नहीं मालूम कि उसमें सत्यता कितनी है लेकिन खबर छपी। मुझे भी उस बात का दुःख हुआ और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे यहां के एक प्रोफेसर ने कैंसर जैसे रोग के निदान के लिए शोध किया। क्योंकि यहां फार्मास्युटिकल आर.एंड.डी. की व्यवस्था नहीं थी, चायना जैसा कंट्री जो हमारा सबसे बड़ा कम्पीटिटर है, मात्र दस लाख डालर में, सिर्फ दस लाख डालर में उस चीज को अपने यहां ले गया । आदरणीय, इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व राष्ट्रपतिजी का एक कहा हुआ वक्तव्य है, उन्होंने हैल्थ केयर पर कहा है, हैल्थ केयर में नैनो साइंस पर कहा है, नैनो मेडिकल सांइस के ऊपर कहा है - "India has already patented the

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

development of drug delivery system..." मैं हैल्थ केयर में ड्रग डिलेवरी सिस्टम की बात कर रहा हूं क्योंकि हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहां दवाइयां सबसे कम कीमत पर आज भी उपलब्ध हो रही हैं। जितनी कम कीमत पर यहां दवाइयां हैं पूरे के पूरे संसार में कहीं किसी देश में इतनी कम कीमत पर अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन क्योंकि इन दवाइयों को पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, दवाइयां मरीज तक पहुंच जाए, आम आदमी तक पहुंच जाए, उस पर यह वक्तव्य है - "India has already patented the development of drug delivery system using nano technology. Stem cell research in India is advancing in the fields of cardiology, ophthalmology, diabetic research, etc. It is essential to develop drug delivery system for stem cell implantation to the specific organs of the bodies related to the ailment using nano technology." इस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए जिस वक्त रिसर्च पेपर आया और रिसर्च पेपर आने के बाद यह बात बिलकुल सामने आई, the real challenge is access to health care और इसमें यह है, pharmaceutical industry in India remained insulated.

पूरा ग्लोबल मेल्टडाउन हो रहा था, हर इंडस्ट्री ग्लोबल मेल्टडाउन के अन्दर प्रभावित हो रही थी लेकिन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री सरवाइव कर रही थी, इसलिए सरवाइव कर रही थी कि the global financial crisis registering a negative growth rate of 14% during the year, India now accounts for 8% of the pharmaceutical development. इस पूरे के पूरे ग्लोबल मेल्टडाउन में हिन्दुस्तान की फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री जो मेडिसिन बनाती है, जो रिसर्च करती है उसने जब 14.50 प्रतिशत नेगेटिव में जा रहे थे, 8 प्रतिशत ग्रोथ आई। 8 प्रतिशत ग्रोथ आने के बाद में जब इन्फ्रास्ट्रैक्चर हमारे पास अवेलेबल है तो राजस्थान जैसा प्रदेश इस व्यवस्था का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रैक्चर इस तरीके के डवलप क्यों नहीं हो रहे कि जिससे यह सारे के सारे यहां हो? क्योंकि यह कहा है कि जिस टाइम में अगर यह व्यवस्था यहां लागू हो जाएगी और यहां अच्छे बुद्धिमान बच्चों की कमी नहीं है, it is not that we do not have research students here, it is not that there is a scarcity of Professors here; it is just a question of vision, wisdom and a perpetual intellectual intent to justify that whatever is being done, should be done for the care of the public at large.

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान) आपके यहां मैंने छोटा सा एक प्रश्न किया था, उसका जवाब आया। मैंने कहा, डी डी टी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और डी डी टी इस्तेमाल करने के बाद में ऐसा माना जाता है कि डी डी टी आम आदमी के उपयोग के लिए हानिकारक है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो जवाब आया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से यह एक ऐसा मेडिसिन है या ड्रग है या पेस्टिसाइड है जिस पर बैन नहीं है। मैं आपको एक रिसर्च पेपर की वह बात बताना चाहता हूं, जिसमें इस पर रिसर्च होकर यह यूरोप में टोटल ही बैन हुआ। उसमें यह कहा गया है: आदरणीय, यहां एक परिवार से नहीं, 13 व्यक्तियों का अलग-अलग सैम्पल लिया गया और 13 व्यक्तियों में वे थे, वह 13 परिवारों में लिया गया; व्यक्तियों का नहीं, परिवारों का लिया गया। 13 परिवारों के व्यक्तियों में जब इस चीज का दिया गया तो उनमें देखा कि 3 जनरेशन तक, 3 जनरेशन के अन्दर इस डी.डी.टी. की वजह से जो उनमें रोग आये, उसमें कैंसर का रोग भी आया। उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी थे, उसमें पोलिटिकल एंगल के लोग-बाग़ भी थे और एफ्युएंट सोसायटी के लोग-बाग़ भी थे जिन्होंने शायद इसको इन्हेल बहुत कम मात्रा में किया होगा। जबकि आज भी आप इस बात को कहते हैं कि मलेरिया अगर ज्यादा फैलता है तो डी.डी.टी. के अलावा हमारे पास कोई रोक नहीं है। यह उन परिस्थितियों से रोग हुआ है, जहां सबसे ज्यादा इसका एक्सपोजर होता है।

यही तरीका मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कितने आपमें ऐसे टोक्सिंस हैं, डोमेस्टिक टोक्सिंस की बात कर रहे हैं, चाहे वह मोस्क्विटो रिपेलेंट्स के नाम पर हों, चाहे आपके मच्छर मारने के नाम पर हों, जिनको हम रोज कंज्यूम करते हैं, कभी भी बैठकर इस पर रिसर्च नहीं हुआ कि उनको कंज्यूम करने के बाद में कितना टोक्सिन विकार हमारे शरीर में होता है। उसका आज नहीं, कई वर्षों के बाद में, और आने वाली जनरेशन में उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा।

मैं आज यह बात इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि H_1N_1 के मामले के अन्दर जहां स्वाइन फ्लू के बारे में आप लोग ओरल मेडिसिंस दे रहे हैं, धीरे-धीरे इसका वैक्सीन आने वाला है। यह वैक्सीन आपको इम्युन करता है। लेकिन इसका रिसर्च यह कहता है जिसने यह वैक्सीन बनाया, जहां यह डोज आज दी जा रही है, अमेरिका भी, फेडरल अथोरिटी आफ ड्रग्स इस बात को मानता है कि जहां पहले ओरल मेडिसिन दी जा रही थी, जहां पहले सिंगल डोज दी जा रही थी, अब डबल डोज देने लग गये। इसका मतलब कि आपका बोडी सिस्टम इस बात से इम्युन हो गया, वह वायरस इस बात से इम्युन हो गया है। उन्होंने कहा, वैक्सीन, आप मानिये कि यह आया तो चार साल पहले है, वैक्सीन का पेटेंट आज से 6 साल पहले करा लिया जिस व्यक्ति ने, यह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

वैक्सीन वह है जो किसी न किसी से प्रभावित है। यह कहीं न कहीं से इस वायरस को जर्मिनेट करने के लिये कोई न कोई चीज है, कम से कम इन चीजों को लागू करने से पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे अगर इस वैक्सीन पर आते हैं, क्योंकि वैक्सीन आते ही बच्चों को लगाना चालू हो जाएगा, मां-बाप चाहे कितने ही गरीब क्यों न हों, चाहे मुफ्त में वैक्सीन आपसे मिले या न मिले, वैक्सीन आयेगा तो मां-बाप उसको लगवाएंगे; लगाने के बाद उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपके जितने भी वैक्सींस हैं, आपके यहां से तो नाम मात्र के वैक्सीन मिलते हैं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, दुबारा मैं नहीं करना चाहता हूं, हमारा जो इम्युनाइजेशन का प्रतिशत है, 27 प्रतिशत है, उसको कम से कम हमको अपने लक्ष्य का 48 प्रतिशत लाना पड़ेगा।

आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका स्वयं का राजस्थान सरकार का 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, जिसका तीन-चौथाई भाग खत्म हो चुका है, आपने मेडिकल एण्ड हैल्थ के अन्दर उस लक्ष्य में से 38 प्रतिशत पैसा खर्च किया है। जबकि नान-प्रायोरिटी सेक्टर में इसी 11वीं पंचवर्षीय योजना में 78.20 प्रतिशत पैसा खर्च हो चुका है। तो बच्चों की, माताओं की और आम जनता की हैल्थ के सम्बन्ध में ये फंड्स हैं, आदरणीय, जो आपके यहां पड़े हुए हैं। सिर्फ मानसिकता चाहिए, विल-पावर चाहिए कि हम इसे इस्तेमाल कर लें जिससे कि आने वाली पीढ़ी और आने वाला भविष्य हम सबके लिये स्वस्थ हो।

बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, थैंक यू।

श्री सभापतिः श्रीमती अन्जू।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा हो रही है, जिस पर बोलने का मुझे आपने अवसर दिया उसके लिये मैं आभारी हूं।

चिकित्सा का महत्व हमारे जीवन में कितना है, यह हम सब जानते हैं लेकिन अगर सही समय पर चिकित्सा मिल जाए तो उसका महत्व मुझसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जान सकता। मुझे यहां खड़े होकर बोलने में, यहां आने में इतनी खुशी नहीं होती जितना दु:ख होता है। क्योंकि अगर मेरे पिता आज होते तो वे मेरी जगह खड़े होते, वे यहां पर आये होते लेकिन उन्हें सिर्फ समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वे आज यहां नहीं हैं। मेरे

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

क्षेत्र बस्सी में ग्राम पंचायत तूंगा 60 किलोमीटर दूर एस.एम.एस. से पड़ती है। मेरे पिता को दूबली गांव, ग्राम पंचायत तूंगा में पड़ता है दूबली गांव, बिलकुल पास में है उसके, उन्हें अटैक आया था वहां पर, अपने गांव में रात को 12 बजे। वह वहां से तूंगा में गये, किसी डाक्टर के यहां पर, मेरे कोई रिलेटिव उन्हें लेकर के गये। वहां जाने के बाद उन्होंने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर तूंगा से 60 किलोमीटर पड़ता है। अब एक हार्ट-पेशेंट अगर 60 किलोमीटर का सफर करके जाएगा तो वह कहां बचेगा? उन्हें एस.एम.एस. जाने में पूरे डेढ़ घण्टे का वक्त लगा। वह सफर इतना खतरनाक रहा कि वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार इस सदमे से आज तक उबर नहीं पाये हैं। अगर खुद बस्सी में ही, तूंगा से बस्सी 17 किलोमीटर है, अगर बस्सी में आई.सी.यू. होता तो शायद वे आज हमारे बीच में होते और वे मेरी जगह यहां खड़े होते। इसका मुझे दु:ख है और इसलिये मैं चिकित्सा मंत्रीजी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे बस्सी में एक आई.सी.यू. जरूर खुलवाएं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी में विशेषज्ञ चिकित्सकों का बहुत अभाव है। जैसे कि बस्सी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, एनेस्थेसिया के डाक्टर्स नहीं हैं, वहां पर गाइनोकोलोजिस्ट है पर जेंट्स है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे डाक्टर्स, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वे वहां पर नहीं हैं और उनकी कमी की वजह से लगभग आधे से ज्यादा मरीजों को जयपुर रेफर कर दिया जाता है जिससे कि जयपुर के एस.एम.एस. हास्पिटल पर लोड पड़ता है। दौसा वहां से 50-55 किलोमीटर पड़ता है और जयपुर भी वहां से, 50-55 किलोमीटर ही बस्सी से पड़ता है। अगर बस्सी में ही यह सुविधा उपलब्ध हो जाए, डाक्टर्स और उपकरणों की तो शायद एस.एम.एस. पर लोड भी कम पड़ेगा और मरीजों को सही वक्त पर इलाज भी मिल पाएगा।

महिला रोग विशेषज्ञ का पद बस्सी में है, वहां पर हैं भी, दो हैं, दो गाइनोकोलोजिस्ट हैं, एक डेपुटेशन पर है, एक वहां पर स्थाई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो मेंटेलिटी है, आज के टाइम में जैसे किरणजी ने कहा, आज भी गांव की औरतें डिलीवरी जेंट्स डाक्टर्स से करवाना पसन्द नहीं करती हैं। तो मैं चाहूंगी कि वहां पर एक लेडी डाक्टर हो क्योंकि अगर आप जिस तरह से शिशु मृत्यु दर का ग्राफ नीचे लाना चाहते हैं या डिलीवरी डैथ को नीचे देखना चाहते हैं, लेकिन वह तभी हो पाएगा जब हम गांव की मेंटेलिटी के

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

हिसाब से चलेंगे। गांव की लेडिज की आज भी यह मेंटेलिटी है कि वह जेंट्स से डिलीवरी नहीं कराती हैं और उस वजह से वे या तो जयपुर रेफर कर दी जाती हैं या फिर वह दाइयों से ही अपना प्रसव कराती हैं। दाइयों से वही इंफेक्शन और मृत्यु दर में इजाफा होता है।

इसी से रिलेटेड शिशु मृत्यु दर भी है क्योंकि अगर वहां पर जैसे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है तो डिलीवरी के बाद जब बच्चा, आजकल ज्यादातर यह होता है कि पीलिया अधिकतर बच्चों को होता है, जब वह जन्म लेता है। अधिकतर बच्चों को पीलिया मिलेगा और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्म के समय ही होती हैं। अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसी वक्त मिल जाए तो वह बच्चा बच सकता है। लेकिन सिर्फ एक डाक्टर के न होने की वजह से उसे इस दुनिया में आने से पहले ही जाना पड़ता है।

आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि डाक्टर भी इससे अछूते नहीं हैं। डाक्टर अस्पतालों में रखी हुई उन दवाइयों के स्थान पर, जो गवर्नमेंट से उन्हें मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं हास्पिटल में, लेकिन वे देते नहीं हैं। वे ऐसी मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऐसी मेडिसिन का जो मेडिकल स्टोर्स पर उनके कमीशन से बंधी हुई होती हैं। वही दवाइयां होंगी, जो उस मेडिकल स्टोर पर मिलेंगी जबकि वह उनके पास होंगी और दूसरी दुकानों पर मिलेगी नहीं। डाइग्नोस्टिक टैस्ट भी, अगर उपकरण होंगे, उसके बावजूद भी या तो वह खराब बताएंगे उसको या उसको वह कहेंगे कि अभी इसका डाक्टर नहीं है, इसका स्पेशलिस्ट नहीं है, बावजूद इसके कि वह मशीन उनके पास होती है। जैसे कि अल्ट्रासाउण्ड की है, लेकिन वे बाहर इसलिये लिखते हैं कि उनका कमीशन बंधा हुआ होता है वहां से। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दिया जाए। ऐसे डाक्टरों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए जो इस तरह की हरकत करते हैं।

इसकी एक ताजा-ताजा मिसाल है। मेरे क्षेत्र में एक गाइनोकोलोजिस्ट लेडी डाक्टर लगी थी। मैंने उसे खुद मंत्री साहब से कहकर लगवाया था लेकिन इसी तरह के डाक्टर जो दुकानों से, मेडिकल स्टोर से और डाइग्नोस्टिक सेंटर्स से कमीशन बांधकर रखते हैं, उन्होंने उसे वहां टिकने नहीं दिया। उसे एक षड्यंत्र में फंसाकर वहां से जाने के लिये मजबूर कर दिया। उसे ए.पी.ओ. कराया, ए.पी.ओ. कराने के बाद उसकी जांच हुई, जांच में वह निर्दोष साबित हुई। निर्दोष साबित होने के बावजूद भी उसे ही यह सज़ा मिली कि वह वहां

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

पर काम नहीं कर सकती। वह महिला चिकित्सक वहां पर काम नहीं कर पाई। उन लोगों की वजह से वह आज कहीं और काम कर रही है। तो मैं यह चाहूंगी, उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उस लेडी डाक्टर को वापस वहां एज ए गाइनोकोलोजिस्ट रखा जाए।

(समय : 20.00 बजे)

मेरे क्षेत्र में कानोता पड़ता है, कानोता कस्बे में पी.एच.सी. की बहुत ज्यादा दिक्कत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत कानोता जो कि नेशनल हाई-वे 24 पर स्थित है, इसकी जनसंख्या लगभग 18 से 20 हजार है और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि वहां पर छोटा-मोटा मतलब, पी.एच.सी. या उससे भी जो छोटा होता है वह भी वहां पर नहीं है। उप-स्वास्थ्य केन्द्र, वह भी वहां पर नहीं है। 18 से 20 हजार की आबादी होने के बाद वहां पर पी.एच.सी. होना बहुत जरूरी है क्योंकि वह हाइ-वे पर है, अक्सर वहां एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जो एक्सीडेंटल पेशेंट होते हैं वे जयपुर तक आते-आते ही खतम हो जाते हैं तो वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। उसमें एक ट्रोमा यूनिट स्थापित होनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार मिल सके। इस हेतु कानोता ग्राम में खसरा नम्बर 351/1/2 की जमीन भी पटवार भवन के पीछे मुख्य मार्ग पर उपलब्ध है जो जे.डी.ए. के नाम है एवं जो आसानी से उपलब्ध हो सकती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पी.एच.सी. खोलने की घोषणा वे आज ही कर दें, अभी ही कर दें।

ग्रामीण चिकित्सालयों में हो रही अव्यवस्था से भी मेरे क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण चिकित्सालयों के अस्पताल में स्टाफ नदारद रहता है। वहां पर अभी अगर इस वक्त भी अगर मंत्री महोदय उनको फोन करेंगे तो वहां पर न तो कोई डाक्टर मिलेगा और न कोई कम्पाउंडर मिलेगा क्योंकि सुबह मुझे कोई काम था और मैंने हास्पिटल में फोन किया तो मेरे पास यानी, 10 नम्बर मुझे मिल गये कि आप इससे बात करो, इससे बात करो लेकिन बात किससे करें, वहां पर कोई है ही नहीं। अभी भी अगर वहां पर विजिट की जाए एकदम से तो वहां पर कोई नहीं मिलेगा। पूरा स्टाफ मिलीभगत से कभी कोई छुट्टी पर है, कभी कोई छुट्टी पर है। इसके लिए उचित कार्यवाही की जाए।

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

ए.एन.एम. का भी, कभी भी किसी भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र पर ए.एन.एम. नहीं मिलेगी आपको। अधिकतर ए.एन.एम. अपनी डिस्पेंसरी में नहीं मिलेंगी। पूछने पर पता चलेगा, उन्होंने डेपुटेशन करवा रखा है। परन्तु रिकार्ड में तो ए.एन.एम. पूर्व स्थान पर कार्यरत है। इससे ग्रामीण जनता को असुविधा होती है। इसलिए डेपुटेशन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

बी.पी.एल. मरीज, आज बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज होता है परन्तु बी.पी.एल. श्रेणी में ऐसे परिवार हैं जिनको जरूरत ही नहीं है बी.पी.एल. कार्ड की। ऐसे लोग बी.पी.एल. परिवार में हैं और वे ही लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि ऐसी अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उचित निरीक्षण के बाद ही बी.पी.एल. श्रेणी के मरीजों को लाभ मिलना चाहिए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप समाप्त...

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगी। आज हम लोगों को आयुर्वेद दवाइयां अपनाने की सलाह देते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालयों में भवन के नाम पर एक मात्र जर्जर हालात में एक छोटा सा कमरा है। यह मैंने खुद तूंगा में जाकर देखा भी है और मुझे मालूम भी नहीं था कि वह औषधालय है, मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई अपने रात-वात बिता लेता होगा वहां पर। एक बहुत ही छोटा सा वह था। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किसान को हर्बल-ज्ञान के विषय में जानकारी उपलब्ध करवा कर उन्हें अपने खेतों में हर्बल उत्पाद की खेती करने के लिए उत्साहित करना चाहिए जिससे आज के समय में आयुर्वेद को बढ़ावा मिल सके।

महोदय, जिस तरह से आयुर्वेद में दवाइयां अपने नाम से बिकती हैं, कम्पनी भी वह, उसी तरह से अंग्रेजी दवाइयां भी अपने साल्ट के नाम से बिकनी चाहिए। आज दाक्षावलेह, च्यवनप्राश कोई भी कम्पनी इन्हें बनाये लेकिन नाम एक ही है परन्तु एलोपेथी में एक ही तरह की दवाइयां हजारों नामों से बिकती हैं। उनकी कीमतों में 1 से 500 प्रतिशत तक का अन्तर होता है। हालांकि यह राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं होकर भारत सरकार के पास है परन्तु राजस्थान सरकार भारत सरकार पर इसके लिए दबाव डाल सकती है। अखिल भारतीय स्तर के मंत्री सम्मेलन में यह मामला उठाया जा सकता है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप समाप्त करो।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, सिर्फ एक और है, बहुत ही छोटा सा है।

श्री सभापतिः बस अब आप समाप्त करो।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): हमारा छोटा सा पड़ोसी देश बांग्लादेश इस काम को वर्षों पूर्व कर चुका है और वहां सिर्फ 100 दवाइयां ही चल रही हैं जबकि हिन्दुस्तान में कई लाख दवाइयां चल रही हैं जो जनता को लूटने का सहारा है। मंत्रीजी सहित सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारी की दवा भी जिस डाक्टर ने लिख दी है उनके घर के आस-पास या उसके अस्पताल के पास ही वह दवा मिलेगी और कहीं नहीं, क्योंकि उस पर 200 प्रतिशत तक का कमीशन उस डाक्टर को मिलता है।

श्री सभापतिः श्री ओम जोशी। माननीय सदस्य, विराजो।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा है, बहुत जरूरी है।

श्री सभापतिः विराजो, विराजो आप।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): आखिरी में मैं, सिर्फ दो-चार लाइनों का है ...(व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह बीमारी ...(व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा। (व्यवधान)

श्री सभापतिः हां, समाप्त करो आप।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी): दो मिनट में। दो मिनट का है। आपका ध्यान न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान में नकली दवाइयों के बढ़ते कारोबार की ओर आकर्षित करना चाहती हूं और निवेदन करना चाहती हूं कि 'शुद्ध के लिए युद्ध' की तर्ज पर हालांकि जिस तरह से अभियान चला उस तरह तो नहीं परन्तु उस भावना से नकली दवाइयों के खिलाफ भी ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभियान चला कर दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री ओम जोशी।

(समय : 20.05 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आज वर्ष 2010-11 के बजट में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई, मांग संख्या-26 एवं श्रम और रोजगार, मांग संख्या-23 पर चर्चा करने का आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

चूंकि समय-समय पर आप निर्देशित कर रहे हैं कि समय की कमी को देखते हुए आकड़ों में नहीं जाएं और भूमिका नहीं बांधें, मैं न तो भूमिका बांधूंगा और न मैं छिद्र ढूंढूगा, न मैं आपको पहले की सरकार द्वारा क्या-क्या हमारी हालत खराब की गयी, उसकी कमियों को उजागर करूंगा, न मैं आलोचना करूंगा और न हमारे जो पूर्व माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आकड़े, विभिन्न प्रकार के कांफ्रेंस के रेफरेंसेज और विभिन्न प्रकार के रिसर्च और कई बातें आपके समक्ष रखीं, उन सबकी तरफ जाऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी राजस्थान का व्यक्ति कैसे निरोगी हो, किस तरीके से उनको राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले, इस बात का पूर्ण ख्याल रखते हुए जबसे उन्होंने सत्ता सम्भाली है, वे इसमें लगे हुए हैं।

इस बजट में करीब 25 बिन्दुओं पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में हमारी सरकार द्वारा विभिन्न जो ऐसे बिन्दु जो आम आदमी से सरोकार रखते हैं उनको सम्मिलित करते हुए सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर जहां पर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहां पर किस तरीके से व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके, इस बात का ध्यान रखते हुए इस बजट में प्रावधान किये हैं।

मैं मुख्य दो बातों का खास तौर से उल्लेख करना चाहूंगा जो कि राजस्थान के लिए गर्व की योजनाएं हैं। मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष का जो उपयोग रहा है, जो योजना राजस्थान में लागू की गयी है, जनवरी, 2009 से अब तक करीब 26 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। यह अपने आप में देश में एक अनूठी योजना है और इस योजना से आम गरीब, आम सामान्य आदमी लाभ प्राप्त कर रहा है। मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी का, जो कि एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, इस सदन के माध्यम से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(श्री ओम जोशी)

दूसरा, जो 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की गयी है, जब भी 108 एम्बुलेंस सेवा की बात आती है और अन्य एम्बुलेंसेज भी हमारी सरकार ने उपलब्ध कराई हैं, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी का उल्लेख करते रहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जब भी कोई होती है, योजना श्रेष्ठतम लागू करने का प्रयास करती है लेकिन उसका क्रियान्वयन, उसका एग्जिक्युशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिछली सरकार रही, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 108 का आप उसकी लोकप्रियता का लाभ लेना चाहते हैं, निश्चितरूपेण 108 की सेवाएं आज राजस्थान में श्रेष्ठ साबित हो रही हैं। 15 मिनट में 108 एम्बुलेंस जहां भी रोगी को आवश्यकता होती है, उपलब्ध हो रही है। यह जो सेवा विस्तार रूप से उपलब्ध करायी गयी है, इसका जो क्रियान्वयन किया गया है वह हमारी सरकार ने किया है और प्रभावी क्रियान्वयन किया है। दूसरी तरफ पिछली जब हमारी सरकार थी तो मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा कि फलौदी में 75 शय्याओं का अस्पताल क्रमोन्नत किया गया, मुझे खेद है कि लगातार पांच वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और वह जो क्रमोन्नयन किया गया था, उसके अनुसार किसी भी प्रकार का पदस्थापन चिकित्सकों का और स्टाफ का नहीं किया गया। केवल मात्र जो क्रमोन्नयन किया गया था, उनको यथावत् रखा गया। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार जब आई तो उसके सम्बन्ध में ध्यान दिया और कई चिकित्सकों का वहां पर पदस्थापन किया है।

इसके साथ ही कुछ कमियां वहां पर हैं। फलौदी का जो क्षेत्र है, वह एक केन्द्र बिन्दु है जोधपुर-बीकानेर-नागौर और जैसलमेर का। 160 किलोमीटर के मध्य यह स्थित है। नेशनल हाइवे नम्बर 15 वहां से गुजरता है। मेगा हाइवे, जो कांडला तक जाता है, वह भी फलौदी से लगता हुआ है। स्टेट हाइवे लगते हुए वहां पर बहुत भारी संख्या में मालवाहक वाहन गुजरते हैं और रामदेवरा के मेले में भी मेरे क्षेत्र से होकर यात्री जाते हैं। यह जो सब बातें हैं, स्थिति है उससे एक्सीडेंट की स्थिति काफी बढ़ी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि इनका किस तरीके से उपचार हो। इसके लिये फलौदी में ट्रोमा सेंटर की महती आवश्यकता है। जैसा कि राज्य सरकार की मंशा है कि ऐसे स्थानों पर ट्रोमा सेंटर खोला जाये, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि फलौदी में ट्रोमा सेंटर स्थापित किया जाये और जो 55 शय्याओं का अस्पताल घोषित हो चुका है, इसमें जो सुविधाएं हैं जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ की बात है, आज तक उसका पदस्थापन नहीं हुआ है। मैं निवेदन

(श्री ओम जोशी)

करना चाहूंगा कि जो पद 75 शय्याओं के अनुसार होने चाहिये, कृपया सभी की पूर्ति करके अनुगृहित करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेडिकल रिलीफ सोसायटी के बारे में पिछली सरकार में एक ऐसा निर्णय हुआ है, जो मैं कह सकता हूं कि वह लालफीताशाही का निर्णय है। जो प्राइमरी हैल्थ सेंटर और कम्युनिटी हैल्थ सेंटर पर मेडिकल रिलीफ सोसायटीज हैं वहां पर पहले एस.डी.एम. उस क्षेत्र के चेयरमैन हुआ करते थे। एक अमेंडमेंट हुआ और उसमें सी.एम. एण्ड एच.ओ. को चेयरमैन बनाने का प्रावधान कर दिया गया। सी.एम. एण्ड एच.ओ. जिला स्तर पर बैठता है। मेडिकल रिलीफ सोसायटी को कई प्रकार की सुविधाएं देने के लिये निर्णय करने पड़ते हैं तो वह सी.एम. एण्ड एच.ओ. उपलब्ध नहीं होने से कई महीनों तक उसकी मीटिंग नहीं होती है। उदाहरण के लिये मेरे फलौदी में पिछले 12 महीने से मीटिंग नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन नियमों में संशोधन किये जायें और अगर वहां के क्षेत्रीय विधायक अथवा वहां के प्रशासनिक अधिकारी को मेडिकल रिलीफ सोसायटी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो मैं समझता हूं जिस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है, उसकी सार्थक रूप से क्रियान्विति में हमें सहायक होगा। आपके माध्यम से उन सोसायटीज को लाखों रुपये का बजट जाता है, उसका सही उपयोग होगा, सबसे पहले बजट पेश होगा। समय पर उसके बजट का प्रावधान रखा जाता है, उसका उपयोग और पर्यवेक्षण हो सकेगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, अभी तो मुझे चालू किये एक मिनट हुआ है और पहले हमारे विपक्ष के जो सदस्य बोल रहे थे, उसमें भी समय सीमा बिलकुल नहीं थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, घड़ी यहां पर भी रखी है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं राजस्थान प्रदेश और देश की कोई बात नहीं करूंगा। मेरे क्षेत्र की जो पीड़ा है, वह आपके समक्ष रखूंगा। इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं करनी है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा पद्धति अपने आप में विश्वास पर आधारित है। किसी को एलोपेथी, किसी को आयुर्वेदिक, किसी को

(श्री ओम जोशी)

होम्योपेथिक, सब अलग-अलग बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में विश्वास है। लेकिन दु:ख इस बात का है कि पिछली सरकार के समय एक भवन आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिये, जो एक दानदाता ने उपलब्ध करवाया था, उस भवन से चिकित्सा स्टाफ को हटा दिया गया। अब वह भवन खाली पड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये भवन की व्यवस्था हो चुकी है, उसमें आयुर्वेद चिकित्सा में विश्वास रखने वाले हमारे जो लोग हैं, उनको चिकित्सा सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई जाये, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण लोक हित का मामला है जिससे हम जुडे हुए हैं। राजस्थान में 1956 में भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई की स्थापना हुई। बहुत ही दूरदृष्टि और बड़ी सोच रखने वाले तत्कालीन चिकित्सकों ने और प्रशासकों ने मिलकर यह भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई स्थापित की थी। 500 शय्याओं की यह चिकित्सा इकाई गांव गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जब भी कैम्प्स लगाते हैं तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को इसका लाभ मिल रहा है। मेरे क्षेत्र में भी इस भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के करीब 30 शिविर पिछले 30 सालों में आयोजित हुए। इससे हमारे क्षेत्र में बड़ी भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई को और ज्यादा सशक्त किया जाय। अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं, वे इसमें उपलब्ध कराई जायें। अत्याधुनिक सुविधाएं और जानकारी रखने वाले चिकित्सकों को पदस्थापित किया जाये। जिस तरीके से माननीय न्यायालयों के आदेश हैं, नेत्र चिकित्सा के शिविर नहीं लग रहे हैं, ब्लड बैंक के सम्बन्ध में भी कठोर निर्देश हैं, ऐसी हालत में यह जो भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई है वह बहुत ही उपयोगी रहेगी। हालांकि बजट में अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जिला स्तर पर चिकित्सा इकाईयां खोलने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन यह भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई है, उसका जो उपयोग है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। इस बात से मैं समझता हूं, हमारे निर्मल जी कुमावत हैं.. (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा, जिस विषय पर आज अभी तक किसी ने नहीं

(श्री ओम जोशी)

बोला, वह विषय भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। हमारी जब पिछली सरकार थी तो नगरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु एक नीति पत्र तैयार किया था और उसको लागू किया गया था लेकिन पांच वर्षों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की कमी रही। अब मैं आशा करता हूं कि इस नीति पत्र के अनुसार क्रियान्वयन करके और शहरों की सफाई और लोक सफाई की व्यवस्था को सुधारा जायेगा।

इसके साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि फलौदी में चूंकि यह सफाई का मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिये फलौदी में नगरपालिका क्षेत्र में एक योजना लम्बित पड़ी है सीवरेज की, उस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की जावे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे श्रम और रोजगार मंत्री महोदय को, उनके पास अभी किसी भी बिन्दु पर ...(व्यवधान) बैठ रहा हूं साहब, बैठ रहा हूं। आप क्यों इशारा करते हो? मैं बैठ जाऊंगा, मंत्री महोदय। आपके पास अभी तक एक भी विषय नहीं आया। आपके श्रम और रोजगार से सम्बन्धित एक भी विषय किसी ने नहीं उठाया। मेरे क्षेत्र में जहां पर (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): जिला मुख्यालय 160 किलोमीटर पर है। मैं माननीय श्रम और रोजगार मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि फलौदी में ग्रामीण रोजगार कार्यालय की स्थापना की जाये ताकि वहां के बेरोजगार युवकों को सुविधा मिल सके।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 पर बोलने की जो अनुमति दी है, उसके लिये आपका आभार।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, लेकिन लगता है कि विभाग में इनकी पकड़ जितनी होनी चाहिये, वह बन नहीं पा रही है और न ही जिस प्रकार की मोनिटरिंग जो अपेक्षित है, वह हो नहीं पा रही है। उसका स्पष्ट प्रमाण है कि जो इन्होंने पिछले बजट में घोषणाएं

(श्री वासुदेव देवनानी)

कीं, जो बजट रखा और जो कुछ व्यवस्था सुधार के लिये बातें कहीं, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है। आखिर हों भी कैसे? बिल्डिंग बन जायेगी, दवाइयां आ जायेंगी, लेकिन उसको कार्यरूप में परिणत कौन करेगा?

आपने डी.पी.सी. की। सहायक प्रोफेसर बना लिये, आपने प्रोफेसर बना लिये लेकिन सहायक आचार्य का जो मूल पद है, उसको आपने भरा नहीं। राजस्थान में 559 पद हैं, उनमें से केवल 308 पद भरे हुए हैं अर्थात् 45 प्रतिशत पद आज भी खाली हैं। इसके बिना चिकित्सा सुविधाएं सुधरेंगी कैसे, यह समझ से बाहर है।

माननीय सभापति महोदय, जब भी एम.सी.आई. का इंस्पेक्शन होता है, तब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यह बड़ी शर्मनाक बात है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। कई बार प्राइवेट हास्पिटल से दस दिन के लिये उसको अपाइंटमेंट देकर उस हास्पिटल में शो कर देते हैं ताकि एम.सी.आई. उसको वेरिफाई कर दे, उसके बाद उसको रिलीव कर देते हैं। यह जो स्थिति है, लगता था कि शायद आप डाक्टरों के लिये बजट में कुछ प्रावधान रखेंगे लेकिन इस बजट को देखने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता है। फिर लोगों को दवाइयां मिलें कैसे?

माननीय सभापति महोदय, नकली दवाओं की बिक्री रोकें। इसके लिये औषधि नियंत्रण विभाग है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक फार्मूला है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर 100 दुकानों का निरीक्षण करेगा। राजस्थान में आपके पद कितने हैं? पद केवल 45 हैं और उनमें से बारह पद खाली हैं। केवल 33 लोग कार्यरत हैं। राजस्थान में दुकानें कितनी, राजस्थान में दुकानें हैं तीस हजार। अर्थात् एक ड्रग इंस्पेक्टर का नौ सौ नौ दुकानों का निरीक्षण करने का दायित्व है। वह कैसे कर सकता है**?** इसलिए नकली दवाइयों से लोगों को बचाने का आपके पास कोई प्रोविजन दिखाई नहीं देता।

सभापति महोदय, आगे बढ़ें। राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना विश्व बैंक से आपके पास आयी; 2004-05 में आयी, पांच वर्षों के लिए आयी। उसमें बजट था 472.58 करोड़ और उसमें से योजना थी, 238 द्वितीय स्तर की कि जो चयनित चिकित्सालय है, उनका सुदृढ़ीकरण होगा, उनमें चौबीस घंटे आपात चिकित्सा उपलब्ध होगी, दवाइयां होंगी। दवाइयों के प्रोक्योरमेंट के लिए आपने उसमें प्रोविजन रखा 138 करोड़ और आपने आज

(श्री वासुदेव देवनानी)

तक खर्च कितना किया, खर्च किया केवल 75.8 करोड़। अर्थात् उसमें से आप पैसा खर्च नहीं कर पाये। 2009-10 के बजट में आपने प्रोविजन रखा 111.58 करोड़ और दिसम्बर तक खर्च कितना हुआ है, 35.49 । आप केवल 25 परसेंट पैसा खर्च कर पाये। आप पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे हो। फिर एन आर एच एम की योजना में प्लान के बजट में आपने प्रोविजन रखा 394.71 लाख और खर्च कितना किया, दिसम्बर तक 152.83 लाख। अर्थात् आप 40 परसेंट व्यय ही कर पाये हैं। बाकी तीन महीने में 60 परसेंट खर्च करने की क्या गोलमाल करने की योजना लगती है?

आपने ए एन एम भर्ती करने की व्यवस्था की, पांच हजार ए एन एम संविदा पर रखेंगे; आपने रखीं कितनी, 2,853. सभापति महोदय, यदि मैं और आगे बढ़ूं, सारी जगह 53 सामान्य चिकित्सालय हैं आपके यहां, 349 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और 1503 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और मेडिकल रिलीफ सोसायटीज बनी हुई हैं। उसमें 2008-09 के अन्दर आपके जो लाभार्थी थे वे थे 5,75,013, उसमें खर्च हुआ 8.24 करोड़। आपने 2009-10 में कितना खर्च किया है, केवल 2.49 करोड़, 25 परसेंट। अर्थात् आप इन गरीब लोगों को किसी प्रकार का, दवाई का भी आप प्रोविजन नहीं कर पाये।

और तो और, शिक्षा मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं, बच्चों के लिए एक योजना शुरू की थी शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा विभाग में 2008-09 में हमने किया था 65,308 स्कूलों का परीक्षण और उसमें 35,53,866 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उसमें 5,82,000 रोगग्रस्त थे, उनको हमने दवाइयां दीं और उपचार कराया 53,518 का। आपने क्या किया, उन बेचारे बच्चों के साथ भी अन्याय किया है। 2009 और 2010 में परीक्षण किया है केवल 34,058 स्कूलों का, यानी 50 परसेंट स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। 50 परसेंट बच्चे स्वास्थ्य योजना के कारण बिलकुल उसके लिए महरूम रह गये और बच्चों का उपचार किया केवल 4,629 । मेरे बच्चों का तो ध्यान रखते। ये नौनिहाल बच्चे हैं, यदि इनका स्वास्थ्य ठीक होगा, इनका परीक्षण ठीक होगा, इनको दवाइयां मिलेंगी, ये ठीक होंगे तो राजस्थान ठीक होगा, समाज ठीक होगा, देश ठीक होगा। लेकिन इसकी भी आपने कोई चिन्ता नहीं की।

एक कदम आगे अगर एक बिन्दु की ओर ध्यान दूं, आपने सब सरकारी डाक्टर्स को कहा कि जेनेरिक दवाइयां लिखें। बहुत अच्छा किया

(श्री वासुदेव देवनानी)

लेकिन पिछले दिनों आपने एक आदेश पारित किया कि सरकारी कर्मचारी कुछ निजी चिकित्सालयों से भी चिकित्सा करवा सकेंगे। क्या निजी चिकित्सालय के डाक्टर्स को आपने यह कहा कि वह जेनेरिक दवाइयां लिखें**?** यह आपने उसके लिए आदेश नहीं निकाला। वे तिगुनी कीमत की दवाइयां लिख रहे हैं। वे राज्य कर्मचारी से वह तिगुनी कीमत वसूल करेंगे और यह सरकार पर भार पड़ेगा। इसके लिए कभी आपने ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों के ऊपर ध्यान रखें ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुधरें।

अब मैं अपने अजमेर की ओर बढ़ूं। अजमेर एक सम्भागीय चिकित्सालय है लेकिन आपने उसको केवल जिला चिकित्सालय तक सीमित कर रखा है। उसमें बेड कितने हैं? यदि मैं आपको गिनाऊं, जोधपुर में बेड हैं 2,035, उदयपुर में हैं 1,590 और बीकानेर में हैं 1,400 लेकिन अजमेर में केवल हैं 838 । क्या अजमेर सम्भाग लावारिस है**?** उसकी आपने कभी चिन्ता नहीं की। आप न तो वहां पर डाक्टर्स नियुक्त कर पा रहे हैं और सब लोग जयपुर जमे हुए हैं। वहां पर सहायक आचार्य के पद हैं 87 और उसमें से भरे हुए हैं 50, तकनीकी कर्मचारी हैं 59, भर रखे हैं केवल 34 । लगभग 40 परसेंट पद खाली हैं। उसके हाल बुरे हैं। उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया था मेडी सिटी का। उसमें था कि मैडिकल्स की सारी सुविधाएं एक जगह हों। यू आई टी ने जमीन अलाट कर दी थी। पैसे की जरूरत नहीं थी। डिविजनल कमिश्नर उस समय दीपक उप्रेती थे, उन्होंने सारी योजना बनायी लेकिन आपकी सरकार के आते ही उसको रोक दिया गया। अभी जो वर्तमान जमीन है, पैसा उसको बेचकर व्यवस्था करके यहां पर छोटा हास्पिटल रखते हुए सारी सुविधाएं यदि एक जगह करते तो अजमेर की आज सारी समस्याओं का समाधान हो जाता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दो मिनट। अजमेर का एक ट्रोमा सेन्टर है, ट्रोमा सेन्टर के लिए आपको केन्द्र सरकार से 9.60 करोड़ आये। डेढ़ वर्ष में 80 लाख का केवल आप भवन बना पाये। न्यूरो सर्जरी की बिल्डिंग बनी हुई है, एक करोड़ रुपये आपको सीमेंट फैक्टरी से मिले लेकिन उसके उपकरण आज तक नहीं खरीदे गये। वह अभी भी विचाराधीन है, योजना में है, पता नहीं कब वह वार्ड शुरू होगा। इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता।

(श्री वासुदेव देवनानी)

गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 45 लाख रुपये की स्वीकृति हुई लेकिन आज तक उसके उपकरण खरीदे नहीं गये। गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट वैसा का वैसा पड़ा हुआ है।

अजमेर बहुत बड़ा शहर है, उसके लिए सैटेलाइट हास्पिटल की आवश्यकता है। मैंने गत वर्ष भी आपको निवेदन किया कि मेरा अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र है, वहां की लगभग तीन लाख जनता है, यदि आप वहां पर सैटेलाइट हास्पिटल का प्रोविजन करेंगे तो जे एल एन हास्पिटल पर भी भार कम होगा और जनता को भी सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप वहां पर सैटेलाइट हास्पिटल की व्यवस्था कर सकें, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, तो अजमेर शहर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और मेहरबानी होगी।

जनाना हास्पिटल वहां से दस किलोमीटर दूर है, वहां पर प्रसूति के लिए लोगों को जाने में बहुत परेशानी है। अजमेर जनाना हास्पिटल की एक यूनिट यदि खुल जाए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वहां पर परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र था, वहां से सारे आफिस हट गये हैं, भवन खाली पड़ा है, यदि आप वहां पर जनाना हास्पिटल की यूनिट शुरू कर देंगे तो आगे जाकर बढ़ेगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, बाकी लोगों की तुलना में दो मिनट भी मैंने नहीं लिये हैं।

आपके वहां पर मेडिकल आई सी यू के हाल बुरे हैं। वहां पर एक तरह से आई सी यू है ही नहीं। न्यूरो सर्जरी का आई सी यू तो वहां पर बनना बहुत आवश्यक है। जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इससे लोगों को सहायता मिल सकेगी।

मेरे क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में आपने पांच डिस्पेंसरी और दो एडपोस्ट की स्वीकृति दी है। चार खुलीं, दो बन्द हो गयीं। तीन अभी तक बन्द पड़ी हैं। उनको आप जल्दी से जल्दी शुरू करवायें। साथ ही, वहां पर वेंटीलेटर्स नहीं हैं।

हमारी सरकार ने पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू किये थे। नब्बे प्रवेश के स्थान हैं, केवल पन्द्रह ही प्रवेशार्थी दिये हैं। यह एक बड़ी विकट स्थिति है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि अब आप समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक टी बी हास्पिटल शहर के

(श्री वासुदेव देवनानी)

बीच में है। टी बी हास्पिटल को यदि आप शहर के बाहर ले जायें। यह बहुत जरूरी है।

श्री सभापति: मैं इस घंटी के बाद में नेक्स्ट स्पीकर का नाम बोलने जा रहा हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री लालशंकर घाटिया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यूनानी निदेशालय आप अजमेर में खोलें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, दोनों सचेतक महोदयों की चिन्ता भी यही है, हमारे 22 माननीय सदस्य अभी बोलने बाकी हैं और 16 माननीय सदस्य इधर से बोलने बाकी हैं। तो कुल 38 सदस्य अभी बोलेंगे। आपने काफी बात एलोपेथी पर, होम्योपेथी पर, नेचुरोपेथी पर, अभी आपका एक और नुस्खा है, घरेलू नुस्खा और वे जो चिकित्सक हैं, वे भी आपका इन्तजार कर रहे हैं सबका। तो मैं समझता हूं कि अबकी बार मेरी व्यवस्था यह है, अब से जब तक मैं आसन पर हूं, पांच मिनट के बाद आपसे निवेदन के लिए घंटी बजाऊंगा, उसके बाद एक मिनट और बोल लीजिएगा। अगर बार-बार घंटी बजाने की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब आप अनुशासन में नहीं हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पांच मिनट में नहीं बोलेंगे, सभापति महोदय।

श्री सभापति: नहीं बोलेंगे तो, यह आपकी व्यवस्था नहीं है, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पांच मिनट में नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति: आपके सचेतक महोदय का भी यही यहां पर लिखा हुआ है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पांच मिनट में अपनी बात नहीं कही जा सकती, सभापति महोदय।

श्री सभापति: अगर नहीं की जा सकती तो व्यवस्था यही है आसन की। अगर दस-दस मिनट लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको चार बजे तक बैठना पड़ेगा।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, आपका निर्णय बिलकुल सही है और आप यह कर सकते हैं। आप यही करिए ताकि सबको न्याय मिले और सब बोल सकें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पहले तो अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

श्री सभापति: आप लोग मेरे ख्याल से अगर इसी क्रम से आपस में बहस करते रहेंगे तो बहस काफी लम्बी हो जायेगी। मैं अगले माननीय सदस्य का नाम बोल रहा हूं। श्री लालशंकर घाटिया।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का जो मौका मिला है, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं सम्मान्ननीय मुख्य मंत्रीजी का आपके माध्यम से आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा कि मेरे डूंगरपुर में, आपने कहा कि पांच मिनट ही बोलना है तो फिर बोलेंगे भी क्या? इसलिए सीधी-सीधी बात यह कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोतजी की जो सरकार है, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि सोने के टुकड़े हजार करो, कीमत कहीं कम नहीं होती; हमारी सरकार की लाख बुराई करो, इज्जत कहीं कम नहीं होती। ऐसी आन और बान और शान की गहलोतजी की सरकार है जिसने हमारे डूंगरपुर जिले में एक 'ए' श्रेणी का हास्पिटल खोला। मैं इस मौके पर आभार प्रदर्शित करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ में हमारे वहां पर एक वेंटिलेटर लगाने का जो आदेश किया, उसके लिए भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। इसी के साथ में एक आई.सी.यू. वार्ड खोलने की जो घोषणा की उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर कई प्रकार की कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य

(श्री लालशंकर घाटिया)

मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए आशा करता हूं कि हमारी सरकार जो पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील सरकार है, मैं यह आशा करता हूं कि मेरे 'ए' श्रेणी का हास्पिटल हो गया है लेकिन वहां पर देखा जाए तो चिकित्सकों की बहुत कमी है। वहां पर कम से कम वरिष्ठ चिकित्सक, जिनके 6 पद हैं उसमें 4 पद रिक्त हैं, कनिष्ठ चिकित्सकों के 14 पद हैं उसमें से 11 पद रिक्त हैं और एम.ओ. के पद भी रिक्त हैं। इस प्रकार हमारे डूंगरपुर सामुदायिक चिकित्सालय में 46 पद में से कम से कम 34 पद रिक्त हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से और हमारे गहलोत साहब से यह आशा करूंगा कि ये पद शीघ्र भरने की कार्यवाही करें।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर डूंगरपुर जिले से पहले पास में करीब आठ किलोमीटर की दूरी पर गुजरात राज्य है, यदि यहां चिकित्सक नहीं होते हैं, सबसे पहली दुविधा यह है कि जो लोग आते हैं, डाक्टर लाइन देख कर घबरा जाते हैं, इनको सही जवाब नहीं देते तो लोग वहां से गुजरात की ओर चले जाते हैं। गुजरात में गुजरात वालों ने सीधा सा तरीका अपना रखा है, बहुत मीठा बोलते हैं, जैसे ही जाते हैं तो उनके बोलने का तरीका बड़ा मीठा है, आओ, बैठो, सूं छः, केम छः, सूं छः, यह कर के उनकी कंसल्टिंग फीस कम से कम 150 रुपया ले लेते हैं और हमारे यहां के लोगों के धन का बहुत ही दुरुपयोग होता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज यह आशा करता हूं, चिकित्सा मंत्रीजी, हमारे उधर का ट्रायबल बेल्ट है, वहां पर अधिक से अधिक डाक्टरों की व्यवस्था करें। हमारे यहां के कई ए.एन.एम. भर्ती तो हुए हैं लेकिन बाड़मेर, बीकानेर पड़े हुए हैं। इनको भी हमारे उधर भिजवाने की कार्यवाही करें। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से यह आशा करता हूं।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर जिले में एक चिकित्सालय था जो नया हरिदेव जोशी चिकित्सालय बना, इसका बाद में डूंगरपुर से करीब चार किलोमीटर दूरी पर ले गये। हमारे नगरपालिका क्षेत्र में बहुत ही, काफी जनसंख्या में लोग रहते हैं, वहां पर एक पी.एच.सी. की व्यवस्था हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि हमारे नगरपालिका क्षेत्र में एक पी.एच.सी. होनी चाहिए। इसके बाद में मेरे वहां पर एक बिलकुल

(श्री लालशंकर घाटिया)

ट्रायबल बेल्ट है, मेवाड़ा करके एक क्षेत्र है, वहां पर पांच-सात पंचायतें एक-मुश्त पड़ती हैं, मैं मांग करता हूं कि वहां पर कम से कम एक पीएच.सी. खोली जाए तो हमारे वहां के लोगों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। यह मैं आशा करता हूं।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मिड्डे मील में जो दवाईयां बंटती हैं उसमें कहीं न कहीं शिथिलता बरती जाती है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से आशा करता हूं कि ये दवाइयां अच्छी तरह से बंटे, यह अच्छी तरह से निर्देशित करें। यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा।

इसके बाद में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और धात्री महिलाएं हैं उनकी दवाइयां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलती हैं। वे समय पर उपलब्ध करवाएं और ग्रामीण क्षेत्र में समय पर दिलाने में सहयोग के लिए उनको पाबंद करें। यह मैं आशा करता हूं।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि बी.पी.एल. कार्ड हमारे डूंगरपुर जिले में जितने बनने चाहिए उतने नहीं बने हैं, बहुत ही कम संख्या में बने हैं और उनको जो दवाइयां मिलनी चाहिए वे दवाइयां हर पी.एच.सी. में नहीं मिलती हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह आशा करता हूं कि इन दवाइयों को भी बी.पी.एल. कार्ड बनवा कर सही तरीके से वितरण कराने में सहयोग दें। यह मैं आशा करता हूं।

श्री सभापति: कृपया आप समाप्त करें।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): आपने कहा तो आपकी बात को टाल नहीं सकते हैं। मुझे यह बोलने का मौका मिला, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। डा. विश्वनाथ मेघवाल।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की जा रही है। चिकित्सा विभाग आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विभाग है, इसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ और अच्छी करने की आवश्यकता है। आज जनसंख्या के अनुपात में मेडिकल और पैरा-मेडिकल का अनुपात बहुत कम है। कुल चिकित्सक 7,246 हैं जो जनसंख्या के अनुपात में 7,798 की जनसंख्या पर एक चिकित्सक है जबकि नियमानुसार ढाई हजार की जनसंख्या पर एक चिकित्सक होना चाहिए।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, अच्छी चिकित्सा सेवाओं के लिए नये पदों के सृजन करने की अति आवश्यकता है। सरकार ने लीव रिजर्व के 300 पद सृजित करने की बात कही है, मोबाइल इकाइयों खोलने की भी बात कही है। ये सभी पद जिला हैडक्वार्टर पर होते हैं एवं चिकित्सक अपनी मर्जी से डेपुटेशन करा लेते हैं। आज 76 परसेंट आम जनता गांवों में रहती है, इसके लिए इसका कोई लाभ नहीं मिलता। गांवों की चिकित्सा सेवाओं को अच्छी करने की अति आवश्यकता है। अत: मेरा सुझाव है कि इन पदों को गांवों में स्थित पी.एच.सी., सी.एच.सी. को दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पी.एच.सी., सी.एच.सी. की हालत बड़ी खराब है। सरकार कह रही है कि बी.पी.एल. को फ्री दवाईयां देते हैं जबकि दवाइयां देना तो दूर की बात, पट्टी बांधने के लिए हास्पिटलों में पट्टी और गाज की उपलब्धता भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार जन्म दर 27.5 प्रति हजार जनसंख्या है जो 21 होनी चाहिए। शिशु मृत्यु दर 63 प्रति हजार जीवित जन्म है जो 32 होनी चाहिए। मातृ मृत्यु दर 388 प्रति एक लाख जीवित जन्म है जो 148 होनी चाहिए। कुल प्रजनन दर 3.2 है जो 2.1 होनी चाहिए। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा अच्छी नहीं हैं और उनमें और अधिक सुधार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, परिवार कल्याण को देखें तो नसबंदी आपरेशन की इस वर्ष उपलब्धि बहुत कम है। ज्यादातर आपरेशन तीन और चार बच्चों के बाद में कराये जाते हैं जो कि एक या दो बच्चे के बाद होने चाहिए। आई.यू.डी. और ओरल पिल्स के आंकड़े भी ज्यादातर 60, 70 परसेंट असत्य होते हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए इन प्रोग्राम्स को सुधारने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, वैक्सीनेशन जो छह जानलेवा बीमारियों के लिये जीरो से एक वर्ष तक के बच्चों का किया जाता है वह भी ओ.पी.वी. और डी.पी.टी. की तीनों डोज नहीं दी जाती हैं, कोल्ड चेन मेंटेन भी नहीं की जाती है। हेपेटाइटिस-बी वैक्सीनेशन भी हमारे यहां नहीं किया जाता है। कई बार आउटडेटेड वैक्सीन्स भी लगा दी जाती हैं। अत: वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी सुधार की आवश्यकता है।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों को रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के साथ यह शर्त रखी जाती है कि बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जाए, जबकि बी.पी.एल. परिवारों को कोई भी नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है। सरकारी अस्पताल की तुलना में निजी चिकित्सालयों में इलाज भी बहुत महंगा है। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए।

सभापति महोदय, राजस्थान के सरकारी हास्पिटल में ड्रग स्टोर के फार्मेसिस्टों की भर्ती नहीं करने से फार्मेसी एक्ट 1948 की अवहेलना की जा रही है। इनका कार्य नर्सिंग स्टाफ या एल डी सी से करवाया जा रहा है? जिससे दवाइयों का रख-रखाव, वितरण एवं कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होता। इस प्रकार आम जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है।

सभापति महोदय, नकली और अमान्य कोटि की दवाइयों पर अंकुश के लिए इस वर्ष कुल औषधि के 1,270 नमूने लिए गए, जिनमें तीन दवाइयां नकली पाई गईं। औषधि जांच के लिए राजस्थान में एक ही लैबोरेटरी है। औषधि के नमूने छह-छह महीने तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और इसमें से सत्तर-अस्सी दवाइयों की जांच की जाती है जबकि पांच सौ-छह सौ तरह की दवाइयां हैं। इंजेक्टर और आंखों की दवाइयां, लिवोसिट्रिजिन, जैसे गैटीफ्लोक्सोसिन, एलप्राजोलम जैसी दवाइयों की यहां कोई भी जांच करने की सुविधा नहीं है। अत: हंड्रेड परसेंट दवाइयों की टैस्टिंग होनी चाहिए। बाजार में अगर नया साल्ट आ रहा है तो उसकी पहले जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय, दवाई की उचित दर के लिए दवाई कम्पनियों को पाबंद किया जाना चाहिए। जेनेरिक दवाइयों पर भी उचित दर ही लिखी जानी चाहिए जिससे आम गरीब जनता को सस्ता इलाज मिल सके। सभापति महोदय, सरकार द्वारा सी एच सी पर एफ आर यू सेवा देना प्रस्तावित है जिसके तहत एक गाइनोकोलोजिस्ट, एक एनेस्थेटिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन होना आवश्यक है। जबकि हालत यह है कि हमारे बीकानेर में डूंगरगढ़, नोखा और लूणकरणसर सी एच सी पर एक गाइनोकोलोजिस्ट की पोस्ट भी नहीं है। सरकार कैसी सेवा देना चाहती है?

सभापति महोदय, पी एच सी पर दो डाक्टर होने चाहिए। मेरा सुझाव है कि एक डाक्टर पी एस एम का कार्यक्रम देखे व दूसरा डाक्टर ग्राम की आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। पी एच सी, सी एच सी पर

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

कार्यरत डाक्टरों को ज्यादा से ज्यादा पी जी कोर्स करवाया जाय। इसके लिए पी जी एग्जाम में कट आफ मार्क्स 33 परसेंट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा डाक्टरों को पी जी कराई जा सके। गांवों में अधिक चिकित्सा सुविधा दे पायेंगे। डाक्टरों का रूरल भत्ता भी बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री बीपीएल रक्षा कोष, 108 धन्वन्तरि योजना, जननी सुरक्षा, जो माननीय वसुन्धरा जी के समय चल रही थीं, वर्तमान सरकार इस योजना का विस्तार कर रही है, अच्छी बात है। स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के लिए नि:शुल्क जांच सुविधा हर जिला मुख्यालय पर होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। बीकानेर का पी बी एम हास्पिटल जो पश्चिमी राजस्थान का एक मात्र बड़ा हास्पिटल है? जिसके अन्दर पांच सात जिलों के अलावा हरियाणा, पंजाब से भी रेफर केस आते हैं, इसके लिए चिकित्सा सुविधा अधिक बढ़ाई जाए, मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, सफाई व्यवस्था को ठीक किया जाय, सुपर स्पेशलाइजेशन की सुविधा प्रदान की जाय। सुपर स्पेशलाइजेशन को मेडिकल कालेज में पढ़ाने के लिए नये पद सृजित किये जाएं और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चालू किये जाये।

सभापति महोदय, पी बी एम हास्पिटल में आपरेशन थियेटर में ओ टी इन्स्ट्रूमेंट बहुत पुराने हैं इनको भी वहां से बदला जाए।

श्री सभापति: सभापति को एक बार तो देखिए, सभापति की तरफ बोलते-बोलते।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदय, नये सदस्य हैं, पहली बार बोल रहे हैं। थोड़ा सा एक-दो मिनट का समय अतिरिक्त कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे मैंने कोई टिप्पणी नहीं मांगी है। आप किसकी इजाजत से बोल रहे हैं? बैठे रहिए आप।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): पी बी एम हास्पिटल में जन सहभागिता के तहत रिसर्च, ट्रोमा सेंटर, मेंटल हैल्थ न्यूरो सेंटर और यूरो साइंस सेंटर खोले जा रहे हैं जिनका कार्य अभी चल रहा है। सरकार की तरफ

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

से इस जन-सहभागिता योजना में एक भी पैसा नहीं दिया गया है। दानदाताओं के नाम के साथ पी बी एम परिसर में यह जो सेंटर बनाया जा रहा है इस पर विजय सिंह मेमोरियल परिसर का नाम भी लिखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, बस एक मिनट। पी बी एम में नये बन रहे न्यूरो रिसर्च सेंटर, पुराने यूरो रिसर्च सेंटर, कार्डियो रिसर्च सेंटर के स्टाफ की व्यवस्था की जाए।

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभी रिसर्च सेंटरों में बजट हैड अलग से खोला जाए। गंगाशहर डिस्पेंसरी को सैटेलाइट में क्रमोन्नत किया जाए।

श्री सभापतिः श्री रामलाल मेघवाल।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): एक मिनट, मेरे क्षेत्र की बात ...

श्री सभापतिः सबके लिए अनुशासन एक सा है। अंकित नहीं होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री सभापतिः श्री रामलाल मेघवाल।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री सभापतिः कृपया बैठिए। कृपया बैठिए।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री सभापतिः कृपया विराजिए। मैंने नाम बोल दिया।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री सभापतिः मैंने व्यवस्था दे दी है, नाम बोल दिया है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री सभापतिः आप पढ़ ही तो रहे हैं, आपका पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26 चिकित्सा पर बोलने का अवसर प्रदान किया ...

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री रामलाल मेघवाल (जालोर): सभापति महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, इस संसार में यदि कोई सुख है तो वह निरोगी काया होने पर ही सम्भव है। पिछले दिनों राजस्थान में स्वाइन फ्लू की वजह से कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ीं फिर भी राज्य सरकार के कुशल प्रबन्ध की वजह से इस पर काबू पा लिया गया। समय-समय पर इस प्रदेश में अलग-अलग मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप हुआ। हमारी सरकार ने उन पर भी काबू पाकर प्रदेशवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में काफी सुविधा उपलब्ध कराई।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि दिनांक 9.3.2010 को मुख्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत बजट भाषण को सुना था, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जालौर में एक ट्रोमा सेंटर की घोषणा की है और कई स्वास्थ्य सेंटरों को भी क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय कितनी दूरदर्शिता से हर क्षेत्र के बारे में निर्णय करते हैं। मैं मेरे विपक्षी सदस्यों को यह बताने के लिए आज सदन में कुछ बातें बता रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान के जिलों में चिकित्सकों की इतनी कमी के पश्चात् भी नियुक्ति नहीं की गई। कई बार हास्पिटलों में डाक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। डिलीवरी के दौरान दूर-दूर तक चिकित्सा नहीं होने एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण महिलाओं को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जालोर में सायला स्वास्थ्य केन्द्र तहसील समिति मुख्यालय है और आसपास 38 पंचायतें लगती हैं। वहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ बी सी, अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। बागोड़ा से जालोर आने के लिए सौ किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर नहीं होने की वजह से डिलीवरी वाले केसों को बागोड़ा से जालोर तक लाने में बहुत कठिनाई होती है। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि सायला में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। उसमें पोस्ट नहीं है स्त्री विशेषज्ञ की, उनकी पोस्ट क्रिएट

(श्री रामलाल मेघवाल)

कराने की कृपा कराएं। सायला तहसील मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय है, वहां पर एम्बुलेंस भी देने की घोषणा फरमाएं।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे जालोर क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा के बारे में बताना चाहूंगा कि कनिष्ठ पद पन्द्रह में से बारह पद रिक्त पड़े हैं। स्त्री रोग एवं शिशु रोग के चार-चार पद हैं, उसमें से तीन-तीन पद रिक्त हैं। इसके अलावा एस एम ओ के पांच में से दो एवं एम ओ आयुष एवं होम्योपैथी के कुल 116 में से 23 पद खाली पड़े हैं। इसी प्रकार से पैरा-मेडिकल स्टाफ के 816 में से 96 पद रिक्त हैं। खाली पदों की यह समस्या मैं पिछले कई वर्षों से देखता आ रहा हूं। पिछली सरकार ने तो इस क्षेत्र को चिकित्सकों की नियुक्ति के क्षेत्र में उपेक्षित ही रखा था। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ लगा कर लोगों को राहत प्रदान कराएं।

महोदय, जालोर जिले में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बाकरा गांव में दानदाताओं द्वारा विशाल भवन बनाकर चिकित्सा विभाग को दिया गया है। तत्कालीन भा ज पा सरकार के मंत्री महोदय विराजमान हैं, राजवी साहब बाकरा पधारे और उक्त भवन का लोकार्पण भी किया और जोर-शोर से एड पोस्ट केन्द्र को पी एच सी में क्रमोन्नत करने के असत्य आश्वासन भी दिये मगर अपने कार्यकाल में यह काम नहीं कर सके। आप इस पर मेहरबानी कर उनके असत्य किये हुए वायदे को वापस जीवित करें, बाकरा में पी एच सी क्रमोन्नत करने का। ये विराजे हैं, मैं कोई इनके सामने असत्य नहीं बोलता। वे सामने विराजे हैं, मैं इनके सामने खड़ा हूं।

मैं एक और आपसे निवेदन करता हूं। एक जीवाणा है उधर कम से कम बाइस पंचायतें लगती हैं, ओ बी सी, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक काफी लोग बसे हुए हैं। वहां पी एच सी पर कोई डाक्टर नहीं है लोगों को बहुत दूर सायला तक आना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप भवन नहीं बना सको तो आप पी एच सी खुलवा दो, मैं भामाशाह से आपको भवन बनाकर दे दूंगा बाकरा और थलवाड़ में। यह मेरी आपसे पुरजोर शब्दों में दो रिकवेस्ट हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामलाल मेघवाल)

आप बजट नहीं दे सको तो इन दोनों पी एच सी को क्रमोन्नत कर दो। मैं भामाशाह से भवन बनवाकर के आपके विभाग को सुपुर्द करवा दूंगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में एक छोटा सा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, कि यह जो फोर्थ क्लास के लोग काम करते हैं आपके विभाग में, उन्होंने हायर सेकंडरी, इंटर पास कर ली है, उनका प्रमोशन करने के लिये प्रकरण आपके पास विचाराधीन है। उनका प्रमोशन ड्यू है। उनका आप प्रमोशन करेंगे तो फोर्थ क्लास के लोगों को बहुत राहत मिलेगी और आपको बहुत दुआ देंगे।

इसके साथ..

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल मेघवाल (जालोर): मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आभार।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोतजी शपथ लेते ही एस एम एस हास्पिटल पहुंचे, शराब की जो दुःखद घटना हुई थी उनको सम्भालने के लिये, इससे साबित होता है कि वे कितने संवेदनशील हैं और उनके दिल में कितनी गरीबों और पीड़ितों के प्रति श्रद्धा थी।

इसके साथ इन्होंने इस बजट में बी पी एल, विधवा, विकलांग, एड्स पीड़ित के लिये इस वर्ष 26 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को फायदा देकर जो लाभ पहुंचाया है यह अपने आप में साबित करता है कि आम आदमी के लिये, आम गरीब के लिये इनके मन में कितनी श्रद्धा की भावना है। वे बहुत ही तारीफ के काबिल हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रीजी ने इस

(श्री मेवाराम जैन)

एक साल के कार्यकाल में जो भी जितने भी चिकित्सा के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण कार्य चाहे सी एच सी, पी एच सी, ए एन एम भर्ती और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, यह मैं ज्यादा गिनाना नहीं चाहूंगा, आप घण्टी बजा देंगे इसलिये मैं मेरे क्षेत्र की ओर जाना चाहूंगा।

बाड़मेर जिला बार्डर एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है और पिछड़ा हुआ है। उसकी आबादी करीबन 20 लाख है। वहां पर तेल के अथाह भण्डार और विभिन्न कम्पनीज हैं। लिग्नाइट के भण्डार हैं, वहां पावर प्लांट लग रहे हैं, कई हजार मजदूर वहां काम कर रहे हैं और वहां दो नेशनल हाइवे रोड़ भी पास में गुजरती हैं। बाड़मेर में जो मेन हास्पिटल है, उसमें एक हास्पिटल तो बहुत अच्छा बना हुआ है परन्तु उसमें जो पद रिक्त हैं उसका मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुल 56 में से 54 डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं उसमें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): कितने ?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 56 में से 34 पद खाली हैं। जिला हैडक्वाटर, जहां 20 लाख की आबादी है। इसके साथ ही हड्डियों का डाक्टर, इतने एक्सीडेंट, हमेशा-हमेशा वहां बाड़मेर से रेफर होकर जोधपुर, गुजरात ले जाना पड़ रहा है, वह पद रिक्त है। स्त्री विशेषज्ञ का पद रिक्त है और सर्जन भी वहां अच्छा नहीं है। वह पद भी रिक्त पड़ा है। मैं इसके लिये मंत्रीजी से हमेशा मिलता भी हूं और आश्वासन भी मिलता है कि जल्दी ही डाक्टर आपके यहां भेजेंगे।

हमारे सी एच सी है विशाला और कवास, इनमें 28 में से 23 पद खाली हैं। पी एच सी की भी यही हालत है बार्डर एरिया में। करीब-करीब बाड़मेर जिले में पद रिक्त हैं और इनको भरने के लिये मैं निवेदन करूंगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, बाड़मेर में जहां एयर फोर्स, बी एस एफ, मिलिटरी, और यह इतनी लेबर, बाड़मेर जिला अपने आप में पिछड़ा हुआ और मैंने पहले भी मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि सी टी स्केन मशीन एक दिलवाई जावे। हमेशा एक्सीडेंट, दो नेशनल हाइवे और एक्सीडेंट की वजह से बाड़मेर से सीधा ही रेफर कर देते हैं, या तो जोधपुर जाओ या गुजरात जाओ। रास्ते में ही वह मरीज दम तोड़ देता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां बिल्डिंग बनी हुई है और उसको चलाने के लिए

(श्री मेवाराम जैन)

एक साल का खर्च भी है तो हम दानदाताओं से वहां दिलाने के लिए तैयार हैं, आप मेहरबानी कर के बाड़मेर में सीटी स्केन मशीन की घोषणा करें आज ही।

गांवों में परिवार कल्याण केन्द्र खुले हुए हैं, उनको पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें ताकि वहां कुछ स्टाफ लग जाए। वहां स्टाफ की पोस्टें नहीं हैं। नये सब-सेंटर खोलने के लिए भी निवेदन करूंगा। दूर-दूर पर हमारे गांव बसे हुए हैं, रेगिस्तानी एरिया है, सब-सेंटर हमें दें। जो पहले सब-सेंटर हमारे यहां खोले गये हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि गत बजट में बाड़मेर जिले में अच्छे सब-सेंटर दिये। वहां भवन बनाने के लिए स्वीकृति जारी करावें। मेरे क्षेत्र बाड़मेर, अगोरा व नवन में पी.एच.सी. बिल्डिंग नयी खोलने के लिए निवेदन करूंगा। इसके साथ-साथ गवन, भाड़का में पी.एच.सी. है, 12-13 हजार की आबादी है, बाड़मेर से 40 किलोमीटर दूर है और पास में ही तेल कम्पनी का कार्य चल रहा है तो वह सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करावें ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। मीठड़ा या भूरीवाला तला ग्राम पंचायत में आयुर्वेद का अस्पताल खोलने के लिए भी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। मुख्य मंत्री सहायता कोष से बी.पी.एल., विधवा, विकलांग, इन सबको दवाइयों का मुफ्त वितरण जिला हैडक्वार्टर पर आप दे रहे हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा गांवों में पी.एच.सी. और सी.एच.सी. बिल्डिंग है, वहां ज्यादा लोग हैं क्योंकि आने जाने में ज्यादा समस्या होती है, खर्चा लगता है इसलिए वहां आप व्यवस्था कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा।

इसके साथ जो हमारी दवाइयों की दुकानें हैं, नकली दवाइयों की बात चल रही है, खाद्य सामग्री में चैकिंग की व्यवस्था को सुधारें ताकि खाद्य सामग्री घी, तेल, कई चीजें हैं, मिलावटी हैं उनको सुधारना बहुत ही जरूरी है और मेडिकल दवाइयां भी फर्जी हैं तो उनको भी आप दिखवाएं।

अंत में यही कहूंगा कि बाड़मेर बार्डर एरिया है, वहां आई.सी.यू. वार्ड जो सैंक्शंड है उसकी जरूरत नहीं है, सीटी स्केन मशीन के लिए कोई पैसे की कमी पड़ेगी तो हम वहां से दिला देंगे। आप घोषणा करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मांग

(श्री ओम बिरला)

संख्या 26 और 23 पर चर्चा हो रही है। चिकित्सा और शिक्षा सरकार के कल्याणकारी काम का सबसे बड़ा हिस्सा है लेकिन अगर बजट को देखें तो व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसको स्वस्थ रखने के लिए मुझे लगता है कि सरकार चिंतित नहीं। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, यह सरकार तो अपने बजट के हिस्से को भी खर्च नहीं करती है। इसमें 2009-10 में 51.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और 29.26 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये।

(समय : 21.00 बजे)

सभापति महोदय, कोटा हाड़ौती का प्रमुख केन्द्र है और इसकी सीमा मध्य प्रदेश से जुडी हुई है। कोटा के मेडिकल कालेज और वहां की चिकित्सा व्यवस्था देखी जाये, अच्छा होता राजस्थान के चिकित्सा मंत्री इन 15 महीनों के अन्दर राजस्थान के जिलों में जाते, उनके राज्य मंत्री तहसीलों में जाते, गांव और ढाणियों में जाते और उन व्यवस्थाओं को अपनी आंखों से देखते। आज कोटा का मेडिकल कालेज जिसकी 1992 में नींव की ईंट रखी गयी, 18 वर्ष बीतने के बाद भी, हमारी सरकार भी रही, हमने प्रयास किये, एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन आज तक कोटा के मेडिकल कालेज का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस मेडिकल कालेज के अन्दर 159 पदों में से 47 पद रिक्त पड़े हुए हैं। कोटा जो हाड़ौती का प्रमुख केन्द्र है, मेडिकल कालेज का नाम है लेकिन चिकित्सा मंत्रीजी एक सेवा नहीं है वहां पर। अगर किसी के दिल की धड़कन बंद हो जाये तो कार्डियोलाजी यूनिट नहीं है, उसको जाना पड़ेगा तो निजी चिकित्सालय में जाना पड़ेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उठाकर के थोड़े ही लाये हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उठाकर के तो नहीं लाये, हमने शुरुआत की, कैथ लैब का पैसा दिया है, आपकी सरकार उसको शुरू नहीं कर पायी। माननीय मंत्री महोदय कोई किसी को उठाकर नहीं ले जाता, मंशा होनी चाहिए काम करने की। सरकार की नीयत होनी चाहिए। आज स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि इतने बड़े सम्भाग के मेडिकल कालेज में आज सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का तमाम अभाव है।

सभापति महोदय, कार्डियोलाजी कैथ लैब के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था लेकिन उसको एग्जीक्युट नहीं करने के कारण, वह कोर्ट में चल रहा है। सरकार गम्भीरता से उसके लिए प्रयास नहीं

(श्री ओम बिरला)

कर रही कि उस पर कोर्ट से स्टे हट जाये ताकि कैथ लैब शुरू हो सके और गरीब बीपीएल कार्ड धारकों को इलाज कराने के लिए जयपुर के एस एम एस अस्पताल में नहीं आना पड़े। नेफ्रोलाजी नहीं है, गेस्ट्रोएंटेरोलाजी नहीं है। और तो और, वहां आप बच्चों के वार्ड में चले जायें तो आपकी आंखों में आंसू आ जायें। कोटा जैसे सम्भाग के अन्दर जहां बच्चा जन्म लेने से पहले इस चिकित्सा व्यवस्था के कारण मरने लग जाय, ऐसी दुर्दशा वहां के जे.के. लान अस्पताल में होगी।

मैं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपसे यह अपेक्षा तो नहीं करता कि आप राजस्थान के गांव ढाणी में पहुंच जायें लेकिन सबसे पहले आप सम्भागीय हैडक्वार्टर पर पहुंचें। आप अपनी आंखों से हाल को देखें। हालत इतने खराब हैं, आज एक प्रश्न का जवाब सरकार दे रही थी एक घटना पर, जिंदा आदमी को तो अस्पताल में बचा नहीं सकें आप, शव को भी सुरक्षित नहीं रख सकें। एक घटना जो चौथे महीने में होती है, कलक्टर उसकी जांच बैठाता है, 12 महीने में दुबारा घटना होती है। एक घटना में सुझाव दिया जाता है कि वाश बेसिन की जाली खराब थी, किवाड़ खराब थे इसलिए चूहे घुस गये। आठ महीने तक आप दस रुपये की जाली को नहीं बदल सकें, इससे गम्भीर बात हो नहीं सकती।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आज कोटा के अन्दर चले जाएं, कोटा एक्सीडेंट जोन बन गया है। एक्सीडेंट जोन में कोई भी मरीज उस एम बी एस मेडिकल कालेज में जाना पसंद नहीं करता है। मैं एक दिन अचानक एक्सीडेंट देखने गया, मरीज वापस लौट रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों लौट रहे हो; उन्होंने कहा, साहब यहां रुकेंगे तो जिंदा मर जायेंगे। ऐसी स्थिति है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

माननीय मंत्री महोदय, कोटा का मेडिकल कालेज एक महत्वपूर्ण मेडिकल कालेज है। इस मेडिकल कालेज के बाद, कोटा में रामपुरा जिसको आपने जिला अस्पताल का दर्जा दिया, उसकी आज क्या स्थिति है? हम अगर इसकी सुविधाओं का विस्तार करना चाहते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बने और नया मेडिकल कालेज जो 450 बेड का अस्पताल बन गया है, मेरा दावा है कि आप उसको अपनी आंखों से देखेंगे तो राजस्थान के अन्दर एस एम एस का मेडिकल कालेज नहीं है, उससे भी बेहतर मेडिकल कालेज नये भवन के अन्दर बना है। इतना ही नहीं, वहां कोटा जिले की डिस्पेंसरी में चले जाये,

(श्री ओम बिरला)

हमने आर एच एस डी पी की योजना के तहत 435 करोड़ जिसमें केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत था, जिसके आधार पर राजस्थान में सी एच सी के अन्दर भवन बना दिये, करोड़ों रुपये के यंत्र भी लगा दिये लेकिन वहां डाक्टर नहीं हैं।

सभापति महोदय, मेरा दावा है, राजस्थान की सारी सी एच सी को आप चैक करा लीजिये, 80 प्रतिशत सी एच सी के अन्दर जहां आपने करोड़ों रुपयों की बिल्डिंग बनायी, यंत्र दिये, उपकरण दिये, वहां आपरेशन की सुविधा नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप 10 डिस्पेंसरी, सी एच सी तैयार करें वहां पर तमाम सुविधाएं जो गांव, ढाणी के आदमी को मिलनी चाहिए, उसमें सब मिलनी चाहिए। कहीं एक्सरे मशीन है तो टेक्नीशियन नहीं है, चिकित्सक है तो एक्सरे मशीन नहीं है। कहीं डाक्टर हैं तो यंत्र नहीं हैं। ऐसी बदतर स्थिति से चिकित्सा व्यवस्था चलने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि कोटा का मेडिकल कालेज जो 1952 से चल रहा है, 18 वर्ष हो गये, आपकी सरकार ने केवल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। अच्छा होता, आप एक प्रोजेक्ट को पकड़ो, 40 करोड़ रुपये लगाने के बाद जब कोटा का मेडिकल कालेज पूरा होता तो हाड़ौती सम्भाग को ही नहीं, हम मध्य प्रदेश के आसपास के गांवों, ढाणियों के गरीब व्यक्तियों के इलाज की भी बहुत बड़ी सुविधा कर सकते हैं जिससे आपके एस एम एस पर वज़न नहीं पड़ेगा, नहीं तो एस एम एस की स्थिति यह है कि न्युरो सर्जरी में चले जाये तो 6 महीने तक आपरेशन नहीं हो सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी में चले जाये तो वहां 9 महीने तक ओपन हार्ट सर्जरी का इंतजार करने वाला व्यक्ति जिंदा बच सकता है?

सभापति महोदय, हम सबकी चिंता का विषय है कि हम सब चीजों का जब विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो चिकित्सा का भी विकेन्द्रीकरण किया जाय। गांव, ढाणी के अन्दर जो पैसा हमने खर्च किया है, उस पैसे के अन्दर जितनी सी एच सी हैं, उनको वेल इक्विप्ड किया जाये। डाक्टर कहीं एम बी बी एस लगा हुआ है और पी जी का डाक्टर गांव में लगा हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था की जाये, आप सारे सिस्टम के ढांचे को जमायें, एक-एक सी एच सी को पकड़कर के कि सी एच सी में कौन-कौन पी जी करने वाला डाक्टर, कौनसे इक्विपमेंट, कौनसे साधन होने चाहिए, सारी चीजों को हम सुव्यवस्थित करते जायेंगे तो कम से कम जितनी सी एच सी हैं उसमें ठीक से चिकित्सा व्यवस्था कर सकेंगे। आपने जाल फैला दिया, आपके पास पैसे आये, आपने

(श्री ओम बिरला)

100 एक्सरे मशीनें भेज दीं, वहां चिकित्सक नहीं है। इस तरह का विकेन्द्रीकरण करना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, आप खुद भी माननीय विधायक हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि हर सी एच सी को, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को जितने राजस्थान में हैं, सब सदस्यों की यही पीड़ा है कि एक को भी करो लेकिन फुल्ली इक्विप्ड करो ताकि आपकी गांव, ढाणी के अन्दर उस व्यक्ति का छोटे से छोटा आपरेशन हो सके। इतना ही नहीं, आज भी राजस्थान में जितने मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं वहां पर कोई डिलीवरी नहीं होती है।

सभापति महोदय, मैं आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भावनाएं ठीक हैं, उन्हें सर्टिफिकेट सारे सदस्यों ने दे दिया है लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलना चाहिए जब चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो और उस व्यक्ति को जिसे इलाज की आवश्यकता है उसका ठीक से इलाज चल सके। बी पी एल का नाम लें लेकिन चिकित्सा व्यवस्था नहीं देंगे तो गरीब व्यक्ति भी अपने तन को बेचकर और ऋण लेकर अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपनी मां को, अपने भाई को बचाने के लिए आज निजी चिकित्सालयों के अन्दर इलाज कराने जाता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा के मेडिकल कालेज और जयपुर के एस एम एस के मेडिकल कालेज को आप एम्स के इक्वल खड़ा करें। 300 करोड़ रुपये लगने हैं तो और लगायें लेकिन राजस्थान के जो लोग आते हैं उनको लगना चाहिए कि हम दिल्ली के एम्स हास्पिटल में नहीं, हमें जयपुर के एस एम एस हास्पिटल में उस एम्स के इक्वल सुविधाएं मिलेंगी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय श्रम मंत्रीजी भी यहां पर बैठे हैं, माननीय श्रम मंत्रीजी ध्यान दीजिये, राजस्थान का मजदूर, आपने खुद ने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि 125 रुपये....

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें। निवेदन कर चुके पहले। सभी माननीय सदस्य बराबर हैं। सभी माननीय सदस्य बराबर हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त

(श्री ओम बिरला)

कर रहा हूं। सभापति महोदय, आपने खुद ने घोषणा की थी कि 125 रुपया न्यूनतम मजदूरी देंगे। आज कर्मचारी का छठा वेतन आयोग लग गया, हो सकता है विधायकों का वेतन भी बढ़ जाए, सांसदों का वेतन भी बढ़ जाए, तमाम लोगों का वेतन बढ़ रहा है लेकिन वह गरीब व्यक्ति आज भी न्यूनतम मजदूरी 100 रुपये लेकर के खड़ा है। 125 रुपये आपकी घोषणा के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की जाए और एक श्रम कल्याण बनाकर के उसके जीवन की सुरक्षा करने का व्यापक इंतजाम बनाया जाए।

आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: देखिये, फिर मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप आसन की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे तो सभी के लिए एक संतोषजनक स्थिति बनेगी। अगर यह होगा तो फिर मैं घंटी बजाना बंद करूंगा। फिर व्यवस्था यह करते हैं कि जितना जो बोलना चाहे बोले, मुझको एतराज नहीं है। मुझे यह व्यवस्था देने में भी दिक्कत नहीं है पर अगर यह होगा कि कोई 10 मिनट बोलेंगे, कोई 12 मिनट बोलेंगे तो फिर कोई भी किसी के साथ में न्याय नहीं होगा।

इसलिए मैं आखिरी बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं 5 मिनट के बाद घंटी बजाऊंगा, 7 मिनट में आप खतम करेंगे। मैं आपको वार्निंग भी दे दूंगा निवेदन के साथ में पर अगर आप ऐसा करेंगे जैसे माननीय सदस्य अभी कर रहे थे तो मैं फिर उसके बाद में घंटी नहीं बजाऊंगा। उसके बाद में आप बोलते रहिये। मैं यही करूंगा, इसलिए मैंने आपसे निवेदन कर दिया। मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि उसके बाद मैं घंटी नहीं बजाऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, आपने यह व्यवस्था दी थी कि एक इधर से, एक उधर से और एक बीच से। आपने व्यवस्था भी दी है लेकिन आपकी दी हुई व्यवस्था को फिर आप भूल जाते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 26 के ऊपर मेरी तरफ से कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना है, मैं सबसे पहले निवेदन करूं कि जो बी पी एल के हमारे भाई हैं उनका सरकारी अस्पतालों में केवल कार्ड दिखाते ही उपचार होना चाहिए। आज से पहले, इस सरकार से पहले जो व्यवस्था थी वह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यह व्यवस्था थी कि उसको पी एम ओ के पास जाना पड़ता था उसके बाद में उसके हस्ताक्षर होते थे और फिर कहीं जाकर के उसको इलाज मिलता था।

दूसरा मैं निवेदन करूं कि एक मेडिकल रिलीफ सोसायटी जो जिला स्तर पर है उसमें ग्रामीण परिवेश का कोई भी जन-प्रतिनिधि उसका मेम्बर नहीं होता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात उठाई थी कि जो मेडिकल रिलीफ सोसायटी है उसमें जिले का सांसद, जिले के विधान सभा के सभी माननीय सदस्य हैं वे उनमें कम से कम मेम्बर होने चाहिए जिससे जिले में क्या हो रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या योजनाएं बनती हैं, उनकी क्रियान्विति होती है या नहीं होती है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एन.एच. के ऊपर आने वाले जो भी बड़े कस्बे हैं जहां पर सी एच सी हैं, वहां पर एक्सीडेंटल इकाइयां जिनको हम ट्रोमा यूनिट कहते हैं, वे कम से कम होनी चाहिए। सीकर से लेकर के बीकानेर तक मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। मैंने पहले भी सदन में इस बात को उठाया था। लक्ष्मणगढ़ मेरा विधान सभा क्षेत्र जहां पर सीकर से फतेहपुर के बीच में कम से कम 30 मोड़ हैं, उनमें आये दिन बहुत ही गम्भीर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो लक्ष्मणगढ़ में ट्रोमा यूनिट होनी चाहिए। इस बजट में मैं उम्मीद कर रहा था कि घोषणा होगी लेकिन नहीं हुई, फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि लक्ष्मणगढ़ में भी ट्रोमा यूनिट होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस भी मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नहीं है जबकि वह एन एच के ऊपर पड़ने वाला विधान सभा क्षेत्र का कस्बा है और वहां पर इसकी अति-आवश्यकता है। सीकर वहां से 30 किलोमीटर से अधिक पड़ता है और लोगों को लाने ले-जाने में असुविधा होती है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन इंस्टिट्यूट, मोदी जैसी शिक्षण संस्था या और भी बहुत सी हैं और वहां पर काफी बच्चे-बच्चियां अध्ययनरत हैं। कभी भी किसी तरह का हादसा हो जाए, इसलिए उसके ऊपर 108 एम्बुलेंस कम्पल्सरी है।

दूसरा, मैं निवेदन करूं कि ये जो होलसेल भण्डार हैं जिनके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को दवाइयां उपलब्ध होती हैं इनका नियंत्रण को-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपरेटिव डिपार्टमेंट के पास में होता है। इसलिए ये अपनी मनमर्जी से जेनेरिक दवाइयां नहीं लाकर एम आर पी लिखी हुई जिसमें ज्यादा कमीशन होता है, वे दवाइयां खरीद लेते हैं। इसलिए उन पर नियंत्रण होना जरूरी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गायनोकोलोजिस्ट नहीं है। वहां पर हमारा जो सी एच सी है वह 30 बेडेड है और उसको 50 बेडेड रेफरल हास्पिटल करने के बारे में हमने बार-बार मांग की है लेकिन उसको इसलिए नहीं करते हैं, वे कहते हैं कि आपके इन 30 बेडेड का भी पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करूं कि जब कोई स्पेशलिस्ट नहीं होगा, आर्थो का नहीं होगा, बच्चा रोग विशेषज्ञ नहीं हो, गायनोकोलोजिस्ट नहीं होगा तो उस हास्पिटल में कौन भर्ती करायेगा? अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्या फरमा रही थीं कि आज भी समाज में महिलाएं हैं जो जेंट्स गायनोकोलोजिस्ट को नहीं दिखाना चाहती हैं। इसलिए गायनोकोलोजिस्ट लक्ष्मणगढ़ में होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एन जी ओज आपके चिकित्सा विभाग में कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य संतोषप्रद न पहले पूर्ववर्ती सरकार में था और न आज है। इसलिए इनके ऊपर चैक होना चाहिए। इनका कोई धणी-धोरी नहीं है। ये अपनी मर्जी से चलते हैं, जो बिल बनाते हैं वह उठा लेते हैं। इनके ऊपर न प्रशिक्षण के लिए कोई एन जी ओ है, न और कोई एन जी ओ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीकर जिले में मैंने पहले भी मांग उठाई है कि सीकर जिला बहुत ही सेंसिटिव जिला होता जा रहा है और इतने ज्यादा रोगी वहां पर आते हैं कि वहां पर मेडिकल कालेज होना चाहिए। जितने भी रिक्त स्थान हैं; चाहे वे लक्ष्मणगढ़ में हों या सीकर के ट्रोमा यूनिट में हों, वे सारे के सारे रिक्त हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर की ट्रोमा यूनिट तो पूर्ववर्ती सरकार ने खोली थी लेकिन एक भी पद सृजित नहीं किया, केवल शिलान्यास किया था। आज भी यह स्थिति बन रही है कि वहां वह ट्रोमा यूनिट नहीं होकर के केवल रेफरल यूनिट बनकर रह गई है।

सभापति महोदय, एक मैं सभी माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी, चाहे आप स्वाइन फ्लू को ले लीजिये,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चाहे इससे पहले चिकनगुनिया हुई थी या और हुई थी, तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट जन प्रतिनिधियों को ये जो कोई भी अभियान चलाते हैं उनसे वंचित रखते हैं। कम से कम एम एल एज, प्रधान और जिला परिषद मेम्बर, आदि को जब भी इस तरह की बात हो तो उनको शामिल करके उसकी योजना बनाई जानी चाहिए।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण भाग इस डिपार्टमेंट का एन आर एच एम है जिसके लिए 7 साल के लिए केन्द्र सरकार का पैसा मिला। पहले शायद 2005-06 में तो शत-प्रतिशत केन्द्र का पैसा था फिर 15 प्रतिशत राज्य सरकारों का था। इस एन आर एच एम का कोई धणी-धोरी न तो पहले 5 साल की सरकार में रहा और न आज की तारीख में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अपने आपको स्वास्थ्य विभाग का विभाग भी मानते हैं या नहीं, मुझे तो यह भी पता नहीं। इनकी कहां से सैंक्शन निकलती है, किनका इनके ऊपर नियंत्रण होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण मेरे विधान सभा क्षेत्र का दूंगा कि दो पी एच सी, एक दिसनाऊ और एक पाटोदा में इन्होंने साढ़े 28-साढ़े 28 लाख रुपये स्वीकृत किये। किस बात के किये कि इनकी मरम्मत होगी और मरम्मत किसकी, जिस पाटोदा की पी एच सी को खुले हुए 6 महीने नहीं हुए, उसका लोकार्पण नहीं हुआ, उसके पहले इन्होंने...किसके कहने से कहां से यह प्लान बना, किसकी स्वीकृति से वह साढ़े 28 लाख रुपये उसकी मरम्मत के भेज दिये? उसमें से शायद 2-3 लाख रुपये तोड़फोड़ के, कोटा स्टोन को वापस उखाड़कर दूसरी फर्श लगा दी। मतलब इस तरह की योजना बनती है। एन आर एच एम में इतना पैसा है और 2012 में शायद एन आर एच एम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, इसलिए इसके पैसे का सदुपयोग तो कम से कम होना चाहिए।

एक मैं माननीय राज्य मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह जो औचक निरीक्षण की प्रक्रिया है, यह हमारे हास्पिटल में व्यवस्था में सुधार लाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। माननीय राज्य मंत्रीजी ने अभी झुंझुनूं में निरीक्षण किया था और उससे जान बची है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस एन आर एच एम का एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि ये जो ग्राम स्वास्थ्य समितियां हैं इनमें 10-10 हजार रुपये भेजते हैं। जो माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, उनमें से एक भी बता दे कि इस 10 हजार रुपये का क्या सदुपयोग होता है? ग्राम पंचायत के सरपंच और ए एन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एम के खाते में संयुक्त रूप से जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा सुझाव है डिपार्टमेंट को कि इन पैसों से कम से कम एक साल में उस गांव में जहां सब-सेंटर है, इन 10 हजार से सफाई उस ग्राम पंचायत पूरी की हो जाएगी और सफाई होगी तो निश्चित रूप से बीमारियां कम होंगी। तो कम से कम 5 साल में 50 हजार रुपये एक ग्राम पंचायत को मिल जाते हैं, एक सब-सेंटर के पीछे मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से 50 हजार में पूरी ग्राम पंचायत की सफाई हो सकती है। तो यह पैसा कहां यूज में आ रहा है, इसका भी कोई हिसाब-किताब नहीं है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मैं निवेदन करूं। सीकर में जनाना हास्पिटल, वह जो प्राइवेट चल रहे हैं, कम से कम भूमि सरकारी थी तो सीकर जैसी जगह में जहां मेडिकल कालेज की मांग है, वहां कम से कम जनाना हास्पिटल सरकारी होना चाहिए। लक्ष्मणगढ़ में ट्रोमा यूनिट और सी एच सी का बजट नहीं आया, मैं पुन: निवेदन करूंगा कि गांवों में जब हम जाते हैं तो सी एच सी, पी एच सी की मांग होती है, सब-सेंटर की सबसे ज्यादा मांग होती है। इसलिए और ज्यादा सब-सेंटर खोले जाएं। 537 खोलें, इसके लिए धन्यवाद।

पुन: आप घंटी नहीं बजाएं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक पींचा।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के विषय में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के विषय में काफी सदस्य महानुभावों ने अपने विचार रखे। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें यहां पर रखना चाहता हूं। 4 लाख की आबादी का मेरा विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर न तो कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है, न कोई एनेस्थेसिया का डाक्टर है, एस एम ओ के सारे पद रिक्त पड़े हैं। सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र का हर बीमार चूरू, रतनगढ़, बीकानेर, जयपुर तक चिकित्सा के अभाव में उनको यहां पर आना पड़ता है। उस ग्रामीण की, जब वह वहां से रेफर कर दिया जाता है तो उसके हालात क्या होते हैं? तो माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जो पद खाली हैं, इनको भरा जाए।

बजट में हम हमेशा मांग करते हैं कि दो सौ बेड का किया जाए तो

(श्री अशोक पींचा)

इनका एक रटा-रटाया उत्तर आता है कि आपकी आक्युपेंसी फुल नहीं है। तो वहां कोई देखने को डाक्टर नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं, वहां के सारे कम्पाउंडर और ए एन एम के पद खाली पड़े हुए हैं, कौन दिखाएगा वहां? इसलिए मेरा निवेदन है कि इतनी बड़ी आबादी और भू-भाग वहां पर है, अननेसेसरी वहां की जनता का पैसा चिकित्सा में इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं। इसके अलावा, जहां भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं, वहां पर टेक्निशियन के पद स्वीकृत हैं, परन्तु एक भी स्वास्थ्य केन्द्र में टेक्निशियन का पद भरा हुआ नहीं है। फिर जहां यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जिस डाक्टर को दिखाते हैं, सबसे पहले जांच लिखी जाती है तो उसको शहर में आना पड़ेगा, जांच करानी पड़ेगी तो पी एच सी में क्यों दिखाएगा? तो वे सारे के सारे पद टेक्निशियनों के भरे जाएं, यह मेरी स्वास्थ्य मंत्रीजी से मांग है।

इसके अलावा जो भी सब-सेंटर खुले हुए हैं, उप-केन्द्र बने हुए हैं, उन स्थानों पर ए एन एम के पद होते हुए भी रिक्त पड़े हैं। तो वहां पर ए एन एम लगाई जाए, यह मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह है।

बंदडाउ ग्राम है, वहां पी एच सी खोली गई, परन्तु न तो एम ओ का पद स्वीकृत किया गया, न कोई स्टाफ का पद स्वीकृत किया गया। कभी यह हल्ला करते हैं, सी एम एच ओ पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो किसी दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से डाक्टर और ए एन एम को उठाकर उसमें भेज देते हैं 15 दिन। 15 दिन दूसरा अस्पताल खाली रहता है। इसलिए जब वहां पर खोला गया है तो वहां पी एम ओ के स्टाफ से पद स्वीकृत करें ताकि उस बंदडाउ गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल सके।

इसके अलावा, पिछले समय में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को 12.6.2009 को एक पत्र लिखा कि आप जो स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं इन-इन स्थानों में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलो। 12.11.2009 को शासन उप सचिव (ग्रुप-2) से उत्तर आया कि आपके राजासर, पंवारान, देवासर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर दिये गये हैं। लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं है, वे स्वीकृत हुए या नहीं हुए; केवल मुझे पत्र दे दिया। तो इसलिए निवेदन है कि ऐसी भूल नहीं हो, एक तरफ स्वास्थ्य उप सचिव लिख रहे हैं कि स्वीकृत कर दिये परन्तु आज तक वहां पर कोई स्वीकृति ही नहीं। तो ऐसा पत्र व्यवहार माननीय किसी भी सदस्य के साथ में

(श्री अशोक पींचा)

नहीं होना चाहिए। अगर खोला जाए तो वास्तविकता में खोला जाए, अगर नहीं खोला जाए तो उसकी सूचना गलत नहीं दी जाए।

इसके अलावा, वहां पर जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वहां मांग करता हूं कि चैनपुरा एक बड़ा गांव है, वहां पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए।

इसके अलावा, सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र का जो नगर बसा हुआ है, जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें जो हास्पिटल है, उत्तर की दिशा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां एक साइड में बसे हुए हैं, उनको हास्पिटल तक आने के लिए 3 से साढ़े 3 किलोमीटर तक आना पड़ता है। हास्पिटल इस ओर में, वह बस्ती उस ओर में। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट में प्रावधान किया गया है, वहां एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाए ताकि वहां की गरीब जनता को उस औषधालय के माध्यम से चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा, वहां पर राजकीय अस्पताल में ब्लड स्टोरेज के लिए जो फ्रिज रहता है, वह लगातार खराब रहता है। इसकी भी जांच की आवश्यकता है, वह लगातार खराब रहता है। ब्लड के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो कोई माकूल व्यवस्था वहां हो नहीं पाती है इसलिए वहां इस पर भी कृपया ध्यान दें।

इसके अलावा, 4 पंचायत हैडक्वार्टर पर आयुर्वेदिक औषधालय खुले हुए हैं, वे काफी समय से हैं, ऐसा नहीं है कि अभी खुले हैं, वहां पर कम्पाउंडर का पद अभी भी स्वीकृत नहीं है। वहां बंदडाउ, मालासर ढाणी पांचेरा और फोगा, वहां पर कम्पाउंडर के पद स्वीकृत नहीं हैं तो उन पदों की स्वीकृति कराई जाए।

इसके अलावा, एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां उसमें एक एल डी सी लगा हुआ है। इस डेढ़ साल के बीच में उसकी प्रतिनियुक्ति कभी सुजानगढ़, कभी सालासर, कभी अन्यत्र कर दी जाती है; पैसा वहां से उठाता है, प्रतिनियुक्ति दूसरी जगह कर दी जाती है। तो मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वह एक ही स्टाफ है, उसको प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, उसको वापस भेजा जाए।

अभी जो एन आर एच एम में जो भी संविदा पर डाक्टर्स लगे हुए थे, कम्पाउंडर्स लगे हुए थे, अभी इस बजट में उनकी पे-स्केल को बढ़ा दिया गया

(श्री अशोक पींचा)

है जबकि उसी स्कीम के अन्दर कनिष्ट लेखाकार भी वहां काम करते हैं, संविदा पर काम करते हैं, उनका भी संविदा के आधार पर पैसा बढ़ाया जाए। यह मेरी मांग है।

इसके अलावा, सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि सबसे बुरे हालात कोई हैं तो सरकारी चिकित्सालयों की सफाई के मामले में हैं। तो इस मामले में मेरा स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस मामले को आप व्यक्तिगत तौर पर देखें और कुछ माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इसमें राय लें। हास्पिटल में अगर सफाई नहीं हो पाएगी तो आप ऐसा कह रहे हैं न, 28 लाख हमने बी पी एल परिवारों को दवाई दे दी, देखरेख कर दी तो इसमें आप गुमान मत करो, इस क्षेत्र में संख्या घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है। इसकी यह सफाई भी कराओ।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके अनुशासन का पालन किया है। आपने जो समय दिया है, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: सहयोग के लिए धन्यवाद। श्री महावीर प्रसाद जीनगर।

श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा): सम्माननीय सभापतिजी, मैं मांग संख्या 26 चिकित्सा और सफाई पर सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश की जनता शहरों में नहीं अपितु गांवों में अभी भी निवास करती है और गांवों के अन्दर 80 प्रतिशत जनता निवास करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रदेश के नागरिक और गांवों के रहने वाले व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा अच्छी प्रकार से मिलेगी तो वह गांव और शहर खुशहाल होगा और प्रदेश के अन्दर प्रगति होगी। इसी सोच के साथ हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने आम व्यक्ति का स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रह सके, इस हेतु 2010 व 2011 में ढेर सारी जो योजनाएं पूर्व में चल रही थीं, उनके अतिरिक्त नई योजनाएं बनाकर अधिक से अधिक धनराशि का जो प्रावधान किया है, ये योजनाएं निम्न प्रकार से हैं।

आपके जिस तरह मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष है, इस योजना में बी पी एल परिवार, स्टेट बी पी एल, जो असाध्य रोग हैं, इसके अलावा जो विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, इन वर्गों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है और इसके लिए करीब-करीब 65 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है।

(श्री महावीर प्रसाद जीनगर)

दूसरी धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना, इस योजना में पूरे प्रदेश के अन्दर 314 एम्बुलेंस वर्ष के अंत तक हो जायेंगी। मेरे शाहपुरा में वहां सैटेलाइट हास्पिटल है, वहां पर भी एम्बुलेंस एक है। इसके अलावा दूसरी तहसील मेरी बनेड़ा है मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, उसके अन्दर एम्बुलेंस नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक एम्बुलेंस हो। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 14 करीब मेरी पंचायतें बनेड़ा तहसील में ऐसी हैं जो नेशनल हाइवे से जुडती हैं और वहां उस हास्पिटल के अन्दर, रायला के अन्दर एम्बुलेंस नहीं है, आये दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं, जिससे वहां एम्बुलेंस हो तो मरीजों की जान बच सकती है।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण मेडिकल मोबाइल यूनिट है, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छ योजना के तहत चिकित्सा संस्थानों के लिए निर्बन्ध कोष है, भारतीय जन स्वास्थ्य मानक है, आयुष प्रोत्साहन योजना है, स्वास्थ्य मित्र योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, इन सारी योजनाएं की जानकारी काश्तकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट हास्पिटल है, वहां करीब सन् 1983 में यह सैटेलाइट हास्पिटल बनकर तैयार हो गया था और करीब 26 वर्ष हो गये किन्तु विगत पन्द्रह वर्षों से उस हास्पिटल के अंदर डाक्टरों की कमी के कारण उसकी हालत दयनीय है। वहां 14 डाक्टरों की पोस्ट है और चार डाक्टरों की वहां कमी है, आइज, डेंटल और हड्डी के डाक्टर की। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वहां सर्जन डाक्टर है, आठ सालों से वहां सर्जन डाक्टर है लेकिन एक भी आपरेशन नहीं किया, परिवार कल्याण के अलावा। मेरा यह निवेदन है कि वहां उस हास्पिटल के अन्दर एनेस्थेसिस्ट नहीं है इसके कारण वहां वह डाक्टर आपरेशन नहीं करता है। तो मैं माननीय सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एनेस्थेसिस्ट की पोस्टिंग हो ताकि आपरेशन हो सकें।

आपने जो बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, मांग

(श्री रामहेत सिंह)

संख्या 26 और मांग संख्या 23 पर अपने विचार प्रकट करने का मौका आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

5 मार्च, 2010 को जयपुर में पांच हजार मजदूरों ने, इसमें बी एम एस, सीटू, एच एम एस, ए आई सीटू, आर सीटू, सारे ट्रेड यूनियन, जितने श्रमिक संगठन हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और संगठनों के पांच हजार व्यक्तियों ने सरकार से मांग की कि हमको मिनिमम वेजेज दिया जाय, महंगाई कम की जाय, उद्योगों में ठेकेदारी कम हो, लाभ के कारखानों को सरकार बेचे नहीं, असंगठित मजदूरों की सुरक्षा हो। ये पांच सूत्री मांगों को लेकर सरकार के सामने आये और लगभग ढाई हजार मजदूरों ने यहां गिरफ्तारी दी। उनकी मांग थी कि राजस्थान सरकार मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, उनको मिनिमम वेजेज नहीं दे रही है। उन्होंने एक चार्ट दिया सरकार को कि दिल्ली के अन्दर जहां अकुशल श्रमिक है उसको 205 रुपये मिलते हैं, राजस्थान सरकार उसको 100 रुपये देती है, दिल्ली में जहां अर्द्ध-कुशल श्रमिक है उसको 225 रुपये मिलते हैं, राजस्थान सरकार उसको 107 रुपये देती हैं, और दिल्ली में जहां कुशल श्रमिक है उसको 250 रुपये देते हैं, यहां राजस्थान की सरकार 115 रुपये देती है, यह बहुत कम है। महंगाई के जमाने में मजदूर मर रहे हैं, पिस रहे हैं, उसका शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद करें। दूसरी बात, अपने मांग पत्र में कही कि ठेकेदारी प्रथा उद्योगों में बंद हो।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, यह ठेकेदार के मजदूर हैं यह किसके लिए फैक्टरी में लगते हैं। चार-पांच बिंदु तय हैं-सुरक्षा के लिए गार्ड रख सकते हैं ठेकेदारी पर, सफाई के लिए ठेकेदारी पर दिये जा सकते हैं, बागवानी को ठेकेदारी पर रखा जा सकता है श्रमिक तथा लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रख सकते हैं। परमानेंट नेचर का जो काम उद्योग में होता है वह ठेकेदार के मजदूर से नहीं कराया जा सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपको। पैरामाउंट फैक्टरी है, पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, 900 कर्मचारी हैं जिनको उद्योगपति ने गेट से बाहर कर दिया और सरकार से कह रहा है मेरे पास तो 180 मजदूर थे परमानेंट। तो बाकी जो पांच-पांच साल से काम कर रहे थे मजदूर, ये कौन थे? कौन दोषी है इस काम के लिए? किसने भरे? कौन से नियम हैं? कौन सा एक्ट लागू होता है? यह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मजदूरों का शोषण है ठेकेदारों के माध्यम से उद्योगपतियों द्वारा। सरकार के जो विभाग हैं वे इसमें इंवाल्वड हैं।

(श्री रामहेत सिंह)

मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, भिवाड़ी में पैरामाउंट, भिवाड़ी में बीकेटी, खुशखेड़ा-मटीला के अन्दर एसआरएफ, कजारिया फैक्टरी गेलपुर में, इलाइडो सोडावास में तथा पारले और गिन्नी नीमराना में, इन उद्योगों की आप जांच करायें। आपके नियम बने हुए हैं। क्या आई.डी. एक्ट का पालन हो रहा है? क्या फैक्टरी एक्ट का पालन हो रहा है? क्या बोनस एक्ट का पालन हो रहा है? क्या पेमेंट एण्ड वेज एक्ट का पालन हो रहा है? क्या श्रमजीवी पत्रकार एक्ट का पालन हो रहा है? क्या बाल श्रमिक एक्ट का पालन हो रहा है? यह विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? आप जांच करायें और इन उद्योगों में सख्ती से पालन करायें इनका कि ये एक्ट हैं । यह सारे जो आपके विभाग हैं, चाहे लेबर विभाग, श्रम विभाग हो, चाहे फैक्टरी का पी एफ इंस्पेक्टर हो, चाहे ई एस आई का इंस्पेक्टर हो, चाहे बायलर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एल ई ओ हो, ये सब इंस्पेक्टर उद्योगपति के लिए एक दमनकारी नीति अपना कर श्रमिकों का शोषण करते हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि यह किस तरह से भर्ती होती है, लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है क्या। फैक्टरी का नियम है, आपका एक्ट कहता है, सरकार ने कानून बनाया है कि जिस भी उद्योग में वेकेंसी होगी वह सम्बन्धित विभाग को, जो नियोजन कार्यालय है, उसको सूचना देगा। आज तक, तिजारा से आने वाले माननीय कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, भिवाड़ी एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, एक भी उद्योग लोकल व्यक्तियों को रोजगार नहीं देता। उनको पता है कि नियोजन कार्यालय के नियम हैं, वहां पर स्थानीय लोगों का रोजगार में नाम है, जो क्वालिफाइड हैं जिसकी शिक्षा उसमें लिखी हुई है, अगर मान लें आपने नियोजन कार्यालय को सूचना दी, इसकी विज्ञप्ति दी तो लोकल लोग फैक्टरी में लिये जायेंगे। लोकल लोगों को उद्योग में नौकरी नहीं देना चाहते, लोकल लोगों को। आप जांच करायें, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लोकल के आधार पर नौकरी दी जाती हो। बाहर से लाये जाते हैं, उनका शोषण करते हैं। क्या इनका पी एफ होता है, क्या कोई ऐसी फैक्टरी है जिसमें इनके स्वास्थ्य की जांच होती है, क्या इनकी सेफ्टी की जांच होती है, यह सारे मुद्दे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो श्रमिकों का शोषण होता है उसको रोका जाय।

एक-दो बात और कहना चाहूंगा। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है और उसमें एक सर्वे करवाया था सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने, उसने सर्वे में भिवाड़ी को

(श्री रामहेत सिंह)

हिन्दुस्तान के सबसे पोल्युटेड यानि आठ नम्बर पर इसको रखा है। यह किस कारण से हुआ? यह पन्द्रह महीने में क्या स्थिति हो गई? और कौन इसके लिए दोषी है? तीन हजार एन ओ सी पोल्युशन विभाग के पास पड़ी हैं। सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने कह दिया कि वहां पर पर्यावरण इतना दूषित है, वहां रहना व्यक्तियों का दूभर है, ऐसी हालत में इनको एन ओ सी, किसी नये उद्योग को नहीं दी जाय। एक तरफ नये उद्योग आयें राजस्थान में, नये उद्योगपति आकर उद्योग डालें लेकिन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वहां एन ओ सी नहीं देता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जांच कराई तो सबसे पोल्युटेड भिवाड़ी मिला। ऐसी हालत सब जगह है।

मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपको कि आप इस स्थिति को सम्भालें वरना ये उद्योगपति तो भगेंगे ही, हालत ठीक नहीं है और जो लोकल मजदूर है वहां का, वह क्रांतिकारी हो जायेगा, विद्रोही हो जायेगा, वह हिंसक हो जायेगा। आज जो ईमानदारी से मजदूरी करके कमाना चाहता है, ये उद्योगपति ठेकेदारों के माध्यम से इनका शोषण कर रहे हैं। जितने भी उद्योग ढूंढोगे, सब जगह ठेकेदारी प्रथा है। मैं अपनी बात यही आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर चार लाख मजदूर जिले में काम करते हैं इसलिए बायलर, जोइंट लेबर कमिश्नर कार्यालय अलवर में हो, लेबर कोर्ट परमानेंट हो, अभी उसका कैम्प कोर्ट है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अलवर में लेबर कोर्ट होनी चाहिए, लेबर ट्रिब्युनल होना चाहिए, ई एस आई का जोनल आफिस होना चाहिए। यह तो मांग संख्या 23 पर थी।

मैं हैल्थ के सम्बन्ध में दो-तीन बात कह कर अपनी बात को खतम करूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सी एच सी के तीन हास्पिटल हैं, एक कोटकासिम के अन्दर है, एक किशनगढ़ बास में है और एक खैरथल में है। किशनगढ़ बास के अन्दर जो हास्पिटल है उसमें एस एम ओ का पद रिक्त है, ब्लाक एस एम ओ होता है उसका पद रिक्त है, डाक्टरों के पद रिक्त हैं, ब्लड बैंक को चालू नहीं किया गया क्योंकि वहां आपरेटर नहीं है, ई सी जी नहीं है, एक्सरे मशीन है वह 50 एम एम की है जिससे सिर्फ चेस्ट का ही एक्सरे हो सकता है, अन्य एक्सरे के लिए पेशेंट को बाहर भेजना पड़ता है।

इसी तरह से खैरथल में सी एच सी है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि खैरथल हास्पिटल का जो बजट आया

(श्री रामहेत सिंह)

था वह रिपेयरिंग के नाम पर आया था और सी एम एच ओ ने उस बजट को रिपेयरिंग के बजाय नए भवन में बदल दिया। नये भवन में बदलने से क्या हुआ कि न तो वहां पर एक्सरे मशीन है, न ही एक्सरे रूम है, न ही लेबर रूम है, न ही 10 बेड जो पुरानी जगह थे वहां पर लगे हुए हैं। डाक्टरों को देखने के लिए रूम नहीं है। ऐसी हालत में सरकार के पास जो प्रस्ताव है उनके अनुसार बजट दिया जाए और 108 एम्बुलेंस खैरथल को और दी जाए।

एक बात और कहते हुए कि कोटकासिम में भी 108 एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है। बार्डर एरिया है, हास्पिटल में डाक्टर्स रहते नहीं हैं इसलिए परमानेंट तय किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बूढी बावल, खानपुर, नांगल सालिया, मांचरोली, भोकर, बाघोड़ा, पतलिया और जगता बसई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: कुछ माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण चाहा है आसन से कि वे अपना लिखा हुआ भाषण प्रस्तुत कर दें तो उसके बारे में क्या व्यवस्था रहेगी। क्योंकि good and sufficient sleep is also good medicine, मैं समझता हूं कि उसकी व्यवस्था यह है कि वह दें, वह अंकित भी होगा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, अपने यहां लिखित भाषण देने की कोई परम्परा नहीं है लेकिन कोई माननीय सदस्य अपनी बात सदन के पटल पर रखना चाहे, कोई कागज, आप उसको अलाउ करो। अब कागज कौनसा आएगा सदन के पटल पर? एक तो भाषण देते समय किसी डाक्युमेंट को या किसी किताब को कोट करे या कोई माननीय सदस्य मांग ले तो या वह स्वयं कहे कि मैंने कोट किया है और मैं इसको पेश करना चाहता हूं। तो एक प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेज पेश करना चाहे और आसन अलाउ करे तो है।

माननीय मंत्री अपना भाषण लिखित में दें, इसमें बहुत बड़े स्पष्ट नियम हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन उसमें अपनी जो परम्पराएं हैं वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मंत्री महोदय के लिए भी लिखित में भाषण रखने की परम्परा नहीं है लेकिन हो-हल्ले में कई बार अपनी बात को अंकित कराने के लिए उसको रख देते हैं। अन्यथा तो कटमोशंस दिए जाते हैं, कटमोशंस का जवाब दिया जाता है और मंत्रीजी को कटमोशस के अलावा और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रगति प्रतिवेदन के अलावा माननीय सदस्य जो अपनी बात रखते हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण देना होता है। जब बात माननीय सदस्य रखते हैं, उस समय रखते हैं, उस समय लिखा हुआ नहीं आ सकता, इसलिए मंत्रीजी को जवाब देना पड़ता है और इसीलिए आसन की बार-बार व्यवस्थाएं हुई हैं कि लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं जा सकता मंत्री के जवाब देते समय।

इसी प्रकार कोई माननीय सदस्य भी अगर अपना भाषण यहां पढ़ना चाहे तो पढ़ नहीं सकता, अलाउ नहीं है। हां, वह आंकड़ों के आधार पर, उसका सहारा ले सकता है अपनी बात का।

अब जहां तक आपका सवाल है कि कुछ माननीय सदस्य अपना यहां लिखित भाषण रखें, माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था बहुत गलत है। हमारे यहां नियम है कि कटमोशंस दिए जाते है डिमाण्डों में और कटमोशंस का जवाब दिया जाता है। जब कटमोशंस हमारे यहां आते हैं और उनका जवाब दिया जाता है, कटमोशंस स्वीकार किए जाते हैं, अस्वीकार किए जाते हैं और कटमोशंस का जवाब दिया जाता हैं। तो कटमोशंस की व्यवस्था में लिखित भाषण नहीं है। यह तो अपन ने व्यवस्था कर रखी है, वरना माननीय सदस्यों को भाषण देते समय अपने कटमोशंस तक लिमिटेड होना पड़ता है। इसलिए बजट की सेंकण्ड स्टेज, बजट का जो द्वितीय वाचन है इस वाचन पर प्रमाणस्वरूप कोई रख सकता है। वरना आप इसको परमानेंट रूप से यह व्यवस्था बना देंगे, यह 295 नहीं है। माननीय सभापति महोदय, लिख दिया और आपने पढ़ा हुआ मान लिया, इसलिए पढ़ा हुआ ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, यह मजाक नहीं है, सदन है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि अगर लिखित है तो एक घण्टे में ही काम खतम कर लेंगे, सब लिख-लिख कर, टाइप करा-करा कर लाएंगे और भाषण सदन के पटल पर रख जाएंगे और सदन को चलाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। माननीय सभापति महोदय, जो अपने कटमोशंस के बारे में व्यवस्था है और जो व्यवस्था दी गई है, अगर आप आपातकाल समझ कर किसी माननीय सदस्य का अपना लिखा हुआ भाषण लेते हैं और उसको अंकित करने का आदेश देते हैं, वह एक विशेष परिस्थिति हो सकती है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करें। माननीय सदस्यों को बोलने दें और उनको अपनी बात रखने दें।

श्री सभापतिः देखिए अगर ऐसी परम्परा रही है और यह सबको स्वीकार नहीं है तो आसन को इस बात में कोई यह नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। सब सदस्य अपना भाषण दे सकते हैं। एक माननीय सदस्य आए थे उनको जल्दी थी, वह यह कहना चाह रहे थे कि मैं अपना यहां प्रस्तुत कर दूं और एक मिनट मुझे यह बोलने का मौका मिल जाए कि मैंने आसन के सामने प्रस्तुत कर दिया तो मैंने यही सोच कर यह कहा था। दूसरे एक और माननीय सदस्य आए थे आपकी तरफ से, उन्होंने यह निवेदन किया था। तो यह सोचने के बाद कि मंत्रीजी उसका जवाब भी देंगे, लेकिन आप समझते हैं कि ऐसी परम्परा है तो मुझे इस बात में कोई यह नहीं है, ऐसी परम्परा रहेगी, सब लोग अपना-अपना बोलेंगे।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, एक बात और छोटी सी रह गई। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा...

श्री सभापतिः अब नहीं, श्री प्रेमचन्द नागर।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): आधा मिनट। माननीय सभापति महोदय, कोटकासिम में सी एच सी का निर्माण कार्य हो रहा है, वह घटिया है। जांच में आ गया, निर्माण कार्य बंद है। उसकी जांच उच्च स्तरीय करवाई जाए, यह मेरी मांग है। वरना जैसे अभी तिजारा में हास्पिटल भवन अण्डर कंस्ट्रक्शन में गिर गया, कोटकासिम में भी यही हालत हो गई, कोई जन हानि हो जाएगी। इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है। वहां एस एम ओ का पद रिक्त है कोटकासिम में, उसको भी भरा जाए; डेपुटेशन पर गए हैं, उसको निरस्त किया जाए।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री बी पी एल जीवन रक्षा कोष राज्य में जनवरी, 2009 से पुनः प्रारम्भ हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत सभी चयनित बी पी एल परिवारों, स्टेट बी पी एल परिवारों, आस्था कार्ड धारियों, एच आई वी, एड्स से पीड़ित मरीजों, वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशनरों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस वर्ष 2010-11 में इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। माननीय मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इटावा

(श्री प्रेमचन्द नागर)

कस्बा जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर होने से अकस्मात् घटित होने वाली दुर्घटनाओं से ग्रसित व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उनको काल के मुंह में जाना पड़ता है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि आप 108 एम्बुलेंस सुविधा इटावा कस्बे में उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमाएं।

माननीय सभापति महोदय, राजकीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत नर्सों को मानदेय 4,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए, ए एन एम को 3,500 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए तथा लैब टेक्निशियन्स को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रतिमाह किया जाना सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष में 15 आयुर्वेद, 5 होम्योपेथी और 10 यूनानी के नए औषधालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 6 आयुर्वेद, 2 होम्योपेथी एवं 2 यूनानी अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जाएगा। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बूढ़ादीत व लोहावत दो ऐसे कस्बे हैं जिनसे 25-25, 30-30 गांव जुड़े हुए हैं; दूर-दराज का क्षेत्र है और वहां पर कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानपुर और इटावा हैं, वहां पर काफी पोस्टें वेकेंट हैं। इटावा में फीमेल गायनोकोलोजिस्ट की सख्त आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से जिस भी डाक्टर की, महिला चिकित्सक की वहां पर पोस्टिंग की जाती है, अधिकतर छुट्टी लेकर बैठ जाती हैं। कोई भी वहां पर नहीं पहुंचती है। मेरा आपसे, मंत्री महोदय, निवेदन है कि शीघ्र ही इटावा सी.एच.सी. में फीमेल गायनोकोलोजिस्ट की नियुक्ति की जाये।

सुल्तानपुर सी.एच.सी. नई बिल्डिंग में स्थानान्तरित किया गया है, मंत्री महोदय, और वहां पर जनता की मांग है कि जो पुराना भवन है, उसमें एक डाक्टर के बैठने की व्यवस्था की जाये क्योंकि वह भवन कस्बे के बीच में है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सुल्तानपुर की पुरानी बिल्डिंग में भी एक डाक्टर के बैठने के आदेश आप फरमायें ताकि ग्रामवासियों को आसान चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पीपल्दा पी.एच.सी. में डाक्टर की व्यवस्था तो है

(श्री प्रेमचन्द नागर)

लेकिन वहां पर लेबर रूम की अत्यन्त आवश्यकता है। पी.एच.सी. होने के बाद भी वहां पर लेबर रूम नहीं है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि लेबर रूम वहां पर अवश्य उपलब्ध कराया जाये, वहां पर लेबर रूम की व्यवस्था की जाये।

मैं एक निवेदन जिला मुख्यालय के लिए माननीय मंत्री महोदय को करना चाहूंगा। कोटा में एम.बी.एस. अस्पताल में स्टाक यूनिट दानदाताओं ने बनाया है और जहां तक मेरी जानकारी है, शायद ऐसा स्टाक यूनिट राजस्थान में दूसरा नहीं है लेकिन वहां पर अकोमोडेशन काफी कम है। शैय्याएं शायद 14 ही हैं। कोटा से बारां, झालावाड़ और नजदीक में ही मध्य प्रदेश पड़ता है, सभी जगह के मरीज वहां पर आते हैं और उस स्टाक यूनिट में 14 शैय्याएं हैं जो काफी कम पड़ती हैं। इसके लिए मरीज वहां इंतजार भी नहीं कर सकते हैं उनको प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी व्यवस्था फरमायें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुखराम कोली।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, धौलपुर की बदहाल चिकित्सा की जो व्यवस्था है, उसी को आपके सामने रखूंगा। सभापति महोदय, धौलपुर जिला अत्यन्त पिछड़ा हुआ है जिसका कि अधिकांश क्षेत्र है, वह डांग प्रभावित क्षेत्र है और डांग प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर एक जिला चिकित्सालय है और तीन डिस्पेंसरीज हैं, छह सी.एच.सी. हैं और बाकी उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं। यहां पर जो प्रति-शैय्या का क्षेत्र है, करीबन-करीबन 13 किलोमीटर एक शैय्या के क्षेत्र में आता है, वह 13 किलोमीटर है और यहां का जो जनसंख्या का आंकड़ा आता है एक शैय्या पर 4,294, 4,294 पर एक शय्या आती है।

सभापति महोदय, यहां जो राजकीय चिकित्सालय है, इस राजकीय चिकित्सालय, धौलपुर में क्षेत्र के समस्त लोग वहां पहुंचते हैं और वहां यह सोचकर जाते हैं कि शायद वहां इलाज होगा परन्तु उस राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है। वहां पर बिराजमान डाक्टर साहब अस्पताल में कम, अपने प्राइवेट क्लीनिक में ज्यादा रुचि रखते हैं और जब भी आउटडोर में कोई मरीज दिखाने जाता है तो उसे यह कहकर पर्चा लिखवा

(श्री सुखराम)

दिया जाता है कि दो बजे बाद क्लीनिक में मिल लेना। सभापति महोदय, एक गरीब आदमी जो अपने लिए दो जून की रोटी एकत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए डाक्टर को 150 रुपये, 200 रुपये फीस देना बहुत ही अत्यन्त महंगा पड़ता है। यहां जो शैय्याओं की सीमा है, वह अत्यधिक सीमित है धौलपुर जिले की। वहां गरीब का एक मात्र साधन है जहां पर उसका इलाज कर सकते हैं परन्तु वहां जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ उन मरीजों को नहीं मिल पाता है। अगर सुविधाओं का लाभ लेना है तो आपको पहले डाक्टर के द्वारा बनाये हुए क्लीनिक रूपी मंदिर है, वहां पर भेंट चढ़ानी पड़ेगी तब तो तुम्हें वहां की सुविधाओं का लाभ मिल सकता है अन्यथा उन सुविधाओं का तुम्हें लाभ नहीं मिल सकता।

सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वह बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर 1,36,342 वोटर हैं और जनसंख्या करीबन-करीबन दो लाख के आसपास हैं। वहां पर एक मात्र सी.एच.सी. है, बसेड़ी में और उस बसेड़ी सी.एच.सी. में सात पद हैं। सात पद में से चार भरे हुए हैं, बाकी के रिक्त हैं। सरमथुरा से धौलपुर के लिए जाने के लिए करीबन 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर बसेड़ी से जाया जाये तो 55 किलोमीटर पड़ता है। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां रोड बहुत ही उच्च श्रेणी की है। अगर किसी डिलीवरी को लेकर धौलपुर तक पहुंचे तो जो लास्ट में बताया था, शायद उस समय धौलपुर पहुंचते-पहुंचते बच्चे की उम्र ही तीन महीने हो जाये। इसलिए मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से यह करबद्ध निवेदन है कि उनको बढ़ाया जाये।

बसेड़ी में 30 बेडेड अस्पताल है और 30 बेडेड अस्पताल में 42 पंचायत कवर होती हैं उस अस्पताल से। करीब पौने दो लाख जनसंख्या उस सी.एच.सी. पर आश्रित है। वहां पर गायनी का कोई डाक्टर नहीं है, शिशु रोग विशेषज्ञ कोई नहीं है और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वहां सुविधा तो है परन्तु वहां पर कोई सर्जन नहीं है। अगर एक सर्जन वहां पर उपलब्ध होता है तो निश्चित रूप से अन्य सुविधाओं का भी उन मरीजों को लाभ अवश्य मिलेगा।

इसी तरह से सरमथुरा जो दूसरी सी.एच.सी. है, वहां चार पद हैं परन्तु एक डाक्टर काम कर रहा है। एक डाक्टर किन परिस्थितियों में कैसे काम कर रहा होगा, यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो

(श्री सुखराम)

अस्पताल हैं दोनों, उन दोनों अस्पतालों में एक दुकान खुली हुई है उपभोक्ता भण्डार की। उस उपभोक्ता भण्डार की दुकान से जब मरीज दवा लेने जाता है तो यह सोचता है कि शायद मुझे यहां से कुछ कम रेट पर दवाई मिलेगी परन्तु प्राइवेट दुकान से एक-दो या पांच प्रतिशत तक बढ़ाकर वह दवाई देते हैं। तो उन पर भी शिकंजा कसने की बहुत आवश्यकता है।

यहां धौलपुर में एक बहुत बड़ी समस्या, हमारे लिए बड़ी विडम्बना है, चार विधान सभा को कवर करते हुए, राजाखेड़ा, बाड़ी, धौलपुर और बसेड़ी, वहां पर कोई भी बर्न यूनिट नहीं है। अगर कोई किसी कारणवश घटना हो जाती है, कोई जल जाता है तो उसे या तो आगरा ले जाना पड़ता है या ग्वालियर या फिर जयपुर लाओ और शायद यहां तक, तीनों जगह पहुंचते-पहुंचते, अस्पताल तक तो नहीं पहुंचेगा वह मरीज जला हुआ, वह सीधे स्वर्ग लोक जरूर पहुंच जाता है। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से करबद्ध निवेदन है कि धौलपुर में एक बर्न यूनिट जरूर बनवाई जाये। दूसरा, ट्रोमा वार्ड की हालांकि सुविधा है, अगर उस ट्रोमा वार्ड को विकसित किया जाये, जो एन.एच. 11 वहां से गुजरता है, आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है इसलिए यहां ट्रोमा वार्ड की सुव्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, यहां पर मैं चिकित्सा मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। डांग क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नांगलपुर और आपको सुनकर चिकित्सा मंत्रीजी, बड़ा ताज्जुब होगा कि धौलपुर जिले में एक मात्र यूनानी अस्पताल वहां स्थित है। जो धौलपुर में नहीं है, कहीं पर नहीं है,

(समय : 22.00 बजे)

नांगलपुर गांव है, वह यूनानी अस्पताल वहां स्थित है। परन्तु उस यूनानी अस्पताल की यह बदहाली है, उसमें जब मैं वहां गया तो मुझे ताज्जुब हुआ, बरसात हो रही थी और जितनी भी दवाईयां थीं, वे दवाइयां भीग रही थीं। एक कमरे में वह यूनानी अस्पताल चल रहा है। डाक्टर कहां विराजते हैं, कौन हैं, हमको आज तक नहीं पता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इकलौता अस्पताल होने के कारण और जैसे स्वास्थ्य मंत्रीजी ने, अपने बजट में उसमें कहा भी है कि हम यूनानी चिकित्सालयों को विशेष तरजीह दे रहे हैं तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि उस एक मात्र यूनानी अस्पताल के लिए उस

(श्री सुखराम)

डाक्टर पर शिकंजा कसा जाए कि वह वहां बैठे। दूसरा, उस भवन को कुछ अगर सुविधा हो तो नांगलपुर की जनता आपका शुक्रिया अदा करेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, जो नकली दवा है, सभापति महोदय, धौलपुर जिला यू.पी. और एम.पी. की सीमाओं के बीच में है। हमारे यहां एक कहावत प्रसिद्ध है कि जो कहीं नहीं मिले, वह आगरा में मिल जाता है। तो जितनी भी नकली दवाइयां हैं उन दवाइयों का सीधा-सीधा व्यापार धौलपुर में किया जाता है। ऐसा कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है जिसमें 60 प्रतिशत दवाइयां नकली उन मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं हों। मेरा करबद्ध निवेदन है क्योंकि वहां पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है, वह ड्रग इंस्पेक्टर अगर वहां जाता भी है तो मैंने तो कभी नहीं सुना कि कभी उसने एक सैंपल भी भरा हो। अगर एक सैंपल भर भी ले तो वहां पर कोई प्रयोगशाला नहीं, उसकी जांच भी नहीं हो और आप जानते हैं कि धौलपुर से यहां पर आने पर कुछ भी घटित हो सकता है। हो सकता हो कि बीच में सौदा होकर के वहीं उनका जो केस है रफा-दफा हो जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस ड्रग इंस्पेक्टर पर इतना थोड़ा शिकंजा कसा जाए, उन स्टोर्स के प्रति जवाबदेही हो, उनकी जांच की जाए और जो भी सैंपल भरा जाए, निष्पक्ष रूप से उन पर कार्यवाही की जाए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर नांगलपुर, सलेमपुर, औरेली, जायदा और...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मोमोदन, अगर इसमें पी.एच.सी. केन्द्र खोले जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी।

एक घटना मैं आपको और बताता हूं। सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट में समाप्त करता हूं। डाक्टर्स से हम काम लेते हैं, सही है परन्तु डाक्टर्स की सुरक्षा के भी इंतजाम होने चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रीजी को मालूम भी होगा कि वहां जो पी.एम.ओ. है, मि. जे.पी. गर्ग उनके हाथ-पांव तोड़कर डाल दिये। इसलिए उस अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों से जहां पर जनसंख्या बहुत रहती हैं, डाक्टर्स की सुरक्षा होनी चाहिए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि एम.बी.ए. वाले कुछ लड़के हास्पिटल में लगाये जा रहे हैं, उनका निर्देशन करें, पूरी रूपरेखा रखें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 26 और 23 पर आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट के अन्दर 26 बिन्दुओं पर फोकस किया है चिकित्सा और स्वास्थ्य को। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को और स्वास्थ्य मंत्रीजी को कि जो मूलभूत आवश्यकताएं थीं बर्न यूनिट की, ट्रोमा सेंटर की, रीहैबिलिटेशन सेंटर की, सी.टी. स्केन, वह सब कीं, सब आपने स्वीकृत कर दीं उसका धन्यवाद।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा चिकित्सा मंत्रीजी को कि हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर कैंसर इन्स्टिट्युट नहीं है। एक कैंसर के इलाज का इन्स्टिट्युट हमारे राजस्थान में होना चाहिए क्योंकि कैंसर की बीमारी भयावह बीमारी, बहुत महंगी बीमारी हैं। इसके इलाज के लिए या तो गुजरात जाता है या मुम्बई जाता है या उसको दिल्ली जाना पड़ता है और यहां का जो जयपुर का अस्पताल है वह कहने को अवश्य सस्ता है लेकिन बहुत महंगा अस्पताल है महावीर कैंसर इन्स्टिट्युट। वहां गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। इसलिए सरकार के स्तर पर जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर सिविल हास्पिटल के अंदर कैंसर का इलाज होता है उसी तरह का एक इन्स्टिट्युट पूरे राजस्थान के अंदर बनना चाहिए क्योंकि बहुत बीमारों की संख्या, कैंसर के बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है।

एक मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि हार्ट के आपरेशन जो उदयपुर में हो रहे हैं, उसमें काम्प्लीकेटेड जो आपरेशन होते हैं उनको रेफर कर दिया जाता है जयपुर परन्तु यहां बहुत लम्बी-लम्बी लाइनें हैं, गरीब आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि जो हिन्दुस्तान जिंक ने वहां पर पैसा दिया है उस अस्पताल के अंदर, उन सभी की हार्ट की सर्जरी का अच्छा इलाज हो।

इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्रीजी, चूंकि आप चित्तौड़गढ़ पधारे हैं और चित्तौड़ के अस्पताल को आपने देखा है, चित्तौड़ से

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

76 और 79 नेशनल हाइवे गुजरता है और पूरे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के मरीज उस हास्पिटल में आते हैं। जहां का 500 का आउटडोर है, महिला चिकित्सालय का 355 का आउटडोर है, 96 एडमिशन हैं, 153 एडमिशन महिला चिकित्सालय में हैं, उस अस्पताल के अन्दर 6 सीनियर स्पेशलिस्ट के पद खाली हैं, 8 जूनियर स्पेशलिस्ट के पद खाली हैं, 23 मेडिकल आफिसर्स के पद खाली हैं और 32 सेकंड ग्रेड नर्सिंग स्टाफ के पद खाली हैं। इसी तरह लैब टेक्नीशियन के पद खाली हैं और वहां पर फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग स्टाफ के पद खाली हैं। तो चित्तौड़ का अस्पताल जो 300 बेडेड कर दिया गया है वह आज बदहाली की स्थिति में है। इसलिए मेरा निवेदन है चिकित्सा मंत्रीजी से कि यह जो ट्रोमा सेंटर और बर्न यूनिट जो आपने मुझे दी हैं उसके लिए तो मैंने आपको धन्यवाद दिया है लेकिन ये जब शुरू हों तब उसके साथ-साथ उनके अंदर पूरा का पूरा स्टाफ भी आना चाहिए। उसके अंदर जो डाक्टर्स की आवश्यकता है वे डाक्टर्स भी आने चाहिए, नहीं तो वह जिस तरह से 300 बेडेड कर दिया परन्तु इतने पद खाली हैं। अगर ये यूनिट भी बन गई, आपने सारे इक्विपमेंट भी भेज दिये और डाक्टर्स नहीं भेजे तो सारा का सारा बेकार जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि आप इस पर अवश्य ध्यान दें।

दूसरा, चिकित्सा मंत्रीजी, चित्तौड़ के सांवरिया चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय को अलग जगह स्थापित कर दिया है लेकिन दोनों का बजट 42 लाख 50 हजार रुपए, दोनों हास्पिटलों का एक ही बजट आता है। उसकी वजह से महिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं गड़बड़ायी हुई हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप महिला चिकित्सालय का बजट अलग आबंटन करें और सांवरिया चिकित्सालय का बजट अलग आबंटन हो।

एक आप जो अनटाइड फंड के अन्दर सिर्फ पांच लाख रुपए देते हैं, ये पांच लाख रुपए बहुत कम हैं। इसकी कम से कम लिमिट बीस लाख करने की आप कृपा करें ताकि उस अनटाइड फंड से काफी काम जो हैं वे सुचारू हमारे हास्पिटल के हो सकें। एक मेरा निवेदन है कि एक एम्बुलेंस 2003 के अन्दर आई जो लगभग 1 लाख 72 हजार किलोमीटर चल चुकी है, कंडम हो चुकी है, उसके अन्दर मरीज चित्तौड़ शहर के अंदर जा सकता है, चित्तौड़ शहर से बाहर वह जा ही नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने 108 एम्बुलेंस दी लेकिन वह 30 किलोमीटर के दायरे से आगे जाती ही नहीं है और वह जो

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस की स्थिति यह है कि वह अपने चित्तौड़ की नगरपालिका सीमा से बाहर जाने के काबिल नहीं है। इसलिए यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था आप अवश्य करावें।

आपसे एक और मेरा निवेदन है कि चित्तौड के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र भी काफी हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जिंक हैं, पर्यटक भी आते हैं, आये दिन एक्सीडेंट भी होते हैं, वहां पर कई बाहर के लोगों के एक्सीडेंट होते हैं जो औद्योगिक इकाइयों में काम करते हैं उनको दो-दो, तीन-तीन दिन तक, दुर्घटना के अन्दर जिनकी डैथ हो जाती है उनको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक डीप-फ्रीजर की सांवरिया चिकित्सालय हमारा जो जिला अस्पताल है, उसके अन्दर बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए मेहरबानी करके एक डीप-फ्रीजर की आप अवश्य व्यवस्था कर दें।

एक जो महिला चिकित्सालय है उसके अन्दर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आई सी यू वार्ड नहीं है। एक वैल इक्विड आई सी यू वार्ड की वहां पर बहुत महत्ती आवश्यकता है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह महिला चिकित्सालय भी आपने देखा है उसके अन्दर मेहरबानी करके क्योंकि हमने जन सहभागिता से, नगरपालिका के सहयोग से हमने बहुत ज्यादा काम करवाये हैं, मंत्रीजी खुद देखकर आये हैं, इसलिए वैल इक्विप्ड आई सी यू उन बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए होना बहुत जरूरी है। वहां पर महिलाओं का एक वार्ड इस तरह का बनना चाहिए जिसके अन्दर ऑपरेशन के बाद में, डिलीवरी के बाद में जिले से शहर के बाहर की जो महिलाएं आती हैं उनको रखने की बहुत आवश्यकता होती है, उनकी केयर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो एक वह वार्ड हमारे लिए बहुत आवश्यक हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह आप एक अवश्यक हमको देने की कृपा करें।

एक मेरा निवेदन है कि जो सीबीएनसी, जो प्रियदर्शिनी सीबीएनसी है उसके अन्दर वेंटिलेटर नहीं है। वह वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से कई हमारे नवजात शिशु हैं, महिलाएं हैं, उनको आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एक वेंटिलेटर जो आपने सांवलिया चिकित्सालय को तो दे दिया लेकिन महिला चिकित्सालय के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उसमें भी आप करें।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

अब मैं ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर निवेदन करूंगा कि विजयपुर, बस्सी और भदेसर यहां तीनों जगह सी एच सी स्थापित कर दी हैं लेकिन वहां पर डाक्टर्स बिलकुल बहुत कम हैं। मापदंड है, 1 एस.एम.ओ. रहेगा, 2 मेडिकल आफिसर होंगे, 1 जूनियर स्पेशलिस्ट होगा और 1 जूनियर स्पेशलिस्ट सर्जरी होगा लेकिन तीनों अस्पतालों के अन्दर सिर्फ एम.ओ. है और तीनों जगह न तो एस.एम.ओ. है, न मेडिकल ज्युरिस्ट है। एक भदेसर के अन्दर...

श्री सभापति: कृपया व्यवधान न करें। No casual attitude is expected.

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं सम-अप कर रहा हूं। भदेसर के अन्दर उपखंड कार्यालय...

श्री सभापति: आपसे तो सहयोग की ज्यादा अपेक्षा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं निवेदन करूंगा, चिकित्सा मंत्री महोदय, कि आप डेढ़ सौ एंबुलेंस दे रहे हैं, उसके अन्दर उस उप खण्ड कार्यालय पर जो सी एच सी है उसके अन्दर 108 एम्बुलेंस की आज ही आप घोषणा अवश्य कर दें।

मेरा निवेदन है कि मेडिकल रिलीफ सोसायटियों का आप पुनर्गठन करवायें। एक जेनेरिक दवाइयों का विशेष ध्यान और जो रिटायर्ड डाक्टर हैं, डाक्टरों की कमी है तो उनको वापस सेवा में लेने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, आप उनको लें और अस्थायी चिकित्सकों की क्या व्यवस्था हो सकती है, वह बहुत अधिक आवश्यक है, वह मेहरबानी करके करें।

अंतिम एक मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि रोजगार मेले जो लगाये जाते हैं उसके अन्दर बाहर के जो आते हैं अपने प्राइवेट इंस्टिट्युशंस प्राइवेट औद्योगिक संस्थान के लोग, वे, सभापति महोदय, चार-चार हजार रुपये में कहते हैं कि जयपुर आ जाओ और यहां पर सुरक्षा गार्ड में लग जाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बस यह लास्ट बिन्दु है। मेहरबानी करके जो भी ऐसे रोजगार मेले लगें वे सारगर्भित हों ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर शहर की तरफ दिलाना चाहूंगी। जोधपुर शहर में बड़े तौर पर तीन हास्पिटल हैं और जयपुर के बाद दूसरा नम्बर जोधपुर है। जोधपुर में तीन हास्पिटल हैं महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल और मथुरादास माथुर अस्पताल। मगर अस्पतालों की स्थिति अजीबो-गरीब है। इसलिए मैं यह चाहूंगी कि राजस्थान चिकित्सा सेवा का गठन किया जाए। राज्य के चिकित्सकों में प्रशासनिक क्षमता की कमी से चिकित्सा कर्मियों की रोगियों और परिजनों के साथ हमेशा कुछ न कुछ वारदातें होती रहती हैं। इस सेवा के आरम्भ काल में ही प्रशासनिक क्षेत्र में चयन कर कतिपय चिकित्सकों को विधिवत प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि रोज की कुछ न कुछ अप्रिय घटना न हों।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगी कि उम्मेद अस्पताल है, महिलाओं के लिए ही उम्मेद अस्पताल बना हुआ है मगर उम्मेद हास्पिटल की यह दशा है, एक उम्मेद हास्पिटल वह था कि उसके अन्दर एक मक्खी भी घुसना मुश्किल थी, आज की तारीख में उम्मेद हास्पिटल की यह स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा उधर जाने का रहता है, हर व्यक्ति की चूंकि इजी अप्रोच है, हर व्यक्ति कोई भी कास्ट का हो, आता है कि हमारे साथ रात को चलो तो मैं रात को दो बजे भी जाती हूं उनके साथ, मगर लेबर रूम की यह स्थिति है कि एक-एक पलंग के ऊपर दो-दो महिलाएं सोयी रहती हैं, तीन-तीन महिलाएं सोयी रहती हैं। मैं यह चाहूंगी कि जोधपुर में जो उम्मेद हास्पिटल है, उसका जो लेबर रूम है उसका एक अच्छा विस्तार किया जाए और वहां एक अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि इस हास्पिटल का जो नाम है वह कायम रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आपके माध्यम से कि उम्मेद हास्पिटल के अन्दर जब गर्भवती महिला जाती है और उनके बच्चे होते हैं तो ऐसी स्थिति कभी हो जाती है और हुई है अभी हाल ही में, कुछ ही अर्से पहले ऐसी स्थिति हुई है, बहुत बड़े नेता के रिश्तेदार की हुई थी, उसको आई सी यू वार्ड नहीं ऐसे उम्मेद हास्पिटल के अन्दर। मेरी ऐसी मान्यता है कि उम्मेद हास्पिटल के अन्दर भी आई सी यू वार्ड होना चाहिए, नहीं तो वहां से गांधी हास्पिटल ले जाने में कितना समय लगे और रास्ते में क्या मालूम क्या परिस्थिति बन जाती है । मेरी आपके

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से मांग है कि एक आई सी यू वार्ड वहां पर होना अति आवश्यक है क्योंकि अब हमारी इतनी आकांक्षाएं भी हो गयीं और इच्छा भी हो गयी है कि हमारे वहां का मुख्य मंत्री है इसलिए वहां हास्पिटलों के अन्दर जरूर सुधार होना चाहिए। मेरी ऐसी मान्यता है।

हाल ही में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जोधपुर मेडिकल कालेज में सीटी स्केन, अब आप समझो कि जोधपुर शहर जैसी जगह में सीटी स्केन की क्या स्थिति है, सीटी स्केन हमेशा खराब रहता है। उसके लिए पचास लाख रुपये आज से तीन साल पहले वहां पर जमा कराये गये थे आर एस एम एम से और पचहत्तर लाख रुपये वहां जन साधारण के माध्यम से मिले, 75 लाख रुपये जे.डी.ए. से दिलवाये गये मगर सरकार का सहयोग नहीं मिलने से आज तक वह मशीन नहीं खरीदी गई है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सदस्या, जोधपुर के अन्दर शोभा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि बहुत बढ़िया काम किये मेडिकल में। जोधपुर समारोह में तो शोभा करते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं वह प्रशंसा नहीं कर रही हूं, आप गलत मत सोचो। मैं प्रशंसा वह कर रही हूं कि उम्मेद हास्पिटल में महिलाओं के लिए जो दिया है और वह भी आर एस एम एम ने दीं, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा नहीं की है, वह आपने कोष के माध्यम से दिया है। अपने कोष के माध्यम से करायेंगे, आप गलतफहमी में मत रहो। मुख्य मंत्रीजी अगर काम करेंगे तो क्यों नहीं तारीफ करेंगे? हमें कोई तकलीफ नहीं है।

मैं यह नहीं हूं कि यहां की बात वहां नहीं कहना पसंद करूं। मैं एक मंदिर गयी तो वहां, मैं एक बात कह दूं आपको, सभापति महोदय, घंटी मत बजाना, तो कहा कि कल्लू भाई, क्या हाल हैं; तो कहा कि आप थारी-म्हारी क्या करते हो, वहां बैठ कर आप क्या काम कर सकते हो वह बात करो। आप समझो कि बुजुर्ग रुके यह सोच कर कि थारी-म्हारी, मतलब वे अख़बार में देख कर यह पूछते हैं कि वसुन्धराजी के राज में ये हुआ आपके राज में ये हुआ। मैं ये बातें नहीं करती हूं। अगर अच्छा काम अशोकजी करेंगे तो अशोक जी का स्वागत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? जैसे अभी किया तो मैंने तारीफ कर दी। और भी कोई काम करेंगे तो मैं तारीफ करूंगी। मैं मेरी मांग कर रही हूं। अगर मैं कोई भी काम करवाऊंगी तो कोई भी जोधपुर में काम होगा तो नाम तो अशोकजी का होगा

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कि कांग्रेस राज में ये काम हुआ। मैं मांग कर रही हूं, काम अगर आप करोगे तो आपका अच्छा है । तो आप यह मत कहो, मैं तारीफ करूंगी।

आपने मुझे बात भुला दी। मेरी बात तो कहने से रह गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नवाब साहब की भी तो करो, नवाब साहब की।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नवाब साहब की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवाब साहब की तो मैंने अभी भी महिलाओं की मीटिंग में यही बात कही। मैंने कहा कि खानदान का बहुत भारी असर हुआ करता है। एक आदमी घराने का है उसका बहुत भारी फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा रेस्पोंस देते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं। काम करना, न करना दूसरी बात है मगर रेस्पोंस देने की भी बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आदमी भले हैं, बात ठीक करते हैं और करते हैं, काम का कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने वित्त प्रदान कर दिये थे। आर एस एम एम लिमिटेड ने पचास लाख का सहयोग दिया। फिर भी जोधपुर में अभी तक नहीं हुई। निजी जांच केन्द्रों से मिलीभगत से ये काम नहीं होना भी एक कारण है। कुछ डाक्टरों की गलती की वजह से यह काम नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, इतने बड़े जोधपुर शहर के अन्दर एम आर आई मशीन नहीं है इस प्रक्रिया को तुरन्त पूरा कर जोधपुर शहर में नयी सीटी स्केन और एम आर आई मशीन की खरीद की जाए। माननीय सभापति महोदय, चूंकि अभी आप घंटी बजा देंगे, मेरे को यह बहुत डर रहता है। आप हो मिलिटरीमैन और मैं हूं अनुशासन मानने वाली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप पुलिस वाले की बेटी हो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, पुलिस वाले की बेटी हूं तो क्या, अनुशासन तो मानती ही हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगी। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड 15 सेक्टर में डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने की मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग कर रही हूं। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से पूर्वी पश्चिमी पाल रोड, योजना पाल रोड, लिंक रोड, कमला नेहरू नगर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सूतला, चांदला, बाकड़, चौपासनी, 75 हजार से ज्यादा की आबादी को यह अस्पताल में उपलब्ध हो तो सेवा का मौका मिलेगा। इस हेतु मैंने मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया था कि वे 15 सेक्टर की डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करावें जिससे इस क्षेत्र की जनता को आपात परिस्थितियों में 8-10 किलोमीटर चक्कर लगा कर मुख्य अस्पताल तक नहीं जाना पड़े। सभापति महोदय, प्राइवेट हास्पिटलों में भी इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि सूरसागर क्षेत्र में इतने प्राइवेट हास्पिटल हैं कि मैं आपको क्या बताऊं? हास्पिटल में या डिस्पेंसरी में कोई सुविधा नहीं होगी तो पब्लिक क्या करेगी, प्राइवेट हास्पिटल में ही जायेगी। प्राइवेट हास्पिटल में जाने के बाद भी है क्या, डाक्टर तो वही जाते हैं, कोई ऊपर से तो उतरते नहीं हैं। यह के यह डाक्टर वहां जाकर इलाज करते हैं और गरीब जनता से पैसा लूटा जाता है। मेरी आपसे पुरज़ोर शब्दों में मांग है कि आप ऐसी डिस्पेंसरियों को क्रमोन्नत करें।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूं। जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर के खान श्रमिकों और क्षेत्र की छह बड़ी भील बस्तियों के लिये अस्थमा विशेषज्ञ डिस्पेंसरी की स्थापना की जाये। मुख्य मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण के बिन्दु संख्या 49 में जनजाति क्षेत्र के लिये घोषित 60 पी एच सी में से एक सूरसागर चौपड़ में विशाल भील बस्ती को दी जाये तो मैं समझती हूं कि इससे सूरसागर की समस्या का काफी समाधान होगा। सभापति महोदय, जोधपुरी पत्थर की खानें करोड़ों का राजस्व सरकार को देती हैं परन्तु यहां के श्रमिक स्टोन डस्ट से अस्थमा के शिकार हो जाते हैं और छोटी-मोटी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। मैंने पूर्व में भी अनुरोध किया था और पुन: अनुरोध करती हूं कि इन भील बस्तियों के गरीब लोगों और खान श्रमिकों की 50 हजार से ज्यादा की जनसंख्या को लाभान्वित करें।

सभापति महोदय, सूरसागर के विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर खान क्षेत्र में आकस्मिक दुर्घटना होने पर समय रहते प्राथमिक उपचार की उपलब्धता एवं बड़े सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने हेतु चौपड़, सूरसागर क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस स्वीकृत कराई जाये। उक्त क्षेत्र में इससे दुर्घटनाओं में काफी बचाव हो सकेगा।

(समय : 22.23 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक और निवेदन

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

करना चाहूंगी। उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में सोनोग्राफी नहीं है और जो सोनोग्राफी है तो वह नहीं के बराबर है। सोनोग्राफी की जांच अति महत्वपूर्ण जांच है परन्तु जोधपुर सम्भाग के सबसे बड़े अस्पताल में वर्तमान आसन्न प्रसवा माताओं के लिये सोनोग्राफी जांच में दस से पन्द्रह दिन की सूची लगी रहती है कि पन्द्रह दिन के बाद नम्बर आयेगा। ऐसे में गरीब महिलाओं के प्रसव केस बिगड़ जाते हैं या फिर उन्हें महंगे निजी जांच केन्द्रों पर जांच करानी पड़ती है। अत: यह बहुत जरूरी है कि सरकार इस बात को ध्यान में रख कर मय स्टाफ सोनोग्राफी की मशीन दिलावे। जोधपुर के तीनों बड़े अस्पतालों में मरम्मत के अभाव में ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अभी कुछ बोली ही नहीं और आपने घंटी बजा दी। सभापति महोदय, मैं तो ऐसे ही कम ही बोलती हूं और फिर आप बोलने ही नहीं देंगे।

सभापति महोदय, जोधपुर में सबसे पुराने और स्टेटों के टाइम के अस्पताल हैं। इनमें आज तक कभी मरम्मत नहीं हुई है । मैं चाहती हूं इनकी मरम्मत के लिये ज्यादा से ज्यादा धन राशि दी जाये। अभी हाल ही में चार दिन पहले जोधपुर के मथुरादास माथुर हास्पिटल में पंखा गिर गया था। अच्छा हुआ किसी मरीज के ऊपर नहीं गिरा, यह भगवान की ही कृपा है। मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा धन राशि दी जाये।

सभापति महोदय, जालोरी गेट, जोधपुर में रघुनाथदास टीबी अस्पताल है, मैं चाहती हूं कि वहां पर इमरजेंसी सुविधा प्रारम्भ करावें। शहर के ठीक मध्य में स्थित इस टीबी अस्पताल में इमरजेंसी सुविधा नहीं है जिससे संक्रमणकारी रोगियों को रात्रि काल में आपात चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अत: मेरा अनुरोध है कि आप उक्त अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड खोलें जिससे राउंड द क्लाक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जोधपुर के तीनों अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था नाम मात्र की नहीं है। आप यह समझ लो कि सफाई तो है ही नहीं। बाथरूम के पास से अगर कोई निकले तो उसे अपना मुंह ढक कर निकलना पड़ता है। इसका कारण जो मेरे समझ में आया वह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि तीनों अस्पतालों में सफाई व्यवस्था में ठेकों

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

की पद्धति को बदला जाये क्योंकि ठेके की पद्धति को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। यह लोग क्या करते हैं कि बतायेंगे 100 आदमी और लगायेंगे 60 आदमी। 40 आदमी का पैसा ऐसे ही कर देते हैं। इसलिए इस पद्धति को बदला जाये ताकि सफाई अच्छी तरह से हो सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस हेतु बड़ी अनुभवी फर्मों को ठेका दिया जाये, अगर ठेका पद्धति है तो किसी अच्छी फर्म को दिया जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, जोधपुर का डाक्टर ही पूरे राजस्थान का इलाज कर रहा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह बात सही है कि पूरे राजस्थान में देखा जाये तो जोधपुर के डाक्टर बढ़िया भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मीठी बोली है, अच्छी तरह से बात करते हैं क्योंकि डाक्टर अच्छी तरह से बात कर लें तो मरीज आधे तो वैसे ही ठीक हो जायेंगे।

श्री सभापति: आप मेरा आशय नहीं समझे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, रेडियोलोजी विभाग में, रेडियोलोजी के जो डाक्टर होते हैं उन्हें निरन्तर न्यायालयों में जाने की आवश्यकता रहती है। इससे जनता को बहुत भारी परेशानी रहती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, बस दो मिनट का ही काम है।

मांग संख्या 23 के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि पत्थर खनन श्रमिकों के लिये स्टोन श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की जाये ताकि इन लोगों को सुविधा मिल सके। खनिज रायल्टी से प्राप्त एक प्रतिशत ग्राम पंचायत राशि से श्रमिक कल्याण योजना को पूरा किया जाये।

आपने मेरे को इतना बोलने का मौका दिया, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मगर मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि इन हास्पिटलों...

श्री सभापति: श्री प्रदीप कुमार सिंहजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रही हूं।

श्री सभापति: बस बोल दिया आपने, बोल दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, दो मिनट । सभापति महोदय, 15 महीने हो गये मगर कोई भी हास्पिटल में ऐसा कार्य नहीं हुआ जो पिछली सरकार ने करीब-करीब ....

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, आपका आदेश हो चुका है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): चलिए, हमारे उप नेता महोदय ने कह दिया।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 26 पर निवेदन करने हेतु उपस्थित हूं। सभापति महोदय, जब से चिकित्सा पर मांग शुरू हुई है तब से विपक्ष की ओर से बार-बार आवाज आ रही थी कि इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने कुछ नहीं किया, इसमें कोई सुधार नहीं किये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो ऐतिहासिक काम किया है वह आज से पहले कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री ने विधवाओं, विकलांगों, असहायों और एड्स रोगियों को जो सहायता इस बजट में उपलब्ध कराने की घोषणा की है वह अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। सारा राजस्थान इस बात से आज लाभान्वित होने की स्थिति में है। पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में मुख्य मंत्री बीपीएल परिवारों की मुफ्त इलाज की जो घोषणा की थी उसके अन्तर्गत एक वर्ष में 26 लाख 29 हजार लोगों को ओ पी डी के माध्यम से लाभ मिला है और 3 लाख रोगियों को आई पी डी के माध्यम से लाभ मिला है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, बी पी एल महिलाओं को पिछले वर्ष प्रथम प्रसव पर 5 किलो घी देने की जो घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की थी वह अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था और उस योजना के अन्तर्गत 18,438 महिलाओं को घी के कूपन प्रदान किये गये हैं।

सरकार ने 5 हजार ए एन एम की नियुक्ति करने की जो योजना प्रस्तुत की है उसके अन्तर्गत 2,853 ए एन एम की भर्ती की जा चुकी है। यह अपने आप में एक महती उपलब्धि है सरकार के लिये। 537 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये हैं। 12,18,185 महिलाओं को जे एस वाई योजना में लाभान्वित किया गया है। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को निर्बंध राशि उपलब्ध कराकर सरकार ने मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को मजबूत स्थिति में ला दिया

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। 173 उप स्वास्थ्य भवनों का निर्माण कराया गया। यह बहुत बड़ी बात है।

मैंने छोटी सी बानगी प्रस्तुत की है कि मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान की जनता को क्या दिया। अगर मैं बोलता रहूं तो सारी रात हो जाएगी। इसलिए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इतना ही निवेदन करता हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो मांग है उसके बारे में निवेदन करूंगा।

सिंगोली जो पी एच सी है वह 85 से चल रही है लेकिन एक छोटे से भवन में चल रही है, वहां नये भवन की स्वीकृति कराई जाए। मेरा विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ मुख्यालय पर सी एच सी में फिजिशियन का पद लम्बे समय से रिक्त है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 15,000 की आबादी का कस्बा है, पूरे विधान सभा क्षेत्र में फिजिशियन का पद नहीं होने से मेरी अंतिम पंचायत है जिले की, माण्डलगढ़ की विधान सभा क्षेत्र की, वह जिले से 120 किलोमीटर दूर पड़ती है, फिजिशियन का वहां होना अति आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां फिजिशियन की पोस्टिंग अविलम्ब कराई जाए।

साथ ही बिगोद मेरे यहां बहुत बड़ी पी एच सी है जहां डाक्टर के दो पद थे, पूर्ववर्ती सरकार ने वहां महिला डाक्टर का पद समाप्त कर दिया। 10,000 की आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर माइनोरिटिज की बहुत बड़ी संख्या है और वहां का लोहे का उद्योग राजस्थान में अपना स्थान रखता है, इसलिए वहां महिला डाक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिये। वहां से डिलीवरी कराने के लिए लोगों को भीलवाड़ा तक जाना पड़ता है। यह बहुत ही दुभार्भाग्यपूर्ण बात है। वहां अविलम्ब महिला चिकित्सक की नियुक्ति कराई जानी चाहिये।

सी एच सी माण्डलगढ़ हेतु 108 एम्बुलेंस की मांग माननीय मंत्री से मैं लगातार करता आया हूं, आशा करता हूं, अब की बार जब भी आप प्रदान करायेंगे, राजस्थान में उपलब्ध करायेंगे तब माण्डलगढ़ को आप नहीं भूलेंगे। सी एच सी माण्डलगढ में डाक्टरों के आवास हेतु भी मैं आग्रह करना चाहता हूं। डाक्टरों के आवास नहीं हैं। इससे डाक्टर वहां स्थाई रूप से नहीं रहते। मेरा निवेदन है कि डाक्टरों को आवास उपलब्ध कराये जायें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां ए एन

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

एम सेंटर आज तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। भवन किसी योजना में बन गया लेकिन वहां पोस्टिंग नहीं हो पाई है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत मुख्यालय के साथ-साथ जो बड़े और रिमोट विलेजेज हैं उनमें भी ए एन एम सेंटर्स की स्वीकृति कराई जाए । बड़े गांवों में पहले एड पोस्ट चलती थी जहां पर कम्पाउंडर के पद हुआ करते थे, वहां सीनियर कम्पाउंडर लगते थे वे डाक्टर की बढ़त पाल लेते थे। इसलिए बड़े गांवों में पुन: एड पोस्ट प्रारम्भ की जाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम कोली।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया है मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

यह आवश्यक सेवाओं से रिलेटेड है और जन स्वास्थ्य की बहुत इम्पोर्टेंट मांग है। बजट के माध्यम से जिस तरह की अफवाह मैं सुबह से सुन रहा हूं दो बजे के बाद में, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य पता नहीं, क्या-क्या अलंकृत शब्दों से इसको सराह रहे हैं लेकिन जो बजट है, that is nothing but collection of repetitive data.

तो उस मामले में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। इस मांग के माध्यम से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं पर आ जाता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सी एच सी और एक पी एच सी हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, इस मामले में मैं पूर्व में भी कई दफा मंत्रीजी से मिल चुका हूं, रूपवास सी एच सी पर गाइनिकी डाक्टर नहीं है, जनरल सर्जन नहीं है, कम्पाउंडर नहीं है। इसी तरह से बयाना सी एच सी पर गाइनिकी डाक्टर नहीं है, बाल रोग डाक्टर नहीं है। इसी तरह से रूदावल पी एच सी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद अवश्य है लेकिन आज तक पोस्टिंग नहीं है, जहां जिले में सबसे ज्यादा डिलीवरी केसेज होते हैं। यह उदाहरण है इस सरकार का और आपकी व्यवस्थाओं का। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा मंत्रीजी का जो ग्राफ है वह बहुत अच्छा है लेकिन अगर सरकार की लीक पर चले गये तो अपनी इमेज आप खो बैठेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट से आपका ग्राफ कई मायनों में अच्छे मंत्रियों में है।

(श्री ग्यारसाराम कोली)

दूसरा, सजेशन के तौर पर मेरा सुझाव है, इस पद्धति को और सुधारने के लिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए। मैं मानता हूं कि किन्हीं मामलों में एलोपेथी चिकित्सा बहुत अच्छी है लेकिन सब में नहीं। सरकारों की इस तरह की नीति रही है कि आयुर्वेद को मृतप्राय कर दिया है। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि इसको एक्सपेरिमेंटल यदि माननीय मंत्रीजी इसको टेकअप करें और इसको अच्छा बजट दें। हिन्दुस्तान की यह पुरानी पद्धति रही है। इसकी चिकित्सा प्रणाली इतनी सार्थक है कि शायद एलोपेथी में साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन इसकी किसी भी मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यदि यह प्रभावी रहे तो जनमानस को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

दूसरा, हमारी जो योग प्रक्रिया है इसको बढ़ावा दिया जाए, किसी तरह से इसमें बजट का प्रावधान रखा जाए और आम जनता को इसमें प्रोत्साहित किया जाए। तो यह बहुत अच्छी शुरुआत होगी ओर नेचुरल जो चिकित्सा हमको मिलती है वह इस माध्यम से मिलेगी। दूसरा मैंने जो निवेदन किया है, मृतप्राय आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को कर रखा है, उसमें जान आएगी और निश्चित रूप से कई मामलों में एलोपेथी सार्थक होगी। मेरा व्यक्तिगत है, चिकित्सा मंत्रीजी इस पर थोड़ा ध्यान दें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि अपने क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में डाक्टर का ठहराव सुनिश्चित करें। पहले तो पोस्टिंग करें और पोस्टिंग करने के बाद में डाक्टर का ठहराव हो, ए एन एम का ठहराव हो तब वास्तव में हमारी सार्थकता है। इस समय आप किसी भी पी एच सी को देख लीजिए, मेरे तीनों की, आप अभी फोन करके देख लीजिए, एक भी न डाक्टर मिलेगा, न ए एन एम मिलेगी, न कम्पाउंडर मिलेगा। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं। आप अभी भरतपुर सी एम एच ओ साहब को फोन मिलाकर देख लीजिए, एक भी नहीं मिलेगा। तो यह स्थिति है। इसमें सुधार की आवश्यकता है और अगर सुधारेंगे तो निश्चित रूप से जनमानस को इसका फायदा होगा।

आपने मुझे समय दिया मैं उसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय जी सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 और 23 पर चर्चा हो रही है। मैं मांग संख्या 23 के लिए श्रम व

(श्री भगवान सहाय सैनी)

रोजगार मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कालाडेरा में औद्योगिक क्षेत्र है, काफी पुराना है, लगभग पांच हजार मजदूर वहां काम करते हैं। एक ईएसआई अस्पताल की वहां स्वीकृति दी जाए। साथ ही चौमूं में सहायक रोजगार कार्यालय खोला जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में चिकित्सा के लिए जो राजस्थान की आम जनता को समुचित चिकित्सा व्यवस्था करवाने का बजट दिया है उसके लिए मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्य मंत्रीजी ने और हैल्थ मिनिस्टर महोदय ने, हैल्थ स्टेट मिनिस्टर महोदय, क्योंकि हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब सीकर के प्रभारी मंत्री हैं स्टेट मिनिस्टर, नवलगढ़ भी उधर से आते जाते हैं, इन्होंने चौमूं का ध्यान रखा। मुख्य मंत्रीजी ने चौमूं में ट्रोमा अस्पताल की घोषणा की साथ ही 30 बेड का अस्पताल है उसके बेड बढ़ाने की घोषणा की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बी पी एल को और उसमें वृद्धावस्था और पेंशनर, इनको जोड़ा है वह भी बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन जब बी.पी.एल. दवा लेने हास्पिटल जाता है तो उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता है। सामान्य मरीज और बी.पी.एल. के मरीज में बहुत फर्क किया जाता है। आज एस.एम.एस. हास्पिटल में हालत यह है कि बी.पी.एल. परिवार का कोई व्यक्ति आयेगा, वाल्व चेंज करवाना है तो दो महीने, तीन महीने बाद की तारीख दी जाएगी और सामान्य जो पेशेंट है, अपनी जोड़-तोड़ करके 10 दिन बाद का टाइम ले लेगा। तो, मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान दें।

दूसरा, जयपुर में, एस.एम.एस. हास्पिटल में जो सीटी स्केन मशीन है, एक ही मशीन है, इसलिये बड़ी दिक्कत आती है। सीरियस पेशेंट को 12-12 घण्टे, 24-24 घण्टे बाद की तारीख दी जाती है। अभी एक महीने पहले हालात यह हुए कि एस.एम.एस. हास्पिटल में सीटी स्केन मशीन खराब हो गई और एक दिन नहीं, 15 दिन खराब रही। ऐसी स्थिति में सीरियस पेशेंट को दुर्लभजी अस्पताल भेजकर सीटी स्केन करवाई गई जो कि एक सीरियस पेशेंट के लिये बहुत गम्भीर बात है। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि एस.एम.एस. हास्पिटल में कम से कम दो सीटी स्केन मशीन और कराई जायें जिससे सीटी स्केन में मरीजों को दिक्कत नहीं हो।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारा कालाडेरा का जो पी.एच.सी. है उसको सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें। साथ ही

(श्री भगवान सहाय सैनी)

न गांवों में, किशन मानपुरा, आलेसर, ढोरसर, 3-4 जो बड़े गांव हैं, वहां पी.एच.सी. खोलें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में स्थित राजकीय चिकित्सालय जिला मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय के बाद जिले में सबसे बड़ा चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में जिला मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय से इण्डोर व आउटडोर मरीजों का भार अधिक रहता है क्योंकि यह चिकित्सालय नेशनल हाइ-वे 14 पर स्थित है। चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारियों का 34 का कुल स्टाफ है। कुल 34 पदों में से 17 पद आज भी रिक्त हैं। इन 17 में से एक चिकित्सक बाड़मेर में कार्यरत है और एक को सिरोही के अंदर लगा दिया है। हास्पिटल के हालात ऐसे हैं कि एनेस्थेशिया का डाक्टर भी आज वहां मौजूद नहीं है। इस हालत में आपरेशन करते समय बहुत बड़ी परेशानी आती है। डेढ़ सौ बेड के राजकीय चिकित्सालय में मात्र 15 चिकित्सक ही कार्यरत हैं, यानी मात्र 45 प्रतिशत चिकित्सक ही कार्यरत हैं जबकि चिकित्सालय में मरीजों का भार बहुत अधिक रहता है। इस चिकित्सालय में मारवाड़-जंक्शन, रायपुर, जैतारण, बिलाड़ा, आदि क्षेत्रों से मरीज यहां इलाज हेतु आते हैं। मरीजों की लाइन इतनी बड़ी लगती है कि कभी-कभी 2-2, 3-3 घण्टे मरीजों का उपचार हेतु नम्बर नहीं आता है जिसके कारण मरीजों को बहुत अधिक दुविधा रहती है। कई बार चिकित्सालय का समय पूरा होने के बाद बड़ी मात्रा में राशि देकर मजबूरन चिकित्सकों के घर जाना पड़ता है। इसी प्रकार क्षेत्र के सी.एच.सी. रायपुर, सोजत रोड, चण्डावल, पीपलिया सहित अन्य उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अधिक पद रिक्त होने पर क्षेत्र के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि राजकीय चिकित्सालय, सोजत में सीटी स्केन मशीन लगाने हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से एक लाख रुपये जिला कलक्टर, पाली को भिजवाये गये थे जो 01/2008 में जिला कलक्टर, पाली को प्राप्त हो गये थे। राशि प्राप्त होने के दो वर्ष के उपरान्त भी राजकीय चिकित्सालय में सीटी

(श्रीमती संजना आगरी)

स्केन मशीन स्थापित नहीं होने पर मैंने मुख्य मंत्रीजी से सितम्बर, 2009 में इस सम्बन्ध में वार्ता कर अवगत कराया था। उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शीघ्र ही सीटी स्केन मशीन राजकीय चिकित्सालय, सोजत में लगाने के लिये जिला कलक्टर, पाली को आवश्यक निर्देश दिये थे। उक्त निर्देश की पालना में जिला कलक्टर, पाली ने पत्रांक : चिकित्सा/09, दिनांक 17.09.2009 के द्वारा एक पत्र निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को भिजवाया कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में पार्ट-द्वितीय, नियम 50 (1) के अनुसार रुपये 10 लाख से अधिक मूल्य की मदों का क्रय विभागीय क्रय समिति द्वारा किया जाना है निदेशालय स्तर पर गठित भण्डारण एवं संगठन के माध्यम से तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार उक्त सीटी स्केन मशीन क्रय कर राजकीय चिकित्सालय, सोजत में स्थापित करवाई जाए। इसके बाद 24/11/2009 के द्वारा स्मरण पत्र जिला कलक्टर, पाली द्वारा भिजवाया गया। परन्तु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के द्वारा निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण आज दिन तक सीटी स्केन मशीन राजकीय चिकित्सालय में स्थापित नहीं हो पाई जबकि मशीन हेतु जनवरी, 2006 में जिला कलक्टर, पाली को राशि प्राप्त हो गई थी।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपको ट्रोमा वार्ड के बारे में भी अवगत कराना चाहती हूं कि उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.17/8/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/जी.आर.3/02, दिनांक 18/10/2004 के द्वारा सोजत, भीम, किशनगढ़, शाहपुरा में ट्रोमा यूनिट की स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में सोजत में ट्रोमा यूनिट भवन के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया जबकि सोजत के साथ स्वीकृत अन्य ट्रोमा यूनिट्स के लिये बजट का प्रावधान किया गया है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि हमारे सोजत का जो राजकीय चिकित्सालय है वह नेशनल हाइवे 14 पर स्थित होने के कारण वहां पर आये दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि यहां ट्रोमा वार्ड की आप स्वीकृति दिलायें तो जनता आपका बहुत शुक्रिया अदा करेगी।

माननीय मंत्री महोदय, ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि 1986 में जिला स्तर पर जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था। उस समय ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र जिला मुख्यालय से तहसील स्तर पर स्थानांतरित कर दिये गये थे। वर्तमान में जिला स्तर पर जहां

(श्रीमती संजना आगरी)

जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं वहां पर ए.एन.एम. प्रशिक्षण व जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। जी.एन.एम. के 3 बैच और ए.एन.एम. के 2 बैच एक साथ पाली में चलने के कारण प्रशिक्षण में दुविधा रहती है। राजकीय चिकित्सालय, सोजत 150 बेड का है। ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र को पाली मुख्यालय से तहसील मुख्यालय पर स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में मैं पिछले समय में सम्पूर्ण कार्यवाही कर चुकी थी, मात्र आदेश जारी किया जाना शेष था। अत: आपसे निवेदन है कि इस ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र को सोजत स्थानांतरित किया जाए।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि राजकीय चिकित्सालय, सोजत में सीटी स्केन मशीन शीघ्र स्थापित की जाए, ट्रोमा यूनिट भवन के निर्माण हेतु बजट प्रदान कर ट्रोमा यूनिट भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी करावें। क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को आप शीघ्र भरें और ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र को पाली से सोजत स्थानांतरित करावें। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर को राजकीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए और वहां चिकित्सकों के रिक्त पदों को तुरन्त प्रभाव से भरें। आपसे मेरा निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर के अन्दर गाइनिक डाक्टर की सख्त कमी है। तो तुरन्त प्रभाव से, महिलाओं की यह पीड़ा है उसको जरूर समझेंगे और वहां पर तुरन्त गाइनिक डाक्टर की व्यवस्था कराएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि अभी जो स्वाइन फ्लू पर डाक्टरों को संविदा के ऊपर आपने लगाया था तो अभी आज पेपर के अन्दर यह न्यूज थी, संविदा पर लगाये गये उन डाक्टरों को हटाया जा रहा है। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि पूरे राजस्थान के अन्दर सभी चिकित्सालयों के अन्दर डाक्टरों की सख्त कमी है और विशेष तौर से मेरे सोजत के अन्दर तो 15 डाक्टर ही हैं। तो अगर इन डाक्टरों को आप नहीं हटाएंगे तो गरीब जनता की जो पैरवी होनी चाहिए वह समय पर होती रहेगी। आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि मेरे सोजत अस्पताल के लिये आप विशेष तौर से थोड़ा ध्यान लगाकर 5-10 डाक्टरों की आप भर्ती कराएंगे तो वहां स्पेशलिस्ट डाक्टरों की जो कमी है, वह पूरी हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 के बारे में जो आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 'शरीर माध्यम खलु धर्मस्य' या यूं कहिये- Health is wealth. जिस देश का ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, यह ठीक करो।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): चलो, पंडितजी ने सुधार कर दिया। सुधार सकते हैं। जिस देश या प्रदेश की जनता को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिले तो निश्चित रूप से वह देश और प्रदेश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा।

ज्यादा नहीं बोल कर अभी साहब ने बताया था कि अपने-अपने क्षेत्र तक सीमित रहो तो मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में शय्याओं की बढ़ोतरी की है ओर देव-तुल्य हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी की तो मेरे पर शुरू से ही कृपा रही है। 30 बेड मेटरनिटी, 108 एम्बुलेंस पहले दे चुके हैं और अब भी इनकी कृपा होती जा रही है तो मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभी ने यह कहा है कि एम्बुलेंस दे दो आप तो।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): लक्ष्मणगढ़ तहसील में नया भवन बन चुका है परन्तु वह अभी चालू नहीं हुआ। एक मात्र वहां बोरिंग नहीं है और बोरिंग के पैसे भी सेंक्शन हो गये हैं लेकिन वह पानी की वजह से अभी स्थानांतरित नहीं हो सकी है। मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्यवाही अमल में लायी जाए। झालताला पी.एच.सी. जो पुराने भवन में चल रही है और उसका बजट सैंक्शन हो गया बताया परन्तु उसका काम अभी चालू नहीं हुआ है जबकि गांव वालों ने जमीन उपलब्ध करा दी है।

बहुत से पद चिकित्सकों के खाली हैं। राजगढ़ की बहुत दिनों से मांग होती जा रही है कि गायनिकी डाक्टर लेडीज हो लेकिन वह हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। वह बहुत भारी समस्या है। इसके लिए तो लोगबाग, मैं जब भी जाता हूं तो सबसे पहले यही सवाल रखते हैं। रिक्त पद हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ, लक्ष्मणगढ़ की स्थिति है, कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन-एक, कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी-एक पद, दंत चिकित्सक-एक पद; सात पदों में से चार पद

(श्री सूरजभान धानका)

रिक्त हैं, तीन पद भरे हुए हैं। राजगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञ शिशु रोग, नेत्र रोग, सर्जरी, एनस्थेसिया के एक-एक पद खाली हैं। क्योंकि यह स्टेट हाइ-वे के पास आ गया है और एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, वहां जब सर्जन नहीं होता तो उसकी वजह से कई बार तो मरीज पहुंचते-पहुंचते ही दम तोड़ देता है। पैरा-मेडिकल स्टाफ भी कम है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय का ध्यान रखते हुए मैं पुन: मुख्य मंत्रीजी और हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नगराजजी मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री शाले मोहम्मद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह सारे माननीय सदस्य आपसे एक-एक एम्बुलेंस मांग रहे हैं। आप नीचे 108 नम्बर वाली कुछ एम्बुलेंस मंगवा कर रख लो तो सबको भिजवा दो, बाहर निकलते ही।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मौका तो दीजिए।

श्री सभापति: आज जितने सब माननीय सदस्यों ने इनकी तारीफ की है उससे तो सब घोषणाएं आज हो ही जानी चाहिए। कोई देव-तुल्य बता रहा है, कोई ...(व्यवधान) तुल्य बता रहा है। (व्यवधान)

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): उप नेता महोदय, चिंता मत करो, सबको देंगे मंत्रीजी 108 एम्बुलेंस क्योंकि पूरे प्रदेश में लाभकारी सिद्ध हुई है इसलिए। इसलिए सब लोग मांग रहे हैं। कारण यह है कि जो सेवाएं 108 की मिली हैं उससे सब लोग संतुष्ट हैं और जनता चाह रही है कि इसका लाभ मिले। इसलिए हर आदमी यह कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए। इसलिए आपको भी धन्यवाद देना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माला में मनिये 108 ही होते हैं। जो पहनते हैं न, 108 ही होते हैं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): धन्यवाद। आप पंडितजी हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए।

माननीय सभापति महोदय मैं मांग संख्या-26 पर जो बहुत ही

(श्री शाले मोहम्मद)

महत्वपूर्ण विषय है, चिकित्सा स्वास्थ्य पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी व स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और अच्छी सेवाएं देने के लिए जिस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले बी.पी.एल. के अलावा स्टेट बी.पी.एल. को मुफ्त दवाई देने की जो बात कही थी और खास करके इस बजट में वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, इन सभी को नि:शुल्क दवाइयां देने की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। खास करके जो वृद्धावस्था के व्यक्तियों के लिए इस बजट में जेरिएटिक केन्द्र स्थापित करने की बात कही है, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण घोषणा है।

इसके अलावा काफी घोषणाएं इस बजट में अच्छी हुई हैं। हमारा रेगिस्तानी इलाका है, जनजाति और दुर्गम क्षेत्र में जो नई सी.एच.सी. और पी.एच.सी. खोलने की बात इस बजट में आयी है, क्योंकि हमारा बोर्डर एरिया है, सीमावर्ती इलाके में इन चीजों की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे यहां जो लोग ढाणियों में बसे हुए हैं उनको वास्तव में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिल पा रही थीं क्योंकि पास में जब 80-80, 100-100 किलोमीटर में कोई सी.एच.सी. नहीं हो, पी.एच.सी. नहीं हो तो उन लोगों को आने-जाने में बहुत बड़ी तकलीफें ही होती हैं। तो इस बजट के द्वारा जो खासकर रेगिस्तान इलाके में सी.एच.सी. और पी.एच.सी. की बात की है, मैं समझता हूं कि पश्चिमी राजस्थान की जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। खास तौर पर जो आयुर्वेद पद्धति को और अच्छी मजबूत बनाने के लिए और यूनानी निदेशालय का गठन करने के लिए जो इस बजट में घोषणा की गयी है, मैं समझता हूं कि इन पद्धतियों को भी और अच्छा बनाया जाएगा और इस पद्धति को मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं मंत्रीजी से मेरे जैसलमेर जिले के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है, बिखरा हुआ है और मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर है। बीच बीच में ऐसी कोई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहीं और जगह भी नहीं है। जो सी.एच.सी. हैं उन सी.एच.सी. की शय्याओं की संख्या बढ़ाने के लिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं क्योंकि वहां के लोगों की हमेशा यह मांग रही है। वास्तव में वहां बाबा रामदेव का स्थल है, वहां श्रद्धालु हजारों, लाखों की संख्या

(श्री शाले मोहम्मद)

में आते हैं और यदि ऐसी कोई स्थिति बन जाती है और वहां पर यदि इस प्रकार की सेवाएं नहीं होती हैं तो वहां पर बहुत बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए वहां की जनता की मांग के अनुसार मैं मंत्रीजी से यह करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष तौर से जो पोकरण उपखंड की सी.एच.सी. है, उस सी.एच.सी. में शय्याओं की संख्या बढ़ायी जाए। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में नेशनल हाइ-वे-15 भी है तो वहां पर काफी दुर्घटनाएं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। यदि सी.एच.सी. में शय्याओं की संख्या बढ़ाने के साथ यदि ट्रोमा सेंटर वहां खोला जाता है तो मैं समझता हूं कि यह भी नेशनल हाइवे के होने की वजह से वहां की जनता को इसका फायदा मिलेगा, स्थितियों को कंट्रोल करने में और मजबूती आयेगी।

आपको पिछली बार जब मैंने निवेदन किया था, वहां मेरे यहां पर एक्स-रे मशीन नहीं थी तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक्स-रे मशीन वहां लगवायी, इसके लिए भी धन्यवाद और मैं यह चाहूंगा कि वहां पर सोनोग्राफी और अलग से ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिये जायें ताकि वह सब सुविधाएं वहां के लोगों को मिलें। मैं समझता हूं कि वहां के क्षेत्र में जो भी हमारे वहां पर इंस्ट्रूमेंट की जो जरूरत है, वैसे भी एन.आर.एच.एम. में काफी बजट आपका आ रहा है, उस बजट के साथ-साथ यदि आप ये सब घोषणाएं

(समय : 23.00 बजे)

साथ करोगे तो उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। काफी सब-सेंटर्स हैं और पी.एच.सी. और सी.एच.सी. उस इलाके में जल्दी से जल्दी खोली जायें ताकि वहां की जनता को तुरन्त रूप से उसका लाभ मिलेगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, इसलिये मैं एक बार पुन: आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का और स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी के जिला अस्पताल की तरफ दिलाना चाहूंगा। वहां का जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है, वह 1981-82 में 'बी' ग्रेड हो गया था लेकिन वहां की जनता का दुर्भाग्य है कि उसके बाद से 29-30 साल से आज तक 'बी' ग्रेड ही चल रहा है, 'ए' ग्रेड नहीं हो पाया, जबकि उसके बाद के जो अस्पताल हैं, चित्तौड़ है, बारां है, इसके बाद 'बी' ग्रेड हुए, आज वे 'ए' ग्रेड हैं। बारां तो जिला भी शायद 1982 के बाद बना होगा।

(श्री अशोक डोगरा)

उस अस्पताल की यह स्थिति है कि पीछे की साइड में कोई बाउंड्रीवाल तक नहीं है। लोगों ने अतिक्रमण करके कब्जे कर लिये। जानवर ठेठ अंदर वार्डों तक पहुंच जाते हैं। इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम बिलकुल नहीं है। इतनी गंदगी है कि वहां मरीज तो क्या, यदि स्वस्थ आदमी भी उसके बाथरूम में चला जाये तो वह भी बीमार हो जाये, ऐसी स्थिति है। वहां जो पीने का पानी है, अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी टंकियां हैं और टंकियों के ऊपर कोई ढक्कन नहीं, कुछ नहीं। बंदर भी उसी पानी को ऊपर से पी रहा है, नीचे से मरीज पीते हैं। कोई आर.ओ. या ऐसा कोई सिस्टम कुछ भी लगा हुआ नहीं है, उसकी भी व्यवस्था कराई जाये।

जो मरीजों के अटेंडेंट आते हैं, उनके बैठने के लिये कोई छायादार जगह नहीं है। बाहर उनको धूप में ही बैठना पड़ता है या अन्दर बैठना पड़ता है। वहां पर जनाना वार्ड के पलंग इतने कम हैं कि 100 प्रतिशत ओक्युपेंसी रहती है। लेडिज एक बेड पर दो होंगी या नीचे रहेगी। लेडिज वहां एडमिट होती हैं तो काफी प्राब्लम आती है। वहां के अस्पताल में एक्स-रे और लेबोरेटरी की यह स्थिति है कि जो प्राइवेट लैब वाले हैं, उनका बोलबाला है। उनके एजेंट घूमते रहते हैं। सब वहीं से ही सैम्पल लेकर जाते हैं। जो वहां पर एक्स-रे करने वाले या लैब वाले हैं वह दिन भर में दो-चार सैम्पल लेकर संतुष्ट हो जाते हैं। बल्कि जो एक्स-रे कराने आता है उससे कह देते हैं कि इसकी रिपोर्ट तो कल मिलेगी, तू गांव से आया है, बाहर सामने दुकान पर जाकर करा लें। यह स्थिति हो रही है। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, कम से कम वहां सीटी स्केन की मशीन होनी आवश्यक है।

डाक्टरों की यह स्थिति है कि वहां पर एस एस की दो पोस्टें खाली हैं, जी.एस. की तीन पोस्टें खाली हैं, मेडिकल आफिसर की नौ पोस्टें खाली हैं, एस.एम.ओ. की एक पोस्ट है, वह भी खाली है। सीनियर नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट फर्स्ट की एक ही पोस्ट है, वह भी खाली है। नर्सिंग सेकण्ड ग्रेड की 14 पोस्टें खाली हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की एक ही पोस्ट है, वह भी खाली है, रेडियोलोजिस्ट की पोस्ट खाली है, रेडियोग्राफर की पोस्ट खाली है; फार्मास्टिस की पोस्ट खाली है, सीनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट खाली है। सब तरह से डाक्टर 40 प्रतिशत भी नहीं है।

बूंदी के अस्पताल में कई सालों से सोनोग्राफी की मशीन नहीं थी।

(श्री अशोक डोगरा)

मैंने मेरे विधायक कोष से छह-साढ़े छह लाख रुपये से सोनोग्राफी की मशीन लगा दी लेकिन वह भी ताले में बंद है क्योंकि उससे जांच करने वाला कोई डाक्टर ही नहीं है। अब एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बी.पी.एल. वालों को फ्री इलाज कर रहे हैं, बी.पी.एल. वालों को ही तो देखकर मैंने छह-साढ़े छह लाख रुपये विधायक कोष से देकर सोनोग्राफी मशीन लगाई कि उनका फ्री होगा। उन बी.पी.एल. वालों को भी बाजार में जाकर 200 रुपये, 250 रुपये में सोनोग्राफी करानी पड़ती है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, कम से कम एक रेडियोलोजिस्ट तो वहां पर लगा दें ताकि बी पी एल पेशेंट को तो कुछ न कुछ राहत मिले।

इसके अलावा, सभापति महोदय, वहां टी.बी. का हास्पिटल अलग है। उस हास्पिटल में एक्स-रे जैसी मशीन भी नहीं, जबकि टी.बी. का डायग्नोसिस भी एक्स-रे देखकर होगा। उसमें एक्स-रे भी नहीं है।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ऐसे कस्बे हैं एक तो खटकड़ और दूसरा डाबी, खटकड़ है जो कम से कम 16-17 पंचायतों के बीच एक मुख्यालय टाइप है और जिले से दूर है, वहां कम्युनिटी हैल्थ सेंटर खोलना अति-आवश्यक है; दूसरा डाबी है, डाबी एक ऐसा एरिया है, वह माइनिंग एरिया है, वहां पर 17 पंचायतें लगती हैं और माइनिंग एरिये की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। वहां से कोटा 45 किलोमीटर है और बूंदी 55 किलोमीटर है। वहां का पेशेंट कहां जाये? वहां भी कम्युनिटी हैल्थ सेंटर हर हालत में खुल जाये।

एक और बात है कि जो डाबी है यह एन.एच. 76 पर है। एन एच 76 पर चित्तौड़ से चलने के बाद कोटा तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर ट्रोमा यूनिट की स्थापना हो। कम से कम डाबी एक ऐसी जगह है कि जहां पर एक ट्रोमा सेंटर बनाया जा सकता है। वैसे तो वह माइनिंग का एरिया है, हर खान 50 फीट से ज्यादा गहरी ही है, आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, यदि 108 एम्बुलेंस भी हो जाये तो वहां लोगों को सुविधा मिल जाये।

इसके अलावा डाबी में फीमेल डाक्टर भी होना जरूरी है। वहां लेडी डाक्टर नहीं है इससे वहां औरतों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

जेनेरिक दवाइयों के लिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, बीच में एक कलक्टर साहब आये थे, उन्होंने शुरुआत कराई थी लेकिन उसके बाद वापस डाक्टरों ने जेनेरिक दवाइयां लिखना बंद कर दिया है। यदि डाक्टर्स

(श्री अशोक डोगरा)

जेनेरिक दवाइयां लिखेंगे तो गरीब लोगों को थोड़ा आराम मिलेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 26 और 23 पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। पहले मैं मांग संख्या 23 पर बोलूंगा क्योंकि मांग संख्या 23 पर मात्र दो ही मेम्बर बोल पाये हैं। क्योंकि श्रम विभाग का मामला है, अपने राजस्थान प्रान्त में उन लोगों के बारे में बोलूंगा जिनके पास न जमीन है, न नौकरी है, न फैक्टरी है, न कमाई का कोई दूजा जरिया है। कोई जरिया है तो अपनी शारीरिक मेहनत बेचने के बाद अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इनके बारे में मैं राजस्थान की सरकार...

श्री सभापति: समय का ध्यान रखते हुए ही।

श्री पेमाराम (धोद): बिलकुल निश्चित ही और आप कहो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बैठ जाऊं। बाकी पांच मिनट तो आप सबको इजाजत दे रहे हैं।

इसलिये मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाहूंगा, जो अपना परिश्रम बेचकर अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं। उनके लिये मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनके बारे में सोचें। 20 मार्च, 1952 को सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी घोषित की और उसके बाद बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। पहली दफा 4-10-1971 को अकुशल मजदूरों के लिये 3.25 रुपये राज्य सरकार की तरफ से न्यूनतम मजदूरी घोषित की गयी और उसके बाद 25 जून, 1990 को जब न्यूनतम वेतन 22 रुपये किया गया उस समय मंहगाई का सूचकांक 845 था। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर साफ कहना चाहूंगा कि उन श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने के सवाल पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां, न भाजपा बढ़ाना चाहती है, न कांग्रेस बढ़ाना चाहती है। सन् 1994 में जब न्यूनतम मजदूरी का सवाल आया, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी। इन्होंने जी.पी. त्रिपाठी कमेटी का गठन किया। सर्वसम्मति से जी.पी. त्रिपाठी कमेटी ने रिकमंड किया कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिये और यदि उस कमेटी की मांग मान लेते तो 48 रुपये मजदूरी होती, लेकिन 48 के बजाय 32 रुपये ही मजदूरी उनकी बढ़ाने का काम किया। इसलिये उनकी नीयत भी साफ है कि

(श्री पेमाराम)

मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का इनका भी इरादा नहीं है। उसके बाद, क्योंकि यह मांग इसलिये कर रहे हैं, सरकार अमीरों ..(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, राज्य में न्यूनतम वेतन पिछले टाइम में 2008 में बढ़ाया था। 2008 में जब श्रम सचिव ललित के. पंवार थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने सर्वसम्मति से तय किया कि अकुशल का 175 रुपये किया जाये, अर्द्ध कुशल का 200 रुपये किया जाये और कुशल की 225 रुपये मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिये। भारतीय जनता पार्टी की भी नीयत ठीक नहीं थी, इन्होंने भी जो रिकमंडेशन की, उस रिकमंडेशन को न मानते हुए आंशिक तौर पर बढ़ाकर एक टुकड़ा डालने का मजदूरों के साथ काम किया।

यह इसलिये भी आवश्यक है, माननीय सभापति महोदय, कि बाकी पूरे प्रान्तों में बढ़ा हुआ है। दिल्ली में जहां अकुशल का 1 फरवरी, 2010 का बढ़ाया, आज भी 203 रुपये अकुशल का है, अर्द्ध कुशल का दिल्ली में 225 रुपये है और कुशल का 248 रुपये है और उच्च कुशल का 270 रुपया है। इसी तरह से हरियाणा में, हमारा पडोसी प्रान्त है, हरियाणा में जहां 01.05.2007 से न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, हरियाणा में अकुशल को 135 रुपया है, अर्द्ध कुशल को 140 है, कुशल को 150 रुपया है और उच्च कुशल को इससे ऊपर है। इसी तरह उत्तर प्रदेश ने हालांकि कम बढ़ाया है लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी अकुशल को 111 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी वहां पर है। इसी तरह से केन्द्र सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी घोषित की है, वहां अकुशल का 01.10.2000 को किया 135 रुपया, अर्द्ध कुशल का 169 रुपया, कुशल का 203 रुपया और उच्च कुशल का 237 रुपया।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि महंगाई का जो सूचकांक बढ़ रहा है, अभी दो-तीन माननीय सदस्य बोल रहे थे, वाकई में जो न नौकरी मांग रहा, न फैक्टरी का लाइसेंस मांग रहा और न कोई दूजी मांग कर रहा, महंगाई बढ़ रही है, कर्मचारियों का वेतन बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है तो मैं राजस्थान की सरकार के सामने मांग रख रहा हूं, पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने रख रहा हूं कि निश्चित से यदि उस मजदूर का नहीं बढ़ायेंगे, राजस्थान के विकास में उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी और हम उसके बिना राजस्थान के विकास की कल्पना करें तो वह कोरी कल्पना होगी। इसलिए उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ायी जानी चाहिए। अभी मेरे साथी जैसा कह रहे थे निश्चित रूप से प्रदर्शन

(श्री पेमाराम)

भी हुआ है, तमाम संगठनों ने मांग भी रखी है और उनकी मांग के मुताबिक, आज भी तमाम संगठनों ने बैठकर मांग की है कि अकुशल का प्रतिदिन का 200 रुपया, अर्द्ध कुशल का 225 रुपया प्रतिदिन का और कुशल के लिए 250 रुपया प्रतिदिन की तमाम ट्रेड यूनियन मजदूर, असंगठित मजदूर, तमाम मजदूरों ने की है। मैं उम्मीद करता हूं कि पक्ष और विपक्ष सभी लोग मिलकर उन दुखियारों के दुःख सुनेंगे और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का काम करेंगे। मजदूरों के सवाल पर मुझे यही कहना है।

सभापति महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा के सम्बन्ध में दो ही पाइंट पर मैं बोलूंगा, ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं बोलूंगा। सभापति महोदय, अभी लम्बी-चौड़ी बात चल रही थी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां स्वतंत्रता सेनानी बद्री नारायणजी सोढ़ानी के नाम से जनता ने चन्दा करके करोड़ों रुपये का भवन बनाया और राजस्थान की सरकार को डोनेट भी कर दिया। यह नहीं है कि वह जनता के पास है। 08 मई, 2000 को डोनेट किया। डोनेट के बाद वहां आयुर्वेद चिकित्सक तो बैठता है, इससे पहले वहां पर 13.07.2000 को एक छत के नीचे आयुर्वेद और एलोपेथिक दोनों डाक्टर बैठते थे लेकिन अभी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनको, इनके शासन काल में जाते-जाते हटा दिया वहां से और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोई ज्यादा खोले या और लगाये, वह उम्मीद तो नहीं है लेकिन एक डाक्टर वहां से वहां और बैठ जाता तो बेहतर होता, वहां की जनता को दवा देने का काम करता।

मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां से मैं चुनकर आया हूं, मैं और अमरा रामजी दोनों एक गांव के हैं, धन्यवाद के पात्र तो ये ही हैं, आपको धन्यवाद दूंगा और गहलोतजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस मूंडवाड़ा गांव से हम दोनों विधायक हैं, जहां लादू रामजी सोनी स्वतंत्रता सेनानी हैं। जिस अस्पताल में जमुना लालजी बजाज के नाम पर बजाज ट्रस्ट और गांव के लोगों ने चन्दा इकट्ठा करके जो हास्पिटल बनाया, हमारे गांव के दो बच्चे थे, एक कम्पाउंडर था, एक चपरासी था, आपको धन्यवाद है कि सत्ता में आने के बाद आपने हटा दिया। मेरी मां या अमरा रामजी की मां या गांव की कोई बूढी बुजुर्ग महिला दवा की पर्ची भी लेने के लिए जाए तो बीस किलोमीटर दूर, सीकर से पहले कोई अस्पताल नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको यदि लगा दें तो बेहतर है और नहीं लगायें तो आपको धन्यवाद है।

(श्री पेमाराम)

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि चिकित्सा के बारे विचार करो, राजस्थान की जनता के प्रति खयाल करो बिना राजनीतिक भेदभाव के। सबके साथ न्याय करो। यही कहते हुए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर लालजी बैरवा।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर मेरी मांग रखने का मौका दिया इसलिए आपका तहेदिल से आभारी हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी, अशोकजी गहलोत ने चिकित्सा विभाग पर इतना अच्छा बजट दिया। उनकी प्रशंसा करने में कोई तकलीफ नहीं आती है। सभी सदस्य जो विपक्ष के बोलते हैं और कहते हैं कि गहलोतजी ने क्या बजट दिया, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि त्रेता युग में दो अवतार हुए थे परशुराम और राम, कलियुग में भी दो अवतार मानता हूं, राहुल गांधी और अशोकजी गहलोत। आनन्द आ गया, आनन्द आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अशोकजी गहलोत को अवतार बता दिया तो फिर तो कोई चीज बची ही नहीं है।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): मैं इस बजट के ऊपर ज्यादा नहीं क्योंकि इन बातों को, अगर मैं बजट की प्रशंसा करूं, जितनी करूं उतनी कम है, क्योंकि यह उच्चारण हमारे सभी सदस्यगण ने बता दिया। मैं तो एक हमारे चित्तौड़ जिले में मुख्य मंत्रीजी ने नर्सिंग कालेज खोलकर हमारी जनता पर पुण्य किया इसके लिए तहेदिल से आभारी हूं।

ज्यादा नहीं बोलकर क्योंकि समय कम दे रखा है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में कपासन, भोपालसागर, रासमिया और मण्डफिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर्स के पद रिक्त हैं जिससे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को हर तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है और दुःख का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह व्यवस्था बराबर नहीं हो पा रही है। सभापति महोदय, आगे के लिए यह कहना चाहूंगा कि उपकरणों के संचालकों, आपरेटर्स के पद रिक्त हुए हैं उन पदों को भरने की कृपा करें।

मैं यह कहना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र कपासन के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निम्न उपकरणों की आवश्यकता है। हमारे कपासन स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री शंकर लाल बैरवा)

के अन्दर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, 108 एम्बुलेंस दिलाने की कृपा करें क्योंकि हमारे कपासन होते हुए हाइवे गुजरता है और टोल टैक्स बचाने के लिए फोरलेन को छोड़कर हमारे हाइवे लेन पर कपासन होते हुए सारे वाहन चलते हैं और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हमारे कपासन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ही होते हैं क्योंकि छोटी रोड से वाहन ज्यादा निकलने लगे टोल टैक्स के चक्कर में। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 108 एम्बुलेंस दिलाने की कृपा करें।

कपासन में सोनोग्राफी मशीन की जरूरत है। श्रीमान मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सोनोग्राफी मशीन दिलाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कपासन स्वास्थ्य केन्द्र 50 बेड का अभी है तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि 100 बेड का क्रमोन्नत करने की कृपा करावें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ग्राम पंचायत भानसेन जो भदेसर पंचायत समिति के अन्दर है, ग्राम पंचायत भानसेन के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है; ना वहां पर ए.एन.एम. लगी हुई है। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि वहां उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आदेश फरमाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आकालो ग्राम पंचायत के अन्दर आता है। उनके आस-पास, उस उप-स्वास्थ्य केन्द्र के एरिया की क्षमता करीबन आठ पंचायत आती हैं और आठ पंचायत के अन्दर करीबन 54-55 गांव आते हैं और 54-55 गांवों के अन्दर करीबन 70-80 हजार पब्लिक निवास करती है। मगर वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से छोटी-मोटी बीमारी या डिलीवरी, ऐसी कोई मुसीबत होने पर इन लोगों को या तो उदयपुर या चित्तौड़ जाना पड़ता है। सारे हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं; गरीब, काश्तकार, मजदूर वर्ग ही निवास करते हैं। मैं आपसे अनुरोध, प्रार्थना करता हूं कि उनके पास में पैसों की कमी होती है, उदयपुर, चित्तौड़ जाकर इलाज नहीं करा पाते हैं; मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करता हूं कि हमारे आकोला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने का आदेश फरमाएं आगे के लिए।

(श्री शंकर लाल बैरवा)

माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से पूरे सदन के आशीर्वाद से माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोकजी गहलोत स्वास्थ्य केन्द्र का इसी सत्र में क्रमोन्नत करने का आदेश फरमा रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी, अशोकजी गहलोत की सरकार है, क्या प्रशंसा करूं, जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। जिस तरह कबीरजी ने कहा था ...

श्री सभापति: श्री अनिल जैन। (अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।

ऐसी आशाओं के साथ गहलोतजी की सरकार को प्रणाम करता हुआ, जय हिन्द, जय भारत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कब जा रहे हो आप लोग? जा कब रहे हो?

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ भौगोलिक और पारिस्थितिक, सांस्कृतिक विशिष्टता रखता है और राज्य का दो भाग, जिसमें रेगिस्तान है, पहाड़ी क्षेत्र है और उस जगह में जहां पर लोग छोटी-छोटी ढाणियां बना कर अपने खेतों में अपना अपना घर बना कर रहते हैं, वहां का जो मौसम है वह भी, बारह महीने के मौसम की बात करें तो इतना प्रतिकूल मौसम रहता है राजस्थान के अन्दर, इतनी तेज गर्मी रहती है, लू रहती है, पानी की जहां कमी रहती है तो वहां पर तो बीमारियों को अपने आप ही बुलावा सा मिल जाता है। क्योंकि तेज गर्मी मिलती है तो भी बहुत सारी बीमारियां, उल्टी, दस्त, डायरिया और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और पानी की कमी से, पानी में जो फ्लोराइड है उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमारे प्रदेश में होती रहती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यहां जो मांग संख्या 26 है, उसका जो बजट इसमें दिया गया है उस पर कहना चाहती हूं कि यहां पर एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम पर हम स्वास्थ्य योजनाओं को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वे हैं मातृ

(श्रीमती अनीता सिंह)

एवं बाल मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या को स्थायित्व करना, आदि और इसके अन्दर जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो जो आय-व्ययक का आपका निष्पादन लिखा है इसके अन्दर जो आंकड़े लिखे हैं, उसमें यह देख कर बड़ा अफसोस हमें इस सरकार के ऊपर आता है कि जितनी अनुमोदित राशि आपको दी है उसमें भी आपने कहीं पर कोई खर्च नहीं किया। आपके आर.सी.एच. फ्लेक्सीपूल में 288.53 का बजट था जिसमें आप 100 करोड़ रुपया दिसम्बर तक भी खर्च नहीं कर पाये और सिर्फ 188 आपने अभी तक खर्च किये।

ऐसे ही हम राष्ट्रीय टीकाकरण की बात करें तो उसमें 37.67 आपको बजट दिया गया। आपके पास अनुमोदित बजट है और बड़े शर्म के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि आपने उसमें से सिर्फ 8.91 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये। जिन टीकाकरण के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिन माताओं के लिए हम अस्पतालों में सबसे पहली बात करते हैं कि, भाई, यह बच्चे, जब प्रसव हो तो महिला अस्पताल में पहुंचे, वहां पर उसका अच्छे से प्रसव हो, वहां जो नवजात बच्चा है, नौनिहाल है उसकी सुरक्षा हो, उसकी सुरक्षा के लिए हम टीकों की बात करते हैं तो टीकों में भी हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भी हम बहुत कम हैं। जब टीकों की बात करते हैं तो हमारी जो सदस्या हैं रोहिणीजी, उन्होंने भी कल बात उठायी थी कि टीके जो लगाये जा रहे हैं, वे भी एक्सपारी डेट के बाद के लगाये जाते हैं। हम लोग यहां पर जब विधान सभा में बात करते हैं और ऐसी बातें हमारे पास आती हैं तो बड़ा अफसोस सा भी हमें होता है।

यह प्रसव और जननी सुरक्षा योजना के अन्दर आपका निर्धारित लक्ष्य जो इस बार था, वह था 18,57,780, उसके विरुद्ध में दिसम्बर, 2009 तक केवल 89,00,30 के करीब ही आप कर पाये मतलब उसका आधा भी नहीं हो पाया। इसका भी आप ध्यान रखें कि जो 28 प्रतिशत हमारे यहां हास्पिटलों में पहले हुआ करते थे लेकिन अब जो योजनाएं बहुत सारी चल गयीं जननी सुरक्षा योजनाएं और माताओं, बहनों को जो वहां पर 1,400 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलने लगी है, उससे भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है लेकिन उसके बढ़ने के बावजूद भी आज भी हमारे प्रदेश के अन्दर केवल 62 प्रतिशत महिलाओं के प्रसव संस्थाओं में हो पाते हैं और उससे आगे नहीं हो पाते हैं।

तो यह जब हम माताओं, बहनों की बात कर रहे हैं, हमारा राज्य

(श्रीमती अनीता सिंह)

महिलाओं की दृष्टि से साक्षरता में भी बहुत पीछे है जिनकी 43.85 प्रतिशत ही साक्षरता है। हमारे यहां महिलाएं आज भी संस्था में प्रसव या हास्पिटल में प्रसव की अपेक्षा दाई के द्वारा प्रसव को अधिक महत्व देती हैं। बच्चों के स्वस्थ और जीवित रहने की भी कम सम्भावना से अधिक बच्चों का जन्म, कम आयु में विवाह और लड़का पैदा करने की चाह में प्रदेश में जन्म दर और शिशु मृत्यु दर अधिक बनी हुई है। ऐसी जहां पर हमारे प्रदेश में भावना है वहां पर हमें एक योजना ऐसी बनानी चाहिए जिससे हमारी महिलाएं साक्षर भी हों और अपने इन बातों को समझें भी, उनको वहां जाना चाहिए, इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न आगे से आगे करते रहना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात बार-बार यहां हैल्थ के विषय में की जाती है और जो बात भी कहते हैं कि हैल्थ इज वैल्थ, सबसे पहले अगर कोई चीज चाहिए तो वह चाहिए शरीर की निरोगी काया; सबसे पहला सुख होता है शरीर की निरोगी काया परन्तु जो बजट हमारा हमेशा बनाया जाता है हैल्थ के ऊपर राजस्थान प्रदेश के अन्दर, वह इतना कम उसमें दिया जाता है जबकि हैल्थ ही वैल्थ हम मानते हैं। तो उसमें दस परसेंट या 11 परसेंट बजट हमको हैल्थ के लिए मिलना चाहिए लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि केवल 1.06 परसेंट बजट ही हमारे हैल्थ पर लगाया जाता है जबकि हमें इसमें ज्यादा करना चाहिए, 10, 11 परसेंट हो ताकि हम अपने ग्रामीण एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैल्थ के प्रति कर सकें, उनको दवाइयां दे सकें, गोलियां दे सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने तो अभी बोला ही नहीं, आप कहो तो वैसे ही बैठ जाऊं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप आंकड़ों के उसमें क्यों जा रही हैं? अपने क्षेत्र के बारे में बोलें। सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मुझे महिला के बारे में भी कहना पड़ता है।

श्री सभापतिः फिर आप उसी पर कंसंट्रेट करें। समय का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा आपसे निवेदन है कि महिला और

(श्रीमती अनीता सिंह)

शिशु मृत्यु दर अगर हम आंकड़ों के अनुसार भी देखें तो भारत में हम तीसरे स्थान पर जाते हैं, जो बड़े शर्म का विषय है। हमें ज्यादा इस पर काम करना चाहिए। हमारे यहां शिशु मृत्यु दर कम हो, हमारे यहां मातृ मृत्यु दर जो है वह भी कम होनी चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहती हूं कि मैं नगर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं जो ब्रज का क्षेत्र है और ब्रज का क्षेत्र होने के साथ वह मेवात का भी क्षेत्र है। मेरे यहां के गांवों की बात करें तो मेरे यहां अधिकांश गांवों में तो अस्पताल ही नहीं हैं और जहां अस्पताल हैं वहां डाक्टर नहीं हैं और जहां डाक्टर हैं वहां दवाइयां, उपकरण नहीं हैं और जो उपकरण हैं वे खराब पड़े हैं या उनके इस्तेमाल की जो बात है वह इतनी लचर है कि उसकी देखरेख की कार्यवाही नहीं हो पाती है।

प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में भी अगर जांच कराने के लिए हमारे यहां से लोग आते हैं, एस एम एस अस्पताल में हमारे यहां से लोग जब यहां आते हैं तो भी जो जांच कराने के लिए जायेंगे तो भी डाक्टर उनको निजी अस्पताल हैं वहां पर भेज देते हैं कि वहां से आप जांच कराकर लाइये। क्योंकि एस एम एस में भी कोई मशीन, पता नहीं, ठीक है कि नहीं है; ज्यादातर जो बाहर की हैं कि ओ के में चले जाओ, कोई कहता है कि वैल विन में चले जाओ। दुनिया भर के यहां पर जांच सेंटर खुले हुए हैं, उनके अन्दर भेज दिए जाते हैं। मैं तो इस बात के लिए कि जो ग्रामीण हैं, जो गरीब हैं जिसके लिए हम अस्पताल में सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं उनके लिए निजी लैबों में जाने से उनकी चिकित्सा इतनी मंहगी हो जाती है कि गरीब आदमी तो बिना जांच के ही मर जाता है।

हमारे यहां गांवों में अस्पताल जहां बन गये, कमरे जहां बन गये वहां पर पानी और बिजली का प्रबन्ध नहीं है। इस वजह से वहां पर जो ए एन एम्स हैं, डाक्टर्स हैं उनका ठहराव नहीं होता और जब ठहराव नहीं होता, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसके खिड़की, दरवाजे भी ग्रामीण निकालकर ले जाते हैं और ए एन एम और डाक्टर्स के रहने के जो क्वार्टर्स हैं उनके अन्दर भूसा भरकर उनकी स्थिति जीर्ण-शीर्ण कर दी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इन क्वार्टरों पर इतना रुपया खर्च करते हैं उसके बाद भी आज भी यह स्थिति है कि हमारी ए एन एम्स, हमारे डाक्टर्स कोई भी गांव में रुकते नहीं हैं।

(श्रीमती अनीता सिंह)

सबको बहुत जल्दी होती है कि वे बस हफ्ते में एक आध दिन वहां गांव में आए और जाकर अपने जिलों में चले जाते हैं। मेरा तो निवेदन है, सभापति महोदय, आपसे और मैं माननीय मंत्रीजी को भी एक, सवा साल से लगातार आपके ध्यान में यह बात डालती रही हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर के अन्तर्गत दो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, छह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप बता देना मंत्रीजी को। आप सम अप करो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): साठ उप-स्वास्थ्य केन्द्र इसके अन्दर हैं।

श्री सभापतिः बीस सदस्यों को और बोलना है, माननीय सदस्या।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैं बस अभी जल्दी फिनिश कर दूंगी। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय से लगातार कहने के बाद भी मेरे यहां पर नगर शहर में सात डाक्टरों की पोस्ट हैं और उसमें से मात्र एक डाक्टर है जिसमें गाइनोकोलोजिस्ट....

श्री सभापति: श्रीमती सज्जन कटारा। सम अप करो आप प्लीज।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): महिला की बात हम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही हूं। मेरे क्षेत्र की महिला की जब हम बात करते हैं और वहां पर जब महिला गाइनोकोलोजिस्ट नहीं होती है.......

श्री सभापतिः अब आप विराजो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ...तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि वह कैसे अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जो ....

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): चार लाइन कहूंगी, वह तो कहने दीजिए।

श्री सभापतिः हां, चार लाइन बोल जाओ। बस चार लाइन, पांचवी नहीं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है आपसे कि हमारे यहां जो खाली पोस्टें पड़ी हैं, गाइनोकोलोजिस्ट की नहीं है, मेडिसिन की नहीं है, उनमें कोई डाक्टर्स नहीं हैं। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्रीजी से

(श्रीमती अनीता सिंह)

कि वे साल-सवा साल से तो लगातार मुझे आश्वासन देते रहे, आज तक उन्होंने कोई डाक्टर लगाया नहीं। मेरे यहां से अस्पताल में जो भी महिला जाती है, बच्चे जाते हैं, छोटी सी बीमारी से जाएं...

श्री सभापति: श्रीमती सज्जन कटारा। विराजें, विराजें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ...किसी को खांसी जुकाम भी हो जाए तो उनको रेफर करके अलवर और भरतपुर भेजा जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप जल्दी से जल्दी मेरे यहां पर डाक्टर और ए एन एम लगाएं जिससे कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निवारण हो सके। धन्यवाद।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 और 23 पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करती हूं।

सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि इन्होंने उदयपुर महाराणा भूपाल चिकित्सालय, जो कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में है, एवं पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय में मरीजों हेतु 120 शय्याएं स्वीकृत की हैं जिनमें नब्बे शय्याएं महिलाओं हेतु आरक्षित हैं जो कि राज्य सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को इंगित करता है।

इसी प्रकार महाराणा भूपाल चिकित्सालय में पैंतीस लाख रुपये की फेको इमल्सिफिकेशन मशीन स्थापित करने की स्वीकृति दी है जो मोतियाबिंद आपरेशन में कारगर है तथा जिससे एक छोटे से चीरे के बाद इंजेक्शन के द्वारा मोतियाबिंद के मरीजों में लैंस प्रत्यारोपित किया जा सकता है। उक्त सुविधा से मोतियाबिंद के मरीजों को राहत मिलेगी तथा आपरेशन कराने वाले मरीजों को ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं।

महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर सम्भाग का एक मात्र विशिष्ट वाला राजकीय चिकित्सालय है जिसमें शहरी मरीजों के अतिरिक्त आदिवासी अंचल के मरीज तथा मध्य प्रदेश तथा आसपास के राज्यों के मरीज भी इलाज हेतु आते हैं जिससे चिकित्सालय में मरीजों की संख्या अत्यधिक रहती है और दवाब रहता है। चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक तो है लेकिन उससे भी ज्यादा हमको सफाई की जरूरत पड़ती है। इसे सुनियोजित करने की

(श्रीमती सज्जन कटारा)

आवश्यकता है। चिकित्सालय में वर्तमान में 2009-10 के लिए सफाई वार्ड ब्वाय, वार्ड आया का कार्य, आदि के लिए संविदा सेवाओं में रुपये बावन हजार का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि कम है। सफाई व्यवस्था के लिए 1 करोड़ 17 लाख 77 हजार रुपये सम्पूर्ण वर्ष सफाई के लिए प्रावधान किया गया है लेकिन चिकित्सालय की बढ़ती हुई मांग को, बढ़ते हुए विस्तार और ट्रोमा सेंटर की यूनिट के विस्तार के कारण सफाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरी मांग है मुख्य मंत्रीजी से और चिकित्सा मंत्रीजी से कि इससे ज्यादा बजट आबंटित किया जाए।

कार्य की दृष्टि से प्रत्येक वार्ड में प्रात:कालीन शिफ्ट में दो वार्ड ब्वाय तथा वार्ड आया, दो स्वीपर सायंकालीन और रात्रिकालीन शिफ्ट में भी प्रति शिफ्ट एक वार्ड ब्वाय और स्वीपर की आवश्यकता रहती है। अत: ज्यादा सफाई की जरूरत है। अधिक बजट आबंटन की मैं मांग करती हूं।

ट्रोमा यूनिट हेतु नर्सिंग कर्मियों के पद भी सृजित करने का कष्ट कराएं क्योंकि जिस तरह से मांग बढ़ती जा रही है, मेरी मांग है कि ट्रोमा यूनिट में नर्सिंग कर्मियों के पद स्वीकृत किये जाएं ताकि ट्रोमा यूनिट के मरीजों को वास्तविक रूप से लाभ मिले।

शिशु रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए पीडियाट्रिक आई सी यू का संचालन शुरू कर दिया है किन्तु स्टाफ की कमी होने के कारण उसके संचालन में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु नर्सिंग कर्मियों के पद स्वीकृत कराए जाने की मैं मांग करती हूं।

महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर तथा पन्नाधाय महिला चिकित्सालय, उदयपुर में खाद्य सामग्री के मद में जो राशि दी जाती है प्रति वर्ष, वह बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए कम पड़ रही है। अत: मेरी मुख्य मंत्रीजी से और चिकित्सा मंत्रीजी से मांग है कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। यहां पर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने के कारण क्षेत्र की जनता को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्गीय खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाइट हास्पिटल सेक्टर-6 में स्थित है। यहां पर निम्न पदों की कमी चल रही है, अत: यहां पर स्वीकृति दिलवाने का कष्ट कराएं- वरिष्ठ

(श्रीमती सज्जन कटारा)

विशेषज्ञ शिशु- एक पद रिक्त है, उप नियंत्रक- एक पद, कनिष्ठ विशेषज्ञ रेडियो- एक, नर्सिंग प्रथम- एक, रेडियोग्राफर- दो। इसी प्रकार राजकीय चिकित्सालय, प्रताप नगर भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है एवं यहां भी पद रिक्त हैं। अत: जल्द से जल्द यहां पर भरवाये जाएं ताकि वहां के लोगों की समस्या का निवारण हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सैटेलाइट हास्पिटल, हिरण मगरी, सेक्टर 6 में पेथोलाजी जे एस की पोस्ट की नहीं है तथा डिस्ट्रिक्ट लैब वहां पर बनी हुई है। अत:, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जे एस के अभाव में पेथोलाजी की जांचें नहीं हो रही हैं। पेथोलाजी के जे एस की पोस्ट स्वीकृत कराने का कष्ट करावें जिससे वहां पर लोगों को लाभ मिल सके।

मुख्य मंत्रीजी का, स्वास्थ्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से कई मरीजों को लाभ मिल रहा है। आभार व्यक्त करती हूं कि जेरिएट्रिक केन्द्र खोले हैं, हर जिले में स्थापित किये हैं जिससे वृद्धजनों को सुविधा मिलेगी। 108 एम्बुलेंस में वृद्धि की है...

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): इससे दुर्घटनाओं में जनक्षति से बचा जा सकता है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी का बहुत आभार व्यक्त करती हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग संख्या 26 पर माननीय मंत्री महोदय को अपने कुछ विचार और सुझाव देना चाहूंगी। अगर आपने पहले ही घण्टी बजा दी तो मेरे लिखे हुए जो पूरे पाइंटस हैं वह सारे भूल जाऊंगी। इसलिये निवेदन है आपसे कि..

श्री सभापति: अपने क्षेत्र के बारे में...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं बहुत छोटे में और अपने क्षेत्र के बारे में ही बोलूंगी।

श्री सभापति: सुझाव दे दो आप। समस्या बता दो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, अपने क्षेत्र के बारे में ही बोलना चाहूंगी। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जितने भी सैटेलाइट हास्पिटल्स हैं इनमें से एक सैटेलाइट हास्पिटल आदर्श नगर, अजमेर में स्थित है लेकिन स्टाफ की दृष्टि से पूरे राजस्थान के जितने सैटेलाइट हास्पिटल्स में जितना स्टाफ है उससे यदि तुलना की जाए तो अजमेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल का स्टॉफ बहुत ही कम है। इससे जननी सुरक्षा योजना के जो लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करना है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करना है, यह सब लक्ष्य यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उन हास्पिटल्स में डाक्टर्स की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरा स्टाफ देना पड़ेगा तभी हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेंगे। अन्यथा ये एन आर एच एम की स्कीम 2011 तक तो हमें केन्द्र सरकार का पैसा मिलता रहेगा उसके बाद इन लक्ष्यों को मेंटेन करने के लिए या इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, और कम करने के लिए हमारे पास केन्द्र सरकार की कोई नयी स्कीम आती है तो निश्चित रूप से पैसा मिलेगा अन्यथा पैसा नहीं होगा। तो कैसे हम राजस्थान के मानव स्वास्थ्य को ठीक रख पायेंगे?

19 सितम्बर, 2003 को माननीय अशोकजी गहलोत जब पूर्व में मुख्य मंत्री थे तब आई आई डी पी की योजना से इस सैटेलाइट हास्पिटल के भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ और लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से बहुत सुन्दर हास्पिटल बना। यदि इसकी बिल्डिंग देखें तो कोई यह कहेगा कि यह कोई प्राइवेट हास्टिपल है क्या। बहुत दिनों तक लोग समझ ही नहीं पाये कि यह प्राइवेट हास्पिटल है या गवर्नमेंट का हास्पिटल है। इतनी सुन्दर इसकी बिल्डिंग है। यह हास्पिटल पुरानी बिल्डिंग से नयी बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है लेकिन इसमें स्टाफ इतना कम है कि यदि हम 24 घंटे की, राउण्ड दी क्लाक सर्विस देना चाहें अभी लोगों को और यदि डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे वहां उपलब्ध कराना चाहें तो मात्र एक गायनिकी डाक्टर वहां है हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक डाक्टर 24 आवर्स सर्विस वहां दे? जब कभी हास्पिटल में डाक्टर नहीं होता तो लोग आंदोलन करते हैं, सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि यहां डाक्टर नहीं है लेकिन आम जनता को यह पता नहीं है कि एक डाक्टर 24 घंटे तक कंटीन्यू सेवाएं कैसे दे सकता है। तो इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही सही, वहां पूरे 24 घंटे हम अस्पताल का लाभ उठा सकें और उसकी सुविधाएं आम

(श्रीमती अनिता भदेल)

जनता तक पहुंच सकें इसलिए गायनिकी डाक्टर की वहां व्यवस्था करायें। इंडियन पैरा-मेडिकल हैल्थ सर्विसेज के जो स्टेंडर्ड हैं, उनके अनुसार बताना चाहूंगी, सीनियर स्पेशलिस्ट की एक भी पोस्ट वहां सैंक्शंड नहीं है जबकि मेडिसिन में, गायनिकी में, सर्जरी में, एनेस्थिशिया में एक-एक भी पोस्ट यदि हम देते हैं तो इस प्रकार पांच डाक्टर की 24 घंटे की सुविधा के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार जूनियर स्पेशलिस्ट मेडिसिन में हमारे पास एक एम ओ उपलब्ध है, सर्जरी में एक है, गायनिकी में एक है, एनेस्थिशिया में हमारे पास नहीं है। एनेस्थिशिया का डाक्टर नहीं होने से वहां सीजेरियन आपरेशन की जब बारी आती है तो डॉक्टर को काल करना पड़ता है। कई बार तो डाक्टर उपलब्ध होते हैं, कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब से यह सैटेलाइट हास्पिटल जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हुआ है उसके बाद से लेकर आज तक इस पर बर्डन बढ़ा है, घटा नहीं है। जो लक्ष्य हमारे हैं, चाहे पैरा-मेडिकल स्टाफ हो, चाहे डाक्टर का स्टाफ हो, चाहे मेडिकल आफिसर्स का स्टाफ हो, चाहे जे एस हो, कोई भी यदि हम देखेंगे तो हर चीज में हमें पता पड़ेगा कि कोई भी ऐसी व्यवस्था इतने कम स्टाफ से 24 घंटे की हम लोगों को नहीं दे पायेंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, अजमेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में स्टाफ के आप नये पद सृजित करें। वहां का नर्सिंग स्टाफ मात्र 14 का है। चार वार्ड हैं, मेल, फीमेल, सर्जिकल और गायनिकी। कम नर्सिंग स्टाफ होने के कारण कई बार डाक्टर और नर्स अटेंड नहीं कर पाते। फिर हास्पिटल में उधम होता है कि डाक्टर ठीक प्रकार से नहीं देख पा रहे। लेकिन डाक्टर्स क्या करें? जब इतना कम स्टाफ होगा और 24 घंटे की सुविधा उनको देनी होगी तो निश्चित रूप से अच्छा खासा स्वस्थ इंसान भी झुंझला जाता है फिर डाक्टर्स की क्या स्थिति होती होगी? मेरा आपसे निवेदन है कि इस सैटेलाइट हास्पिटल का हम अच्छे से उपयोग कर पायें, इसके संसाधनों का उपयोग कर पायें इसलिए इसमें डाक्टर्स के पद सृजित करें, पैरा-मेडिकल स्टाफ के पद सृजित करें।

इसके अतिरिक्त आप कई बार अजमेर पधारे हैं, आपने अजमेर सम्भाग के सबसे प्रमुख हास्पिटल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की व्यवस्थाएं भी देखी होंगी, आये दिन अखबारों की सुर्खियां बनता है यह हास्पिटल। कभी तो कैजुअलटी, कभी खराब हो गया, कभी पलंग गिर गया,

(श्रीमती अनिता भदेल)

कभी टेबल गिर गयी, कभी पंखा नीचे गिर गया, कभी प्लास्तर गिर गया। पूरे हास्पिटल में नालियां इस प्रकार बनी हुई हैं कि सीवरेज ओवरफ्लो होकर मेन वार्डों में आ जाता है। सीलन व बदबू से वार्ड इतने बेकार हो गये हैं कि आदमी स्वस्थ होने के लिए आता है लेकिन स्वस्थ न होकर बीमार होकर जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में जो आर्थोपेडिक्स विभाग है, हम जोधपुर में तो फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा कर रहे हैं लेकिन हमारे सम्भाग मुख्यालयों के चिकित्सा केन्द्र जहां हैं और जहां फिजियोथेरेपी की लैब्स बनी हुई हैं पहले उन लैब्स को हम अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करें, नयी मशीनें वहां लगायें। अजमेर की फिजियोथेरेपी लैब में बहुत पुरानी और कण्डम्म मशीनें हैं। अगर कोई पेशेंट वहां एक्सरसाइज के लिए जाता है तो कहीं एक्सरसाइज करते-करते खुद ही दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए इन मशीनों से, इसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है। वह भवन भी बहुत जर्जर हो चुका है और पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के आधार पर अजमेर से प्रस्ताव आपके पास भेजे गये थे, कि जे एल एन की मुख्य सड़क

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के पास की जो जमीन है उस पर किसी प्रकार से दुकानें बनाकर उन दुकानों की रेवेन्यू से जो भी पैसा आये उससे आप फिजियोथेरेपी लैब का भवन बना देंगे तो निश्चित रूप से मरीजों को सहूलियत होगी। इसके अतिरिक्त वहां पर......

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सम अप करो आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपने कहा, अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहें .....

श्री सभापतिः पर बहुत लम्बा चौड़ा....

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने एक सैटेलाइट हास्पिटल की बात कही है और दूसरी सम्भाग के प्रमुख चिकित्सालय की बात कही है।

श्री सभापतिः अब जल्दी करो।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तीसरा पाइंट तो उठाया ही नहीं। माननीय सभापित महोदय, मुझे बोलने तो दीजिये।

श्री सभापति: अब सम अप करो आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सिर्फ चार पाइंट ही बोलूंगी और चार पाइंट से पांचवां नहीं बोलूंगी, समाप्त करूंगी अपनी बात।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो हमारी न्यूरोसर्जरी इकाई है, अजमेर सम्भाग होने के कारण, हाइवे होने के कारण दुर्घटनाएं होकर बहुत सारे लोग एक्सीडेंट होकर आते हैं लेकिन अलग से ओ पी डी नहीं होने के कारण से, अलग से आई सी यू नहीं होने कारण से अनेक बार बहुत गम्भीर रोगियों को भी हमें नीचे जमीन पर डालना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी व्यवस्था भी आप करायेंगे तो उचित रहेगा।

एन आर एच एम के तहत शहरी क्षेत्रों में, कच्ची बस्तियों में और अनुसूचित जाति की कालोनी में जो शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पिछली सरकार ने खोले थे, पांच शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये थे, उनमें से चार प्रारम्भ हो गये हैं। दो साल तक वे केन्द्र चलते रहे और पिछले एक वर्ष से उनमें से तीन केन्द्र बंद हो गये। हमारे पास पैसा भी है और आप यदि उस पैसे का उपयोग करके किसी एन जी ओ को वे स्वास्थ्य केन्द्र चलाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाएं मिल जायेंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करें अब आप। श्रीमती नसीम अख्तर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी।

श्री सभापति: नसीम अख्तर जी। माननीय सदस्य, अब सम अप करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, हमारे यहां आयुर्वेद का डायरेक्टरेट है, मेरा इतना निवेदन है कि होम्योपेथी का डायरेक्टरेट भी खोला जाये क्योंकि उसमें बहुत सारे डाक्टर्स हैं,

श्री सभापति: ठीक है, और बाकी हो तो आप बात कर लेना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ग्रामीण सेवाओं में उन डाक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): समाप्त कर रही हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सफाई और मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर मुख्य मंत्री द्वारा बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के माध्यम से 26 लाख लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायीं जिसमें 28 करोड़ का खर्च हुआ है, यह बी.पी.एल., गरीबों के प्रति मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता का परिणाम है। इसके अलावा वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशनरों को भी नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्वागतयोग्य कदम है। इसमें 65 करोड़ का खर्च होगा। यूनानी निदेशालय के गठन की घोषणा, यह एक अच्छा कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। एन आर एच एम के तहत संविदाकर्मियों का जो मानदेय बढ़ाया गया है...

श्री सभापति: आपकी समस्या नहीं है क्या कोई? यह तो बजट में आ गया, सबने पढ़ लिया, आपकी समस्या नहीं है क्या?

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): जी, जी, समस्या भी रख रही हूं।

श्री सभापति: समस्या बतायें आप।

एक माननीय सदस्य: बोलनें दें, बोलने दें।

श्री सभापति: अपनी समस्या रह जायेगी, समय देखना पड़ेगा।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): जो मुख्य मंत्री ने बजट में दिया वह तो कहना पड़ेगा, मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद भी देना पड़ेगा।

श्री सभापति: हां, वह दे देंगे, मंत्रीजी बोल देंगे वह।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): वर्ष 2010-11 में 108 एम्बुलेंस 150 खरीदी जायेंगी। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का रूपनगढ़ कस्बा जिसमें 50 गांव लगते हैं उसमें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। वहां पर इन गावों की जनता को जिला अस्पताल में जाना पड़ता है जिसमें धन और समय की बरबादी होती है। वहां पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेगी तो मेरे क्षेत्र की जनता बहुत आभारी रहेगी। यह रूपनगढ़ की पी एच सी पूर्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी, उसका पांच लाख का इनाम भी अभी तक पंचायत समिति ने दिया नहीं है। वह एम्बुलेंस के

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

लिए मिला था, वह भी नहीं मिला। अगर यह एम्बुलेंस दिला देंगे तो मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि रूपनगढ़ बहुत बड़ा कस्बा है जिसमें 50 गांव लगते हैं, उसमें जो पी एच सी है उसको आप सी एच सी में क्रमोन्नत कर देंगे तो मेरे क्षेत्र की जनता को बहुत राहत मिलेगी। रूपनगढ़ कस्बा नेशनल हाइवे पर स्थित है, वहां आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं तो मुझे भी जाना पड़ता है, उन सब मरीजों को लेकर के जिला अस्पताल पर जाना पड़ता है।

सभापति महोदय, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जो कि सम्भाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, अजमेर का पेरिफेरी बेल्ट पुष्कर विधान सभा में आता है तो मुझे हरदम जब दुर्घटनाएं होती हैं तो जे एल एन अस्पताल जाना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जे एल एन अस्पताल को जो सौगातें दी हैं वह मैं बताना चाहूंगी, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगी अजमेर की जनता की ओर से। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में 100 शय्याओं की वृद्धि की है, इससे पूरे अजमेर सम्भाग को फायदा मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में 85 लाख रुपये में संक्रामक रोग वार्ड की स्थापना की जायेगी इससे संक्रामक रोग के मरीजों को राहत मिलेगी। एक करोड़ की लागत से शिशु शल्य गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की जायेगी, इससे पूरे अजमेर सम्भाग के बच्चों को असमय संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु से बचाया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य: आराम से बोलें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): आराम से बोल रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर, ए एन एम के ठहराव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और प्रत्येक चिकित्सालय पर जेनेरिक दवाइयों की सुनिश्चितता करनी चाहिए। हर अस्पताल में जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए और डाक्टरों को भी पाबंद करना चाहिए कि वे हर मरीज को जेनेरिक दवाइयां लिखें।

साथ ही साथ मैं एक बड़ी मांग रखने जा रही हूं, मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि बहुत बड़ी मांग हो गयी, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी है तो ग्रामीण मेडिकल कालेज की स्थापना की जाये और

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थापना हो जाये तो बहुत अच्छा कदम होगा। उसका ग्रामीण क्षेत्र की जनता स्वागत करेगी।

सभापति महोदय, अजमेर सम्भाग के सबसे बड़े अस्पताल में आपरेशन थियेटर, इंटेंसिव केयर यूनिट की स्थापना की जाये।

श्री सभापति: पुष्कर की बतायें ना।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मेडिकल विभाग में इंटेंसिव केयर यूनिट के सुदृढ़ीकरण हेतु वेंटिलेटर, कार्डियक मानिटर, इनफ्युज पम्प, एबीजी एनेलाजर की आवश्यकता है। जेएलएन सम्भाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। टी.बी. अस्पताल की भी ज्यादा अच्छी दशा नहीं है, उसका भवन भी अच्छा नहीं है। उसके भवन का या तो जीर्णोद्धार कराया जाये या टी.बी. अस्पताल को मदार सेनेटोरियम में शिफ्ट कर दिया जाये या अन्यत्र शिफ्ट करके इसमें महिला चिकित्सालय की एक यूनिट खोली जाये ताकि महिलाओं को इलाज के लिए जनाना अस्पताल जो दूर पड़ता है उसमें नहीं जाना पड़े।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): दो मिनट सर, एक नया पाइंट है, दो सुझाव हैं।

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य, विराज जायें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): जेएलएन की मोर्चरी के बारे में कहना चाहूंगी, दो मिनट का समय लूंगी, दो-तीन सुझाव और दूंगी, जेएलएन की मोर्चरी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। सम्भाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और उसकी पेरिफेरी बेल्ट है, वह नेशनल हाइवे पर स्थित है। यदा-कदा जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे समय में मुझे जाना पड़ता है। मोर्चरी के बाहर संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी रहती है। लाइटों की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां पहले डीप फ्रीज था जिसमें चार डैड बाडी रखी जाती थीं। उसके खराब होने की वजह से उसको नीलाम कर दिया गया। अब दो डैड बाडी रखी जाती हैं। वहां बड़े डीप फ्रीज की व्यवस्था करायी जाये। क्योंकि जिंदा आदमी की तो सब बात करते हैं मुर्दों की भी बात करनी चाहिए। एक दिन हम सबको वहां जाना है।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

सफाई की व्यवस्था के सुझाव दे दूं, सिर्फ दो मिनट। एक तो शौचालयों का निर्माण होना चाहिए सब जगह और ठोस कचरा प्रबंधन होना चाहिए। कचरे का बड़े वाहनों में परिवहन होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब विराजें। केसाराम जी चौधरी।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): सिर्फ इसी पर बोलना है।

श्री सभापति: हो गया, हो गया, माननीय सदस्य। अब आप विराजें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): दो मिनट, आपने सबको टाइम दिया है। मुझे बोलने का मौका दें।

श्री सभापति: आपको पूरा टाइम दे रहे हैं। अब आप सम-अप करें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): कोई बात नहीं, अपनी बात रख दी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। आज से 6 वर्ष पूर्व राजस्थान में माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया द्वारा स्वास्थ्य परिवार विकास योजना आर एच डी पी योजना के तहत विश्व बैंक की सहायता से, 472.58 करोड़ की सहायता से 32 जिलों में इन हास्पिटलों की दशा सुधारने का काम किया गया। राजस्थान के अन्दर क्रांतिकारी कदम उठाकर के इन हास्पिटलों की दशा सुधार दी। उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से हास्पिटलों के भवनों की तो स्थिति सुदृढ़ हो गयी, अब उन हास्पिटलों को सुधारना है तो इसमें डाक्टरों की जितनी पोस्टें हैं उतने डाक्टर अगर नहीं लिये तो वे हास्पिटल पड़े-पड़े कबाड़ हो जायेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन सी एच सी है, उसमें तीन पद बहुत लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं। डाक्टरों की कमी से हास्पिटल में आज भी उस सी एच सी का आउटडोर अगर देखा जाये तो मात्र 100-125 लोगों का चलता है।

(समय : 24.00 बजे)

डाक्टर नहीं होने की वजह से एक भी पेशेंट वहां नहीं आता है और जो आते हैं तो वे रेफर कर दिए जाते हैं। तो ऐसी सूरत में मारवाड़ जंक्शन में सर्जन, एनेस्थेशिस्ट, एम डी और एक फिजिशियन एम डी के जो तीन पद रिक्त हैं उन पर डाक्टर लगाए जाएं। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, वहां पर जब से पोस्टिंग हुई है तब से वह का वह व्यक्ति बैठा है और उसने बाहर अपनी लैब लगा रखी है। तो अन्दर टैस्ट नहीं करके गरीब लोगों को

(श्री केसाराम चौधरी)

बाहर टैस्ट के लिए वह मजबूर करता है और उनको बाहर टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। इसलिए ऐसे लैब टेक्नीशियन को जो वहां लम्बे समय से लगा हुआ है उसका ट्रांसफर करना चाहिए।

पी एच सी राणावास में दो डाक्टरों के पद हैं और दोनों ही रिक्त हैं। राणावास में कल की घटना है, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसके हास्पिटल से ठीक 100 मीटर की दूरी में एकदम अटैक आया और गिर गया। एक भी डॉक्टर वहां नहीं होने से उसको मारवाड़ जंक्शन लेकर रवाना हुए लेकिन वहां पहुंचते-पहुंचते ही उस व्यक्ति की कल की दुर्घटना में डैथ हो गई। उस अस्पताल में आज की तारीख में एक भी डाक्टर नहीं लगा हुआ है। ऐसी सूरत में मैं मांग करता हूं कि राणावास में अतिशीघ्र डाक्टर लगाया जाए।

पी एच सी कंटालिया में एक डाक्टर बी ई एम ओ सी का पद रिक्त है, वहां पर एक डाक्टर लगाने की व्यवस्था करें। पी एच सी, जोजावर में डॉक्टर एम ओ का एक पद रिक्त है, लगाया जाए।

दुर्गम क्षेत्रों में 150 ब्लाकों में चल चिकित्सा इकाइयां प्रारम्भ करने की घोषणा की है तो मैं मेरे मगरा क्षेत्र की पंचायतों में यह व्यवस्था करने की व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि वहां दुर्गम स्थानों पर लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में यह व्यवस्था चालू करनी चाहिए।

डिगोर और जोगड़ावास में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, रानी, सी एच सी में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है वह भरा जाए। देवली के आउवा में पी एच सी खोलने की मांग करता हूं।

इसके साथ ही आपने यहां पर जयपुर में यूनानी डाइरेक्टोरेट खोलने की घोषणा की है, यह स्वागत योग्य है मगर होम्योपेथी का भी डाइरेक्टोरेट खोलना चाहिए। यहां पर राजकीय चिकित्सालय 180 और 400 एन आर एच एम के पद हैं। इसी तरह राजकीय चिकित्सालयों में 100 से कम और 100 एन आर एम एम, यूनानी के हैं। इसी तरह से होम्योपेथी के 6 कालेज हैं, यूनानी के 2 कालेज हैं। हमेशा होम्योपेथी के 500 डाक्टर हर साल लेते हैं और यूनानी के 100 डाक्टर, दोनों कालेजों से निकलते हैं। होम्योपेथी की विश्व के पहली यूनिवर्सिटी जयपुर में है। यूनानी की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जनता में बेहद लोकप्रिय एवं गरीबों के इलाज में होम्योपेथी चिकित्सा सस्ती है। इसलिए मेरा अनुरोध है, हरेक को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मीठी गोलियां तो दी हैं

(श्री केसाराम चौधरी)

मगर वास्तविक मीठी गोलियां देने वालों को आपने कड़वा घूंट दिया है। मैं मांग करता हूं कि जयपुर में होम्योपेथी का डाइरेक्टोरेट खोला जाए। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः डा. रघु शर्मा। (अनुपस्थित)

श्रीमती गंगा बेन गरासिया।

श्रीमती गंगा बेन गरासिया (पिण्डवाड़ा आबू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर इस बजट भाषण में आम आदमी का ध्यान रखते हुए घोषणाएं की गई हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू अधिक पिछड़ा हुआ और पहाड़ी इलाका है और जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहां दो तहसीलें आती हैं। पिण्डवाड़ा तहसील में 108 एम्बुलेंस अभी कुछ दिन पहले दी गई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का आभार प्रकट करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, स्वरूपगंज उप-तहसील है, उसमें करीब 25 ग्राम पंचायतें आती हैं और 70 गांवों से जुड़ी हुई है। यह कस्बा रेल मार्ग से अजमेर और आबू से और राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 14 पर स्थित है। माननीय सभापति महोदय, यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और अन्य छोटी-मोटी घटनाएं भी होती रहती हैं। इससे आदिवासियों को भारी हानि वहन करते हुए इलाज के लिए गुजरात राज्य के लिए पलायन करना पड़ता है। यहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से गरीब जनता को आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है।

आबू रोड इलाके में मौसमी बीमारियां फैली हुई हैं और उससे अभी काफी लोग बीमार हैं। इस विषय में मेरी वहां के सी एम एच ओ से भी बात हुई है और उन्होंने उदयपुर से टीम मंगवाई है और इलाज चालू है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वरूपगंज सबसे बड़ा कस्बा है और वहां की पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं।

जिला हेडक्वार्टर पर भी डाक्टरों के काफी पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वहां एक ट्रोमा सेंटर भी इसी वित्त वर्ष में खोला जाए तो वहां की आदिवासी और गरीब तबके के लोगों को काफी लाभ होगा और उनके इलाज के लिए फायदा होगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंहजी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 26 और 23 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा जिला जैसलमेर दूसरे जिलों के क्षेत्रफल के हिसाब से छह गुना बड़ा जिला है जबकि वहां चिकित्सा की सुविधाएं बहुत ही कम हैं। जैसलमेर शहर में एक मात्र बड़ा अस्पताल है और वहां से गांवों की दूरी 100 से 150 किलोमीटर है। वहां पर डाक्टरों की कमी है, कम्पाउंडरों की कमी है, टेक्नीशियन्स की कमी है, सफाई कर्मचारियों की कमी है और वहां का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि वहां का गंदा पानी बाहर निकलने की जगह ही नहीं है, बाउंड्री वाल जो बनी हुई है वह जगह-जगह से डेमेज पड़ी है और वहां गंदगी का माहौल बना हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कई सालों से हमारे यहां जो नेत्र चिकित्सक की कमी है उसको जल्दी पूर्ण किया जाए जिससे कि नेत्रों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। वहां जो डाक्टर लगे हुए हैं, वे कई सालों से वहीं हैं। उनका ज्यादा इंटरेस्ट अपनी निजी चिकित्सा पर रहता है, जनता का ध्यान नहीं रखते हैं।

इसी प्रकार की स्थिति गांवों में है। हमारे जैसलमेर क्षेत्र में 750 आबाद गांव हैं लेकिन सब-सैंटर वहां केवल 138 ही हैं। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 15 से 20 किलोमीटर है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पंचायत हैडक्वार्टर पर एक पी एच सी की व्यवस्था करवा दें जिससे कि एक पंचायत हैडक्वार्टर जिसमें कम से कम 5 गांव आते हैं तो उनको वह सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो 750 गांव हैं उनका भी निवेदन करना चाहता हूं, डेजर्ट और रेगिस्तानी इलाके को देखते हुए, पिछड़ा हुआ जिला देखते हुए आप हर गांव में एक ए एन एम की नियुक्ति कर दें तो गांवों को कोई छोटी-मोटी बीमारी के लिए इलाज मिल सकता है।

उसी प्रकार, पूर्व में 2009-10 में ट्रोमा हास्पिटल की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा की गई थी लेकिन उसका आज तक भी न तो काम शुरू हुआ है, टेंडर जरूर सुना है कि हो गया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको जल्दी शुरू करवाया जाए क्योंकि हमारे जैसलमेर क्षेत्र में खनिज के तीन-चार बड़े कस्बे हैं,

(श्री छोटू सिंह भाटी)

वहां आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। आज की भी नई घटना है कि एक रेलवे के क्रासिंग के द्वारा एक एक्सीडेंट हो गया और इसमें चार-पांच आदमियों की जान चली गई। उस ट्रोमा हास्पिटल के न होने से वे आदमी जोधपुर तक नहीं पहुंचे और रास्ते में ही उनकी डैथ हो गई।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे हमारे तीन बड़े कस्बे हैं, मोहनगढ़ है, रामगढ़ है, फतेहगढ़ है, हमारे जैसलमेर में एम्बुलेंस 108 केवल एक ही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक एम्बुलेंस जिसकी भी दूरी सीमित है, 40 किलोमीटर से ज्यादा उसकी दूरी नहीं है और 40 किलोमीटर से ज्यादा वह कवर भी नहीं करती है जबकि माइंस का एरिया 65 किलोमीटर में है। रामगढ़ में भी हमारा हास्पिटल है, मोहनगढ़ में भी हमारा हास्पिटल है, फतेहगढ़ में भी हमारा हास्पिटल है। मेरा निवेदन है कि इन तीनों ही बड़े कस्बों में जो तहसील हैडक्वार्टर हैं, यहां 108 गाड़ी यदि मिल जाए तो हमारे हर तहसील हैड क्वार्टर में 100-100 गांव करीब पड़ते हैं उन 100 गांवों को, माइंस के एरिया को देखते हुए कभी एक्सीडेंट या कभी जननी सुरक्षा के लिए या कभी बड़ी बीमारी के लिए लोग आते हैं, यदि ऐसी एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए जो पूर्व में थी उस हिसाब से तो इन गांवों को पूरी सुविधा मिल सकती है।

इसके साथ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे वहां जो तहसील हैडक्वार्टर में हास्पिटल्स हैं उसमें सांप काटने का और कुत्ते काटने के इंजेक्शन की बहुत कमी आती है। आये दिन सांप काटा लेते हैं जो नहरों में रहते हैं, बाहर जंगल में रहते हैं और वहां जैसे मैं रामगढ़ ही कस्बे की बताता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तो वहां शय्याओं की कमी है, बेड की कमी है, बेड की कमी को देखते हुए वहां कई बार ऐसे चांस आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं या सांप काट लेते हैं या कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत बड़ी बेड की कमी हो जाती है और डाक्टर्स की भी कमी हो जाती है। मेरा निवेदन है, उसके लिए एक्सट्रा बजट देकर बार्डर के, सीमावर्ती क्षेत्र को देखते हुए सांप और कुत्ते काटने का वहां इंजेक्शन एवेलेबल किया जाए और पूरी व्यवस्था करवाई जाए।

इसके साथ में, मेरा निवेदन है सफाई के हिसाब से।

श्री सभापति: संक्षिप्त करो, माननीय सदस्य।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): दो मिनट में करता हूं, साहब।

माननीय सभापति महोदय, सफाई हमारे हास्पिटल्स में चाहे कस्बों की देख लो, चाहे शहर की देख लो, इतनी खराब है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, बाउंडरी वाल सही है नहीं। इसलिए बहुत गंदगी रहती है। यदि स्वस्थ आदमी भी हास्पिटल में जाता है तो वह बीमार होकर आता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले बजट में जैसलमेर के लिए विशेष बजट निकाल कर इसकी बाउंडरी वाल और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खान।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): एक मिनट, साहब, एक मिनट, रोजगार के लिए।

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, रोजगार का सवाल है। जैसलमेर में कई कम्पनियां बाहर से आई हैं और वे रोजगार जैसलमेर के मूल निवासियों को नहीं दे रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसलमेर के अन्दर कई बाहर की कम्पनियां आई हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, केयर्न एनर्जी है, फोकस इंडिया है, कोल इंडिया है, ओ एन जी सी है, वे बाहर के लोगों को नौकरी देती हैं। मेरा निवेदन है रोजगार मंत्री महोदय से कि वहां के लोकल को पहली वरियता दी जाए, जैसलमेर के लोकल को जो वहां के मूल निवासी हैं, इनको रोजगार की पहले व्यवस्था दी जाए।

श्री सभापति: सम-अप करो, माननीय सदस्य।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): और उनको बाध्य किया जाए, बाहर की कम्पनियों को कि पहली वरियता और यदि मजदूरी दी जाएगी तो वहां के लोकल को दी जाएगी।

श्री सभापति: बस, साहब, आप विराजो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): धन्यवाद।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 26 पर अपने तास्सुरात पेश करना चाहूंगा और कबल मैं मंत्री महोदय को मैं यह कहना चाहूंगा कि रात को दिन और दिन को रात हम कहते नहीं, आपको अच्छी लगे वह बात हम कहते नहीं। और शेर अर्ज किया है, जो सारे मरीजों

(श्री अब्दुल सगीर खां)

के हालात हैं कि ''मरीज-ए-इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की।''

सभापति महोदय, the picture painted by members from both the sides about the Medical Department facilities extended to the patients is very dismal, disgusting and very painful. ऐसे हालात हैं पूरे राजस्थान के, जिस तरह से मांगें आ रही हैं कि हमारे पास सीटी स्कैन नहीं है, हमारे पास एक्सरे की मशीन नहीं है, हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, हमारे पास डाक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं हैं, यह पूरे राजस्थान के हर विधान सभा क्षेत्र से जब यह मांग आ रही है, मंत्रीजी, तो मुझे बताइएगा कि इस डिपार्टमेंट के हालात कितने खस्ता हैं? मैं इज्जत करता हूं आपकी, आपकी शराफत की, आपके हुश्न-ए-खुलूश की, आपके हुस्न-ए-अखलाक की, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा हैं लेकिन इससे मैसेज यह जा रहा है कि हमारे चिकित्सा मंत्री बड़े शरीफ हैं, बड़े भोले हैं, बड़े इन्नोसेंट हैं, मैसेज चला जाए कि शरीफ हैं लेकिन अगर किसी को डेरिलिक्शन आफ ड्यूटी में पकड़ा गया तो कितना भी बड़ा डाक्टर हो या पियोन हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, शायद आपने इसको तवज्जह नहीं दी। इसीलिए शिकायतें आ रही हैं कि राजस्थान की हालत बड़ी खस्ता है।

हम बड़े खुश हैं, हमारे पास एक एस एम एस हास्पिटल है जयपुर में। हुजूर, हम सब कूपमंडूक हैं। जरा इस प्रदेश से निकल कर जाकर महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, दिल्ली में देखिए, फाइव स्टार होटल्स की तरह से लीलावती हास्पिटल है, कोकिलाबेन हास्पिटल है। प्राइवेटाइजेशन हुआ है। हमारे यहां हमें देखिए, प्राइवेट हास्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे शर्म आती है कि यहां के प्राइवेट हास्पिटल भी उतने मयार के नहीं है, उस स्टेंडर्ड के नहीं हैं कि हम नाज से कह सकें कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां पर भी वह हमें अच्छी फैसिलिटी देंगे।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप हर जिले के हास्पिटल को इस तरीके का बना दीजिए कि हमें आपके जयपुर के एस एम एस में आने के लिए तब ही जरूरत पड़े जब कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो। लेकिन आज छोटी से छोटी बीमारी के लिए हमें जयपुर रेफर किया जाता है, जाइए जयपुर; जरा भी लगा कि क्रिटिकल कंडीशन है, कौन सिर पर यह बला लेगा, जाइए, एस एम एस जाइए। मंत्रीजी, बड़ी दयनीय स्थिति है। आज

(श्री अब्दुल सगीर खां)

मिडल क्लास का पेशेंट, आप बी पी एल की बात करते हैं, 16 लाख पेशेंट्स जिनका मुख्य मंत्रीजी इलाज करवा रहे हैं, मुझे पता है मैंने भी बहुत सारे लैटर लिखे हैं, तवज्जह दी जाती है, उनका इलाज होता है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और आपकी सरकार का शुक्रगुजार हूं कि आपने बी पी एल के पेशेंट्स के लिए और दूसरी भी घोषणाएं कीं, बहुत अच्छी बात है लेकिन मिडल क्लास जो अपने आपको फन्ने दी ग्रेट मानकर चलता है, इज्जत बनाये हुए है किसी तरह से समाज में, उसकी हालत सबसे ज्यादा बदतर है। वह बी पी एल की फैसिलिटी नहीं ले सकता और वह इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकता।

मंत्रीजी, आपके आदेश हैं कि आप जेनेरिक मेडिसिंस प्रेस्क्राइब करिए। आप राजस्थान के हर हास्पिटल की तीन महीने की इनडोर एडमिशंस के चिट कार्ड मंगा लीजिए, ज्यादातर मेडिसिंस आपको लिखी मिलेंगी, वह ब्रांडेड मेडिसिंस। जेनेरिक मेडिसिंन की कीमत होगी 20 रुपये और ब्रांडेड मेडिसिंस की कीमत होगी डेढ़ सौ रुपये, दो सौ रुपये। यह कमीशनखोरी और प्राइवेट प्रेक्टिस, मंत्रीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, एक बहुत अच्छा स्कूल सिर्फ बहुत अच्छी बिल्डिंग से नहीं बनता। वहां पर बहुत अच्छा अध्यापक हो जो समाज को बदलना चाहता है, जो आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे सके। इसी तरह से हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर से जाना जाता है बहुत खूबसूरत बिल्डिंग से नहीं। आज हमारे डाक्टर्स के अन्दर प्रोफेशनल इथिक्स खत्म हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। भौतिकवादी युग में वे भी इस दौड़ में हैं कि हम करोड़पति कैसे बनें, अरबपति कैसे बनें, लखपति कैसे बनें। मैं कहता हूं कि वे लोग इस एरिया में आयें जो देश की सेवा करना चाहते हैं। यह पैसा कमाने के लिए उद्योग बहुत हैं, बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं. Legal practice is a noble profession. Similarly, the medical practice is also a noble profession. You have to be totally devoted and dedicated to the service of this country. यह भावना, यह जज्बात अगर आपके डाक्टर्स में नहीं होंगे तो गरीबों की सेवा और मरीजों की सेवा नहीं होकर वह सैलून बन जाएगा, वहां हजामत बनाई जायेगी, उनके पैसे, उनकी जेबों को काटा जायेगा।

तो, मंत्रीजी, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान में मैसेज जाए कि मंत्री शरीफ जरूर है, ईमानदार जरूर है लेकिन बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे डाक्टर्स, ऐसे जो भी प्रोफेशनल्स हैं, आज ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट के तहत आपने कितनी कार्यवाही की, फूड

(श्री अब्दुल सगीर खाँ)

एडल्टरेशन एक्ट के तहत आपने कितनी कार्यवाही की? लोग नकली दवाईयां बेच रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हैं, डर किसका होगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें। श्री बाबूलाल जी खराड़ी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप उसमें प्रोविजन लाइये, नॉन-बेलेबल आफेंसेज बनाइये, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कीजिये। यह स्लो पाइजन जो इस समाज को, इस देश को खोखला कर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मंत्रीजी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ...कि आप रेडिकल चैंज लायें और अपनी छवि जो आपने बनाई है उसी के मुताबिक परफार्म करके डिलीवर करके दें, तब आपका नाम होगा। जय हिन्द, जय भारत, जय माता।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल जी खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय सभापतिजी, मैं मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह मानव जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है और महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पैरा नम्बर 49 में जनजाति क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की है, वादा। किया है, स्वागत योग्य है लेकिन, माननीय मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह कहां खोलेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं जीतकर आता हूं वह टोटल ही जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और वे ऐसी जगह निवास करते हैं, बिखरी आबादी है, पहाड़ी एरिया है, दुर्गम क्षेत्र है। आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के नार्म्स क्या हैं? आपने जनसंख्या को, आबादी को आधार माना है। उस आदिवासी क्षेत्र में यह कतई लागू नहीं होगा और इससे उस क्षेत्र का भला आप नहीं कर पायेंगे। अगर आप उस क्षेत्र का भला करना चाहते हो, उस गरीब आदिवासी का करना चाहते हो तो उसको नजदीक स्थान पर अपने इलाज के लिए हास्पिटल उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आबादी का जो आधार है उसको आप खत्म करिये और आप क्षेत्रफल को आधार मानकर के अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे तो निश्चित रूप से उस आदिवासी का भला कर पायेंगे, और होगा।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 3-4-5 पाइंट ऐसे हैं जहां पर आज सख्त से सख्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। आज लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर गाड़ियों से जाकर के, साधनों से जाकर के अपना इलाज कराते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि यह आबादी का जो आपका आधार है वह नहीं चलेगा, इसको संशोधित करके करेंगे तो यह होगा। बागपुरा में, थोबावड़ा में, बीरोठी, ढैया, गोराणा और कोटड़ा में जूड़ा, इन जगह आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे तो वहां की जनता आपका आभार मानेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी पैरा नम्बर 47 में एक और घोषणा की है कि राज्य के जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्रों में हम चल चिकित्सालय प्रारम्भ करेंगे। यह भी स्वागत योग्य है, करना चाहिए लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता आप ग्रामीण क्षेत्र को दो क्योंकि शहरी क्षेत्र में नजदीक हास्पिटल हैं, साधन हैं, लोग साधन-सम्पन्न हैं वे जा सकते हैं लेकिन गांव का आदमी सड़क पर जायेगा, गाड़ी का इंतजार करेगा, गाड़ी समय पर नहीं मिली तो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उस ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए मेरे झाड़ोल और कोटड़ा में ये चल चिकित्सालय प्रारम्भ हों, ऐसा जब आप जवाब दें तब घोषणा करेंगे तो आपको मैं भी धन्यवाद दूंगा। सब लोगों ने आपकी बहुत अच्छी तारीफ की है और होनी भी चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कोटड़ा और झाड़ोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, मैंने बजट पर चर्चा पर भी कहा था कि वहां पर शय्याओं की कमी है, पेशेंट्स बढ़ते हैं तो कई बार होता यह है कि उनको फर्श पर सुलाया जाता है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात कही है, मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि वास्तव में जो महिलाएं होती हैं वे अपनी बीमारी डाक्टर को बता नहीं पाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि झाड़ोल और कोटड़ा में आप एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति करेंगे तो उस क्षेत्र का भला होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा और झाड़ोल दोनों जगह सी एच सी हैं और दोनों ही जगह पूरा का पूरा आदिवासी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दोनों जगह आप सोनोग्राफी खोलेंगे तो लोगों का अहोभाग्य होगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 8.9.2009 को 540 चिकित्सकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किये हैं, फार्म भरवा दिये लेकिन

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

फार्म भरने के बाद में आर पी एस सी नहीं बिठाई। और उसका क्या हुआ, इसका भी आप जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की मांग है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। मारवाड़ी में कहते हैं कि 'पहला सुख निरोगी काया, फिर हो घर में माया'। लोग रात-दिन पैसा कमाने के लिए दौड़ते हैं पर अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जिंदगी चल नहीं सकती। आज है और कल पता नहीं शरीर के साथ क्या होगा। इसलिए शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो तीन-चार मांगे हैं वे आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के पंचायत हैडक्वार्टर ग्राम असोप में सी एच सी है लेकिन यहां पर मात्र एक डाक्टर कार्यरत है और उसका भी एन आर एच एम से अनुबन्ध 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। फिर यह चिकित्सालय बिना चिकित्सक का हो जाएगा। इसलिए मैं यह मांग करती हूं कि इस असोप ग्राम पंचायत में डाक्टर की नियुक्ति की जाए ताकि ग्रामीण जनता को समय पर सही इलाज मिल सके।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सी एच सी ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा चिकित्सालय है लेकिन यहां पर सोनोग्राफी की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ग्रामीणों को 100 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है और उससे ग्रामीणों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि यहां पर शीघ्र ही सोनोग्राफी की मशीन लगवाई जाए जिससे गरीबों को राहत प्रदान हो सके।

इसी चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ का कोई पद सृजित नहीं है। आजकल देखा जाता है कि पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है इसलिए हड्डियां इन्सान की बहुत ही कमजोर हो गई हैं। हर दूसरे दिन अस्पताल में 4-5 मरीज हड्डी के आते हैं लेकिन डाक्टर नहीं होने के कारण से उन्हें जोधपुर भेजा जाता है। जोधपुर भी 100 किलोमीटर दूर पड़ता है और गरीबों को

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

जोधपुर जाने में परेशानी होती है। इसलिए भोपालगढ़ में ही हड्डी रोग का विशेषज्ञ लगाया जाये ताकि गरीब जनता को सुविधा मिल सके। सबसे बड़ा अस्पताल है भोपालगढ़, जहां मात्र 30 बेड ही हैं जबकि यहां पर उप-खण्ड क्षेत्र है। अस्पताल में 50 बेड की घोषणा करें और हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक ही लगायें। ब्लड बैंक, सोनोग्राफी मशीन की अत्यन्त आवश्यकता है और यह आदेश प्रदान कर ग्रामीण जनता को राहत प्रदान करें।

भोपालगढ़ अस्पताल में प्रतिदिन पांच से 10 प्रसव होते हैं। यहां पर प्रसूति आउटडोर में होती है तो यहां पर प्रसूति गृह बनाया जाये। महिलाओं को डिलीवरी होने में कोई कठिनाई नहीं हो, यह भी मैं आपसे मांग करती हूं।

ग्रामीण क्षेत्र में खान-पान इतना कमजोर हो गया है जिससे बच्चों में नेत्र रोग की बहुत समस्या हो रही है। इस चिकित्सालय में नेत्र दृष्टि से रोग निवारण हेतु कोई सुविधा नहीं है, आंखों की जांच का कम्प्यूटर भी नहीं है और न ही नेत्र जांच का कोई उपकरण है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालय के लिए, पी.एच.सी. पर एक नेत्र टेक्नीशियन और सी.एच.सी. पर तीन नेत्र टेक्नीशियन लगाये जायें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं की सही समय पर नेत्रों की जांच हो सके और नेत्र रोगियों का इलाज हो सके। आज के समय में नेत्र की रोशनी कम होती जा रही है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में तो मैं आपसे यह भी मांग करती हूं कि नेत्र चिकित्सालय लगाया जाये और मैं सरकार से यह भी मांग करती हूं।

आपके बार-बार जो भी खड़ा होता है, बहुत-बहुत धन्यवाद देता है। हमारे यहां मारवाड़ी में एक कहावत है। पुराने जमाने में घर का सभी काम महिलाएं करती थीं। आज तो चक्कियां हो गईं, पानी के नल लग गये घर के अन्दर, पहले पानी लेने महिलाएं जाती थीं और घट्टी पीसकर, आटा पीसकर घर वालों को खिलाती थीं। तो ससुर ने सोचा कि मेरी बहू बहुत काम करती है। उसने एक सोने की चूड़ी बनाकर बहू को दे दी। बहू ने घट्टी फेरी हाथ से और सोने की चूड़ी को देखती रही। सुबह तक 50 किलो, 100 किलो तक उसने आटा पीस लिया। ससुर ने सोचा, बहुत अच्छी बात हुई, एक चूड़ी से 100 किलो आटा पीस दिया, दूसरे हाथ में भी एक चूड़ी और पहना दूं। तो दूसरे दिन ससुर ने दूसरी चूड़ी लाकर बहू को पहना दी। उसने क्या किया, कभी यह फेरी देखी, बहुत अच्छी लग रही है; दूसरी बार यह हाथ घुमाया, फिर देखा,

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

बहुत अच्छी लग रही है। तो वह घट्टी तो घूमी ही नहीं, चूड़ी देखती रही। कभी यह कभी वह, समय तो निकल गया। तो मैं आपसे यह मांग करती हूं कि हम बार-बार कहते हैं कि हमारी सरकार बन गई है कड़ी जुड़ गई हैं, इतनी कड़ियां जुड़ गई है तो यह सोच लें कि...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। श्री अर्जुन लाल जी।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ...समय बहुत कम रह गया है। लाओ, ले लो, काम करना है, जो करना है, वह कर लो, समय बहुत कम है। डेढ़ साल निकल गया, और डेढ़ साल बचा है। डेढ़ साल बाद तो ग्रहण लग जायेगा, चिंता लग जायेगी कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं आपसे मांग करती हूं कि राजस्थान की जनता के जो भी काम करने हैं, वह जल्दी से जल्दी करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नवाब साहब, वह चूड़ी कहां है? वह चूड़ी जो आपने पहन रखी है, वह कहां है, सोने वाली?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद।

गत सरकार में, वसुन्धरा राजे की सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मरुधर केसरी रेफरल चिकित्सालय को जिला अस्पताल और 100 शय्याओं का करने की घोषणा की थी और साथ में एक कंडिशन भी थी कि यदि दानदाता इस चिकित्सालय में 100 शय्याओं का वार्ड बनवा देंगे तो इसको जिला अस्पताल कर दिया जायेगा। लेकिन इस सरकार के आते ही, 100 शय्याओं का निर्माण करने के बाद भी पता नहीं, राजस्थान के मुख्य मंत्री जो गांव, गरीब और किसान के हितैषी कहलाते हैं, उन्होंने उस अस्पताल को क्रमोन्नत करने की बजाय अपने विधान सभा क्षेत्र में पावटा सैटेलाइट को जिला अस्पताल कर दिया, वहां पर ट्रोमा सेंटर खोल दिया जबकि जोधपुर के अन्दर एम्स, एम.डी.एम., एम.जी.एस., उम्मेद, इतने ज्यादा अस्पताल हैं। उसके बावजूद भी गांव के बनिस्बत उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र में जिला अस्पताल क्रमोन्नत करवा दिया।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप ये सब इस मिज़ाज से बोल रहे हैं कि सूर्यकांता व्यास जी नहीं हैं। वे यहां होती तो शायद... (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हां, तो मैं पहले ही आपसे निवेदन कर लेता, आपसे अनुमति ले चुका इसके लिए।

ट्रोमा सेंटर की बात रही। ब्यावर से लेकर जोधपुर के बीच में एन.एच. 112 चल रहा है और जैसे ही जोधपुर जिले में प्रवेश करते हैं तो बड़े-बड़े हर पांच किलोमीटर पर बोर्ड लगे हुए हैं कि यह सड़क नहीं, मौत का कुआ है। हर पांच किलोमीटर पर यहां पर गत वर्ष में पांच मौत हो चुकी हैं, कृपया गाड़ी धीरे चलायें। अगले पांच किलोमीटर में बढ़ते हैं, 10 की मौत हो गई, गाड़ी धीरे चलायें। करीब गत वर्ष में 180 मौतें हुई जिनमें 95 लोगों ने मात्र रास्ते में दम तोड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, 135-140 किलोमीटर की दूरी के बीच में कहीं पर भी ट्रोमा सेंटर नहीं है। बिलाड़ा के रेफरल अस्पताल में ट्रोमा इकाई स्थापित करने के आदेश करवायें।

जब भी चुनाव होते हैं, मुख्य मंत्रीजी पीपाड़ शहर में जाते हैं और वे अपना दूसरा घर पीपाड़ शहर को बताते हैं लेकिन वोट लेकर भूल जाते हैं। वहां से भी बराबर मंत्रीजी के पास में भी कम से कम दो बार प्रतिनिधि मण्डल आया है, मुख्य मंत्रीजी से मिलकर गया है मात्र 108 एम्बुलेंस के लिए लेकिन 15 महीने हो गये, आज तक वहां एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

जब मंत्री महोदय से मेरी बात हुई थी तो आपने कहा कि वहां बेड आक्युपेंसी कम है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब आठ विशेषज्ञों के पद सृजित हैं और वहां पर दो डाक्टर काम कर रहे हैं तो वहां बेड आक्युपेंसी कैसे बढ़ेगी? आज भी दो हैं तब भी वहां 70 प्रतिशत बेड आक्युपेंसी है। 100 शय्याओं का अस्पताल बना रखा है, दानदाताओं द्वारा बनाया गया है तो मैं आपसे एक बार पुन: निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और बिलाड़ा में 100 शय्याओं का अस्पताल क्रमोन्नत करायें। इसी तरह से पीपाड़ के अन्दर भी पांच रोग विशेषज्ञ के पद सृजित हैं लेकिन वहां पर दो विशेषज्ञ ही उपलब्ध हैं अभी।

इसके अलावा नगरपालिका क्षेत्र में होम्योपेथी चिकित्सालय निर्माण के लिए मेरा निवेदन है। होम्योपेथी के लिए यूनानी निदेशालय की तरह होम्योपेथी निदेशालय स्थापित करवाने की भी मैं मांग करता हूं।

(श्री अर्जुन लाल)

जोधपुर के अन्दर आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। वहां पर होम्योपेथी, यूनानी और आयुर्वेद, सारे एक छत के नीचे पाठ्यक्रम चलाने का विश्वविद्यालय कर रखा है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उसका नामकरण यदि आयुष विश्वविद्यालय रखा जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): एक सेकंड, साहब। अभी 537 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की थी और शायद खोल भी दिये। मैंने लिस्ट को देखा है। उस लिस्ट को देखकर मैं बहुत हैरान हुआ हूं। बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में एक भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र आपने नहीं खोला है। मैं आपसे पुन: एक बार इसमें पुनर्विचार करने की मांग करता हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 23 और 26 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मात्र 10 मिनट में ही अपनी बात कहकर मैं खुद बैठ जाऊंगी।

श्री सभापतिः 10 मिनट नहीं, माननीय सदस्या, पांच मिनट। पांच मिनट, पांच मिनट।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ठीक है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वह बिलकुल खनन क्षेत्र है और दूर-दूर तक भी वहां पर कहीं एक वृक्ष भी हमें नजर नहीं आता। ऐसे क्षेत्र में मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि वैसे यह एन.एच. 12 पड़ता है, नेशनल हाइवे है और यहां पर एक भी ट्रोमा हास्पिटल नहीं है तो मेरा निवेदन है कि यहां पर ट्रोमा हास्पिटल चालू किया जाय। हमने दो वर्ष पूर्व जन सहयोग से सवा करोड़ रुपये एकत्रित किये और एक नई बिल्डिंग रामगंजमण्डी में हास्पिटल के लिए बनकर तैयार हो चुकी है लेकिन उसमें मात्र पचास बेड सेंक्शंड तो मेरा निवेदन है कि वहां पर सौ बेड सेंक्शंड करवाये जाये ताकि यह जो पुराना हास्पिटल है वहां शिफ्ट हो सके।

दूसरी बात जो हमारा आपरेशन थियेटर है उसमें ब्लड बैंक का भी वैसे रूम तैयार है लेकिन जो हमारा फ्रीजर है, और भी जो वहां के उपकरण हैं, सारे वर्षों से प्रयोग में नहीं लिये जा रहे थे और इसकी वजह से उनमें जंग लग

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

चुकी है। कृपया हमारे ब्लड बैंक का जो ब्लड स्टोरेज यूनिट है उसे शुरू किया जाय।

मोड़क में जो हमारा सी एच सी है उसमें स्टाफ की बहुत ही अत्यन्त आवश्यकता है। मात्र एक डाक्टर वहां पर अभी वर्तमान में है। ब्लड बैंक के लिए रूम भी तैयार है, कृपया यहां पर भी ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू की जाय।

चेचट में सी एच सी क्रमोन्नत हो चुकी है लेकिन किसी विवाद के कारण लगातार चार साल से मैं जब एम एल ए नहीं बनी, उससे पहले से सुनती आ रही हूं, अभी तक भी वहां पर बिल्डिंग तैयार नहीं है, पैसा भी शायद पड़ा हुआ है लेकिन किसी कारणवश वह बिल्डिंग नहीं बन पा रही। तो मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जल्दी से कुछ रास्ता निकाला जाय और यहां पर बिल्डिंग का कार्य शुरू हो। दूसरी बात साथलखेड़ी में भी पैसा स्वीकृत है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है कि जल्दी से यहां पर भी बिल्डिंग बने क्योंकि खनन क्षेत्र है, सारे एस सी, एस टी के लोग रहते हैं और उन्हें सख्त आवश्यकता है कि यहां पर सस्ता इलाज उनको मिले, न कि कहीं कोटा में जाकर या झालावाड़ में जाकर उनको इलाज करवाना पड़े।

एक और बात मैं रखूंगी कि रोगी सलाहकार की नियुक्ति कुछ समय पूर्व की गई थी और मैं मानती हूं कि डाक्टर भले ही अपनी जिम्मेदारी न समझे या कोई ए एन एम भले ही अपनी जिम्मेदारी न समझे, वह यह सोच कर चला जाये कि मेरा ट्रेन का टाइम हो गया है, क्यों न मैं अपने घर पहुंचूं लेकिन जो रोगी सलाहकार है, मेरा मानना है कि शायद राज्य सरकार भी इनसे संतुष्ट होगी, इनके काम से संतुष्ट होगी, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों को हम न हटा कर उन्हें परमानेंट करें, ऐसी मेरी मांग है।

दूसरी बात कहना चाहूंगी कि प्रसव पूर्व जटिलताओं की जांच के लिए सोनोग्राफी मशीन की उपादेयता है, आवश्यकता है लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जिले में कुछ ही चिकित्सालयों में शायद सोनोग्राफी होती होंगी, वह भी नि:शुल्क। तो ऐसी भी हम व्यवस्था करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं उनको कुछ आर्थिक रूप से संबल मिले।

दूसरी बात, मेरा निवेदन है कि निजी एवं सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच रिपोर्ट देने के लिए पेथोलोजिस्ट चिकित्सक ही अधिकृत होते हैं, जहां

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

तक मेरी जानकारी में है, फिर भी शायद ऐसा नहीं हो रहा। जबकि निजी लेबोरेटरी प्रारम्भ करने से पूर्व लैब संचालक का पंजीकरण करना भी होता है। आज हम देख रहे हैं जितनी भी निजी लेबोरेटरी हैं या जो पेथोलोजिस्ट चिकित्सकों के द्वारा, शायद ऐसा कुछ कोई अधिकृत नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इन कमियों को भी हम दूर करें।

अभी बहन नवदीपजी बोल रही थीं कि चालीस किलोमीटर दूर तक 108 जो एम्बुलेंस है वह पहुचंती है। मैंने अनेक बार अपने क्षेत्र की समस्या के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 108 एम्बुलेंस के लिए फोन किया, वह मात्र तीस किलोमीटर तक भी जाने के लिए मना कर देते हैं। तो इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाय। मेरा निवेदन है कि 108 एम्बुलेंस चालीस किलोमीटर तक जाती है तो हर गांव में पहुंचनी चाहिए चाहे रोड टूटा हुआ है तो है उनका जो कर्तव्य है, 108 का जो कार्य है वह पूरा होना चाहिए।

दूसरी बात, बी पी एल काउंटर चालू है लेकिन फिर भी दवाइयां नहीं मिल पातीं। हमारा कोटा का मेडिकल कालेज है, वहां पर अनेक बार मैंने देखा, मैंने कितनी ही बार हास्पिटल में फोन किया लोगों के लिए कि इनको बी पी एल काउंटर से दवाइयां क्यों नहीं उपलब्ध हो रहीं, लेकिन उन्हें अपनी या वहां के विभाग की गलती समझें या कुछ भी मानें, अगर हम लोग फोन करते हैं तो तुरंत उन्हें बी पी एल काउंटर से दवाइयां मिल जाती हैं। तो इन कमियों को भी हम दूर करें।

दूसरी बात, हमारा एमबीएस हास्पिटल कोटा का बनकर तैयार है, बिल्डिंग बनी हुई है, कम्पलीट है और उसे, मेरा करबद्ध मंत्रीजी से निवेदन है कि हो सकता है किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर हो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें। संक्षिप्त करो, माननीय सदस्य।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...लेकिन मेरा निवेदन है कि 70 लाख पापुलेशन आज की तारीख में उस क्षेत्र के आसपास निवास करती है और वहां से न कोई वाहन के आवागमन की, न कोई कोटा में हमारे शहर में आने के लिए व्यवस्था है। तो मेरा निवेदन है कि इस हास्पिटल को, एमबीएस हास्पिटल को जो हमारा मेडिकल कालेज है उसमें शिफ्ट किया जाय ताकि वहां के लोगों को कुछ सहायता मिले।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि सफाई पर चर्चा हो रही है, मेरा निवेदन है कि मेडिकल कालेज हमारा, उस मेडिकल कालेज...

श्री सभापति: श्री रामलालजी गुर्जर। माननीय सदस्या। विराजो। विराजो, विराजो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मात्र एक मिनट। उस मेडिकल कालेज का जो कचरा है, माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा बोलती नहीं हूं, मैं मात्र मेरी बात, मेरी समस्या, क्षेत्र की समस्या रख रही हूं मैं।

श्री सभापति: विराजो अब, हो गया। सफाई की बात हो गई, समझ में आ गया मंत्रीजी के। विराजो। माननीय सदस्या, विराजें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उस हास्पिटल का जो कचरा है पूरा खुले में पड़ा हुआ रहता है, पूरे सीरिंज, इंजेक्शन, बोतलें टूटी हुई, सारी रोड पर पड़ी हुई मिलती हैं। अनेक बार लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया। तो इन पर भी हम ध्यान दें।

दूसरी बात, श्रम और रोजगार की बात हो रही है, उसके लिए एक निवेदन करना चाहूंगी कि पूरा खनन क्षेत्र आज की तारीख में, नरेगा हमारी योजना चल रही है, अगर उस योजना में भी देखें हम तो चालीस रुपये मात्र एक मजदूर को मिल रहे हैं। अगर चालीस रुपये मजदूर को मिलते हैं तो आप देखिये, वह चौदह रुपये का एक किलो आटा लेकर आयेगा, दस रुपये की शक्कर लेकर आयेगा, दस रुपये का दूध लायेगा। वह कैसे अपने बच्चों को पढ़ायेगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो। माननीय सदस्या, अंकित नहीं होगा। यह नरेगा कहां लेकर आ रहे हो बीच में? अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्या। विराजो आप। विराजो। विराजो। विराजो आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): xxx

श्री सभापति: नहीं, आप विराजो। विराजो । श्री रामलालजी।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय सभापति महोदयजी, आपने जो मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो मध्य रात्रि को मेरी ओर से सभी सदन में बिराजमान को राम-राम। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है । (व्यवधान) दोनों मान लीजियेगा, दोनों

(श्री रामलाल गुर्जर)

राम-राम, राम का नाम तो अच्छा ही है। अभी जो यह नये अपने टोटल, आयुर्वेद के जो टोटल हैं 3,665 हैं, 15 नये खोलने का किया, 6 को क्रमोन्नत किया, यूनानी हास्पिटल 105 हैं, 10 नये और 2 क्रमोन्नत किये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने क्षेत्र की बात करो। यह तो बहुत से सदस्यों ने पढ़ लिया, आप अपने क्षेत्र की बात करो।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): नहीं, नहीं, इसमें आथेंटिक कह रहा हूं।

श्री सभापति: फिर समय पूरा होगा।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): नहीं, मैं मेरा अर्जेंट सुलटा दूंगा, सर।

होम्योपेथी के 179 हैं, पांच नये किये, दो किये लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जो है इसके 6 हैं, न ही तो कोई क्रमोन्नत किये, और न ही कोई नये खोले। तो मेरी यह मांग है कि प्राकृतिक चिकित्सा के और हास्पिटल खोले जायें, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोले जायें।

अब आसींद विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसींद है उसमें एक गायनिक का पद रिक्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि यह गायनिक का पद, चूंकि पचास-पचास किलोमीटर की दूरी तक लम्बा गैप, इधर भीलवाड़ा और इधर ब्यावर तक, तो यह गायनिक का पद खाली है यह भरा जाये। एक एम ओ, परिवार कल्याण का पद रिक्त है आसींद में, यह भरा जाये। रघुनाथपुरा में एक पोस्ट कम्पाउंडर की खाली पड़ी है यह भरी जाये। गुलाबपुरा, जो फोर लेन पर है, गुलाबपुरा में एक जे एस मेडिसिन का पद खाली है, एक जे एस सर्जरी का पद खाली है, एक जे एस बाल रोग विशेषज्ञ का खाली है, जे एस आंख कान, नाक, गला खाली है, एक एम ओ एनेस्थेसिया का खाली है, एक एम ओ आर्थोपेडिक्स का खाली है और एक सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट का खाली है। अब सात पद खाली हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि सात पद ये भरे जायें क्योंकि हास्पिटल फोर लेन पर है और अच्छा चल सके।

इसके अलावा यहां पर 50 शय्याएं हैं, 100 शय्याओं की जो मांग कर रखी है, 100 शय्याएं यहां पर उपलब्ध कराई जायें। इसके अलावा फोर लेन है सरेडी स्टेशन, वहां पर ट्रोमा हास्पिटल की डिमांड कर रखी है। लगभग-लगभग पहले तय भी था लेकिन वह नहीं खोला। तो फोर लेन पर यह ट्रोमा हास्पिटल खोले ताकि एक्सीडेंट केस वगैरहा कोई हो तो वहां पर अर्जेंट में सेवा उपलब्ध हो सके।

(श्री रामलाल गुर्जर)

एक सबसे मोटी कमी है, थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, सबको लगेगी, इसमें सबसे मोटी बात यह है कि डाक्टर, कम्पाउंडर, ए एन एम इनका ठहराव अमूमन होता नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम तक तो रुक जाते हैं बाकी चलते रहते हैं, पिओन वगैरहा के भरोसे या वहां कोई कम्पाउंडर नर्स वगैरहा के भरोसे। कहने का मतलब है तो ठहराव निश्चित होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन आधा काम तो ठहराव हो जाएगा तो अपने आप ही इलाज हो जाएगा।

गायनिक का एक पद है, हर तहसील पर होना चाहिए। हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी है, 55 किलोमीटर दूर तक नहीं है। इसलिए शिशु रोग विशेषज्ञ और आर्थोपेडिक का पद आसींद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में खोलने की नई स्वीकृति दी जाए। 108 एम्बुलेंस की सुविधा आसींद में उपलब्ध नहीं है। मंत्रीजी ने गुलाबपुरा में दी है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आसींद में जो एम्बुलेंस है वह बहुत खराब पड़ी है, 95-96 का माडल है और वहीं पड़ी है, वह बिलकुल खराब है, कोई काम नहीं आती है। यह एक मोटी समस्या है तो एक एम्बुलेंस उसको निकालकर नीलाम करके उसकी जगह नई की जाए और एक एम्बुलेंस 108 की सुविधा और उपलब्ध करावें। आसींद में ब्लड बैंक नहीं है। ब्लड बैंक के लिए फाइल आपके जयपुर में आई हुई हैं। यह ब्लड बैंक हो जाए तो यह एक सुविधा मिल जाए। इसके अलावा टीके वगैरहा यहां पूरे लग नहीं पाते हैं।

नेत्र इकाइयों का सुदृढ़ीकरण करके विशेषकर, दांतों के हास्पिटल तो ज्यादा हो रहे हैं, दांतों के डाक्टर भी ज्यादा तैयार हो रहे हैं लेकिन आंखें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आंखों के डाक्टर भी बढ़ाये जाए, यह मेरा पर्सनल सुझाव है क्योंकि आंखों के लिए भटकना पड़ता है। अभी राष्ट्रीय अंधता निवारण के जो कार्यक्रम होते हैं, मोतियाबिंद का जैसा कि सामने मौजूद हैं, 499 इस बार नेत्र शिविर हुए जबकि पिछली बार 1,579 हुए थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा 44.28 लाख, एक मिनट में पूरी कर रहा हूं, एस.एम.एस. हास्पिटल क्योंकि एस.एम.एस. हास्पिटल राजधानी का हास्पिटल है यहां सबको आना पड़ता है। यहां कुछ छोटी-मोटी समस्याओं से मैं अवगत कराना चाहता हूं। एक तो जो ऊपर साइड का हॉल है इसमें एग्जास्ट फैन नहीं है। अन्दर कोई मरीज चला जाए या मरीज के साथ अटेंडेंट चला जाए तो उसको पसीना होकर बड़ी समस्या आती है। इसमें अमूमन जनरल है क्योंकि यह तो सबके काम आता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): इसके अलावा एक वहां पेयजल और टायलेट की व्यवस्था नहीं है। वहां जब मैं गया तो बार-बार यह डिमांड आती है कि पेयजल और...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। जयपुर की स्थिति मंत्रीजी खुद देख रहे हैं। कहां आप जयपुर में आ रहे हो? आपने आसींद वाली बात कर ली।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): मैं फायदे की बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, दीपक तले अंधेरा रहता है, यह तो कुदरत का नियम है, ऊपर वाले ने बना दिया। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: आप विराजें। श्री कानसिंह कोटड़ी।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। स्वस्थ नागरिक राष्ट्र व समाज की मानवीय संपत्ति है। व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उसके कार्य क्षमता में ह्रास होता है जिसका सम्बन्ध राष्ट्र और समाज के समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन हित की दृष्टि से सरकार नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

इस क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्दर 24 पद डाक्टरों के स्वीकृत हैं परन्तु 6 पद रिक्त हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कनिष्ठ विशेषज्ञ और सर्जन के पद रिक्त हैं। सिवाना जैसी 35 हजार व 30 हजार आबादी वाली पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार के पद रिक्त होने से गम्भीर बीमारी में और दुर्घटना के अन्दर उनको जोधपुर में इलाज के लिए जाना पड़ता है। मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अंदर सिवाना, समदड़ी और सिंदड़ी के अंदर महिला चिकित्सक नहीं हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर इन तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्दर महिला चिकित्सक की आप नियुक्ति करें ताकि हमारी महिलाओं को यह प्रसूति के समय सुविधा उपलब्ध हो सके।

मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री कानसिंह कोटडी)

पैरा नम्बर-45 के अन्दर 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर स्टेट हाईवे 38 निकलता है जो सिरोही से बालोतरा जाता है जिसके अन्दर जालोर और मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र का 60 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, आवागमन और रोडवेज और निजी वाहन व्यस्तता के कारण हर समय दुर्घटनाएं बनी रहती हैं। दुर्घटना के समय डाक्टर नहीं होने के कारण और हमारे यहां 108 एम्बुलेंस नहीं होने के कारण जो घायल व्यक्ति हैं उनको तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने का मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

तीसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना जहां पर 35 हजार आबादी है और इनडोर को देखते हुए बेड बढ़ाने का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ढाई लाख की आबादी है और ढाई लाख की आबादी होने के पश्चात् भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है। आपसे पंचायत समिति मुख्यावास सिवाना और समदडी के अन्दर सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने का मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पादरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां पर 15 हजार की आबादी है और उसके पास पंचायतों की जो आबादी है वह करीब 25 हजार के करीब है। इस प्रकार की आबादी को देखते हुए पादरू पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कुछ इस प्रकार की पंचायतें हैं जहां पर सब-सेंटर हैं, जो बरसात के समय नदियों से घिरे रहते हैं वहां पर चिकित्सा सुविधा उस समय उपलब्ध नहीं रहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि करमावास और कोटडी पंचायत के हमा का बाड़ा गांव के पर उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को आप पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री जगसीराम कोली।

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 और मांग संख्या-23 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सफाई पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जो अभी सिरोही जिले के हमारे पड़ोसी माननीय सदस्य ने आबू रोड की जानकारी दी

(श्री जगसीराम)

वह बिलकुल गलत बताई कि 22 और 23 तारीख को दूषित पेयजल से पूरे आबू रोड क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में वहां पर डायरिया जैसी बीमारी फैली। वहां पर 23 तारीख को चार लोगों की मृत्यु जो हुई है...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि डायरिया से वह हुआ, दूषित जल से नहीं हुआ।

श्री जगसीराम (रेवदर): मैं स्वयं खुद वहां पर गया और वहां पर जानकारी मिली कि बनास नदी के किनारे पर जो पानी का ओपन वैल है वहां पर पूरे आबू रोड शहर का कूड़ा कचरा आसपास में डाला जा रहा है और ऐसी भी जानकारी मिली है कि वहां पर कुओं के अन्दर जानवर भी रहे हैं, तो भी वहां पर न कोई ऐसी दवाई डाली गई है। इसलिए मैं तो, सभापति महोदय मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन चार लोगों की जान गई है, सरकार की ओर से उन परिवार के लिए कोई सहायता दी जाए। अभी भी आबू रोड और आसपास के जो गांव और प्राइवेट जो हास्पिटल हैं वहां पर भी कम से कम 200 के आसपास मरीज एडमिट हैं। चिकित्सा मंत्रीजी को अच्छी तरह मैंने निवेदन किया उसी समय, आपने वहां पर व्यवस्था

(समय : 01.00 बजे)

करवायी, इस बात का तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन आज भी अभी भी, आप अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं, वहां पर लोग बीमार हैं।

इस बात के आगे मैं मेरी दूसरी बात को समय के अभाव को देखते हुए कहना चाहता हूं सारी नगरपालिकाओं की स्थिति बिलकुल खराब है और वहां पर कोई किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए, सिरोही जिला चिकित्सालय का जो ब्लड बैंक है वह बंद होने की कगार पर है। यहां पर पेथोलोजिस्ट नहीं होने के कारण इसके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण भी नहीं हो पाया। इस बारे में राज्य सरकार को कई बार लिखा गया है लेकिन यहां पर पेथोलोजिस्ट की नियुक्ति नहीं की गयी है इसलिए इसका पंजीयन नवीनीकृत नहीं हो पाया । सिरोही राजमार्ग संख्या 14 पर है, यहां दुर्घटनाओं में घायलों को खून की आवश्यकता पड़ती रहती है, आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों को इमरजेंसी में पाली भी जाना पड़ता है। इस मुद्दे पर सरकार के गम्भीर नहीं होने से इसे बंद करने के आदेश आ गये हैं।

(श्री जगसीराम)

जिला सिरोही मुख्यालय सहित राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के अधिकांश पद रिक्त हैं तथा सरकार इसके बावजूद जिले के बाहर डाक्टरों का स्थानांतरण कर रही है। सिरोही जिला पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण जैसे शिक्षा विभाग में जिले से बाहर स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसी प्रकार अन्य विभागों में भी विशेषतः चिकित्सा विभाग में स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाए। वहां भी पूरे जिले में चिकित्सकों के रिक्त पद काफी हैं तो इनको जिले से बाहर न भेजें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्राइवेट डाक्टर हैं वे बिना डिग्री के हैं। वहां पर गलत इलाज करने से काफी लोग बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र सिरोही रेवदर जो राजमार्ग 14 पर आया हुआ है वहां पर ट्रोमा सेंटर पूरे सिरोही जिले में नहीं है। तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि रेवदर में या सिरोही जिला मुख्यालय पर ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा करवायें। रेवदर प्रोपर उपखंड कार्यालय है, वहां पर सीटी स्केन की भी सुविधा नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सीटी स्केन की व्यवस्था करावें।

इसके साथ-साथ में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा-पत्र में 108 एंबुलेंस की जो घोषणा की है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर उपखंड कार्यालय में 108 एंबुलेस की घोषणा करावें। इसके साथ-साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र...

श्री सभापतिः श्री बंशीधर खंडेला। माननीय सदस्य, संक्षित करें।

श्री जगसीराम (रेवदर): रेवदर मुख्यालय से, दो-एक छोटी बातें और हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसे वाट आया हुआ है वहां पर भामाशाह द्वारा बिल्डिंग बनायी हुई है, वहां पर स्टाफ की नियुक्ति हो जाए ताकि गांव के लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल सके। इससे आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मैं मांग करता हूं। बासा और मीन में और रेवदर क्षेत्र में बुरारीखेड़ा, दादरला बाड़का, रानाडी, देवका, इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मैं मांग करता हूं।

श्री सभापतिः श्री बंशीधर खंडेला।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 और 23 पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

मारवाड़ी में कहावत है कि 'निरोगी काया, सुखी इंसान'। मेरे खंडेला विधान सभा क्षेत्र में दो सामुदायिक केन्द्र हैं, सी एच सी। खंडेला के अन्दर सी एच सी में तीन पोस्टें हैं, एक जे.एस. मेडिसिन की खाली है, एक जे.एस. सर्जन की खाली है; उन दोनों के अगेंस्ट में साधारण एम बी बी एस डाक्टर लगा रखे हैं उनसे कोई फायदा नहीं है। एक जे एस गायनिक है, वह लेडीज नहीं है जेंट्स है। उसके कारण भी महिलाएं प्रसूतिकरण के लिए बहुत कम आती हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि ये दोनों-तीनों पोस्टें भरी जाएं जिससे कि वहां हास्पिटल का काम सुचारू रूप से हो सके। खंडेला के अन्दर जो सी एच सी है, लैब के नाम की कोई चीज नहीं है। सारी लैब बेकार पड़ी है। एक एक्स-रे मशीन है, वह बहुत पुरानी हो चुकी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि 300 एमई की मशीन आती है नयी, वह वहां लगायी जाए जिससे कि आने वाले समय में लोगों को सुविधा हो सके। एक वहां पर ब्लड बैंक की बहुत जरूरत है। डेजर्ट एरिया है, उसमें ब्लड बैंक आस-पास है नहीं। कोई जरूरत पड़ जाए तो ब्लड बैंक के लिए भी वहां जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह भी चाहूंगा कि वहां सोनोग्राफी की कोई सुविधा नहीं है। तो लैब के हिसाब से वहां एक सोनोग्राफी भी लगायी जाए।

दूसरी सी एच सी है मेरी रींगस में। रींगस नेशनल हाइवे-11 पर स्थित है। सेम हालत उसकी भी है। वहां एक गायनिक की खाली है और दूसरी मेडिसिन की भी खाली है। वहां स्टाफ पूरा लगाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, नेशनल हाईवे नंबर-11 पर होने के कारण वहां हर टाइम दुर्घटना होती रहती है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि रींगस के अन्दर ट्रोमा यूनिट खोली जाए जिससे हर एक्सीडेंट होने वाले को सुविधा मिल सके। लेबोरेटरी में भी उसकी यही हालत है। इसके अन्दर भी न तो कोई ब्लड बैंक है और न ही कोई एक्स-रे मशीन है, वह भी खराब है 300 एमई की मशीन वहां भी लगायी जाए। एक सोनोग्राफी भी लगायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खंडेला विधान सभा क्षेत्र में जो पी एच सी है वह नाम की है। वहां न तो कोई स्टाफ है। किसी में डाक्टर है तो कम्पाउंडर नहीं है और कम्पाउंडर है तो डाक्टर नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां पूरा स्टाफ लगाया जाए और मेरे विधान सभा क्षेत्र में नयी पी एच सी खोली जाएं।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

माननीय मंत्री महोदय, दो ऐसी बिल्डिंगें हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, एक गुरादा गांव हैं वहां भामाशाहों ने बिल्डिंग बना कर तैयार कर रखी है, यदि आप वहां पी एच सी खोल दें तो वहां आस-पास के डूंगर के इलाकों के लोगों को फायदा मिलेगा। एक गढ़भोपजी में बिल्डिंग बनी हुई तैयार है दानदाता के द्वारा और वह बिल्डिंग तो आपके कालाडेरा में जो बिल्डिंग है उसकी बिलकुल नकल से बनी हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों जगह जो बिल्डिंग हैं, वहां तो सरकार को केवल स्टाफ ही भेजना है बिल्डिंग का कोई पैसा नहीं लगाना है। तो प्राथमिकता से यहां पी एच सी खोली जाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं जिससे कि आस-पास के लोगों को सहायता मिलेगी। इसके अलावा एक पणिहारा, गोविन्दपुरा, तपिपला, दादियारामपुरा, इन चारों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरूर खोला जाए जिससे लोगों को दूरदराज नहीं जाना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, जो दवाइयां डाक्टर लिखते हैं, वे बहुत महंगी दवाइयां जिनमें कमीशन ज्यादा मिलता है वे लिखते हैं, जेनेरिक दवाइयां कोई नहीं लिखता। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डाक्टरों को ताईद करें कि वो जेनेरिक दवाइयां भी लिखें जिससे गरीब आदमी आराम से अपना इलाज करा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खंडेला दूरदराज में पहाड़ी एरिया में बसता है वहां 108 एंबुलेंस नहीं है। तो एक 108 एंबुलेंस भी दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज और बताना चाहूंगा कि 24 तारीख के अख़बार में छपा था कि ग्राम सीकर के पास में विदोड़ी छोटी के अन्दर उप-स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर आम सभा में ए एन एम ने सरपंच से हाथापाई, गाली-गलौच की। क्यों की,..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें। श्री आदराम जी मेघवाल। विराजें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): एक मिनट आप दें, एक मिनट में बोल रहा हूं।

श्री सभापति: अब यह आम सभा में और यह नर्स का किस्सा। विराजें। विराजें आप।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): एक मिनट, पाइंट तो पूरा कर लेने दें।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

सभापति महोदय, पाइंट पूरा करने दो। आधा मिनट के लिए बोल रहा हूं इतनी देर में बोल देता।

श्री सभापतिः तो पाइंट बताओ न, कहां बीच में ये ग्राम सभा की और इनकी।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मेरे को बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

श्री सभापतिः आदराम जी, एक मिनट। आप सम-अप करें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आधा मिनट में कर रहा हूं। सभापति महोदय, सीकर के अन्दर विदोड़ी छोटी उप-स्वास्थ्य केन्द्र है, उसका 24 तारीख को अख़बार में पढ़ा मैंने, उसकी कटिंग भी मेरे पास है कि वहां पर ए एन एम आती नहीं है। लोकल ए एन एम है वहां की, उसके कारण उसको सैलेरी सर्टिफिकेट सरपंच से लेना पड़ता है, आम सभा में उसने लड़ाई की। उन्होंने उसके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव लिया, पंचायत ने आप लोगों के पास सबके भेजा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे कर्मचारियों को वहां से हटाया जाए जिससे आम जनता सुख से रह सके। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री आदराम जी मेघवाल।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मेरे पीलीबंगा रावतसर में 50 बेड का ट्रोमा अस्पताल बजट में दिया है उसके लिये मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, सरदारशहर से हनुमानगढ हाईवे पर रोजाना दो-तीन घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए यह जो ट्रोमा अस्पताल दे दिया इसके लिये स्वास्थ्य मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

पीलीबंगा रावतसर से 40-45 किलोमीटर पड़ता है और हनुमानगढ़ से 30-35 किलोमीटर पड़ता है। वहां के लिये मैंने पहले भी स्वास्थ्य मंत्रीजी को लिखकर दिया था कि वहां 6 केन्द्रों पर एक ही डाक्टर और एक ही डाक्टरनी है। बड़ा शहर है और रेलवे का आवागमन भी है, कोयला ढोती है और बीकानेर आना जाना है; दूसरा बीकानेर-हनुमानगढ़ हाइवे है उसमें कोई न कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसलिए मेरी स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मांग है कि वहां 6-7 डाक्टर होने चाहिये जबकि वहां दो ही हैं। वहां गरीब जो देहाड़ी करते हैं और हरेक जाति के हैं, वहां पूरा इंतजाम नहीं है। हनुमानगढ़ 35 किलोमीटर दूर पड़

(श्री आदराम मेघवाल)

जाता है। मैंने स्वास्थ्य मंत्रीजी को डाक्टर्स के लिये लिखकर दिया था, वे अभी तक नहीं लगे हैं। वहां अभी जरूरी हैं क्योंकि डाक्टर, डाक्टरनी के बिना वहां बहुत परेशानी है। वहां नगर पालिका है, बड़ा शहर है, वहां बड़ी मुसीबत है। इसलिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री से कहना है कि वहां 6 के 6 डाक्टर डाक्टरनी भरने जरूरी हैं। वहां एम्बुलेंस भी जरूरी है । वहां से 20 किलोमीटर गोलुवाला पड़ता है। गोलुवाला से 35 किलोमीटर हनुमानगढ़ पड़ता है, रावतसर से 60 किलोमीटर पड़ जाता है। वहां न तो कोई डाक्टर है, न डाक्टरनी है, एक कम्पाउंडर है। छोटी-मोटी ढाणी है और भारी मुश्किल है। वहां डिलीवरी हो जाती है तो कोई साधन ही नहीं मिलता है। इसलिए मेरा कहना है कि वहां डॉक्टर देना बहुत जरूरी है। पीलीबंगा और गोलुवाला में एक एम्बुलेंस मिल जाये तो भी ठीक है। रावतसर में तो दे दिया बहुत बढ़िया।

पंजाबी में एक कहावत कहते हैं कि आशा तो बहुत होती है पर रहती है अधूरी, राम से और राज से मांगने में कोई दोष नहीं है। इसलिए पीलीबंगा और गोलुवाला में डाक्टर लगाये जाये। मेरे को मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, इस चिकित्सा और स्वास्थ्य की मांग के सम्बन्ध में जितने भी माननीय सदस्य हैं वे खुल कर बोलें और उन सबको समग्र अगर करते हैं तो चिकित्सकों के रिक्त पद होना, गायनोकोलोजिस्ट चिकित्सकों के नहीं होना, फीमेल गायनोकोलोजिस्ट नहीं होना, एनेस्थेटिस्ट नहीं होना और टेक्नीशियंस। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, यह बजट न हम कहीं लेकर गये, न आप कहीं लेकर जाने वाले हो। वित्त विभाग जल्दी से नहीं करने वाला, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं करने वाला, वहां से तो खीच कर लाना पड़ेगा। यह सेंटर का भी है, सी एस एस की स्कीम हैं, उसके साथ में स्टेट का भी पैसा है। दो साल तक तो सारा पेमेंट ही वही देंगे, क्रमोन्नत करने में आपकी कंजूसी किस बात की? लेकिन फिर भी नहीं हो रही हैं।

सोनोग्राफी मशीन के मेरे समय में भी 300 मशीन के टेंडर हुए थे वह मैंने कैंसिल करवाये थे। बेईमानी तो करूंगा नहीं और करने दूंगा भी नहीं। आप भी इसी नीति को अपना रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन एक साल में टेंडर तो करवा लिये होते। सी एच सी में अगर बाकी टेक्नोलोजिस्ट आप बैठा देते हैं,

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सोनोग्राफी एक बहुत साधारण सी मशीन है, कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है। इसको तुरन्त आपको क्रय करनी चाहिये थी। ट्रोमा सेंटर के बारे में, अब सैद्धांतिक रूप से हमारी सरकार ने ही यह सारा कुछ किया था । चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, नेशनल हादवे पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हैं उन सबके नाम भी भेजे थे। लेकिन वाहवाही तो अब लूट रहे हैं आप, लूटें।

जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पी एच सी को क्रमोन्नत करने के बारे में कह दिया जालोर जिले से लेकिन उनको यह याद नहीं आया कि जालोर जिले को ट्रोमा सेंटर नहीं दिया है। कम से कम मंत्रीजी को यह तो कह देते। (व्यवधान) नाम मैंने भेजे हैं, पुरानी फाइलें देख लेना बैठ कर, अगर पढ़ना आता हो तो।

सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस स्कीम, यह उस समय वसुंधरा जी मुख्य मंत्री थीं और मैं मंत्री था, तब यह आरम्भ की। वास्तव में बहुत अच्छी स्कीम है और सभी माननीय सदस्यों ने इसकी मांग की है। पिछले बजट भाषण में भी आपने 150 की घोषणा की थी कि 150 क्रय करेंगे। कर लीं क्या? और नहीं कीं तो इस बार क्या तीर मार लोगे? पिछली घोषणा को इस बार वापस इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इस आधार पर कभी विभाग नहीं चलता। आप मेहरबानी करके थोड़ा सा लाइजन उधर भी रखें क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के बिना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की मेहरबानी के बिना यहां पर मुख्य मंत्री की की हुई जो बजट घोषणाएं हैं वे भी आपके समय में भी रुकी हैं, हमारे समय में भी रुकी हैं।

खास तौर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, एन आर एच एम के तहत हर पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा चिकित्सालय होना चाहिये, यह निर्णय था, यह स्कीम थी और 2007-08 के बजट में यह घोषणा की थी कि 23 पंचायत समिति मुख्यालयों पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे, उनमें से 8 नहीं खुले। उन 8 में एक झोटवाडा भी है जो जयपुर के समीप है। आपके डिप्टी सेक्रेटरी ने उसमें रिपोर्ट क्या लिखी है, यहां पर इसलिए नहीं खुल सकता क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। जयपुर की 5 किलोमीटर की दूरी जल्दी से कोई रेगिस्तानी नहीं है कि आराम से चल कर आ जायेगा। डेंसिटी आफ पापुलेशन उस क्षेत्र की उतनी ही है जितनी इस परकोटे के अन्दर है। लेकिन आपको तो सिर्फ देना नहीं था इसलिए कोई बहाना लेना था। मैं प्रिविलेज मोशन कल या परसों की तारीख में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मूव करूंगा कि वित्त मंत्रालय को इस आधार पर कैंसिल करने का अधिकार नहीं था। सदन की अगर मंशा है, सदन में घोषणा हुई है तो उस घोषणा को सदन ही कैंसिल कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, बजट एस्टिमेट्स रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स, यह कलाकारी करता तो वित्त विभाग है लेकिन प्रगति प्रतिवेदन तो आप लोग ही प्रस्तुत करते हैं। अब 2009-10 में पूंजीगत एवं राजस्व व्यय 2,589.06 व्यय करना था वह कुल बजट के व्यय का 5.20 प्रतिशत था । रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में वह 4.75 प्रतिशत हो गया। अभी भी आपने बढ़ा-चढ़ा कर बजट प्रस्तुत किया है 5.39 प्रतिशत का, यह भी 4.5 प्रतिशत पर आकर रहेगा, उससे भी नीचे जायेगा। इसलिए सिर्फ आंकडों के खेल में न जाये वास्तव में अगर गरीब के प्रति दर्द है तो कम से कम गरीब को लाभ पहुंचाने की स्थिति में तो आये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बी पी एल को मेडिकल फैसिलिटी का एक कोष गठित किया मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष, अच्छी बात है। क्या सारे बेनिफिशियरीज को इस जीवन रक्षा कोष से लाभ मिलता है? बी पी एल बेनिफिशियरीज को? या उसके अलावा कोई बजट है आपके पास? थोथी घोषणाएं। जो आर एम आर एस प्रोफिट में हैं उसकी 25 परसेंट राशि बी पी एल की दवाइयों के लिये खर्च होगी और उसमें से दी जायेगी। एक एस एम एस के अलावा प्रोफिट में कौनसा है? एक भी प्रोफिट में नहीं है और प्रोफिट में नहीं है तो वह दवाइयां नहीं दी जाती हैं। वह गरीब इधर-उधर धक्का खाता फिरता है। इसीलिए सभी माननीय सदस्य शिकायत करते रहते हैं। इतना गरीब के प्रति दर्द है तो दो ना 10-20 करोड़। 28 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं 10-5 करोड़ इसमें भी खर्च हो जायेंगे। वरना थोथी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी। यह पहले लोस में था, एस एम एस का आर एम आर एस ढाई करोड़ के लोस में था; आप रिकार्ड उठाकर कर देख लें, तीन करोड़ के प्रोफिट में लाकर हमने खड़ा किया हैं मैं जब मंत्री बना इस विभाग का। आर एम आर एस की सभी जिलों में भी हालत खराब है, मेडिकल कालेज वाली कुछ ठीक होगी।

सभापति महोदय, मेडिकल कालेजेज की स्थिति, फैकल्टी की 50 परसेंट वेकेंसी भरने का हमारी सरकार का निर्णय था। अभी बीकानेर, अजमेर में जो परमिशन मिली है वह एडहाक की है। आपने आर पी एस सी में भेज

(श्री नरपत सिंह राजवी)

दिये क्या प्रस्ताव? आर पी एस सी में भी नहीं भेजे, एक साल से ऊपर हो गया। अगर आर पी एस सी में आप विलम्ब से भेजेंगे तो पी जी की जो सीट्स हैं वे कम होती जा रही हैं। प्रोफेसर इतने मिलेंगे नहीं, रिटायर होते जा रहे हैं। एक प्रोफेसर को दो कैंडिडेट मिलते हैं, एक रीडर पांच साल का एक्सपीरियंस होगा, उसको एक स्टूडेंट मिलेगा। पी जी करके बाहर से जो यहां स्टूडेंट आ रहे हैं और हमारा टेलेंट, हमारा ह्युमन रिसोर्स हम डवलप नहीं कर पा रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट और इस विभाग की गलती के कारण से यह स्थिति पैदा हुई है। मेरे समय में कम से कम जितनी थीं उतनी वेकेंसी आप पूरी कर दें। औसत है 38 परसेंट मेडिकल कालेज में वेकेंसीज का। बिना फैकल्टी काम नहीं चलेगा, यह सब जानते हैं लेकिन फिर भी बहुत धीरे, चींटी की चाल हम चल रहे हैं। इससे मेडिकल कालेजेज को बहुत नुकसान होने वाला है।

सभापति महोदय, जी एन एम कोर्सेज नये खोलने तो बंद कर दिये नये इंस्टिटयुट्स तो, कृपया आप उन पर लगाम लगाये। जी एन एम एक डिप्लोमा कोर्स ही है और ज्यादा नहीं है लेकिन मेडिकल कालेजेज और दूसरे जो हाई फैसिलिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेंटर आफ एक्सीलेंस खोलना चाह रहे हैं, सुपर स्पेशिलिटी, सुपर-डुपर स्पेशिलिटी आप लेने जा रहे हैं तो कम से कम एम एससी कोर्सेज हमने आरम्भ किये थे, कुछ संकाय में हमने आरम्भ कर दिये थे, उसको और आगे बढ़ाते। आई सी यू में सुपर स्पेशिलिटी, एम एससी नर्सिंग कोर्सेज यहां प्रारम्भ होते तो आई सी यू में इतनी शिकायतें नहीं मिलतीं। पोलीट्रोमा की अलग से सुपर स्पेशिलिटी है, आर्थोपेडिक्स की अलग से सुपर स्पेशिलिटी है, जहां आपरेशन करने के बाद या गम्भीर रोग से ग्रसित होने के बाद एम एससी फैसिलिटी मिलेगी तो पेशेंट-नर्स रेश्यो है उसको आपको घटाने में लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। कम राशि में भी आप उसको ज्यादा सुविधा दे पाएंगे।

आर पी एम टी और पी सी पी एम टी एग्जाम दो होते हैं एडमिशंस के लिए। दुनिया भर के बच्चे यहां पर तैयारी करते हैं ताकि ह्युमन रिर्सोसेज डवलप हों, डॉक्टर तैयार हों। राजस्थान भी हुआ है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कालेजेज में जिस प्रकार के इम्तहान लिये, उसमें आपका कोई कंट्रोल है क्या? 26 लड़के बैठे हैं, 22 लड़के बैठे हैं; जो वास्तव में बच्चे एग्जाम में बैठने चाहिये थे वे नहीं बैठें, दूसरे बैठे हैं और दूसरे बैठकर इम्तहान दिया और उनका एडमिशन हुआ है। हाई कोर्ट का एक केस था जाबरसिंह जाट निवासी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रींगस, उसने किया था याचिका संख्या 9952/09 क्योंकि वह मेरिट में ही इस आधार पर रह गया था, उसकी जांच हुई; जांच के बाद आप देखेंगे तीन वर्षों में 50 ऐसे स्टूडेंटस मिले हैं जिनको रेगुलर एडमिशन वास्तव में नहीं मिलना चाहिये था। क्या एक्शन लिया आपने अब तक? इसी प्रकार से ह्युमन रिर्सोस डवलप करेंगे तो क्षमा चाहता हूं, जनता के साथ हम धोखा कर रहे हैं, हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे।

ट्रोमा सेंटर्स की बात सब जगह से आई, वास्तव में आवश्यक है, खुलने भी चाहिये। इतने नेशनल हाइवे और रोड्स की जो कंडिशन है वह इम्प्रूव होगी। जो ड्राइविंग हैबिट्स है, टिपिकल हमारी मेंटेलिटी है कि साइकिल भी, बैलगाड़ी है वह भी 120 की स्पीड से चलने वाली कार से आगे निकले। उसमें एक्सीडेंट होना तो स्वाभाविक है। हमने रेग्युलेट नहीं कर रखा है। ड्राइवर कितने घंटे गाड़ी चला सकता है, विदेशों में तो वह भी रेग्युलेटेड है। रेग्युलेटेड नहीं है तो नींद आने के कारण से, ह्युमन एरर के कारण से भी हो सकता है।

ट्रोमा सेंटर हमने भी हमारे 98 से पहले 96 में खोला था सीकर रोड़ पर। पांच करोड़ रूपये उसके स्ट्रक्चर पर खर्च किये। और साढ़े पांच करोड़ रुपये में उसको प्राइवेट पार्टी को बेचा है। सोनी हास्पिटल के नाम से आज जो खड़ा है वह गवर्नमेंट का पैसा है और गवर्नमेंट की जमीन दी हुई थी उसके आधार पर खड़ा है। आज एक भी गरीब को वहां पर लाभ मिलता है क्या? वहां पर अगर ट्रोमा सेंटर खुला हुआ होता तो कम से कम सैंकड़ों जान प्रति वर्ष बचतीं। उसका अगर पाप का भागी है तो यह विभाग है और मुख्य मंत्री यही माननीय अशोक गहलोत साहब हैं, ये दोषी हैं।

अब बात चल रही है कि मानसरोवर में भी जो आरोग्य सदन बना हुआ है पीपीपी माडल में उसको देंगे। तो जयपुर को पूरे को क्या अहमदाबाद बनाना चाहते हैं क्या ? जोधपुर सम्भाग के अधिकांश लोग तो उधर इलाज कराने जाते हैं। किधर ले जाना चाहते हैं? कृपया ये नई-नई बातें नहीं करें। गरीब का अगर वास्तव में इलाज करना है तो सुपर स्पेशलिटी वहां पर शिफ्ट करिये। घोषणा भी आपने की थी लेकिन शिफ्ट करने में आपको जोर जरूर आयेगा। मेरे समय में भी जोर आया था। कोई मंत्री रहना आवश्यक है क्या? सिद्धान्त से कम्प्रोमाइज नहीं करना सीखें, तभी आप जनता का भला कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, ...(व्यवधान) अगर फाइल पढ़ोगे तो नींद भी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

खुल जाएगी, सुबह तक नहीं आयेगी। यह बता दूं आपको। सभापति महोदय, जेनेरिक मेडिसिन की बात की, जेनेरिक मेडिसिन का सबसे पहले हमने आरम्भ किया था। आदेश तो बहुत पहले हुए हैं। चित्तौड़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ... (व्यवधान) सभापति महोदय, चुप करा दीजिए, मैं भी इतनी देर से चुपचाप सुन रहा था।

श्री सभापतिः चिकित्सा मंत्री रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जेनेरिक मेडिसिन की मैंने बात कही है और दावे के साथ कह सकता हूं, फाइल भी आप मंत्रीजी मंगा कर देख लें और मुख्य मंत्रीजी को भी पढ़ा दें, मैंने उसके ऊपर लिखा है कि मेरे को एक आई ए एस ईमानदार अधिकारी दे दीजिए।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अब पढ़ाना चाहते हैं, आपके मुख्य मंत्रीजी को आपने क्यों नहीं पढ़ाया?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैंने पढ़ाई है, पूरी पढ़ाई है। डेट देखेंगे तो नींद खुल जाएगी। आचार संहिता लग गई थी वरना हम लागू करते।

मैंने उसमें निवेदन किया कि एक आई ए एस अधिकारी ईमानदार मुझे दे दें। एक अकाउंट्स का ईमानदार अधिकारी मुझे दे दें, दो-तीन ईमानदार का स्टाफ मुझे दे दें; पूरे राजस्थान में मेडिकल का जितना बजट है, मेडिकल कालेजेज का और मेडिकल हैल्थ डिपार्टमेंट का, इन्डोर पेशेंट्स को जेनेरिक मेडिसिन के आधार पर पैकेज डील करके सबको फ्री मेडिसिन वहां से दे सकते हैं, यह बजट में आज भी मैं प्रूव करके बता सकता हूं, लेकिन कोशिश नहीं की। मैंने ट्राई किया चित्तौड़ में और चित्तौड़ में ट्राई करने के बाद बासवांड़ा-डूंगरपुर में उसका लाभ मिला है। उन गरीबों को तीन करोड़ रूपये की सेल, एक महीने में डेढ़ करोड़ रुपये की सेल। जयपुर में आप लोगों ने यहां पर अख़बार में काफी वाहवाही लूटने की कोशिश की, 300 रुपये रोज की सेल नहीं है और चित्तौड़ जैसी छोटी जगह पर डेढ़ करोड़ रुपये की सेल है, वह भी होलसेल के माध्यम से। होलसेल भण्डार की भी एक सीमा है, तीन प्रतिशत उसके अन्दर भी अधिक रहती है राशि। यह ले लेना, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपके पेट में दर्द होता है तो वह भी गोली दे दूंगा।

धन्वन्तरी योजना आरम्भ की थी कम से कम इसकी तो शाबाशी सत्ता

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पक्ष में बैठे हुये सदस्य दे सकते थे लेकिन नहीं दी। रूरल हैल्थ सर्विस एक्ट, यह रिक्त पदों की...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): घड़ी देखिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं भी इतनी देर से देख रहा हूं, सुबह से देख रहा हूं। (व्यवधान) ज्यादातर अपन दोनों साथ ही होते हैं इसलिए।

रूरल हैल्थ सर्विस एक्ट हमने लागू किया और वह इसलिए किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक रहना नहीं चाहते, सब शहरों के ऊपर प्रेशर रहता है लेकिन उसको लिंक-अप के साथ में बेनीफिट्स भी दिये। हमने भी उनको मानदेय बढ़ाया। बढाने के बाद स्थिति यह रही कि मैं जब था, आखिरी जब डेट निकाली है उस समय तक एक भी पी एच सी खाली नहीं थी, थोड़ा सा यह भी करें, डेपुटेशन में इधर-उधर कहीं किये होंगे सी एम एच ओज के जो आपकी जानकारी में नहीं है, ना सेक्रेटरी की जानकारी में होंगे। एक रैंडम एक्ट में एक हटाइये, कोई डेपुटेशन नहीं होगा बिना स्टेट की नालेज के। सब अपनी-अपनी जगह पहुंचेंगे तो गरीब को सुविधा उपलब्ध होगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज आपके विभाग में 800 से ज्यादा वेकेंसी नहीं है और 700-800 ऐसे होंगे जिनके खिलाफ डिस्पिलीनरी एक्शन है या वे स्टडी लीव में कहीं गये हुए हैं या डेपुटेशन पर और कहीं गये हुए हैं। तो 1700 की वेकेंसी में, इतने बड़े डिपार्टमेंट में इतनी वेकेंसीज सामने नहीं आतीं। कहीं न कहीं, डेपुटेशन में या कोई न कोई गड़बड़ होगी। If you put a square peg in a round hole, तब तो मैं कह नहीं सकता हूं कि एनेस्थेटिस्ट की जगह तो सर्जन को लगा देंगे तो दो सर्जन हो जाएंगे और एनेस्थेटिस्ट दो को साथ में इकट्ठा कर देंगे तब तो यह गड़बड़ हो सकती है, वरना नहीं हो पाएगी।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री सभापति: अब संक्षिप्त करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: संक्षिप्त करें अब आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप वाली जो बातें कही गई हैं, वह कहूं तो और लम्बी हो जाएंगी। करवाया मैंने है, वाहवाही लेना चाहें, वह बात अलग है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): धन्यवाद देंगे आपको, आप तो मांग करवाओ।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): देंगे, आप देंगे?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपने बहुत काम किया है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, ये तो तब देंगे जब 157 की व्यवस्था हो जाएगी तब देंगे, अभी नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद में देंगे।

प्रगति प्रतिवेदन में 5 वर्षों की प्रगति आपने दी है। 2005-06 से लेकर 2009-10 तक टार्गेट और अचीवमेंट, टार्गेट आप नीचे ले जाते जा रहे हैं। 2007-08 में 1,620 थे, 2009-10 में आप 1,300 पर ले आये, 918 अचीवमेंट लाना चाह रहे हो। अभी इतने ही हुए हैं। कहां अच्छा हुआ है काम? राष्ट्रीय अंधता के बारे में जितने लोगों ने कहा है, अभी तक तो आपने, 115 प्रतिशत हम पहले लेकर आये थे, 97.4 प्रतिशत लेकर आये थे, उसकी जगह 44 प्रतिशत की ही आपकी प्रगति है। स्कूल आई स्क्रीनिंग में 57.8 लाख हम लोगों ने हमारे टाइम में की थी, 2006-07 में। अब कर रहे हैं सिर्फ 4 लाख 43 हजार। जिलेवार चिकित्सा संस्था, इसमें जितनी गड़बड़ है, मैंने भी ट्राइ किया था, जैसे ये शिक्षा मंत्रीजी कोशिश कर रहे हैं, समानीकरण आपको भी करना पड़ेगा। आउट-पेशेंट और इन्डोर की आक्युपेंसी, इनके आधार पर आप चिकित्सकों की पोस्टिंग रखेंगे, तब रिशिड्युलिंग करेंगे पोस्ट्स तब तो सब जगह काम ठीक बैठ जाएगा, वरना शहरों के नजदीक ज्यादा पोस्टें क्रियेट हो गयीं और जो शहरों से दूर हैं, वहां पर पोस्टें खाली पड़ी रह गईं।

सभापति महोदय, आउट-पेशेंट जहां पर, जयपुर जैसी जगह आबादी कितनी है, आपने ही टेबल दिया है और यहां पर जयपुर में स्टेट का एवरेज अगर देखें तो सबसे कम है, जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप इससे न्याय करने की कोशिश करें। जयपुर यहां की कैपिटल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सभापतिजी, समय तो मैंने कोई ज्यादा नहीं लिया है लेकिन दो चीजों पर सजेशन और देना चाहूंगा। प्राइवेट हास्पिटल्स, क्लीनिक्स और पेथोलोजिकल लैब्स, केन्द्र ने तो बना दिया है एक्ट, उसकी कापी करके ही कम से कम हाउस से पास करवा लें या एक्सेप्ट करा लें, प्रस्ताव पारित करके। उनको रेगुलेट नहीं करेंगे तो हास्पिटल्स का जो ट्रेश मैनेजमेंट है वह नहीं हो पा रहा है। एस.एम.एस. जैसी प्राइम इंस्टिट्युशन में भी कचरा बाहर पड़ा रहता है। सब जगह यह स्थिति है। उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जहां पर सीवर लाइन भी आपकी जगह-जगह गलियों में, जहां पर इस व्यवस्था में सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, उसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। पी.सी.पी. एण्ड डी.टी. एक्ट को भी आप और ज्यादा सुचारू रूप से लगा पाएंगे।

इन सजेशंस के साथ में मैं यह थोड़ा सा जरूर आपको निवेदन करूंगा कि हिम्मत करके कुछ करने की कोशिश करें, वरना ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री एमादुद्दीन अहमद खान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आज तो आपने भी ताली बजाई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बजाई है ना।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपने भी बजाई है, वैसे नहीं बजाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देख लें, आपसे ज्यादा बजाई है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, पिछले साढ़े आठ घण्टे से मांग संख्या-26 चिकित्सा पर, कट मोशंस पर और डिमांड्स पर डिबेट हो रही है। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से यहां जितने हमारे साथी हैं, उनका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सजेशंस दिये और उन सबने अपनी-अपनी पीड़ा प्रकट की कि कई चीजों में कमियां हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी तो पीड़ा एक कांस्टीट्युएंसी की है, मेरी पीड़ा 200 कांस्टीट्युएंसीज की है। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

समझते हुए, माननीय मुख्य मंत्रीजी और इस सरकार की जिम्मेदारी हम पूरी तरह से समझते हुए, जो आपने अपने ढाई सौ कट मोशंस 79 माननीय सदस्यों ने रखे हैं, वह मेनली कैटेगराइज जो मैंने कराये हैं, expansion of medical and health services, shortage of manpower – doctors, nurses and para-medical staff; development of infrastructure; civil works and availability of equipments के हैं; strengthening of out-reach services जिसमें एम्बुलेंसेज हैं, आर.जी.एम.एम.यू. है, बेस एम्बुलेंसेज हैं; यह इनके जितने भी रिप्लाइज हैं, मैं 48 घण्टे के अन्दर आपको भिजवा दूंगा और कोशिश करूंगा कि उनमें से जो भी हो सका, मैं आपको अभी भी इसका कुछ जवाब दे सकूं।

Expansion of medical services को लेकर बहुत विस्तार से आज भी और बजट की डिबेट में भी जो सी.एम. की घोषणाएं हुई हैं, उसमें चर्चा हो चुकी है। तो मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाते हुए, जहां पी.एच.सीज. का, ट्राइबल एरियाज और डेजर्ट एरियाज की घोषणा हुई है, यहां कई हमारे साथियों ने, खास तौर से जो डेजर्ट एरियाज के थे और ट्राइबल एरियाज के थे उन्होंने कमियों के बारे में बात की। उसी को मद्देनजर रखते हुए यह अनाउंसमेंट किये गये हैं। इसी तरह से upgradation of PHCs to CHCs in tribal areas के बारे में भी सी.एम. ने अनाउंसमेंट किया है। डिस्ट्रिक्ट्स हास्पिटल्स में जहां बेड आक्युपेंसी रेट 100 प्रतिशत और उससे ज्यादा है, वहां 750 बेड बनाने की घोषणा भी सी.एम. ने कर दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 2009-10 के बजट में 337 जो सब-सेंटर्स की घोषणा हुई थी, आज की तारीख में वे सब फंक्शनल हो गये हैं। अब कोई भी पंचायत में, हैल्थ फैसिलिटी सब पंचायतों में किसी न किसी रूप में पहुंच गई है।

ह्युमन रिसोर्सेज के बारे में चर्चा हुई, डाक्टरों के बारे में चर्चा हुई, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी परेशानी हमारी ह्युमन रिसोर्सेज डवलपमेंट की है। मैंने अपने विभाग से कहा कि केलकुलेशन करो कि हमारी कितनी कमियां हैं तो 20 प्रतिशत शोर्टेज हमारे डाक्टरों में है और 10 प्रतिशत शोर्टेज हमारे नर्सेज और पैरा-मेडिकल स्टाफ में है। उसको मद्देनजर रखते हुए जब यह स्वाइन फ्लू फैला, एक पैनडेमिक हुआ तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 600 डाक्टर्स कांट्रेक्ट पर रखने के लिये इजाजत दी थी और उसमें से आज की तारीख में 454 डाक्टर्स कांट्रेक्ट पर चल रहे हैं, बाकी के लिये आदेश हैं कि उनको वाक-इन-इंटरव्यू से ले लिया जाए। इसमें अभी यहां संजनाजी ने बात कही थी कि कुछ अखबारों की खबर है कि उन डाक्टरों का कांट्रेक्ट खतम होने पर उनको

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

डिस्कंटीन्यु कर दिया जाएगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि यह जो डाक्टर्स कांट्रेक्ट पर लगे हैं, उनको रिमूव नहीं किया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने एक्सटेंशन की मांग कर दी है और हमें उम्मीद है कि वह एक्सटेंशन उनको मिल जाएगा। तो 600 डाक्टर्स की तो हमने यहां पूर्ति करने की कोशिश की। उसके अलावा एडिशनल पोस्ट, सेंक्शंड पोस्ट के अलावा जो एन.आर.एच.एम. के थ्रू हमने अपाइंटमेंट्स किये हैं उनमें 74 स्पेशलिस्ट हमने आलरेडी ले लिये हैं। उनको पहले 40 हजार की सैलेरी मिला करती थी, हमने देखा कि इस सैलेरी पर नहीं प्राप्त हो रहे तो उनकी सैलेरी 60 हजार बढ़ा दी है। इसके लिए हमने 200 पोस्ट्स क्रिएट की हैं जिनमें जैसा मैंने बतलाया 74 ले लिये हैं और अभी आगे आने वाले समय में 126 जो हैं वे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूट किये जाएंगे वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से। 1,750 रूरल नर्सेज ग्रेड-II का अपाइंटमेंट हो चुका है। हमने 5,000 ए.एन.एम. का एडवरटाइजमेंट किया था, पहले लॉट में 2,924 हमने ए.एन.एम. रिक्रूट कर ली हैं, रिमेनिंग 2,076 ए.एन.एम्स. अप्रैल तक हम इनको भी रिक्रूट कर लेंगे। जब यह 5,000 का अपाइंटमेंट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो 50 परसेंट हमारे सब-सेंटर्स ऐसे होंगे जिन पर कि दो-दो ए.एन.एम्स. हमें उपलब्ध होंगी। 195 डिपेंडेंस आफ मृतक राज्य कर्मचारी, उनका भी हमने 2009-10 में अपाइंटमेंट कर दिया है।

422 आयुर्वेद, 77 होम्योपेथ, 98 यूनानी डाक्टर्स हमने कांट्रेक्ट में 2009-10 में एन.आर.एच.एम. के माध्यम से रिक्रूट कर लिये हैं। जो हमारे अपाइंटमेंट्स अब अंडर-प्रोसेस हैं, उनमें से सलेक्शन प्रोसेस 745 वेकेंट पोस्ट जो एम.ओज. की हैं वह आर.पी.एस.सी. को हमने उसका रिक्वीजिशन भेज दिया है और हमें उम्मीद है कि अगले तीन-चार महीनों में इनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। इसी तरह से रेगुलर अपाइंटमेंट 1,131 रेगुलर ए.एन.एम्स., 3,012 लैब टेक्नीशियंस और 30 असिसटेंट रेडियोग्राफर्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है। 356 जी.एन.एम्स. कांट्रेक्ट पर थ्रू एन.आर.एच.एम. अंडर-प्रोसेस है।

इसके अलावा जो एक सी.एम. साहब ने बहुत बड़ी अहम घोषणा की है, यह पहली दफा ऐसी घोषणा हुई है कि 300 पोस्ट लीव रिजर्व डाक्टर्स के लिए सेंक्शन की गयी हैं। तो मैं यह समझता हूं कि जब यह सारे रिक्रूटमेंट्स हमारे हो जाएंगे तो काफी हद तक जो आज हमारे हास्पिटल में कमियां हैं और खास तौर पर रूरल एरियाज में हमारी कमियां हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

इसमें हमारे माननीय पूर्व मंत्रीजी ने बहुत आइडियलिज्म की बात की है कि हमें फर्मली इनकी पोस्टिंग्स करनी चाहिए, अगेंस्ट पोस्ट नहीं करनी चाहिए। काश यह हो सकता। कोशिश हम भी करते हैं मगर कई मजबूरियां होती हैं। इसलिए यह अगर पूरा सदन एक डिसीजन ले लें कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो चीज, जिस चीज के लिए आप मांग कर रहे हैं वह तब ही पूरी हो सकती है। तो यह कहना आसान होता है मगर प्रेक्टिस में नहीं। आपने कोशिश की है, मानता हूं मगर उस डिटेल में नहीं जाएं, आपने कई दफे फाइलों का जिक्र किया है, मैंने भी कुछ दो-चार फाइलें आपकी पढ़ी हैं, आपने कोशिश जरूर की है मगर हर कोशिश में आपको कामयाबी नहीं मिली है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ...(व्यवधान) लेकिन देख लें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं नई घोषणाओं में यह कहना चाहता हूं कि अब 150 डेंटिस्ट का पहली दफा सी.एच.सीज. में 2010 और 2011 में एन.आर.एच.एम. के थ्रू हम अपाइंटमेंट करने जा रहे हैं। यहां हमारे साथियों ने सब तरह के डाक्टरों की बात की और जरूरी किसी ने आंख के डाक्टर को बतलाया और किसी ने हर्ट के डाक्टर को बतलाया मगर किसी ने भी डेंटिस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब तक 155 सेंक्शंड पोस्ट थीं डेंटिस्ट की, आफ वेरियस ग्रेड, उसमें खाली 90 डेंटिस्ट काम कर रहे थे। वह पोस्ट्स जो वेकेंट हैं उनको भी हम भरेंगे और उसके अलावा 150 हम और डेंटिस्ट को रिक्रूट करेंगे। इसी तरह 150 एडिशनल एम.ओज. को हम कांट्रेक्ट बेसिस पर सी.एच.सीज. में, ट्राइबल और डेजर्ट एरियाज में 2010 और 2011 में हम पोस्ट करेंगे, रिक्रूट करके पोस्ट करेंगे। एन.आर.एच.एम. के तहत 570 जूनियर आयुर्वेद नर्स, कम्पाउंडर कांट्रेक्ट बेसिस पर हम अपाइंट करने जा रहे हैं। एन.आर.एच.एम. के हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह तालियां भूल से बजा रहे हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये तालियां भूल से बजा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: नहीं, सब पता है। सब जागरूक हैं, सबको पता है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): Something is better than nothing.

एन.आर.एच.एम. में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारी सरकार ने आज से पांच-छह साल पहले शुरू किया था और यह प्रोग्राम मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अटलजी के समय शुरू हुआ था।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, I beg to differ. केन्द्र सरकार ने, डाक्टर मनमोहन सिंहजी ने, उन्होंने यह एन.आर.एच.एम. प्रोग्राम शुरू किया था और 2005 में, 2005-06 से यह शुरू हुआ था। इसमें 2009-10 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, 2009-10 में सिविल कंस्ट्रक्शन पर 104 करोड़ रुपये का हमने एक्सपेंडिचर किया है। उसमें सिविल वर्क्स में एफ.बी.एन.सी. वार्ड, एम.टी.सी. वार्ड, जे.एस.वाई मेटरनिटी वार्ड, जन औषधि केन्द्र, शाप, स्वास्थ्य भवन कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशयल क्वार्टर्स इन सी.एच.सी. एण्ड पी.एच.सीज., यह मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कई हमारे मेम्बर्स ने यह कहा कि हम सुविधाएं डाक्टर्स को, नर्सेज को, पैरा-मेडिकल स्टाफ को यानी कि यह मुहैया करवाएं, उसके तहत हमने यह किया और रिनोवेशन/रिपेयर वर्क्स इन सी.एच.सीज एण्ड पी.एच.सीज. एण्ड कंस्ट्रक्शन, जो हमारे बिल्डिंगलेस सब-सेंटर्स थे उनको एन.आर.एच.एम. के तहत हमने यह एग्जिक्युट किया।

2009 और 2010 की घोषणा, 6 आई.सी.यू, 24 बर्न यूनिट्स, 19 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, 14 ट्रोमा सेंटर्स, यह सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल पर लिये। यह, works are being taken up at district hospitals. 23 करोड़ रुपये आर.एच.एस.डी.पी. के तहत इसमें खर्च किये गये।

2010 और 2011 में डिपार्टमेंट की नई घोषणाएं। कंस्ट्रक्शन आफ ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग एण्ड हॉस्टल, जहां बिल्डिंगलेस सेंटर्स हैं जैसे राजसमन्द, हनुमानगढ़, दौसा, बारां और सवाई माधोपुर में बनाये जायेंगे, साढ़े सात करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे। 2010-11 में 50 ब्लाक सी.एच.सीज. को स्ट्रेंथन किया जायेगा। कंस्ट्रक्शन आफ ब्लाक ड्रग वेयर हाउस, यह बनाये जायेंगे, इस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2010-11 में कंस्ट्रक्शन आफ रेजिडेंशयल क्वार्टर्स फार डाक्टर्स एण्ड पैरामेडिकल स्टाफ 15 सी.एच.सीज. और 30 पी.एच.सीज. पर, 19 करोड़ रुपये इस पर खर्च करेंगे। 2010-11 में 50 पी.एच.सीज. का रिनोवेशन होगा, इस पर 15 करोड़ रुपये एस्टिमेटेड कास्ट खर्च करेंगे। 2010-11 में आपरेशनाइलाजेशन आफ मेल न्यूट्रीशन ट्रीटमेंट सेंटर्स,

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

100 सी.एच.सीज. पर राज्य में आपरेशनाइलाइज को किया जायेगा। इसी तरह से 2010-11 में स्ट्रेंथनिंग आफ ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग एण्ड हास्टल्स इन ट्राइब्ल एण्ड डेजर्ट एरियाज, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, इस पर एक करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा। इसी तरह से 2010-11 में स्ट्रेंथनिंग आफ पब्लिक हैल्थ लैब्स फार फूड सैम्पल्स, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में, इस पर साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। यह अभियान जो शुद्ध-के-लिये-युद्ध चल रहा है, उसमें यह मददगार साबित होगा। इसी तरह 2010-11 में ड्रग टैस्टिंग लैब जयपुर में और 33 डिस्ट्रिक्ट में ड्रग कंट्रोल आफिसेज को स्ट्रेंथन किया जायेगा, चार करोड़ रुपये इस पर खर्च किया जायेगा।

अब इक्विपमेंट की बात आई। 2009-10 में हमने इक्विपमेंट पर खर्चा किया है, इफेक्टिव हैल्थ की डिलीवरी पर 23 करोड़ 67 लाख। आप चाहें तो मैं डिटेल उसमें दूं। 141 एनस्थेसशिया मशीन, 115 हाइड्रोलिक आपरेशनल टेबल्स, 200 पल्स ओक्सीमीटर, 300 नान हाइड्रोलिक ऑपरेशनल टेबल्स, 102 डी.जी. सेट, 100 ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, 659 हीट फोर्मर, 312 फिजियोथेरेपी मशीन, 47 एक्स-रे मशीन, 101 बॉयल अपैरेटस, 104 डीफिब्रिलेटर्स, 60 वेंटिलेटर्स, 19 डेंटल एक्स-रे मशीन, 10 डेंटल यूनिट्स एण्ड चेयर्स। 2010-11 में इक्विपमेंट्स पर हम 60 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। उसमें हम 139 वेंटिलेटर्स, 122 डिफिब्रिलेटर्स, 240 कार्डियक मोनिटर्स, 418 सीरिंज इन्फ्यूजन पम्प्स। 18 मोबाइल एक्स-रे मशीन, यह हम लेंगे।

108 एम्बुलेंस की काफी चर्चा हुई है और यह बहुत कामयाब भी रही है। इसके लिये सब जगह से मांग है। आज की तारीख में 118 तहसीलों में 164 एम्बुलेंसेज लगी हुई हैं। इस स्कीम के तहत दो लाख इमरजेंसी केसेज को फायदा हुआ, जिसमें 70 हजार इमरजेंसी केसेज प्रेग्नेंसी के थे। इसके मद्देनजर हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 150 नई एम्बुलेंसेज का अनाउंसमेंट किया, जो कि मई, 2010 तक हमारे पास उपलब्ध हो जायेंगी। हर पंचायत समिति पर आर्डर हो गया है। उनका फेब्रिकेशन कम्पलीट होने जा रहा है, वह आनी शुरू हो जायेंगी। एक एम्बुलेंस हर पंचायत समिति पर उपलब्ध कराई जायेगी। एक 108 एम्बुलेंस हर पंचायत समिति पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस तरह से 248 पंचायत समिति एण्ड 2010-11 तक सब में 108 एम्बुलेंस हो जायेगी। (व्यवधान) वह पहले से है। आ रही है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

जहां तक राजीव गांधी मेडिकल मोबाइल यूनिट का है, यह इसलिये कंसीव किया गया था क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इसके लिये यह मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्कीम लांच की थी। आज की तारीख में 26 मोबाइल्स काम कर रहे हैं। 52 मोबाइल यूनिट्स सैंक्शंड हुए हैं, बाकी के 26 हैं, उनको हम 30 अप्रैल तक फंक्शनल कर देंगे। 150 MMUs will be made functional at panchayat samities by the end of 2010-11. 50 न्यू बेस एम्बुलेंसेज सी.एच.सीज. के लिये जहां नहीं हैं, वहां उपलब्ध कराई जायेंगी।

एक नई स्कीम चालू की गयी है मेडिकल टोल-फ्री हैल्प लाइन। यह टोल-फ्री हैल्पलाइन डायरेक्ट्रेट में जो पेशेंट फोन करेगा, उसको काउंसलिंग दी जायेगी मेडिकल एडवाइज पर और हैल्थ इंस्टिट्युशंस के बारे में उनको बताया जायेगा।

स्वास्थ्य चेतना यात्रा इस साल भी आर्गेनाइज की जायेगी, इस पर 6 करोड़ रुपये का हमने बजट रखा है। ट्रेनिंग के सम्बन्ध में, कैपेसिटी एट ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर्स, 1,920 से बढ़ाकर 3,090 तक कर दी है। 32 ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे राजस्थान में हैं। प्रतापगढ़ का एक जो एक्सेप्शन है, उसकी फाइल हमने प्रोसेस के लिये फाइनेंस में भेज रखी है। सिक्स मंथ्स इसमें राजकीय सेवारत चिकित्सकों की दक्षता बढ़ाने व क्षमतावर्धन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। 300 चिकित्सकों को चिरोप्रेक्टिक केयर, 300 को आपदा प्रबन्धन और 400 को मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। इसमें 10 प्रतिशत रिजर्वेशन... (व्यवधान) Medical jurisprudence will be provided. 10 प्रतिशत रिजर्वेशन इसमें आशा सहयोगिनी का ए.एन.एम. ट्रेनिंग इंस्टिट्युट में होगा।

जो ट्रेनीज का स्टाईपंड है, गवर्नमेंट जी.एम. एण्ड ट्रेनिंग सेंटर्स में डबल कर दिया जायेगा और पहली दफा इंटर्नशिप में स्टाईपंड एट द रेट आफ साढ़े सात सौ रुपये पर-मंथ फोर फीमेल्स और चार सौ रुपये पर-मंथ्स फोर मेल्स दिया जायेगा। इससे टोटल बेनिफिशयरीज होंगे 3,600 ट्रेनीज हर साल में।

जहां तक एन.आर.एच.एम. के बजट का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला बजट जो हमारा आया था एन.आर.एच.एम. के तहत 2005-06 में, वह 92 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 2009-10 में 1,010 करोड़ हमें

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

मिला है। फरवरी तक 840 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये हैं और हमें उम्मीद है कि अगले एक महीने में 100 करोड़ रुपये का हम इसमें और खर्चा कर लेंगे। मुझे कहते हुए फख्र होता है कि राजस्थान इंडिया एन.आर.एच.एम. प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में टोप पर चल रहा है। 2010 को देखते हुए, हमारे पास परफोर्मेंस को देखते हुए 2010-11 में हमारा जो बजटरी प्रोविजन एन.आर.एच.एम. में रखा गया है वह 1,207 करोड़ रुपये हमें मिलने जा रहा है और हमें यह भी कहा गया है कि अगर हमारा परफोर्मेंस इसी तरह से सही रहा तो हमें एडिशनल फंड्स और भी इस साल में मिलेंगे।

(समय : 02.00 बजे)

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के बारे में बहुत जिक्र हो चुका। 29 हजार लोगों को फ्री मेडिकल का फायदा मिला, 31.07 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए। ओल्ड एज पेंशनर्स को फायदा मिला। विडोएर्स को, डिस्एबल्ड पेंशनर्स को, बी पी एल को, जो एम एम जे आर की स्कीम में थे, यह सब मुख्य मंत्रीजी के अनाउंसमेंट में आपको बताया गया है।

एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि पहली दफा एन आर एच एम में हमने पांच सौ फार्मेसिस्ट का रिक्रूटमेंट एडवरटाइज किया है। यह पहली दफा हुआ है और इसमें आलरैडी 442 फार्मेसिस्ट का अपाइंटमेंट हमने इश्यु कर दिया है। इससे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वैयर हाउस में और कुछ सी एच सीज में फार्मेसिस्ट उपलब्ध हो गये।

जेनेरिक मेडिसन को लेकर बात हुई थी। हम 105 जन-औषधि केन्द्र खोलने जा रहे हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट और हर सैटेलाइट हास्पिटल्स में होंगे और इसके साथ-साथ कुछ सी एच सी में भी ये होंगे।

अभी संजनाजी ने एक बात कही थी, सीटी स्केन सोजत की, वह अनफार्चुनेटली यहां नहीं है, पर मैं रिकार्ड पर यह लाना चाहता हूं कि एन आई टी जारी हो चुकी है, सात अप्रैल को टेक्नीकल बिड खोला जाएगा। इसके उपरान्त फाइनेंशल बिड खोल कर रेट फाइनेलाइज की जाएगी।

अब मैं आना चाहता मेडिकल एजुकेशन पर। इसमें मेडिकल कालेजेज के जो हास्पिटल्स हैं, जो सी एम साहब ने अनाउंसमेंट किया है, एक हजार बेड इंक्रीज किये जा रहे हैं जिसमें आई सी यू में 178 बेड होंगे। कालेजवाइज अगर आप जानना चाहें तो जयपुर 190, अजमेर में 100, बीकानेर में 320, कोटा में 170, उदयपुर में 120 और जोधपुर में 100 बढ़ाये जा रहे हैं।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

हमारी सरकार ने एक 197 पी जी सीट्स इंक्रीज 2010-11 में सब छह कालेजेज में कर दी है। आज की तारीख में ये 389 सीट्स उपलब्ध हैं, 197 और हो जाएंगी, जिनका एडमिशन मई से शुरू हो जाएगा। इससे स्पेशलिस्ट की डिमांड में काफी हद तक हमें इसमें मदद मिलेगी।

इसके अलावा हमने प्रपोजल भेजा है 530 पी जी सीट्स का गवर्नमेंट आफ इंण्डिया को अंडर फाइव ईयर प्लान। इसमें हमें उम्मीद है, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इन्फार्मली हमें इंडिकेट किया है कि वे पचास करोड़ ईच मेडिकल कालेज के हिसाब से हमें तीन सौ करोड़ उपलब्ध करवायेंगे जिससे कि इस स्कीम में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट और तरह की एक्टिविटीज हो सकें। इसमें 75 परसेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया का पैसा होगा, 25 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का होगा।

गणगौरी बाजार में जो हमने अस्पताल शुरू किया है उसमें हमने सात यूनिट्स ट्रांसफर कर दिये हैं। एक इंस्टिट्यूट आफ ट्रोमेटोलाजी जो सवाई मानसिंह के सामने है उसका कुछ ही दिनों में भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उस पर 14 करोड़ 80 लाख रुपये का हमने प्रावधान रखा है।

मानस आरोग्य सदन डवलप कराया जा रहा है as an institute of cardio-vascular sciences with state of the art facilities of international standard on PPP mode.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आज बता देता हूं आपको, आप और आपकी सरकार को यह किसी भी कीमत पर नहीं करने दूंगा। जन आन्दोलन होगा और आपको झुका कर रहेंगे। पोल नहीं है कि आप पांच अरब की सम्पत्ति को ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पहले भी बेच खाये और फिर और बेच रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं बेचने दूंगा। पांच अरब की सम्पत्ति का ठेका लेकर कमीशन के आधार पर आप देना चाहो, न आज देने दूंगा और न कल देने दूंगा। देख लेना, आ जाना मैदान में। मजाक बना रखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) क्यों सौंपना चाहते हो?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने जब यह शुरू किया था ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह शुरू मैंने किया था। आपका पैसा भी नहीं लिया था। मेडिकल कालेज की जमीन बेचकर, हमने इसको सरकार के पैसे से नहीं बनाया था, हमने बनाया था और हमने जनता के लिए बनाया था। हमने पांच अरब की सम्पत्ति को कोई अंसारी और पंसारी को बेचने के लिए नहीं बनाया था। न तो बनायी थी और न बनाने देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके ऊपर और सरकार के ऊपर कलंक लगेगा, जयपुर में यदि सरकार के ऊपर कलंक लगेगा तो सबसे बड़ा कलंक होगा। यह मानसरोवर का है। यह आप पांच करोड़ की सम्पत्ति को बेच दोगे, यह कोई पोल नहीं है। पोल मत समझ लेना। आप यहां पर ट्रस्टी बनकर बैठे हो, लुटाने के लिए नहीं बैठे हो। न तो लुटाने देंगे और न लूटने देंगे। ध्यान रख लेना इस बात का।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी भावना की कद्र करते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने इसका अपने जमाने में इसका नेगोशिएशन एक बाम्बे के हास्पिटल से शुरू कर दिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा विरोध लिखा हुआ है और मेरे विरोध के कारण से तत्कालीन गवर्नमेंट नहीं कर पायी और मेरे विरोध के कारण से आप भी नहीं कर पाओगे।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके और आपके और साथियों के फाइल पर...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कर लेना यहां पर। ले आना आप यहां।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ...(व्यवधान) आप उसको प्राइवेट को देना चाहते थे वहां पर। सरकार बदल गयी, नहीं तो आप उसको देकर ही मानते। सरकार का सौ करोड़ का किया और उसको भी आप यही करना चाहते थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप अपना काम करो। पता ही नहीं है आपको। क्या लेना देना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): न तो कोई घोषणा थी, न कोई प्रपोजल था। एक प्रस्ताव चला था जो टर्न डाउन हो गया उसी वक्त। न कोई कैबिनेट ने फैसला किया और न कोई और फैसला हुआ था इसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कर लेना, यह नहीं होगा और जन आन्दोलन चलेगा। मैं रोकूंगा। देखता हूं, कैसे घुस जाते हैं आप उसके अन्दर। पोल थोड़े ही है। पांच अरब की जयपुर की जनता की सम्पत्ति आप किसी अंसारी पंसारी को दे दोगे। पचास हजार रुपये गज की तो जमीन है वहां पर और साठ करोड़ रुपये हमने लगा दिये। 16 करोड़ 45 लाख रुपये लगाकर पहले तो इंस्टिट्युट बना रहे थे और आज आप बदल गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): भूल गये आपके मुख्य मंत्रीजी ने बजट में क्या घोषणा की थी।

एक माननीय सदस्य: बैठो। एक-एक करके उठ रहे हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी हमारे माननीय पूर्व मंत्रीजी ने, और इनसे पहले दूसरे पूर्व मंत्रीजी ने भी यह कहा था कि उन्होंने कई चीजें फाइलों पर लिखी हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): विरोध किया हुआ है, चिन्ता मत करो।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उन्होंने कई चीजें फाइलों पर लिखी थीं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पोस्ट के लिए घबरा कर सरेंडर करने वाले नहीं हैं। जनता ने हमको ट्रस्टी बनाया है उस ट्रस्टी का हमने धर्म निभाया है। आप लोग धर्म नहीं निभाते हो। हिम्मत चाहिए इसके अन्दर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बहुत हिम्मत है। आप अपना काम करो। हम हमारा काम करेंगे। आगे चलो।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे एक माननीय साथी ने, पारीक जी ने जिक्र किया था हार्ट सर्जरी का, एक सवाल भी लगाया था सवाई मानसिंह हास्पिटल के लिए और इन्होंने कहा था कि बहुत लम्बी वेटिंग लिस्ट है। मैं मानता हूं, उसके मद्देनजर हम एक एडिशनल ओ.टी. जल्दी तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ एडिशनल 6 आई सी यू बेड्स होंगे, कार्डियोवस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। हम

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

इसको तीन महीने के अन्दर शुरू कर देंगे जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम दो सौ आपरेशंस हर साल एक्स्ट्रा होंगे।

इसी तरह हमारे एस एम एस के परिसर में एक धर्मशाला बन रही है जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स आते हैं उनके लिए, डेढ़ करोड़ रुपये थ्रू डोनेशन बन रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पानी पी लो।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका शुक्रिया। बीकानेर मेडिकल कालेज में हल्दीराम मूलचंद हार्ट इंस्टिट्युट 28 करोड़ से शुरू हो गया है और वहां बाइपास सर्जरी भी शुरू हो गई है। जोधपुर में दो करोड़ चौंसठ लाख पर procurement of instruments for starting heart by-pass surgery in Medical College, Jodhpur. यह प्रिक्योरमेंट भी प्रोसेस में है और इसकी सर्जरी भी वहां बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। एस एम एस में कुछ नये इनिशिएटिव लिये गये हैं जिसमें four stem cell research projects approved by ICMR, दूसरा फर्स्ट बोन मैरी ट्रांसप्लांट आफ दी स्टेट, और तीसरा, आई.वी.एफ., टैस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं, यह प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है और इसमें सक्सेस रेट 40 परसेंट पहले बैच की है, 318 केसेज रजिस्टर्ड हैं। बी.पी.एल. को यहां फ्री है और मार्केट में दो लाख से ढाई लाख जिस चीज के लिए लगते हैं, एस.एम.एस. में 75 हजार में वह उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय मंत्रीजी, यह फैसिलिटी आपके टाइम में शुरू हुई है?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): स्वाइन फ्लू लैबोरेटरी इन्फ्लूएंजा-ए, H_1N_1 स्टेब्लिश्ड एंड फंक्शनल सब मेडिकल कालेजेज में हो गयी है, एक्सेप्ट जोधपुर। इसके लिए 6.78 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मेडिकल कालेज, जोधपुर का प्रोग्रेस में है। वहां डी.एम.आर.सी. एक यूनिट जो आई.सी.एम.आर. की है वह आलरैडी फंक्शनल है और वह टैस्ट करा रही है।

इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं, स्वाइन फ्लू की डिस्कशन में मैं यह बात नहीं कह सका, मौका नहीं मिला, कि पूरे प्रदेश में, सबमें ज्यादा इस हमारे प्रांत में लैबोरेटरीज हमने उपलब्ध करायी हैं। यहां हमारे आदरणीय

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)
माननीय सदस्य, कालीचरण जी नहीं हैं, उन्होंने कुछ स्टेटिस्टिक्स स्वाइन फ्लू के लिए दिये थे। वैसे तो मैंने बहुत विस्तार से स्वाइन फ्लू का जवाब दिया है और वह इसलिए दिया था कि उसमें कोई आपको सप्लीमेंट्री की गुंजाइश मैं नहीं दूं मगर जहां स्टेटिस्टिक्स की बात आती है...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सप्लीमेंट्री स्वाइन फ्लू चालू मत कर देना आप।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, मैं तो खाली एक पाइंट उसमें हाइलाइट करना चाहता हूं। स्टेटिस्टिक्स देना बहुत आसान है, आपको मैं भी स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूं राजस्थान का कम्पेयर करके कि गुजरात में जो वहां की स्टेटिस्टिक्स है, केजुअल्टी रेट 24.4 परसेंट रही, ये हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश में 33.3 परसेंट रही, पंजाब में 22.8 परसेंट रही और राजस्थान में 5.8 परसेंट रही। तो कोई इसमें बहुत खुशी की बात नहीं है कि, साहब, हमारे यहां बहुत कम मौतें हुई हैं या कोई इसमें कहीं ज्यादा हुई है तो उसके लिए खुशी है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू में, मैं यह रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि जो हमारे मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ ने जिस तरह से मेहनत की है, हमें उनको काम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। बहुत हिम्मत से उन्होंने इसमें काम किया है। (व्यवधान)

10 ट्रोमा सेंटर्स जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं नेशनल हाइ-वे पर, चार तो एस्टेब्लिश हो रहे हैं मेडिकल कालेज कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर में जिन पर कि टोटल हम 38.60 करोड़ खर्च करेंगे और 6 जगह हम ट्रोमा सेंटर्स खोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सिरोही और डी.एम.डी. अस्पताल, कोटपूतली, इनमें टोटल 3.90 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं।

222 मेडिकल टीचर्स were promoted during current financial year, 2009- 2010 में।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): बाड़मेर में ट्रोमा?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बता दूंगा आपको, तशरीफ रखिये।

222 मेडिकल टीचर्स प्रमोट किये गये हैं इस फाइनेंशल ईयर में और

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

नये अपाइंटमेंट्स 45 मेडिकल टीचर्स इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स और सीनियर डेमोंस्ट्रेटर्स का हम करने जा रहे हैं। जो वेकेंट पोस्ट 160 असिस्टेंट प्रोफेसर और 66 सीनियर डेमोंस्ट्रेटर्स की थीं वे भी हम इस साल भर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भर देंगे?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भर देंगे इस साल। Establishment of Stroke Unit at Kota Medical College - एक करोड़ रुपये, ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट 50 लाख रुपये और ब्रेकी थेरेपी मशीन 2 करोड़ 4 लाख की, यह कोटा में सब हो चुके हैं, इसका काम हो चुका है।

कोटा के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हालांकि ओम बिरला जी नहीं हैं, आज उन्होंने एक अपनी बात रखी थी क्वेश्चन के माध्यम से भी और उन्होंने एक कैथ लैब के बारे में भी बताया था। आपकी इजाजत से मैं बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से बात रखी थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, मैं मानता हूं उसको, ऐसी चीज हो बहुत शर्मनाक बात है और हम सबका यह प्रयास रहना चाहिए कि हम ऐसी चीज को अपनी ओर से जिस तरह से भी हम रोक सकें, करें। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने फंड से पांच लाख रुपये डीपफ्रीज के लिए दिए हैं। वह मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। वे यहां हैं नहीं मगर मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसी तरह से उन्होंने कैथ लैब की बात की थी मगर अब वो चूंकि यहां नहीं हैं और समय आप सब पर बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं उनको कल बता दूंगा।

बीकानेर मेडिकल कालेज में 1.5 टेस्ला 64 स्लाइस एम.आर.आई. मशीन 8 करोड़, लिथेट्रिप्सी मशीन एक करोड़, ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन मशीन एक करोड़, कोबाल्ट थेरेपी मशीन दो करोड़, यह पी.पी.पी. मोड में मेंटल हैल्थ प्रोग्राम के लिए डेढ़ करोड़ रुपये। यह कोटा में उपलब्ध कराये गये हैं।

मेडिकल कालेज, अजमेर में नयी आटो एनेलाइजर और लीनियर एक्सीलरेटर दस करोड़ की कैंसर पेशेंट्स के लिए पी.पी.पी. मोड में उपलब्ध करायी गयी है।

मेडिकल कालेज, उदयपुर में ब्रेकी थेरेपी मशीन 1.37 करोड़,

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

कार्डियोलोजी सेंटर 10 करोड़, यह डवलप हो रहा है हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की मदद से।

मेडिकल कालेज, जोधपुर में एक एम.आर.आई. मशीन पी.पी.पी. मोड में है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इसका इंस्टालेशन अप्रैल तक हो जायेगा। इसके साथ-साथ जोधपुर में फिजियोथेरेपी कालेज जुलाई में शुरू हो जायेगा। एम.एम.डी. हास्पिटल, न्यू जनाना विंग का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है।

टू न्यू सीट्स ईच इन पीडो-डोंटिक्स एंड ओरल पेथोलोजी, गवर्नमेंट डेंटल कालेज, जयपुर में 2010-11 में बढ़ायी गयी हैं। एग्जिस्टिंग सीट आज की तारीख में 10 हैं, फिर 12 हो जायेंगी।

आखिर में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम जन की मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणी के मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों को यथा क्लीनिकल साइकोलोजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर एवं साइकेट्रिस्ट नर्सेज का प्रशिक्षण मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर में प्रारम्भ किया जायेगा।

भारत सरकार से राजस्थान में मनोचिकित्सा में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया है। उक्त अनुमति व राशि प्राप्त होने पर मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर को मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी श्रेणियों के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): तीन-तीन बजे तक रात को इसी तरह जगना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से काम आयेंगे ये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आखिर में मैं आयुर्वेद और इंडियन मेडिसिन पर कुछ कहना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज कई हमारे साथियों ने आयुर्वेद पर, यूनानी पर और होम्योपेथी पर अपनी बात रखी। मैं शुरू से और हमारी सरकार शुरू से यह मानती है कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन हैं उनको हमें डवलप करना चाहिए। जिस तरह से पिछले कई सालों से इसको नेग्लेक्ट किया गया है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले कुछ सालों में हम इसको कोशिश करके उसी स्टेज पर लाएं जहां कि इसको होना चाहिए था। यह आपने देखा होगा कि हमारे घोषणा पत्र में भी इसका हवाला है। तो उसमें मैं बताना

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

चाहता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर का हमने आर्डिनेंस स्टेट्युट्स एण्ड सर्विस रूल्स फ्रेम कर दिये हैं, यह पहली दफे हुआ है। एम एम एम आयुर्वेद कालेज गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज उदयपुर का creation and upgradation of teachers posts as per CCIM norms, and encadred in service rules. डी पी सी डेट जो है 26.3.2010 की आर पी एस सी ने प्रमोशन की फिक्स कर दी है टीचिंग स्टाफ की। एम एम एम आयुर्वेद कालेज उदयपुर के लिए जब डी पी सीज वेकेन्सीज... if even after DPC, vacancies remain, they will be filled up through RPSC. इसके लिए रूल्स हमने अमेंड कर दिए हैं। यह मैं खास तौर पर इसलिए बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय कटारिया जी ने यह मामला उठाया था और उन्होंने यह भी मालूम करना चाहा था और वह कम्पलीट मैं नहीं कर सका था कि इसमें रूल्स आप क्या करेंगे। तो हमने कहा कि हम रूल्स भी अमेंड कर देंगे।

यूनानी पेथी को बढ़ावा देने के लिए हमने यह हमारा एक घोषणा पत्र जो दिया तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यूनानी डाइरेक्ट्रेट का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद काफी डेलीगेशंस और काफी लोगों ने, जो आज आपने भी बात रखी है कि होम्योपेथी का डाइरेक्ट्रेट होना चाहिए। मैंने भी इसको एंडोर्स करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी से इसको रिक्वेस्ट किया कि होम्योपेथी को भी हम बढ़ावा दें। मुझे कहते हुए यह बहुत खुशी होती है कि आज उन्होंने इसके लिए एग्री कर लिया और हम होम्योपेथी का भी एक अलग से डाइरेक्ट्रेट कायम करने जा रहे हैं।

इसमें यूनानी का और होम्योपेथी का तो हैडक्वार्टर डाइरेक्ट्रेट हम जयपुर में रखेंगे। यहां पर हम एक आयुष भवन बनाने जा रहे हैं जिसकी कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी है। इसमें डाइरेक्ट्रेट आयुर्वेद का तो अजमेर में रहेगा मगर एक कैम्प आफिस आयुर्वेद का हम इसमें रखेंगे। प्रोसेस बीस लेक्चरर और 319 आयुर्वेद फिजिशियंस के रिक्रूटमेंट का आर पी एस सी से हमने चालू कर दिया है। सी एम ने अनाउंसमेंट किया था आनरेरियम्स का, आठ हजार से सोलह हजार पर मंथ आयुष फिजिशियंस एंड नर्सिंग कम्पाउंडर्स का 4500 से 7500 पर मंथ, एट पार विद एलोपेथी डाक्टर्स और नर्सिंग कम्पाउंडर्स।

इसी तरह से हमने आर्डर इश्यु कर दिए हैं, increased stipend for PG students of first year – from Rs. 7,600 per month to Rs. 16,800. सेकंड ईयर के

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

लिए 7,800 से हमने इन्क्रीज करके 17,800 पर मंथ कर दिया है और थर्ड ईयर के लिए आठ हजार पर मंथ से 18,800 रुपये हमने कर दिया है प्लस डी ए पर मंथ, एण्ड फोर इंटर्न्स जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज उदयपुर के हैं उनका 1,250 से हमने इन्क्रीज करके 3,500 पर महीना कर दिया है and the same is to be paid to the Interns of Rajasthan Ayurved University, Jodhpur. हमने डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद आफिसर्स का आफिस प्रतापगढ़ में और एक डिप्टी डाइरेक्टर आफिस भरतपुर में खोलने का निर्णय लिया है।

अभी बात आ रही थी कि हमारे कई चिकित्सालयों में फर्नीचर की कमी है, डिस्पेंसरीज में कमी है। इसके लिए दो हजार डिस्पेंसरीज के लिए दो करोड़ रुपया इसके लिए हमने सैंक्शन किया है।

हमने इक्कीस करोड़ की आयुष हास्पिटल्स और डिस्पेंसरीज के लिए दवाइयां परचेज की हैं और सप्लाई की है आयुष मेडिसिंस नौ करोड़ दस लाख की, are being purchased for NRHM Ayush Wing in PHCs. चार फार्मेसीज जो अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर में हैं, जो कि आयुर्वेद डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें चूंकि कुछ कमियां थीं तो हम एन आर एच एम के थ्रू उनको एन्हांस करने का डिसीजन ले रहे हैं।

अब आयी वह बात जो आप कह रहे थे कि कई चीजें छूट गई हैं आयुर्वेद के सिलसिले में तो to promote medical tourism in Rajasthan, under Ayurved Department 7 tourist places viz. Jaipur, Bharatpur, Pushkar, Jaisalmer, Bikaner, Jodhpur and Nathdwara have been selected for establishing Panchkarma Centres through PPP. राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने एक सिलेबस डिग्री कोर्स का भी प्रिपेयर कर दिया है ।

यह मुझे आज कहते हुए खुशी है कि कई वायदे जो हमने अपने किये थे वह हमने पूरे किये और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले समय में जो आपने कमियां बताई हैं, आपका हमें कोआपरेशन रहा, गाइडेंस रही तो हम पूरा प्रयास करेंगे। जो आपको, आपके इलाके को और आपके लोगों को जो तकलीफें हैं, हम उनमें अगर थोड़ी भी कमी कर सकें तो अपने आपको खुशकिस्मत समझेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री भंवरलाल जी मेघवाल, श्रम एवं नियोजन।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-23 श्रम एवं रोजगार, आज सुबह से काफी माननीय सदस्यों ने

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर अपने विचार रखे लेकिन श्रम एवं रोजगार के ऊपर बहुत कम सदस्यों ने अपने विचार रखे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): दो माननीय सदस्य बोले थे, दोनों ही भाग गये।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अब दोनों ही गये तो अच्छी बात है ना। फिर भी जिन्होंने भी यहां पर अपने सुझाव दिए, अमूल्य सुझाव दिए उनका मैं स्वागत करता हूं...

श्री सभापति: सारी योजना ही बता डालो ना अपने राजस्थान की।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): और आश्वस्त करता हूं सदन को कि जो भी सुझाव आए हैं उनको निश्चित तौर से ध्यान में रखते हुए ... (व्यवधान) बताऊंगा, क्यों चिन्ता कर रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम तो सन्तुष्ट हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सन्तुष्ट हो तो इसलिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। कट मोशन जितने भी आए हैं.......

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरा भी है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मालूम है, आपके गंगानगर का है इसीलिए बैठे हो आप।

कट मोशंस जितने भी आए हैं उनका जवाब चौबीस घण्टे में भेज दिया जाएगा। हमारे विभाग ने अबकी बार एक श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन योजना लागू की है। उससे श्रमिकों को काफी फायदा होगा पेंशन में और उसमें हमने संगठित श्रमिकों के अलावा जो जोड़े हैं, जैसे रिक्शा चालक हैं, थड़ी वाले हैं, चर्मकार हैं, हम्माल हैं, टैक्सी चालक हैं, अभी इसी साल से चालू किए हैं ...(व्यवधान) पहले चालू नहीं किया आपने, अभी चालू किया है। मैं अभी बता रहा हूं। होटल हैं, ढाबे हैं, दुकान हैं, मूर्तिकार हैं, बीड़ी कामगार हैं, ठेले वाले हैं, दर्जी, कुम्हार, बढ़ई, यह पेंशन योजना चालू की है। इस पेंशन योजना में अब तक काफी लोग पेंशन के लिए अपनी राशि जमा करा चुके हैं। बीस साल से पचास साल की उम्र का श्रमिक अगर एक हजार रुपया साल का जमा कराएगा, उतना ही पैसा सरकार जमा कराएगी और

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

उसके बाद में, साठ साल की उम्र के बाद में उनको पेंशन मिलती जाएगी। एक तो यह योजना चालू की है।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि बीड़ी श्रमिकों के लिए राजस्थान के अन्दर टोंक जिले में 173 आवास निर्मित किए गए हैं और ब्यावर में 700 आवास और अन्ता में 202 आवास राजस्थान आवासन मण्डल को प्रस्तावित कर दिए गए हैं। इनके लिए और बनाये जायेंगे।

श्रमिकों को कुछ पहचान देने के लिये चूंकि आप जानते हैं हमारे श्रमिक जो उदयपुर, इधर दक्षिणी राजस्थान के हैं वे प्राय:कर गुजरात की तरफ जाते हैं इसलिये उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम हाथ में लिया है। अब तक 20 हजार श्रमिकों के आइडेंटिटी कार्ड बना दिये गये हैं।

भारत सरकार ने एक कानून बनाया, भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधिनियम, 1996, राजस्थान में इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया। अब मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के निर्देश से 30.4.2009 को प्रदेश में भी यह प्रभावी हो जायेगा और 1 अप्रैल, 2010 से पूरे राजस्थान के अन्दर यह अधिनियम लागू होगा ताकि श्रमिकों के लिये जो राशि आयेगी, जो जमा होगी उससे उन श्रमिकों को फायदा मिलेगा।

इसी तरीके से राजस्थान के अन्दर जो हमारे 33 जिले हैं उन 33 जिलों में रोजगार मेले हमने लगाये हैं। रोजगार मेले लगाने से काफी श्रमिक हमारी जो फैक्टरीज हैं, मिल्स हैं, कारखाने हैं, उनके अन्दर ये सारे श्रमिक लगे हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि करीब-करीब 75 हजार से ऊपर श्रमिकों को रोजगार इस प्राइवेट सेक्टर में मिला है।

इसी तरीके से हमारे रोजगार विभाग को भी हमने पूरी तरह से कम्प्यूटराइज कर दिया है ताकि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति सीधा वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, उसको समय पर सूचना मिल जाए कि कहां-कहां वैकेंसी है। यह भी हमने विचार किया है।

राजस्थान के अन्दर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब की बार राजस्थान में कौशल एवं आजीविका मिशन के सहयोग से समस्त जिलों में जिस प्रकार रोजगार मेले लगाये हैं, ये मेले अगले साल भी हम इसी तरीके से लगायेंगे ताकि राजस्थान में श्रमिक मिलों, कारखानों, फैक्टरीज में मिल सकें।

यहां पर न्यूनतम मजदूरी की बात आयी है तो न्यूनतम मजदूरी के

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

लिये सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार इस पर विचार करेगी कि कितनी न्यूनतम मजदूरी की जाए। अब कुछ..(व्यवधान) मैंने कहा ना, विचाराधीन है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): विचाराधीन तो बहुत समय से है लेकिन आपको घोषणा करनी चाहिये सदन में। ऐसी आपसे अपेक्षा है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): विचाराधीन है तभी तो मैंने कहा ना कि विचाराधीन है। सरकार के विचाराधीन है तो निश्चित तौर से काम होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपका मन तो ठीक है ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मेरा मन तो ठीक है, फिर आप जानते हैं। मेरा मन तो ठीक है लेकिन आप जानते हैं सारा मामला वित्त विभाग का है और वित्त विभाग जब स्वीकृति देता है तभी कोई बात है। विचाराधीन मैंने इसीलिये कहा है।

चूंकि हमारा विभाग श्रमिकों के कल्याण का विभाग है इसलिये और तो कोई घोषणाएं इसमें होने वाली हैं नहीं।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार को पारित किया जावे।

श्री सभापतिः नहीं, इधर वाले कुछ कह रहे थे ना आपको।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं समझ गया बात को।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई को पारित किया जाए।

मांग संख्या-26 का पारण

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,11,11,46,000/- (अट्ठाईस अरब ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख छियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस पर लोग नो भी बोल सकते हैं। इसलिये "हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता"; नहीं, "यह हां पक्ष जीता", फिर हमारी तरफ भी देख लिया करो आप। हम कहें ''ना पक्ष जीता'', तब तो आप देखा करो ना थोड़ा-थोड़ा, कभी-कभी।

मांग संख्या-23 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,23,73,80,000/- (एक अरब तेईस करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 2.36 बजे शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सिरोही जिले में कृषि कनेक्शन के लम्बित प्रकरण

286. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) जिला सिरोही में जनवरी, 2005 से जनवरी, 2010 तक कुल कितने कृषि कनेक्शन दिये गये व कितने लम्बित हैं? अनुसूचित जाति/जनजाति एपीएल एवं बीपीएल आवेदकों की पंचायत समितिवार संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें|

(2) क्या सरकार लम्बित कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार लघु व सीमान्त किसानों को सिंगल फेस कृषि कनेक्शन देने हेतु विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार किसानों को प्रतिदिन आठ घण्टे बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सिरोही में जनवरी 2005 से फरवरी 2010 तक 5127 कृषि कनेक्शन जारी किये गये, जिसका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	पंचायत समिति	जारी कनेक्शनों की श्रेणी एवं संख्या सूची				
		सामान्य	एस.सी.	एस.टी.	विशेष श्रेणी	योग
1	सिरोही	554	93	-	5	652
2	पिण्डवाडा	279	91	-	78	448
3	शिवगंज	182	84	-	33	299
4	आबू रोड	10	13	633	59	715
5	रेवदर	1084	1427	-	502	3013
योग		**2109**	**1708**	**633**	**677**	**5127**

(ऊर्जा मंत्री)

सामान्य श्रेणी के आवेदकों को दिसम्बर-07 तक के मांग पत्र जारी कर दिये गये है और मांगपत्र जमा होने पर वरियता अनुसार कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है| जनवरी-08 से फरवरी-10 तक कुल 2150 सामान्य श्रेणी के आवेदन लम्बित हैं, जिन्हें आगामी वर्षो में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है| प्रचलित कृषि नीति के तहत अनुसूचित जाति के आवेदकों को एवं जनजाति क्षेत्र में एस.टी. के आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन प्रदान किये जाते हैं| सिरोही जिले की केवल आबूरोड पंचायत समिति जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित है| वर्तमान में अनुसूचित जाति के 194 एवं आबूरोड पंचायत समिति के जनजाति के 56 कृषि श्रेणी के आवेदन लम्बित हैं, जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं|

ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. आवेदकों को अलग से कृषि कनेक्शन करने की कोई प्राथमिकता नहीं होने से अलग से सूचना संधारित नहीं की जाती है।

(2) जी हां। दिनांक 31.12.2007 तक के सभी आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिए गए हैं। मांगपत्र राशि जमा आवेदकों के कनेक्शन नियमानुसार जारी किए जा रहे हैं। शेष आवेदकों के मांगपत्र विद्युत उपलब्धता व प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण करते हुये नीति निर्धारण कर जारी कर दिये जायेंगे|

(3) जी नहीं| इस संबंध में अभी कोई प्रस्ताव/विचार नहीं है। कृषि कनेक्शन जारी करने में सिंगल फेज कनेक्शन तकनीकी रूप से साध्य नहीं होते हैं। अतः कृषि क्षेत्र में सिंगल फेज कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) वर्तमान में उपलब्धता एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार किसानों को कृषि कार्यों हेतु दिन में साढे छह व रात में सात घण्टे थ्री फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है| विद्युत सप्लाई में बढ़ोतरी का निर्णय मांग एवं नई उत्पादन इकाइयों में उत्पादन शुरू होने पर उपलब्धतानुसार राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है|

सोजत तहसील क्षेत्र में गुणवत्ताहीन बाजरे के बीज के नुकसान की क्षतिपूर्ति

287. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि खरीफ 2007 में किसानों को बाजरे का बीज एच एच बी 67 तथा एच एच बी-67 ओल्ड आंध्र प्रदेश से खरीद कर वितरित किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी फर्म से कितना तथा किस-किस दर पर बीज खरीदा गया तथा आपूर्तिकर्ता फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह भी सही है कि खरीफ 2007 में पाली जिले के तहसील क्षेत्र सोजत में उक्त विक्रय किये बाजरा बीज के सीट्टे नहीं आने तथा बीज गुणवत्ता के मामले में जांच हेतु शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? जांच परिणाम व राज्य सरकार को राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उप निदेशक कृषि विस्तार, पाली द्वारा नुकसान आंकलन तथा गठित समिति द्वारा की गई जांच परिणाम की प्रति सरकार को प्रेषित की गई है? यदि हां, तो जांच परिणाम व मुआवजा निर्धारण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(कृषि मंत्री)

फर्म का नाम	एच.एच.बी.-67 (Imp.)			एच.एच.बी.-67 (Old)		
	मात्रा	दर/प्रति क्वि.	भुगतान	मात्रा	दर/प्रति क्वि.	भुगतान
मुरलीधर सीड्स कार्पो.	571.41	2250/-	1285673	652.83	2250/-	1468867
एम.एन. रेड्डी एण्ड सन्स	386.40	2070/-	799848	435	2070/-	900450
	300	2090/-	627000	600	2090/-	1254000
वरद एग्रीटेक लि.	395.25	2250/-	889313	1354.20	2250/-	3046950
आंध्र प्रदेश स्टेट सीड्स डवलपमेंट कार्पो. लि.	172.74	2097/-	-	-	-	-

(कृषि मंत्री)

(2) जी हां। शिकायत की जांच की गई। जांच परिणाम एवं राज्य सरकार को प्रेषित रिपोर्ट अनुलग्नक-1 पर संलग्न है क्षेत्र में बीज की किस्म अलग पाई गई अतः जांच समिति द्वारा बीज के सुरक्षित नमूनों की अनुवांशिक जांच प्रस्तावित की गई। शिकायती लॉट के बीजों का अनुवांशिकी परीक्षण IC-RISAT हैदराबाद एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिसमें बीज घोषित किस्म के अनुरूप ही पाया गया (अनुलग्नक-2 एवं 3)

(3) उप निदेशक कृषि विस्तार पाली के निवेदन पर क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान तथा परियोजना समन्वयक (बाजरा) के आदेशानुसार दिनांक 03.09.07 को बाजरा के खेतों पर निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक-4 पर संलग्न है।

उप निदेशक कृषि विस्तार पाली द्वारा भी अपने स्तर पर दिनांक 10.09.07 को कमेटी गठित कर जांच करवाई गई थी, जांच रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक-5 पर संलग्न है। उक्त रिपोर्ट के उपरान्त दिनांक 29 एवं 30.09.2007 को पुनः जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

कमेटी द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) पाली द्वारा फसल कटाई एवं मूल्यांकन प्रयोग (Crop Cutting Experiment) रिपोर्ट दि. 15.11.07 को राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. को प्रेषित की गई। जिसमें उत्पादन में अंतर का आंकलन किया गया था। प्रेषित रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक-6 पर संलग्न है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार बीज के घोषित किस्म का पाये जाने के कारण मुआवजा निर्धारण नहीं किया गया था।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को आबंटित आबादी भूमि

288. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में आवासीय योजना तैयार करने के मानदण्ड तय किए हुए हैं? यदि हां, तो क्या? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की किस-किस ग्राम पंचायत को आवासीय योजना हेतु गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी भूमि कब-कब आबंटित की गई? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आबंटित भूमि पर भू-खण्डों को किस-किस विधि से किस-किस प्रकार की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आबंटित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के पंचायत समिति क्षेत्र में गत 3 वर्षो में 5 ग्राम पंचायतों में 16 बीघा आबादी भूमि का आबंटन किया गया है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) आवासीय भूमि को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 से 156 तथा नियम 158 से 160 तक के अनुसार पात्र परिवारों को आवंटित की जाती है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रति, सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के तहत चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण

289. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) वर्ष 2004-05 से जनवरी, 2010 तक राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के कितने प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रावधान है तथा अब तक कितने प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने-कितने चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था तथा कितने चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिये कितने बजटीय प्रावधानों के विरुद्ध कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चिकित्साकर्मियों के लिए विभिन्न विषयों में कुल, वर्षवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान एवं उपलब्धियां चिकित्सकों हेतु परिशिष्ट-अ एवं पैरामेडिकल स्टाफ हेतु परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त अवधि में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, विश्व बैंक एवं चिकित्साकर्मियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संशोधित लक्ष्य (जोकि परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है), के विरुद्ध अब तक (जनवरी 2010 तक) कुल 23120 चिकित्साकर्मियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से 6066 चिकित्सक एवं 17054 पैरामेडिकल स्टाफ हैं। चिकित्साकर्मियों हेतु कुल, वर्षवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान एवं उपलब्धियां चिकित्सकों हेतु परिशिष्ट-अ पर पैरामेडिकल स्टाफ हेतु परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) परियोजना की पी.आई.पी. में उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु रुपये 2685.46 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2009 तक कुल रुपये 1010.90 लाख का व्यय प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर किया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु निर्धारित वर्षवार किये जाने वाले व्यय का प्रावधान एवं किये गये व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु इस्पात पर प्रवेश शुल्क में छूट

290. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या सरकार राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु इस्पात पर प्रवेश शुल्क हटा कर पवन ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया 400 केवीए जैसलमेर ग्रिड सब-स्टेशन एवं जैसलमेर से जोधपुर की 400 केवीए की प्रसारण की लाइनों को पवन ऊर्जा से जोड़ने का निर्माण कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है? क्या यह भी सही है कि यह केवल आगामी दो वर्ष तक ही विद्युत आपूर्ति कर पायेगा? यदि हां, तो इसके पश्चात् पवन ऊर्जा उत्पादन की बढ़ोतरी हेतु सरकार क्या विचार रखती है?

(3) क्या सरकार पवन ऊर्जा में बढ़ोतरी हेतु पवन ऊर्जा उत्पादकों को भूमि आबंटन की बाधाओं को दूर कर पवन ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। जैसलमेर क्षेत्र में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युत के निस्तारण हेतु जैसलमेर में निर्माणाधीन 400 के.वी. जी.एस.एस. तथा 400 के.वी. जैसलमेर-जोधपुर लाइन का कार्य प्रगति पर है तथा इन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

जी नहीं। क्षेत्र में विद्यमान एवं स्वीकृत तंत्र 2000 मेगावाट क्षमता तक पवन ऊर्जा का निस्तारण करने के लिए सक्षम है। जैसे-जैसे क्षेत्र में विद्युत उत्पादन बढ़ेगा उसके साथ प्रसारण तंत्र में विस्तार किया जायेगा।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक नीति माह अक्टूबर-2004 में जारी की गई है। जिसके अन्तर्गत पवन ऊर्जा उत्पादकों को भूमि आबंटन डी.एल.सी. मूल्य के 10 प्रतिशत पर 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध कराई जा रही है।

अलवर जिले में देशी गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु कार्य-योजना

291. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर जिले में देशी गोवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण के उपाय किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या?

(2) गत वर्ष अलवर जिले से अन्य प्रान्तों में गौकसी हेतु ले जा रहे कितना गोधन (गाय/बछड़े) पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा गया तथा पकड़े गये गोधन को किन-किन को सुपुर्दगी पर सौंपा गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे पकड़े गये गोधन की परिवरिश के लिए गोधन सैन्च्युरी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में देशी गोवंश के संवर्द्धन के लिए कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, बांझपन निवारण शिविर, उन्नत सांड वितरण, पशुपालक प्रशिक्षण शिविर, पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(2) गत वर्ष अलवर जिले से अन्य प्रान्तों में गोकसी हेतु ले जा रहे 57 गोधन को पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा गया। अधीनस्थ पुलिस थानों द्वारा इस गोधन को निकटवर्ती गोशालाओं को नियमानुसार सुपुर्द किया गया :-

(पशुपालन मंत्री)

पुलिस थाना	पकड़ा गया गौधन				नाम गौशाला
	गाय	बछड़ा	बछड़ी	योग	
खेड़ली	18	2	0	20	सार्वजनिक गौशाला, अलवर
खेड़ली	18	4	6	28	सार्वजनिक गौशाला, अलवर
रामगढ़	6	3	0	9	श्री सुधासागर जैन गौशाला, बग्गड़ तिराहा, अलवर
योग	**42**	**9**	**6**	**57**	

(3) जी नहीं। वर्तमान में गोकसी से बचाए गोधन को नजदीक की पंजीकृत गोशाला में परवरिश के लिए भिजवाए जाने की व्यवस्था है।

आंध्र प्रदेश पैटर्न पर नरेगा श्रमिकों को भुगतान

292. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान काफी विलम्ब से हो रहा है? क्या सरकार मजदूरी का भुगतान समय पर करने हेतु कार्य-योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश पैटर्न पर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माप हेतु तकनीकी अभियन्ताओं की राज्य में कमी एवं भुगतान करने वाली एजेन्सी यथा बैंक एवं पोस्ट आफिस की सीमित संख्या के कारण श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने में कई स्थानों पर विलम्ब हो जाता है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा मजदूरी का समय पर भुगतान करने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार के लिये जिलों को समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिनांक 1.03.10 से ग्राम पंचायतों पर अलग अलग तारीख को कार्य पखवाड़ा प्रारम्भ करने हेतु निर्देशा दिये गये हैं, जिससे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

(2) जी हां। श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान हेतु आन्ध्र प्रदेश पैटर्न का परीक्षण किया जा रहा है।

झालावाड़ जिले के स्नातकोत्तर एवं विधि महाविद्यालयों में रिक्त पद

293. श्री अनिल जैन (अजमेर दक्षिण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा विधि महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि विधि महाविद्यालय, झालावाड़ में प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकों के पदों पर एक भी अराजपत्रित कार्मिक नियुक्त नहीं है?

(3) क्या सरकार इन महाविद्यालयों में रिक्त विभिन्न विषयों के पद निकट भविष्य में भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। झालावाड़ जिले में स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ में 34, राजकीय कन्या महाविद्यालय में 08 एवं राजकीय विधि महाविद्यालय में 01 पद रिक्त है।

(2) जी नहीं। राजकीय विधि महाविद्यालय, झालावाड़ में एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य व्यवस्था के आधार पर लगा रखे हैं।

(3) जी हां। विभिन्न विषयों के 457 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना दिनांक 11.08.2009 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है।

वर्तमान में शैक्षिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापन कार्य हेतु संबंधित महाविद्यालय में प्राचार्य को अतिथि व्याख्याता (Guest faculty) लगाने हेतु दिनांक 22.02.2010 को आदेशित किया गया है।

फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई योजनान्तर्गत कृषकों को रियायतें

294. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पानी की कमी के कारण फव्वारा एवं ड्रीप सिंचाई योजना को बढ़ावा देने हेतु विशेष एवं तत्काल योजना स्वीकृत की है? यदि हां, तो ड्रीप एवं फव्वारे स्कीम में क्या-क्या शर्तें हैं?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(2) उक्त योजनाओं में कृषकों को क्या-क्या रियायती प्रावधान किया गया है? योजना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई योजना को बढ़ावा देने हेतु राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना) वर्ष 2006-07 से लागू है। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों के समान ही गैर उद्यानिकी फसलों हेतु 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि राज्य संसाधनों से दिये जाने का प्रावधान 22.10.2009 से किया गया है। ड्रिप एवं फव्वारा स्कीम की मुख्य शर्तों के तहत इस योजना का लाभ लेने हेतु कृषक के पास भूमि हो, सिंचाई की सुविधा हो तथा गत पांच वर्ष के दौरान 5 हैक्टर की अधिकतम सीमा में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान न लिया हो।

(2) सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत कृषकों को फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापन्न पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत, ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापन्न एवं मिनी स्प्रिंकलर स्थापना पर इकाई लागत के 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। योजना दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

धौलपुर जिले में बी.पी.एल. कार्डों का वितरण

295. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में बी.पी.एल. की सूची दी वर्षों पूर्व तैयार की जाकर प्रकाशित कर दी गई है? यदि हां, तो बी.पी.एल. परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड वितरित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बी.पी.एल. कार्ड वितरित नहीं होने के कारण बी.पी.एल. कार्डधारी को दी जाने वाली सुविधाओं से बी.पी.एल. परिवार वंचित हैं? यदि हां, तो जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) ग्रामीण बीपीएल सूची 2002 जारी करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.9.2006 को जारी किये गये हैं। भारत सरकार से बीपीएल कार्ड (फोटो

(ग्रामीण विकास मंत्री)

आइडेन्टीटी कार्ड) बनाने हेतु बजट प्राप्त नहीं होने के कारण बीपीएल कार्ड (फोटो आइडेन्टीटी कार्ड) जारी नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। बीपीएल कार्ड (फोटो आइडेन्टीटी कार्ड) जारी नहीं करने से बीपीएल परिवारों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं प्रभावित नहीं हुई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, महानरेगा एवं रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आबंटन में चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के प्रमुख चिकित्सकों द्वारा निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में शल्य क्रियाएं

296. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्रमुख सर्जन निजी अस्पतालों में जाकर आपरेशन आदि कार्य करते हैं? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी चिकित्सकों द्वारा मरीजों से घर पर दिखाने पर मनमानी राशि वसूलने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्रमुख सर्जन द्वारा निजी अस्पतालों में जाकर आपरेशन करने पर प्रतिबन्ध है। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर तथ्यों की जांच करवायी जाती है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनका विधि सम्मत परीक्षण किया जाता है। जांच रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार ऐसा कोई प्रकरण अभी तक नहीं पाया गया है जिसके आधार पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत एवं पदस्थापित चिकित्सकों के संबंध में ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर जांच करवायी जाती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी शिक्षक चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत में लगाये गये आरोप सिद्ध न होने के कारण किसी भी चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

प्रदेश की विद्युत उत्पादन इकाइयों में रिक्त पद

297. श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) वर्तमान में राज्य में विद्युत उत्पादन की कितनी इकाइयां हैं और उनमें से कितनी में विद्युत का उत्पादन हो रहा है?

(2) उक्त प्रत्येक इकाइयों में उनकी क्षमता के अनुरूप अभियन्ता/तकनीकी/श्रमिक के कितने पद स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत सभी पदों पर अभियन्ता/कर्मचारी पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो अब कब तक पदस्थापित कर दिये जावेंगे?

(3) क्या यह सही है कि पर्याप्त स्टाफ के अभाव में कुछ इकाइयों को ठेके पर दिया जा रहा है? यदि हां, तो कमी कब तक पूरी की जायेगी?

(4) क्या यह भी सही है कि गत दो वर्षों में समय पर पदोन्नति नहीं होने तथा वेतन भत्ते कम मिलने से कई अभियन्ता निजी क्षेत्र में चले गये? यदि हां, तो उक्त अवधि से अब तक कितने अभियन्ता निजी क्षेत्रों में गये तथा भविष्य में उनको रोकने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि उत्पादन निगम की इकाइयों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी के पदोन्नति के मानदण्ड एन.टी.पी.सी. के मानदण्ड से अलग हैं? यदि हां, तो उनमें सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में राज्य क्षेत्र में स्थापित विद्युत उत्पादन की 8 विद्युत इकाइयां हैं। जिनसे माह जनवरी 2010 तक कुल 3847.35 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

राज्य में पवन ऊर्जा के माध्यम से माह जनवरी, 2010 तक 871.845 मेगावाट एवं बायोमास ऊर्जा के माध्यम से 46.3 मेगावाट की विद्युत उत्पादन इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

उक्त समस्त इकाइयां निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की गई हैं।

(2) निगम के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के लिये स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। जी नहीं, स्वीकृत सभी पदों पर अभियन्ता/कर्मचारी पदस्थापित नहीं है क्योंकि अभियन्ता/कर्मचारियों का पदोन्नत होना, सेवानिवृत्त होना और सेवा त्यागना एक सतत प्रक्रिया है। जैसे-जैसे पद रिक्त होते जाते हैं,

(ऊर्जा मंत्री)

निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यकतानुसार राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त नवीन नियुक्तियां भी की जाती हैं। वर्तमान में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कुछ समय से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नवीन आरक्षण व्यवस्था पर लगाये गये स्थगन आदेश के कारण व विभिन्न चुनाव प्रक्रियाओं में नवीन नियुक्तियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण रोक दी गई थी जिसे माह मार्च, 2010 में ही प्रारम्भ किया गया है।

(3) जी हां। कोटा तापीय विद्युत परियोजना की यूनिट संख्या-7 और छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना के संचालन का कार्य नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण भारत सरकार के उपक्रम-इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा को ठेके पर दिया गया है। उक्त कमी को पूरा करने के लिए माह मार्च, 2010 में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि गत 2 वर्षों में समय पर पदोन्नति नहीं होने और वेतन भत्ते कम मिलने से कई अभियन्ता निजी क्षेत्र में चले गये हैं। विगत 2 वर्षों में 61 अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की सेवाऐं छोड़कर गये हैं किन्तु इनमें से कितने अभियन्ता निजी क्षेत्रों में चले गये हैं इस सम्बन्ध में निगम को जानकारी नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त 61 अभियन्ताओं में से 45 कनिष्ठ अभियन्ता थे और वे अपने बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए किसी सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग में उच्चतर पद पर चयन के कारण गये हैं, जो कि सभी विभागों एवं कम्पनियों में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है।

जहां तक वेतन भत्तों का प्रश्न है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सभी अभियन्ताओं/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति छठे वेतनमान की सिफारिशों के क्रम में नवीन वेतनमानों का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. की विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर नियुक्त अभियन्ताओं को मासिक एवं त्रिमासिक जनरेशन इन्सेन्टिव, स्पेशल प्रौडक्टिविटी अवार्ड, थर्मल अलाउन्स आदि का भुगतान भी किया जाता है, जिसके कारण यहां पर कार्यरत अभियन्ताओं को प्राप्त कुल वेतन एवं भत्ते राज्य की अन्य विद्युत निगमों में कार्यरत उनके समकक्ष अभियन्ताओं से कहीं अधिक है। इसके साथ ही साथ अधिकांश विद्युत परियोजनाओं पर निगम की आवासीय कालोनियां भी बसाई गयी हैं जहां पर अभियन्ताओं को अत्यल्प राशि पर मकान सुविधा, उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था तथा उनके परिवार के लिए चिकित्सा एवं मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत अभियन्ताओं को राज्य के अन्य विद्युत निगमों में कार्यरत उनके समकक्ष अभियन्ताओं से बेहतर पदोन्नति के अवसर प्राप्त हुए हैं। पूर्व की भांति विगत 2 वर्षों में भी अभियन्ताओं के सभी पदों पर उपलब्ध रिक्त पदों को न केवल पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर भरा गया है अपितु अनेकों पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभियन्ता उपलब्ध नहीं होने पर अनुभव की सीमा में छूट देकर भी पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि पदोन्नति नहीं होने या कम वेतन भत्ते मिलने से अभियन्ता उत्पादन निगम की नौकरी छोड़कर जा रहे हैं।

(5) जी हां। एन.टी.सी. भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसकी कार्यदशाएं एवं वातावरण राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. से भिन्न है अत: कर्मचारियों की सेवा शर्तों में भी स्वाभाविक भिन्नता है। यद्यपि उत्पादन निगम में रिक्त पदों को भरने हेतु यथाशीघ्र पदोन्नति करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है, तथापि पदोन्नति के अवसर बढ़ाने हेतु नवीन परियोजनाओं पर नये पदों का सृजन किया जा रहा है जिन्हें विभागीय नियमानुसार अधिकाधिक संख्या में विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही भरा जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अमानक कीटनाशक निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही

298. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य के कीटनाशकों के नमूने लेकर गुणवत्ता विश्लेषण कराये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक निर्मातावार एवं जिलेवार लिये गये नमूनों तथा परीक्षण के परिणामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में तीन वर्ष में कितने निर्माता कीटनाशक विकय करने के लिये अधिकृत रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने निर्माताओं से विगत तीन वर्षों में कीटनाशक नमूने विश्लेषण हेतु लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) विगत छह वर्षों में अमानक नमूने पाये जाने पर निर्माताओं एवं विक्रेताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण नमूनावार एवं जिलेवार सदन की मेज पर रखें। यदि न्यायालय में वाद दायर किया गया है तो अमानक पाये जाने का

(श्री बंशीधर खण्डेला)

दिनांक, वाद दायर करने का दिनांक, वाद नं. एवं वर्तमान स्थिति का विवरण जिलेवार/निरीक्षकवार सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें अमानक नमूने पाये जाने पर भी जिसके लिये निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही निर्धारित अवधि में शुरू नहीं की गई, इसके लिये कौन दोषी है एवं सरकार इनके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 तक लिए गये नमूनों तथा परीक्षण के परिणामों का विवरण जिलेवार परिशिष्ट "अ" पर तथा निर्मातावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) राज्य में तीन वर्ष में 315 कीटनाशी निर्माता कीटनाशक विक्रय के लिए अधिकृत किये गये जिनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

राज्य में उक्त 315 अधिकृत कीटनाशी निर्माताओं में से 209 कीटनाशी निर्माता जिन्होंने राज्य में व्यापक व्यवसाय किया है के नमूने विश्लेषण हेतु लिए गये तथा एक निर्माता मैसर्स आदर्श केमिकल्स एण्ड पेस्टीसाइड्स जयपुर जिसको लाइसेन्स प्राप्त नहीं था द्वारा व्यवसाय किया गया था, के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया। शेष निर्माताओं के नमूने नहीं लेने का कारण राज्य में व्यवसाय नहीं करना या बहुत कम मात्रा में व्यवसाय करना रहा है। गत वर्षों में राज्य में अधिसूचित कीटनाशक निरीक्षकों के पद 96 पद रिक्त थे जिनके विरुद्ध वर्ष 2009-10 में अधिकारियों का चयन करवा लिया गया है तथा उनका पदस्थापन किया जाना प्रक्रियान्तर्गत है।

(3) विगत छह वर्षों में अमानक पाये गये नमूनों से सम्बन्धित निर्माताओं/विक्रेताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण तथा नमूना अमानक पाये जाने की दिनांक, वाद दायर करने की प्राप्त दिनांक व नम्बर तथा वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(4) किसी भी नमूने के अमानक पाये जाने पर उसके निर्माता तथा विक्रेता को सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं तत्पश्चात् न्यायिक कार्रवाई शुरू करने से पूर्व अभियोजन हेतु लिखित स्वीकृति जारी की जाती है। अत: राज्य में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिनके विरुद्ध लिखित स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात् निर्धारित अवधि में न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई हो।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर में सांसद एवं विधायक कोष से स्वीकृत अपूर्ण कार्य

299. **श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्ष 2005 से जनवरी, 2010 तक सांसद एवं विधायक कोष से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य कितने समय से किन कारणों से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों के लम्बे समय से अपूर्ण रहने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्ष 2005 से जनवरी 2010 तक सांसद/विधायक कोष से सांसद/विधायक कोष से स्वीकृत अपूर्ण कार्यों का कार्यवार विवरण संलग्न क्रमशः परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

विधायक कोष से स्वीकृत कार्यो में गत वर्ष तक स्वीकृत कार्यो में से केवल दो कार्य अपूर्ण हैं, जिनमें से एक कार्य की लागत में वृद्धि के कारण कार्यकारी एजेन्सी ने स्वीकृति में संशोधन हेतु निवेदन किया है। द्वितीय कार्य का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, केवल संगरोगन शेष हैं । सांसद कोष के गत वर्ष का केवल एक कार्य सरपंच के निलम्बन होने से प्रारम्भ नहीं हो सका था । जो वर्तमान में प्रगतिरत है।

उक्त के अलावा शेष कार्य इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुए हैं जो पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं टैंडर प्रक्रिया के कारण कुछ कार्य समय पर प्रारंभ नहीं हो पाने के कारण अपूर्ण हैं।

(2) उक्त कार्यों के लम्बे समय से अपूर्ण रहने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के प्रस्तावित उप स्वास्थ्य केन्द्र

300. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, उन ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वित्तीय वर्ष 2009-10 में 537 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं स्वीकृति आदेश परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

(4) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

(आदेश विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दौलतपुर ग्राम (किशनगढ़ बास) को राजस्व ग्राम का दर्जा

460. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्व ग्राम का नाम बदलने तथा बदले नाम को राजस्व ग्राम घोषित कराने के नियम क्या हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़-बास के ग्राम रूंध झामूवास को ग्राम दौलतपुर के नाम से जाना जाता है?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम रूंध झामूवास का नाम दौलतपुर बदल कर राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) किसी भी राजस्व ग्राम के नाम में परिवर्तन भारत सरकार के गृह मंत्रालय की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पत्र क्रमांक 130/53– पब्लिक दिनांक 11.9.53 और पत्र क्रमांक 11/7/2004 -एम एण्ड जी दिनांक 11.4.2005 द्वारा निर्देश जारी किये हैं। उक्त दोनों पत्रों की छायाप्रातियां संलग्न हैं।

(2) जी हां।

(3) ग्राम के नाम परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्रों के अनुसार परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

फुलेरा तहसील (जयपुर) का भू-प्रबन्ध कार्य

461. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर की कितनी तहसीलों में भू-प्रबन्ध का कार्य हो चुका और कितनी तहसीलों में शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील फुलेरा में भू– प्रबन्ध का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 13 तहसीलें हैं, जिनमें से 7 तहसीलों-चौमूं, सांगानेर, चाकसू, कोटपूतली, विराटनगर, आमेर एवं शाहपुरा का भू-प्रबन्ध कार्य मैट्रिक प्रणाली में पूर्ण हो चुका है।

3 तहसीलों-बस्सी (20 ग्रामों को छोड़कर), मौजमाबाद एवं जमवारामगढ़ में वर्तमान में भू-प्रबन्ध चालू है।

जिले की 3 तहसीलों-फुलेरा, जयपुर एवं फागी का भू-प्रबन्ध कार्य अभी मैट्रिक प्रणाली से शेष है।

(2) वर्तमान में भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के अधीन जयपुर जिले की तीन तहसीलों-बस्सी (20 ग्रामों को छोड़कर), मौजमाबाद एवं जमवारामगढ़ व दौसा जिले की तहसील लालसोट भू-प्रबन्ध के अधीन चल रही हैं। उक्त तहसीलों का कार्य निर्धारित लक्ष्यानुसार पूर्ण करने में 3-4 वर्ष का समय लगना सम्भावित है। उक्त तहसीलों का कार्य पूर्ण होने के पश्चात तहसील फुलेरा को भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत लिया जाना सम्भव होगा।

सादुलपुर की राजस्व ग्राम योग्य ढाणियां

462. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के मानदण्ड क्या हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कौन-कौन सी ढाणियां राजस्व ग्राम बनने के मानदण्डों को पूर्ण करती हैं और उन्हें अभी तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामान्य क्षेत्र में मजरे/ढाणी की आबादी 250 तथा रेगिस्तानी एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 200 या इससे अधिक होने तथा मूल ग्राम से दूरी कम से कम 1 कि.मी. होने के मापदण्ड हैं। साथ ही नवीन राजस्व ग्राम बनने के बाद मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या भी 250 अथवा 200 से कम नहीं होनी चाहिये।

(राजस्व मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के मूल राजस्व ग्राम सांखणताल के क्षेत्र में ढाणी समरपुरा राजस्व ग्राम बनने के मानदण्डों को पूर्ण करता है। राज्य सरकार को उक्त ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) जनगणना 2011 का कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण जिलों, तहसीलों, कस्बों तथा ग्रामों के क्षेत्राधिकार/सीमाओं में परिवर्तन को मार्च, 2011 तक प्रतिबन्धित किया हुआ है।

प्रस्ताव प्राप्त होने एवं प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् नियमानुसार राजस्व ग्राम बनाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

बहरोड़ के ग्रामों में आम रास्तों पर अतिक्रमण

463. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-:

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत तीन वर्षों में आम रास्तों पर अतिक्रमण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त रास्ते अतिक्रमण मुक्त कर खुलवाये गये? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत तीन वर्षों में आम रास्तों पर अतिक्रमण की कुल 32 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिनमें से 31 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) उक्त अतिक्रमियों को मौके से बेदखल किया जाकर अतिक्रमण मुक्त कर रास्ते खुलवाये गये। लेकिन संलग्न सूची के क्र. सं. 12 पर अंकित प्रकरण में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी है।

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी मय वल्दीयत	ख. नं.	किस्म जमीन	अतिक्रमण का नाम ग्राम
1	2	3	4	5
1.	उमेशचन्द पुत्र छगनलाल शर्मा सा. नारेड़ा कलां	251/0.11	गैर मुमकिन रास्ता	नारेड़ा कलां
2.	ग्यारसीलाल पुत्र घीसा अहीर सा. महाराजावास	445/0.23	गैर मुमकिन रास्ता	सागली
3.	बनवारीलाल पुत्र मूलचन्द अहीर सा. महाराजावास	444/0.08	गैर मुमकिन रास्ता	सागली
4.	झूथा पुत्र उमराव अहीर सा. महाराजावास	440/0.06	गैर मुमकिन रास्ता	सागली
5.	सूरजभान पुत्र आशा अहीर सा. महाराजावास	439/0.04	गैर मुमकिन रास्ता	सागली
6.	सतीश पुत्र अमीलाल अहीर सा. हमींदपुर	707/0.25 708/0.23 709/0.06	गैर मुमकिन रास्ता	नारेड़ा कला
7.	बनवारीलाल पुत्र दाताराम अहीर सा. कांकरछाजा	289/0.43	गैर मुमकिन रास्ता	नारेड़ा कला
8.	जगराम पुत्र ओमप्रकाश शर्मा सा. दहमी	395/0.11	गैर मुमकिन रास्ता	हमजापुर
9.	राजेन्द्र वगैहरा अहीर सा. ढढारिया	505/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	ढढारिया
10.	नित्यानन्द वगैहरा अहीर सा. ढढारिया	505/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	ढढारिया
11.	भगवान पुत्र ठाकरसी अहीर सा. ढढारिया	505/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	ढढारिया
12.	दुल्हा पुत्र मंगल अहीर सा. कल्याणपुरा	509/0.02	गैर मुमकिन रास्ता	कल्याणपुरा

1	2	3	4	5
13.	मोहरसिंह पुत्र श्योराम अहीर सा. मांचल	684/0.04	गैर मुमकिन रास्ता	मांचल
14.	दयाराम पुत्र चन्दर अहीर सा. मांचल	66/318/08	गैर मुमकिन रास्ता	मांचल
15.	ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरदयाल गुप्ता सा. शाहजहांपुर	1775/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	शाहजहांपुर
16.	नेतराम वगैहरा अहीर सा. माजरा	193/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	माजरा
17.	राजाराम पुत्र नत्थू अहीर सा. माजरा	193/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	माजरा
18.	रामानन्द पुत्र चन्दनलाल अहीर सा. माजरा	193/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	माजरा
19.	राकुदार पुत्र लेखराम अहीर सा. माजरा	193/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	माजरा
20.	वेदपाल पुत्र तेजराम अहीर सा. कुन्दनसिंहपुरा	1118/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	नीमराना
21.	ओमप्रकाश पुत्र मक्खनलाल अहीर सा. बंतावाली ढाणी	497/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	बतावाली ढाणी
22.	थावर वगैहरा अहीर सा. जोनायचा खुर्द	155/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	जोनायचा खुर्द
23.	अमरसिंह पुत्र रामजीलाल वगैहरा अहीर सा. काठुवास	479/0.02	गैर मुमकिन रास्ता	काठूवास
24.	वीरसिंह पुत्र श्रीराम अहीर सा. काठूवास	479/0.03	गैर मुमकिन रास्ता	काठूवास
25.	कमलेश स्त्री लीलाराम तेली सा. नीमराना	497/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	नीमराना

1	2	3	4	5
26.	खेमराम पुत्र मंगतराम अहीर सा. माजरी कला	1646/0.02	गैर मुमकिन रास्ता	माजरी कला
27.	अभयसिंह वगैहरा अहीर सा. माजरीकला	1646/0.02	गैर मुमकिन रास्ता	माजरी कला
28.	सुभाष चन्द्र पुत्र महेन्द्रसिंह अहीर सा. नीमराना	497/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	नीमराना
29.	रामस्वरूप पुत्र मंगल अहीर सा. मांढण	687/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	मांढण
30.	संजय वगैहरा अहीर सा. मांढण	1891/0.05	गैर मुमकिन रास्ता	मांढण
31.	रामस्वरूप पुत्र मोहनलाल अहीर सा. काठुवास	479/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	काठूवास
32.	गणपत पुत्र खुशीराम अहीर सा. काठुवास	479/0.01	गैर मुमकिन रास्ता	काठूवास

कोलायत तहसील (बीकानेर) में आयोजित राजस्व अभियान

464. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में वर्ष 1990 से जनवरी, 2010 तक राजस्व अभियान में राजस्व क्षेत्र एवं उपनिवेशन क्षेत्र के कितने अभियान कब-कब चलाये गये?

(2) राजस्व अभियान में प्राप्त शिकायतें/सुझावों/मांग पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? शिविरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्व अभियान के शिविर के रजिस्टर कहां पर विद्यमान हैं और इनका कार्यवाही प्रभारी कौन है? वर्ष 1990 से 1995 के बीच राजस्व अभियान में इन्द्राज शिकायत/सुझाव/मांग के रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील कोलायत राजस्व/उपनिवेशन के अन्तर्गत आयोजित शिविरों की सूची परिशिष्ट “अ” पर उपलब्ध है।

(2) राजस्व अभियान के तहत आयोजित शिविरों में प्राप्त शिकायत/मांग/सुझाव से संबंधित प्रार्थना पत्रों का पंजीकरण किया जाता है एवं मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारी/कमर्चारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। सामान्यत: सभी प्रकरणों का शिविर के दौरान ही निस्तारण कर दिया जाता है एवं शिविर प्रभारी द्वारा शिविर के प्रगति प्रतिवेदन में अंकित कर दिया जाता है।

जिला कलक्टर के प्रत्युत्तर के अनुसार वर्ष 1990 से अब तक के राजस्व अभियान में आयोजित शिविरों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से किन-किन पर कार्यवाही शेष रह गई है की शिविरवार विवरण सूची तैयार करने हेतु 1990 से अब तक के रिकार्ड की समीक्षा करनी पड़ेगी। अत: अल्प समय में यह रिकार्ड प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(3) राजस्व अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में सामान्यत: संबंधित उपखण्ड अधिकारी को शिविर प्रभारी एवं संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सहायक शिविर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतें/सुझाव/मांग का शिविर प्रभारी/सहायक शिविर प्रभारी स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा रजिस्टर में संधारण किया जाकर अभियान में सम्मिलित विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारीगण को सुपुर्द किये जाते हैं। यह रिकार्ड संबंधित विभाग के प्रभारी अपने कार्यालय से संबंधित पंजिकाओं में संधारित करता है। जिला कलक्टर के प्रत्युत्तर के अनुसार वर्ष 1990 से 1995 के बीच आयोजित शिविरों से संबंधित पुराने रजिस्टर इतने अल्प समय में इन सभी प्रभारी अधिकारियों के कार्यालयों से एकत्रित किया जाकर प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्र. सं.	वर्ष	नाम अभियान
1	2	3
1.	1990-1991	राजस्व अभियान
2.	1992	राजस्व अभियान
3.	1993	ग्राम विकास अभियान

1	2	3
4.	6.11.1995	पंचायत समिति कोलायत रुबरु कार्यक्रम
5.	4.12.1995	बज्जू में रुबरु अभियान
6.	31.10.1995	कृषि जोत पासबुक वितरण अभियान
7.	1998	राजस्व अभियान
8.	2000	राजस्व अभियान
9.	2001	प्रशासन गांवों के संग अभियान
10.	2004-05	प्रशासन आपके द्वार
11.	2006	विशेष अभियान
12.	2007	राजस्व अभियान (ग्राम संपर्क)
13.	2008	राजस्व अभियान
14.	24.9.2009	बज्जू में विकास मैला
15.	1.10.2009	कोलायत में विकास मैला

ह./-
अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व
बीकानेर

घड़साना-रावला की कच्ची बस्ती के निवासियों को पट्टे

465. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार घड़साना व रावला की कच्ची बस्तियों के निवासियों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कच्ची बस्ती में आबाद निवासियों को भूमि के पट्टे/नियमन हेतु जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उप नगर नियोजक, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर को सर्वे करने हेतु पत्र लिखा गया है। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्लान बनाकर पट्टे देने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को भू-आबंटन

466. श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में भू-आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र भूमिहीन लोगों के प्राप्त हुये? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपनिवेशन क्षेत्र के उक्त आवेदनों पर भूमिहीन लोगों को भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में आबंटन हेतु भूमिहीन लोगों के कुल 63123 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	तहसील	संख्या
1.	उपनिवेशन तहसील नाचना-1	4078
2.	उपनिवेशन तहसील नाचना-2	3240
3.	उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़-1	3559
4.	उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़-2	9638
5.	उपनिवेशन तहसील रामगढ़-1	750
6.	उपनिवेशन तहसील रामगढ़-2	1164
7.	उपनिवेशन तहसील जैसलमेर	1632
8.	राजस्व तहसील पोकरण	13529
9.	राजस्व तहसील फतेहगढ	8584
10.	राजस्व तहसील जैसलमेर	16949
	कुल	**63123**

(2) जी हां। विधान सभा सत्र की समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध भूमि के आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।

पूंजला तहसील (जोधपुर) में डोली मंदिर के नाम दर्ज भूमि का बेचान

467. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील पूंजला, जोधपुर स्थित रावला बैरा पूंजला के खसरा नं. 161, 162, 161/1, 162/1 लगभग 40 बीघा भूमि पूर्व में डोली/ मंदिर के नाम दर्ज थी? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त भूमि का नामान्तरण किसके नाम से है? जमाबंदी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि में से कुल कितनी भूमि अन्य व्यक्तियों को कब-कब किस-किस के द्वारा बेची गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पुंजला तहसील जोधपुर में माफी का बंदोबस्त संवत् 2018 में हुआ था। उक्त बंदोबस्त के समय भोक्ता के रूप में डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी वाके देह बैएह्तमाम पुजारी रामदास वगैराह डोलीदार व कृषक के रूप में विभिन्न व्यक्तियों की खातेदारी अंकित है। मिसल बंदोबस्त संवत् 2018 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इन खसरों की वर्तमान जमाबंदी अनुसार खातेदारी की स्थिति निम्नानुसार है :-

ख. नं.	रकबा	खातेदार
161	6.08.06	ढलसिंह, किशोर पिता बुधाराम परिहार मदनलाल पि. पिराराम जाति माली प्रवीण पुत्र सुखसिंह निवासी जाटाबास महामंदिर जोधपुर रकबा 0.01.14 किशोर पुत्र मघराज निवासी शिव मंदिर रातानाड़ा जोधपुर 0.02.01, अनोप पुत्र भाणुराम पंवार निवासी जुनी बागर महामंदिर जोधपुर रकबा 0.02.01, चैनसिंह पुत्र भाणुराम पंवार जुनी बागर महामंदिर 0.01.14 खातेदार
161 मी	0.01.14	शैतानसिंह पि. अचलुराम कच्छवाहा सा. उदयमंदिर जोधपुर खातेदार
161/2	1.01.00	बगडुराम पिता हणुताराम जाति विश्नोई निवासी रूड़कली हाल जोधपुर खातेदार।
161/3	1.00.00	मुलचंद पि. मानमलजी जाति जैन निवासी खीचन तह. फलौदी हाल जोधपुर खातेदार।
161/1/1	0.08.00	(गैर मुमकिन सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग खातेदार

ख. नं.	रकबा	खातेदार
162	2.03.00	बुधामोहन मनीराम गणपत पिता पुरख 1/4, भंवर पिता मांगीलाल 1/4, सिरया पति घासीराम छगनीराम, अनोपसिंह, संतोष सिंह, स्वरूप सिंह, पि. घासीराम 1/4 फुसाराम, जयसिंह पिता रामलाल 1/4 जाति माली सा. देह खातेदार
161/1	7.03.00	ढलसिंह किशोर पिता बुधाराम 1 गुलाबदेवी पत्नि छंवरलाल जाति माली सा. रामसागर बेरा पुंजला पीएन 3 ए नाम 246.66 वर्गगज 2 महेन्द्रसिंह पि. खीवराज जाति माली सा. बोडी बाला बेरा मगरा पुंजला जोधपुर पीएन 2ए माप 80 वर्गगज 3 छंवरलाल पि. मंगलसिंह गहलोत जाति माली सा. मगरा पुंजला जोधपुर प्लाट नं. 4ए माप 233.33 वर्गगज 4 हैमलता पत्नि माणकसिंह जाति माली सा बोडीवाला बेरा मगरा पुंजला जोधपुर पीएन 5 ए माप 371.66 वर्गगज चुन्नीलाल प्रेमसिंह अशोक पिता मोहनलाल मनीराम गणपत पि. पुरखा जाति माली सा. देह खातेदार। वर्तमान रिकार्ड में 162/11 कोई खसरा नम्बर दर्ज नहीं है। इन खसरान की जमाबंदी की प्रतियां परिशिष्ट “ब” पर संलग्न है।

(2) 1. उक्त भूमि में ख. नं. 161 रकबा 10.11 बीघा भूमि दिनांक 04.04.1995 को भंवरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा बुधाराम पुत्र पुरखाराम व मदनलाल पुत्र पीराराम माली को बेचान की गई।

2. बिन्दु संख्या 1 के क्रेताओं ने दिनांक 08.08.1995 को 0.01.14 बीघा भूमि शैतानसिंह पुत्र अचलुराम को भूमि बेचान की गई।

3. बुधाराम पुत्र पुरखाराम द्वारा दिनांक 12.10.1998 को 1.05.05 बीघा भूमि कुंभ सिंह पुत्र अभयसिंह को बेचान की गई। जिनका नामा. सं. 729 अस्वीकृत किया गया।

4. बिन्दु सं. 1 के क्रेताओं द्वारा दिनांक 08.08.1995 को बगड़दास पुत्र हणुताराम को 1.01 बीघा भूमि बेचान की गई।

5. बिन्दु सं. 1 के क्रेताओं द्वारा दिनांक 15.12.1995 को 1 बीघा भूमि मूलचन्द पुत्र मानमल को बेचान की गई।

(राजस्व मंत्री)

6. बिन्दु सं. 1 के क्रेताओं द्वारा दिनांक 08.12.1995 को प्रवीण गहलोत पुत्र सुखसिंह को 0.01.14 बीघा किशोर गहलोत पुत्र मगराज को 0.02.01 बीघा अनोप पुत्री भाणुराम को 0.02.01 बीघा व चैनसिंह पुत्र भाणुराम को 0.01.14 बीघा भूमि बेचान की गई।

7. खसरा नम्बर 161 में ढलसिंह किशोर पिता बुधाराम द्वारा दिनांक 11.01.2010 को 246.66 वर्गगज भूमि गुलाब देवी पत्नि छंवरलाल को दि. 4.2.2010 को 233.33 वर्गगज महेन्द्र सिंह पुत्र खींवराज को 80 वर्गगज छंवरलाल पुत्र मंगलसिंह को 233.33 वर्गगज तथा हेमलता पत्नि माणकसिंह को 371.66 वर्गगज भूमि बेचान की गई।

बेचान की गई उक्त भूमि का विवरण राजस्व रेकार्ड में दर्ज नामान्तरकरण के आधार पर तैयार किया गया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

भीम में कृषि बीमा योजना से लाभान्वित कृषक

468. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र भीम में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कितने किसानों का कृषि बीमा किया गया और कितने किसानों को इसका लाभ दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भीम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत बीमित किए गए कृषक एवं लाभान्वित कृषकों को दिए गए मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की क्रियान्विति तहसील को इकाई मानकर की जा रही है।

तहसील भीम

फसल मौसम	बीमित कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि (रुपये)
खरीफ 2003	0	0	0.00
खरीफ 2004	1047	0	0.00
खरीफ 2005	1240	1240	51,14,917.50
खरीफ 2006	1558	0	0.00
खरीफ 2007	2029	0	0.00
खरीफ 2008	1215	0	0.00

(कृषि मंत्री)

फसल मौसम	बीमित कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि (रुपये)
रबी 2003-04	0	0	0.00
रबी 2004-05	1	0	0.00
रबी 2005-06	11	0	0.00
रबी 2006-07	46	0	0.00
रबी 2007-08	1257	0	0.00
रबी 2008-09	40	40	1,82,020.78

तहसील देवगढ़

फसल मौसम	बीमित कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि (रुपये)
खरीफ 2003	0	0	0.00
खरीफ 2004	1145	1145	17,51,251.30
खरीफ 2005	1409	1409	36,23,876.90
खरीफ 2006	1825	1825	14,93,365.80
खरीफ 2007	2127	0	0.00
खरीफ 2008	700	0	0.00
रबी 2003-04	0	0	0.00
रबी 2004-05	0	0	0.00
रबी 2005-06	0	0	0.00
रबी 2006-07	0	0	0.00
रबी 2007-08	914	0	0.00
रबी 2008-09	187	187	3,82,904.04

वैर की बागवानी फसलों का बीमा

469. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर में आम, नींबू, बेर व अमरूद के बहुत बाग लगे हुए हैं एवं इनमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान होता है? क्या

(श्री बहादुर सिंह)

सरकार इन किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त फसलों को किसान बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन किस्म के बागवानी फसल को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि विधान सभा वैर में आम, नींबू, बेर व अमरूद के बगीचे स्थापित हैं। फल बगीचों में प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो सकता है। उद्यान विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुये नुकसान का मुआवजा उपलब्ध कराने की कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अपितु आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक सहायता के रूप में प्राकृतिक आपदाओं से सभी फसलों, जिसमें बागवानी भी शामिल है, में गिरदावरी अथवा नुकसानों के सर्वेक्षण अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने पर निर्धारित मापदण्डानुसार कृषि आदान अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(2) भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मार्गदर्शिका अनुसार आम, नींबू, बेर, अमरूद फसलें इस योजना में बीमित अथवा संसूचित किए जाने का प्रावधान नहीं है।

उदयपुर जिले में किसानों को विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान

470. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला उदयपुर के किसानों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2008 एवं 2009 में दिये गये अनुदान एवं योजनावार किसानों के नाम व पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां। यह सही है कि जिला उदयपुर में किसानों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान दिया गया है। वर्ष 2008 एवं 2009 में कृषि विभाग द्वारा दिये गये अनुदान एवं योजनावार किसानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा उद्यान विभाग द्वारा दिये गये अनुदान एवं योजनावार किसानों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में संचालित गैस एजेन्सियों द्वारा अनियमितताएं

471. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला श्रीगंगानगर में कितनी व कौन कौनसी गैस एजेन्सियां संचालित हैं?

(2) उक्त गैस एजेन्सियों में उपभोक्ताओं की तरफ से वर्ष 2007 से 2009 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गैस उपभोक्ताओं से नया कनेक्शन लेने के लिए सिलेण्डर की सरकारी दर क्या है व जिला श्रीगंगानगर के उपभोक्ताओं से क्या दर वसूली जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गैस एजेन्सियों में कितने उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन देने लम्बित हैं तथा उन्हें कब तक गैस कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) इस जिले में कुल 16 गैस एजेन्सियां कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपभोक्ताओं की तरफ से वर्ष 2007 से 2009 तक कुल 136 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 133 का निस्तारण किया गया। इनमें से 42 मामलों में अनियमितता सिद्ध होने पर एजेन्सियों के विरुद्ध 44,600/- रुपये जुर्माना कायम किया जाकर वसूल किये गये। भगवती गैस एजेन्सी, श्रीविजयनगर, जय बजरंग बली गैस एजेन्सी, सूरतगढ़ को निलम्बित किया गया एवं स्नेहदीप गैस एजेन्सी (आईओसी) के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई।

(3) कम्पनी के अनुसार नये गैस कनेक्शन की दर निम्नानुसार है :-

(राज्य मंत्री , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

1	सिलेण्डर की प्रतिभूति राशि	1250/- रु.
2	रेगूलेटर की प्रतिभूति राशि	150/- रु.
3	इन्स्टालेशन चार्जेज	25/- रु.
4	हॉट प्लेट इन्सपेक्शन चार्जेज (यदि उपभोक्ता के पास पहले से हॉट प्लेट है)	150/- रु.
5	घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड	25/- रु.
6	सिलेण्डर रिफिल चार्जेज (स्थानीय दर अनुसार)	319/- रु.

(4) इस प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट-अ में समाहित है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम गैस एजेन्सी	कम्पनी का नाम	कार्य क्षेत्र	लंबित नये कनेक्शन	कब तक गैस कनेक्शन दे दिया जायेगा
1	2	3	4	5	6
1.	मूमल गैस एजेन्सी	एचपी	श्रीगंगानगर	निल	—
2.	गगन गैस एजेन्सी	एचपी	श्रीगंगानगर	निल	—
3.	राजश्री गैस एजेन्सी	एचपी	श्रीगंगानगर	निल	—
4.	केवीएसएस केसरीसिंहपुर	एचपी	केसरीसिंहपुर	3250	6 माह में
5.	स्नेहदीप गैस एजेन्सी	इण्डेन	श्रीगंगानगर	निल	—
6.	गंगानगर सह. उप. भण्डार	इण्डेन	श्रीगंगानगर	निल	—
7.	सादुलशहर गैस एजेन्सी	इण्डेन	सादुलशहर	निल	—
8.	जय बजरंग बली गैस एजेन्सी	बीपीसी	सूरतगढ़	185	2 माह में
9.	श्रीकरणपुर गैस एजेन्सी	इण्डेन	करणपुर	निल	-
10.	गंगानगर गैस एजेन्सी	बीपीसी	श्रीगंगानगर	106	2 माह में

1	2	3	4	5	6
11.	आशीईशी गैस एजेन्सी	बीपीसी	पदमपुर	850	रायसिंह्नगर क्षेत्र में कनेक्शन ट्रांसफर कार्यवाही के बाद
12.	भगवती गैस एजेन्सी	बीपीसी	विजयनगर	1500	कम्पनी से स्वीकृति आने पर
13.	सिद्धि विनायक गैस एजेन्सी	बीपीसी	अनूपगढ़	निल	-
14.	सूरतगढ़ गैस एजेन्सी	इण्डेन	सूरतगढ़	निल	-
15.	जय सालासर गैस एजेन्सी	बीपीसी	घड़साना	4500	कम्पनी से स्वीकृति आने पर
16.	जोहिया एचपी गैस एजेन्सी	एचपी	रायसिंह्नगर	6540	रेग्यूलेटर की आपूर्ति होने पर

केकड़ी में संचालित गैस एजेन्सियां

472. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के किस-किस शहर में कौन-कौनसी गैस एजेन्सियां हैं तथा उनके द्वारा कितने उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध करवाई जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि गैस बुकिंग एवं गैस वितरण हेतु नियम बनाये हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांशत: गैस एजेन्सियों द्वारा बुकिंग नियमों की पालना नहीं की जा रही है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. रघु शर्मा)

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गैस एजेन्सियों द्वारा उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के पश्चात् कितने दिनों में गैस वितरित की जा रही है एवं सरकार द्वारा गैस की कालाबाजारी रोकने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(5) क्या सरकार प्रत्येक जिले में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तरीय समिति बनाकर उसे गैस एजेन्सियों की जांच करने एवं कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन गैस एजेन्सियां आबंटित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में दो गैस एजेन्सी कार्यरत हैं, जिनका विवरण एवं उपभोक्ताओं की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम एजेन्सी	स्थान एवं कम्पनी	उपभोक्ता संख्या
1.	कृष्णा गैस एजेन्सी	केकड़ी (बीपीसीएल)	14285
2.	गायत्री गैस एजेन्सी	सरवाड़ (बीपीसीएल)	4005

(2) गैस बुकिंग हेतु विशेष रूप से कोई नियम नहीं हैं, रिफिल खाली होने पर नई रिफिल हेतु बुकिंग की जा सकती है, परन्तु राज्य के सभी जिलों में घरेलू गैस की कालाबाजारी तथा वाहनों में घरेलू गैस के उपयोग को रोकने के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन स्तर पर एक रिफिल की डिलीवरी के 21 दिन पश्चात् नये रिफिल हेतु बुकिंग का प्रावधान निश्चित किया हुआ है।

(3) मैसर्स कृष्णा गैस एजेन्सी, केकड़ी के विरुद्ध नियमों की पालना नहीं करने की शिकायत मिलने पर तेल कम्पनी के अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त जांच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप भारत पैट्रोलियम कम्पनी लि. द्वारा नियम एम.डी.जी., 2001 के अन्तर्गत माह फरवरी, 2009 में उक्त एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गैस एजेन्सियों द्वारा उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के पश्चात् 8 दिवस के अन्दर गैस उपलब्ध कराई जाती है तथा गैस की कालाबाजारी रोकने हेतु सरकार द्वारा "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान के तहत गैस एजेन्सियों की समय-समय पर तेल कम्पनी के अधिकारियों तथा विभागीय

(राज्य मंत्री , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अभियान के रूप में जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कालाबाजारी का दोषी पाये जाने पर वितरक के विरूद्ध तेल कम्पनी द्वारा नियम एम.डी.जी., 2001 तथा विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्रीय सरकार के आदेश द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश, 2000 एवं राज्य सरकार के आदेश राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(5) सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिये जिला स्तरीय समिति बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, परन्तु राज्य में खाद्य पदार्थों एवं अन्य उपभोक्ता सामग्री में मिलावट, उनके दुरूपयोग तथा कालाबाजारी को रोकने हेतु दिनांक 22.06.09 से सभी जिलों में "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान जिला कलक्टर की अध्यक्षता में 8 विभागों (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य, उद्योग, कृषि, स्वायत्त शासन, गृह, डेयरी एवं परिवहन) की संयुक्त स्थाई टीम गठित कर चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा तेल कम्पनी के अधिकारियों द्वारा गैस एजेन्सियों पर संयुक्त रूप से समय-समय पर अचानक जांच की जाती है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर वितरक के विरूद्ध तेल कम्पनी द्वारा नियम एम.डी.जी., 2001 तथा विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्रीय सरकार के आदेश द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं राज्य सरकार के आदेश राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(6) राज्य सरकार द्वारा गैस एजेन्सी नहीं खोली जाती है। राज्य स्तरीय समन्वयक से प्राप्त सूचना के आधार पर भारत पैट्रोलियम कॉर्पो. लि. द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना के तहत तहसील केकड़ी में बघेरा, जूनिया तथा कडेरा स्थानों के लिये पृथक-पृथक एक-एक गैस एजेन्सी हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है तथा उक्त कम्पनी के द्वारा ही सावर में एक गैस एजेन्सी स्थापित करने हेतु उसे मार्केटिंग प्लान 2008-10 में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसका निश्चित अवधि के अन्दर विज्ञापन प्रकाशित किया जावेगा।

जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा काली सूची में दर्ज राशन डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही

473. डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा कतिपय राशन की दुकानों को काली सूची में डाला गया था? यदि हां, तो नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानदारों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण द्वारा किसी भी उचित मूल्य की दुकान को काली सूची में नहीं डाला गया है।

(2) सूचना शून्य है।

पीपल्दा के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पद

474. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं तथा उनमें कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिनमें स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मलेरिया निरीक्षक एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा चुका है, नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सफाई कर्मचारी का रिक्त पद सीधी भर्ती से भरा जाना है जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

संगणक का रिक्त पद निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा भरा जाना है। जिसे भरवाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कामां में उपलब्ध सुविधाएं

475. श्रीमती जाहिदा (कामां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने चिकित्सक एवं चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशानुसार की जानी होती है?

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कामां में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कामां में कौन-कौन से चिकित्सा उपकरण चालू हालात में हैं तथा कौन-कौन से उपकरण कितने समय से खराब हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए चिकित्सक पद के मानदण्ड 30, 50, एवं 75 शैय्याओं के लिए निर्धारित है एवं उपकरणों के लिए मानदण्ड 30 एवं 50 शैय्या क्षमता आधारित है का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कामां में 2 पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग एवं नेत्ररोग), 1 पद चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन) 1 पद ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी का रिक्त है। कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने पर या स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन) एवं ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी का पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव होगा।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कामां में स्थापित सभी उपकरण चालू हालत में है जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दांतारामगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

476. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के खण्डेलसर, पृथ्वीपुरा, काटिया में चिकित्सा सेवायें उपलब्ध नहीं हैं? क्या सरकार उक्त ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में 108 एम्बुलेन्स की सुविधा नहीं है? क्या सरकार उक्त सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम खण्डेलसर, काटिया एवं पृथ्वीपुरा में क्रमश: उप स्वास्थ्य केन्द्र सवाईपुरा, खोरा एवं अभयपुरा में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम खण्डेलसर एवं काटिया पंचायत समिति दांतारामगढ़ एवं पृथ्वीपुरा पंचायत समिति पिपराली के अन्तर्गत आते हैं। निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति दांतारामगढ़ एवं पिपराली में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में फिलहाल 108 एम्बुलेन्स की सुविधा नहीं है। भविष्य में 150 प्रतिस्थापित की जाने वाली अतिरिक्त 108 एम्बुलेन्सों में से दांतारामगढ़ पर 108 एम्बूलेन्स दिया जाना विचाराधीन है।

सिरोही जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

477. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में चिकित्सक, नर्स कम्पाउण्डर, वार्ड ब्वाय, वाहन चालकों के कितने पद रिक्त हैं ? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में उक्त पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो जिलेवार एवं पदवार भर्ती का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओटाराम देवासी)

(3) क्या सरकार उक्त जिले में चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डर, वार्ड ब्वाय एवं वाहन चालकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में चिकित्सक, नर्स, वार्डबाय एवं वाहन चालक के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	रिक्त
वरिष्ठ विशेषज्ञ	2
कनिष्ठ विशेषज्ञ	18
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
चिकित्सा अधिकारी	11
नर्स श्रेणी प्रथम	11
नर्स श्रेणी द्वितीय	25
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	26
वाहन चालक	2
वार्डबाय	1

(2) वर्ष 2009-10 में स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु अरजेन्ट टैम्परिर बेसिस पर संविदा पर समेकित फिक्स वेतन पर सिरोही जिले में चिकित्सा अधिकारी के 15 रिक्त पदों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वाक-इन-इंटरव्यू से भरने हेतु अनुमति दी गई जिसमें से अभी तक 10 चिकित्सकों को नियुक्ति दी जा चुकी है।

वर्ष 2009-10 में ग्रामीण नर्स श्रेणी द्वितीय के 1750 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (संविदा) के 2924 पदों पर भर्ती की गई है। जिलेवार एवं पदवार सूची परिशिष्ट-अ एवं ब पर प्रस्तुत है।

(3) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम का पद पदोन्नति का है जिसे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सकों के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा चुका है। वाहन चालक एवं वार्डबाय के पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उप स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरा (भोपालगढ़) हेतु भवन निर्माण

478. श्रीमती कमला मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत रामपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है तथा वहां प्रसाविका कार्यरत है? क्या उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन बना हुआ नहीं है? क्या सरकार उक्त केन्द्र हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को एडपोस्ट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उप स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत है।

जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में उप स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा के भवन का निर्माण कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) जी नहीं। उप स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र (एडपोस्ट) में क्रमोन्नत करने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

भीलवाड़ा जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

479. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में कौन-कौन से चिकित्सालय तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, कम्पाउंडर व नर्सों के कितने-कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

शहरी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु अर्जेंट टेम्परारी बेसिस पर चिकित्सा अधिकारी के 600 रिक्त पदों को दिनांक 13.11.2009 से अधिकतम 6 माह के लिये अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने (दोनों में जो भी पहले हो) तक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से भीलवाड़ा जिले में चिकित्सकों के 30 रिक्त पदों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को वाक-इन-इन्टरव्यू से भरने हेतु अनुमति प्रदान की जा चुकी है जिसमें से अभी तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा 11 चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

चिकित्सा अधिकारी (पीजी सर्जरी एवं निश्चेतन तथा हड्डी रोग) के रिक्त पदों को उक्त विशेषज्ञ के चिकित्सक, उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को अर्थना भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने के लिए संशोधित अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झोटवाड़ा, जयपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

480. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(1) सिटी डिस्पेन्सरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा झोटवाड़ा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत् दिनांक 29 फरवरी, 2008 को घोषणा की गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झोटवाड़ा, जयपुर के नजदीक शहरी राजकीय चिकित्सा संस्थान स्वीकृत होने के फलस्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झोटवाड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी प्रस्ताव, निर्णय सहित समस्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सिटी डिस्पेन्सरी झोटवाड़ा जयपुर के नजदीक शहरी राजकीय चिकित्सा संस्थान कौन-कौन से हैं और उनकी दूरी कितनी है? उक्त क्षेत्र में कितने चिकित्सालय हैं, जिनमें राजकीय चिकित्सक कार्यरत हैं?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। बजट भाषण वर्ष 2008-09 में राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी, झोटवाड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी।

(3) जी हां। सम्बन्धित पत्रावली के नोटशीट की एवं सम्बन्धित पत्रों की छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(4) राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी, झोटवाड़ा से लगभग 7 किलोमीटर एवं उससे कम दूरी पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों/डिस्पेन्सरियों के नाम एवं उनकी दूरी का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

उक्त सभी चिकित्सालयों/डिस्पेन्सरियों में चिकित्सक कार्यरत हैं।

(प्रतियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले की अव्यवस्थित विद्युत लाइनों से दुर्घटनाएं

481. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) क्या यह सही है कि जिला राजसमन्द में अनेक स्थानों पर विद्युत लाइनों के तार ढीले हैं जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है?

(2) क्या सरकार उक्त जिले की सम्पूर्ण विद्युत लाइनों का सर्वे करवाकर ढीले अथवा खुले तारों को व्यवस्थित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तार ढीले होने की सूचना प्राप्त होते ही सर्वे कार्य कराकर उन्हें ठीक कराकर व्यवस्थित कर दिया जाता है। ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अन्तर्गत जहां लाइन के खम्भों के बीच में दूरी अधिक है वहां बीच में खम्भा खड़ा करने की योजना भी प्रस्तावित है।

सहायक अभियन्ता कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ (प्रथम व द्वितीय) में रिक्त पद

482. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ (प्रथम व द्वितीय) में स्टाफ की कमी है? यदि हां, तो कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में सहायक अभियन्ता कार्यालय (प्रथम व द्वितीय) श्रीडूंगरगढ़ में कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में कितने पद रिक्त हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में कार्यभार, मध्यनजर सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय (प्रथम व द्वितीय) जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्री डूंगरगढ़ के कार्यालयों में स्टाफ की कमी है। उक्त कार्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा प्रपत्र “अ” पर उपलब्ध है। रिक्त पदों को भरने के लिए निगम स्तर पर कार्यभार का आंकलन करने एवं स्वीकृत करने की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही इन पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) वर्तमान में सहायक अभियन्ता कार्यालय (प्रथम व द्वितीय) श्रीडूंगरगढ़ में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रपत्र “अ” पर उपलब्ध है।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (BC)
JODHPUR DISCOM, BIKANER

प्रपत्र-''अ''

S. No.	Name of Post	O & M-I	O & M-II
1	O.S. Gr.-II	Sanction Strength-1	Sanction Strength-1
		Vacant-1	Vacant-1 (19.12.2009)
2	ARO	Sanction Strength-1	Sanction Strength-1
		Vacant-1 (16.9.2009)	Sh. Pradeep Kumar Jr. Accountant
3	UDC	Sanction Strength-3	Sanction Strength-3
		Vacant-2	Vacant-2
		Sh. Megha Ram UDC	Sh. Rameshwar Lal UDC
4	LDC/CC	Sanction Strength-8	Sanction Strength-8
		Vacant-3	Vacant-6
		1. Sh. Om Prakash	1. Sh. Sahi Ram
		2. Sh. Shravan Kumar	2. Sh. Dinesh Kumar
		3. Sh. Kishan Kumar	
		4. Sh. Ummed Singh	
		5. Sh. Murari Lal	
5	Peon	Sanction Strength-6	Sanction Strength-6
		Vacant-5	Vacant-4
		1. Sh. Dharam Chand	1. Sh. Govind Singh
			2. Smt. Krishna Devi
6	JEN	Sanction Strength-3	Sanction Strength-3
		Vacant-1	Vacant-1
		1. Sh. Mukesh Malu	1. Sh. Mahesh Kumar Bhati
		2. Sh. Jawana Ram Jat	2. Sh. O.P. Jakhar

नोट :- वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उल्लेखित पद वर्ष 2006 से रिक्त हैं।

Superintending Engineer (BC),
Jodhpur Discom, Bikaner

राज्य के शहरी क्षेत्र में सोलर एनर्जी प्रबंधन हेतु अनुदान

483. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्र में सोलर एनर्जी प्रबंधन पर अनुदान दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अन्य राज्यों की भांति अरबन क्षेत्र में सोलर एनर्जी प्रबंधन पर सब्सिडी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अरबन क्षेत्र में 1 के.वी. के सोलर ऊर्जा प्रबंधन पर 4 लाख व 10 के.वी. के सोलर ऊर्जा प्रबंधन पर 40 लाख का अनुमानित व्यय होता है? क्या सरकार इच्छुक लोगों को प्रबंधन में मदद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस तरह?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राज्य में शहरी क्षेत्र में सोलर एनर्जी प्रबंधन (सोलर होम लाइटिंग सिस्टम मोडल-II, 37 वाट) पर अनुदान दिया जाता है।

(2) अरबन क्षेत्र में सोलर एनर्जी प्रबंधन (सोलर होम लाइटिंग सिस्टम मोडल-II, 37 वाट) पर पहले से ही अनुदान दिया जा रहा है, जो कि रुपये 4550/- प्रति प्रबन्धन (सिस्टम) है।

(3) जी हां। अरबन क्षेत्र में 1 के.वी. सोलर ऊर्जा प्रबन्धन (पावर प्लाट) की कीमत 4 लाख रुपये एवं 10 के.वी. सोलर ऊर्जा प्रबन्धन (पावर प्लाट) की कीमत 40 लाख रुपये है, लेकिन इस पर राज्य सरकार किसी प्रकार का अनुदान नहीं देती है।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन

484. श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना में राजीव गांधी विद्युत मिशन के अन्तर्गत बी.पी.एल. के अन्तर्गत चयनित परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं? यदि हां, तो कितने चयनित परिवारों को कनेक्शन दिए गए एवं कितने परिवार अब तक वंचित रहे? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वंचित बी.पी.एल. परिवारों को उपरोक्त मिशन के अन्तर्गत बिजली कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले की "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" की स्वीकृति वर्ष 2009-10 में प्राप्त हुई है। जिले में विद्युत तंत्र स्थापित करने हेतु सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं विद्युत तंत्र स्थापना का कार्य प्रगति पर है। सर्वे में 4951 बी.पी.एल. परिवारों को चिन्हित किया गया है। तंत्र स्थापन के साथ ही इनको कनेक्शन देने का कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है, जो वर्ष 2010-11 तक पूरा किया जाना है।

(2) जी हां। बिन्दु संख्या 1 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जमवारामगढ़ व चौमूं विधान सभा क्षेत्र के कृषकों के सबमर्सिबल पम्प सैट बदलने हेतु निविदाएं

485. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी स्तर पर खेतों में लगे सबमर्सिबल पम्प सैट नि:शुल्क बदलने/लगाने की योजना है? यदि हां, तो उक्त योजना कब शुरू की गई तथा उक्त योजनान्तर्गत सबमर्सिबल बदलने के क्या मानदण्ड/नियम निर्धारित किये गये हैं? उक्त योजना के तहत प्रदेश में अब तक कहां-कहां पर पम्प सैट बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत कृषकों के पम्प सैट/सबमर्सिबल बदलने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा निविदायें जारी की गई हैं? यदि हां, तो कब तथा किस-किस क्षेत्र की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ व चौमूं हेतु योजनान्तर्गत सबमर्सिबल बदलने के लिए निविदाऐं जारी की गई हैं? यदि हां, तो कब तथा किस-किस ग्राम पंचायत को प्रथमत: लिया गया है? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के ग्राम पंचायत फूटोलाव (जमवारामगढ़) व ग्राम कानरपुरा (चौमूं) के कृषकों के खेतों में लगे सबमर्सिबल को उक्त योजना में बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? उक्त सैट बदलने के मानक किस आधार पर तय किये जायेंगे व उक्त के अतिरिक्त किस-किस ग्राम के किसान का किस आधार पर सबमर्सिबल बदला जायेगा? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किसानों को जरूरत के मुताबिक पम्प सैट खरीदने के लिए अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस तरह की जयपुर डिस्काम में योजना है। उक्त योजना के लिए 2008-09 में निविदाएं मांगी गई थी जिसके तहत स्थापित कृषि पम्पों को 5 स्टार लेबल एनर्जी एफीसियन्सी वाले पम्पों से बदला जाना था। नये सबमर्सिबल पम्प/सेट ब्यूरो आफ एनर्जी एफीसिन्यसी (BEE) द्वारा निर्धारित मापदण्डों पर आधारित होंगे। पुराने पम्पों की तुलना में नये पम्प सेट 20 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा की बचत करेंगे। पम्प सेट बदलने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि योजना अभी विचाराधीन है।

(2) जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा उक्त योजनान्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। उक्त योजनान्तर्गत चौमूं क्षेत्र के लिए निविदा दिनांक 30.12.2008 को जारी की गई एवं दिनांक 18.02.2009 को खोली गई हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ क्षेत्र हेतु उक्त योजनान्तर्गत सबमर्सिबल पम्प बदलने के लिये निविदाऐं जारी नहीं की गई।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में परम्परागत कृषि पम्प सैटों को प्रायोगित तौर पर उच्च कार्य दक्षता के पम्प सैटों से बदलने हेतु निविदायें दिनांक 30.12.2008 को आमंत्रित की गई थीं। जिसके तहत एक ही निविदा प्राप्त हुई है, जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

इस प्रायोजित योजना में चौमूं क्षेत्र का कानरपुरा (चौमूं) ग्राम पंचायत भी शामिल है। वर्तमान में निविदाओं पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश आया हुआ है और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

वर्तमान पम्प सैटों को 5 स्टार रेटिंग पम्प सैटों जो कि ब्यौरो आफ इनर्जी एफीसियेन्सी (B.E.E.) द्वारा स्थापित मानक पर आधारित है, द्वारा बदलने की योजना है ग्रामवार व किसानवार पम्प बदलने की सूचियां निविदायें अन्तिम रूप से निर्णित होने के बाद तैयार की जावेगी।

(4) जयपुर डिस्काम द्वारा जरूरत के मुताबिक पम्प सैट खरीदने के लिए अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परबतसर विधान सभा क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों की हाइटेन्शन लाइनें

486. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि परबतसर शहर में श्याम कालोनी, गणेश कालोनी वार्ड नं. 13, 14 के ऊपर से हाइटेन्शन लाइन जा रही है? क्या सरकार उक्त कालोनी

(श्री मानसिंह)

से हाइटेन्शन लाइन को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कई राजकीय विद्यालयों व सरकारी भवनों के ऊपर से भी हाइटेन्शन लाइन निकल रही है? क्या सरकार स्कूली बच्चों के सुरक्षित भविष्य को मद्देनजर रखते हुये उक्त लाइनें हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में झूलते हुये तारों को ठीक कराने का विचार रखती है? अब ग्राम कुलियाणा के घरों की बाड़ों के टच हो रहे तारों को कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह लाइन इन कालोनियां के निर्माण से पूर्व में ही खींची गई थी। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निगम के नियमानुसार लाइन शिफ्ट करने हेतु टी.सी.ओ.एस.-2004 के अनुसार मांग पत्र की राशि उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराये जाने पर लाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जायेगा। वर्तमान में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कई राजकीय विद्यालयों व सरकारी भवनों के ऊपर से भी हाइटेन्शन लाइन निकल रही है। यह लाइन इन भवनों के निर्माण से पूर्व में ही खींची गई है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निगम के नियमानुसार लाइन शिफ्ट करने हेतु टी.सी.ओ.एस.-2004 के अनुसार मांग पत्र की राशि उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराये जाने पर लाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जायेगा। वर्तमान में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में झूलते हुऐ तारों को ऊंचा करने का कुछ कार्य फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कर दिया गया है। शेष कार्य किया जा रहा है। ग्राम कुलियाणा के घरों के बाड़ों के उपर से गुजर रही लाइन को फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुपर ट्रांसफार्मर लगाकर हटा दिया गया है।

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कृषि कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

487. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अर्जुन लाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में कृषि कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो फरवरी, 2010 तक कितने आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कृषि कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने हेतु फरवरी, 2010 तक कितने-कितने आवेदकों को कहां-कहां विद्युत कनेक्शन जारी किये? आवेदकों की ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में दिनांक 31.12.2007 तक के आवेदित कृषि कनेक्शनों के सभी मांगपत्र जारी किए जा चुके हैं। जिनमें से माह फरवरी-2010 तक 90072 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा थी। इनमें से 64031 आवेदकों के कनेक्शन माह फरवरी-2010 तक जारी किए जा चुके हैं। जिलेवार संख्या विवरण प्रपत्र "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में अप्रैल-2009 से फरवरी-2010 तक 42 कृषि कनेक्शन जारी किये गये, जिनका पंचायतवार संख्या विवरण प्रपत्र "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रामकां-हमीरदेसर ग्राम (हनुमानगढ़) की विद्युत लाइन की चोरी

488. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जिला हनुमानगढ़ की तहसील रावतसर के गांव रामकां से हमीरदेसर के मध्य विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों के बीच की लाइन माह सितम्बर, 2009 में चोरी हो गई तथा दिनांक 5.9.2009 को थाना रावतसर में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा कितने दोषी व्यक्ति पकड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चोरी के लिए कौन दोषी है? क्या सरकार ऐसी चोरी की रोकथाम के लिए कोई कारगार कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ की तहसील रावतसर के गांव रामकां से हमीरदेसर के मध्य लाइन खींच दी गई है।

(2) जी हां। उपरोक्त गांव के बीच की विद्युत लाइन जो ठेकेदार मै. के.एल.जी. द्वारा खींची जा रही थी, वह माह सितम्बर-2009 में चोरी हो गई थी एवं रावतसर थाना में एफ.आई.आर. नं. 345 दिनांक 05.09.2009 भी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा 389 आईपीसी के तहत एफ.आर. दिनांक 02.01.2010 को लगा दी है। ठेकेदार मै. के.एल.जी. द्वारा उक्त लाइन दुबारा खींची जाकर विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को सुपुर्द कर दी गई है, जिससे कनेक्शन भी दिये जा चुके है।

(3) उक्त चोरी के लिये निगम जिम्मेदार नहीं है क्योंकि लाइन खींचने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था तथा लाइन कार्य पूर्ण कर निगम को नहीं सौंपी गई थी। इस तरह की चोरियों को रोकने के लिए निगम द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय मीटिंग में पुलिस एवं जन प्रतिनिधियों को सहयोग के लिए अनुरोध किया जाता है।

प्रदेश में पशुधन विकास हेतु आयोजित पशु चिकित्सा शिविर

489. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार पशुधन विकास हेतु कोई कार्यक्रम चला रही है? यदि हां, तो चालू वर्ष में कहां-कहां पर चलाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में माह में एक बार पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अब तक किसी भी पंचायत में पशु चिकित्सा शिविर का प्रत्येक माह आयोजन किया गया? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कितनी-कितनी पंचायतों में किस-किस माह? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में 01.08.2009 से पशुधन विकास के लिए “पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार” योजना प्रदेश के उन ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है, जहां वर्तमान में कोई राजकीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिसके अन्तर्गत प्रतिमाह प्रति ग्राम पंचायत एक पशु चिकित्सा शिविर आयोजित करवाकर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, साथ ही पशुपालकों को विभागीय

(पशुपालन मंत्री)

योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पशुपालक गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पशुधन के विकास के लिए पशुधन विकास नीति भेड़ एवं बकरी की प्रजनन नीति तैयार की गई है।

पशुधन के विकास, उनके संरक्षण, संवर्धन व नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत नस्ल के सांड, बकरा व सूकर वितरण तथा नकारा नर पशु का बधियाकरण करवाया जा रहा है। पशु रोग निदान, पशु स्वास्थ्य, पशुपालक प्रशिक्षण, विस्तार गतिविधियों, पशु एवं पशु उत्पादन के विपणन में सहयोग, पशु चिकित्सा एवं बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन, पशुपालक गोष्ठियों का आयोजन, पशुधन सर्वेक्षण व राजकीय अनुदानित बीमा योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

(2) जी हां। प्रदेश में दिनांक 01.08.2009 से पशुधन विकास के लिए "पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार" योजना प्रारम्भ की जा चुकी है।

(3) जी हां। जिलेवार ग्राम पंचायतों में आयोजित पशु चिकित्सा शिविरों का दिनांक 15 फरवरी, 2010 तक का विवरण संलग्न है।

पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजनान्तर्गत जिलेवार आयोजित शिविरों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	जिला	अगस्त 09	सितम्बर 09	अक्टूबर 09	नवम्बर 09	दिसम्बर 09	जनवरी 10	18 फरवरी 2010 तक	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	अजमेर	108	111	217	183	103	114	54	890
2.	टोंक	154	159	313	138	151	151	69	1135
3.	कुचामन सिटी	79	81	179	83	146	147	106	821
4.	नागौर	92	95	144	118	80	94	44	667
5.	भीलवाड़ा	223	230	312	204	222	227	90	1508
6.	जयपुर	257	265	192	166	257	495	267	1899
7.	अलवर	309	318	123	336	618	619	310	2633
8.	दौसा	39	40	114	163	214	312	128	1010
9.	सीकर	266	274	175	162	260	346	154	1637
10.	झुन्झुनूं	167	172	167	167	167	167	127	1134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	बीकानेर	94	97	0	68	49	92	65	465
12.	गंगानगर	201	207	0	70	107	124	78	787
13.	हनुमानगढ़	150	155	131	101	125	126	57	845
14.	चूरू	141	145	43	77	199	170	122	897
15.	भरतपुर	240	247	67	179	239	207	140	1319
16.	करौली	164	169	36	132	172	172	65	910
17.	सवाईमाधोपुर	139	143	25	72	76	68	43	566
18.	धौलपुर	90	93	40	107	107	107	60	604
19.	जोधपुर	144	148	432	134	134	134	67	1193
20.	जैसलमेर	58	60	76	50	65	58	28	395
21.	बाड़मेर	165	170	165	110	135	87	92	924
22.	जालौर	155	160	336	89	172	170	109	1191
23.	पाली	190	196	380	104	287	227	112	1496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सिरोही	124	128	275	128	145	143	58	1001
25.	कोटा	116	119	22	122	116	98	48	641
26.	बारां	152	157	0	154	137	85	65	750
27.	झालावाड़	191	197	40	173	180	277	97	1155
28.	बूंदी	127	131	29	128	33	103	41	652
29.	उदयपुर	25	44	45	114	75	191	137	631
30.	बांसवाड़ा	46	146	87	118	163	316	111	987
31.	चित्तौड़गढ़	96	149	137	160	253	266	122	1183
32.	डूंगरपुर	93	38	43	151	108	192	35	660
33.	राजसमन्द	73	95	69	119	103	98	70	627
34.	प्रतापगढ़	34	79	65	66	75	60	29	408
	योग	**4702**	**5018**	**4479**	**4446**	**5533**	**6243**	**3200**	**33621**

झूठा सोजत ग्राम की भूमि पर अतिक्रमण

490. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम झूठा की भूमि के खसरा नं. 196 पर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अतिक्रमण किया हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण कब तक हटा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त भूमि पर सीता देवी पत्नि भानाराम कुमावत निवासी झूठा द्वारा किये गये निर्माण के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादीया सीता देवी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण ग्राम पंचायत, झूठा के विरुद्ध मा. सिविल न्यायाधीश (क.ख.), बर में प्रस्तुत वाद में दिनांक 27.1.2006 द्वारा मा. न्यायालय द्वारा वाद वादिया बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया गया है। मा. न्यायालय के आदेश दिनांक 27.1.2006 की प्रति पताका "क" पर संलग्न है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायपुर को उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को पाबंद करने तथा अतिक्रमण हटाने में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में पंचायत को सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए पंचायती राज अधिनियम की धारा-110 के अनुसार पुलिस की सहायता लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त अतिक्रमण को उपरोक्तानुसार हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों का पुनर्गठन

491. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राजकुमार रिणवां)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में नयी ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति की किन-किन पंचायतों का पुनर्गठन किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायतों का पुनर्गठन कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव समय सीमा में कराये जाने के बाध्यकारी प्रावधान है तथा पंचायतों के आम चुनाव से पूर्व पंचायतों के पुनर्गठन के लिये पर्याप्त समय नहीं होने के कारण इस कार्य को स्थगित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव निर्धारित समय में सम्पन्न करवा दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यह प्रावधान है कि किसी भी पंचायत का पुनर्गठन करने पर पुनर्गठित पंचायत भंग हो जाती है और 6 माह में उनके नये चुनाव करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2010 में सम्पन्न हुए हैं। अत: फिलहाल कोई नई पंचायत बनाने का विचार नहीं है।

इण्टाली ग्राम पंचायत (उदयपुर) में सांसद कोटे से विकास कार्य

492. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 तक कितने-कितने निर्माण कार्य कब-कब एवं कहां-कहां पर करवाये गये और उक्त कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत इण्टाली को अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2009 तक विधायक एवं सांसद कोटे से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त राशि कहां-कहां, किस-किस कार्य में कितनी-कितनी व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इण्टाली के पूरे गांवों में सी.सी. रोड बनी हुई नहीं है? यदि हां, तो कहां-कहां? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के शेष रहे रास्तों में सी.सी. रोड बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(4) ग्राम पंचायत इण्टाली में अब तक कितने-कितने सरपंचों/सचिवों का कार्यकाल रह चुका है? उनके नाम व कार्यकाल की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के नये भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो कब से और किस एजेन्सी के द्वारा? उक्त भवन पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत इण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 तक करवाये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) ग्राम पंचायत इण्टाली को अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2009 तक विधायक एवं सांसद कोटे से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई तथा किसी भी प्रकार का व्यय नहीं हुआ।

(3) ग्राम पंचायत इण्टाली के जिन स्थानों पर सीसी रोड बनी हुई हैं उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। शेष रहे रास्तों पर टीएफसी, एसएफसी, एमएलए मद, एमपी मद, बीआरजीएफ, उक्त योजनाओं में उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर सीसी रोड का निर्माण किया जायेगा।

(4) ग्राम पंचायत इण्टाली में अब तक 7 सरपंचों/15 सचिवों का कार्यकाल रह चुका है उनके नाम व कार्यकाल की सूची संलग्न परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) ग्राम पंचायत भवन का निर्माण श्री शंकरलाल जणवा, सरपंच इण्टाली द्वारा वर्ष 1976 से 1977 में करवाया गया था। यह भवन उस समय पशु चिकित्सालय को सौंप दिया गया था। जिसके कारण ग्राम पंचायत पहले किराये के मकान में चलती थी। दिनांक 7.7.2007 को पंचायत भवन से पशु चिकित्सालय को हटवाकर ग्राम पंचायत का कार्य पंचायत भवन पर सुचारू रूप से चालू है।

1. वर्ष 2009-10 में एसएफसी योजना में पंचायत भवन मरम्मत सुविधा घर निर्माण में 99994 रुपये व्यय किये गये।
2. वर्ष 2009-10 में पंचायत भवन विस्तार कमरा मय बरामदा निर्माण में 93999 रुपये व्यय किये गये।
3. वर्ष 2009-10 में छोटा कमरा, नाल व बाउण्डी मय फाटक निर्माण पंचायत भवन में करवाया गया। जिसमें कुल 99453/- रुपये व्यय हुआ।

ग्राम पंचायत के इस प्रकार पुराने एवं नये भवन का निर्माणाधीन कार्य करवाकर संयुक्त रूप से आज की तारीख में ग्राम पंचायत भवन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

(विवरण व सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के भवन रहित आयुर्वेदिक औषधालय

493. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उनियारा में किस-किस श्रेणी के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय किस-किस स्थान पर संचालित हैं तथा उनमें कार्यरत स्टाफ सहित स्वीकृत स्टाफ की संख्या कितनी-कितनी है? औषधालयों की पृथक-पृथक सूची मय वर्गीकरण एवं विवरण मय स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से कुछेक औषधालयों के भवन निर्मित हैं तथा कुछ भवन विहीन हैं? यदि हां, तो पृथक्-पृथक् सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय झुण्डवा (टोंक) को ग्राम पंचायत झुण्डवा द्वारा भवन निर्माण हेतु आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 को जारी कर दिए जाने के पश्चात् भी भवन निर्माण नहीं करवाया गया? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक भवन निर्मित करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वर्तमान में एक आयुर्वेद चिकित्सालय, 28 आयुर्वेद औषधालय तथा एक यूनानी औषधालय संचालित है, जिनकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

इन आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों व औषधालयों में स्वीकृत व पदस्थापित कार्मिकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

नाम पद	स्वीकृत पद	पदस्थापित की संख्या
आयुर्वेद चिकित्सक	31	28
यूनानी चिकित्सक	01	01
नर्स-कम्पाउण्डर	33	33
परिचारक	25	23

चिकित्सालय एवं औषधालयवार स्वीकृत व पदस्थापित कार्मिकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में संचालित चिकित्सालय व औषधालय वर्तमान में 21 विभागीय, 6 दानित व 3 अन्य भवनों में संचालित है।

सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(3) जी हां। झुण्डवा (टोंक) औषधालय पंचायत भवन में संचालित है।

भवन निर्माण हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर औषधालय भवन का निर्माण कराना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण/ सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखीगयी)

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के "अ" श्रेणी यूनानी चिकित्सालय को नि:शुल्क दवाइयों का आबंटन

494. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में "अ" श्रेणी के कितने यूनानी चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं?

(2) उक्त चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवाइयां वितरण के लिये सालाना कितनी-कितनी राशि आबंटित की जाती है?

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) के "अ" श्रेणी यूनानी चिकित्सालय नेताजी अ. गफ्फार खां मेमोरियल को गत 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि की नि:शुल्क दवाइयां वितरण हेतु दी गई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त चिकित्सालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद किस-किस श्रेणी के कब-कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त चिकित्सालय कब से संचालित है तथा उक्त चिकित्सालय भवन की सरकार द्वारा कब-कब मरम्मत करवाई गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत तीन यूनानी चिकित्सालय निम्न स्थानों पर संचालित हैं :- 1-जयपुर 2-टोंक 3-फतेहपुर (जिला सीकर)

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) उक्त तीन चिकित्सालयों को नि:शुल्क दवाइयां वितरण के लिये सालाना आबंटित की जाने वाली निर्धारित राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जिला सीकर में संचालित फतेहपुर स्थित यूनानी चिकित्सालय को गत 5 वर्षों (वर्ष 2004-05 से 2008-09) में नि:शुल्क वितरण हेतु दी गई औषधियों की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	**राशि (रुपयों में)**
2004-05	55662.93
2005-06	81259.40
2006-07	67713.52
2007-08	59350.56
2008-09	109965.27

(4) फतेहपुर (सीकर) के यूनानी चिकित्सालय में स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद नाम	**संख्या**
यूनानी चिकित्सक	3
नर्स-कम्पाउण्डर	4
कनिष्ट लिपिक	1
परिचारक	2

उक्त में से यूनानी चिकित्सक का एक पद माह नवम्बर, 2009 से रिक्त है।

रिक्त पद को स्थानान्तरण से शीघ्र भरा जायेगा।

(5) जी नहीं। विभाग में महिला चिकित्सक का पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं है। पुरुष/महिला चिकित्सकों को चिकित्सकों के स्वीकृत पदों पर आवश्यकतानुसार पदस्थापित किया जाता है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(6) उक्त चिकित्सालय दिसम्बर, 1979 से संचालित है। चिकित्सालय भवन की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा फरवरी, 1992 में 3710.00 रुपये व्यय कर की गयी है।

(7) जी नहीं। वर्तमान में चिकित्सालय भवन की स्थिति सही है।

परिशिष्ट-क

यूनानी चिकित्सालयों को निःशुल्क औषध वितरण हेतु आबंटित राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम चिकित्सालय	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	टोंक	1.69	1.19	1.15	1.12	1.19
2.	जयपुर	1.35	1.52	1.15	1.79	1.49
3.	फतेहपुर (सीकर)	1.32	1.15	1.09	1.07	1.19

दुर्घटना में मृत व्यक्ति का सवाई मानसिंह चिकित्सालय में पोस्टमार्टम

495. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसका पोस्टमार्टम करने में चिकित्सक समय पर उपस्थित नहीं होकर टालमटोल रवैया अपनाकर देरी करते हैं? क्या उक्त कारण परिजनों को अनावश्यक परेशानी होती है? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दुर्घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका पोस्टमार्टम करना आवश्यक है? क्या इस सम्बन्ध में न्यायालय ने भी कोई निर्णय दिया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में सम्बन्धित पुलिस जांच अधिकारी द्वारा शव का पंचनामा प्रस्तुत करने पर अविलम्ब सम्बन्धित शव का

(चिकित्सा शिक्षा)

पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। 24 घंटे मेडिकल ज्यूरिस्ट डयूटी पर उपस्थित रहता है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के 6/35 के उपनियम (1) को संशोधित करते हुए उक्त नियम के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया है :- "परन्तु सड़क और रेल दुर्घटनाओं के मामलों में, यदि अन्वेषक अधिकारी को मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह नहीं हो तो शव परीक्षण के लिये भेजना उसके लिये आवश्यक नहीं होगा।" प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

परिजन की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सीआईडी (अपराध), राजस्थान, जयपुर के परिपत्र दिनांक 20.11.2004 के द्वारा उपरोक्त प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करने के लिये राजस्थान के समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया। प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पंचायत समिति मुख्यालय पर सेटेलाइट अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पंचायत समिति शेरगढ़ एवं पंचायत समिति बालेसर के ग्रामों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चामू, नाथडाऊ सेतरावा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

4. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत नांद एवं बाड़मेर आगोर में पी.एच.सी. खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाडखा एवं रानी गांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
6. राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में सी.टी. स्केन मशीन स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत मीठडा में होम्योपैथिक हास्पीटल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

8. बिलाड़ा स्थित मरूधर केशरी राजकीय रेफरल चिकित्सालय में शैय्याओं की वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में धनवन्तरी योजना अन्तर्गत पीपाड़ शहर

(श्री अर्जुन लाल)

नगरपालिका क्षेत्र में 108 एम्बुलेन्स उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में रिक्त पड़े चिकित्सक, एम.एन. ग्रेड-द्वितीय, ए.एन.एम. कर्मियों एवं चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

11. राज्य में सेलियक डीजीज बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) :

12. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्रामों में व्यक्तियों के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

13. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कनिष्ट विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों व नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना या रावला क्षेत्र हेतु अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना पंचायत समिति मुख्यालय पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नगरपालिका अनूपगढ़ क्षेत्र में सफाई नहीं होने से बढ़ रही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

17. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा किशनगढ़ रेनवाल, फुलेरा, सांभरलेक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आपरेशन थियेटर स्थापित होने के बावजूद आवश्यक सुविधाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. तहसील फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांभर, फुलेरा किशनगढ़ रेनवाल एवं स्वास्थ्य केन्द्र मण्ठा, भीमसिंह, भैसवाना, नरापना, बाघावास, जोबनेर, बघाल, करणसर, हिंगोनिया में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

20. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में हृदय रोगियों के आपरेशन की बढ़ती हुई प्रतीक्षा सूची को कम करने हेतु हृदय शल्य चिकित्सा इकाई के संसाधनों का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

21. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के गांव ठापी में चिकित्सकों का ठहराव सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

22. नेशनल हाइवे नम्बर 11 जयपुर-सीकर रींगस, लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर रोड पर मोबाइल एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. जिला सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में गंदे व बरसाती पानी की सुचारू निकासी नहीं होने से उत्पन्न बीमारियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24. लक्ष्मणगढ़ कस्बा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शैय्याओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

25. राजकीय चिकित्सालय धौलपुर को "अ" श्रेणी अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

26. जोधपुर में सरकारी क्षेत्र में डेंटल कालेज की स्थापना के लिए विभागीय पहल तथा एम.डी. करने हेतु समुचित सीटों का प्रावधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27. मेडिकल कालेज, जोधपुर और संलग्न चिकित्सालय में स्पाइनल सी.टी. स्केन, एम.आर.आई. मशीन की स्थापना और सोनोग्राफी जांच हेतु लम्बी प्रतीक्षा अवधि के मद्देनजर नवीन सोनोग्राफी मशीनों की मय स्टाफ के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

28. सूरसागर क्षेत्र के चौपासनी 15 सैक्टर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड डिस्पेन्सरी को 50 शैय्याओं के सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

29. बजट प्रावधान संख्या 49 में घोषित 60 पी.एच.सी. में से एक पी.एच.सी. सूरसागर चौपड़ में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. सूरसागर के विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर खान क्षेत्र में आकस्मिक दुर्घटना होने पर समय रहते प्राथमिक उपचार की उपलब्धता एवं बड़े सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने हेतु चौपड़, सूरसागर क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

31. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सोजत सिटी में ट्रोमा, बर्न वार्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

32. जिला बून्दी की खटकड़ पंचायत की पी.ए.सी. को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

33. जिला बून्दी की पंचायत डाबी की पी.ए.सी. को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

34. जिला चिकित्सालय बून्दी में सी.टी. स्केन मशीन लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

35. जिला चिकित्सालय बून्दी में डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

36. पंडित बृज सुन्दर चिकित्सालय बून्दी को ए ग्रेड में क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) :

37. बयाना सी.एच.सी. में डाक्टरों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) :

38. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर की कच्ची बस्तियों में स्वीकृत डिस्पेन्सरियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

39. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छतरगढ़ की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

40. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के ग्राम दन्तोर, डेली तलाई, सत्तासर लाखसूर में पी.एच.सी. खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

41. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

42. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

43. जिला चिकित्सालय, भरतपुर में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

44. भरतपुर के लिए वर्ष 2008-09 में स्वीकृत 50 बैड्स के सेटेलाइट हास्पिटल को भरतपुर में निर्धारित स्थान पर ही स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

45. जिला चिकित्सालय, भरतपुर में काफी दिनों से कार्यरत चिकित्सकों के स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46. जिला चिकित्सालय भरतपुर में पदस्थापित चिकित्सकों के भरतपुर शहर में चल रहे निजी नर्सिंग होम को शीघ्र बंद कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

47. जिला चिकित्सालय, भरतपुर में लम्बे अरसे से बंद पड़ी सी.टी. स्केन मशीन को पुन: चालू करवाने तथा नवीन जीवन रक्षक उपकरण क्रय किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

48. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ की हाजिरी सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

49. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहर (भरतपुर) में रात्रिकालीन स्टाफ की अनुपलब्धता को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

50. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में गंगानगर शहर में सफाई व्यवस्था के

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लिए सीवरेज प्रोजेक्ट कार्य प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न बीमारियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में मेडिकल की छात्र-छात्राओं हेतु मेडिकल महाविद्यालय खोलने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

52. विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी चिकित्सालयों में रिक्त चल रहे कनिष्ट चिकित्सकों, ए.एन.एम. व अन्य कर्मचारियों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

53. रूपनगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

54. तारानगर रेफरल चिकित्सालय में चिकित्सक विशेषज्ञों के बड़ी संख्या में रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

55. जैसलमेर में जिला चिकित्सालय में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने, आई.सी.यू. एवं ट्रोमा यूनिट की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

56. जिला जैसलमेर में 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने, रिक्त पदों को भरने तथा बी.पी.एल. कार्डधारियों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

57. बासी खुर्द (पं.स. सेवर) में डिस्पेंसरी का भवन निर्माण कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. तहसील रूपावास के गांव फतहपुर, जयचोली, गहनोली, बोकोली, गहलरू पमा, बसेरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

59. तहसील रूपवास के गांव रहीमपुर, पिचूना, मैसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)

60. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव में ढाचौली, हौंता, धनीपुरा, बुढवारी कला तथा लुनहारा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

61. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में स्वीकृत स्थानों पर स्टाफ की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

62. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेड़ली व कठूमर जिला अलवर में विषय विशेषज्ञ डाक्टर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63. राजकीय चिकित्सालय (सब सेंटर) रोनीजाथान (कठूमर) अलवर में स्वीकृत स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

64. रेफरल अस्पताल खेड़ली जिला अलवर में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

65. राजसमंद नगर में सेटेलाइट हास्पीटल खोलने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

66. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अनूपगढ़ व घड़साना में ब्लड स्टोरेज यूनिट तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

67. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में 5 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 8 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

68. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र, एड पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर-ग्रामीण) :

69. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नये चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती सज्जन कटारा)

70. जिला उदयपुर के चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. जिला उदयपुर में चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

72. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में ट्रोमा यूनिट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर-पश्चिम) :

73. बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल के वार्डों में सफाई, दवाइयों की कमी, चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की 50 प्रतिशत तक कमी, लिफ्ट कई सालों से बन्द रहने से मरीजों को हो रही असुविधा एवं गंगाशहर में सेटेलाइट अस्पताल की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

74. तहसील कोटड़ा के सी.एच.सी. में 50 शैय्याओं को बढ़ाने एवं एक वार्ड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

75. तहसील झाड़ोल के बाघपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अजुर्न लाल (बिलाड़ा) :

76. बिलाड़ा में स्थित राज. मरूधर केसरी रैफरल चिकित्सालय को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

77. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के राजकीय नेत्र चिकित्सालय में चिकित्सक का पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

78. रायसिंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड स्टोरेज यूनिट प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) :

79. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी, राजकीय चिकित्सालय केकड़ी, सरवाड़ एवं

(डा. रघु शर्मा)

सावर में स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक का पदस्थापन करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों को भरने एवं नवीन पदों की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

82. राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

83. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ के सी.एच.सी. में सोनोग्राफी मशीन लगाने एवं ब्लड बैंक खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

84. थानागाजी, नारायणपुर, टहला, प्रतापगढ़ पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. अलवर जिले में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

86. विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर में स्थित चिकित्सालय में चिकित्सकों के सभी रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

87. प्रतापगढ़ जिले में बसे राजस्व ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण कराए जाने हेतु राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

88. पी.एच.सी. नौसर सब-सेंटर मोजासर, गोपड़ी, रिछोली, कालानाड़ा में प्रसूति कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

89. बायतू क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बायतू में प्रसूति वार्ड का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. बायतू क्षेत्र के वंचित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति कक्ष निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र नौसर एवं परेऊ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा एवं पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

93. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के ग्राम देवीपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र, बिलान्दरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा खेजरोली, धवली (जयपुर) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

94. रेफरल हास्पीटल में रिक्त चिकित्सकों के पद भरने एवं 108 एम्बुलेंस सेवा चालू करने के सम्बन्ध में।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

95. राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के चिकित्सालयों में महिला चिकित्सक, अन्य चिकित्सक व पैरा-मेडिकल स्टाफ की रिक्तियों को भरने व चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

96. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के डीडवाना कस्बे में आयुर्वेद अस्पताल के नाम से बनाये गये भवन व भूमि को आज तक सरकार को सुपुर्द नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम पंचायत खरेस के ग्राम बकवास ग्राम पंचायत पावा के गांव बाज्यां की ढाणी में नर्सिंग स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रूपाराम डूडी)

98. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में एक्स-रे मशीन, अन्य जांच उपकरण व चिकित्सकीय व नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम पंचायत बालिया के ग्राम लाडारामसा, ग्राम पंचायत मंडूकरा व ग्राम पंचायत आबोदा ग्राम पंचायत मु. सिंघाना में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के मौलासर पी.एच.सी. में स्वीकृत पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर) :

101. विधान सभा क्षेत्र जालौर के समस्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र जालौर के उप स्वास्थ्य केन्द्र बाकरा, जीवाणा, थलवाड़ एवं आलासन को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी) :

103. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी, जिला जयपुर में महिला रोग विशेषज्ञ के पद पर महिला चिकित्सक नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामीण चिकित्सालयों में ही रही अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) :

105. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जर्जर इमारतों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पिछड़े गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रामस्वरूप कसाना)

108. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

109. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के अस्पतालों की दयनीय हालात को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

110. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में चिकित्सा सुविधाओं के सुधार, जेनेरिक दवाइयां, जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नगराज (धरियावद) :

111. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

112. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के केशवराय कस्बा में संचालित सिटी अस्पताल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के सी.एच.सी., पी.एच.सी. उपकेन्द्रों, सिटी अस्पताल में स्वीकृति के उपरान्त चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

114. उप स्वास्थ्य केन्द्र पीपलिया तहसील नैनवां जिला बून्दी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

115. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटड़ा एवं झाडोल जिला उदयपुर में सोनोग्राफी मशीन स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

116. विधान सभा क्षेत्र रामगंज में खनन क्षेत्रों के कार्य करने वाले मजदूरों को सम्बन्धित पट्टाधारियों द्वारा चिकित्सा की सुविधा प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता व्यास)

117. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पी.एच.सी. की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र रामगंज में चल रहे निजी चिकित्सालयों में मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष की योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. रामगंजमण्डी के चिकित्सालय में आई.सी.यू. की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. कोटा सम्भाग में 108 एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाने, रामगंज मण्डी में ट्रोमा यूनिट की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द्र भिण्डा (विराटनगर) :

121. ग्राम बलेसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा अधिकारी का पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विराटनगर एवं पावटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक कनिष्ट विशेषज्ञ का पद सृजित कर पदस्थापन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के सभी गांवों में चिकित्सा सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के मेड में चिकित्सा सुविधा (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

125. राजकीय चिकित्सालयों में व्यक्तियों को नि:शुल्क दवाइयां दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126. शहरों एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में स्टाफ की पूर्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

127. उदयपुर में संचालित दोनों सेटेलाइट अस्पताल में पूरी जांच एवं सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128. महाराणा चिकित्सालय उदयपुर केम्पस में गरीबों को उचित मूल्य एवं नि:शुल्क सेवा हेतु एम्बुलेन्स सेवा देने वाली स्वयं सेवा संस्थाओं द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

129. महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर में मरीजों की डाइट का पर्याप्त बजट नहीं मिलने से हो रही परेशानी पर चर्चा के लिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) :

130. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र लुणवा, आकोला महाराज की खेड़ी, वाना, तारावट बोठेड़ा कलां को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

131. कावंटिया अस्पताल जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं व भवन विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

132. मौसमी बीमारियों के पुख्ता इंतजाम करने तथा डी.डी.टी./कीटनाशकों का नियमित छिड़काव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

133. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री करण सिंह (छबड़ा) :

134. राज्य में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती मंजू देवी (जायल) :

135. जायल सी.एच.सी. में सर्जन व फिजिशियन के लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

136. जोधपुर शहर तथा सम्भाग के सभी अस्पतालों में खाली पड़े विशेषज्ञों, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भरे जाने, नयी भर्ती करने तथा काण्ट्रेक्ट पर समुचित स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

137. उम्मेद महिला अस्पताल तथा महात्मा गांधी अस्पताल में शैय्याओं की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

138. जोधपुर के मथुरादास माथुर महात्मा गांधी एवं उम्मेद जनाना

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

अस्पताल की सी.टी. स्केन, एम.आर.आई. मशीन तथा अन्य जांच उपकरणों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

139. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के मधुबन कालोनी एवं सरस्वती नगर की डिस्पेंसरी को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

140. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में कार्डियोलोजी विभाग स्थापित कर स्थायी कार्डियोलोजिस्ट का पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

141. अजमेर सम्भाग में बढ़ती दुर्घटनाओं में घायलों को तुरन्त उपचार उपलब्ध कराने हेतु जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के न्यूरो सर्जरी विभाग में अतिरिक्त आपरेशन थियेटर एवं इन्टेन्सिव केयर यूनिट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का 70 प्रतिशत बजट ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु खर्च किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. अजमेर के हृदय रोग संस्थान की कैथ लैब के आरम्भ होने के कुछ समय पश्चात् ही बन्द हो जाने से अजमेर सम्भाग के हृदय रोगियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. देश के अन्य राज्यों की भांति राज्य में सरकारी चिकित्सालय संस्थानों में मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

145. अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के आर्थोपेडिक विभाग की फीजियोथैरेपी लैब को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने एवं नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोड़ाभीम) :

146. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में प्रत्येक पी.एच.सी., सी.एच.सी. पर पर्याप्त स्टाफ लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर) :

147. नागौर हाउसिंग बोर्ड में बने चिकित्सालय भवन में डाक्टर एवं स्टाफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री हबीबुर्रहमान)

148. राजकीय चिकित्सालय नागौर में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

149. नागौर पंचायत समिति के गांव ऊंटखलिया में प्राथमिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

150. बासनी बेलिया राजकीय प्राथमिक चिकित्सा को सामुदायिक चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पेमाराम (धोद) :

151. विधान सभा क्षेत्र धोंद के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. सीकर के कल्याण अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर कर साफ-सफाई का पुख्ता प्रबंध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. बद्रीनारायण सोढ़ाणी राजकीय चिकित्सालय लोसल में पूर्ववत एलोपैथी, आयुर्वेद व होम्योपैथी चिकित्सकों को एक छत के नीचे बैठाकर नगर को चिकित्सा सुविधा पहुंचाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. लोसल नगर के सामुदायिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. धोद स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर व कर्मचारियों का ठहराव 24 घंटे सुनिश्चित करने व प्रतिमाह उच्च अधिकारियों द्वारा ठहराव की जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

156. राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में चिकित्सकों के आवास भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ग्राम पंचायत दूदवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसोल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

160. भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर, शास्त्री नगर एवं पुर के चिकित्सालयों में समय पर डाक्टर नहीं आने एवं नियुक्त चिकित्सकों को भी अन्य कार्यों में लगाने से जनता को होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

161. भीलवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल में लगभग दो वर्ष से 35 चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. भीलवाड़ा शहर के पुर कस्बे में वार्ड सं. 1, 2, 3, 4 के चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. महात्मा गांधी चिकित्सालय में बी.पी.एल. परिवारों के रोगियों को चिकित्सालय से दवाइयां उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. भीलवाड़ा में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के मध्यनजर भीलवाड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

165. अजमेर स्थित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के मेडिकल विभाग की इन्टेंसिव केयर यूनिट के सुदृढ़ीकरण हेतु वेन्टीलेटर, कार्डियक मोनिटर, इन्फ्यूजन पम्प एवं ए.बी.जी. ऐनेलाइजर की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

166. श्री गंगानगर जिले में चिकित्सा कर्मियों के चयनित वेतनमान व अन्य प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से समय पर पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

167. श्रीगंगानगर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

168. राज्य कर्मियों को चिकित्सा हेतु राज्य के सभी शहरों के 50 शैय्याओं के अस्पतालों में इलाज कराने हेतु अधिकृत करने एवं इण्डोर मरीजों की दवाइयां प्राइवेट दुकानों से खरीदने की छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

169. जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में बैड़ों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. चौड़ा रास्ता स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. जयपुर शहर में कांवटिया अस्पताल की तर्ज पर रेफरल अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. राज्य में मेडिकल चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस को बंद कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

173. चिकित्सकीय आवश्यकता के बावजूद रियासतकालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलीगढ़ (टोंक) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत में की जा रही अनदेखी पर चर्चा के लिए।

174. देवली शहर की विभिन्न राजमार्गों पर महत्वपूर्ण अवस्थिति एवं क्षेत्र में बढ़ती दुर्घटनाओं में घायलों की जीवन रक्षा हेतु राजकीय चिकित्सालय देवली में विशेष ट्रोमा सेंटर खोले जाने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. राजकीय सामान्य चिकित्सालय बून्दी को “अ” श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दूनी (टोंक) में महिला चिकित्सक एवं कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडीसन) लगाये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

177. आमली (उनियारा) सहित भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण कराये जाने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

178. राज्य के सभी चिकित्सालयों में विभिन्न सुविधाएं जुटाने हेतु अनटाइड फंड का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. **श्री बहादुर सिंह** (वैर) :

179. विधान सभा क्षेत्र वैर के समस्त चिकित्सालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री बहादुर सिंह)

180. विधान सभा क्षेत्र वैर में कस्बा टलैना में ब्लड बैंक एवं एक्स-रे मशीन की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र वैर में कस्बा भुसावर के चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

182. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में रेफरल अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में रेफरल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

184. रेफरल अस्पताल बहरोड़ को 100 शैय्याओं का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

186. रेफरल अस्पताल बहरोड़ में महिला चिकित्सक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

187. सीकर जिले में सरकारी मेडिकल कालेज शुरू करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. दांता व खाटू सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रेडियोग्राफर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के पृथ्वीपुरा, खण्डेलसर, कांडिया, राउकी ढाणी (मुण्डियावास) एवं रामपुरा में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

191. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्री विजयनगर क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उप केन्द्र खोखरावाली को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

193. कुचामन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अल्ट्रासोनिक मशीन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

194. कुचामन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने एवं 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

195. कुचामन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा यूनिट स्वीकृत करने एवं विशेषज्ञ का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

196. नावां अस्पताल में डाक्टरों के रिक्त पद भरने एवं लैब टेक्निशीयन का पद सृजन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

197. नावां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने एवं 50 शैय्याओं की वृद्धि करने एवं एक्स-रे मशीन 500 एम.ए. की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय) :

198. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नवल किशोर (बामनवास) :

200. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

201. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के राजकीय चिकित्सालय चिड़ावा में बैड बढ़ाने एवं कक्षा का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों के पूरे समय केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहने से मरीजों को होने वाली परेशानी से ग्रामीणों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में भ्रमणशील अस्पताल एवं भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में प्राकृतिक आपदाओं से फैली बीमारियों की रोकथाम की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पिलानी शहर में एक भी राजकीय चिकित्सालय नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

206. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सभी पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर जी.एन.एम. के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में रिक्त चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र दांतडाबड़ा को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. पंचायत समिति जहाजपुर के ग्राम फतेहपुर एवं जालमपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. जहाजपुर सी.एच.सी. की मेडिकल रिलीफ सोसायटी में हुए घोटाले में शामिल चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

211. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में ट्रोमा सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में स्वास्थ्य केन्द्र आबूरोड़ में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने एवं महिला चिकित्सक की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

214. रेवदर उप खण्ड मुख्यालय पर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

215. उदयपुर में बंद पड़े आयुर्वेद कालेज को पुन: प्रारम्भ करवाने एवं जयपुर में राजकीय होम्योपैथिक कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री कालीचरण सराफ)

216. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद के नवीन चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. जयपुर के राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय मालवीय नगर में सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप जिला चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध करवाने एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय गणगौरी बाजार जयपुर में आर्थोपेडिक्स की इण्डोर इकाई प्रारम्भ कर दूरबीन से शल्य चिकित्सा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. जयपुर के एस.एम.एस. चिकित्सालय में खराब पड़े उपकरण ठीक करवाने एवं जिन उपकरणों की कमी है उनकी पूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. आर.पी.एम.टी. में हुई अनियमितताओं के लिए दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न होने जयपुर के एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के विरुद्ध विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

220. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी, डूंगला, भदेसर के चिकित्सालयों में प्रसूता वाहन उपलब्ध कराने, मंजवा, चेनपुरिया में उपकेन्द्र, केवलपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मंगलवाड़ में ट्रोमा सेंटर खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी सादड़ी में कार्डियोलोजी, ब्लड बैंक (भवन उपलब्ध) अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन व डूंगला में 500 एम.ए. एक्स-रे मशीनें, जनाना वार्ड डेन्टल वाई, डेन्टल इन्स्ट्रूमेंट आई वार्ड में इन्स्ट्रूमेंटस, आपरेशन थियेटर, आटो एन लाइजर, 4 वेन्टीलेटर लैब इन्स्ट्रमेंटस, ग्रेस्ट्रोस्काप के साथ 50 बैडेड से 100 बेडेड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्यासपुर, पाल, डेलवास, आवरीमाता को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर डूंगला सामुदायिक केन्द्र को 50 बेडेड करने पर एवं प्रतापगढ़

(श्री प्रकाश चन्द चौधरी)

चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की तहसीलें बड़ी सादड़ी, भदेसर, डूंगला व मंगलवाड़ चौराहे पर 108 एम्बुलेंस बस सेवा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगला, बड़ी सादड़ी में स्वीकृतशुदा रिक्त पदों को भरे जाने व जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ को 'ए' ग्रेड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

225. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना, समदड़ी, सिणधरी में महिला चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना, समदड़ी, सिणधरी के वर्तमान बेड़ों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादरू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना पर 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पं. स. मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना, सिणधरी में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

230. बसेड़ी उपखण्ड के गांव सलेमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा डाक्टर्स एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री सुखराम)

231. बसेड़ी सी.एच.सी. चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञों के पदों की स्वीकृति एवं रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. चिकित्सालयों में रिक्त पड़े डाक्टर्स नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य स्टाफ के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

233. सी.एच.सी. मारवाड़ जंक्शन में लम्बे समय से चल रहे डाक्टर्स के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. सी.एच.सी. मारवाड़ जंक्शन में लम्बे समय से एक ही स्थान पर वर्षों से लगे लैब टैक्निशियनों द्वारा दूसरों के नाम से प्राइवेट लैब खोलकर जांच प्राइवेट में कराने हेतु प्रेरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

235. सी.एच.सी. मारवाड़ जंक्शन में डाक्टरों द्वारा बिजली चोरी कर 8000 रुपये की बिजली सी.एच.सी. के भवन निर्माणकर्ता के ठेकेदारों को बेच कर ठेकेदार से राशि कम वसूल कर गबन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

236. सी.एच.सी. मारवाड़ जंक्शन के डाक्टरों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना आयोग द्वारा 5000 रुपये का जुर्माना लगाने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

237. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमवारामगढ़ को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सहायक रेडियोग्राफर का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बूचड़खाने के प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमवारामगढ़ एवं आंधी में हड्डी रोग तथा स्त्री रोग के कनिष्ट विशेषज्ञ के पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

242. बूंदी के जिला चिकित्सालय, कोटा व बूंदी के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना एवं दोनों जिलों के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे प्रसूति सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243. मेडिकल कालेज चिकित्सालय कोटा में ट्रोमा यूनिट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. मेडिकल कालेज चिकित्सालय, कोटा में कार्डियोलोजी, गेस्ट्रोलोजी, यूरोलोजी, नेफ्रोलोजी, प्लास्टिक सर्जरी, पेडिट्रिक सर्जरी की सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. कोटा मेडिकल कालेज चिकित्सालय, रंगबाड़ी रोड की क्षमता 1000 बेड तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

246. झालावाड़ जिले के समस्त उपखण्ड स्तर के चिकित्सालय में पूर्व विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

247. झालावाड़ मेडिकल कालेज से संबंधित चिकित्सालय में कार्डियोलोजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन एवं न्यूरो सर्जरी से संबंधित सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

248. विधान सभा क्षेत्र खानपुर बकानी चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन स्वीकृत करने तथा चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

249. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी में चिकित्सक आवास भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. झालावाड़ जिला मुख्यालय पर विशेष ट्रोमा केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-23 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-23 मुख्य शीर्षक श्रम और रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

1. श्रम विभाग के जिला स्तर एवं ऊपर के अधिकारियों के तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक ही पद पर पदस्थापित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

2. जोधपुरी पत्थर खनन श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. जोधपुरी पत्थर श्रमिकों को सरकार की ई.एस.आई. योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. ई.एस.आई. अस्पताल जोधपुर में विशेषज्ञ सेवाओं और जांच उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. पत्थर श्रमिकों के लिये आवश्यक प्रशिक्षण कोर्सों को स्थापित करने और नये आई.टी.आई. के कोर्सों में सम्मिलित कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

6. सोजत विधान सभा के लोगों को नियमित रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

7. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के कस्बा कुम्हेर में रोजगार मेला शीघ्र आयोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

8. विधान सभा क्षेत्र भीम के तहसील मुख्यालयों पर नव युवकों को रोजगार मुहैया कराने एवं बेरोजगारों को रोजगार प्रशिक्षण हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.आई.) खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) :

9. श्रीगंगानगर में श्रम उप आयुक्त का पद पुन: सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

10. श्रमिकों के लिये बने कानूनों की पालना में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

11. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

12. अलवर जिले में श्रम एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

13. नरेगा में महंगाई के अनुरूप मजदूरी बढ़ाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

14. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये विशेष सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. राज्य में युवाओं के लिये विशेष रोजगार के साधन सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

16. राजस्थान में मजदूरों के न्यूनतम वेतन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. ई.एस.आई. अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करने एवं श्रमिकों को तत्काल भुगतान कर बड़े अस्पताल में रेफर करने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिये।

18. शहरी क्षेत्र के स्नातक बेरोजगारों को गारन्टी रोजगार भत्ता मुहैया करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

19. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में हो रहे बाल श्रम को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

20. श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिये बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. बीड़ी श्रमिकों हेतु श्रम विभाग द्वारा बनाई गई योजना का लाभ श्रमिकों तक आसानी से पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

22. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में श्रम कार्यालय के उप आयुक्त पद को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में बेरोजगार भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

24. रींगस में मजदूरों की चल रही हड़ताल में हस्तक्षेप कर मजदूरों को संरक्षण देकर सभी मजदूरों को पुन: मजदूरी दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. राज्य में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. राज्य में श्रम कानूनों को शक्ति से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. सीकर जिले में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. बाल श्रमिकों को आवश्यक संरक्षण देने तथा उनके उत्थान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

29. श्रम एवं रोजगार कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. बहरोड़ में श्रम एवं रोजगार कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

31. राज्य में बन्द कारखानों को पुन: चालू करने की स्थाई नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. राज्य में बेरोजगार शिक्षित युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

33. आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड रींगस मिल के प्रबन्धकों द्वारा श्रम कानूनों को ताक पर रखकर मजदूरों का शोषण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. राज्य में बाल श्रमिक कानून की शक्ति से पालना कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. राज्य में महंगाई सूचकांक 3774 होने एवं श्रम सलाहकार बोर्ड की सर्वसम्मति राय के अनुसार राज्य में न्यूनतम मजदूरी रुपये 203/- करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

36. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उपखण्ड भोपालगढ़ में श्रम रोजगार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

37. नावां में नमक श्रमिकों के लिये विशेष व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. नावां में श्रमिकों व मजदूरों के लिये मजदूर बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. नावां में नमक श्रमिकों एवं मजदूरों के लिये कल्याण कोष की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

40. बून्दी एवं टोंक जिले के श्रम कार्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुपात में विगत काफी समय से कार्मिक तैनात न किये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

41. प्रदेश के श्रम विभाग एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति का बैकलाग भरे जाने में किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिए।

42. बून्दी जिले में रामगंज बालाजी स्थित खाद्य तेल उद्योग बंगे इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का समयबद्ध एवं प्रभावी निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं किये जाने से श्रमिकों के शोषण एवं श्रम कानूनों/नियमों की हो रही अवहेलना को रोके जाने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

43. टोंक जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनके लिये आवश्यक प्रशिक्षण एवं सम्मेलन आदि कार्यक्रमों के समयबद्ध संचालन में की जा रही विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

44. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत सम्पादित होने वाले विकास कार्यों में टोंक जिले के देवली एवं उनियारा नगर पालिका क्षेत्रों की हो रही उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

45. बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

46. जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र एवं मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम कल्याण केन्द्र खोले जाने एवं श्रमिकों के बच्चों के लिये सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. जयपुर में रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. जयपुर के राज्य बीमा चिकित्सालयों में एक्स-रे एवं जांच सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. राज्य में न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी एवं इसको मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. राज्य श्रम सलाह कार बोर्ड की वर्षों से नहीं हुई बैठक बुलाने एवं श्रमिकों के हितों की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

51. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में महिला रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. एवं बी.पी.एल. परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री सुखराम)

54. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. धौलपुर जिले में बाल मजदूरी को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

56. सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने एवं रोजगार नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. बनेसिंह पुत्र श्री हरिसिंह वन रक्षक वन विभाग की मृत्यु होने से उनके पुत्र जितेन्द्र सिंह को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

58. विभाग द्वारा राज्य में बेरोजगार युवकों को दी जा रही सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

59. प्रदेश के लाखों संनिर्माण कर्मकार एवं असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के लिये कल्याण मण्डल का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 150/- रुपये करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं खेतिहर मजदूरों के विद्यार्थी को नि:शुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति देने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. राज्य में महिला श्रमिकों के बच्चों को पालना घर व अन्य सुविधायें कार्य स्थल पर उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

63. बाल मजदूरी रोकने हेतु अधिनियम का सख्ती से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. राज्य के युवाओं के लिये सरकारी, निजी क्षेत्र में एवं अन्य व्यावहारिक तरीकों से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।